राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] तेरहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पैंतालीसवां दिवस [संख्या : 14

बुधवार,

11 अप्रैल, 2012

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद।

चौकड़ी ग्राम (सीकर) में मेसनरी स्टोन हेतु नियम विरुद्ध जारी एस.टी.पी.

269. **श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चौकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में केलसाइट मिनरल खनिज क्षेत्र है? यदि हां, तो कितना व उक्त खदानें किस-किस व्यक्ति के नाम कब-कब से आबंटित हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2011-12 में उक्त केलसाइट मिनरल क्षेत्र में सरकार द्वारा मेसनरी स्टोन हेतु एस.टी.पी. जारी की गई है? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों से कब एवं किस व्यक्ति को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध जारी एस.टी.पी. को निरस्त कर इसमें दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक किस-किस के विरुद्ध और नहीं, तो क्यों?

खनिज मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) ग्राम चौकड़ी तहसील श्रीमाधोपुर क्षेत्र में आता है तथा ग्राम चौकड़ी में केलसाइट मिनरल उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में खनिज केलसाइट का एक खनन पट्टा श्रीमती इन्द्रा शर्मा पत्नी श्री एस.एम. शर्मा के पक्ष में दिनांक 11.06.2008 से 30 वर्ष के लिये आबंटित है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(2) वर्ष 2011-12 में उक्त केलसाइट के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में पड़े हुए ओवरबर्डन के निर्गमन हेतु परमिट जारी किया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 63-ए के तहत खनन पट्टा क्षेत्र में पड़े हुए ओवरबर्डन के निर्गमन हेतु अनुमति आवेदक श्री बालाजी स्टोन क्रेशर को नियमानुसार 10/- रुपये विशेष परमिट फीस तथा मेसनरी स्टोन की देय रायल्टी जमा कराकर जारी की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। नियम 63-ए की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) एस.टी.पी. नियमान्तर्गत जारी की गई है। अतः किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण व प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्षजी, जो डिटेल्स मैंने मांगी थीं, वे डिटेल्स मिल गयी हैं और प्रश्न का जवाब आ गया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। श्री महेन्द्र सिंह।

नसीराबाद के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

270. **श्री महेन्द्र सिंह** (नसीराबाद): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्रामीण क्षेत्र की कौन-कौनसी बसों को अब तक बन्द किया गया है तथा बन्द करने का क्या कारण रहा? क्या सरकार इन्हें वापस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अजमेर, अजयमेरू, ब्यावर आगार की लीडी-नसीराबाद, लीडी-ब्यावर, लीडी-अजमेर वाया बिकचियावास बंद बस सेवाओं को पुनः पूर्व की भांति संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्रामीण क्षेत्र की बंद की गई एवं वर्तमान में चालू बसों का विवरण कारण सहित परिशिष्ट '1' व '2' पर संलग्न है। जिन बसों का संचालन बंद किया गया है, उन्हें वर्तमान में निगम के उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए चलाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) अजमेर आगार की कोई बस सेवा प्रश्नगत मार्गों पर संचालित नहीं थी। प्रश्न के भाग '1' में दिये गये उत्तर के अनुसार अजयमेरू एवं ब्यावर आगार द्वारा संचालित जिन एकल परिचक्रों को बंद किया गया है उनके संचालन के दौरान उन पर आने वाली लागत से भी कम आय प्राप्त होने के कारण उन्हें वर्तमान में पुनः संचालित करने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री महेन्द्र सिंह (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हर पंचायत को राजस्थान रोडवेज से जोड़ेंगे और ग्रामीण एरिये की बसें बंद करके फिर भी रोडवेज 1,150 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। आपने ग्रामीण बसें बंद कर दीं, लोग आने-जाने के लिये टैक्सी या टेम्पो की सहायता ले रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज। इसलिये ये बसें चलाई जाएं, मेरा अनुरोध है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से इस बात को रखा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नगत मार्गों को बस की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो प्रावधान करवाया गया है, उसके तहत आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायतों को बस की सुविधा से जोड़े जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। निकट भविष्य में शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों को चरणबद्ध रूप से बस सेवा से जोड़ा जाएगा।

साथ ही साथ आपने जो एक रूट विशेष के बारे में अपनी बात रखी, पूर्व में चलने वाली बस जो बंद कर दी गई थी, आय न हो पाने के कारण उस बस को बंद किया गया था। आने वाले समय के लिये मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अजमेर-मालपुरा वाया नसीराबाद, श्रीनगर, इस बस को बंद किये जाने की बात आपने फरमाई थी, इसको परीक्षण के तौर पर आने वाले समय में पुनः प्रारम्भ कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, आदमी पैदल ही चल लेंगे। दो बस समाप्त करने से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नसीराबाद से सम्बन्धित है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, नसीराबाद नहीं, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में सारे राजस्थान की पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने का कह दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी पूछना चाहते हैं!

श्री अध्यक्ष: प्रश्न में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, इसी प्रश्न में जवाब दे दिया। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि सारी पंचायतों को आप चरणबद्ध जोड़ेंगे तो आय के आधार पर जोड़ेंगे या पंचायतों को सुविधा देने के आधार पर जोड़ेंगे?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने इस घोषणा को किये जाने के साथ में इस मंशा को भी ध्यान में रखा कि हमें ग्रामीण क्षेत्र को परिवहन सेवा से जोड़ना है और निश्चित रूप से उन बसों से जोड़े जाने के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उन बसों को चलाये जाने लायक उनकी आय हो। मैं आशा करता हूं कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए उन रूटों को इसी प्रकार से बनाया जाएगा जिसमें उन ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाए और ग्राम पंचायतों को न सिर्फ सुविधा दी जाए, बल्कि साथ में आय भी हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, हमारा सप्लीमेंटरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, ये दोनों बातें ठीक हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की प्रत्येक पंचायत को बस सेवा से जोड़े जाने का प्रश्न है। प्रश्न के उत्तर में दिया है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। आपको इजाजत ही नहीं दी है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह बात कही, मंत्री महोदय, यह बात बिलकुल विपरीत है; आप यह कह रहे हो कि राजस्व नहीं होने से हम बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने की बात करते हैं। दोनों बातें साथ-साथ नहीं होंगी। आपको या तो यह कहना चाहिए कि हम पंचायतों को किसी भी हालत में, जो नहीं जुड़ी हुई हैं, हानि-फायदा देखे बिना जोड़ेंगे, या आप यह कहो कि कमाई के लिये जोड़ेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: डाक्टर जसवन्त यादव। डाक्टर जसवन्त यादव।

विशेष शिक्षकों हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता

271. **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया जा चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(2) राज्य में कितने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विशेष शिक्षकों के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी। शिक्षा मंत्रीजी, अगला प्रश्न पुकार चुका हूं। (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। वर्ष 2011-12 के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 31.07.2011 को किया जा चुका है। वर्ष 2012-13 में अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु कार्यक्रम शीघ्र ही तय कर दिया जायेगा। परीक्षा का आयोजन माह जुलाई, 2012 के अन्त में किया जाना प्रस्तावित है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने अलाउ नहीं किया है। अगले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा) : (2) प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में 61,374 तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के पद रिक्त हैं। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 41,000 पदों पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही पंचायती राज विभाग द्वारा जिला परिषदों के माध्यम से की जा रही है। उक्त 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा। वर्ष 2012-13 में 20,000 अध्यापकों की और भर्ती करने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में की जा चुकी है।

(3) जी हां।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा है कि पात्रता परीक्षा 2011-12 में हो चुकी है और अगली पात्रता परीक्षा अध्यापकों के लिये जुलाई, 2012 में होगी। पिछली जब परीक्षा हुई और लगभग 6 लाख बच्चे इससे वंचित रह गये जो बी.एड. और एस.टी.सी. किये हुए थे। अब तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के सलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो छह लाख के लगभग बच्चे बचे हुए थे, उनके बारे में जुलाई, 2012 के अन्दर परीक्षा होगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों ने बी.एड. भी कर लिया, एस.टी.सी. भी कर लिया और वे उस वक्त सरकार की गलती के कारण से, सरकार या तो जल्दी-जल्दी परीक्षाएं करवाती, सरकार ने परीक्षाएं करवाई नहीं। उन बच्चों को सज़ा मिले, उस सज़ा से बचाने के लिए, उन बच्चों का भविष्य बचाने के लिए क्या मंत्री महोदय उन बच्चों को इस तृतीय श्रेणी की जो परीक्षा होने जा रही है, इसके अन्दर एलिजिबल मानते हैं या नहीं मानते हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एन.सी.टी.ई. ने कार्यकम बनाया है, उसमें टैट की परीक्षा वर्ष में एक बार करने का ही फैसला किया गया है। वर्ष 2012-13, 2012 के लिए जुलाई में टैट परीक्षा करवाने का प्रोग्राम, हम कोशिश कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन छह लाख बेरोजगार बच्चों का क्या होगा? उसके बारे में बतायें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट। कालीचरणजी, आप बीच में, बैठो न।

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं किया है आपको। मैंने अलाउ नहीं किया है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप जुलाई में परीक्षा करवाने जा रहे हैं और इतने बच्चे, छह लाख बच्चे बेरोजगार हैं तो इस परीक्षा को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो।

दूसरा, जब अध्यापकों की पात्रता परीक्षा आपने ली तो कहीं भी आपने यह मेंशन नहीं किया था कि पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक 60 परसेंट चाहिए। लोगों ने परीक्षाएं दीं, परीक्षा में वे किसी भी लेवल पर पास हो गये और उसके बाद में आप डिक्लेयर करते हैं कि पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक 60 परसेंट चाहिए। तो जिस बच्चे ने बी.एड. की, जिन बच्चों ने एस.टी.सी. की और आपने कहीं मेंशन नहीं किया। उनके दिमाग में केवल यह था कि हमको यह पात्रता परीक्षा पास करनी है क्योंकि आपने उसमें परसेंटेज मेंशन नहीं किया था। जब परसेंटेज मेंशन नहीं किया था तो किसी ने तैयारी की, किसी ने नहीं की। उनके दिमाग में यह था कि केवल पास करना है। आज जो 60 परसेंट से कम, न्यून अंक लेकर आये हैं, उन्होंने दोनों परीक्षा 'ए' लेवल और 'बी' लेवल की पास कर ली। तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्योंकि उनकी गलती तो है नहीं। यह तो शुद्ध रूप से सरकार की गलती

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

है। तो इसमें आप कोई संशोधन करेंगे? उनको आप इस परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे या नहीं देंगे?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एन.सी.टी.ई. ने दिनांक 11.02.2011 को अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिनमें प्रावधान किया गया है कि उन्हीं व्यक्तियों को पात्रता परीक्षा में पास माना जाएगा जो कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, यह आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहले मेंशन क्यों नहीं किया? माननीय मंत्री महोदय, यह आपने पहले मेंशन क्यों नहीं किया?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। बिना परमिशन के आप खड़े हो जाते हो। परमिशन लेकर खड़े होते हैं या ऐसे ही खड़े हो जाते हैं? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो एन.सी.टी.ई., मुझे उसका पूरा एब्रिविएशन तो पता नहीं है, आपने कहीं अख़बार में नहीं दिया, कहीं उनके फार्म में नहीं दिया तो वे कहां एन.सी.टी.ई. की गाइडलाइन को पढ़ने जाते? आपने तो यह दिया कि पात्रता परीक्षा होगी और यह परीक्षा होने के बाद ही अध्यापक लगाये जाएंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोर्ड ने परीक्षा आयोजित की थी, उसके एडवर्टाइजमेंट में यह साफ लिखा हुआ था...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह कहीं नहीं लिखा गया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं लिखा था।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहीं नहीं लिखा गया था। मंत्रीजी कह रहे हैं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो आथेंटिक जवाब दे रहे हैं, सोच-समझ कर दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आथेंटिक दे रहे हैं पर परीक्षार्थियों को नहीं पता था।

मेरा तो आपसे एक निवेदन जरा-सा और है कि आदमी बी.एड. करता है, एस.टी.सी. करता है, बहुत पैसे लगाता है, परीक्षा देता है। जब आपने टैट लागू ही कर दिया कि पात्रता परीक्षा जरूरी है, तो सरकार उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए आगे के लिए, जब अध्यापक लगने हैं, उनके लिए पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है तो पहले पात्रता परीक्षा करवाये, फिर उसके बाद में जो पात्रता परीक्षा में पास हो जाएं, वे बच्चे बी.एड. और एस.टी.सी. करें। अगर वे पहले ही फेल हो गये, बी.एड. कर लिया, एस.टी.सी. कर लिया और वे पात्रता परीक्षा में फेल हो गये तो उनका जीवन तो खराब होगा। इस जीवन को बचाने के लिए, मानवीय आधार पर, मंत्रीजी, क्या आप कोई संशोधन करने की इच्छा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती जो आप कर रहे हैं इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में, इसमें योग्यता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेकंड ग्रेड, लेक्चरार, बाकी सब शिक्षा विभाग में जब आर.पी.एस.सी. से करवा रहे हैं, योग्यता के साथ जब यह खिलवाड़, पंचायती राज से अलग-अलग जिलों में अलग-अलग करवाकर कर रहे हैं, क्या इसको निरस्त करके आर.पी.एस.सी. से करवाने की सरकार मंशा रखती है? क्योंकि आज लाखों विद्यार्थी इस बात के लिए परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मंत्री महोदय, जो आपने जवाब दिया, उसमें थोड़ा हम स्पष्ट होना चाहते हैं। जिस दिन टैट की परीक्षा के लिए जो भी आपने उससे फार्म भरवाया, उस फार्म की एक प्रति यहां पर रख दें। जब भी बोर्ड ने उसके बारे में, जो कुछ भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में 60 परसेंट है तो वह कागज यहां पर रख दें। जो मेरी जानकारी है, जब परीक्षा दी तब बच्चों को कोई मालूम नहीं; रिजल्ट निकला, उस समय तक कोई मालूम नहीं। बाद में एक विज्ञप्ति जारी हुई और उस विज्ञप्ति में यह कहा गया था कि इसमें जिसने 60 परसेंट अंक प्राप्त किये, वह ही बच्चा नौकरी के लिए एलिजिबल है। आप कह रहे हो कि नहीं, यह पहले से ही था। तो वह पत्र आप कृपा करके सदन की टेबल पर रख दो। जब उस बच्चे ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया तो वह क्या था, आपने जो विज्ञापन निकाला उसमें क्या शर्तें थीं, उस बच्चे ने भरा उसमें क्या शर्तें थीं और फिर उसको जब परीक्षा देने का लैटर जारी हुआ, बोर्ड ने अगर किया, वह भी रख दो। अगर उसमें भी यह है कि 60 परसेंट आना है, तब तो बच्चे का दोष है। लेकिन उसकी जानकारी नहीं थी। बाद में आपने यह जो एन.सी.टी.ई. का जो आपके दिमाग में था, इसको अगर आपने उसके बाद में पब्लिश किया या बालक के ध्यान में बाद में लाया गया तो इसका दोष उस बच्चे का कैसे है? यह हम समझना चाहते हैं, एक।

दूसरा, आप यह टैट की परीक्षा जो करवा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बाकी रहने दो। श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन प्रश्न हैं। माननीय मंत्री महोदय, पहला तो यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इतने तो याद ही नहीं रहेंगे। एक ही पूछ लो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, एक में ही सारे मिला लेता हूं। टैट की परीक्षा सरकार ने क्यों स्वीकार की? नम्बर एक। टैट को सरकार ने क्यों स्वीकार किया? नम्बर एक।

नम्बर दो, टैट से बचे हुए जो बी.एड. और बी.एस.टी.सी. के जो विद्यार्थी हैं, क्या उनको सरकार राज्य का कैडर बनाकर नौकरी देने पर विचार करती है? क्योंकि टैट तो इसलिए किया कि भारत सरकार से सर्व शिक्षा अभियान का पैसा मिल जाए, उसके लिए पात्रता है। यह टैट कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात।

तीसरी बात यह है कि क्या टैट की परीक्षा में विभिन्न संवर्गों के लिए पास के अंक भी अलग-अलग आपने निर्धारित किये हैं? वह बताइये। अगर यह किये हैं तो इसका कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी, सारे प्रश्नों का एक साथ ही उत्तर दे दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हां, एक साथ ही दे रहा हूं।

पहले तो तिवाड़ी साहब का दे दूं जो सांगानेर से पधारने वाले हैं, पधारते हैं। नि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-35, दिनांक 1.4.2010 से लागू हो गया है और इसमें टैट करना आवश्यक हो गया है। नम्बर वन।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

नम्बर-टू, जो अभी सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि इसमें औरों को भी छूट दी गई है, मैं वह निवेदन करना चाहूंगा कि हां, हमने छूट दी है; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, पुरुष और सामान्य श्रेणी की महिलाओं को दस प्रतिशत की छूट दी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और समस्त श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को 15 प्रतिशत की छूट दी गई है। नि:शक्त श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को 20 प्रतिशत की छूट दी गई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का मैं जवाब दे रहा हूं, मंत्रिमण्डल सचिवालय की अधिसूचना एफ. 27/2-कैब-2011 दिनांक 10.6.2011 के द्वारा राजस्थान कार्य विधि नियम में संशोधन किया जाकर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के चयन का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं अभी, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इससे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चे को जो-जो डाक्यूमेंट्स आपने दिये, या जो उसने फार्म भरा, उसमें आपके 9 का जो रेफरेंस दे रहे हो कि इस कानून के तहत ये चीजें करनी पड़ेंगी, उसमें हो सकता है, लेकिन जो भी कागज आपने उस बच्चे को दिये, या उसने जो फार्म भरा, क्या यह 60 परसेंट उसमें मेंशन था? एक। और यह जो 60 परसेंट मेंशन था तो यह जो छूट दी है 10 परसेंट, 15 परसेंट, 20 परसेंट की, यह एन.सी.टी.ई. के अन्दर दी, या आपने दी?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): एन.सी.टी.ई. के अन्दर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किसने दिया?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): एन.सी.टी.ई. के अन्दर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दिया किसने? इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्वेशन की आपत्ति नहीं है। बिना रिजर्वेशन के भी जो बचा हुआ जनरल का काम है, उसमें ब्राह्मण, बणिये, राजपूत का भी करना चाहिये था।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह एन.सी.टी.ई. के मुताबिक दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह मुताबिक नहीं, आपने किया है यह। यह पाप किया है आपने।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ××× (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं हो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

कोटा जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय (ट्रेड्स) हेतु प्राप्त आवेदन

272. **श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण विभाग द्वारा क्षेत्र की मांग के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय (ट्रेड) खोले जाते हैं अथवा स्थानान्तरित किये जाते हैं? यदि हां, तो किस नियम के तहत व किस आधार पर और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार अनेक व्यवसायों (ट्रेड) में छात्रों के प्रवेश नहीं होने के उपरान्त भी उन व्यवसायों (ट्रेड्स) को स्थानान्तरित नहीं कर रही है? यदि हां, तो प्रदेश में विगत 5 वर्षों में किन-किन संस्थाओं में किन-किन वर्षों में किन-किन व्यवसायों (ट्रेड) में एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अनेक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ व्यवसायों (ट्रेड्स) में प्रवेश के आवेदन काफी संख्या में प्राप्त होते हैं, उसके उपरान्त भी वहां पर मांग के अनुसार व्यवसाय (ट्रेड) नहीं खोले गये हैं? यदि हां, तो क्यों? कोटा जिले में व्यवसाय से सम्बन्धित आवेदनों का गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री रामकिशोर सैनी): (1) जी हां। विगत वर्षों की प्रवेश की स्थिति का आकलन किया जाकर राजकीय औद्योगिक

(श्री रामकिशोर सैनी)

प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसायों के स्थानान्तरण किये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में विगत वर्षों में जिन संस्थाओं में जिन व्यवसायों (ट्रेड्स) में राज्य सरकार की नीति अनुसार 5 या इससे कम छात्रों के प्रवेश लेने की स्थिति में व्यवसाय नहीं चलाये गये हैं, ऐसे व्यवसाय (ट्रेड्स) को अन्य संस्थानों में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाती है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) व्यवसायों में प्रवेश के लिये प्राप्त आवेदनों पर मांग के अनुसार व्यवसाय खोले जाने सम्बन्धी निर्णय गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है। कोटा जिले में व्यवसायों से सम्बन्धित आवेदनों का पिछले पांच वर्षों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने जो परिशिष्ट-2 में मेरे सवाल का जवाब दिया, मैंने उसमें पूछा था कि क्या यह सही है कि सरकार अनेक व्यवसायों (ट्रेडों) में छात्रों के प्रवेश नहीं होने के उपरान्त भी उन व्यवसायों को स्थानान्तरित नहीं कर रही, आपने मुझे जवाब दिया, जी नहीं; यानी की कर रही है। उसके बाद परिशिष्ट-1 में जो लिस्ट लगाकर कोटा जिले की आपने मुझे दी है, उस लिस्ट में स्पष्ट नजर आ रहा है कि स्टेनो (अंग्रेजी), उसमें आपके पास 2007-08 में आवेदन आये 51, 2008-09 में आपके पास आवेदन आये 11, 2009-10 में आपके पास आवेदन आये 30, 2010-11 में आपके पास आवेदन आये 66 और 2011-12 में आपके पास आवेदन आये 55 । और भी स्टूडेंट्स को आपने प्रवेश नहीं दिया। फिर भी आप मुझे मेरे सवाल का यह जवाब दे रहे हो कि हम परिस्थिति अनुसार, यानी मांग के अनुसार इन व्यवसायों को ट्रांसफर करते हैं, यानी की अन्य ट्रेडों में इसको परिवर्तित करते हैं जहां आवश्यकता होती है वहां।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, मैं आपसे मात्र तीन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन करूंगी, मेरे इन तीनों क्वेश्चंस का आप जवाब दे दें। मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहती हूं कि क्या सरकार विगत 15 और 20 वर्षों से जिन व्यवसायों में इंस्ट्रक्टर के अभाव में प्रवेश नहीं दे पा रही, उन व्यवसायों में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

नये पद पर अपाइंटमेंट करने का विचार रखती है? उदाहरण के तौर पर कोटा की सचिवालय पद्धति, जिसको खुले हुए 15 वर्ष हो गये और एक भी स्टूडेंट को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 15 वर्ष पहले खुला था। यानी कि वहां पर इंस्ट्रक्टर के लिये किसी को अपाइंटमेंट दिया ही नहीं, 15 साल से। दूसरा, ब्यूटिशियन, हेयर एंड स्किन केयर 20 वर्ष पहले कोटा के अन्दर खुला था और 20 वर्ष बाद भी आज तक वहां कभी भी, किसी भी इंस्ट्रक्टर को आपने अपाइंटमेंट नहीं दिया।

मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार पूरे राजस्थान में विगत वर्षों में प्रवेश की स्थिति का आकलन करके राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में क्षेत्र की मांग के अनुसार व्यवसाय (ट्रेड) खोलने का या स्थानान्तरित रखने का विचार रखती है?

मेरा आपसे तीसरा प्रश्न है, क्या सरकार कोटा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ट्रेड इंग्लिश स्टेनो जो 15 वर्ष पूर्व खोला गया था, किसी और व्यवसाय यानी हिन्दी स्टेनो में परिवर्तित करने का विचार रखती है? क्योंकि न तो सरकार का इसमें अलग से खर्चा होने वाला है और न ही कोई पद इसमें आपको सृजित करना पड़ेगा, न ही आपको इसमें अलग से संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मात्र इंग्लिश टाइपराइटर का जो की-बोर्ड है, खाली उसको ही परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सरकार को कोई भी खर्चा नहीं। क्योंकि आप एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दे रहे।

मंत्री महोदय, मेरे इन तीन प्रश्नों का उत्तर मुझे दें। और आपने जो मुझे उत्तर दिया है, इसकी ओर मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि आपने क्या उत्तर दिया है और इस राजस्थान के पूरे प्रदेश में जो हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन संस्थानों की क्या दुर्दशा है। किस तरह से इतने आवेदन आने के बाद भी लगातार हम एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: भाषण दे रही हैं क्या माननीय सदस्या?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्थानों में ट्रेड्स खोलने के, बन्द करने के या ट्रांसफर करने के आधार हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संस्थान में जो ट्रेड्स खोले जाते हैं, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में क्षेत्र की स्थिति, औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सर्वे

(श्री रामकिशोर सैनी)

कराने के उपरान्त, स्वरोजगार की दृष्टि से मांग के अनुसार व्यवसायों में प्रवेश के लिये प्राप्त आवेदनों के आधार पर व्यवसाय खोले जाने की व्यवस्था है। गुणावगुण तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भी निर्णय लिया जाता है। यह खोलने की एक पद्धति है, श्रीमान्; और बन्द करने के लिये एडमिशन की स्थिति देखी जाती है कि पांच या पांच से कम छात्र संख्या हों, वहां पर उन ट्रेड्स को बन्द किया जाता है या उन्हीं ट्रेड्स को....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनकी शिकायत यह है कि वहां आपने इंस्ट्रक्टर लगाये ही नहीं, इसलिये छात्रों के प्रवेश नहीं हो पाये।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, साहब। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पांच या पांच से कम जहां छात्र संख्या है, उन ट्रेड्स को या तो उसी कालेज में दूसरे ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, या उसको बन्द कर दिया जाता है, या उसको दूसरे आई टी आई में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

आपने एक प्रश्न किया कि इंस्ट्रक्टर लगाया ही नहीं है। इंस्ट्रक्टर लगाने की, न लगाने की वजह से कोई एडमिशन नहीं हुए हों, ऐसी बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं। इंस्ट्रक्टर लगने के बाद में भी, यदि इंस्ट्रक्टर लगे हों और एडमिशन नहीं हों तो इंस्ट्रक्टर को दूसरे कालेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 11 अगस्त, 2009 को यह निर्णय लिया जिसमें 17 ट्रेड्स बदले गये उन्हीं कालेजेज में, जिन कालेजेज में छात्र संख्या कम थी। मेरे पास वह पूरी लिस्ट है। उसके बाद में 6 जगह ऐसी थीं जहां पर हमने उन ट्रेड्स को बन्द किया और बन्द करने के बाद में जो उनके इंस्ट्रक्टर थे, उनको दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसकर किया। कुछ 6 स्थान ऐसे थे कि जहां पर हमने उनको ट्रांसफर किया। दूसरी आई टी आई में, जहां उनकी डिमांड थी, उन ट्रेड्स को दूसरी आई टी आई में ट्रांसफर कर दिया।

इस प्रकार यह सारी योजना होती है। डिमांड के अनुसार, वहां का औद्योगिक वातावरण किस प्रकार का है और क्षेत्र की डिमांड क्या है, जन-प्रतिनिधियों की डिमांड क्या है, उसके अनुसार ट्रेड खोले जाते हैं और खोलने के उपरान्त यदि एडमिशन कम होते हैं तो उसको देखकर हम दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने मुझे जो जवाब दिया है, टोटल पूरे राजस्थान की 46 आई

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

टी आई ऐसी हैं जिनमें प्रवेश की स्थिति जीरो है। 2007-08 से लेकर 2011-12 तक की यह पूरी लिस्ट आपने अवेलेबल करवाई है, मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे मिली है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, आप जवाब दे रहे हैं कि उस जिले की स्थिति, परिस्थिति को देखा जाता है, जन-प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार वहां पर आप मांग को ट्रांसफर करते हैं तो क्या कोटा जिला, जो आपके नियम हैं, कायदे-कानून हैं, उनको बिलोंग नहीं कर रहा? इसलिये आप कोटा में ट्रेडों को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं? पूरे राजस्थान के अन्दर पूरी 46 आई टी आई, जिनमें आपने मात्र 58 छात्रों को प्रवेश दिया है। राजस्थान की पूरी 46 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की लिस्ट आपने ही मुझे दी है, मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझे यह मिली है। आपको इसको देखना चाहिये था पहले।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, कारागार): देख रहा हूं, बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट-1 पर जो मैंने आपको लिस्ट दी है, उसमें 32 आई.टी.आई. ऐसी हैं जिनमें छात्र संख्या कम थी। उन 32 में से लगभग 11 आई टी आई को या तो बन्द कर दिया है या उनको ट्रांसफर कर दिया है। 21 आई टी आई ऐसी हैं जिनमें छात्र संख्या कम है, लेकिन वहां पर हमारा इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं कि हम यह वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता छात्र संख्या बढ़े, इस हेतु एन सी टी ई से उसकी मान्यता ली जाए ताकि छात्र संख्या बढ़ जाए और उसमें एडमिशन चालू हो जाएं।

आपने कोटा के बारे में निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोटा में आई टी आई प्रारम्भ की गई थी, कोटा में सरकारी पांच आई टी आई हैं, हमने जब प्रारम्भ की थी, 372 एडमिशंस थे। सीटों की संख्या हमने बढ़ा दी है, उसको बढ़ाकर 892 कर दिया है। लगभग 520 स्थानों की हमने वृद्धि की है। यह डिमांड के अनुसार ही की है, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार ही की है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल गुर्जर।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): अध्यक्ष महोदय, मात्र एक सवाल है मेरा। (व्यवधान) जवाब नहीं आया। यही मैं आपको बताना चाह रही हूं। प्रश्न पूछ रही हूं मैं मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया सारा। श्री रामलाल गुर्जर।

आसीन्द की गौण मण्डी को कृषि उपज मण्डी का दर्जा

273. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसींद): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की कृषि उपज मण्डी आसीन्द को गौण मण्डी घोषित किया गया है? क्या उक्त मण्डी में कपास का भारी उत्पादन आता है?

(2) क्या सरकार गेहूं, कपास व अन्य जिन्सों के उत्पादन के बेचान हेतु उक्त मण्डी को पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति भीलवाड़ा की गौण मण्डी आसीन्द में वर्ष 2011-12 में फरवरी, 2012 तक 27,675 क्विंटल कपास की आवक हुई है।

(2) गौण मण्डी आसीन्द में नियमन कार्य प्रभावी है जिसमें समस्त कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय होता है।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): अध्यक्ष महोदय, एक तो आसीन्द को गौण मण्डी किया। गौण मण्डी का क्या क्राइटेरिया है? कितनी आमदनी होनी चाहिए? दूसरा आपने ये जो आंकड़े दिए हैं वे फरवरी के दिए हैं। 15 मार्च तक को देते या 31 मार्च तक के देते। वहां कितनी फैक्टरियां हैं और कितना कपास का एरिया है? मैंने लिखा था कि कपास का भारी उत्पादन होता है। आपने बताया कि 27,675 क्विंटल कपास की आवक हुई। खाली इतने से ही जवाब पूरा कर दिया।

दूसरा मैंने लिखा था कि सरकार गेहूं, कपास व अन्य जिन्सों के उत्पादन के बेचान हेतु उक्त मण्डी को पुनः चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों? आपने लिखा कि गौण मण्डी आसीन्द में नियमन कार्य प्रभावी है जिसमें समस्त कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय होता है। कैसे हो रहा है? मुझे तो वहां पर नजर आया नहीं। कृपया आप बता दें।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): अध्यक्ष महोदय, कपास का उस मण्डी में कारोबार ज्यादा है। नियमित रूप से मण्डी में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। उसमें कपास, गुड, जौ, मक्का, सरसों, गेहूं, शक्कर, ज्वार, मूंगफली, चना, ग्वार, तारामीरा, सभी फसलों का क्रय-विक्रय होता है। मण्डी में सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। मण्डी में जो कमी है,

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

वह यह है कि कपास के ही ज्यादा व्यापारी हैं, दूसरे अनाज के व्यापारी वहां हैं नहीं। इस कारण से किसान भी वहां माल लेकर नहीं जाता। उनका रुझान विजयनगर और गुलाबपुरा ज्यादा रहता है। इस कारण से वह अनाज की मण्डी नहीं, सिर्फ कपास की ही आवक मण्डी में ज्यादा होती है।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): कपास के अलावा गेहूं की भी नम्बर वन मण्डी है। कपास की भी नम्बर एक मण्डी है। पूरे राजस्थान में बहुत ही अच्छा कपास वहां आता है और सबसे ज्यादा होता है। ट्रैक्टर वगैरह डायरेक्ट ही जाकर खाली हो जाते हैं। कृषि मण्डी का कोई लेना-देना नहीं है, कृषि मण्डी की इन्कम से कोई लेना-देना नहीं। वहां के गोदाम, वहां के गेस्ट हाउस बिलकुल खाली पड़े हैं जबकि मेन मण्डी है, उसको गौण किया गया। क्यों नहीं उसको वापस मण्डी घोषित किया जाए?

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): मण्डी घोषित करने के लिए 40 लाख की आय होनी चाहिए लेकिन इस मण्डी की आमदनी इस वर्ष जाकर 30 लाख हुई है। पहले कभी 18 और कभी 17 तक रहती थी। तीन वर्ष तक लगातार 40 लाख रुपये मण्डी शुल्क आयेगा, तब ही स्वतंत्र मण्डी घोषित की जा सकेगी।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): अध्यक्ष महोदय, यह मण्डी शुल्क बढ़ेगा कैसे? जब गाड़िया, डायरेक्ट चली जाएंगी, कोई देखरेख होगी नहीं। असली मण्डी को गौण मण्डी कर दिया। मण्डी की कोई देखरेख है नहीं। डायरेक्ट जाना-आना हो रहा है, आपकी इनकम शो नहीं हो रही है। रिकार्डेड बतायेगी नहीं तो इस तरह से तो वह गौण ही रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत।

कोटा सम्भाग में राशन चीनी का उठाव/वितरण प्रकरण

274. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हाड़ौती सम्भाग के जिलों कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ में गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से सस्ती चीनी का वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो सम्भाग में कितने परिवारों को प्रति माह कितनी चीनी का किन दरों पर वितरण किया जा रहा है?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(2) क्या यह भी सही है कि गत 10 माह में समय पर चीनी का वितरण चीनी की अन्तर राशि के विवाद के कारण नहीं हो सका? यदि हां, तो लेवी की कितनी चीनी उक्त अवधि में लेप्स हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा में अप्रैल, 2011 से जून, 2011 तक चीनी का उठाव व वितरण शून्य रहा? यदि हां, तो गरीबों के हक की चीनी उन्हें क्यों नहीं मिल पाई और इसके लिए कौन दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री परसादीलाल): (1) जी हां। हाड़ौती सम्भाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार केवल बी पी एल लाभार्थियों को (अन्त्योदय परिवारों सहित) 500 ग्राम लेवी चीनी उपलब्धता के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति माह रुपये 13.50 प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। जिलेवार परिवारों की संख्या निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	नाम जिला	परिवारों की संख्या
1	कोटा	87,008
2	बूंदी	57,224
3	बारां	69,062
4	झालावाड़	71,427

(2) जी हां। जिलों में कार्य कर रही सहकारी संस्थाओं का चीनी की अन्तर/समानीकरण राशि का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण एवं चीनी मिलों द्वारा भी चीनी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण चीनी का उठाव समय पर नहीं हो पाया। कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ जिले में माह अप्रैल, 2011 से दिसम्बर 2011 तक की अवधि में आबंटित चीनी मात्रा के विरुद्ध 25.24 प्रतिशत उठाव हुआ है। जिलेवार/माहवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। सहकारी संस्थाओं को समय पर अन्तर/समानीकरण राशि का भुगतान नहीं होने का विवाद केन्द्र सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम के मध्य निस्तारित किया जाना है। प्रशासनिक विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, खण्ड 1 में मुझे मंत्री महोदय से कुछ नहीं कहना। खण्ड 2 में आपने कहा कि समानीकरण राशि का समय पर भुगतान नहीं होने के कारण एवं चीनी मिलों द्वारा भी चीनी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण चीनी का उठाव समय पर नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोटा संभाग में कितनी चीनी का उठाव होना था और अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में कितनी चीनी का आबंटन किया गया? दूसरा मेरा प्रश्न है कि समानीकरण की राशि वर्तमान में चारों जिलों की कितनी बकाया है और वह अब तक जमा क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खण्ड 3 में मेरा प्रश्न है। आपने कह दिया कि ''सहकारी संस्थाओं को समय पर अन्तर/समानीकरण राशि का विवाद केन्द्र सरकार व भारतीय खाद्य निगम के मध्य निस्तारित किया जाना है। प्रशासनिक विभाग इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।'' तो मेरा कहना यह है कि गरीबों की लेवी चीनी आप वितरित करवाते हैं या भारत सरकार करवाती है? क्रय-विक्रय सहकारी समितियां और उपभोक्ता संघ आपके अधीनस्थ आते हैं या भारत सरकार के? कृपया यह स्पष्ट करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खण्ड 2 में पूछा कि कोटा जिले की कितनी चीनी का उठाव हुआ और कितनी चीनी का लेप्स हुआ। उसकी सूचना आपको मैंने परिशिष्ट-1 पर पूरी सूचना माहवार आपको दे दी है। जो लेप्स हुआ, वह आपको बता दिया।

दूसरा आपने कहा खण्ड 2 में अन्तर राशि, अन्तर राशि का माननीय सदस्य, भारत सरकार और एफ सी आई के बीच आडिट वगैरह जब पूरी हो जाती है, सहकारी संस्थाओं को देने में कम से कम छह माह से साल भर का समय लग जाता है। लेवी चीनी का 17.90 रुपये के हिसाब से मिलों को सहकारी संस्थाएं पैसा जमा कराती हैं और 13.50 रुपये के हिसाब से बी पी एल परिवारों को वितरित किया जाता है। अन्तर राशि जो 6 रुपये के करीब है, उसका पेमेंट नहीं होने के कारण से सहकारी संस्थाओं को काफी समय तक बहुत सारा, 12 करोड़ के करीब, आपने पूछा, 12 करोड़ रुपये के करीब कानफेड का भारत सरकार पर, एफ सी आई पर बकाया था। उसके बारे में हमने अभी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, उनसे कहा, उनसे हमारे विभाग के सचिव मिले और अब वहां से राशि मिलने की पूरी संभावना है। आपकी भावनाओं को देखते हुए, बी पी एल परिवारों को समय पर चीनी मिले और इसके लिए पैसे की कहीं कोई बाधा नहीं आये, इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से अब हमने फैसला किया है कि चीनी का काम कानफेड से हटाकर, हमने जो

(श्री परसादीलाल)

भारतीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिषद बनायी है, निगम बनाया है, उसको अप्रैल से यह काम दे दिया है। जिससे यह अन्तर राशि साल, छह महीने लगने पर भी चीनी के उठाव में कोई समस्या नहीं आये।

दूसरी बात, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जब चीनी मिलें भारत सरकार आबंटित करती हैं, ज्यादातर हमारे प्रदेश को चीनी मिले, चीनी हमको महाराष्ट्र की मिलों से आबंटित की जाती है। चीनी मिलें हमको समय पर चीनी उपलब्ध नहीं कराती हैं। उसके लिए भी हमने भारत सरकार को निवेदन किया है कि हमको यूपी या गुजरात की मिलों से चीनी आबंटित करायें जिससे चीनी समय पर उठे। भारत सरकार ने हमारी इस बात पर रजामन्दी जाहिर की है और आने वाले समय के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि गुजरात और यू पी से चीनी आबंटित होने की प्रक्रिया हमारी इसी महीने शुरू हो जाएगी। चीनी किसी भी प्रदेश के बी पी एल परिवार की लेप्स नहीं होगी। सरकार इसका पूरा बन्दोबस्त करने को तैयार है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, यह साधारण मामला नहीं है, यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री महोदय ने अपनी आगामी योजना बता दी लेकिन कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में छह महीने तक गरीबों को चीनी नहीं मिली। 32 करोड़ की चीनी लेप्स हो गयी और गरीब चीनी से वंचित रहा। तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? कौन जिम्मेदार हैं जिन्होंने गरीब को चीनी से वंचित रखा, 32 करोड़ की चीनी जो लेप्स हुई?

मैं केवल आखरी सवाल आपसे करना चाहता हूं, वह 32 करोड़ की चीनी जो गरीब तक पहुंचनी चाहिए थी और लगभग 2,84,721 परिवारों को वह चीनी मिलनी चाहिए थी, क्या आने वाले समय में जो चीनी लैप्स हुई 32 करोड़ की वह चीनी क्या आप उन परिवारों को आबंटित करेंगे? क्या उन परिवारों को आप वितरित करेंगे? या यह 32 करोड़ की चीनी सरकार खा जायेगी? आप यह जवाब दें, माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका, चीनी मिलों ने, जो चीनी भारत सरकार ने आबंटित की, वह चीनी मिलों ने हमको चीनी उपलब्ध नहीं करायी। इसलिए किसी खाने का, नहीं खाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। चीनी मिलों ने उपलब्ध नहीं करायी।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आखिर गरीब को चीनी कब मिलेगी वह? जो 6 महीने की चीनी लेप्स हो गयी, वह गरीब को कब मिलेगी? यह बताएं आप तो, वह देंगे कि नहीं देंगे आप?

श्री अध्यक्ष: चीनी आयी ही नहीं है। लेप्स कहां हुई? ये कह रहे हैं, चीनी आयी ही नहीं है। लैप्स का प्रश्न कहां पैदा होता है?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आनी चाहिए। 60 लाख रुपये इन्होंने भारत सरकार को जमा नहीं कराये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह।

नगर के मदरसों के निर्माण हेतु स्वीकृति

275. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर): क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में कुल कितने मदरसे संचालित हैं? उक्त में से कितने पंजीकृत और कितने अपंजीकृत हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में उक्त मदरसों को कितनी आर्थिक मदद दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने मदरसों की निर्माण के लिए प्रशासन से स्वीकृति ली गई और कितने बिना स्वीकृति के निर्मित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री अमीन खां): (1) विधान सभा क्षेत्र नगर के राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा 37 मदरसे पंजीकृत हैं। पंजीकृत मदरसों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अपंजीकृत मदरसों की सूची मदरसा बोर्ड द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

(2) पंजीकृत मदरसों में से मदरसा दारूल उलूम इस्लामिया अरबिया हिफजुल कुरान, ग्राम पालकी तहसील नगर में वर्ष 2011 में निर्माण कार्य हेतु एक लाख रुपये राशि स्वीकृत की गई है।

(3) मदरसे समाज की शैक्षिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं। मदरसों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है तथा इन संस्थाओं को रिलिजियस एंड बिल्डिंग एक्ट, 1969 के तहत प्रशासन से अनुमति नहीं लेनी होती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया है, इन्होंने बिलकुल गोल, घुमा-फिराकर के दिया है। मैं मंत्री महोदय से सवाल पूछना चाहती हूं कि एक तो जो मदरसे पंजीकृत नहीं हैं, उनकी आपने सूची नहीं दी। मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि सरकार जो अपंजीकृत मदरसे हैं, इनके लिए और इनके अन्दर क्या डिफरेंस करती है? पंजीकृत को आप क्या लाभ देते हो, जिससे जो अपंजीकृत मदरसे हैं वे भी पंजीकृत कराने के लिए आगे आएं? पहली बात तो यह है।

दूसरा यह है कि आपने मेरे यहां जो पंजीकृत हैं, 37 में से केवल एक को कम्प्यूटर के लिए आपने एक लाख रुपया दिया है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपके क्या नियम हैं? क्या 37 में से केवल एक ने ही आपको आवेदन दिया था? और लोगों ने आवेदन नहीं दिये? ये जो 36 मेरे यहां पंजीकृत हैं, उनको और सहायता देने के लिए इस सरकार ने क्यों नहीं सोचा?

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो जवाब इन्होंने मुझे दिया है कि मदरसे समाज की शैक्षिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं; मदरसों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है; उत्तर में इन्होंने बताया है कि मदरसे समाज की शैक्षिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं नहीं हैं; कृपया यह बताएं कि अन्य सभी समाजों की भी अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता रहती है, रहती है या नहीं? पहला।

दूसरा, यह भी बताएं कि उत्तर के खण्ड में आपने लिखा है कि इनको रिलिजियस एंड बिल्डिंग एक्ट की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे पहले ही प्रश्न के उत्तर में बता रहे हैं कि ये शैक्षिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं नहीं है, तो मैं भी अच्छे से यह समझती हूं कि शैक्षिक को जरूरत शैक्षिक के हिसाब से पड़ेगी, रिलिजियस को, मन्दिरों के, मस्जिदों के लिए जरूरत पड़ती है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इन्होंने जो जवाब दिया है, वह गलत जवाब दिया है, मुझे सही जवाब दिलवाएं।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): माननीय सदस्या, गलत नहीं है, बिलकुल सही है।...(व्यवधान)...पूजा के जो स्थान हैं...(व्यवधान)...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शैक्षिक संस्था है तो उसको रिलिजियस के अन्दर क्यों खर्च किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिये। जवाब सुनिये पहले।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): पूजा के जो स्थान हैं ...(व्यवधान) शिक्षण संस्था किसी भी समाज में लोग अपनी इच्छा से खोल सकते हैं। जहां तक मदरसा रजिस्ट्रेशन का सवाल है, गवर्नमेंट जबरदस्ती किसी के मदरसे को बोर्ड में रजिस्टर नहीं करा सकती। इच्छा के अनुसार आवेदन प्रोफार्मा के साथ और नियम के अनुसार, प्रोफार्मा बोर्ड ने सब जगह दे दिया है, जो आवेदन करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, जो आवेदन नहीं करेंगे उन मदरसों का अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जायेगा। जो मदरसे रजिस्टर्ड आपकी तहसील में 37 हैं तो ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह कहना ही नहीं है। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार उनको क्या लाभ देगी कि वे पंजीकरण कराएं? आपने 37 में से केवल एक लाख रुपये दिया है ...(व्यवधान) पहली चीज।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): हां, यह बात सही है, यह बात आपकी सही है...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): दूसरी बात, जब मैं इस बात को जानती हूं, आप या तो यह समझ रहे हैं कि हम जो यहां बैठे हुए हैं, अनपढ़ हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि रिलिजियस एक्ट का आपने इसमें हवाला ही क्यों दिया है? मैंने रिलिजियस एक्ट के बारे में पूछा ही नहीं है, मैंने शैक्षिक संस्था के बारे में पूछा है। आपने रिलिजियस एक्ट का हवाला क्यों दिया है?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप तो एजुकेशनल एक्ट का बताओ। इसमें रिलिजियस एक्ट कहां से आ गया? (व्यवधान)

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): ... पूजा स्थान आते हैं। मदरसे जो हैं...(व्यवधान) शैक्षिक संस्था नहीं आती। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मुझे सिर्फ यह बताइये, एजुकेशनल एक्ट की बात करनी चाहिए थी आपको (व्यवधान)

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): यह बात क्लीयर है। रिलिजियस प्लेसेज एक्ट जो है, उसमें पूजा के स्थान ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): वह रिलिजियस प्लेस कहां है मरदसा? वह तो एजुकेशनल प्लेस है। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैंने मांगा ही नहीं आपसे। मैंने शैक्षिक संस्थाओं की बात की है, मैंने मन्दिर-मस्जिदों की बात ही नहीं की है।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): हां, तो 37 में आपका आवेदन एक मदरसा वालों ने ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): 37 नहीं, शैक्षिक की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बात को घुमाने की बात कर रहे हो। मैंने शैक्षिक संस्था की बात की है, मैंने रिलिजियस एक्ट की बात ही नहीं की है।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): वह स्वीकृत किया है। आप दूसरे मदरसों से आवेदन कराओ, उनकी भी सहायता के लिए स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, आप गलत कह रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मंत्रीजी गलत जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं यह कह रही हूं कि बिलकुल गलत जवाब दे रहे हैं। मैंने शैक्षिक संस्था के बारे में कहा है और शैक्षिक की जगह रिलिजियस एक्ट के बारे में मुझे जानकारी दे रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलिजियस एक्ट कहां से आ गया? रिलिजियस एंड बिल्डिंग एक्ट कहां से आया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? (व्यवधान)

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): नहीं, सही है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह एक तरफ तो कह रहे हैं उत्तर में कि यह शैक्षिक संस्था है, धार्मिक नहीं है। फिर रिलिजियस एक्ट के अनुसार कैसे अनुमति की आवश्यकता नहीं है?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): यह फिर जानने की जरूरत ही क्या है? यह तो मैं भी जानती हूं कि कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, मंत्री महोदय, शैक्षिक संस्थाओं के लिए कहां पर, मतलब आपको क्या जरूरत पड़ती है उनके लिए? उनका पूछा है मैंने रिलिजियस एक्ट के बारे में नहीं पूछा है। आप मुझे इसके बारे में उत्तर नहीं दें। और यह जो आपने लिखा है, यह भी गलत लिखा है। आप इसको भी स्वीकार करें।

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): नहीं, नहीं, गलत नहीं है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, मैंने कब कहा शैक्षिक संस्था ...

श्री अमीन खां (राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात): एक मदरसे को, आपका आवेदन आया, स्वीकार किया। बाकी के लिए आप आवेदन कराओ, हम उनके लिए स्वीकृत कर देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, नहीं। मैंने कब कहा? देखिये, आप जवाब पढ़िये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं ... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): संस्थान शैक्षणिक है, एजुकेशनल है। यह रिलिजियस नहीं है। कोई मस्जिद के निर्माण के लिए नहीं पूछा है आपसे, यह मदरसों के लिए पूछा है। माननीय मंत्री महोदय, आप रिलिजियस एंड बिल्डिंग एक्ट बता रहे हैं इसमें।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं, आपके एक ही आवेदन आया; बाकी आवेदन कराएं, उनको भी दे देंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है, मैंने शैक्षिक संस्था के लिए नियम पूछा था, मैंने मदरसों, मन्दिरों के लिए नियम नहीं पूछा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्री महोदय को समझ ही नहीं आ रहा। रिलिजियस एंड बिल्डिंग एक्ट बता रहे हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ये शैक्षिक को भी मन्दिर और मस्जिदों से जोड़ रहे हैं। दोनों चीजें अलग-अलग हैं। मैं शैक्षिक की पूछ रही हूं, मुझे सिर्फ उसी के बारे में जवाब दिलाएं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): लेकिन आप जवाब क्यों दे रहे हो?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने यह कहा है कि भविष्य में और एप्लाई करायेंगे तो उनको भी कंसिडर कर देंगे।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जी?

श्री अध्यक्ष: यह आश्वासन दे दिया है कि अभी तक एक ने एप्लाई किया था, और एप्लाई करायेंगे तो उनको भी कंसिडर करेंगे। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, मेरे जो तीसरे खण्ड में इन्होंने जवाब दिया है, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूं कि शैक्षिक संस्थाओं को रिलिजियस एक्ट से जोड़ने का मंत्रीजी का क्या अभिप्राय है? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शैक्षिक संस्थाओं की बात हो रही है और धार्मिक संस्थाओं का नियम बता रहे हैं। राजस्थान की सरकार गुमराह करने का काम कर रही है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सरकार गुमराह कर रही है। इसमें जवाब ही नहीं दे रही है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): शैक्षिक संस्था के बारे में पूछा गया है...(व्यवधान) धार्मिक संस्था के बारे में पूछा ही नहीं गया। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): माननीय सदस्य को मालूम है, आपको नहीं मालूम है। सगीर भाई बैठे हैं, सगीर भाई से ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, मंत्रीजी शैक्षिक संस्थाओं को, मदरसों को मस्जिदों से क्यों जोड़ रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आप रजिस्ट्रेशन करायेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जायेगा। (व्यवधान) और आवेदन करेंगे तो उनका भी कर दिया जायेगा। सगीर भाई बैठे हैं...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के लिए मुझे मंत्रीजी से जवाब चाहिए। अपने अधिकारियों से पूछिये और मुझे इसका जवाब दिलाएं। यह बिलकुल गलत जवाब है। (व्यवधान) जिस तरीके का जवाब यह दे रहे हैं, वह गलत जवाब है। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): हमारा मदरसा है, हम जानें। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी को जानकारी नहीं है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जवाब बिलकुल गलत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत जवाब दिया है। इन्होंने एक्ट ही गलत लगा दिया इसमें उत्तर में। एक्ट तो लगना चाहिए था...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी को जानकारी ही नहीं है। मंत्रीजी बिना जानकारी के, अधूरी जानकारी के यहां आ गये हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मंत्रीजी मदरसे में पढ़ कर आये... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बता दें कि क्या किसी भी समाज की शैक्षिक संस्था के निर्माण के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती क्या?

श्री अध्यक्ष: आपको किसने अलाउ किया?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सदस्य, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते। आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आप मेरे सवाल का जवाब दिलाएं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जब मंत्रीजी खड़े होते हैं तब भी आप खड़े रहते हैं। आप जवाब सुनना चाहते हो क्या? जब मंत्रीजी खड़े हैं तब भी आप खड़े होते हो। आप बैठिये न, जवाब सुनिये न। ऐसे ही खड़े हो जाते हो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, आप बीच में ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप बैठिये, पहले जवाब सुनिये। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ...(व्यवधान) आप स्पीकर हैं क्या? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप बैठिये, पहले जवाब सुनिये। मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: गलत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जवाब देंगे मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहती हूं कि सरकार जो है, शैक्षिक संस्थाओं को भी धार्मिक संस्थाओं से जोड़कर ... (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): भाई, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मन्जूर हो गया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मंत्रीजी जवाब देंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): और इन्होंने यह तरीके अपनाये हुए हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप बैठिये पहले, सुनिये। पहले जवाब सुनिये, बाद में रिप्लाई करिये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के वहां लगाते न...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक बार मंत्रीजी जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जवाब गलत है।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को निर्देश दें कि प्रश्न के अनुसार जवाब दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): गुमराह मत करो, बैठ जाओ आप। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो दिलवाएं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह नकली इस्तीफा था कि असली इस्तीफा, यह तो बताओ हमें। यह मिली हुई कुश्ती लड़ रहे हो। नकली इस्तीफा। रोज हो जाती है अखबारों में खबर कि एक एम.एल.ए. ने, फिर अगले दिन इस्तीफा होता ही नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आपकी ही सरकार, आपके ही इस्तीफे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवाएं। (व्यवधान)

धौलपुर जिले में प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र

276. **श्री सुखराम** (बसेड़ी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में रीको द्वारा कितने औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां पर विकसित किये गये हैं तथा जिला धौलपुर में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुखराम)

(2) जिला धौलपुर में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कितने प्लाट खाली हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु प्लाट किस दर से किस नियम व प्रक्रिया से आबंटित किये जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य में उद्योग स्थापना के लिए नये औद्योगिक क्षेत्र रीको द्वारा प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: उद्योग मंत्री महोदय।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो हुआ ही नहीं है ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय या तो जवाब दें, नहीं तो मदरसे में एडमिशन लें। कुछ तो करो। एक काम तो करो आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): रोज अखबारों में खबर आती है (व्यवधान) इस्तीफा दिया है और हो नहीं रहे हैं। व्यवधान) दे-देकर रोज छपवाना चाहते हैं, नहीं तो फैसला इस्तीफे पर कर लो एक बार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो ना फैसला, दो ना। मना कौन कर रहा है? (व्यवधान) मैंने तो सोचकर दिया ना। आप दुःखी क्यों हो रहे हो?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): हम समर्थन करते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह सदन फैसला करेगा। (व्यवधान) फैसला आप नहीं करोगे, चेयर करेगी फैसला।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) राज्य में रीको द्वारा 323 औद्योगिक क्षेत्रों का संधारण किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। जिला धौलपुर में क्षेत्र ओडेला रोड, धौलपुर, ग्रोथ सेंटर धौलपुर, ग्रोथ सेंटर (विस्तार) धौलपुर, बाडी, धौलपुर (हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र) एवं स्टोन पार्क विश्नोदा, धौलपुर, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना रीको द्वारा की गयी है।

(2) जिला धौलपुर में रीको औद्योगिक क्षेत्र में रिक्त भूखण्डों की स्थिति औद्योगिक क्षेत्रवार निम्नानुसार है:-

(श्री राजेन्द्र पारीक)

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	रिक्त भू-खण्ड
1	औद्योगिक क्षेत्र ओडेला रोड, धौलपुर	1
2	ग्रोथ सेंटर धौलपुर	33
3	ग्रोथ सेंटर (विस्तार) धौलपुर	136
4	बाडी	47
5	पुराना औद्योगिक क्षेत्र	2
6	स्टोन पार्क विश्नोदा, धौलपुर	386

(3) खण्ड 2 में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों में से क्र. सं. 1 से 5 के औद्योगिक क्षेत्र संतृप्त हैं जिनमें भू-खण्डों का आबंटन सील्ड बिड नीलामी के द्वारा किया जाता है। क्र. सं. 6 में अंकित औद्योगिक क्षेत्र स्टोन पार्क में स्टोन आधारित इकाइयों (सामान्य पत्थर उद्योग) को 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के आधार पर विकास शुल्क दर रुपये 550 प्रति वर्ग मीटर पर आबंटन किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में आर्टिजन्स के लिए आरक्षित जोन में पात्र आर्टिजन्स को जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर रियायती दर रुपये 125 प्रति वर्ग मीटर पर लाटरी द्वारा भू-खण्ड आबंटित किये जा रहे हैं।

(4) जी हां। राज्य में निकट भविष्य में रीको द्वारा स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला विशेषकर पत्थर व्यवसाय के लिए जाना जाता है और यह बड़ी विडम्बना है कि मेरी विधान सभा बसेड़ी में ही लगभग 150 गैंगसा यूनिट हैं परन्तु वहां पर रीको क्षेत्र आज तक हमारे जो माननीय मंत्री महोदय हैं उनकी नजर नहीं गयी उस तरफ कि वहां पर भी एक रीको क्षेत्र की स्थापना हो और बसेड़ी विधान सभा के जो पत्थर व्यवसायी हैं, उनका जो चाहे डबल रायल्टी का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, उनका समाधान हो सके।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि एक तो यह जो खण्ड-3 में मुझे जो उत्तर दिया मंत्री महोदय ने, मैंने इसमें स्पष्ट पूछा है कि जो आर्टिजन्स हैं या जो भी हमारे आवेदक हैं, उन भू-खण्डों पर जो

(श्री सुखराम)

अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं, उनके नियम और प्रक्रिया क्या हैं? इसका स्पष्ट जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया क्योंकि वहां पर जो भी जिला स्तरीय कमेटी है, जिला स्तरीय कमेटी अपने पसंदीदा जो व्यवसायी हैं, उनसे लेन-देन करके भू-खण्ड आबंटित करती है। तो एक तो जिला स्तरीय कमेटी कौन-कौनसी होती हैं, पहले तो यहां क्या नियम और प्रक्रियाएं हैं, इनका स्पष्ट इन्होंने जवाब नहीं दिया।

तीसरा, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में ऐसे कितने भू-खण्ड हैं जिनका अलाटमेंट करने के बाद आज तक उन पर यूनिट, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, वे स्थापित नहीं हुई हैं।

दूसरा जो स्टोन पार्क विश्नोदा है, वहां पर वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 में उस विश्नोदा पार्क के विकास के लिए कितनी-कितनी राशि आपने खर्च की और आज वह किस स्थिति में है? दूसरा निवेदन है कि उसमें कितने भू-खण्ड आबंटित हो चुके हैं?

अगला जो मेरा प्रश्न है, जो भी रीको क्षेत्र हैं, धौलपुर जिले के पांच रीको क्षेत्र हैं, उन पांच रीको क्षेत्रों में क्या भू-खण्ड आबंटित करने में एस सी, एस टी, ओ बी सी का कोटा कोई निर्धारित है? यदि है तो धौलपुर जिले के जो पांचों रीको क्षेत्र हैं, उनमें कितने एस सी, एस टी, ओ बी सी इत्यादियों को आपने भू-खण्ड आबंटित किये हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजें। आगे जवाब आने दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कौनसा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां निवेश के लिए कितना वातावरण है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि विश्नोदा जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें कितने भू-खण्ड आबंटित किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से स्टोन पार्क के लिए विशेष रूप से इसको आबंटित घोषित किया गया था और आर्टिजन्स में मात्र पच्चीस लोगों ने भूखण्ड आबंटन करवाये, 386 भूखण्ड आज भी रिक्त हैं। माननीय सदस्य को मैं इस बात के लिए एश्योर कर सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति वहां पर उद्योग लगाना चाहता है और वह आकर निवेश की बात करे तो वहां जब वे चाहेंगे क्योंकि इसमें दो तरह की कैटेगरी हैं, एक तो वह क्षेत्र है जहां सेच्यूटेड हैं। जो सेच्यूटेड क्षेत्र हैं, उनमें निश्चित प्रक्रिया है, सील्ड, जो बंद लिफाफे हैं उसमें वह बिड में भाग लेगा और उसमें जो भी बोली ऊंची आएगी, उनको

(श्री राजेन्द्र पारीक)

आबंटन किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में जैसे विश्नोदा स्टोन पार्क है, उसमें हमारे पास में भू-खण्ड आबंटन के लिए उपलब्ध हैं। 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर भू-खण्ड आबंटित किये जायेंगे। हां यदि एक ही भू-खण्ड पर एक से अधिक यदि कोई आबंटी होते हैं तो उसको लाटरी के माध्यम से आबंटन की प्रक्रिया है।

खास तौर से जिस क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहां पर रीको क्षेत्र नहीं है, तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते हैं कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश का वातावरण बने। मैं मेरे अधिकारियों की टीम वहां पर भिजवा दूंगा और यदि वास्तव में मुझे यह लगा कि उद्योग के लिए वहां पर वातावरण है और सरकारी भूमि यदि तत्काल उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से मेरे अधिकारियों की टीम जाकर के इस पर जो भी चयन की प्रक्रिया होती है, करेंगे। (व्यवधान) हम भी यह चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योगों के लिए वातावरण बने और अधिक से अधिक उद्योग लगें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्री महोदय, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के बाद इन पांचों रीको क्षेत्र में कितने भू-खण्ड जिनको आबंटित किये गये हैं, अभी उनको कितनों को छूट दी गयी है? उनके नाम बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह । एक साथ ही दे देना ।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय मंत्री महोदय, आपको मैंने एक पत्र भी लिखा था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राजाखेड़ा जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, तीनों का एक तरह से संगम है और वहां आगरा कुल 33 किलोमीटर लगा हुआ है, आगरा की काफी इंडस्ट्रीज धौलपुर में आयी हैं जो कि 55 किलोमीटर पर है। राजाखेड़ा के अन्दर सर्वे के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था। क्या आप कोई सर्वे राजाखेड़ा तहसील में और मनिया उप-तहसील में, जो कि नेशनल हाइवे पर है, उन दोनों में कराने का कोई विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: अन्तिम प्रश्न।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर जिला एक ऐसी लोकेशन पर है ...

श्री अध्यक्ष: सीधा प्रश्न करिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी): सीधा प्रश्न यह है कि आगरा, यू पी के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, वे वहां पोल्यूशन की वजह से स्थानान्तरित होकर धौलपुर आ रहे हैं और धौलपुर आने की वजह से वहां पर पानी चम्बल का है, वहां पर सब चीजें उपलब्ध हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन यह करना चाहता हूं कि जो झिरी क्षेत्र है, जहां पर लाइमस्टोन के अपूर्व भण्डार हैं, जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं सर्वे कराऊंगा, तो क्या झिरी क्षेत्र का भी सर्वे करवायेंगे जहां लाइमस्टोन के भण्डार हैं, जहां सीमेंट फैक्टरी लग सकती है?

इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि धौलपुर जिले में कितने विकसित जो क्षेत्र हैं, भू-खण्ड हैं, उन पर आपने अलाटमेंट किया? अलाटमेंट होने के बाद ऐसी कई औद्योगिक इकाइयां हैं जिन औद्योगिक इकाइयों ने नकली घी बनाया, जिन औद्योगिक इकाइयों ने अन्य ऐसी गतिविधियां कीं...

श्री अध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। जवाब आने दीजिए।

श्री सुखराम (बसेड़ी): जिन गतिविधियों के कारण राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री सुखराम (बसेड़ी): तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जो डबल समस्या है हमारी, इस क्षेत्र का मूल्यांकन करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री सुखराम (बसेड़ी): दूसरी क्या यह डबल रायल्टी का मामला जो हमारे धौलपुर में चल रहा है, इसकी तरफ आप ध्यान देंगे या नहीं देंगे? या व्यवसायी हमारे इसी तरह से परेशान होते रहेंगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): झिरी में लाइमस्टोन का आपने सर्वे कराने का वादा किया था इसी विधान सभा में, अभी तक हुआ या नहीं?

श्री अध्यक्ष: माइन्स का प्रश्न नहीं है, औद्योगिक प्रश्न है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उसी से जुड़ा हुआ है लाइमस्टोन भी।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी पिछड़े हैं और राज्य सरकार की भी भावना थी कि उनको विशेष रूप से...

श्री अध्यक्ष: हां, आप क्या कह रहे हैं?

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज धौलपुर में बारह दिन से जो पत्थर का व्यापार है वह बिलकुल चौपट है। उससे करीबन पचास हजार लोग बेरोजगार हैं। वे लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय से भी मिल लिये। उसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान) हमारा आपसे निवेदन है कि उसका समाधान किया जाय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इस सरकार के पास कोई समाधान नहीं है।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): ठेकेदारों की गुण्डागर्दी चल रही है, मनमानी चल रही है। इसका अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है, आज तक। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): गिर्राज सिंहजी, इस्तीफा पेश कर दो अपना। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो दो इस्तीफा।

श्री गिर्राजसिंह (संसदीय सचिव): करेंगे, करेंगे। (व्यवधान) एक-एक करके सब करेंगे।

(12.00 बजे)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल विण्डो सिस्टम लागू होने के बाद में यह महसूस किया गया कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश के लिये वातावरण बने और खास तौर से वे क्षेत्र जो औद्योगिक निवेश में पिछड़े हैं, उनको एक विशेष पैकेज भी देने की बात की गयी थी। उसमें सबसे ज्यादा उचित यह समझा गया कि यदि आदमी टाइम बाउंड प्रोग्राम में अपना निवेश ले आता है तो उसको जमीन की जो कीमत है, उसकी फिफ्टी परसेंट छूट दी जा सकती है। 30.3.12 तक जिन्होंने औद्योगिक निवेश टाइम में पूरा कर लिया, उनको फिफ्टी परसेंट और अब जो आने वाले टाइम में 30.9.12 तक वे लोग अपना उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे...

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): कोई जरूरत नहीं है...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उनको उनकी जमीन की जो कीमत दी गयी है, उसकी 25 प्रतिशत उसमें उनको छूट वापस दे दी जायेगी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): कब? कितनी है अब...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसी समय है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): हमने नाम पूछे हैं, नाम बताओ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसका निश्चित समय है, माननीय अध्यक्ष महोदय। 30.9.12 तक जो लोग औद्योगिक निवेश में अपना उत्पादन शुरू कर देंगे, उनको जमीन की दी हुई कीमत की 25 प्रतिशत राशि वापस लौटा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मैंने तो नाम पूछे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल की कोटड़ा तहसील के साबरमती बांध सिंचाई परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों को वर्तमान दर पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

2. श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी उक्त दोनों माननीय सदस्य आज इन्हीं विषयों पर पर्ची के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे।

3. डा. जसवन्त सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से बहरोड़ में सरकारी बस स्टैंड नहीं होने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

4. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की वेतनमान सम्बन्धी समस्याओं का समाधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला श्रीगंगानगर में आर्म्स लाइसेंस बनाने पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में फूड सेफ्टी एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये फूड सेफ्टी नियम 2011 में विसंगतियों के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य डा. जसवन्त सिंह यादव, डा. फूलचन्द भिण्डा, श्री राधेश्याम गंगानगर एवं श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से किसानों की लागत व मुनाफे को ध्यान में रखते हुए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में।

2. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में स्थित सार्वजनिक पार्कों का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में।

3. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बून्दी के डाबी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में।

4. श्री छोटू सिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के बड़े गांवों में एस आर निर्माण व नल कनेक्शनों में आ रही व्यावहारिक कठिनाई के निदान के लिये नियमों में शिथिलता देने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई के कस्बा नदबई में बाइपास (आर ओ बी) निर्माण कराने के सम्बन्ध में।

6. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे के चक राजासर में दिनांक 21 जून, 2009 को हुए हत्याकांड की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाने के सम्बन्ध में।

7. श्री जाकिर हुसैन गैसावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना के गच्छीपुरा में उप तहसील कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) की सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के नगरपालिका क्षेत्र नगर कस्बे में कस्टोडियन भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के मामलों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

10. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में विधवा, विकलांगों एवं वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से राजस्व तहसील छत्तरगढ़ के कतिपय ग्रामों की बारानी भूमि जो खसरों में स्थित है, को डी-कालोनी घोषित कर खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में।

12. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राणावास से रामसिंहगुढा मार्ग पर बहने वाली नदी पर रपट का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

डा. जसवन्त यादव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में है..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न?

शून्यकाल

सदस्य, विधान सभा द्वारा अध्यक्ष को त्याग पत्र सुपुर्द करने की पश्चातवर्ती स्थिति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां जी। प्रश्न नहीं, यह बहुत बड़ा सदन की महत्ता का गम्भीर प्रश्न है। कल प्रश्न काल जब समाप्त हो रहा था उस समय सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत व्यथित होकर अपनी बात कही और बात कहकर सदन में, ''मैंने सदन में इस्तीफा दे दिया है' यह सदन में अंकित कराया।

इसी सदन में जब आप भी सदस्य थे, वहां जब थे तो माननीय मदन सिंहजी दांता का एक प्रश्न आया था। अध्यक्ष महोदय अपने आसन पर बैठे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हुए थे और किसी बात से व्यथित होकर श्री मदन सिंह दांता अपना इस्तीफा देने के लिये आसन तक आये। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैंने मेरी दोनों आंखें बन्द कर लीं, मैंने मेरे दोनों हाथ बांध लिये हैं क्योंकि ज्योंहि माननीय सदस्य का इस्तीफा अध्यक्ष की आंख के सामने आता है, अध्यक्ष के हाथ में आता है या उनके कान में आता है, उसी समय वह स्वीकार हो जाता है। आपने तो उस समय आंख भी खोल रखी थी, हाथ भी खोल रखे थे और आप कह रहे थे लाओ, लाओ, लाओ।

अब अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रक्रिया में साफ लिखा हुआ है 173 में- ''जो सदस्य सदन के अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह सदन के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना... विचार की सूचना अध्यक्ष को सम्बोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्न रूप में देगा...''। उन्होंने दे दी। यदि कोई सदस्य त्याग-पत्र अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से देता है और उसे सूचित करता है कि त्याग-पत्र स्वेच्छा और वास्तविक है और अध्यक्ष को उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है तो उसका त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार हो जाता है।

अब माननीय सदस्य ने व्यथित होकर सारे सदन के सामने और सदन के बाहर भी यह घोषणा की और आपको त्याग-पत्र दे दिया। सदन के रिकार्ड में आ गया, आपके प्रसंज्ञान में आ गया। अब माननीय सदस्य ने जाकर यदि आपको यह कह दिया कि साहब, मैंने अपना त्याग-पत्र वापस ले लिया है, तब तो वे इस सदन में बैठ सकते हैं। अगर उन्होंने यह नहीं कहा आपको, अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया, आपको यह नहीं कहा कि मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है तो उनका त्याग-पत्र स्वीकार माना जायेगा और वे सदन में एक अजनबी के रूप में बैठे हुए हैं। इस बात पर आपको व्यवस्था करनी है।

श्री अध्यक्ष: चलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, इस पर तो व्यवस्था...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था दूंगा ना। व्यवस्था दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: विराजो तो सही आप।

कल माननीय सदस्य श्रवण कुमार ने यहां कहा जरूर यह था कि मैं अपना त्याग-पत्र दूंगा, पर मुझे जो कागज देकर गये, वह त्याग-पत्र नहीं था, वह कुछ और था।

डा. जसवन्त यादव।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने न केवल आपको, न केवल सदन को, बल्कि सारे राजस्थान की जनता को और तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ भी धोखा किया है।

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, कृपया विराजें। डा. जसवन्त यादव।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को सूचना देनी है, एक-दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष: पहले लिख करके देने की व्यवस्था दी जा चुकी है। कृपया बैठिये। अलाउ नहीं है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष जी, बहरोड़...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आपको अलाउ नहीं किया है मैंने, कृपया विराजें। डा. जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बहरोड़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर अपना सरकार का कोई बस स्टैंड नहीं है...

(12.06 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, पहले सबको चुप करो। सबको चुप करो।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांत रहें। आप अपनी बात स्टार्ट कर दें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ एक ऐसा क्षेत्र है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रवण कुमार जी...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): श्रवण कुमार ने जो कह दिया, वह कह दिया पर परीक्षा कराओ आर पी एस सी से। (व्यवधान) हमने तो हमारा इस्तीफा दे दिया तो दे ही दिया, अब दुबारा थोड़े ही कहते हैं, पर आर पी एस सी से भर्ती तो कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: आप स्टार्ट करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बहरोड़ में राजकीय बस अड्डे का अभाव

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो अपना एक स्थान रखता है। जयपुर और दिल्ली के मिडवे के अन्दर आता है। बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, 19 महाविद्यालय हैं और चारों तरफ से, नारनौल से भी जुड़ा हुआ है जहां की बसें आती हैं, रेवाड़ी की बसें आती हैं, अलवर की बसें आती हैं, दिल्ली से बसें आती हैं और जयपुर से बसें आती हैं। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि बहरोड़ के अन्दर सरकार का अभी तक कोई भी बस स्टैंड नहीं है और बसें अपनी मनमर्जी से जहां चाहे वहां खड़ी कर दी जाती हैं। कोई स्थान नहीं है, कोई निश्चित जगह नहीं है। लोग बाग़ परेशान होकर घूमते रहते हैं। जिस भी सरकारी बस के ड्राइवर को जहां सुविधा मिलती है, वहां वे खड़ा कर देते हैं।

केवल नगरपालिका ने अपना बस स्टैंड वहां बना रखा है जिसमें प्राइवेट बसें आकर खड़ी हो जाती हैं और उसको भी ठेके पर दे दिया जाता है। ठेकेदार उन बसों से 30 रुपये, 40 रुपये पर डे के हिसाब से लेता है। चूंकि सरकारी बसों के पास यह सुविधा नहीं होती। सरकार उनको यह अनुदान नहीं देती कि आप ठेकेदार के बस स्टैंड पर खड़ी करोगे तो हम आपको पैसा देंगे, इससे वे लोग पैसा देने की वजह से, ठेकेदार पैसे मांगता है, वहां पर वे बसें नहीं खड़ी होती हैं।

आम आदमी को, नागरिक को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह हालत होती है, लोगों को यही पता नहीं होता कि कौनसी बस कहां मिलेगी, हमको कहां जाना है, किस जगह बस खड़ी कर रखी है। बस संचालक भी, जो सरकारी बसें होती हैं उनके ड्राइवर, कंडक्टर भी इसका फायदा उठाते हैं। कहीं ढाबे पर खड़ी कर देते हैं, चाहे जहां खड़ी कर देते हैं और सवारियों को बड़ी परेशानी होती है।

आपके माध्यम से वहां जनता के रोष को देखते हुए, जनता के कष्ट को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जब एन सी आर का क्षेत्र है और एक विकसित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में तुरन्त प्रभाव से बस स्टैंड की, सरकारी बस स्टैंड की व्यवस्था की जाये जिससे कि जनता का रोष दूर हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः डा. श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की वेतनमान सम्बन्धी समस्याएं

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके सामने जो मानव प्रज्ञा है और उसको निर्माण करने वाला जो केन्द्र है, जिसको हम उच्च शिक्षा विभाग कहते हैं, वह राजस्थान में दुर्दशा का एक केन्द्र बन गया है। राजस्थान में यू जी सी वेतनमान माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने लागू किये, स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी ने उनको कंटीन्यू रखा और उसके पहले भी राजस्थान में माननीय मोहनलालजी सुखाड़िया ने राणावत वेतन आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा के शिक्षकों को गजटेड पोस्ट देकर के 1966 में ही पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में एक उच्च स्थान प्रदान किया था। लेकिन वर्तमान सरकार सारे मापदंड और जो सामान्य नीति के काम होते हैं, उन सबको दरकिनार करके उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उच्च शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है, तहस-नहस हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करूं कि यू जी सी वेतनमान लागू होने के साथ-साथ यू जी सी की सिफारिशें भी उच्च शिक्षा में लागू की गयी हैं। पिछले छठे वेतनमान के समय और पांचवें वेतनमान के समय कुछ विशेष प्रावधान किये गये थे, राजस्थान सरकार उन प्रावधानों को लागू करने में पूरी तरह असफल हुई है। मैं क्रमवार निवेदन करूं, राजस्थान सरकार ने यू जी सी वेतनमान प्राप्त शिक्षकों के एरियर को जमा किया और उसमें फिर एक प्रावधान किया कि दो साल बाद 40 प्रतिशत नकद भुगतान किया जायेगा। लेकिन दो वर्ष व्यतीत हो गये, आज तक वह भुगतान नहीं किया गया। यह अमानत में खयानत का मामला बनता है। इतना ही नहीं, शर्म की बात यह है कि शिक्षकों का पैसा जो जमा कर लिया गया और 2009-10 की जो आडिट रिपोर्ट है, उसमें पैरा बना है उच्च शिक्षा पर, उसमें लिखा गया है कि उच्च शिक्षा का बजट सरप्लस क्यों हो गया, तो सरकार ने जवाब दिया है कि हमें 40 प्रतिशत शिक्षकों को एरियर देना था वह एरियर नहीं देने के कारण से बच गया। कितनी बेशर्मी के साथ यह स्वीकार किया है कि हम शिक्षकों के अधिकारों को दरकिनार करके बचत का बजट दिखा रहे हैं। यह स्थिति बनती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं राजस्थान सरकार ने इसी बजट में डी एल सी बढ़ाकर के तथा अन्य प्रावधान करके 300 करोड़ के टैक्स लगाये

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

हैं। मैं राजस्थान सरकार की असक्षमता आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि 399 करोड़ की अनुदान राशि का बजट बनकर के यूजीसी के सामने पड़ा हुआ है लेकिन राजस्थान सरकार को पिछले 6 वर्ष में वह पैसा इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो उनकी एक मात्र शर्त थी, उसको मानने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं उसके बाद में उसके लिए प्रयास भी नहीं किया गया। 399 करोड़ का यू जी सी में बकाया चल रहा है और राजस्थान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: शोर्ट करें, शोर्ट करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं शोर्ट ही कर रहा हूं। मैं अध्यापकों की कर रहा हूं, जो रिकार्ड पर चीजे हैं।

इतना ही नहीं, पूर्व सेवा के लाभ का प्रावधान किया गया, जो प्राइवेट कालेजों में काम करते थे और विश्वविद्यालय में आ गये, उनकी सेवाएं जोड़ दी गयीं, लेकिन जो सरकारी कालेजों में काम करते थे, सरकार में परमानेंट हो गये, उनकी सेवाओं को आज तक नहीं जोड़ा गया। सरकार के खिलाफ 1,300 शिक्षक कोर्ट में गये, वे शिक्षक जीत गये। सरकार ने अपील डी बी में की, वहां सरकार हार गयी; एस एल पी लेकर दिल्ली गयी, एक याचिका में तो दो बार गयी, दोनों बार सरकार एस एल पी में हार गयी। उसके बाद भी सरकार उनको उनकी सुविधाओं का लाभ देने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति यह है कि 1.01.2006 के पहले जो वरिष्ठ वेतनमान था, उसमें लगभग 100 शिक्षक ऐसे हैं जिनमें से 6 तो भगवान को प्यारे हो गये, उनको यूजीसी वेतनमान का लाभ, छठे वेतन का नहीं दिया गया। वे लोग सिंगल बेच में गये, वहां सरकार हार गयी, वे जीत गये। अब सरकार तीन महीने बाद उनको पेंशन नहीं देना चाहती। उनका सारा का सारा पैसा यू जी सी देगी लेकिन उसके लिए सरकार डी बी में चली गयी।

इस प्रकार से जो प्रज्ञा है, जो समाज की प्रज्ञा उच्च शिक्षा में है, जो ब्रेन डेमेज को रोकने की बात हम करते हैं और सरकार ब्रेन डेमेज को बढ़ावा देने की बात करती है। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बन गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामान्य प्रोटोकाल है, उसमें जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनसे नीचे जो कैडर आता है, वह राजस्थान सरकार के सरकारी कालेजों के

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

प्रिंसिपल का आता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी सरकार ने कुछ दिन पहले एक आर्डर निकाला है...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आर्डर में यह निकाला है कि कलक्टर या कलक्टर के आदमी निरीक्षण करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नीचे के कैडर का व्यक्ति उच्च कैडर के आदमी का निरीक्षण कर सकता है? राजस्थान के जो 32 कलक्टर हैं, उनसे अधिक वेतनमान में काम करने वाले प्राचार्य हैं। उनका निरीक्षण करने के लिए तहसीलदार जायेगा तो क्या समाज की स्थिति होगी? क्या स्थिति बनेगी उन कालेजों की जहां क्रीम पढ़ती है, जहां क्रीम आती है? इस प्रकार की स्थिति पैदा की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कमिश्नरेट में, जो शिक्षा आयुक्त कार्यालय में 33 लोग बैठे हैं, 5 ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, 1 एडिशनल डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर हैं, क्या वे 33 लोग निरीक्षण नहीं कर सकते हैं? तहसीलदार जाकर के जिसके पास बहुत काम है, उसको लगाया गया है। इस कारण से उच्च शिक्षा का ढांचा चरमराने लगा है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उच्च शिक्षा जैसा जो विभाग है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं निवेदन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि माननीय सुखाड़िया जी ने जब वेतनमान दिये थे, पहली बार 375 का ग्रेड दिया था, तब कहा था कि आप जाओ और वे वी.वी. जान थे जिनकी पुस्तकें सब लोगों ने पढ़ी हैं, उनको कहा था डाक्टर साहब, आप उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हो जिसमें गजटेड से नीचे पोस्ट नहीं है और वह 375 का ग्रेड दिया। जब यू.पी. और बिहार में 200 का ग्रेड मिलता था प्रिंसिपल को, उस समय व्याख्याता को 375 का ग्रेड मिलता था। आज दयनीय स्थिति बन गयी है शिक्षा की।

इस कारण से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा की जो दुर्गति की जा रही है, चलाकर दुर्गति की जा रही है। इतना ही नहीं, कितने शर्म की बात है कि हमारे मुख्य मंत्री बार-बार कहते हैं कि हम एम.ए. तक लड़कियों की शिक्षा को फ्री करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर। आप समाप्त करें, राधेश्यामजी का नाम पुकार लिया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। बांदीकुई में लड़कियों का कालेज चल रहा है, उसमें लड़कियों की...(व्यवधान) भुगतान करती हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उसके पैसे से कालेज चलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार जवाब दे और व्यवस्था को ठीक करे।

श्रीगंगानगर में हथियार लाइसेंस पर रोक

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में 2007 से आर्म्स के लाइसेंस बंद हैं। आज एक भी लाइसेंस वहां नहीं बन रहा है। इसके क्या कारण हैं। पूरे राजस्थान में बन रहे हैं लेकिन केवल गंगानगर, हनुमानगढ़ में बंद हैं। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बीकानेर में भी बंद हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): हां, तो गंगानगर, जैसलमेर और बीकानेर में क्यों बंद हैं, एक तो यह कारण। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि 8 हजार के करीब लोगों के रिन्यू होने वाले लाइसेंस आज तक रिन्यू नहीं हो रहे हैं। लोग रोज आते हैं और मारे-मारे फिरते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान का खतरा है। और तो और, मेरा खुद का लाइसेंस आज 6 महीने से कलक्टर के यहां पड़ा है, उन्होंने मुझे रिन्यू करके नहीं दिया है। हम बाई रोड आते हैं, ट्रेन हमारे यहां से बंद हैं। कई बीच में ऐसे कारण बन जाते हैं, रात-बेरात हमें जरूरत अपने हथियार की हर वक्त रहती है। सौ तरह के लोग हैं, सज्जन भी हैं, दुश्मन भी हैं।

इसकी गम्भीरता को देखते हुए मंत्री महोदय से आप स्टेटमेंट दिलायें, वे बतायें कि किन कारणों से, या तो आर्डर बतायें, अगर कोई ऐसा आदेश है कि लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता है, लाइसेंस नया नहीं बन सकता है, अगर

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इस तरह के आदेश हैं तो पटल पर रखें। अन्यथा क्यों रोक रखा है, क्या कारण हैं, वे कारण स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना सीरियस मैटर है, हजारों की तादाद में लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। इसमें कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं और पहले हुई हैं। गवर्नमेंट को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं, कृपया आप जवाब दें। जो भी कारण हों, उनको आपको स्पष्ट करना चाहिए कि ये कारण हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। ओम जी बिरला।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): किसी एक का मसला नहीं है, यह बहुत गम्भीर है। जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनके सभी के क्षेत्रों में यह समस्या आ रही है। ना तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार का नया लाइसेंस बन रहा है, ना मृतक आश्रित का। मृतक आश्रित का हथियार आखिर कहां जायेगा? मंत्री महोदय खुद पीड़ित हैं। ऐसा कौनसा सर्कूलर है, कौनसा आदेश है जिसके तहत हथियार का लाइसेंस नहीं बन सकता है। मृतक आश्रित का हथियार लाइसेंस, आखिर वह करेगा क्या?

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह भी देखिये कि पूरे भारत की आन-रिकार्ड यह स्थिति है कि 97.8 प्रतिशत जो भी क्राइम होते हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भाटी साहब, यह प्रकरण राधेश्याम जी का है। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तब आप उसकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे हो? जितने भी माननीय सदस्य हैं, यह पूरे राजस्थान की समस्या है। किस कारण से हथियार नहीं दे रहे हो? आप हर जगह पुलिस का साथ नहीं ले सकते, हर जगह थाना और पुलिस चौकी नहीं लगा सकते, आप निजी सुरक्षा हर व्यक्ति को नहीं दे सकते। वह कहीं ढाणी मजरे में बैठा हुआ है। कोई भी, इस प्रकार से कोई आतताई, आक्रमणकारी आ जाए तो वह सुरक्षा कैसे करे, इसका जवाब दे सरकार। ये सारे माननीय सदस्य इस बात से पीड़ित हैं। हैं कि नहीं हैं? बोलो, बोलो। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): पूरे राजस्थान की यह समस्या है। मेरा विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): 1,165 लाइसेंस रिन्यूअल के हथियार इन्होंने थाने में बंद कर रखे हैं, थानों में ले रखे हैं। इनके पीछे-पीछे लोग घूम रहे हैं। 1165 लाइसेंस हैं, वे सारे कब्जे में कर रखे हैं। (व्यवधान)। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लोग रहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्रीजी का जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): जिनकी डैथ हो गई उनके परिवारजन की भी पीड़ा है। गन लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, कुछ कहना है? (व्यवधान) आप मंत्रीजी का जवाब सुनिये। एक मिनट विराजिये आप। (व्यवधान) मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): वे हथियार वापस देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, यह भी बता दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी बिरला। (व्यवधान) माननीय ओमजी बिरला।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्षजी, हमें भी कुछ कहना है, उसके बाद मंत्रीजी जवाब दे देंगे साथ में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार्डर इलाके से आती हूं। मेरी संगरिया कांस्टिट्यूएंसी के पंजाब और हरियाणा का बार्डर लगता है। ऐसी स्थिति के अन्दर वहां के जो लोग हैं, उनका पंजाब और हरियाणा देर रात तक भी आना-जाना लगा रहता है। पारिवारिक रिश्तेदारियां भी होती हैं। लगभग चार वर्षों से बहुत से लोगों के हथियार मालखाने में जब्त हैं, उनके जंग लग गई है। जिस तरह से कोई व्यक्ति या माता अपने बच्चों को प्यार करता है, कुछ लोग इसी तरह से अपने हथियारों को प्यार करते हैं। इसके बावजूद मालखाने के अन्दर उनके हथियारों के जंग लग रही है। इस पर सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) अब आप शांत रहें। (व्यवधान) बिरलाजी, आप एक मिनट विराजिये। (व्यवधान) आप एक मिनट विराजिये। माननीय मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आसन के द्वारा दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी बात रखी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर से सम्बन्धित जो विषय अभी आपने रखा है, हथियार लाइसेंस जारी किए जाने के सम्बन्ध में इसमें

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजस्व अधिकारी, पुलिस विभाग और गुप्तचर विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। यह लाइसेंस जारी करने से पूर्व की प्रक्रिया है और तत्पश्चात् निर्धारित शर्तें पूरी होने एवं पात्र पाये जाने पर आवेदक को नये आर्म्स लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये। आप बात पूरी सुनिये। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप ही बोल लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब तो लेते नहीं हो। हां, मंत्रीजी। (व्यवधान) आप एक मिनट शांत रहिये। पूरा जवाब आने दीजिये। आपकी बात सुन ली, जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इस वित्तीय वर्ष 2011-12 में भी विभिन्न प्रकार के आर्म्स लाइसेंस श्रीगंगानगर जिले में जारी किये गये हैं। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष प्रकरण के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहें जिनके किसी कारण से आर्म्स लाइसेंस जारी नहीं किये गये, तो उस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी आप उपलब्ध करवायें। लाइसेंस जारी किए जाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है और उसमें इंडिविजुअल आवेदकों को नियमानुसार पात्रता पूरी किये जाने पर हथियार लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया राजस्थान में है। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गंगानगर में एक भी लाइसेंस जारी नहीं हुआ है और कोर्ट के आदेश ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक भी जारी नहीं हुआ। आप मुझे बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): गंगानगर जिले में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपके सामने है। मंत्रीजी का जवाब आ गया।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेंस जारी करना तो दूर, लाइसेंसधारकों के रिन्यूअल के लिए जो हथियार जमा किए गये थे वही दे दो। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): किसी अधिकारी ने गोलमाल तरीके से कोई लाइसेंस बना दिया हो तो बात अलग है। पब्लिक में एक भी लाइसेंस नहीं मिला है। आप बिलकुल असत्य बात कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और स्पष्ट करना चाहता हूं कि 1 अप्रैल, 2011 से 30 मार्च, 2012 तक 204 लाइसेंस गंगानगर में बनाये जा चुके हैं और 3,923 आर्म्स लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिला डकैती प्रभावित क्षेत्र है जहां डाकू आये दिन वारदात करते रहते हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हथियार जब्त किये गये हैं, वे वापस देने का इरादा रखते हैं क्या?

श्री सुखराम (बसेड़ी): धौलपुर जिले के लिये कौनसे अलग नियम कानून बनाये हुए हैं? वहां पिछले पांच वर्षों में एक भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले के लिए कौनसे नियम-कानून हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या खड़ी हैं, आप एक-एक बोल लें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आज तो मातृत्व दिवस है। याद करो, 11 अप्रैल है, आज तो बोलने दो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3 वर्षों में कितने हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण....

श्री उपाध्यक्ष: यह प्रश्न काल नहीं है। माननीय सदस्या, प्रश्न नहीं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): लाइसेंसधारियों की मृत्यु के बाद उनके लाइसेंसों का रिन्यूअल उनके बच्चों के नाम करने के मामले में क्या नियम है? उनके बच्चे क्या करें उनका? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक बोलो तो बात बने। एक-एक बोलेंगे तो रिकार्ड होगा, नहीं तो मैं ओम बिरलाजी को पुकारूंगा। आप एक-एक बोलो, जिसे बोलना है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): हनुमानगढ़ जिले के अन्दर स्थिति इतनी खराब है...

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिये। एक-एक बोलेंगे अपनी बात रखने के लिये। बिलकुल यह नियम के अन्तर्गत नहीं है। आपने जवाब दिया, ध्यान आकर्षित किया, स्थगन प्रस्ताव आया, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया। उसके आगे मामला समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में देखिये, आपके समस्या आ रही है। यहां तक कि गृह राज्य मंत्रीजी के क्षेत्र में समस्या आ रही है। ...(व्यवधान)...

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेंसधारियों की मृत्यु के बाद अगर उनके लाइसेंस रिन्यूअल उनके बच्चों के नाम नहीं किये जाते हैं तो यह समस्या पूरे राजस्थान की है। पूरे राजस्थान में यह समस्या है कि जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों के नाम लाइसेंस ट्रांसफर कराने की बात है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। माननीय ओमजी बिरला। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हमें समाधान चाहिये। यह कोई बात थोड़े है। यह हकीकत है।

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब आ गया। शासन की ओर से आपका जवाब आ गया, मंत्रीजी की ओर से।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह कितनी गम्भीर बात है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले का जवाब आया है, हमें हनुमानगढ़ जिले का भी जवाब दिलवा दीजिये। हनुमानगढ़ में भी राजस्थान की जनता रहती है, उनका भी खयाल कीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन सुनिये। हनुमानगढ़ जिले में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें तो मैं अपनी बात कहूं। (व्यवधान)

श्री सुखराम (बसेड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर जिले के लिए अलग कायदे-कानून हैं क्या? पात्रता पूरी करने के बावजूद आज तक लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं। (व्यवधान) एक भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): जिन लाइसेंसधारियों की मृत्यु हो गई, उनके बच्चों के नाम लाइसेंस नहीं चढ़े। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह मंत्रीजी ने कह दिया। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओमजी बिरला। यह मंत्रीजी ने कह दिया, किस-किस का है, आप बता दें। (व्यवधान) आपने नाम बताया है क्या?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिड़ला। माननीय ओम जी बिड़ला, बोलिये। मैं अगला नाम पुकारूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: हां, हां, विराजिए। माननीय ओमजी बिड़ला।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओम जी बिड़ला का अंकित होगा, केवल ओम जी बिड़ला का।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका स्थगन प्रस्ताव है, जवाब आ गया सरकार का। माननीय ओमजी बिड़ला।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री करणसिंह (छबड़ा): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका जवाब आ गया, सरकार के नोटिस में आ गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे दिया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस होता है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपने मंत्रीजी का जवाब सुना?

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिड़ला जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने सरकार के ध्यान में यह बात लायी कि 3-4 प्रकार से इस काम में विलम्ब हो रहा है। आपने केवल जो नियम हैं, वे पढ़ कर सुना दिये। इसके लिए तो आपको बहुत धन्यवाद। यहां यह बात आई कि जो लोग मर गये हैं, उनके आश्रितों को, उनका भी हस्तान्तरण होना है, उनके नाम से नहीं हो रहा है, एक। नम्बर दूसरा, हमने सदन के सभी माननीय सदस्यों को दो टर्म पहले कानपुर की फैक्टरी से रिवाल्वर और लाइसेंस खरीदने के लिए स्वीकृति दी थी और बहुत से माननीय सदस्यों ने खरीदे थे। उनके लाइसेंस व माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य, उनके खुद का लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हो रहा है। उनका बार-बार आना-जाना रहता है, सुरक्षा का खतरा रहता है। इसी प्रकार से जो और लोग मांग रहे हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है और जिनके जब्त कर लिये थे, आंदोलनों के कारण से और किसी कारण से उन लोगों के भी लाइसेंस वापस नहीं हो रहे हैं। जैसा कि आया कि 4-4 साल से, 5-5 साल से वहां पर पड़े हुए हैं, यह स्थिति विचारणीय स्थिति है और सारे सदन की आपके सामने राय है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं यह मानता हूं कि आप गृह राज्य मंत्री हैं और गृह मंत्री मुख्य मंत्रीजी हैं, फिर भी आपको इतना अधिकार तो है ही कि आप नियमों के अनुसार यह तो खड़े होकर कह ही सकते हैं कि भाई, मैं नियमानुसार उत्तराधिकार में हस्तान्तरण होना चाहिए, उनको हस्तान्तरण करने के निर्देश देता हूं; आप यह भी कह सकते हैं कि जिनके आंदोलनों के कारण से जमा किये गये हैं, आंदोलन समाप्त हो गये हैं, उनको मैं वापस जारी करने के निर्देश देता हूं। आपका केवल कानून पढ़कर बताना पर्याप्त नहीं है, आप मंत्री हो तो कानून पढ़ने के लिए नहीं हो, आप यहां पर आदेश देने के लिए हो, श्रीमान्।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह मंत्री कानून पढ़ने वाले हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए आपको आदेश देना पड़ेगा यहां।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ये पाठ पढ़कर आते हैं और यहां पढ़ देते हैं विधान सभा में। इससे ज्यादा ये मंत्री नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): सारा ज्ञान आपके ही पास में है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ज्ञान तो नहीं है लेकिन यहां पढ़ने के लिए नहीं हैं विधान सभा; वहां से कागज आया, पढ़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): आपका लिखा हुआ पढ़ें क्या?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हमारा लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा, हमारा ही।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): कमाल है, सारे निर्देश इनके ही चलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, मैंने वह जानकारी आपके माध्यम से सदन के सामने रखी। इनके द्वारा यह विषय उठाया गया कि लाइसेंस नहीं बनाये जा रहे हैं। 204 लाइसेंस 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 के बीच में गंगानगर जिले में बनाये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और जो लाइसेंसों के ऊपर आपने

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

रिन्यूअल करने पर प्रश्न रखा, मैंने इसमें भी निवेदन किया, 3,923 लाइसेंसों का रिन्यूअल भी किया गया है।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती समय में इसके लिए समय-समय पर सर्कूलर जारी किये गये हैं, उन सर्कूलर की पालना में यह लाइसेंस जारी किया जाना और नवीनीकरण किया जाना, यह प्रक्रिया पूरे राजस्थान में लागू है और इस प्रक्रिया का पालन राज्य के जो सभी डी एम हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसको आप समाप्त करो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, राधेश्यामजी। माननीय ओमजी बिड़ला। (व्यवधान) आपका जवाब आ गया है, यदि जवाब से संतुष्ट नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे दिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): प्रैक्टिकल की बातें हैं, जो करनी चाहिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब जवाब आ गया। आप सदन की परम्पराओं को जानते हैं, सरकार ने नोटिस लिया है, बल्कि मंत्रीजी ने जवाब दिया है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आत्मा मरने के बाद हम चल नहीं सकते। माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम जी बिड़ला।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिरला का अंकित होगा।

श्री बहादुर सिंह (वैर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: ओमजी बिरला। नहीं चाहते, ओमजी बिरला, आप? नहीं बोलना है?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बोल रहे हैं, सदन आर्डर में तो आये।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिए ना आप, सदन आर्डर में है। आपके अलावा किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कहां है? ये बहिष्कार करके जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बोलना है तो बोलें, नहीं बोलना है तो विराजिए आप।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बने खाद्य सुरक्षा नियम में विसंगतियां

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे राजस्थान के अन्दर केन्द्र सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और 2011 लागू किया है, इसकी लाइसेंस प्रक्रिया के अन्दर पूरे राजस्थान के व्यापारियों ने तीन दिन तक अपने बाजारों को बंद करके इस लाइसेंस की प्रक्रिया का विरोध किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की मंशा और हम सबकी मंशा एक है कि इस राज के अन्दर खाद्य वस्तुएं शुद्ध मिलें। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को गांव से, ढाणी से लेकर उत्पादित होने वाली वस्तुएं उनके मानक मानदण्डों के अनुरूप शुद्ध मिलनी चाहिए। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत लोगों को शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध कराने की नहीं है। इसके अन्दर जो लाइसेंस प्रक्रिया है, वह नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषदों के अन्दर इससे पहले जो लाइसेंस बनते थे, उस लाइसेंस की फीस 6 रुपये और 12 रुपये होती थी। लेकिन आज जो नया अधिनियम लागू किया गया है, उस नये अधिनियम के अन्दर जो फीस का स्ट्रक्चर रखा गया है, वह एक हजार, दो हजार, पांच हजार और साढ़े पांच हजार का स्ट्रक्चर रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठेले पर बेचने वाला वह वेन्डर, ढाबा चलाने

(श्री ओम बिरला)

वाला, समोसा, कचोरी, दूध बेचने वाला, तमाम छोटे वेन्डर, तमाम छोटे व्यापारी, उनको यदि फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा तो हर वर्ष दो हजार रुपये जमा कराने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5 हजार करोड़ से ज्यादा व्यापार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को फूड लाइसेंस लेने के लिए 7 हजार, 5 हजार और एक गरीब व्यक्ति को जो ठेला, रिक्शा चलाने वाला या छोटा दुकानदार है, उसको फूड लाइसेंस लेने के लिए 2 हजार और 5 हजार रुपया फीस रखी गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने बैठकर कानून बनाया, राज्य सरकार उस कानून को लागू करने जा रही है, लेकिन कानून के अन्दर जो धारा दी गयी थी उस कानून की धारा 31 के अन्दर यह कहां का प्रावधान है कि एक एस एस आई यूनिट को, एक तेल मिल वाले को या एक उद्योगपति को अपना फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा तो दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ेगी? इतना ही नहीं, एक छोटे व्यापारी को लाइसेंस लेना पड़ेगा तो जिले में आना पड़ेगा। मध्यम को जयपुर की राजधानी में आना पड़ेगा और बड़े को दिल्ली जाना पड़ेगा। लाइसेंस कैसे लेना है, लाइसेंस की क्या प्रक्रिया है, लाइसेंस के अन्दर क्या मापदण्ड रखे गये हैं इस प्रक्रिया के बारे में न तहसील में जानकारी दी गयी, न जिले में जानकारी दी गयी। व्यापारी अनभिज्ञ हैं। वे बिना जानकारी के अभाव में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: लम्बा न करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा विषय तो रख दूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने रख दिया है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): पूरा विषय नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपको कितना टाइम हो गया, यह पता नहीं है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजस्थान में सरकार और दिल्ली में सरकार इनकी है। फूड लाइसेंस लेने के लिए हमारा मकसद, सरकारों का मकसद आम जनता को शुद्ध चीजें दिलाना है, हमारा मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, लेकिन लगता है, सरकार का मकसद लोगों को शुद्ध चीजें दिलाने का नहीं है। अगर शुद्ध चीजें दिलाने का मकसद होता तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान के अन्दर खाद्य वस्तुओं की जांच करने वाली एक भी प्रयोगशाला केन्द्र के नियम और कानून के तहत नहीं है। इतना ही

(श्री ओम बिरला)

नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की खाद्य प्रयोगशालाओं में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, इक्विपमेंट्स नहीं हैं, साधन नहीं है और जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, जो बाबू हैं, यू डी सी हैं, जिनके पास योग्यता नहीं हैं उनको फूड लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आज ही चर्चा हुई है, जो फूड इंस्पेक्टर हैं, अगर उनको ठीक से नमूना लेना नहीं आएगा तो कैसे जांच होगी? पूरे राजस्थान में जो प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, जो प्रयोगशालाओं के इक्यूपमेंट्स होने चाहिए, प्रयोगशाला के लिए जो पद होने चाहिए, उन पदों के बिना हम लोगों को शुद्ध चीजें नहीं दिला सकते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्र में इनकी सरकार है, जो घोर औपचारिकताएं हैं, बिना काम की औपचारिकताएं इस लाइसेंस में लागू की गयी हैं, उन औपचारिकताओं को समाप्त करना चाहिए, लाइसेंस फीस को कम करना चाहिए और राजस्थान की जनता को शुद्ध वस्तुएं मिलें, इसके लिए यहां की प्रयोगशालाओं को इक्यूपमेंट्स उपलब्ध कराने चाहिए ताकि इन प्रयोगशालाओं में नमूनों की जांच हो।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उसका परिणाम आये और जो फूड इंस्पेक्टरों के पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण लोगों को शुद्ध वस्तुएं नहीं मिल रही हैं उन फूड इंस्पेक्टरों के पदों को भरना चाहिए जिस तरीके से इस फूड सेफ्टी कानून में कहा गया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): एक डी.ओ. जिले के अन्दर होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस अधिनियम की कोई भी औपचारिकता राजस्थान सरकार पूरी नहीं कर रही और अधिनियम को लागू करना चाहती है...

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी कहां हैं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह राजस्थान की जनता के साथ इनजस्टिस हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया ना आपने। मैंने किरण माहेश्वरीजी का नाम पुकार लिया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मेरा सरकार से निवेदन है कि फूड सेफ्टी कानून की प्रक्रियाओं को राजस्थान सरकार लागू करे, अनावश्यक व्यापारियों पर लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज थोपा जा रहा है, उसे बंद करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरीजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर कृषकों को राहत प्रदान किया जाना

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 65 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। अल्प वर्षा, जल की कमी, प्राकृतिक प्रकोप आदि से किसान महंगाई की मार से लगातार पिटता जा रहा है। महंगाई के अनुपात में फसल का उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान का मन विवशतावश कृषि से हटता जा रहा है। अतः मैं किसानों से जुड़े निम्न मुद्दों पर किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के समक्ष यथोचित कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं:-

(1) किसान की लागत व मुनाफे को ध्यान में रखते हुए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाय कि किसानों को फसल बेचने पर नुकसान की सम्भावना न के बराबर हो।

(2) राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खरीद केन्द्र वर्ष भर खोले जाएं जिससे किसान सुलभता से अपना उत्पाद खरीद केन्द्र तक ले जा सकें। यदि ऐसा सम्भव नहीं हो तो पंचायतों की सहकारी समितियों को सक्रिय करते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी जाय। चूंकि सहकारी समिति में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं, अतः सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार किसान का उत्पाद खरीदती है व किसान के भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है तो निश्चित ही किसानों के हित में होगा।

(3) किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट हो जाने पर अगली बुआई से पहले फसल का मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाय जिसकी समुचित मानिटरिंग की जाए।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(4) राज्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए राज्य के बीज अनुसंधान केन्द्रों एवं शोध संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों को सक्षम बनाने के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।

(5) परम्परागत बीजों के संरक्षण के लिए समुदाय आधारित बीज बैंक के लिए प्रोत्साहन दिया जाय एवं परम्परागत बीज केन्द्र स्थापित किये जाएं।

(6) जिस क्षेत्र में बाजरे या मक्के का सेवन अधिक होता हो, उस क्षेत्र के उत्पादकों को पी डी सी एस में शामिल किया जाए।

(7) राज्य को जी एम फ्री स्टेट घोषित किया जाए ताकि जेनेटिकली मोडीफाइड बीजों से पर्यावरण संरक्षण पर होने वाले खतरों से और किसानों की आजीविका पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से बचा जा सके।

(8) किसानों को खेती पर 8 घंटे बिजली सुनिश्चित की जाए एवं बिजली रात की जगह दिन में दी जाए।

अतः राज्य सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के किसानों के हित में उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार कर किसानों को राहत प्रदान कराने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्द भंसाली।

जोधपुर शहर स्थित सार्वजनिक पार्कों का सौन्दर्यीकरण

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में स्थित पार्कों को गन्दगी के ढेर के रूप में तब्दील कर दिया है एवं असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा बना लिया है जिससे वहां के आमजन को जे डी ए, नगर निगम एवं आवासन मण्डल द्वारा छोड़े गए पार्कों से सुविधा की जगह दुविधा बन गई है। इनमें मुख्यतः विवेकानन्द पार्क, शास्त्रीनगर ए सेक्टर, सेनापति भवन स्थित पार्क, सरस्वती नगर, मधुबन हाउसिंग बोर्ड तथा डी डी पी नगर स्थित समस्त 7 पार्क एवं उसकी चारदीवारी निर्माण कार्य अधूरा है। एयर फोर्स स्थित आहूजा कालोनी में सार्वजनिक पार्क, गोल्फ कोर्स, मालवीय नगर के पास स्थित पार्क, भगत की कोठी विस्तार योजना स्थित मरूधर उद्यान पार्क, डा. माथुर लायन्स अग्निशमन केन्द्र के

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

सामने, शास्त्रीनगर ई सेक्टर, अजीत कालोनी स्थित सार्वजनिक पार्क, रातानाड़ा सब्जी मण्डी के बीच में स्थित पार्क, इत्यादि पिछले कई वर्षों से विकास के अभाव में अधूरे पड़े हैं। इसी के साथ पार्कों का भी सौन्दर्यीकरण नहीं होने से वहां की जनता को उसका फायदा नहीं मिलने से वहां की जनता में रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उक्त समस्त सार्वजनिक पार्कों के सौन्दर्यीकरण हेतु अतिशीघ्र निविदाएं निकाल कर उन्हें दुरूस्त करवाया जाए ताकि वहां के वृद्धजन एवं बच्चों को इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अशोक जी डोगरा।

बूंदी के डाबी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत बूंदी विधान सभा क्षेत्र के डाबी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा में डाबी एक मुख्य कस्बा है। डाबी के इर्द-गिर्द 18 पंचायतों के करीब 100 गांव लगते हैं तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिले के भी कुछ गांव डाबी की सीमा से लगते हुए हैं। यहां से बूंदी जिला मुख्यालय की दूरी 60 किलोमीटर तथा कोटा की दूरी 40 किलोमीटर है। इसके अलावा लगभग 50 हजार की आबादी वाला क्षेत्र है जिसमें से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 निकल रहा है। इस क्षेत्र में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहां के मरीजों को कोटा अथवा बूंदी जाना पड़ता है जो काफी दूर व महंगा पड़ता है तथा समय पर समुचित उपचार नहीं मिल पाता है।

डाबी में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जिसमें दानदाताओं द्वारा एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराई हुई है तथा डाबी में 108 एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। डाबी कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाता है तो इस क्षेत्र की 18 पंचायतों के गांवों के आमजन के साथ ही भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिले के समीपस्थ ग्रामीणों को भी उपचार में मदद मिलेगी तथा उन्हें कोटा व बूंदी नहीं जाना पड़ेगा।

(श्री अशोक डोगरा)

इसी क्रम में पंचायत समिति, बूंदी जिसमें 30 ग्राम पंचायतें हैं तथा लगभग एक लाख की आबादी है, उसमें एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। पंचायत समिति, बूंदी के ग्राम पंचायत खटकड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटकड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की महत्ती आवश्यकता है।

अतः आमजन की मांग व सुविधा को देखते हुए विशेष निर्देश प्रदान कराते हुए बूंदी विधान सभा क्षेत्र के डाबी एवं खटकड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। एक नाम त्रुटिवश रह गया और कौनसा रह गया, वह आप जानते हो। माननीय श्री छोटू सिंह जी भाटी।

जैसलमेर जिले के गांवों में एस.आर. निर्माण व नल कनेक्शनों के नियमों में शिथिलता

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैसलमेर जिला मरुस्थलीय क्षेत्र होने, गांव के बीच में दूरी अधिक होने तथा जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण बड़े गांवों में एस.आर. निर्माण व नल कनेक्शनों में आ रही व्यावहारिक कठिनाई के निदान के लिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या शर्त 4000 से घटाकर 2500 तक करने हेतु नियमों में संशोधन करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियमों में शिथिलता करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर जी, जैसलमेर जिला अत्यंत ही विषय भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। यहां के अधिकतर लोग दूरदराज के क्षेत्र में निवास करते हैं। चूंकि अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन रहा है अतः पशुधन की सुविधा के हिसाब से लोग दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करते हैं जिससे जिले में स्थित अधिकांश गांवों और कस्बों में जनसंख्या घनत्व राज्य के अन्य जिलों के ऐसे क्षेत्रों से बहुत ही कम है। राज्य सरकार द्वारा सभी योजनाओं की भांति जलदाय विभाग की जल की बनाई गई योजनाएं भी पूरे राज्य के जनसंख्या घनत्व के औसत को देखते हुए बनाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कस्बों और बड़े गांवों में लोगों को घर-घर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई पेयजल योजना एस.आर. निर्माण और घरेलू नल कनेक्शन के लिए प्रथम शर्त के तौर पर ऐसे गांवों की जनसंख्या 4000 से अधिक होने पर ही ऐसे गांवों में नल कनेक्शन के प्रावधान किए गए हैं। राज्य के अधिक

(श्री छोटू सिंह भाटी)

जनसंख्या घनत्व वाले कई गांवों में घरेलू नल कनेक्शनों की सुविधा प्रदत्त है परन्तु खेद है कि जैसलमेर जिले में मात्र 2-3 गांवों को छोड़कर किसी भी गांव में एस.आर. निर्माण एवं नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि जैसलमेर जिले के बड़े गांव और कस्बों की जनसंख्या 2,000 से 2,500 के बीच में है। अतः जिले के अधिकांश गांव राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल कनेक्शन से वंचित हैं। यह स्थिति आमजन के मूलभूत अधिकारों का हनन है।

मेरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से निवेदन है कि विषम परिस्थितियों वाले जैसलमेर जिले में दूरदराज के बड़े गांवों व कस्बों में एस.आर. निर्माण व नल कनेक्शन हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए ऐसी सुविधा के लिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 4,000 से घटाकर 2,500 तक किए जाने के आदेश जारी किए जाएं ताकि जैसलमेर जिले में अधिकांश बड़े गांव इस योजना से जुड़ सकें और अधिकतर लोग अपनी मूलभूत एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)।

नदबई (भरतपुर) में बाईपास (आर.ओ.बी.) का निर्माण

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत कस्बा नदबई में बाईपास (आर ओ बी) निर्माण कराने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के कस्बे नदबई में आवागमन की मुख्य समस्या की ओर दिलाना चाहूंगी। कस्बा नदबई में एक रेलवे क्रोसिंग है जो कि कस्बे के मुख्य बाजार में पड़ता है। इस मार्ग पर दिन भर आम जनता का आवागमन होता रहता है एवं हल्के एवं भारी वाहनों का भी आना-जाना लगा रहता है। रेलवे क्रोसिंग के बन्द होने पर क्रोसिंग के दोनों ओर काफी भीड़ एकत्रित हो जाती है जिससे पुलिस प्रशासन को हालात सामान्य बनाने के लिए कई घंटों तक काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

मेरा निवेदन है कि वर्षों से चली आ रही उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए बाईपास (आर ओ बी) निर्माण के लिए सी.आर.एफ., नाबार्ड

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा))

एवं अन्य किसी योजना के तहत राशि स्वीकृत कराने की कृपा करें ताकि कस्बे के निवासी वर्षो से चली आ रही आवागमन की समस्या से निजात पा सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अभिषेकजी मटोरिया।

(13.00 बजे)

नोहर के चक राजासर में घटित हत्याकांड की निष्पक्ष एजेंसी से जांच

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत जिला हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में चक राजासर हत्याकांड की ओर ले जाना चाहूंगा जिसमें लगभग ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी हत्यारों का आज तक पुलिस विभाग द्वारा कोई सुराग नहीं लग पाया है।

21 जून, 2009 को मध्य रात्रि अज्ञात हमलावरों द्वारा एक ही परिवार के चार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक एवं उसका परिवार पेशे से बढ़ई का कार्य करता था, जिसकी न तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही किसी तरह का कोई विवाद। निहायत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले मृतक लालचन्द व उसके पूरे परिवार का कत्ल सामाजिक एवं सुरक्षा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु है। इस मामले में जांच हेतु बीकानेर सम्भाग स्तर के अधिकारियों तथा स्थानीय जिला अधिकारियों की भागीदारी होने के बावजूद आज तक इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो सका और हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं, जो कि औरों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं। इस घटना के एक माह बाद पुलिस ने मृतक के पड़ोसी को गिरफ्तार करके उसका नारको टैस्ट भी करवाया परन्तु उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत ना मिलने की वजह से माननीय न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया था।

महोदय, अब सवाल यहां यह उठता है कि जब मृतक का पड़ोसी अपराधी नहीं है तो उन चारों का हत्यारा कौन हो सकता है? यह एक खोज का विषय है जिसका इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल सका। इस सारे प्रकरण में इतना कुछ हो जाने के बावजूद जब हत्यारे बेनकाब नहीं हो रहे हैं तो लाजमी है कि पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में आती है। पिछले दो सप्ताह से नोहर उप खण्ड कार्यालय के समक्ष चक राजासर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है जिसको पूरे शहर व आसपास के ग्रामीणों एवं शहर के प्रमुख संगठनों का समर्थन हासिल है। अगर जल्द ही इस केस का निपटारा राज्य सरकार द्वारा त्वरित गति से नहीं किया गया तो आने वाले समय में धरना-प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस हत्याकांड की जांच जल्दी से जल्दी किसी उच्च स्तरीय निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जाये ताकि मृतक परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री जाकिर हुसैन गैसावत।

मकराना के गच्छीपुरा में उप तहसील कार्यालय खोला जाना

श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान मकराना विधान सभा क्षेत्र में स्थित गच्छीपुरा (राजस्व ग्राम इटावा बामणिया) में उप तहसील कार्यालय स्थापित करने हेतु कराना चाहूंगा।

मकराना का गच्छीपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय है। इस ग्राम पंचायत मुख्यालय से तहसील मकराना लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा इस पंचायत मुख्यालय के आसपास 17-18 ग्राम पंचायतें स्थित हैं जिनकी यह पंचायत केन्द्र बिन्दु है। उक्त सभी ग्राम पंचायतों के निवासियों को तहसील सम्बन्धी विभिन्न कार्यों हेतु मकराना आना-जाना पड़ता है जिससे मुख्यालय की ज्यादा दूरी होने से आम जनता को परेशानी होती है। इस बाबत कई वर्षों से क्षेत्र की जनता भी गच्छीपुरा में उप-तहसील खोले जाने की मांग कर रही है। उक्त ग्राम पंचायत गच्छीपुरा मुख्यालय की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर देखा जाये तो भी पूर्णतया उप-तहसील बनाये जाने हेतु उपयुक्त है।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से निवेदन है कि मकराना के गच्छीपुरा में उप-तहसील खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर अनुग्रहीत करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर गोपालजी जोशी।

बीकानेर(पश्चिम) विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष

(डा. गोपाल जोशी)

उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम में हर तरफ या तो कई वर्षों से बनी सड़कें टूट-फूट कर समाप्त हो चुकी हैं या जर्जर हो चुकी हैं। खास तौर से बीकानेर के भाग गंगाशहर व भीनाशहर में कई वर्षों से सड़कें बनी ही नहीं हैं, बड़े-बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। कई जगह तो वाहन तो वाहन, पैदल आदमी भी नहीं चल सकता। विशेष तौर से सुजानदेसर व चौपड़ा बाड़ी में विकट समस्या है। चौपड़ा बाड़ी में यू आई टी ने पट्टे जारी किये हुए हैं, फिर भी वहां सड़कों व नालियों का कोई भी कार्य व विकास नहीं करवा रहे हैं और न ही नगर निगम एक पैसा भी इस उपेक्षित क्षेत्र की तरफ लगा रहा है। इस क्षेत्र की स्थिति तो ''धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का'' जैसी हो रही है।

इसी तरह से बीकानेर शहर (पश्चिम) क्षेत्र के अन्दरूनी भाग में भी घनी आबादी क्षेत्र में सड़कों की हालत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, जर्जर, वाहन व पैदल चलने लायक भी नहीं है। शहर में यू आई टी तो बिलकुल कोई भी विकास का कार्य नहीं करना चाहती, यह कह करके कि यह हमारे क्षेत्र में नहीं है। नगर निगम, बीकानेर की तो बात ही नहीं करें तो अच्छा है। कोई भी नई सड़क, नालियां या अन्य विकास के कार्य नहीं कर रही है। यहां तक कि सफाई की जो दुर्दशा है, चारों तरफ सड़ांध, कचरे के ढेर, गंदगी से सड़कों पर चलना और भी दुर्लभ हो गया है। इसके अतिरिक्त मुरलीधर कालोनी, मुक्ताप्रसाद कालोनी जिसे यू आई टी ने विकसित किया है, उन्हें भी उपेक्षित कर उनका विकास नहीं हो रहा है।

अतः मेरा निवेदन है कि उपरोक्त क्षेत्रों का विकास करवाकर, कम से कम सड़कें बनवाकर तो, आमजन को सुविधा उपलब्ध करायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीया श्रीमती अनीता सिंहजी।

नगर कस्बे में कस्टोडियन भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के मामलों का निस्तारण

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

विधान सभा क्षेत्र नगर के नगरपालिका क्षेत्र, नगर कस्बे में कस्टोडियन भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी दिलाने के लिए कस्बा नगर

(श्रीमती अनीता सिंह)

स्थित आराजी खसरा नम्बर 1398/1.34 हैक्टेयर का आवेदन किया गया है व राज्य सरकार के नियमानुसार आराजी की खातेदारी के लिए विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न समाजों के सभी काश्तकारों ने भी आवेदन किया पर अफसोस है कि भ्रष्टाचार व धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। नगर के उप खण्ड अधिकारी आठ किलोमीटर दूरी पर ग्राम भैंसड़ावत (अलवर) के मूल निवासी हैं, जो स्थानीय होने के कारण राजनीति में भाग लेते हैं तथा जातीय भेदभाव करते हैं। न्यायालय में भी समुदाय विशेष के व्यक्तियों को बैठाकर चैम्बर से कार्य करते रहते हैं जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होते हैं। नगर क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए कैम्प लगाये गये पर कुछ लोगों के ही आवेदन लिये गये और उनमें से भी कम लोगों को खातेदारी देने के योग्य समझा गया।

उक्त आराजी खसरा नम्बर 1398/1.34 हैक्टेयर के लिए गोपाल गिर्राज प्रसाद ने फरवरी, 2011 में आवेदन किया और तभी से उक्त पत्रावली उप खण्ड अधिकारी, नगर के यहां लम्बित है। उक्त मामले में उप खण्ड अधिकारी ने अपने ड्राइवर के द्वारा दो लाख रुपये की मांग की व कहा कि अगर नहीं दिये तो उक्त मामले को उलझा दिया जायेगा तो। मैंने एस डी एम से बात की उसने ''ड्राइवर ने मजाक में कहा है'' कहकर माफी मांगी। पर उक्त मामले पर 12.02.2012 को जिला कलक्टर को एक पत्र लिखा जिसमें आबंटन सलाहकार समिति में ग्रामीण व शहरी क्षेत्राधिकार का हवाला देकर उन्होंने उलझा दिया। इससे पहले भी आबंटन सलाहकार समिति में सदस्य पूरे नहीं होने का हवाला दिया और जब आवश्यक सदस्यों का मनोनयन हो गया है पर नगर कस्बे के खातेदारी चाहने वाले सभी प्रार्थी हैरान और परेशान हैं। एस डी एम इस प्रकरण को जान-बूझकर उलझाना चाहते हैं क्योंकि राजस्व अधिनियम के नियमानुसार नियम 1970 के नियम 13 में आबंटन सलाहकार कमेटी उप खण्ड स्तरीय होती है जिसमें ग्रामीण व शहरी क्षेत्राधिकार का कोई हवाला नहीं है, पर कस्टोडियन भूमि की गैर खातेदारी को खातेदारी में दर्ज कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से राशि जमा कराने के नियमों में दी गई छूट का लाभ लेने के लिए कस्बा क्षेत्र के काश्तकारों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एस डी एम ने कलक्टर को और कलक्टर ने राजस्व सचिव को चिट्ठी लिख दी और जवाब नहीं आ रहा है।

कस्टोडियन भूमि के गैर खातेदारी मामलों को लेकर कस्बे सहित क्षेत्र के काश्तकार लम्बे समय से परेशान हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में छूट

(श्रीमती अनीता सिंह)

प्रदान करते हुए सभी उप खण्ड अधिकारियों को ऐसे मामलों का निस्तारण करने के लिए निर्देश दिये पर काश्तकारों को भ्रष्टाचार के चलते खातेदारी नहीं मिल पा रही है।

अतः सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इस प्रकरण की तुरन्त जांच कराकर निर्णय करें जिससे काश्तकारों को गैर खातेदारी से खातेदारी मिल सके व जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के दो लाख रुपये मांगे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री ओटारामजी देवासी।

सिरोही जिले में विधवा, विकलांगों एवं वृद्धावस्था पेंशन का समय पर भुगतान का अभाव

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले में विधवा महिलाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। इसके लिए लोग विभाग के चक्कर खाने को मजबूर हो रहे हैं। किसी की दो महीने की बकाया है, तो किसी को मिले पांच माह हो गये हैं। विधवा पुत्री विवाह योजना का तो हाल ही बुरा है। विभाग को लोगों द्वारा आवेदन किये हुए लगभग वर्ष भर होने को है लेकिन विभाग के द्वारा यही बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा बजट नहीं देने से योजना में लाभान्वित नहीं किया जा रहा है।

महोदय, समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में राज्य सरकार के बजट आबंटन नहीं करने से लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित करने की घोषणा तो करती है लेकिन उक्त योजनाओं का समय पर बजट आबंटन नहीं किया जाता है जिसके कारण लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ता है।

महोदय, सिरोही जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की मानिटरिंग कराते हुए सभी योजनाओं में आज दिनांक तक हुई मांग अनुसार राज्य सरकार से बजट आबंटन करवाते हुए लाभान्वित कराने के आदेश करवाकर सरकार की योजनाओं से लोगों को राहत प्रदान करायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर विश्वनाथजी मेघवाल।

छतरगढ़ राजस्व तहसील के ग्रामों की बारानी भूमि को डि-कालोनी घोषित कर खातेदारी अधिकार

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्व तहसील छतरगढ़ के ग्राम तख्तपुरा, भाड़सर, कृष्णनगर, रामनगर, लालावली, गौरीसर, घेघड़ा, लाखनसर, सतासर, लूणखां व कंकराला की बारानी भूमि आज भी खसरे नम्बरों के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्कीम से बाहर स्थित है। इन बारानी भूमियों पर उपनिवेशन नियम लागू होने से, बारानी क्षेत्र के अधिकांश कृषक अर्थात् सन् 1971 के आबंटी बतौर गैर-खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। इन कृषकों को 1970 के आबंटन नियमों के तहत बारानी भूमि का आबंटन सन 1971 में हुआ था। नियमानुसार आबंटन के 10 वर्ष पश्चात कृषकों को खातेदारी अधिकार मिलने चाहिये थे लेकिन सन 1974 से उपनिवेशन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आ जाने के कारण कृषकों को खातेदारी नहीं दी गई। उपनिवेशन नियमों के तहत खातेदारी अधिकार कीमतन दिये जाते हैं जबकि बारानी भूमि का आबंटन निःशुल्क किया गया था।

अतः मेरा निवेदन है कि उक्त ग्रामों की बारानी भूमि जो खसरों में स्थित है एवं आउट-आफ-स्कीम है, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना की भविष्य में सिंचाई की कोई स्कीम नहीं है, इन ग्रामों को डि-कालोनी घोषित करवाने का श्रम करें ताकि इस क्षेत्र के बारानी भूमिधारक गैर-खातेदारों को राजस्व नियमों के तहत खातेदारी हकूक मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री केसाराम चौधरी

राणावास ग्राम से रामसिंह गुढा मार्ग (मारवाड़ जंक्शन) पर नदी पर रपट

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम राणावास से रामसिंह गुढा जाने वाले मार्ग पर डामर की सड़क बने हुए करीब 25 वर्ष हो चुके हैं किन्तु राणावास के पास बहने वाली नदी पर रपट नहीं होने के कारण से रामसिंह गुढा जो पंचायत हैडक्वार्टर भी है, नियमों में पंचायत

(श्री केसाराम चौधरी)

हैडक्वार्टर को डामर से जोड़ने को प्राथमिकता दी गई है किन्तु नदी पर रपट का निर्माण नहीं होने से ग्राम पंचायत रामसिंह गुढा, केसरसिंह गुढा, ईशाली, जानुंदा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बरसात के अन्दर नदी में पानी आने की वजह से सम्पूर्ण मार्ग बंद हो जाता है जिससे लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़क सभी चार ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है किन्तु केवल इस रपट का निर्माण नहीं होने की वजह से उक्त सभी ग्राम पंचायतों का सम्पर्क टूट जाता है।

अत: मेरा निवेदन है कि उक्त रपट का निर्माण अतिशीघ्र करवाकर आम जनता को राहत दिलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: परची। श्री पेमाराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सीकर के माल्यावाली (अजीतगढ़) प्राथमिक विद्यालय में दूषित पंजीरी का वितरण

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय पर, महिला और बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर आकर्षित करना चाहता हूं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जो पंजीरी वितरित की जाती है, उस पंजीरी में भारी भ्रष्टाचार है। अभी पिछले दिनों हमारे जिले में 30 मई, 2011 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माल्यावाली-अजीतगढ़ में पंजीरी, दूषित पंजीरी खाने से जिस बच्ची की मौत हुई, उसी केन्द्र पर 7 अप्रैल 2012 को दोबारा उसी पंजीरी से..., चूंकि वह सवाल जब विधान सभा में आया, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि मैं सम्पूर्ण विषय की जांच करवाऊंगी, मैं उन अधिकारियों को ए पी ओ करूंगी, लेकिन आज भी वह अधिकारी वहीं पर मौजूद है, आज भी उन्हीं केन्द्रों पर वही दूषित पंजीरी, इसी राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग की जो लेबोरेटरी है, उसकी जो जांच रिपोर्ट है वह जांच रिपोर्ट उस पंजीरी को दूषित मानती है और इनका विभाग जो है, इनकी लेबोरेटरी जो है, वह अधिकारियों की मिलीभगत होने की वजह से अधिकारी यह कहते हैं कि पंजीरी ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 अप्रैल, 2012 को उसी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माल्यावाली-अजीतगढ़ में इन्होंने जो पंजीरी का पैकेट जेएएन 2012/डीआई-21/बीएस-एनएफएसटी-49

(श्री पेमाराम)

जो 26 जनवरी को इनके विभाग ने जारी किया था, विभाग कहता है कि फरवरी के महीने में इस बैच का हमारे पास समाप्त हो गया लेकिन वहां इस केन्द्र पर 6 अप्रैल, 2012 को वितरण किया गया और 7 अप्रैल, 2012 को जब वह पैकेट खोला गया तो उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, पंजीरी में मरा हुआ, हमारी भाषा में मरा हुआ भिषमरा और छिपकली, यह सारे के सारे राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सारे अखबारों ने उनकी सारी की सारी तस्वीरें छापीं। पंजीरी में बदबू आ रही थी और लोगों ने वह पंजीरी जब दी...

श्री उपाध्यक्ष: यह भिषमरा और छिपकली अलग-अलग होता है क्या?

श्री पेमाराम (धोद): हमारे वहां पर भिषमरा बोलते हैं जो जहरीला होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भिषमरा आपकी तरफ होता है, छिपकली हमारी तरफ होती है।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा, एक ही है।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महिला सहायता समूह के द्वारा बनने वाली पंजीरी ही खरीदी जायेगी लेकिन करोड़ों रुपये का घोटाला होने की वजह से, मैं पूरे राजस्थान का अनुभव नहीं, सीकर जिले अकेले में करोड़ों रुपये की पंजीरी आती है, अकेले इसी केन्द्र पर 2011 में बीस लाख रुपये की पंजीरी को नष्ट करना पड़ा। राजस्थान की जनता के खून-पसीने की कमाई का बीस लाख रुपया एक केन्द्र पर नष्ट करवाया गया। आज भी दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली रहे, वह मैं समझता हूं कि दूध की रखवाली करने के बजाय, आज भी वही अधिकारी वहीं के वहीं पर, वही जांच करते हैं।

यही नहीं, एक नमूना और बताऊंगा उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस होता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देकर के बताऊंगा। पंजीरी वितरण केन्द्र की जो दूरी है, इसी राजस्थान सरकार के पी डब्ल्यू डी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, दूरी नापने वाले विभाग ने प्रमाणित जो दूरी तय की है, वह 374 किलोमीटर और इन्होंने उन्हीं केन्द्रों के लिए एक हजार, ग्यारह सौ और एक साल में बारह सौ, बारह सौ किलोमीटर का भुगतान अधिकारियों ने मिलीभगत करके; यही नहीं किया, पिक-अप गाड़ी, जिस पिक-अप गाड़ी में दस क्विंटल से ऊपर माल नहीं जा सकता, उपाध्यक्ष महोदय, अस्सी-अस्सी क्विंटल, सौ-सौ क्विंटल, मैं समझता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी, ज्यादा लम्बी बात मत करो।

श्री पेमाराम (धोद): लम्बी बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पंजीरी खाने से एक बच्ची की मौत हो गई और कल्पना करो, यह छिपकली वाली पंजीरी दोबारा कोई बच्चा खा जाता। मेरा निवेदन है कि राजस्थान की सरकार के अधिकारी मिले हुए हैं, दूषित पंजीरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, आदेशों को इग्नोर करके भ्रष्टाचार करके घटिया किस्म की पंजीरी खरीदते हैं और जहां 374 किलोमीटर की दूरी होती है, वहां एक-एक हजार किलोमीटर का उसका माल ढुलाई का बिल भुगतान करते हैं। यही नहीं, जिस पिक-अप गाड़ी में दस क्विंटल माल आता है, वहां पर एक-एक ट्रक के हिसाब से सौ-सौ क्विंटल का बिल उठाया जाता है। भारी भ्रष्टाचार है।

इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, या तो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि मंत्री जब राजस्थान की विधान सभा में कह दें, मंत्री के आदेश को वहां कोई नहीं पूछे तो मैं यह कहना चाहूंगा कि या तो राजस्थान में सरकार के काबिना मंत्री की चलती नहीं है, जनता भगवान भरोसे है। तब तो आने वाले टाइम पर जनता इनको माफ नहीं करेगी, इनका तिया-पांचा करेगी। वरना मेरा निवेदन है कि अब भी सरकार में कहीं भी संवेदनशीलता है तो इस पंजीरी के सवाल को लेकर के, जो दूषित पंजीरी है और इसके परिवहन के सवाल को लेकर के भारी भ्रष्टाचार है। उस पर मंत्री ने जो सदन में कहा है, उन अधिकारियों को ए पी ओ करके कोई उच्च अधिकारियों से जांच करवाई जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें। धन्यवाद। श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जारी सहायता राशि के वितरण में कोताही

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से सदन की जानकारी में ऐसा विषय लाना चाहता हूं जिसमें सदन के सारे सदस्य सहमत होंगे। समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो असहाय हैं, ऐसी बहुत सारी विधवाएं जिन्हें सरकारी मदद की आवश्यकता रहती है, या ऐसे छात्र भी हैं, ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसी जातियां भी हैं जिन्हें सरकार के सहयोग की जरूरत हमेशा रहती है और सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि ये मदद के हकदार हैं, इनको सहायता मिलनी चाहिए और इसलिए विशेष योजनाएं बनाकर बहुत बड़ी राशि बजट प्रावधान के रूप में करती है। सदन के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बहुत सारे सदस्य बार-बार इस विषय को उठाते हैं कि असहाय व्यक्तियों को कोई-न-कोई सहारा सरकार दे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य की मंशा हो, सरकार की नीयत हो, उसके बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी की नीयत ठीक नहीं हो तो वह राशि समय पर उस बेसहारा और उस असहाय व्यक्ति को मिलती नहीं है। मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाईं लेकिन आपकी मंशा पूरी नहीं हो रही है क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी, उनके काम करने का जो तरीका है, वह इसमें रोड़ा बन रहा है और जो सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है, वह मिलने में अधिकारी, कर्मचारी बाधक बन रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितनी सारी योजनाएं, विधवा पुत्री के विवाह में सरकार अनुदान देती है; अनुसूचित जाति की लड़की हो या जनजाति की लड़की हो, उसके विवाह में सरकार अनुदान देती है; या बी पी एल परिवार की पुत्री हो उसकी शादी में भी सरकार की सहायता; विधवाओं के लिए पालनहार योजना; एक परिवार में दो विकलांग है तो आस्था कार्ड बनाकर उनको बहुत सारी योजनाएं, विकलांगों को रोजगार हेतु एकमुश्त अनुदान छात्रवृत्ति नवजीवन योजना बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा पैसा। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि सरकार यहां से पैसा जारी भी कर देती है, पाली कोषालय में वह पैसा आ भी जाता है लेकिन उसके बाद का तरीका देखें आप। पहले तो चैक बनने में लम्बा समय बीत जाता है, तीन महीने से ज्यादा समय उस असहाय के लिए चैक बनने में और उसके बाद अगर चैक बनकर आ जाता है तो उसको वितरित करने में भी तीन-तीन, चार-चार, छह-छह महीने लग जाते हैं। चैक बनकर तैयार पड़ा है लेकिन उस गरीब के पास पहुंचेगा नहीं वह क्योंकि उस अधिकारी, कर्मचारी की नीयत ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, एक परिवार में दो विकलांग, उसने आस्था कार्ड के लिए आवेदन किया, मात्र कार्ड बनाकर देना है। आप पाली का रिकार्ड उठाकर देखेंगे कि अगस्त महीने में जो आवेदन किए, आज लगभग 7-8 महीने हो गए, आस्था कार्ड बनाकर उस विकलांग परिवार को नहीं दिया। कैसे सहायता मिलेगी उसको?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है, यदि वाकई में सरकार चाहती है कि उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ उस गरीब असहाय व्यक्ति तक तत्काल पहुंचे तो इस सिस्टम को ठीक करने की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, बहुत सक्रिय भी हैं, इनके मन में काम करने की बहुत तमन्ना भी है और इनके आने के बाद विभाग कुछ सक्रिय भी हुआ है लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, इतना आपसे कहना चाहूंगा कि आपको बहुत कठोर कार्यवाही ऐसे निकम्मे अधिकारी और निकम्मे कर्मचारियों के विरुद्ध करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए आपके ऊपर। मैं आपसे यह भी आग्रह करुंगा कि एक बार आप पाली की जांच करवा दो, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कितने सारे चैक अवितरित किए हुए पड़े हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब, प्लीज, समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मैं आपको, माननीय मंत्री महोदय, जानकारी में ला दूं, 400 से ज्यादा चैक होंगे। इनको बने हुए तीन साल से ऊपर हो गए लेकिन उस असहाय विधवा के पास पहुंचे नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास पहुंचे नहीं हैं, तीन-तीन साल हो गए हैं। माननीय मंत्री महोदय, एक बार आप गहन जांच करवा लें मेहरबानी करके, एक बार गहन जांच करवा दें कि कितने चैक बने और उसमें से कितनों का पैसा उठा। अगर आपने यह जांच करवा दी तो सारा चित्र आपके सामने आ जाएगा; आपके अधिकारी, कर्मचारियों की जो कारगुजारियां है वे आपके सामने आ जाएंगी। एक बार मात्र आप जांच करवा लें कि चैक बने कितने हैं और कितनों के खातों में से वह पैसा उठ गया।

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज आप विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, बहुत गम्भीर विषय है, असहाय एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए है जिनको सरकारी मदद की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं पाली के बारे में। यदि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है तो वे तो गरीबों के पक्षधर हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का विभिन्न योजनाओं में लगभग 6 करोड़ 22 लाख रुपया व्यय हो रहा है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि आपने और पूरी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं रखी। मैं आपके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, उनकी पूरी बात सुनिए। मंत्रीजी, ये चाहते हैं कि जो कमियां हैं वे पूरी हो जाएं। ये तो आपसे संतुष्ट हैं, आप कर रहे हो उससे संतुष्ट हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपके विषय पर आ रहे हैं। पाली जिले 8 हजार 495 लोगों को लाभान्वित किया गया है। छात्रावासों के संचालन हेतु 104 करोड़ रुपया है, 908 विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं। उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां 216 लाख रुपए की दे रहे हैं, 979 विद्यार्थी उससे लाभान्वित हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार पीड़ितों को आर्थिक सहायता 31.87 लाख रुपए दी है, 220 व्यक्तियों को उसका लाभ मिला है। पालनहार योजना जिसका आपने जिक्र किया है, पाली जिले में 117.22 लाख रुपए व्यय कर 265 बच्चों को हमने सहायता उपलब्ध कराई है। सहयोग योजनाओं पर 23.95 लाख रुपए व्यय करके 225 कन्याओं को विवाह हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। नवजीवन योजना में, जो आपके पाली जिले में विशेष चल रही है और आपने पहले भी उसकी समस्या के बारे में जिक्र किया था और आपके ही विशेष प्रयास पर, वहां के हमारे लोकल जन-प्रतिनिधियों की मांग पर हमने करीब 21 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। सांसी जाति के बच्चों को वहां पर पढ़ने के लिए हमने पैसा दिया है और विशेष छूट देकर उनको अलग से यह राशि उपलब्ध कराई है। विभिन्न योजनाओं में यह सारा लाभ हम लोग दे रहे हैं। पालनहार योजना में पहले 2007-08 में पूरे प्रदेश में 18 हजार 14 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा था, अब यह हमारी सरकार में 2011-12 में 58 हजार लोग लाभान्वित हैं। आस्था कार्ड धारी पूरे राजस्थान में 7,831 हैं।

मैं आपकी जो शंका है और जो समस्या है, जो आपने बताई है, पाली जिले की स्पेशल जांच मैं करवा लूंगा और किसी भी लाभान्वित को समय पर भुगतान नहीं मिला, यह मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर इसमें किसी ने गैर जिम्मेदारी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे। हमारा मकसद, हमारी सरकार का मकसद है कि ऐसे असहाय पीड़ितों को, अशक्तों, नि:शक्तों को समाज कल्याण की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले और लोग लाभान्वित हों। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब तो ठीक है? ये यह कहते हैं कि चैक वगैरह पड़े रहते हैं तो उनको टाइम पर उपलब्ध करायें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, आपने जितनी भी योजनाओं में चैक जिस-जिस असहाय या विधवा को दिए हैं, उन चैकों का भुगतान बैंक से उठ गया है क्या? इसकी एक बार आप जांच करवा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सैकड़ों चैक उनको दिए ही नहीं गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इतना कुछ बोल दिया है। ओटारामजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में माननीय ज्ञानचन्द पारख साहब से आग्रह है, हम और आप दोनों साथ चलेंगे, सारी जांच करेंगे, सख्त कार्यवाही करेंगे। लोगों को पैसा पहुंचे, यह सुनिश्चित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, मंत्रीजी। ओटारामजी को कुछ कहना है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): चैक बने हैं पर पहुंचे नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें। ओटारामजी, बोलें। यह डिस्कसन का मामला नहीं है, स्पेशल कोई बात हो तो बतायें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मंत्रीजी, मैं भी इसी मामले में... नहीं, नहीं यही बात है। मैंने 295 में जो लगाया था, वह का वह मैटर है जो अभी ज्ञानजी भाई साहब ने लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो बात निकल गई। यह सिरोही वाला भी दिखा लें, माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल जी खराड़ी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपके जितने अधिकारी कर्मचारी हैं ना, आपको भी पता लग जाएगा...

श्री उपाध्यक्ष: केवल बाबूलाल जी खराड़ी। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उनको काम करना पड़ेगा और उनसे काम करवाएंगे और लोगों को लाभ दिलवाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूलाल खराड़ी।

कोटड़ा में साबरमती बांध के विस्थापित किसानों को मुआवजे की दर

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से पर्ची के माध्यम से एक गम्भीर विषय को ध्यान में लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी किसान के बेटे हैं, आज किसान को अन्नदाता कहते हैं और यह महत्वपूर्ण विषय है, हम चाहते हैं कि बरसात का पानी बरसता है और नदी-नालों से होकर के गुजरात चला जाता है, उसको रोकना चाहिए। इस विषय को हम भी बार-बार उठाते हैं, इस बात को कहते हैं। हम भी इसका स्वागत करते हैं कि आपने कोटड़ा में साबरमती बांध की स्वीकृति दी। 2002 में प्रशासनिक स्वीकृति निकली और यह स्वीकृति निकलने के बाद वन विभाग के कारण रोक लग गई, काम शुरू नहीं हुआ। वन विभाग की स्वीकृति अब मिलने के बाद इस बांध का काम अब शुरू हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है और चिन्ता का विषय भी है कि जिस बांध के अन्दर जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, तीन गांवों के लोग, बेकरियाबड़, क्यारा, सुलाव, और कुल परिवार हैं 219 । इतने परिवार विस्थापित हो रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, सरकार द्वारा...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सिंचाई मंत्रीजी, हेमारामजी आपसे सम्बन्धित हैं शायद मामला।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, सरकार द्वारा उन किसानों की भूमि अवाप्ति के नोटिस उस समय मिले थे और आज मुआवजा दे रहे हैं, वह कितना दे रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय जी, 2002 में उस जमीन की डी एल सी रेट थी 3,500, 5,200, 5,000, इस प्रकार की रेट्स थीं इन विभिन्न गांवों की...

श्री उपाध्यक्ष: शोर्ट में। मैटर अच्छा है आपका लेकिन शोर्ट में बोलें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): आज वे काश्तकार इस पक्ष में हैं कि बांध बने और बन करके किसानों को इसका लाभ मिले लेकिन आज उस जमीन की डी एल सी की रेट क्या है, 53 हजार रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, उन किसानों को आप तीन हजार, चार हजार, पांच हजार रुपये देंगे तो वह किसान कहां जाकर बसेगा? तीन हजार रुपये बीघा में कोई जमीन नहीं देता है। सारे के सारे किसान बरबाद हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरी आपके मार्फत मांग है कि या तो उन किसानों को जमीन के बदले जमीन दो; अगर जमीन

(श्री बाबूलाल खराडी)

के बदले जमीन नहीं है तो वर्तमान में जो डी एल सी की रेट है, उस आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों के कुएं हैं, मकान बने हुए हैं, 219 परिवारों में से केवल मात्र दस या बारह मकानों का मुआवजा दे रहे हैं। बाकी किसानों के मकान नहीं हैं क्या? दूसरा विषय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों के कुएं हैं, कुओं की रेट क्या है, आठ हजार-सात हजार। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सात-आठ हजार रुपये में खड्डा नहीं खुदता है तो उसका कुआ खुदा होगा क्या?

तो मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार, और मंत्री महोदय जी भी किसान के बेटे हैं और मैं समझता हूं कि अब वे जवाब भी देंगे लेकिन उन किसानों के हित में अच्छा फैसला हो, उनको ठीक प्रकार से मुआवजा मिले और मुआवजा भी दो तो आप जो शहरी क्षेत्र का मुआवजा मिलता है, उस हिसाब से मुआवजा दो। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए निश्चित रूप से जवाब दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजें। माननीय मंत्रीजी, इनका कहना यह है कि या तो मुआवजा आज की रेट में दें, उनको ब्याज दें। इंटरेस्ट होता है न, वे रूल्स हैं, उसको आप दिखा लें थोड़ा सा। किसानों का गरीब इलाका भी वह ऐसा ही है और मकान जो हैं, सस्ते में कहीं चरागाह में भी बने तो किसान को रहने का अधिकार है, टीनेंसी एक्ट में है। एक्ट का अधिकार है यह तो।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय जो डी एल सी की रेट है वह ही मुआवजे का आधार होती है। अब सेक्शन-4 का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, आज की डी एल सी की रेट अलग है लेकिन सैक्शन-4 का नोटिफिकेशन आज से साल-डेढ़ साल पहले हो गया है तो उस समय की डी एल सी रेट आधार होती है मुआवजे की। बाकी आपने कुओं की और वह दूसरी बात कही है, तो वह तो लैंड एक्वीजिशन आफिसर है उसके देखने का काम है। अगर इस तरह की बात आप मुझे बतायें तो मैं लैंड एक्वीजिशन आफिसर को कह दूंगा कि कुएं हैं, दूसरी चीजें हैं, जितना मैक्सिमम उनके नियमों के अन्तर्गत लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत दे सकते हैं, उसके लिए मैं कह सकता हूं। परन्तु एक एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत ही मुआवजा दिया जा सकता है। अलग से कोई इस तरह का है नहीं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप मेरी बात सुनिये। माननीय मंत्रीजी, इनका यह कहना है कि उस तारीख से आप दे रहे हो, तो पैसा आता तो इनको ब्याज मिलता। जो भी आप देख लें। मैं अब आपको ये पर्ची की...

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। एक ही सवाल पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, अब यह डिस्कशन का मामला नहीं है। इतना बोल दिया, ये दिखायेंगे, अधिकारी भी देखेंगे।

माननीय शंकर सिंहजी, आप विराजिये। आप मेरी बात सुनिये। ये ऐसे तीन-चार पर्ची नहीं दें, एक पर्ची दें। तीन देने से आपको कोई इजाजत देगा नहीं। आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं, पहले वह बोलें। उसके बाद में दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें। एक मुद्दे पर, तीन दे रखे हैं आपने। ये तीन का मतलब निरस्त।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक ही मुद्दा होगा।

श्री उपाध्यक्ष: एक पर। कौनसे पर बोलेंगे? किस पर?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): खाद्य आपूर्ति के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये, दो मिनट में समाप्त करें।

सूचना

ब्यावर में अधिकारियों का पुतला-दहन

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने सदन को इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि राशन वितरण के अन्दर आज पूरे अजमेर जिले में, ब्यावर क्षेत्र में अधिकारियों के पुतले फुंक रहे हैं। मंत्रियों के पुतले तो पहले फुंक रहे थे लेकिन अभी अधिकारियों के पुतले फुंक रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं फूंक रहे हैं। अभी इस काम को कांग्रेस के पदाधिकारी लोगों ने चालू कर दिया। इस बात की मैं सूचना देना चाह रहा हूं कि ब्यावर में डी एस ओ और प्रवर्तन निरीक्षक के पूरे पुतले जलाये जा रहे हैं। कल से यह घटनाक्रम चल रहा है। बहुत संगीन मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये ब्यावर विधान सभा क्षेत्र कांग्रेस कमेटी के, लोक सभा क्षेत्र राजसमन्द के पदाधिकारी के द्वारा यह सारा घटनाक्रम हो रहा है। इसके द्वारा पहले मुख्य मंत्रीजी के पुतले फूंके गये और फिर इन अधिकारियों के पुतले

(श्री शंकर सिंह)

फूंके जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी पुतले इस बात के लिए फूंके जा रहे हैं कि वहां पर जो राशन की कालाबाजारी हो रही है, उन ट्रकों को पकड़ा गया है इन अधिकारियों के द्वारा और फिर उनको वापस बेचा जा रहा है बाजार में।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इस बात को रोके जाने के लिए मेरा आपसे निवेदन है और ऐसे भ्रष्ट जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई लगाम लगाने की कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आपने सूचना दे दी। माननीय श्री भवानी सिंह राजावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, कृपया सूचना का उत्तर दिलावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भवानी सिंह राजावत।

कोटा में पुलिस को धमकाने की घटना

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक गम्भीर मामले की ओर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो कोटा शहर से जुड़ा हुआ है। कोटा शहर में पिछले कई वर्षों से स्मैक का व्यवसाय बहुत तेज गति से चल रहा है और स्मैक के सेवन से सैकड़ों लोग अब तक मौत के शिकार हो चुके हैं। लेकिन एक गम्भीर मामला जो अभी 7 अप्रैल को हुआ, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय जो यहां पर बैठे हैं सरकार के, मैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

7 तारीख को पुलिस एक महिला को जो स्मैक बेच रही थी, उसको लेकर मकबरा थाना आयी लेकिन उस महिला के आते ही कांग्रेस के पांच कार्यकर्ता थाने पहुंचे। थाने में पहुंचकर थानेदार से कहा कि हम तुम्हें जिन्दा जला देंगे, हम इस थाने में आग लगा देंगे, तुम इस महिला को हमारी इजाजत के बिना लेकर कैसे आये। और यहां तक कहां माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये रोजनामचे की कापी मेरे पास है जिसमें आदरणीय माननीय मंत्री +++ का नाम अंकित है। पांचों उपरोक्त व्यक्तियों ने आवेश में गंदी-गंदी गालियां देते हुए कहा कि...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भवानी सिंह जी, नाम सहित नहीं। यह देखो, फोर्मल नाम से नहीं। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रोजनामचे को पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपा करके मामले को बताइये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मंत्री महोदय का नाम इंगित करते हुए +++ हमारा खास मंत्री है; कोटा में हम जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं; हमारी बात एस.पी. साहब भी मानते हैं, तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है...

श्री उपाध्यक्ष: ये नाम तो डिलीट कर दें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आदरणीय मंत्री महोदय, +++ से भी इतना निवेदन है कि आपके नाम का दुरुपयोग करके कोई स्मैक का धन्धा करे, स्मैक का व्यवसाय करे, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अगर आप स्मैक पर रोक लगाना चाहते हैं तो इस तरह के आपके कार्यकर्ता हैं, उनकी नाक में आप नकेल डालें और इस तरह जाकर कोई थाने में धमकाता है, आग लगाने की बात कहता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। ये अच्छा संदेश जाएगा, यह मैं निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजें आप।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्लिप भेजी थी।

श्री उपाध्यक्ष: अब स्लिप तो आयी है, बहुत सी स्लिपें आती हैं। यह आपका सदन है, आप कोई...

सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती, माननीय सदस्या के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मेरी स्लिप है। आप ऐसे क्या बात कर रहे हो? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

मैं सुबह सवा नौ-साढ़े नौ बजे यहां पर पर्ची डालने के लिए रोज आती हूं। मैं जैसे ही रवाना हुई बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे और पुलिस वालों ने मेरे को पूछा कि यहां सूर्यकान्ता जी रहती हैं; हां, बोलो। वे बोले कि हम थाने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

से आये हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है। तो मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर के वे आये, पन्ना था उनके हाथ में।

तो मैंने ऐसा क्या गुनाह किया वे सीधे गिरफ्तारी वारंट ही लेकर आ गये? मेरी समझ में नहीं आया। मेरे को कुछ सूचना तो मिलनी चाहिए कि मैंने यह कोई गलती की या मैंने कोई गलत काम किया या कुछ भी किया हो पहले कुछ मिलना तो चाहिये। सीधे ही गिरफ्तारी वारंट लेकर आ गये और कहते हैं कि थाने चलो। यह क्या बात हो गई? साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा? सारे मंत्री यहां बैठे हैं, यह बहुत सोचने का विषय है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): जीजी, हमारा भी आया हुआ है। (व्यवधान) हमारा भी गिरफ्तारी वारंट निकाल रखा है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ...(व्यवधान) गिरफ्तारी वारंट किसको कहते हैं?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाड़पुरा): ...(व्यवधान) सम्माननीय विधायक को इस तरह गिरफ्तार करने की बात करो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप इनको बात नहीं रखने दोगे? जब माननीय सदस्या बोल रही हैं तो कृपया करके इनको डिस्टर्ब नहीं करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को फोन करते, मेरे को पूछ कर आते। ऐसे कैसे वे आ गये? और मेरे को इतना बेवकूफ समझते हैं वे कि मेरे को कहते हैं कि थाने चलो। इसमें मेरा कुछ नहीं हुआ है, यह पूरे सदन का सवाल है। चाहे पक्ष वाले हों, चाहे विपक्ष वाले हों, यह सबके लिये सोचने का विषय है। मैंने उनको कहा कि वारंट की फोटो-स्टेट दो, वह उन्होंने मुझे दी नहीं। मैंने उनसे उनका पट्टा नंबर देने को कहा तो वह भी उन्होंने दिया नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप पता कराइए, वे कौन व्यक्ति थे, गिरफ्तारी वारंट कहां से लाये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें, यह विशेषाधिकार हनन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: विशेषाधिकार समिति बनी हुई है। ऐसी बात नहीं है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जायें। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बाहर निकलूं और वे मुझे अभी गिरफ्तार कर लें, सीधा ही गिरफ्तारी वारंट।

उपाध्यक्ष महोदय, सामने मंत्रीजी विराजमान हैं, कहां गये गृह मंत्रीजी? आप इसका पता करें, जानकारी करें और सारे सदन को इसकी जानकारी दें। मेरे को मत दो भले ही, सारे सदन को जानकारी दो। यह सारे सदन के लिये सवाल है, खाली मेरे अकेले के लिये नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अभी गृह मंत्रीजी को आने दो। आप विराजिए। (व्यवधान) आप कृपा करके विराजिए। अभी गृह मंत्रीजी आयेंगे, आपने सदन को सूचना दे दी, सरकार ने देख ली। माननीय तिवाड़ी जी, प्रत्येक सदस्य के सम्मान की रक्षा की जाय, यह सदन का और सबका दायित्व बनता है और सरकार का भी बनता है। आपने अपनी बात कह दी, निश्चित तौर पर सरकार के ध्यान में आ गई। सरकार की तरफ से बात बन जायेगी, कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय तिवाड़ी जी, अब बात यही है, उन्होंने सूचना दे दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, महिला माननीय सदस्या हैं, उनका कोई ऐसा अपराध भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है और सदन चल रहा है। उस समय घर पर जाकर कोई ऐसी बात कहता है तो सरकार को काग्निजेंस लेना चाहिये और बताना भी चाहिये कि क्या बात है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दिखवा लेंगे। दिखवा लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: दिखवा लेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड, सदस्य, विधान सभा, तीन याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

शेरगढ़ पंचायत समिति में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र का खोला जाना

(1) बजट भाषण 2012-13 में की गई घोषणानुसार पंचायत समिति शेरगढ़ में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत।

बालेसर पंचायत समिति में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र का खोला जाना

(2) बजट भाषण घोषणानुसार पंचायत समिति बालेसर में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने बाबत।

शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

(3) बजट भाषण 2012-13 में की गई घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य नहीं बोल रहे हैं। इसमें हमने तय किया कि यह बिल आवश्यक है और आज पेयजल पर बहस भी है। इसलिए हम इसको बिना बहस के पारित करने के लिये तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2 से 8 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

डा. जितेन्द्र सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना को विचार एवं मतदान हेतु प्रस्ताव करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना की प्रस्तुति

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31

(डा. जितेन्द्र सिंह)

मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,86,62,61,000/- (तीस अरब छियासी करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी, जल संसाधन मंत्री अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

मांग संख्या-46 सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,33,28,90,000/- (तेईस अरब तैंतीस करोड़ अट्ठाइस लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रभुलाल सैनी।

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर चर्चा हो रही है। मैं भी इसमें अपने आप को समाहित करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह शाश्वत सत्य है पानी प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है और इस उपहार का उपहास न हो, ऐसा हम सबको मिलकर करना चाहिये। इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के सम्पूर्ण परिदृश्य को हम देखें तो राजस्थान में देश का मात्र 1.10 प्रतिशत हिस्सा सरफेस वाटर है, 1.16 प्रतिशत ग्राउंड वाटर हमारे प्रदेश में है। यदि हम और आगे इसकी बात करें और पूरे देश में राजस्थान की जनसंख्या को देखें तो लगभग 5 प्रतिशत है और 18

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्रतिशत इस देश का पशुधन राजस्थान में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगा, इस उपलब्ध पानी का 90 प्रतिशत पानी सिंचाई और इंडस्ट्री में खर्च होता है, रहा 10 प्रतिशत पानी, वह प्रदेश की जनता के पेयजल के लिये काम में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कितना बजट है, कितना प्रस्ताव है, कितना खर्च करेंगे, कितनी योजनाएं लायेंगे, ये सारी चर्चा हम लोगों ने बजट में देखी है और मैं समझता हूं कि आंकडों की बात करने से अच्छा होगा कि हम धरातल पर बात करें। आज हमें दो बिन्दुओं पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास जो पानी है, उसका संग्रहण किस प्रकार से किया जाये और जो पानी है उसका प्रबंधन किस प्रकार से ठीक किया जाये ताकि राजस्थान के आम नागरिकों को, मवेशियों को और प्रकृति द्वारा दिये गये उन सभी जीवधारियों को पानी का उपयुक्त लाभ मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा हर्ष है कि आज ऐसे महापुरुष ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती है जिन्होंने पानी के बारे, किसान के बारे में, गांव के बारे में जो शब्द आज से 150 वर्ष पूर्व कहे मैं उन शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि असली भारत देहात और गांव में बसता है, सबको समान रूप से स्वच्छ पानी मिले तथा खेती के काम आने वाले पानी का उचित प्रबंधन हो जिससे कम पानी से अधिक अन्न पैदा कर सकें, यह बात 150 वर्ष पहले उन्होंने कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि पानी किसी फैक्टरी में नहीं बनता है, यह प्रकृति का दिया हुआ पानी है और इसको किस प्रकार हम खर्च करें, इसके बारे में उन्होंने कहा है।

एक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन जो इस देश के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहा है, 'पर-ड्रोप-मोर-क्रोप' वाले सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। राजस्थान में टास्क फोर्स बना, उस वक्त हमारी सरकार थी, उस वक्त यह तय किया था कि एक-एक बूंद पानी किस प्रकार से कृषि में यूज किया जाए और उससे खाद्यान्न उत्पादन कैसे ज्यादा बढ़े, इसके बारे में भी उन्होंने इस प्रकार अपने शब्दों में कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, आपके 237 ब्लाक्स हैं, 7 और बढ़ गये लेकिन आप देखें, 2/3 ब्लाक्स में आज पूरे प्रदेश में डार्क जोन घोषित हो चुका है क्योंकि वहां पीने के लिए पानी नहीं है। अगर पानी है तो हाइली फ्लोराइडयुक्त है जो 12 पी पी एम से ज्यादा बढ़ गया है। कई जगह टी डी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

एस, कई जगह नाइट्रेट और कई जगह लावण्यता की वजह से पानी शुद्ध नहीं मिल पा रहा। यह हम सबके लिए, सदन के लिए चिंता का विषय है।

मैं कांस्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, ''Right to clean water is an essential attribute to right to life under Article 21 of the Constitution." भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में यह कहा है कि प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल सरकार उपलब्ध कराएगी, यह उसका नैतिक दायित्व है। कोई भी सरकार अगर पानी पिलाती है, योजना स्वीकृत करती है, यह कोई दया नहीं करती है; यह हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्मानीय उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो या लोअर कोर्ट हो, सब कोर्टों ने इसकी चिंता की है और एक केस के बारे में, कलकत्ता का एक केस है जिसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा ''Alkoya Thangal V/s Union of India 1990 KLT 850..'' लिखा है ''Justice Shankar Nayar observed that the right of the sweet water and the right of pollution free air are the attribute of the right to life, for these are the basic elements to sustain life." उपाध्यक्ष महोदय, फिर उन्होंने आगे कहा ''...air and water, the most precious gifts of the nature, are very essential not only to man-kind but to the flora and fauna also." उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस केस में अभी यह निर्धारित किया है....

श्री उपाध्यक्ष: अनिता जी, हम दोनों के बीच में होकर क्यों निकल रही हैं? आप उधर होकर निकलिए। हां, बोलें आप प्लीज।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानीय न्यायालय ने इसमें यह निर्धारित किया है कि हवा और पानी प्रकृति के दिये हुए उपहार हैं लेकिन यह सबके लिए हैं, फ्लोरा यानी वनस्पति, इसमें सारे वनस्पति, सारे पेड़-पौधे, फसलें, फ्रूट्स, एवरीथिंग इसमें सम्मिलित है। दूसरा उन्होंने कहा ''..fauna means members as reptile, crocodile, tortoise, fish, birds everything." यानी जलचर, नभचर और उभयचर, इन श्रेणी में आने वाले सब लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, यह संवैधानिक व्यवस्था माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके कर्म क्षेत्र उनियारा, देवली, टोंक क्षेत्र की ओर।

श्री उपाध्यक्ष: झालावाड़ में भी रहा हूं। मैं झालावाड़ में भी रहा हूं मेरा कर्म क्षेत्र वह भी है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा जन्म क्षेत्र है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बतायें राजस्थान की, बहुत अच्छा है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा 12-13 के पैरा संख्या 36, इसमें घोषणा की है निम्न पेयजल परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 3,796 करोड़ रुपये है, के कार्य समयबद्ध योजनानुसार आगामी वर्ष में प्रारम्भ कर अगले तीन वर्षों में पूर्ण किए जाएंगे..., यह आपकी घोषणा अभी हाल ही बजट में की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें कहा गया, क्रम संख्या 20 पर अंकित कार्य टोंक, उनियारा एवं टोंक जिले के 436 गांवों को लाभान्वित करने हेतु बीसलपुर, टोंक, उनियारा पेयजल योजना 320 करोड़ रुपये की गई। मेरा आपसे निवेदन है, यही घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट सत्र 2009-10, यानी आज से तीन साल पहले अपनी बजट घोषणा में यह कहा पैरा संख्या 47, कि जिन नई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया जाना है, उनमें टोंक, उनियारा, देवली, बीसलपुर, जोधपुर शामिल हैं। मैं ताली बजाने की बात कर रहा हूं, अभी आप भी बजाएंगे। यह 2009-10 में है। हम लोगों ने तीन साल में कहीं विधान सभा प्रश्नों के माध्यम से, रिट याचिका के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री उपाध्यक्ष: आप मेरे कर्म क्षेत्र देवली, उनियारा में क्यों दखलअंदाजी कर रहे हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा जन्म क्षेत्र है, इसलिए कर रहा हूं। पानी मुझे मिलेगा आपको नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा मुझे यह ध्यान नहीं था, जकिया जी को पता है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हां, उनको मिलेगा। इसलिए मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय आपकी तरफ से इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और किसान हैं, कहीं ऐसा न हो कि 2009-10 की घोषणा की तरह यह भी हो जाए। इसमें कब कार्य प्रारम्भ होगा, कब यह कार्य चालू हो जाएगा, तीन साल के बाद हो सकता है, आप भी नहीं रहोगे, रहोगे, अलग बात है।

इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बजट घोषणा 2006-07 की ओर। उपाध्यक्ष महोदय, पैरा संख्या 21 में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने घोषणा की थी, बीसलपुर बांध से टोंक जिले के 427

(श्री प्रभुलाल सैनी)

गांवों तथा 2 कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अगले वर्ष 85 करोड़ की लागत की परियोजना और निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाएगा। यह हमारी सरकार की योजना थी, हम लोगों ने बजट में घोषणा की थी। और यही नहीं, हम लोगों ने 1 फरवरी, 2007 को इस कार्य की संशोधित स्वीकृति, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति 247 करोड़ रुपये की जारी की थी। उसके बाद 2008 में हमारी सरकार के वक्त में 100 करोड़ के टेंडर आमंत्रित हुए। टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी कि आपकी सरकार आ गई, आपकी सरकार ने आते ही कहा कि इसको हम हाथ में लेंगे। तीन साल तक हमारी उस योजना को आपकी सरकार ने इसलिए चालू नहीं किया क्योंकि वह हमारी योजना थी। अब आपके तीन साल निकल गये, आपने सोचा, इसका क्रेडिट लेना चाहिये, सैंक्शन- शुदा है, जल्दी करना चाहिये।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इस योजना में जितनी भी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति हुई, उसके बाद भी आपने क्या कहा, आपने कहा कि हम वित्तीय संसाधनों के अभाव में नहीं कर पा रहे, एक प्रश्न के जवाब में यह आया। एक तारांकित प्रश्न के जवाब में आता है कि पानी का अभी निर्धारण नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं कर रहे। तीसरे प्रश्न के जवाब में आपकी सरकार ने ही कहा कि ऐन्यूटी बेस पर इस कार्य को प्राथमिकता से कराया जाएगा और रिट याचिका के माध्यम से आपका क्या जवाब आया कि हम इसकी वित्तीय व्यवस्था शीघ्र करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक स्टैंड होना चाहिए, किसी भी कार्य को गम्भीरता से लेना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, गम्भीरता इसलिए होनी चाहिये कि नीति निर्धारण समिति ने 17.9.2005 को इस योजना हेतु 85 करोड़ की स्वीकृत की और यही योजना नीति निर्धारण समिति के द्वारा 1.2.2007 को 247 करोड़ की स्वीकृत की गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी क्यों जरूरी है, टोंक, उनियारा, देवली की स्कीम क्यों चालू हो जानी चाहिये थी, यह माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी राजे ने उस वक्त इसलिए क्योंकि सी पी एच ई ई ओ, सेंट्रल पब्लिक हैल्थ एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आर्गेनाइजेशन, यह दिल्ली की एक संस्था है और इस संस्था ने कहा है, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पी पी एम होनी चाहिये फ्लोराइड की; उन्होंने कहा, टी डी एस की मात्रा 1,500 पी पी एम होनी चाहिये। ये निर्धारत मापदण्ड है शुद्ध पेयजल के, जो कांस्टिट्यूशनल हमारे राइट्स हैं, उनके आधार पर हमको

(श्री प्रभुलाल सैनी)

उपलब्ध होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, देवली, उनियारा में, आप देखेंगे, फ्लोराइड के 185 गांव हैं। पूरे टोंक में, उनियारा, देवली, बीसलपुर और टोंक

(14.00 बजे)

में 185 गांवों में, जिसमें फ्लोराइड की मात्रा 1.5 पी.पी.एम. के बजाय 12 पी.पी.एम. तक का पानी वे पी रहे हैं। यानी 65 वर्षों के बाद भी यदि हम कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 पर भी ध्यान नहीं दें और 12 पी.पी.एम. का पानी, उपाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात तो यह है कि वहां आदमी जवान होता ही नहीं है। उन गांवों में, बचपन में ही पैदा हो जाता है और पैदा होते ही बुढ्ढा हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें वे गांव भी हैं क्या, आवां भी?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): आवां फ्लोराइड में नहीं है। मैं आगे आ रहा हूं, वह भी बता दूंगा अभी आपको।

तो मेरा आपसे निवेदन है, जहां टी.डी.एस. की मात्रा 1,500 पी.पी.एम. होनी चाहिए, मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, टोटल डिजोल्व्ड साल्ट्स की मात्रा जहां पर 1500 होनी चाहिए थी, वहां पहुंच गयी 14 हजार पी.पी.एम.। उपाध्यक्ष महोदय, जहां के लोग 65 वर्षों के बाद भी इतना दूषित पानी पीते होते होंगे, मैं समझता हूं कि सरकार को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने जो घोषणा 320 करोड़ की इस बजट में की है, उसके लिये तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने उसी चीज को नई करके दे दी लेकिन काम कब शुरू करेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कब टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसको चालू करेंगे, जवाब में यह भी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन मैं आपसे इसमें करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में पानी की जो स्थिति है, वह पानी बढ़ाया नहीं जा सकता, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो उसके तरीके हैं। एन.डी.ए. सरकार के वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने 2002 में, एक फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर, 2002 को यह दिया था कि नदी से जोड़ने वाली योजना को तत्काल चालू किया जावे और उसके अन्तर्गत एन.डी.ए. की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयीजी के वक्त में 5 लाख 60 हजार करोड़ की योजना बनी और उस योजना के अन्तर्गत 2016 तक इन नदियों को नदियों से जोड़ना था। क्योंकि यह विषय, इसलिये नदियों की मैं बात कर रहा हूं

(श्री प्रभुलाल सैनी)

क्योंकि सारा जो जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये जो सारे हैं, इनमें जब तक पानी का आप संग्रहण नहीं करेंगे, पानी को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक, मैं समझता हूं, 2021 तक की व्यवस्था तो आप लोगों ने बीसलपुर बांध से जयपुर के लिये, अजमेर के लिये और कई गांवों के लिये, टोंक जिले के लिये आपने की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर बांध जो है, उसकी पानी की भराव क्षमता 36 टी.एम.सी. की है। 36 में से 8 टी.एम.सी. पानी इर्रिगेशन के लिये रिजर्व है; 16.2, यानी 5 टी.एम.सी. पानी अजमेर के लिये रिजर्व है, 11.2 टी.एम.सी. पानी आपके जयपुर के लिये और आसपास के लिये रिजर्व है। अब 8 टी.एम.सी. पानी जो बचता है, वह डैड स्टोरेज के लिये, एक प्रतिबंधित पानी है, उसको किसी को नहीं दिया जा सकता। जब आपके पानी का आरक्षण हो रखा है 2021 तक, फिर आप नागौर की बात करते हो, नागौर में लेकर जाएंगे; जयपुर में सैकड़ों बस्तियां ऐसी बस गयीं जहां पानी लेकर जाएंगे। आपके पास पानी की उपलब्धता तो तब होगी, राजस्थान की सरकार के द्वारा काली सिंध, पार्वती और चम्बल नदियों को जोड़ने की एक योजना 2004 में तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुंधराजी के वक्त में हम लोगों ने शुरू की थी, और उस योजना में हम लोगों ने यह तय किया था कि अधिशेष जो पानी है चम्बल, काली सिंध और पार्वती का, उस एक्सेस पानी को बनास नदी के बेसिन में डाल दिया जाए।

हमारे यहां के जो, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, उसके बारे में जो नेशनल वाटर डवलपमेंट अथोरिटी है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, उसके द्वारा भी इसको एग्जामिन किया गया था, उसके द्वारा एम.ओ.यू. भी तैयार करवाये गये थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अन्दर। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में उसी प्रकार यमुना नदी, राजस्थान पार्वती नदी, साबरमती लिंक परियोजना, इन नदियों को जोड़कर राजस्थान में जो पानी की कमी आने वाली है, उसमें हम कैसे अपने पानी को डाइवर्ट करें, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने, एक सबसे अच्छा, जबरदस्त फैसला यह आया है, नर्बदा बचाओ आन्दोलन वर्सेज यूनियन आफ इंडिया, 2000, सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया, ''Right to water is fundamental right under Article 21 of the Constitution. The court further observed that water is the basic need for the survival of human beings and is part of the right to life and human right as enshrined in Article 21 of the Constitution and can be served only by providing sources of water where there is

(श्री प्रभुलाल सैनी)

none.'' यानी जहां कोई भी सोर्स नहीं है पानी का, वहां करने के लिये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिये गये हैं कि आप इन नदियों के, जहां सोर्स उपलब्ध नहीं हैं, उन सोर्स को ऐसे स्थान पर लाकर डालें जिससे कि आम-अवाम को, प्रकृति को, पशुओं को, सबको वह पानी मिल सके, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

इसलिये मैं मेरी तरफ से यह सुझाव देना चाहूंगा। तत्कालीन सचिव डी.सी. सामन्त साहब के टाइम में एक लैटर लिखा था भारत सरकार को और भारत सरकार के सेक्रेटरी ने जो राजस्थान सरकार को एक एम.ओ.यू. के साथ में पत्र भेजा था 2004 में, उस पत्र के माध्यम से यह बताया था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर कितना पानी कहां से आयेगा और वह कैसे मिलेगा, सी.एस. को लैटर लिखा था। उसके बारे में हमारी सरकार ने भी यहां से बनाकर उसको भेजा था। उस पत्र में जो अंतिम पैरा लिखा है, उस पैरे से मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ''The Rajasthan Govt. is of the view that irrigation in the project should be limited to en-route areas and structures should not be allowed in the upper reaches of the Chambal River. Additional water may be diverted to Banas basin by extending the link upto Banas/Banganga and share of the Rajasthan in the water proposed to be utilized through inter linking may be increased to 45-50%. water.'' यानी इसमें कहा है हमारी राजस्थान सरकार ने, हमारी सरकार ने डिसाइड किया, उनके साथ बैठकर बात हुई है कि 45 से 50 प्रतिशत पानी जो ओवर-फ्लो होकर आता है, उसको बनास नदी में डाल दिया जाए। यदि बनास नदी में यह पानी डलता है तो निश्चित रूप से आगामी वर्षों में जो पानी का संकट, पानी का जो युद्ध होने वाला है, जो दूषित पानी हमको पीने को मजबूर होना पड़ रहा है, वह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय को भी गम्भीरता से लें और देश में जो टास्क फोर्स बनी है, राजस्थान में भी टास्क फोर्स जल्दी ही बने, मंत्रीजी से मेरा आग्रह है और इस पर कार्यवाही हो जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिल पायेगा, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रभुलालजी, एक बात बता सकते हैं क्या?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): क्या?

श्री उपाध्यक्ष: चम्बल का वेस्ट पानी जाता है। कितना पानी निकलता है सवाई माधोपुर होकर?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): देखिये, आपके पत्रों में 45-50 प्रतिशत पानी है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैं नाप की बात करता हूं। गांधी सागर की भराव क्षमता 6.4 मिलियन एकड़ फीट है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल सरकार के आंकड़े...

श्री उपाध्यक्ष: सुनिये आप, अब 6.25, और सवाई माधोपुर के सामने से निकलता है उससे जस्ट डबल। उसका किया जाए। तो क्या आप इसको सजेस्ट करेंगे? माननीय मंत्रीजी सुन रहे हैं। वहां से उस पानी को भी जयपुर यूज किया जा सकता है और नागौर वह पानी आ सकता है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं उसी पर आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आपने 'जल ही जीवन' बताया, आपने 'जल ही जीवन' बताया, इसलिये अर्ज कर रहा था। बोलिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अच्छा सुझाव दिया, ज्ञानवर्द्धन भी किया। निश्चित रूप से मैं इस पर अब आना चाहूंगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि इसके लिये इसरदा परियोजना जो सवाई माधोपुर और टोंक जिले की सीमा पर बनी थी, 36 करोड़ की हमारे वक्त में।

श्री उपाध्यक्ष: वह पहले ही बन गयी थी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): काफर डैम बनाया हम लोगों ने। उस योजना में निश्चित रूप से सी.वी.सी., केन्द्रीय जल आयोग में सन् 2000 में स्वीकृत हाइड्रोलाजी के अनुसार इसकी 10.77, यानी 10.77 टी.एम.सी. पानी, उसके बारे में एसेस किया उन्होंने। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि 8 प्रतिशत उन्होंने कहा कि बीसलपुर की नहरों से, अन्य कहीं से आयेगा। तो कुल मिलाकर 11.57 टी.एम.सी. पानी यदि इसरदा बांध के बन जाने से आता है तो वहां से आधा पानी डाइवर्ट करके जयपुर की तरफ, दौसा की तरफ, सवाई माधोपुर की तरफ पेयजल के लिये भिजवाया जा सकता है। इस प्रकार का मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि काफर डैम 2007 में बन गया, अब आप कृपया 306 करोड़ लागत की जो यह इसरदा परियोजना है, यदि यह मंजूर हो जाए, अच्छा होगा। मंत्रीजी जवाब दें तब इसको कहें तो मैं समझता हूं, यह कोई कांग्रेस और बी.जे.पी., सत्ता और विपक्ष का विषय नहीं है। यह सारा विषय सबके लिये है। मैं समझता हूं, साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये आप ऋण लेकर मेट्रो चला सकते हो, चलेगी ऊपर आराम से, तो यह भी कर सकते हो आप। लोन लेना ही है सरकार को, चाहे नाबार्ड से, चाहे कहीं से भी। यदि वित्तीय संसाधनों की कमी है तो मेरा यह सुझाव होगा कि ऐसे लोन लेने चाहिए।

उस गांव में बैठे उस व्यक्ति को, जहां यह कहा गया, 2011 के आपके जो जनगणना के आंकड़े आये हैं, आज भी वन-थर्ड लोगों को नल के कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे, पानी नहीं मिल रहा उनको। ये आकड़े हैं। वास्तविक स्थिति है, यदि गांवों में जाकर आज भी हम देखते हैं। सरकार कोई भी हो, चाहे सरकार हमारी हो या सरकार आपकी हो, वास्तविकता यही है धरातल पर कि आज भी लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इन पेंडिंग प्रपोजल्स को, विचाराधीन प्रपोजल्स को आप, माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में भी आप अगर कुछ कर सकते हैं तो वह करें।

एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से। नेशनल रूरल डवलपमेंट वाटर प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट पूरे राजस्थान में उन गांवों में, हैबिटेशन के लिए, जहां पर पानी खराब है या पानी दूषित है या कोई कारणवश, इस सरकार ने इसको बनाया और मेरे विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली, वहां की 17 डी.पी.आर. बनकर सैंक्शन के लिए लगभग 3.54 करोड़ रुपये की आयी थीं, सरकार में। मेरा यह निवेदन है कि उनमें से आठ डी.पी.आर. तो मंजूर कीं, बाकी एक टोपा है, एक रघुनाथपुरा है, राठौदा है, बुधावर है और एक भीमगंज के सहित एक मांगलिककलां के बोरखेड़ा है, सतूर है, बटवारी है, हरिपुरा है, मेंडी है, लोधा का झोंपड़ा है, नारायणपुर है, पेच की बावड़ी है, लूणकसा है, सुखपुरा है, रोशनदा है, खंदेरा है, आकोदा है, मांगलिककलां है, काबरी, इस प्रकार से मेरा निवेदन करना यह था कि यहां के पानी की जो स्थिति है सेलिनिटी की यानी, खारे पानी की यहां जो स्थिति है, लोग जो खारा पानी और फ्लोराइड-युक्त पानी पीते हैं, वह चिंताजनक है। तो मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस विचाराधीन आपकी

(श्री प्रभुलाल सैनी)

एन.आर.डब्ल्यू.डी.पी. योजना है, या जो भी कोई योजना है, आप, मंत्री महोदय, जरा यह करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी हमको मिल पायेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बासी गांव है, उसमें गर्मी के दिनों में पानी नहीं मिलता है। बहुत बड़ी पंचायत है। उसमें मैंने माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन किया था और अपने आधिकारिक स्तर पर भी मैंने इसकी चर्चा की थी। वहां पर छह महीने तक गर्मी में बिलकुल पानी नहीं मिलता। यदि उस पेंडिंग योजना की भी स्वीकृती की जाती है तो निश्चित रूप से वहां के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

अंत में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि एक ड्रिप इर्रिगेशन की बात हुई है। हालांकि एग्रीकल्चर का विषय है लेकिन पानी के बचत की जो बात कही है, एम.एस. स्वामीनाथन हों या जो भी हों, सबने यह कहा कि पानी बचे। इसमें हमारी दूसरी स्थिति बनी हुई है। ड्रिप इर्रिगेशन में पानी तो तब आएगा जब हम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें। 52 आदमी बोलने हैं, 52 । (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बस, बिलकुल, मैं आपका सम्मान करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ड्रिप इर्रिगेशन तब लग पायेगी जब आप उनको डार्क जोन में ट्यूबवेल या कुएं खोदने दोगे। एक तरफ बैन लगाते हो और दूसरी तरफ ड्रिप लगा देंगे तो 90 परसेंट छूट देंगे, तो पांच वर्षों में 12 हजार कुओं में से 8 हजार कुएं हमारी सरकार के वक्त में कमीशन हो चुके थे। अब आप किसमें करोगे? इतना तो पानी सूख गया होगा। इसलिए इन विषयों पर भी कथनी और करनी पर अंतर नहीं हो, ऐसी व्यवस्था भी आप करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री श्रवण कुमारजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री महेन्द्रजी चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल योजना और मांग संख्या 46-सिंचाई पर मुझे आपने बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आज के समय पर पानी जैसे विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से जैसा आपने फरमाया कि 52 माननीय सदस्यों को बोलना है और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के समय में जितनी कमी पीने के पानी की होती जा रही है, उसमें विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार पुराने समय में बुजुर्ग लोग कहते थे कि पानी को बहुत सम्भाल कर रखो, जितनी आवश्यकता है पानी को उतना काम में लो, नहीं तो आने वाले समय में पानी और दूध का एक भाव होगा। आज हम देखते हैं कि एक पानी की बोतल, चाहे वह अलग कोई भी कम्पनी की हो लेकिन लोगों की नजर में उसका नाम बिसलरी होता है और वह 15 रुपये की बोतल आती है, लगभग उसी भाव के अन्दर दूध का भाव होता जा रहा है।

इससे हमने, आज इस सरकार ने पानी की जो योजनाएं इस राजस्थान की जनता के लिए स्वीकृत की हैं, उसके लिए मैं राजस्थान के लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का, हमारे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी का तहेदिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मेरा खुद का क्षेत्र नावां जो नमक व्यवसाय में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वहां के पानी में फ्लोराइड, नाइट्रेट और टी.डी.एस. और खारा पानी अधिक होना, यह मात्रा उसमें पायी जाती है। मैंने सदन के माध्यम से भी निवेदन किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से भी निवेदन किया, हमारे अधिकारियों से भी निवेदन किया। मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं, डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी का आभारी हूं और हमारे अधिकारी रामलुभायाजी, विनय माथुरजी, रूपारामजी, इन सबका मैं बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतने कम समय के अन्दर इस स्कीम को बनाकर तैयार किया, मुख्य मंत्रीजी के सामने पेश किया और 26 मार्च को जो बजट पेश हुआ, उसमें मेरी नावां तहसील के 72 गांवों को बीसलपुर परियोजना के अन्दर जो सम्मिलित किया, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से।

दूसरा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना व नागौर लिफ्ट परियोजना, हिन्दुस्तान की कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधीजी जब नागौर के अन्दर आयी थीं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लाखों लोगों की जन सभा के अन्दर यह मांग रखी और सोनिया गांधीजी ने उस योजना को मंजूरी दी। आज इस बजट के अन्दर उस योजना पर भी तीन हजार करोड़ रुपये सैंक्शन करके और उस

(श्री महेन्द्र चौधरी)

योजना को भी, सेकंड फेज को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

इसके अलावा, इस पेयजल योजना में इस राजस्थान के अन्दर एस.सी. हों, एस.टी. हों, अल्पसंख्यक हों, सामान्य वर्ग हों, गांव हो, ढाणी हो, शहर हों, सभी का कांग्रेस पार्टी ने ध्यान रखा है। 2,569 गांव और ढाणियां पेयजल योजना से जोड़ी जाएंगी; 7,500 अनुसूचित जाति और 300 अनुसूचित जनजाति और 120 अल्पसंख्यक बाहुल्य गांवों और ढाणियों और 839 एस.सी. व 40 जनजाति बस्तियों में भी पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, यह बहुत बड़ी योजना इस बजट के अन्दर शामिल की गई है।

जिस प्रकार अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, फ्लोराइड का पानी, यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और सरकार चिंतित भी है। सरकार यह चाहती है कि फ्लोराइड-युक्त पानी जो दस हजार गांव और ढाणियों के अन्दर है, उनमें से 5,300 गांव और ढाणियों को डि-फ्लोरीडेशन यूनिट्स हैंडपम्प और नलकूपों पर लगाकर जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। 20 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, 3,796 करोड़ रुपये की योजना, 20 योजनाएं जिनके द्वारा पूरे राजस्थान के अन्दर आगामी तीन वर्षों के अन्दर इन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा नागौर जिले के मूंडवा, कुचेरा और मेड़ता कस्बे के 327 गांव भी 431 करोड़ रुपये के साथ इस योजना में शामिल किये गये हैं, मकराना और नागौर शहरी जलापूर्ति के लिए भी किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में जिस विषय पर बोल रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के साथी भी कई प्रकार की, दूसरी प्रकार की बातें अपनी बातचीत के अन्दर करते रहे हैं और करते आएंगे। लेकिन उनकी भावनाओं पर मैं भी यह कहना चाहूंगा कि आज हमारी सरकार तत्पर है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कह रखा है कि कोई भी राजस्थान का आदमी प्यासा होना तो दूर, उसको प्यासा सोने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कह रखा है। 1998 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ', यह नारा अशोक जी गहलोत ने दिया था। फिर 2003 के अन्दर जब विपक्ष की सरकार आई तो उन्होंने इस नारे को मिटा दिया, साफ कर दिया। लेकिन जब वापस चुनाव आये 2008 के अन्दर, तो आपको भी जनता ने साफ कर दिया।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जब आपकी सरकार बनी थी 2003 के अन्दर, पानी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार का अगर इतिहास उठाकर देखा जाये, तो आजादी के 64 साल के इतिहास में सबसे काला अध्याय अगर किसी पार्टी का होगा, तो वह आपके शासन का होगा पानी के मामले के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। एक साल पूरा होने के साथ में इन्होंने स्कोर करना शुरू कर दिया। पांच साल के शासन के अन्दर 21 गोली कांडों से सैकड़ों जान लेने वाली सरकार ने पानी के मामले में जब स्कोर करना शुरू किया, अक्टूबर, 2004 के अन्दर रावला-घड़साना के अन्दर प्रथम कांड इन्होंने किया। जब किसान सिंचाई के लिये पानी मांग रहा था, पानी दे सकते थे, बात कर सकते थे, बातचीत से उसका रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन इन्होंने रास्ता नहीं निकाला और सात किसानों की मृत्यु हुई। सात किसानों की मृत्यु के अन्दर जब गोली कांड की जांच के लिये आयोग गठित हुआ तो सात में से तीन किसान हरबंस सिंह, हुजूर सिंह और चन्दूराम को मौत के बाहर क्यों रखा गया? चार साल बाद भी इनकी जांच पूरी क्यों नहीं हो पायी? सात किसानों के शहीद होने के बावजूद भी सरकार इनके इलाके में सिंचाई के पानी का हल क्यों नहीं ढूंढ सकी? ये हमारे अभी पीछे बैठे सदस्य गंगाजलजी और संतोषजी, ये भी उस इलाके से जुड़े हुए हैं, ये अभी आपको और विस्तार से बतायेंगे।

उसके ठीक आठ महीने के बाद में टोंक जिले के अन्दर आपने अपने स्कोर को बढ़ाना शुरू किया, सोहेला के अन्दर कांड किया। सोहेला के अन्दर जब बीसलपुर के पानी के लिये किसान इकट्ठे हुए, गर्भवती हंसा देवी और उसके साथ में पांच लोगों को आपने मौत के घाट उतार दिया, यह दूसरा स्कोर आपका हुआ।

तीसरा, आपने पांचना बांध के पानी के लिये करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर में जहां चार साल से आग लगी हुई थी, किसान और प्रशासन के बीच में बैठकर अनेक बार संघर्ष होने के बावजूद सरकार कोई समाधान नहीं निकाल सकी। यह आपकी सरकार के अन्दर कार्य हुआ, जो आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

(14.22 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरा, पिछली सरकार और इस सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो आपने पांच साल के अन्दर 6,287 करोड़ रुपये पेयजल योजनाओं पर सैंक्शन किये थे और हमारी यह कांग्रेस की सरकार तीन साल के अन्दर

(श्री महेन्द्र चौधरी)

6,267 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर चुकी है। यह उपलब्धि है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा तीन वर्ष में 2,800 गांवों और ढाणियों को इन योजना से लाभान्वित करने की योजना तैयार की गयी है। 22 हजार गांवों और ढाणियों 91 कस्बों और शहरों को टैंकरों व रेलों द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना इस बजट के अन्दर सैंक्शन की गयी है। आपकी सरकार ने क्या किया था?

उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैं सुन रहा था, वित्तीय कुप्रबन्धन की बात कह रहे थे। आपकी सरकार का वित्तीय प्रबन्धन क्या रहा, वह हम आंकड़ों के माध्यम बताते हैं, आप भी थोड़ा-सा सुन लीजिये। कोई भी सरकार प्रजातंत्र के अन्दर वोटों से जीतकर आती है। उस सरकार का यह प्रयास रहता है कि सदन के सामने जायें तो सच्चे आंकड़े पेश करें, वही योजनाएं स्वीकृत करें, जिनका बजट उपलब्ध हो। आपने पानी के अन्दर अनेक रिकार्ड स्थापित किये। आपके पास में बजट नहीं था उसके बावजूद भी आपने योजनाएं स्वीकृत कीं। जिसके आंकड़े भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। सन् 2007-08 के बीच में वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किये बिना ही 13,855 करोड़ रुपये की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गयीं, 5,500 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर दिये गये और इनको एक से दो वर्ष में पूरा करने की अवधि भी आपने निर्धारित कर दी कि एक से दो साल की अवधि के बीच में होंगे। इन कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु 2008 तक 4,417 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन उसके विरुद्ध आपने मात्र 2,767 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये। यह आपका वित्तीय प्रबन्धन रहा है, यह मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। 2008-09 में बड़ी पेयजल योजनाओं हेतु आपने 2,882 करोड़ रुपये के विरुद्ध 1,565 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। यह कार्य आपका बेहतर वित्तीय प्रबन्धन का नमूना है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भी आपने इतिहास बनाया है। भाजपा के हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य अभी कह रहे थे, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं कर दीं पहले बजट में भी कर दीं, दूसरे बजट में भी कर दीं, तीसरे में भी कर दीं। आपकी सरकार तो पांच साल के लिये थी। आपने पहले बजट में भी घोषणा की। दूसरे से लेकर पांचवें तक कीं। आपकी सरकार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

आई भी, आपकी सरकार चली भी गई, लेकिन पांच साल के लिये आपने बजट में जो घोषणाएं की थीं, उनकी क्रियान्विति आप लोगों द्वारा क्यों नहीं हुई?

जब 2004 के अन्दर आप लोगों ने बजट पेश किया तो बिन्दु नम्बर 158 पर आपने कहा, बनास नदी पर इसरदा बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। 2004 में जब आपकी सरकार बनी थी तो सबसे पहले आपने यह प्रस्ताव रखा था। बांध निर्माण स्वीकृति जारी, आप लोगों द्वारा पूरे पांच साल के अन्दर नहीं हुआ।

2005 के बजट के अन्दर बिन्दु संख्या 149, राज्य में जल नीति सम्बन्धित प्रभावी निर्णय किये जायेंगे। यह आप लोगों ने फिर अगले बजट के अन्दर दे दिया। पूरे पांच साल तक आपकी जल नीति जारी नहीं हुई। इसी बजट के अन्दर 2005 में बिन्दु संख्या 158 पर आपने लोगों को गुमराह किया, एम.डी. सिंचाई परियोजना का कार्य पूरा किया जायेगा। पांच साल आपके निकल गये, उसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। 2005 में उसी बजट के अन्दर फिर आपने एक असत्य बात लिखी बिन्दु संख्या 162 पर – परवन नदी पर वृहद सिंचाई परियोजना बनाना, कार्य आपका प्रारम्भ नहीं हुआ।

फिर आपके 2006 के बजट के अन्दर फिर आपने असत्य बोला 125 नम्बर बिन्दु पर, अन्धेरी परियोजना का कार्य; कार्य आपसे प्रारम्भ नहीं हो सका पांच साल के अन्दर। उसी 2006 के अन्दर बिन्दु संख्या 127 के ऊपर, जापान बैंक से ऋण प्राप्त करके 114 लघु सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार का कार्य आगामी वर्ष में किया जायेगा। यह आपने लोक जनता के बीच में रखा। उस परियोजना का वर्ष 2008 तक भी आपका वह कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

फिर 2007 के अन्दर आपने बजट पेश किया, उसमें बिन्दु संख्या 137 में दो वृहद सिंचाई परियोजना, परवन व धौलपुर लिफ्ट तथा तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाएं राजगढ़, मनोहरथाना व एक अन्य का भारत सरकार से मंजूरी प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। परिणाम क्या रहा? किसी भी परियोजना की भारत सरकार से मंजूरी तक प्राप्त नहीं की और परियोजना का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। उसी 2007 के अन्दर आपने बिन्दु संख्या 149 पर लिखा कि माही व चम्बल बेसिन में उपलब्ध पानी के उपयोग हेतु सर्वे कर फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना; परिणाम, माही व चम्बल बेसिन का मास्टर प्लान तक आप लोगों ने तैयार नहीं करवाया। 2007 में फिर बिन्दु संख्या 148 पर आप लोगों ने लिखा, राज्य में ड्रिप व स्प्रिंकलर पद्धति को बढ़ावा देने के लिये

(श्री महेन्द्र चौधरी)

चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था करना, जिसके तहत प्रथम चरण में बीसलपुर परियोजना को इस हेतु लिया जायेगा। परिणाम क्या रहा? बीसलपुर परियोजना में ड्रिप व स्प्रिंकलर पद्धति को आपने लागू नहीं किया।

फिर आपका अन्तिम बजट आया जब आप जाने लगे थे 2008 के अन्दर। वहां पर आपने पिछले चार साल से भी ज्यादा असत्य बोला। 18.6 के ऊपर आपने लिखा, 125 किलोमीटर लम्बी भीखा भाई सागवाड़ा नहर का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें 50 हजार से अधिक आदिवासी लाभान्वित हो सकेंगे। आदिवासियों को लाभान्वित करने के लिये आपने कहा। भीखा भाई सागवाड़ा नहर के 78.88 किलोमीटर से 125 किलोमीटर तक लम्बाई के कार्य की स्वीकृति जारी नहीं की गयी, और किसी प्रकार का कार्य भी आपसे प्रारम्भ नहीं हुआ। फिर उसी 2008 के अन्दर आपने 19 नम्बर पर लिखा, नरगड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना व गंगनहर, आधुनिकीकरण की योजना को वर्ष 2008-09 में पूरा किया जायेगा। दोनों ही परियोजनाओं का कार्य 2008-09 में पूर्ण नहीं हुआ। फिर बिन्दु संख्या 19.2 पर आपने लिखा, कालीसिंध वृहद सिंचाई परियोजना प्रारम्भ की जायेगी; कार्य आपसे प्रारम्भ नहीं हुआ। बिन्दु संख्या 20 पर आपने लिखा चम्बल से पांचना, घग्घर तक पानी ले जाने के लिये कार्य प्रारम्भ किया जायेगा; कार्य आपसे प्रारम्भ नहीं हुआ। ये 20 पाइंट हैं। एक में लिखा कि माही से दानपुर-आभापुर क्षेत्र को पानी देने की योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा; कार्य आपसे प्रारम्भ नहीं हुआ। बूंदी के गडरदा बां ध का जीर्णोद्धार कार्य किया जायेगा; कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। माही जल के उपयोग हेतु मास्टर प्लान बनाया जायेगा; वह कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर-मानाखेड़ी-बोडोपोल आदि क्षेत्र में समस्या के निवारण हेतु व्यापक परियोजना हेतु सी एस एस आर आई, करनाल के सहयोग से बनाकर क्रियान्वित की जायेगी; कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

ये 17 पाइंट हैं। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हों, या माननीय तिवाड़ीजी हों, कोई भी अगर पूछना चाहें तो मेरे पास में ये सारे आंकड़े भी हैं, आपके सारे उदाहरण भी हैं और आपने जो बजट पेश किया है, वह भी मैं आपको दिखा सकता हूं।

इसलिये मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस बजट के अन्दर पूर्णतया पानी की सिंचाई की योजनाओं पर ध्यान दिया गया है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

इसके अलावा आपके कार्यकाल के अन्दर चहेते ठेकेदारों को ऊंची दरों पर कार्य का आबंटन किया गया। वर्ष 2003 से 08 तक इस विभाग ने पांच करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत के लगभग 56 कार्य स्वीकृत किए। चहेते संवेदक मैसर्स मण्डा डवलपर्स, बीकानेर को दस कार्य 102.17 करोड़ के जो बी एस आर रेट से 30.87 ऊपर; मैसर्स मोहम्मद कंस्ट्रक्शन, कोटा को आठ कार्य 124.20 करोड़ के जो बी एस आर रेट से 7.4 प्रतिशत ऊपर। मैसर्स गुडविल एंड कंस्ट्रक्शन को छह कार्य 113.89 करोड़ के जो बी एस आर रेट से 26.80 ऊपर। मैसर्स गुरमीत सिंह एंड कम्पनी को चार कार्य 51.13 करोड़ रुपये के जो बी एस आर रेट से 12.87 ऊपर। आप पता लगा सकते हैं, इस प्रकार से अधिक प्रीमियम पर कार्य स्वीकृत किये गये...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये यहीं बैठे हैं, मंत्री बन गये। गुरमीत सिंहजी तो यहीं बैठे हैं, मंत्री बन गये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): ये वे गुरमीत सिंहजी नहीं हैं। वह आप वाले गुरमीत सिंहजी हैं, जो आपको भी पता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पता कर लेना।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): वर्तमान सरकार में पांच करोड़ से ज्यादा के चौदह कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें ग्यारह कार्य बी एस आर से 18.5 प्रतिशत बिलो हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार में जो काम हुए थे, वे किस प्रकार से हुए थे और इस सरकार में किस प्रकार से काम स्वीकृत हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के अन्दर पेयजल योजना के ऊपर काफी माननीय सदस्यों को बोलना भी है। मैं तो यही कहना चाहूंगा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को, जिस प्रकार मैंने बताया, आपके टाइम के अन्दर, आपके भाजपा के सदस्य सिफारिश लिखकर देते थे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यह टेंडर इस तारीख को खुलेगा, इस कम्पनी को मिलेगा, इस व्यक्ति को मिलेगा और इस दिन मिलेगा तथा इस रेट के अन्दर मिलेगा, आप चाहो तो मैं आपको वे पत्र भी दे सकता हूं उन सदस्यों के, उन माननीय सांसदों के। +++ इन लोगों ने पूर्व में पत्र लिख दिये थे कि बिलकुल तय कार्यक्रम के साथ प्रायोजित ये टेंडर खोले जाएंगे। चहेती कम्पनी को पी क्यू की शर्तें, चहेती कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये टेंडर खोले जा रहे हैं। इन टेंडरों को सुनिश्चित ढंग से पी क्यू की ऐसी शर्तें निर्धारित की गईं कि एक विशेष पाइप फैक्टरी को फायदा देने के लिए निविदा के अन्दर यह

(श्री महेन्द्र चौधरी)

प्रावधान कर दिया गया कि वह फैक्टरी कार्य स्थल से 600 किलोमीटर के अन्दर स्थित होनी चाहिए। यह आप लोगों ने उस टाइम तय कर दिया था कि 600 किलोमीटर के अन्दर यह फैक्टरी आयेगी, उसी से पाइप खरीदे जाएंगे। इससे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार आपका वित्तीय प्रबन्धन रहा, किस प्रकार से आप लोगों ने पानी के अन्दर तबाही मचायी। राजस्थान की छह करोड़ की जनता के साथ में आपने जिस प्रकार का कार्य किया, जब चुनाव आया तो जनता ने इन्हीं मुद्दों के ऊपर आपको निपटा भी दिया।

आज आवश्यकता है, हम आपकी आलोचना की बात नहीं करते लेकिन हम कहना चाहते हैं कि लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत की भावना है, उन्होंने एक जल नीति तैयार की है। जल नीति तैयार करने के पीछे उनका मकसद ही इस प्रकार का है, जिस प्रकार से कल माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी चिन्ता व्यक्त की थी क्योंकि जल का स्तर नीचे चला जा रहा है। उस विषय पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए। सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को बैठकर चिन्ता करनी चाहिए, हमें विचार करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार से पानी के इस दोहन को रोक सकते हैं। आने वाले समय में जो विकट स्थिति आती जा रही है, उसके बारे में बातचीत करके, निश्चित रूप से किस प्रकार से फायदा जनता को हम अपने माध्यम से दे सकते हैं, मैं यही कहना चाहता हूं।

हमारे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं, आचार्य महाप्रज्ञ की एक कविता, हमारे इन अन्धकारप्रिय साथियों को चेतना में लाने के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं। अन्धकारप्रिय हमारे साथी जो बैठे हैं, उनको चेतना में लाने के लिए मैं यह आचार्य महाप्रज्ञ की एक कविता आपको सुनाना चाहता हूं कि:-

''प्रकाश की उस भाषा को अन्धकार क्या जाने, प्रकाश की उस भाषा को अन्धकार क्या जाने, चेतना की भाषा को पदार्थ क्या जाने।'' तिवाड़ीजी, शायद आपके जरूर समझ में आ गयी होगी, और की समझ में आवे, नहीं आवे। ''हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।'' धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राधेश्यामजी गंगानगर। (व्यवधान) एक मिनट। जो व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं और सम्माननीय सदस्य के वक्तव्य में उनका यदि नाम आया हो, एक्सपंज कर दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): संसद सदस्य और विधायक जो दूसरे सदन के मेम्बर हैं, उनका यहां पर नाम लेकर जिक्र नहीं करें।

श्री सभापति: हां, मेरा इसी पर है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 और मांग संख्या 27 के विषय में मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और आपका ध्यान कुछ जरूरी बातों की ओर दिलाना चाहूंगा।

आज 62 साल हो गये हमें आजाद हुए। बात तो हम लम्बी-चौड़ी करते हैं, कितनी ही करें, चाहे इधर के लोग करें और चाहे उधर के लोग करें, 62 सालों में पूरे राजस्थान में न हम सुचारु रूप से पानी पिलाने का इन्तजाम कर सके और न हम सिंचाई के पानी का इन्तजाम कर सके। आज कितने ही बड़े-बड़े भाषण कोई भी व्यक्ति दे दे लेकिन एक विचित्र स्थिति है कि एक तरफ तो हम बड़ी तारीफ करते हैं बजट की, मुख्य मंत्रीजी की और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि पानी अच्छा नहीं मिल रहा। दोनों आपस में किस तरह के इश्यू हैं, मेरी समझ में नहीं आया।

मैं ज्यादा लम्बा-चौड़ा न कहकर खास बिन्दु पर अपने जिले और हनुमानगढ़ जिले की बात आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी समस्या है। पानी के नाम पर आने वाले जमाने में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। मैं बैठे हुए सभी सम्माननीय सदस्यों को एक जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि आपको जानकारी है कि समय बहुत ही विकट आ रहा है। पानी एक ऐसी चीज है कि पानी के बिना कुछ नहीं। पानी बिन सब सून है। रहिमनजी ने कहा था कि रहिमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मित्रों, आज वास्तव में बड़ा सीरियस इश्यू है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमारी गंग कैनाल जो कि गंगानगर जिले की जीवनदायनी है, मैं आभारी हूं, महाराजा गंगा सिंहजी का, जब तक हमारा गंगानगर जिला रहेगा, गंगानगर जिले के तमाम काश्तकार, तमाम वहां के रहने वाले लोग महाराजा गंगा सिंहजी के आभारी रहेंगे जिन्होंने गंग कैनाल, बीकानेर कैनाल को लाकर गंगानगर की जनता पर ऐसा उपकार किया जिसका कोई सानी आज तक पैदा नहीं हुआ।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में कुछ बिन्दु लाना चाहता हूं। गंग कैनाल के अन्दर अभी पिछली बार जब आपने मीटिंग की थी, हमने आपको सुझाव दिया था कि यह मौका बन्दी लेने का नहीं है लेकिन आपने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने आपको आगाह किया था कि आप टेंडर कर लीजिए, वर्क आर्डर दे दीजिए, उसके बाद नहर बन्दी के बारे में सोचिए लेकिन बिना सोचे-समझे चालीस दिन की बन्दी ले ली और वह कल से चालू हो गई। आपके पास कोई टेंडर है नहीं, वर्क आर्डर है नहीं, काम है नहीं, बजट है नहीं। आप गंगानगर और हनुमानगढ़ की जनता और किसानों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। जहां से आपको दस हजार करोड़ रुपये की इनकम होती है हर साल, आप उन किसानों को मारना चाहते हैं। आप किसान होते हुए किसान के दर्द को नहीं समझते। बड़ी विडम्बना और बड़े दुःख की बात है। किसलिए आपने बन्दी ली? बताइये खड़े होकर, कैसे बन्दी ली आपने चालीस दिन की? पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। तीन दिन का पानी डिग्गियों में है। बाग़ उजड़ जाएंगे, नरमा कपास की फसल की बिजाई नहीं होगी। आने वाला जमाना गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए इतना कठिन हो जाएगा कि आये दिन रोज धरने लगते हैं, आये दिन किसान खड़े होकर कलक्टर, चीफ इंजीनियर और एस ई के सामने खड़े होकर चिल्लाते हैं। बड़े दुःख की बात है। वह आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंचती? आखिर इस बात की वजह बतायी जाए। मान लो अगर बंदी लेनी थी, हैडवर्क्स भी नहीं बनाये, हैडवर्क्स पर आप डाइवर्जन देकर, हैडवर्क्स को तैयार कर सकते हो। हैडवर्क्स भी आपने तैयार नहीं कराये। आपने टेंडर किये और आपके वे टेंडर 35 परसेंट अबव आये। 35 परसेंट अबाव आने के बाद पता नहीं, क्या हुआ, मेरे को तो यह समझ नहीं आया, नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, जो हमारे ठेकेदार थे उनको बुलाना चाहिए था। लेकिन अब काम तो करना ही नहीं, केवल बजट पर घोषणा करनी है और लोगों को मारना है। मारने का ठेका ले रखा है आपने। 35 परसेंट अगर अबाबूव थे तो आप कृपा करके उनको बुलाकर नेगोशिएशन करते और नेगोशिएशन करके काम चालू कराते। लेकिन आप चुप हैं। बड़े गजब की बात है। आप ना हैडवर्क्स बना रहे हैं, ना आप गंग कैनाल की लाइनिंग कर रहे हो। तो किसलिए आप बन्दी ले रहे हो? बन्दी का कारण बताओ। अभी कृपा करके, मेहरबानी करके...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किस से ले रहे हैं बंधी? ये महीने के महीने बंधी ले रहे हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 40 दिन की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किस-किस जिले में ले रहे हैं बंधी?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): गंगानगर जिले की जो गंग कैनाल ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं दूसरी बात कर रहा हूं। महीने के महीने बंधी ले रहे हैं?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कृपा करके इस बन्दी को वापस लीजिए और हैडवर्क्स का काम कृपा करके डाइवर्जन कर के चालू करवाएं। गजब की बात है, आपने वहां से लिंक चैनल अरबों रुपए का बनाया था, आज उसकी कीमत बेतहाशा हो गयी है। आपका मन है कि उनको बेच दें। किसान बेचने नहीं देगा, यह कहीं गलतफहमी में मत रहना। उस लिंक चैनल से आपने कोई प्रयोग नहीं किया। लिंक कैनाल का मतलब है, जब भी हमें रिपेयर करनी हो हम उसका उपयोग करें। जहां भी पानी दे सकते हैं उस लिंक चैनल से हम पानी पहुंचाएं अन्यथा उसको डैम के रूप में यूज करें। आज हमारे डैमों में दुनिया भर का पानी है। मेरे ख्याल से इतिहास में काफी लम्बे अर्से से डैमों के अन्दर इतना पानी है और आप बन्दी ले रहे हो। बन्दी लो, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो करो। काम है नहीं, फिर बन्दी किस बात की? आप कृपा करके तुरन्त इसकी घोषणा कीजिए कि बन्दी हम वापस लेते हैं, किसान अपनी बिजाई करे, पीने का पानी मिले, बांध ना सूखें और लोग पानी के लिए नहीं तड़फें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी यह भी समझ में नहीं आता कि जो टेंडर इस हैडवर्क्स के खुलें, वे टेंडर चले गये दिल्ली में, दिल्ली में फाइल घूम रही है। अब वे कब आयेगी और आपकी 40 दिन की बन्दी पूरी हो जायेगी। यह तो एक अजीब किस्म का राग हो गया। बिना सोचे-समझे आप किस तरह के निर्णय लेते हैं। आपके अधिकारी हैं, जैसे अधिकारी आपको कह देते हैं वैसे आप घोषणा कर देते हैं। बड़े गजब की बात है।

आप पूरी तरह विचार करके इस बात पर पुनर्विचार कीजिए। आप एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान का अहित आपके हाथों से नहीं होना चाहिए, चाहे राजस्थान कैनाल के मंत्री हों, चाहे गंग कैनाल के मंत्री हों, इर्रिगेशन मंत्री हों। सिंचाई मंत्री महोदय, आप बहुत सज्जन और भले आदमी हैं, आप पर राजस्थान की जनता को बड़ा भरोसा है लेकिन इस तरह का

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आपके हाथों से कहीं सरकार ने कोई गलत काम करा दिया तो आने वाले टाइम किसान आपको बख्शेगा नहीं और आपके लिए अच्छी भावना नहीं रखेगा। आज जो किसान कहता है कि हमारे इतने सज्जन और देवता मंत्री हैं, हमें तो बहुत ही अच्छा मंत्री मिल गया, तो अच्छे मंत्री का कृपा करके आप उदाहरण सही रखिये ताकि लोग आपको दोबारा इसके लिए ना कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने और भी तथ्य लाना चाहता हूं। इन्दिरा गांधी कैनाल है, 960-कुछ करोड़ रुपये भारत सरकार ने दे दिये, बन्दी की बात कर ली, लाइनिंग का काम होना है। भाईजान, आप घोषणा कर रहे हो, बजट में चीफ मिनिस्टर साहब घोषणा कर रहे हैं कि हम चूरू को और सीकर को भी इन्दिरा गांधी कैनाल से पानी देंगे। बड़ी खुशी की बात है, पीने का पानी मिले, सिंचाई का पानी मिले। आपका जो फर्स्ट फेज है उसमें पानी पूरा नहीं, सेकंड फेज वाले आपको रो रहे हैं और अब थर्ड फेज की जो तैयारी हो रही है, फिर फोर्थ फेज की जायेगी। कर क्या रहे हो आप, मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है। अजीब बात है।

18,400 क्यूसेक्स की जो कैनाल जो आपने बनायी थी, जिसका नाम इन्दिरा गांधी कैनाल है, क्या जिंदगी में उसमें कभी 18,400 क्यूसेक्स पानी चला? और चला है तो आप बता दीजिए नहीं तो जिन लोगों ने वह डिजाइन किया था, जिन इंजीनियर्स ने वह डिजाइन किया था, उनको यहां खड़ा कीजिए, उनको सज़ा दीजिए। क्यों हमारी राजस्थान की जनता को धोखा दिया? अगर वह 18,400 क्यूसेक्स पानी होता तो आप चूरू और सीकर को ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान को कहीं भी, किसी भी हिस्से में पानी ले जाते। लेकिन आपकी कैनाल में तो 12 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा कभी चला ही नहीं है, आप अपने आंकड़े देख लो, और चार-चार, छह-छह फीट इन्दिरा गांधी कैनाल में सिल्ट जमी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, एक दफा की बात है, पहले जमाने में मेरे को याद आ रहा है कि यही बात मैंने कही थी, तब मंत्री महोदय का जवाब था कि हम जापान की मशीनें मंगा रहे हैं और पूरे इन्दिरा गांधी कैनाल का सिल्ट सारा निकल देंगे और 18 हजार क्यूसेक्स पानी चलेगा। लेकिन वह पता नहीं, सिल्ट किसानों की निकल गयी, नहर की तो निकली नहीं और ना ही निकलने की कोई उम्मीद लग रही है। और कह रहे थे वे मंत्रीजी, मैं क्या नाम लूं उनका, कहते हैं कि उसमें तो पानी वाले जहाज चलेंगे, स्वेज नहर के बाद

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वर्ल्ड में दूसरे नम्बर की नहर है यह इन्दिरा गांधी नहर। बड़ी खुशी की बात है, मैं सुनकर बड़ा खुश हुआ लेकिन वह चीज है कहां? लोग मारे-मारे फिर रहे हैं। हर किसान से जाकर पूछो कि क्या तकलीफ है।

अभी मेरे प्यारे यहां बैठे नहीं हैं महेन्द्र चौधरीजी, बड़े भारी आंकड़े पेश कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे जैसे सारे राजस्थान में पानी पिला दिया और सारे किसानों को सिंचित पानी पहुंचा दिया। गजब की बात है। केवल आप अपना भाषण ऐसे लच्छेदार बनाकर और 17 प्वाइंट यहां गिना कर आप क्या चीज सिद्ध करना चाहते हैं? आप और हम सब एक हैं, आपको और हमको जनता ने इसलिए चुना है कि हम किसानों के, यहां की जनता के, सवा छह करोड़ जनता के नुमाइन्दे हैं, सवा छह करोड़ जनता के लिए हम जो जरूरी चीजें हैं उनको मुहैया करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा, डी बी नहर, आर बी जेड माइनर, समेजा नहर आदि में पानी उपलब्धता के आधार पर पूर्ण नहीं मिल रहा है। पानी लेने की आप में क्षमता नहीं। यह तो बन्दी है, बन्दी ना भी हो, आप कभी भी अपने हिस्से का पानी पंजाब से आज तक पूरा नहीं लिया। फिर जो पानी आ रहा है...दोनों मंत्री महोदय, मेरी तरफ ध्यान दो। सम्माननीय सभापति महोदय, ऐसा रहस्य आपके सामने बता रहा हूं जो मंत्रीजी नहीं मानें तो मेरे को कान पकड़ कर नीचे बैठा देना। जो पानी इन्दिरा गांधी कैनाल में आ रहा है, उस पानी में कौनसा पानी आ रहा है? एक हजार, 1,200 क्यूसेक्स पानी वह आ रहा है जो फैक्टरियों का प्रदूषण का, जो सेम का पानी, जो हमारा सीवरेज का पानी है। और उससे एक ट्रेन का नाम हो गया कैंसर ट्रेन; भटिंडा से चलती है, बीकानेर जाती है। हजारों आदमियों को वह पानी पीने से कैंसर हो गया कई बार आपके सामने यह विचार हमने रखे लेकिन आपके तो जूं नहीं रेंगती। पता नहीं, क्या बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई केवल बोलने के लिए नहीं खड़ा हूं, आपको सुझाव दे रहा हूं। कृपा करके जब भी आप जवाब दें, इन चीजों को ध्यान से देखें। मैंने आपके सामने रखा। पहले भी हम गये पूरे। हमने क्या किया, श्रीमती वसुन्धराजी ने पिछले साल एक अध्ययन दल बनाया हम लोगों का। पानी की बड़ी दिक्कत थी और किसान मारा-मारा फिर रहा था। रोज धरने होते थे, रोज बंद होता था, रोज भूख-हड़ताल होती थी, उस अध्ययन दल को पंजाब भेजा, जाकर नहर की एक-एक बुर्जी देखकर आओ, इन्दिरा गांधी कैनाल

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

का क्या हाल है और गंग कैनाल, बीकानेर कैनाल का क्या हाल है, भाखड़ा का क्या हाल है। हम, वह जो अध्ययन दल गया, पूरा सर्वे करके, पूरे वहां अपने पत्रकार, टीवी वाले, मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, दोनों लोग साथ गये, उन्होंने सारी पिक्चर आपके सामने रखी। मैंने उस अध्ययन दल की रिपोर्ट सौंपी हमारी श्रीमती वसुन्धराजी को, उन्होंने मुख्य मंत्री महोदय को सौंपी। मैंने खुद भी मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया कि ये हालात हैं और वहां की स्थिति, कितना प्रदूषित पानी आ रहा है। छत्तीस हजार क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान में जा रहा है। पाकिस्तान को तो आप दे रहे हैं हमारा भारत या हमारे पंजाब के लोग, हमने क्या कसूर किया है जी? हमें क्यूं ना मिले? जब इतना पानी पाकिस्तान में जा रहा है और हम पानी के लिए रो रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, बड़ी विडम्बना है कि किस तरह की सरकार है और क्या सरकार की सोच है। यह इस बात को दर्शाता है।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपने मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग में चाहे तो आपकी तरफ के विधायक हों, चाहे इधर के हों, आपके कांग्रेस के विधायकों ने भी रोला किया, आप चालीस दिन की बन्दी मत

(14.50 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

दीजिए। बड़े चिल्लाए हम लोग। लेकिन आपने कहा, यह तो भारत सरकार का हुक्म है, हमें आदेश हो गया, बन्दी तो लेनी ही पड़ेगी और तीन साल तक रेगुलर लेनी पड़ेगी। बड़े गजब की बात है। बन्दी ले ली, कोई बात नहीं, काम तो हो। आपने जो तीन साल पहले बन्दी ले ली थी चालीस दिन की, एक दिन भी काम दिया था? वह दिन याद नहीं है आपको। हमने याद कराया आपको। अब आप मारना चाहते हो। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के बिल्कुल आप कोई दुश्मन बन गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने तीन तरफ हाथ जोड़े। एक तो इधर जोड़ा, वह भी समझ में आ गया; एक इधर जोड़ा; इधर किसको जोड़ा आपने हाथ?

श्री सभापति: खाली कुर्सियों को।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, बड़े गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है, पी एच ई डी मिनिस्टर कहीं चले गये। वैसे तो

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

ज्यादातर बैठते हैं। पानी पीने गये हैं। पानी है कहां? पानी तो आंखों में है, पानी कहां पड़ा है? हमारे गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में।

मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी वकालत करूं, हर जगह के नुमाइन्दे यहां हैं, वे अपनी अपनी बात अपने तरीके से कहेंगे। पीने के पानी की दिक्कत है तो है, जो आपने स्कीमें दी हैं नई वह लटक रही हैं यूं। कोई स्कीम अपनी कामयाब नहीं है। काम कहीं चालू करा दिया, उसके बाद बंद कर दिया। बड़े गजब की बात है कि पचास साल पहले जो पाइप लाइनें लगी थीं, वे जर्जर हो गयीं। उसके साथ पानी मिक्स होकर आ रहा है, लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं। हजारों बार हम रोये हैं और विभाग को इसके बारे में कहते हैं तो वे कहते हैं, हमारी जानकारी में नहीं है। हम पकड़कर ले जाते हैं, वहां दिखाते हैं यह पानी प्रदूषित पानी से मिक्स होकर लोग पी रहे हैं; तो हां, साहब, यह तो वाकई गलती है; हमें बजट नहीं मिला, हमारे पास पैसा नहीं है हम क्या करें, आप सरकार के ऊपर दबाव बनवाएं कि वह हमें पैसा दें तो हम यह कार्य करवा सकें।

हमारे गंगानगर का ब्लाक एरिया पचास साल पहले जो उसके अन्दर पाइपलाइनें डाली गयी थीं, वे खतम हो गयीं और लोग बड़े परेशान हैं। इसी तरह पुरानी आबादी, रामनगर एरिया, विनोबा बस्ती, आदर्श नगर, ये सारी कालोनियां हैं। आज शहर की आबादी बहुत बढ़ गयी, 132 कालोनियां हो गयी जो पहले केवल चार-पांच हुआ करती थीं। आबादी बढ़ गयी, उसी अनुपात में हमें पानी की सप्लाई नहीं हो रही। वाटर वर्क्स हमारे जमाने में बहुत बड़ा बन गया था और उसके बनने का लाभ तो तब है, जब वह सप्लाई ढंग से दे, प्रदूषित पानी नहीं आए।

पानी के अन्दर जो बजरी डलती है, अगर आप उसका पता लगायेंगे, कितना भारी घोटाला है उसके अन्दर। उस घोटाले की अगर आप जानकारी करेंगे तो आपके सामने तस्वीर उभर कर सामने आएगी।

राजस्थान के अधिकारी, बात करें, इंडेंट तक नहीं देते। पंजाब वाले ही शिकायत कर रहे थे। जब हम गये थे तो उन्होंने यह कहा कि आप गंग कैनाल के लिए पानी मांगते हो, हम तो देने के लिए तैयार हैं, इंडेंट तो दो। हमने इनसे बात की, उस वक्त पानी चल रहा था 1,600, हमने वहां से बात करके 2,000 कराया। उन्होंने कहा, हम तो 2,500-2,700 कर देते हैं। फिर इनके ऊपर दबाव डाला। तो वह साल तो किसी भी तरह, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रकाश सिंहजी बादल, मुख्य मंत्री, क्योंकि हमारे अध्ययन दल की बड़ी

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इज्जत की, बड़ा सम्मान किया। वसुन्धराजी ने फोन से बात की और उन्होंने वायदे के मुताबिक 2,500-2,700 तक पानी दिया जिससे हमारा पिछले साल कुछ गुजारा हुआ। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): उन दोनों का भला हो जाएगा। आप राजस्थान की बात कीजिए खाली गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात मत कीजिए। (व्यवधान) राजस्थान की बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): ...(व्यवधान)...नोखा जिले की नहर है...(व्यवधान) प्रकाश सिंह बादल ही तो गन्दा पानी भेज रहे हैं। (व्यवधान) वह क्यों नहीं रोक रहे हैं? (व्यवधान) गन्दा पानी कहां से आ रहा है? (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति जी, इस नहर का निर्माण...(व्यवधान)

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): गन्दा पानी कहां से आ रहा है? आपको पता है, प्रकाश सिंह बादल ही तो भेज रहे हैं। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आपने असत्य बोला है। आपने राजस्थान की जनता को, पांच-पांच, छह-छह जिलों को गुमराह किया है। बड़े-बड़े विज्ञापन दिये हैं आपने बन्दी के नाम पर। (व्यवधान) फिर कौनसी बन्दी ले ली आपने? आपने असत्य बोलने की...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आपके मंत्रियों ने असत्य बोला है, आपके अधिकारियों ने असत्य बोला है। (व्यवधान)

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): राजस्थान के मुख्य मंत्री को पूरे राजस्थान की चिन्ता है। (व्यवधान) आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ की चिन्ता है। आप चिन्ता करिये पूरे राजस्थान की। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: राजस्थान की चिन्ता करो। (व्यवधान) गंदा पानी पंजाब से आ रहा है। (व्यवधान) बंद करो।

श्री जयदीप (संसदीय सचिव): पंजाब में चमड़ा धोने की फैक्टरियां अभी भी खड़ी हैं। वहां का उनका पानी आता है। प्रकाश सिंह बादल भेजता है वह पानी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हां, प्रकाश सिंह बादल भेजता है तो रुकवाओ... (व्यवधान) उनको रोकिये (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो। आपके माननीय सदस्य बोलेंगे, तब बोल देना। (व्यवधान) अभी कइयों को बोलना है। (व्यवधान)

श्री जयदीप (संसदीय सचिव): पंजाब में चमड़ा धोने की फैक्टरियां लगी हुई हैं। (व्यवधान) ढाई हजार...(व्यवधान) गंदा पानी आता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो, आपको बोलना है।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): तीन साल में कभी पानी के पीछे लाठी चार्ज नहीं हुआ, कभी कोई डंडे नहीं बरसे। आपके टाइम पर गोलियां चलीं। आप भूल गये क्या उन गोलियों को? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): पंजाब जो दूषित पानी देता है, उसके खिलाफ...(व्यवधान) बिना इच्छा शक्ति के...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री कन्हैयालाल झंवर (संसदीय सचिव): सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, हमारी पी ए सी की कमेटी गयी थी जिसमें गुलाबचन्दजी कटारिया हमारे सभापति साथ थे और ये विश्वनाथ सिंह जी भी, बिना सदस्य होते हुए भी इनको बुलाया था क्योंकि ये पानी से जुड़े हुए थे। तो पंजाब की सीमा से जहां हम प्रवेश करते हैं, जहां पानी आता है, वहां से गन्दा पानी और फैक्टरियों का पानी छोड़ा जाता है। यह इस बात की गवाह...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): तो आपकी सरकार क्या कर रही है? ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो आप।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): राजस्थान की सरकार कहां सो रही है? इनका मतलब सरकार को अच्छा भला पता है। (व्यवधान) गंदा पानी आ रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं लग रहा है। (व्यवधान) गंदा पानी, केमिकल-युक्त पानी दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): अभी शुरू हुआ है क्या? पहले नहीं आता था क्या गंदा पानी?

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): तीन साल तो आपने खराब कर ही दिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): फिर वह ही बात।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पी ए सी की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो आप?

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय मंत्री व संसदीय सचिवों का हस्तक्षेप सरकारी वर्शन होना

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। डिमांड पर बहस के समय अगर संसदीय सचिव और मंत्री भाग लेकर कोई बात कहते हैं तो हस्तक्षेप माना जाता है उसको और उस बात को सत्य माना जाता है। तो डूडी साहब ने, झंवर साहब ने, जो संसदीय सचिव हैं, हमारी डेफिनेशन में संसदीय सचिव मंत्री की श्रेणी में आता है, तो उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि राजस्थान की सरकार निकम्मी सरकार है और तीन साल से लगातार गन्दा पानी....

श्री जयदीप (संसदीय सचिव): बिलकुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। हमने बिलकुल ही नहीं कही यह बात। बिलकुल असत्य फरमा रहे हो आप। बिलकुल, सभापति महोदय, असत्य बात कही है। हमने सिर्फ यह कहा है कि पंजाब में चमड़ा धुलता है, गंदा पानी पंजाब से आता है। पंजाब के मुख्य मंत्री की आप बड़ाई कर रहे हो, इसलिए हमने कहा, गंदा पानी पंजाब से आता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और प्रमाणित हो गया...(व्यवधान)

श्री सभापति: नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): और प्रमाणित हो गया कि यह सरकार विफल है, यह सरकार राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। (व्यवधान) प्रकाश सिंह बादल हैं तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं इसके लिए।

श्री सभापति: राधेश्यामजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सभापति महोदय, बोलने का सबको अधिकार है। जब इनका नम्बर आएगा...

श्री सभापति: 53 सदस्यों को बोलना है अभी, अब और।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मेरे को आपकी कृपा का पता है। आप ज्योंहि बैठोगे, कुर्सी पर जाते ही आर्डर आपका तैयार है।

श्री सभापति: 36 प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य और 14 सत्ता पक्ष के, 3 सी पी एम के।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं दो मिनट में बैठ जाऊंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था, हमारे संसदीय सचिव ने बड़ी ही शानदार बात कही है...

श्री सभापति: अब आप टिप्पणी मत करो एक दूसरे के ऊपर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं उनका आभारी हूं कि वे खुद कह रहे हैं कि चमड़े का गन्दा पानी आ रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात करो।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): तो आप क्या रो रहे हो? तो आप यहां फिर रो रहे हो क्या? करो ना कुछ। (व्यवधान)

(15.00 बजे)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बहुत लम्बी, पेयजल और सिंचाई, दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर इसी तरीके से एक माननीय सदस्य उधर से कोई बोला, इधर से कोई माननीय सदस्य बोला और वह प्रतिवाद अगर चलता रहा तो कल सुबह 11.00 बजे तक भी आपकी यह डिमांड पारित नहीं होगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपनी बात को इधर-उधर नहीं करके सीधा आप आसन की तरफ करो ताकि यह सदन आराम से चल जाये। आप कोई हस्तक्षेप मत करो; न आप हस्तक्षेप करो और न आप करो। आप सभी बहुत विद्वान लोग हो लेकिन आप मेहरबानी करके सुनने की क्षमता रखो; नहीं तो मेरे को व्यवस्था देनी पड़ेगी कि इनके जो बोल रहे हैं, उनके अलावा अंकित ही नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री सभापति: आप तो विराजो। आपका नाम भी है बोलने के लिये। विराजो आप।

श्री राधेश्यामजी गंगानगर।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यह तो बैठ गये, सर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने आदेश कर दिया, और आगे पुकार लो।

श्री सभापति: आपने बोल लिया तो फिर विराजो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, बजट अनुमान वर्ष 2012-13 की अनुदान की मांग संख्या 27 पर मैं अपनी बात सदन के समक्ष रखना चाहती हूं।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जनता जल योजना जो चल रही है, उसमें पूर्व में तो पी एच ई डी विभाग के द्वारा सारा बिजली का पैसा, मेंन्टीनेंस और इसके हर सोर्स के ऊपर एवरी मंथ 500 रुपये कर्मचारी को देना, यह सभी सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने एक आदेश निकाला जिस आदेश के तहत सरकार ने यह जनता जल योजना पंचायतों को हस्तांतरित कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब पंचायत जनता जल योजना में पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रही है और जनता को जो जल मिलना चाहिये, जो जल सुविधा मिलनी चाहिये, वह मिल नहीं पा रही है। यह योजना अब क्योंकि पंचायत राज के पास में है और पंचायतें इसको चला नहीं पा रही हैं, इसलिये यह योजना बन्द पड़ी है। क्या सरकार को नहीं चाहिये कि उसके ऊपर विचार करे और जनता जल योजना जो पूर्व में जलदाय विभाग के द्वारा ही संचालित होती थी, जिसका बिजली का हंड्रेड परसेंट पैसा पी एच ई डी विभाग देता था, फिर से शुरू करे? अन्यथा कुए में पानी होने के बावजूद वहां पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पंचायतों के पास इतना पैसा नहीं कि वे बिजली का खर्चा उठा सकें, पंचायत के पास इतना पैसा नहीं कि वह कनेक्शन कर सके, न उनके पास उतने कर्मचारी होते हैं। मैं माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि यह जनता जल योजना जिस तरीके से पूर्व में चलती थी, उसको फिर से ऐसे ही किया जाये

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ताकि जनता को बराबर से उसका लाभ मिल सके और जनता में जो आज पानी के लिये त्राहि-त्राहि हो रही है, उन्हें कहीं न कहीं सुकून मिल सके।

इसी के साथ मैं पनघट योजना की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। पनघट योजना में हम लोग एम एल ए, एम पी लैड से इसकी स्वीकृति देते थे। उसमें पूर्व में 85 हजार रुपये भी अगर हम स्वीकृत कर देते थे तो पनघट लग जाता था। ट्यूबवैल होना, लाइट का कनक्शन करवाना और एक प्लास्टिक की टंकी वहां पर रखवाना, पनघट योजना स्वीकृत हो जाती थी 85 हजार में। लेकिन आज यह स्थिति है कि पनघट योजना को अगर हम एम एल ए, एम पी फण्ड से स्वीकृत करवाते हैं तो कम से कम हमें साढ़े तीन लाख रुपया उस पनघट योजना के लिये देना होगा। उसका अगर हम लोग हिसाब निकालें तो इस तरीके का होगा कि जो पहले बिजली के कनेक्शन के 15 से 20 हजार रुपये लगते थे, वह अब कम से कम डेढ़ लाख रुपये लगते हैं। क्या कारण है कि ए वी एन एल जो है, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर वे यह कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का भी पैसा आपको देना होगा। जब ट्रांसफार्मर का पैसा एक-एक पनघट के लिये देना है तो उसकी लागत, कम से कम एक से डेढ़ लाख तक का वह आता है। 5 साल तक का बिजली का खर्चा जो भी होगा उस पनघट योजना के ऊपर, वह पैसा भी पहले ही जमा करवा लिया जाता है जो लगभग 1 लाख 20 हजार रुपये होता है। 5 साल का पेमेंट पहले से ही एम एल ए लैड या किसी से ले लिया जाता है। साथ ही, वह 1 लाख 50 हजार तो आप ट्रांसफार्मर के और कनेक्शन के लेते हैं। 1 लाख 20 हजार पहले ही 5 साल के बिजली का जो भी बिल आयेगा, उसका खर्चा आप ले लेते हैं और उसके बाद में जो अपना ट्यूबवैल खुदवाना है, मोटर लगानी है, यह सारा जो खर्चा है, वह लगभग 85 से 90 हजार के करीब वह हो जाता है। यानी एक पनघट योजना अगर स्वीकृत करनी है तो साढ़े तीन से चार लाख रुपया खर्चा है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह सरकार जैसे ही बदली, सरकार ने पनघट योजना की सीधे ही साढ़े तीन से चार लाख रुपये की कास्ट कर दी।

यह सरकार जब से आयी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कंटिंजेंसी के तहत एक हैंड पम्प भी स्वीकृत नहीं किया है। आज राजसमन्द जिले की अगर मैं बात कहूं तो पिछले 3 साल में कंटिंजेंसी के तहत एक हैंड पम्प भी स्वीकृत नहीं किया। जो हैंड पम्प देने हैं, वे या तो हम एम एल ए फंड से दें तो वहां

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैंड पम्प लग जायेगा। आज अख़बार में खबर पढ़ी तो उसमें यह है कि चीफ सेक्रेटरी ने कल कोई मीटिंग ली जिसमें उन्होंने ये निर्देश दिये हैं कि हैंड पम्प भी अगर खुदवाना है, ट्यूबवेल भी देना है, पनघट देना है तो सब आपको एन ओ सी लेनी होगी जलदाय विभाग से। भू-जल विभाग इसकी एन ओ सी देगा, जलदाय विभाग इसकी एन ओ सी देगा और कलक्टर के लेवल पर एक अथोरिटी बनायी है, वह अगर परमिशन देगी तो ही हैंड पम्प लग सकेगा। अब मुझे यह बताएं, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी और उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अगर इस तरीके की जटिल आप लोग सब कार्यवाही करोगे तो एक गरीब आदमी को हैंड पम्प मिलना कितना मुश्किल हो जायेगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी भू-जल विभाग की रिपोर्टस हैं जहां पर उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि यहां पानी नहीं निकलेगा और उसके बाद गांव वालों ने पर्सनल पैसा लगाकर, क्योंकि हम सरकारी विभाग में जायेंगे तो हमें भू-जल की रिपोर्ट लेनी है। भू-जल के जो आपके हाइड्रोलाजिस्ट हैं, वे वहां पर बताते हैं कि यहां पर तो पानी नहीं है; उन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। उसके बाद में गांव वालों ने कहा, साहब, यहां से तो यह पानी इस तरीके से जा रहा है, नीचे से लहर, तो पानी निकलेगा यहां पर। वे अपने पैसों को इकट्ठा करके वहां हैंड पम्प लगाते हैं, खुदवाते हैं और जब ट्यूबवेल खुदवाते हैं तो वहां पानी निकलता है। यानी आपकी रिपोर्ट कहती है नेगेटिव और वहां पानी निकलता है। तो क्या आप उन हाइड्रोलाजिस्टस के ऊपर कोई कार्यवाही करते हैं? इतने पैसे इन रिपोर्टस के लिये देते हैं, उसका कोई मायने रहता है? जब रिपोर्ट गलत आती है तो सरकार उस पर इतने सारे इफ-बट्स लगा रही है। एक तरफ तो कह रही है कि हां, हैंड पम्प हम लोग कंटींजेंसी में दे नहीं सकते, अगर एम एल ए फंड से हैंड पम्प दिये जाते हैं तो उसमें भू-जल विभाग पहले परमिशन दे, एन ओ सी हमारी जलदाय विभाग से हो। कलक्टर अगर परमिशन देगा तो ही हम लोग हैंड पम्प खुदवा सकेंगे। यानी इतने सारे आप लोगों ने उसके ऊपर लगा दिये हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति हैंड पम्प के लिये भी मांग करें तो हम उसकी मांग भी पूरी नहीं कर सकते। इस तरीके का जो काम राज्य सरकार द्वारा चल रहा है उसमें जरूर राज्य सरकार को विचार करना होगा।

इसी तरीके से बताना चाहूंगी कि राज्य के अन्दर करीब 62 हजार 334 ऐसी ढाणियां हैं जहां स्वच्छ पेयजल आज भी उपलब्ध नहीं है। आज भी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

फ्लोराइडयुक्त पानी वहां पर मिल रहा है। डी-फ्लोराइडेशन के लिये जो यूनिट्स की स्थापना करनी है, उसके लिये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पैसा भी मिला है सरकार को, लेकिन फिर भी यह स्थिति क्यों आ रही है? डी-फ्लोराइडेशन यूनिट्स जो लगनी चाहिये, उन यूनिट्स को लगाने में सरकार अपनी तरफ से इतनी सुस्त क्यों है? आज यह हालत है कि स्वच्छ पेयजल नहीं मिला है ग्रामीणों को। मूलभूत सुविधा पानी की जो उनको मिलनी चाहिये, वह पानी अगर स्वच्छ नहीं मिलता तो कैसे हम लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं? आज यह भी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो ये डी-फ्लोराइडेशन यूनिट्स लगनी हैं उनको आप शीघ्र-अतिशीघ्र लगाएं।

राजसमन्द की मैं बात कहूं, तो 421 ऐसी यूनिट्स लगनी हैं लेकिन उसके अगेंस्ट में पूरा साल निकल गया अभी तक गवर्नमेंट मात्र 200 यूनिटस ऐसी लगा सकी। यानी फिफ्टी परसेंट भी काम ऐसा नहीं हुआ। और पैसा राज्य सरकार का नहीं है, पैसा केन्द्र सरकार का आ रहा है। आ चुका है, आ भी नहीं रहा है, आ चुका है, आपके खजाने में जमा है और उसके बाद में भी आप उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई मानिटरिंग सरकार की नहीं है। विभाग इतना सुस्त पड़ा है कि किसी तरीके की कोई मानिटरिंग सरकार की नहीं हो रही है। इस वजह से जो स्कीम्स हैं हमारी, वे भी बन्द पड़ी हुई हैं। आज यह स्थिति है कि जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलायी थीं, उनकी कोई मानिटरिंग नहीं है। उन स्कीम्स के लिये कह दिया, वे बन्द हो गयीं, या फिर कह दिया कि अस्वीकृत हो गयीं। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि राजसमन्द के अन्दर जो हमारी स्कीम्स हैं, जो गांव थे, आज भाणा गांव अगर मैं लूं, हमारे यहां आत्मा, पोदावली, खटामला, ये ऐसे गांव हैं जहां पर पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हो चुकी थी लेकिन क्या कारण रहा, क्या राजनैतिक द्वेषता है, या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दो-दो साल से जो स्वीकृत हुई योजनाएं हैं, आज तक ठण्डे बस्ते में यहां पर जयपुर में पड़ी हैं। जब बार-बार पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि जयपुर फाइल पड़ी है? जब जयपुर से आ जायेगी तो हम काम शुरू कर देंगे। जयपुर वालों को यहां फाइलें रोकने में क्या मजा आता है? जो स्कीम्स स्वीकृत हो जाती हैं, मीटिंग्स के अन्दर स्वीकृत हो जाती हैं, वे सारी स्कीम्स भी आगे बढ़ायी नहीं जातीं और उसका रिजल्ट यह है कि उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम क्वेश्चन लगायेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्कीम्स सैंक्शंड हैं लेकिन फाइलें आज भी यहां पर पड़ी हुई हैं और उन फाइलों को आज भी वहां पहुंचाया नहीं जाता।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, जितने भी हमारे दस साल से पुराने बोरिंग्स हैं, उन बोरिंग्स के पाइप्स को बदलने की जरूरत है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि आज जो लोहे के पाइप्स उन बोरिंग्स के अन्दर लगे हैं, उनकी वजह से जंग वाला पानी आ रहा है और वह पानी पीने योग्य नहीं है। बार-बार शिकायत करने पर भी उन पाइप्स को सरकार चेंज नहीं करती है। हमें कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है; अभी हमने पाइप्स खरीदे नहीं हैं; अभी हमने टेंडर किये हैं; अभी प्रोसेस में चल रहा है। ऐसे तरह-तरह के जवाब सरकार के द्वारा दिये जाते हैं। रिजल्ट यह है कि ऐसे दस साल पुराने जो बोरिंग्स हैं, उनके पाइप जो चेंज करने हैं, उनके पाइप्स को चेंज करने की सरकार द्वारा पूरे स्टेट लेवल पर ऐसी स्कीम्स बननी चाहिए जिसके तहत सारे पाइप्स चेंज होने चाहिए, ना कि हम इस बारे में सोचें कि जब कोई कम्पलेंट आयेगी तब हम उसको देखेंगे। कम्पलेंट्स आती हैं लेकिन नीचे के लेवल पर उनको एंटरटेन ही नहीं किया जाता है और इस वजह से काम नहीं हो पाता है।

सभापति महोदय, मैं संक्षिप्त में कह रही हूं, इसलिए आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं होगी। मैंने कोई भूमिका नहीं बनाई, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कह रही हूं।

सभापति महोदय, राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में आर यू आई डी पी के द्वारा पेयजल वितरण की योजना जलदाय विभाग ने बनायी। वहां पेयजल वितरण के लिए 28 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। आर यू आई डी पी वह काम कर रही है। वह काम कैसा हो रहा है, ना तो उसकी गुणवत्ता है, उस पर कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। दूसरा, 28 करोड़ रुपये खर्च भी हुए, लेकिन जहां पेयजल चाहिए था जिन कालोनियों में, डेंसली पापुलेटेड कालोनीज हैं, उन कालोनीज के अन्दर पाइपलाइन नहीं है। क्योंकि आपके जो अधिकारी हैं, वे आफिस में बैठकर के सारी स्कीम्स को बना लेते हैं। ना उनमें जन-प्रतिनिधि को इन्वाल्व करते हैं, ना क्षेत्र के लोगों को इन्वाल्व करते हैं, ना ही उसको प्रकाशित करते हैं कि हमने यह योजना बनाई है, इसमें अगर किसी को और कुछ जोड़ना हो तो बताइये। गवर्नमेंट बिलकुल बंद कमरों के अन्दर, एयरकंडीशन रूम के अन्दर, टेबल के ऊपर बैठकर के स्कीम्स को बनाती है, बिना जन-प्रतिनिधियों के इनवाल्वमेंट के। उन स्कीम्स की हालत यह है कि जब इम्पलीमेंटेशन के लेवल पर आती हैं तो इम्प्लीमेंटेशन यह है कि आज जो आर यू आई डी पी की स्कीम चल रही है, उसका केवल 30 परसेंट लोगों को लाभ मिलेगा, 70 परसेंट लोग आज भी उससे वंचित हैं। जो पेयजल वितरण के बारे में आप बड़ी-बड़ी घोषणाएं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

करते हैं, आपके भाषणों में कहते हैं कि हमने 28 करोड़ खर्च किये, लेकिन उसका लाभ वहां पर कितना मिल रहा है? उसका कहीं न कहीं आकलन होना चाहिए। इसलिए यह बात आपके नोटिस में डालना चाहती हूं।

सभापति महोदय, साथ ही हमारे यहां पर सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जिसको बाघेरी नाका पेयजल योजना के नाम से जाना जाता है, वह योजना 206 गांवों को जोड़ने की योजना थी और उस पर लगभग 204 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि बाघेरी नाका की पाइपलाइन जिन गांवों से गुजर रही है, यानी उन्होंने चिह्नित कर लिये कि 206 गांवों को हम जोड़ेंगे, उन गांवों को चिह्नित करके जोड़ने का काम तो शुरू किया, कहीं-कहीं पूरा भी हो गया, लेकिन स्थिति यह है कि जिन गांवों से वह पाइपलाइन गुजर रही है, उन गांवों को वंचित रख दिया। माननीय मंत्री महोदय, आज उन गांवों के लोग इतने आक्रोषित हैं कि पाइपलाइन हमारे यहां से जा रही है लेकिन उसका फायदा हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। यानी कैसी योजनाएं बनती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। योजना का लाभ जब जनता नहीं ले पाती, तो ऐसी योजना का क्या मतलब है जिसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है? इसलिए इसके ऊपर भी पुनः आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ऐसी योजनाओं के बारे में फिर से आत्मचिंतन करें और इन योजनाओं का पूरा लाभ दिलवायें। यही बात कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री करण सिंह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आपने अभी कहा कि आज बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री सभापति: जी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिन मांगों पर कटौती प्रस्ताव आये हुए हैं, उनके हिसाब से आसन उन कटौती प्रस्तावों पर बोलने वाले माननीय सदस्यों को आप करेंगे तो सारे सदस्य आराम से बोल लेंगे। सब सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दीजिये।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46 पर मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं इर्रिगेशन और पेयजल। मैं सदन में चर्चा सुन रहा था और मैं हाड़ौती से जीतकर आया हूं। सारे वाटर सोर्स हमारे पास हैं, सारे जल स्रोत हाड़ौती में हैं। आप उठाकर के देख लीजिये। अभी गंग नहर की बात चल रही थी। मुझे आदरणीय कटारियाजी के साथ भाखड़ा-नांगल डैम को भी देखने का मौका मुझे मिला और मैंने हाड़ौती का गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज से लेकर के राणा प्रताप सागर को देखा है। अगर ये दोनों सुविधाएं हमारे बीच में नहीं होतीं तो आज हमारे राजस्थान का भविष्य क्या होता, इस पर मैं गौर करने की बात कहना चाहता हूं और सारे सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरूजी को। मैं उस कैसेट को सुनकर आया हूं, और मेरे साथ अमराराम जी भी थे किसान नेता, जब नेहरू जी ने भाखड़ा-नांगल डैम का बटन दबाया और उस डैम को देश को समर्पित किया तो उसी के कारण आज पंजाब, उसी के कारण हरियाणा, उसका जो मटमैला और गंदा पानी जो हमने देखा, उससे हम राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, जहां-जहां पानी जाता है, यह सारा उसी की देन है। मैं जो देखकर आया हूं, गंदा मटमैला पानी है, वह साफ पानी नहीं है। आदरणीय कटारिया साहब मेरे साथ थे। यहां कोई राजनीति नहीं, कोई चुनाव नहीं हो रहा है। बात सच करो और सदन का ध्यानाकर्षित करने की बात की है।

सभापति महोदय, आजादी के 64 साल बाद हमने देश के लिए क्या किया और हमने राजस्थान की जनता को 64 साल बाद क्या दिया, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नेहरूजी ने आपको भाखड़ा-नांगल डैम दिया और गांधी सागर दिया, कोटा बैराज दिया, जवाहर सागर दिया, राणा प्रताप सागर दिया। दोनों उपलब्धियां हमारे नेहरूजी की हैं। उस समय की यह सोच थी और उस सोच के कारण आज हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे भविष्य को हम सुरक्षित रख रहे हैं और पीने का पानी हमको मिल रहा है। चर्चा चल रही है काफी लम्बे समय से और इस सदन में कई बार झगड़ा होता है नहरों के रखरखाव के बारे में, पेयजल योजनाओं के लिए। पेयजल योजनाएं बन कहां से रही हैं आपकी, इस पर आप ठीक ढंग से विचार करिये। आपकी सारी पेयजल योजनाएं या तो उस गंग नहर की वजह से बन रही हैं या चम्बल की वजह से बन रही हैं।

(श्री करणसिंह)

सभापति महोदय, मैंने इस बजट में देखा, आदरणीय गहलोत साहब को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बजट में उन्होंने हाड़ौती को भी खूब दिया और राजस्थान की जनता को पेयजल के लिए और वाटर रिसोर्सेज के लिए काफी चीजें दी हैं। जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैंने इसमें देखा कि नागौर को पानी हम बीसलपुर से दे रहे हैं। आप देखिये, भीलवाड़ा को पानी हम चम्बल से दे रहे हैं, बूंदी शहर को पानी हम चम्बल से दे रहे हैं, अलवर को पानी हम चम्बल से दे रहे हैं। यह सोच उस समय की थी। अगर यह सोच उस वक्त नहीं होती तो आज हमारी स्थिति क्या होती, इस पर विचार करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इर्रिगेशन मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं और पी एच ई डी मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, मैं दोनों का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हाड़ौती को अभी न्याय नहीं मिला है। सारा पानी हमारे पास है। आप देखिये, इस बार बारिश के अन्दर हमारा 2 लाख मिलियन एम सी एफ टी पानी पार्वती नदी से बहकर निकला है। मैंने इसकी सर्वे रिपोर्ट ली है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आप इसकी पूरी रिपोर्ट मंगा लीजिये, 10 लाख एम सी एफ टी पानी हमारे हाड़ौती से बहकर निकल गया। हम छोटी-सी बात पर, रावी-व्यास पर 0.6 के लिए लड़ने की बात करते हैं। हम योजना बना नहीं रहे हैं। पानी हमारे पास है, हमारा पानी बहकर निकल जाता है। उसके पश्चात हमने कोई योजना बनाने की बात नहीं की। हाड़ौती के पास इतना पानी है कि हम पूरे राजस्थान को पानी पिला देंगे। जो गंगानगर वाले लड़ते हैं, बीकानेर वाले झगड़ते हैं, सीकर वाले झगड़ते हैं, चूरू वाले झगड़ते हैं, भीलवाड़ा वाले झगड़ते हैं, अजमेर वाले झगड़ते हैं, हम सबको पानी पिला सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को गम्भीरता से लेना। (व्यवधान) आपको जिसने पानी पिलाया है, डिबेट सुनिये आप, यहां कोई वाद-विवाद नहीं है। आपकी बात तो मैं सुनूंगा, मेरी बात को आप सुनने का प्रयास कीजिये। मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि आप पूरा रिकार्ड उठा कर देख लीजिये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): घनश्यामजी, आप भी सुन लो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं सुन रहा हूं। मैं तो आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि हम सबको पानी पिलाने के बजाय आप मुख्य मंत्रीजी को ही पिला दें तो ठीक हो जाएगा।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं उस लायक नहीं हूं।

मुख्य मंत्रीजी ने पानी पिलाने की जितनी व्यवस्था की है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर इसके पहले के मुख्य मंत्री को ले लो, उसके पहले के मुख्य मंत्री को ले लो, कितने मुख्य मंत्री रहे और किसने किसको पानी पिलाया, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। एक बात में, किसी व्यक्ति विशेष में मत पड़िये आप। किस मुख्य मंत्री ने कितना पानी पिलाया और कौन से मुख्य मंत्री ने किसको क्या दिया, इस पर विचार कीजिये।

मैं झालावाड़-बारां से आया हूं, एक योजना नहीं बनी पांच साल के अन्दर। अगर मैं बोलूंगा तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। एक योजना झालावाड़-बारां को नहीं दी। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि तीन योजनाएं बारां-झालावाड़ को दीं, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। अब आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री को धन्यवाद दीजिये; पहले के मुख्य मंत्रियों ने क्या किया, उसके पहले वालों ने क्या किया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पहले सदन में था नहीं। जब से मैं इस सदन में आया हूं तब से ही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे हाड़ौती क्षेत्र में परवन नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, मेघ नदी, अजनावा नदी और घोड़ा पछाड़ नदी, कई नदियां हमारे बहकर निकलती हैं और उनके अन्दर इतना पानी है हमारे पास। पानी की प्रस्तावित योजनाओं पर, आदरणीय रामलुभायाजी बैठे हैं, पिछली बार भी मैं सदन में बोला था, इतनी योजनाएं हमारे पास प्रस्तावित हैं पर आपके बजट के कारण, आपकी स्वीकृति नहीं होने के कारण वे योजनाएं नहीं बन पा रही हैं। अगर योजनाओं को मंजूर करते हैं, बारिश का पानी जो बहकर निकल जाता है, उसको अगर रोक लेते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और सदन से कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान को हम कल्याणकारी योजनाएं बनाकर पूरी जनता को पानी पिला सकते हैं और किसानों का भला कर सकते हैं।

आपके पास पानी है ही नहीं, पीने का पानी आपके पास है ही नहीं। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जयपुर को पीने का पानी हम बीसलपुर से दे रहे हैं। भीलवाड़ा को पानी हम चम्बल से दे रहे हैं। बिना पानी के आपके विकास सम्भव नहीं है। मैं ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता, पानी जहां होता है वहीं विकास

(श्री करणसिंह)

सम्भव है। जल ही जीवन है। आज कोई बिना पानी के रह सकता है क्या? न तो पृथ्वी पर जीवन रह सकता है और न मानव रह सकता है, और न खेती हो सकती है और न विकास हो सकता है और न इंडस्ट्री आ सकती है, न उद्योग आ सकता है, न आप खाद्य पदार्थ दे सकते हैं। आज गंगानगर के लोग कारों में, सूमो में घूमते हैं, क्या कारण है? पानी के कारण। आपका जो डैड एरिया है, उसमें सूमो कार क्यों नहीं है? उसमें किसानों के चेहरों पर चमक क्यों नहीं है? यह सब सोचना पड़ेगा, पानी का महत्व।

पानी होने के बाद भी योजना क्यों नहीं बनती है? माननीय सभापति महोदय, पानी होने के बाद भी पानी बहकर चला जाता है। पानी को बचाने के बारे में कौन सोचेगा? आपके पास पानी है, वाटर सोर्सेज हैं, आप पानी की योजनाएं बनाइए, डैम बनाइए, एनिकट बनाइए। उनको मंजूर करके पहले भी आपकी योजनाएं बन सकती हैं और खेती के लिए भी पानी मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कई चीजें पहले बोल चुका हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि अण्डरी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की क्लीयरेंस के कारण अभी तक मंजूर नहीं हो पाई है। छोटी-छोटी बातें हैं। बड़ी-बड़ी योजनाएं पेंडिंग पड़ी होती हैं, छोटे-छोटे कारणों से सरकार योजनाओं को मंजूर नहीं कर पाती है और इनके कारण उनको लाभ नहीं मिल पाता है। आप देखिये, दस-दस एमसीएफटी पानी के लिये हमारे छबड़ा-छीपा बड़ौद में करीब 17 योजनाएं हैं, 17 योजनाएं दस-दस एम सी एफ टी पानी के लिए बन सकती हैं, पांच-पांच, छह-छह लाख रुपये हम क्या मंजूर नहीं कर सकते? उनका पैसा नहीं है।

और हमें दुर्भाग्यशाली मानो कि हम हाड़ौती वालों को न तो आज तक इर्रिगेशन मिनिस्टर मिला और न कोई मुख्य मंत्री मिला। और मुख्य मंत्री मिला तो, तिवाड़ी साहब, बिना पानी पिये हमको सूखा रख दिया। हमारा जो शोषण हुआ न उसका अगर हम जिक्र करेंगे तो बहुत लम्बी चर्चा हो जाएगी तथा इस सदन में उलटा काम हो जाएगा। इसलिए नेता को जब मौका मिलता है तो जनता के भले की बात करनी चाहिए।

मैं नेहरूजी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं और मैं गंगासिंहजी, बीकानेर वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका मैं बोर्ड देखकर आया हूं, गंगासिंहजी, आपके बीकानेर महाराज साहब। मेरी तबियत प्रसन्न हुई और मैंने जब इनका नाम देखा तो अमरारामजी मेरे साथ थे, उनके नाम की एक छोटी

(श्री करणसिंह)

सी प्लेट लगा रखी है, कोई नाम नहीं, कोई स्टेच्यू नहीं, कोई सम्मान नहीं उस आदमी का। नहर के नीचे एक छोटी सी नेम प्लेट, कोई पहचान नहीं सकता, गंगासिंहजी द्वारा उद्‌घाटन करने की वह लगी हुई है, शिला लेख। आप देखिये, दुर्भाग्य है इस देश का, अभी हमारे गंगानगर के माननीय सदस्य राधेश्यामजी गंगासिंहजी की बड़ी तारीफ कर रहे थे। एक मूर्ति लगानी चाहिये, उनका सम्मान होना चाहिए लेकिन वहां गंगानगर में नहीं; जहां से नहर की शुरुआत हुई है वह पंजाब का स्थान है। आपको तो पानी मिल रहा है, इसलिए आपने लगा दी।

मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पानी बहुत है। 2 लाख एम सी एफ टी पानी एक नदी से बहता है तो आप सारी हाड़ौती की नदियों की जांच कर लीजिए, कितना पानी इस साल बहकर निकला। डेढ़ महीने तक लगातार बारिश हुई है। हमारे मुख्य मंत्रीजी का प्रोग्राम बना था और मुख्य मंत्रीजी का प्रोग्राम कैंसिल होना पड़ा। बारां के अन्दर बाढ़ आई। आदरणीय रामलुभायाजी, सेक्रेटरी साहब भी थे और उन्होंने सारी व्यवस्था को वहां देखा है। हमारी आंखों के सामने से पानी बहकर जाता है और जब पीने का पानी हमको नहीं मिलता है और किसानों को खेती का पानी नहीं मिलता है तो हमको दु:ख होता है। हमारे सामने पानी का विशाल भण्डार है, हमारे यहां पानी के कारण हजारों मकान गिरे हैं, सड़कें टूट गईं, मगर पानी को बचाने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है आज तक। इसलिए मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं, हमें यहां झूठमूठ यहां भाषण देने से काम नहीं चलेगा; पानी को बचाइये, पानी को बचाकर योजना बनाइये, तभी राजस्थान की जनता का भला होगा, पूरा राजस्थान आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे, हमारा भाईचारा बना रहेगा। पानी के चक्कर में लोग मरे हैं, किसानों पर गोलियां चली हैं। इसको हम भूल सकते हैं क्या? इसलिए मैं वापस इन्हीं चीजों पर आना चाहता हूं कि पानी के मामलों के अन्दर झगड़े होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह पानी हमारे किसानों का है, इसको थर्मल पावर प्लांट भी लेने लगा, प्राइवेट इंडस्ट्री लेने लगीं और प्राइवेट इंडस्ट्री वाले एनिकट लगाकर उन बांधों पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इसलिए सरकार का और सदन के विधायकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री वाले, पैसे वाले एनिकटों

(श्री करणसिंह)

पर, अपने डैमों पर कब्जा करके भविष्य में अपने को पानी नहीं देंगे। किसानों में और इंडस्ट्री में झगड़ा होगा। इस पर गौर करने की आवश्यकता है।

मैं आज देख रहा हूं, उसको बता रहा हूं। हमारे यहां पेयजल की काफी स्कीमें बनती हैं, स्कीम बनने के बाद हैंड पम्प लग जाता है, हैंड पम्प लग गया, सरपंच ने मोटर डाल दी। सरपंच बदल गया, सरपंच मोटर निकाल कर ले गया। बिजली कट गई, डी पी गायब, हैंड पम्प का डण्डा आउट। अब किससे कहें ठीक करने के लिये उसको? पी एच ई डी को कहते हैं तो सरपंच करेगा; सरपंच को कहते हैं तो पी एच ई डी करेगी, पी एच ई डी कहती है, ठेकेदार निकाल कर ले गया, न वहां डण्डा है, न वहां मोटर है। ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं। यह शर्म की बात है, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है। इस पर हमें गम्भीरता से चिंतन करना पड़ेगा।

अभी बहनजी, किरण माहेश्वरीजी ने बोला है, यह वास्तव में सही बात है। योजना बन गई, साढ़े चार लाख की, तीन लाख की, उसको कोई सम्भालने वाला नहीं है और आप नई-नई योजनाएं ला रहे हो कि इस गांव को ढाणी से जोड़ देंगे, इसको यहां लगा देंगे, यह कर देंगे। आपके टाइम पर भी यह हुआ, हमारे टाइम पर भी हो रहा है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से सदन के माध्यम से कहूंगा कि इस पर गम्भीरता से चिंतन होना चाहिए। इसमें भारी भ्रष्टाचार है, इसके अन्दर भारी भ्रष्टाचार है, मैं यह बोलता हूं। विधायक अगर कहीं और जगह पर कोई हैंड पम्प लगाता है तो 80 हजार रुपये में हैंड पम्प लगता है और हम अगर एम एल ए लेड से हैंड पम्प लगवाते हैं तो पी एच ई डी वाले साढ़े तीन लाख रुपये मांगते हैं, साढ़े तीन लाख रुपये मांगते हैं। तो हमने कौनसा गुनाह किया?

माननीय सभापति महोदय, आज चीफ सेक्रेटरी साहब का यह डण्डा पढ़ा है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एम एल ए हैंड पम्प नहीं लगायेंगे। अब सदन के दो सौ माननीय सदस्यों को चीफ सेक्रेटरी रोकेगा? सरकार हम चलायेंगे कि चीफ सेक्रेटरी चलायेगा? चीफ सेक्रेटरी आर्डर निकाल रहा है, माननीय मंत्री महोदय, यह हमारे सम्मान के खिलाफ बात है। भूजल वैज्ञानिक आपके जाता नहीं है, पी एच ई डी हैंड पम्प लगाता नहीं है और यह हम लोगों की बेइज्जती करने वाली बात। अगर इस तरह से काम करेंगे तो यह सदन का अपमान है। यह सब चीजें गलत हैं, सारे एम एल एज का अपमान है इसके

(श्री करणसिंह)

अन्दर। चीफ सेक्रेटरी बोलता है, एम एल ए गलत जगह हैंड पम्प लगाते हैं। चीफ सेक्रेटरी हैंड पम्प लगाने के अलावा कर ही क्या सकता है? क्या करेंगे हम लोग, अगर एक हैंड पम्प नहीं लगायेंगे तो? हमारे पास बचा क्या? यह बहुत गलत है, हमारा अपमान है। आप ऐसे चीफ सेक्रेटरी को बोल देना, इस तरह की हिम्मत नहीं करे, इस तरह के काम करने की। मैं मुख्य मंत्रीजी से बात करूंगा। अफसर अपना ग्राफ ठीक करे, गलत काम नहीं होने देंगे।

इसके अलावा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, काम भी होने चाहिये।

श्री पेमाराम (धोद): बोलेगा कौन? मंत्रीजी का कहना भी नहीं मानता चीफ सेक्रेटरी।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं। जो व्यवस्था है उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें एम एल ए और एम पी भी हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। वास्तव में यह विधायक कोटे का पैसा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सारे सदन का अपमान है इसके अन्दर। आपका भूजल वैज्ञानिक जाता ही नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ट्यूबवैल के अन्दर 80 रुपये फीट और उसमें 240 रुपये फीट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): मुझे बोलने दो। मैं आपकी बात पर बोलूंगा तो बोलना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप सही कह रहे हैं।

श्री करणसिंह (छबड़ा): मैं, माननीय सभापति महोदय, सेक्रेटरी साहब को बताना चाहता हूं, रामलुभायाजी को, आप अच्छा काम कर रहे हैं; मैं मानता हूं, आपने अच्छा काम किया मगर व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी आपको। आपके भूजल वैज्ञानिक जाते नहीं हैं। मेरे छबड़ा में हैंड पम्प की डेढ़ सौ की लिस्ट पड़ी है। मैं रूलिंग गवर्नमेंट का एम एल ए हूं और भूजल वैज्ञानिक कहता है, मुझे जीप दो, तब जाऊंगा। कलक्टर से जीप मांगता है वह, पी एच

(श्री करणसिंह)

ई डी के एक्स.ईएन. से जीप मांगता है वह। इन व्यवस्थाओं से हमारी बदनामी होती है, सरकार की। इसलिए इन अधिकारियों को ठीक करिये।

मैं सदन को कहना चाहता हूं इस तरह का, मैं फाड़ता हूं, यह चलेगा नहीं, यह नहीं चलेगा। (व्यवधान) कुछ, कुछ राठौड़ी कार्यवाही है। एक राठौड़ तो नहीं है, दूसरा तो हो गया अब। एक राठौड़ साहब चले गये, दूसरे काम करेंगे; करने दो ठीक-ठाक। अब मैंने थोड़ी की गलती, आपका आशीर्वाद चाहता हूं सब का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री करणसिंह (छबड़ा): पांच मिनट। और पांच मिनट।

श्री सभापति: अपना संक्षेप में करें आप। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, पानी के लिए हैंड पम्प, जिस तरह से आपने जो योजना बनाई है, इसमें मेरा सुझाव है, हैंड पम्प, के लिए बोला कि साहब, डेढ़ सौ की आबादी पर हैंड पम्प होना चाहिए। आज भी राजस्थान के अन्दर कई गांव ऐसे हैं जिनकी डेढ़ सौ की आबादी पर, 50 घर की बस्ती पर हैंड पम्प नहीं हैं। इसलिए आपने यह बनाया है प्रोफोर्मा, इसको ठीक करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, पी एच ई डी और इरिगेशन के दोनों बैठे हैं, आप पढ़ा तो करा करें इसको, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये अधिकारी लोग इसको बना लेते हैं, यह हमारे खिलाफ जाता है, जनता में हमको जवाब देना पड़ता है। अगर एक हैंड पम्प 40 घर की बस्ती पर नहीं दे पाएंगे और भूजल वैज्ञानिक नहीं जाएगा तो हमारी क्या स्थिति होगी उसके अन्दर? इसलिए आपको व्यवस्था, पूरे राजस्थान में नहीं है अभी, कई गांवों में पीने का पानी नहीं है। आप और हम लोग मिनरल वाटर, हम लोग, नेता लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं, वहां गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है। इस पर विचार करना पड़ेगा।

मैं सदन में किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आप भी राज में रहे हो, आप भी मजे लेकर चले गये, हम भी मजे लेकर चले जाएंगे। जनता हमको निपटा देगी। आपने मजे लिये इसलिए उधर बैठ गये, हम भी मजे लेंगे तो जनता हमको निपटा देगी। इसलिए हमारा टाइम बचा हुआ है, उसमें ठीक व्यवस्था करनी पड़ेगी, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे यहां ल्हासी परियोजना पेंडिंग पड़ी है। इस बजट में मुझे कुछ नहीं मिला। पानी का क्राइसिस चल रहा है, पूरी

(श्री करणसिंह)

जनता परेशान है, 40 हजार की आबादी है। इसलिए 40 हजार की आबादी पर अगर टैंकर मंगाना पड़ेगा, इसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को शीघ्र मंजूर करें और हैंड पम्प की पानी की व्यवस्था में आपने जो कमियां देखी हैं, उनको ठीक करने का प्रयास करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: श्री रणवीर पहलवान।

श्री करणसिंह (छबड़ा): इस सारे लवाजमे को एक बार हाड़ौती में भेज दीजिए सर्वे कराने के लिए। कितनी योजनाएं बन सकती हैं पानी की, उन योजनाओं को बनाकर के मंजूर कराइए और पूरे राजस्थान को हम पानी पिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, पानी न तो बी जे पी के पास है, न कांग्रेस के पास है, असत्य बोलने से कोई फायदे की चीज है नहीं, पानी भगवान के पास है। हिमालय से जुड़े कुछ राज्य हैं, वे तो वहां से ले लेंगे, बाकी तो रेन वाटर स्टोर करके सदुपयोग करें, वही एक मात्र रास्ता है, यह स्वीकार करनी पड़ेगी बात सभी को। 64 वर्ष की आजादी के बाद भारत में ही नहीं, राज्य की और भारत की, दोनों की जनता पानी के लिए खड़ी है तो क्या खाक तरक्की कर ली हमने, क्या आजादी कर ली? इस आजादी का फायदा, पता नहीं, किस तरह की आजादी आई। पानी के लिए ही लोग, मैं इसमें थोड़ा सा बताऊं, जैसे इजराइल में, मैंने तो सुना है, मैं गया नहीं हूं, पानी को चार बार काम में लेते हैं; टब में बैठ कर नहाते हैं, उसी पानी से फिर कपड़े धोते हैं, उसी पानी से घर के बरतन धोते हैं और उसी पानी को स्टोर करके पेड़ों पर डालते हैं। दो सौ सदस्य यहां बैठे हैं करीब-करीब, हम विधान सभा क्षेत्रों में एक बात फैलाएं कि पानी का सदुपयोग कर लें।

दूसरा, अब की बार मुख्य मंत्रीजी ने रुपयों की कमी तो छोड़ी नहीं क्योंकि 12-13 सौ करोड़ रुपये रेन वाटर स्टोर करने के लिए दिये हैं। दुर्भाग्य यह है कि पहले बजट भाषण में भी यही थे, दूसरे बजट भाषण में भी यही थे, तीसरे और चौथे में भी यही थे। जकियाजी और कमलजी भाई बैठे हैं, हम तीनों मिले थे कि हमारे बीसलपुर का पानी पास हो गया पहले बजट भाषण में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पहलवान साहब, मर्द अपनी जबान का पक्का होता है, बार-बार बदलता नहीं है। जो एक बार कह दी, वही बात बार-बार कहे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): तो हमारे बजट भाषण में यह बताया गया था। वैसे भी माही डैम को छोड़ कर हमारे पास सबसे बड़ा डैम बीसलपुर डैम है, 38 टी एम सी पानी की भराव क्षमता उस डैम की है। सिंचाई तो भाड़ में गई, हमें तो पीने का पानी मांगते 25 वर्ष हो गये, 25 वर्ष पहले बांध बना था। तो जकियाजी ने मेरे को वहां बुलाया और बुलाकर कहा, देखिए, पहले बजट भाषण की है, अपन निहाल हो गये, अपने पानी पास हो गया और मुख्य मंत्रीजी ने वहां पढ़कर सुना दिया कि अगली गर्मी में पानी चालू हो जाएगा। अगले बजट भाषण में अगली गर्मी तक, चौथे बजट भाषण में भी अगली गर्मी तक। इससे आगे तो जनता पानी पिला देगी, पांचवीं तो आने देगी नहीं। फिर जनता का काम शुरू हो जाएगा।

उस बांध के लिए टोंक जिले ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। पूरे टोंक जिले के उस बांध के भराव क्षेत्र में से करीब दो सौ गांव उठाये गये थे और उन गांव वालों ने उठने से मना कर दिया तो अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन दिये गये थे कि सभी के घरों में फोर-व्हीलर होंगी, सिंचाई होगी, हर घर में टूंटी लगेगी। यह बात अखबारों में पढ़कर उनके रिश्तेदार जो बाहर टोंक जिले में रहते थे, वहां उनके पास गये और उनके हाथ जोड़ने लगे कि भाइयों, उठ जाओ, अपन निहाल हो जाएंगे, टोंक जिला हरा भरा हो जाएगा, बांध को बनने दो। वे उठने को राज़ी हो गये, उनको विस्थापित करने के लिए फिर दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो गई कि अब इन दो सौ गांवों को कहां पर विस्थापित करें। तो टोंक जिले का करीब-करीब 70 प्रतिशत चरागाह जो था, वह अलाट कर दिया गया। चरागाह अलाट होते ही टोंक जिले का पशुधन बरबाद हो गया। गांव घर से बाहर पशु ले जाने की जगह ही नहीं बची।

अब टोंक जिले के आदमी ने उम्मीद, आशा की कि बांध बन गया, और बांध भर भी गया था, सभापति महोदय, अब इसमें से पानी मिलेगा। 70 प्रतिशत सिंचाई का था और 30 प्रतिशत पानी पीने का पास हुआ था। एक गांव में पीने का पानी नहीं दिया और उसका उलटा कर दिया, 70 प्रतिशत पीने का और 30 प्रतिशत सिंचाई का। फिर थोड़े से दिन में एक प्लान बना, सौ का सौ प्रतिशत, 90 प्रतिशत पानी करीब पीने का कर दिया और 10 प्रतिशत सिंचाई का छोड़ दिया। उस पानी को जयपुर, केकड़ी, भीलवाड़ा,

(श्री रणवीर पहलवान)

ब्यावर, अजमेर, कुछ भाई नागौर तक भी मांग कर रहे हैं, जोधपुर तक भी उसी की मांग कर रहे हैं, कोटा में भी राठौड़ साहब कह रहे थे अभी, बीसलपुर डैम का बाहर पानी भेजा गया। टोंक जिले के गांव-ढाणी किसी में पानी नहीं दिया गया।

दुर्भाग्य तो यह है कि मुख्य मंत्रीजी चारों बजट भाषणों में यह घोषणा कर चुके कि अगली गर्मी तक पानी आएगा मेरे ख्याल में तो कमलजी निवाई से हैं, जकियाजी टोंक से हैं, कहीं पानी चालू हुआ है, काम आपके यहां? भाई, हुआ तो हां, कर दो; मैं भी हां भर लूंगा, और मैं अकेला हां करूं तो फिर फायदा क्या है? फिर असत्य बोलूं तो फिर कहोगे, असत्य बोल रहा हूं। उससे पहले ही बता दो न। कहीं किसी के चालू हुआ? आप बोल नहीं सकते, पट्टा बंधा हुआ है आपके। मैं बोल सकता हूं, किसी के चालू नहीं हुआ। वहां की जनता इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद...(व्यवधान)

श्रीमती जकिया (टोंक): पहलवान साहब, पट्टा बंधवाने के लायक हम लोग नहीं हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): क्या?

श्रीमती जकिया (टोंक): पट्टा बंधवाने के लायक हम लोग नहीं हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): भाई, कहां से बोल रहे हैं? मुझे दिखा ही नहीं, कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं। खड़े होकर बोल दें।

श्रीमती जकिया (टोंक): आप करेक्ट करें इस चीज को।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): किसको करेक्ट करें? पट्टा को?

श्रीमती जकिया (टोंक): आपने अभी कहा कि आपके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, इसको करेक्ट करें आप। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): जनता के हक में बोलना पड़ेगा। चुनाव में घोषणा की थी कि चुनाव जीतते ही पानी लाएंगे। आपने भी और सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में यह कहा था कि हम चुनाव जीतते ही पानी लाएंगे। हर चुनाव में कही जाती है, चुनाव जीतने के बाद...(व्यवधान) आप बड़ी बहन के अलावा बहुत सीनियर हैं। मैं दस दिन तक टोंक जिले में आमरण अनशन, भूख हड़ताल पर था, आप तीनों विधायक भी वहां आकर बैठते। मेरी मांग थी टोंक जिले को पीने का पानी मिले। तो क्या सरकार की हिम्मत थी पानी नहीं देती हमें? 96 विधायक हैं, 15 दिल्ली में घूम रहे हैं, 2-4 जेल में

(श्री रणवीर पहलवान)

हैं। पानी ही नहीं मिलता हमारे को, हम चारों वहां बैठ जाते तो हमारे पास डेढ़ सौ विधायक हों।

श्रीमती जकिया (टोंक): एक मिनट, आपकी इंफार्मेशन के लिए बता दूं मैं कि मैंने किसी भी तरीके से टोंक शहर के लिए पानी ला दिया है। नल में टोंक, बनास का पानी आ रहा है ...(व्यवधान)...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ताली तो मत बजाओ। हमारे बीसलपुर के पानी से टोंक जिले की तहसील के एक गांव में पानी हो, तो जकियाजी 'हां' भर लें, मैं इस सदन के आगे ये सबूत दे दूंगा। एक गांव में ही पानी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके बीसलपुर बांध से कई गांवों को ...(व्यवधान) पानी मिल रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बी जे पी के कार्यकाल में बन गया था वह...(व्यवधान) और बी जे पी के कार्यकाल में चालू हो गया था। कांग्रेस सरकार में एक गांव में पानी दिया हो तो हमें बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इस तरह से मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? बिलकुल नहीं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): थोड़ी-थोड़ी बहस करने दो।

श्री सभापति: आप नाम ही क्यों ले रहे हो? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं तो चुप हो जाऊंगा, कोई बात नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, चेयर की ओर माननीय सदस्य देखकर बोलें, चेयर में आकर्षण होना चाहिए। अब जकियाजी ने तो आकर्षित कर लिया, आप नहीं कर सकते।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बीसलपुर के पानी के लिए मेरी प्रार्थना है। बहुत ज्यादा पानी स्टोर होता है, हमें आपत्ति नहीं है यदि दूसरे लोगों को सरकार देती है। राज्य सरकार का कार्य पूरे राजस्थान को पानी पिलाना है। हमारी प्रार्थना है, उस टोंक जिले की जनता ने जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी की और पानी करीब 400 फीट नीचे चला गया, फ्लोराइड की मात्रा 70 प्रतिशत पानी में है, वहां के हर 10 में से 5 लोगों की हड्डियां मुड़ गई, दांत गिर गये, सिर पर बाल थे, वे 30 वर्ष के बच्चे के सफेद हो जाते हैं...

(श्री रणवीर पहलवान)

(व्यवधान) यह रंग लगा रखा है आपने और मैंने, उतर जाएगा तब हो जाएगा। इस रंग से थोड़े ही बात बनेगी। अन्दर से, पता है, सफेद हैं।

श्रीमती जकिया (टोंक): ये एज के नहीं, तजुर्बे के हैं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 30-30 वर्ष के बच्चे के बाल सफेद हो गये, दांत गिर गये, हड्डियां मुड़ गई। सरकार तो क्या दे देगी, सरकार को जनता ही पानी पिला देगी क्योंकि अब टाइम बचा नहीं। पहले बजट भाषण में, जकियाजी, हां भरो, मैं आपकी सीट पर आकर बैठा था और आपने खोलकर देखा, पेज नम्बर इतने पर, टोंक जिले के अन्दर पानी पास हो गया। वह पानी पास ही पड़ा है पुस्तक में, वह काम चालू नहीं हुआ।

एक टट्टू तांगे के जोड़ रखा था और पुल पर सवारी लेकर चढ़ने लगा, तो टट्टू थोड़ा कमजोर था, वह तांगा वापस आने लगा। डण्डी मारते हुए बोला, 20 किलो घी देना ओढ़ रखा है, फिर भी तांगे को खींच नहीं रहा। अब वह घी देना ओढ़ ही रखा है, उस टट्टू को कुछ मिला ही नहीं। वह हालत जनता की बना रखी है।

एक किसान भैंस लेकर तालाब के अन्दर पानी पिलाने गया। गर्मी के दिन थे, वह भैंस रस्सी छुड़ाकर तालाब में घुस गई। किसान को तैरना आता नहीं था, इधर से पत्थर मारा, तालाब के उस किनारे पर चली गई; उधर से पत्थर मारा तो इधर आ गई। भैंस को मजा आ गया। किसान ने थोड़ी देर बाद दिमाग से काम लिया, खेत में से हरा-हरा चारा उखाड़कर ले आया, भैंस को दिखाया तो बाहर आ गई। चारा पीछे फेंक दिया, उसके लट्ठ मार-मारकर घर ले गया और खूंटे से बांध दी। घर वालों को कहा कि अगले पांच महीने तक इसे खूंटे पर ही पानी पिलाना। ठीक वही हालत कर दी। तब तो सिर पर चारा लेकर गये थे, टोंक जिले की पूरी की पूरी जनता फंसा ली, अब पांच वर्ष तक उसको काटेंगे, फिर बची-खुची निकलेगी।

मैं वैसे इस बात के लिए मना नहीं करता, सुबह से कह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी ने पानी नहीं दिया, मुख्य मंत्रीजी ने पानी नहीं दिया। विश्नोई समाज को पानी पिला दिया; जाट समाज को पिला दिया; पूर्व जलदाय मंत्री को पिला दिया, यहां बैठते थे, भंवरी को पिला दिया, कितनों को पिला दिया। अब अकेला क्या-क्या करे? मेरी गारंटी है आप...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): भंवरी भी पानी पीती थी। वह नहीं पीती थी क्या? 150 सी डी में से 149 सी डी वालों को पानी पिला रहा है, ब्लैकमेल किये जा रहे हैं वे। सी बी आई को जांच इसलिए दी गई है कि भारत सरकार बदल जाएगी तो फिर जांच होगी तो आप फंस जाओगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इसलिए ऊपर भी कांग्रेस की सरकार है, मैं सी बी आई से लीपापोती करके खुद को निकाल लेता हूं। अगर भंवरी देवी से बात नहीं हुई मुख्य मंत्री की तो काल डिटेल निकाल लो, मेरी गारंटी है।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): यह कोर्ट में केस चल रहा है। कैसे बोल रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं तो यह कह रहा हूं, पानी पिलाने की बात है, बस पानी पिलाने तक है यह।

श्री सभापति: क्यों बोल रहे हैं आप यह?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): पानी पिलाने की बात है, पानी की बात बोल रहा हूं।

श्री सभापति: कहां से कहां पहुंच रहे हैं आप। आपके पास समय कम है। एक मिनट अलाउ कर रहा हूं। माननीय सदस्य, सिर्फ एक मिनट अलाउ कर रहा हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): एक घण्टा हमारे पास है।

श्री सभापति: पहले जो निर्धारित कर रखा है, उससे ज्यादा समय आप ले चुके हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): 6 करोड़ जनता तक तो पानी पहुंच गया, इस केस के बारे में एक मिनट बात कर लेता हूं। सी बी आई क्या उन 149 सीडी को उजागर करेगी या उन व्यक्तियों को ब्लैकमेल होने देगी? नम्बर दो, क्या सी बी आई मुख्य मंत्री की जांच करेगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, ये क्या बोल रहे हैं? जाट समाज को पानी पिलाया, ऐसे-ऐसे शब्द काम में ले रहे हैं।

श्री सभापति: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल। आप विराजो, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 46 व 27, सिंचाई व पेयजल पर हो रही चर्चा में भाग ले रहा हूं। सभापति महोदय, आज एक अहम मुद्दा है जिससे पूरे प्रदेश का जीवन जुड़ा हुआ है। हम जिस जिले से सदन में पहुंचे हैं उसके अन्दर एक प्रमुख इंदिरा गांधी नहर चलती है। मुझसे पूर्व भी इस बात का जिक्र हुआ था, मगर बात सिर्फ बहस में निकाल दी गई और आज मैं फिर उसी बात की पुनरावृत्ति करने जा रहा हूं।

सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर का पानी विशेषकर गंगानगर के लोग वह पानी पी रहे हैं। उस पानी में फिरोजपुर के पास जो चमड़ों के बड़े कल-कारखाने हैं, उनका केमिकलयुक्त पानी आ रहा है और पिछले एक दशक से पूरे जिले में जो नहर बीकानेर जिले तक जा रही है उस पानी से कैंसर का असर है, कैंसर से प्रभावित है, कैंसर से लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब राजस्थान सरकार इसके ऊपर पूरी तरह मौन है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे वहां भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार है और सरकार के अन्दर इस बात की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। जनता दूषित पानी, केमिकलयुक्त पानी पीने से कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रही है लेकिन राजस्थान सरकार में इस इच्छाशक्ति का अभाव है। आज मैं सदन में इस बात को रख रहा हूं कि राजस्थान की सरकार सदन के अन्दर इस बात का प्रस्ताव लेकर आये कि वहां जो भी केमिकलयुक्त फैक्टरियां हैं, वहां ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाय। वहां आंदोलन चल रहे हैं, जन-आंदोलन चल रहे हैं। न तो पंजाब की सरकार इस बाबत ध्यान दे रही है और न ही राजस्थान की सरकार ध्यान देने का प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, दूसरा, यह सही है कि पिछले तीन साल के दौरान गंगानगर जिले के सिंचाई वाले क्षेत्र में आंदोलन नहीं हुआ, लाठियां-गोलियां नहीं चलीं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने वहां पर्याप्त पानी दिया हो और इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसान इससे संतुष्ट हो गये हों। पिछली 2-4 फसलें जो लगातार उन जिलों में हुई हैं, वे संघर्ष के बल पर

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

हुई हैं और इन्होंने ऐसी नीति बना रखी है। खुद हनुमानगढ़ के अन्दर हमारे चीफ इंजीनियर बैठते हैं, रेग्यूलेशन तय करते हैं, वहां भी परामर्शदात्री कमेटी बना रखी है, माननीय विधायकों को वहां बुलाया जाता है, उनसे परामर्श लिया जाता है लेकिन यह कहीं गारंटी नहीं है कि उनके परामर्श को, उनके सुझाव को मानें या न मानें। या तो उस कमेटी में जो जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनके सुझावों को सर्वसम्मति से सरकार लागू करे या ऐसी परामर्शदात्री समिति को भंग करे। उसका कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय, हमारा सरकार पर यह आरोप भी है, पिछले तीन महीने पहले राजस्थान के प्रशासन ने, राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने और जितने भी इसके माननीय विधायक हैं, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर तक प्रचार किया कि हम 90 दिन की नहरबंदी ले रहे हैं और 90 दिन की नहरबंदी में भारत सरकार का कुछ पैसा लगेगा और उस इंदिरा गांधी नहर का, राजस्थान फीडर का निर्माण किया जाएगा, उसकी मरम्मत की जाएगी। किसान दो महीने तक विचलित रहा, असमंजस में रहा। यहां तक, हनुमानगढ़ से लेकर जयपुर तक मीटिंग हुई, खुद मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, मगर परिणाम क्या निकला? विधान सभा में भी बहस हुई और दूसरे दिन हमें पता लगा, राजस्थान की जनता को पता लगा कि राजस्थान की सरकार असत्य बोल रही है, पंजाब को इन्होंने एक रुपया तक नहीं दिया और यहां 90 दिन की बंदी का तीन महीने तक प्रचार किया। हमने 90 दिन की बंदी का विरोध किया था, हमने 40 दिन नहर निर्माण के लिए किया था लेकिन आपने पूरी तरह 90 दिन भी नहीं, 50 दिन भी नहीं और एक रुपया पंजाब को न देकर यह साबित किया कि आप उस नहर की मरम्मत करना ही नहीं चाहते। उस नहर के जितने लोग हैं, जो 4-5 जिलों की जीवनदायिनी है, उनको बरबाद करने का काम आपकी सरकार लगातार कर रही है।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान की सरकार को आज इसी मांग पर सुझाव भी दे रहा हूं। अगर ये मानें तो ठीक है, नहीं तो गंगानगर के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहते हैं, आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपने हक के लिए कुर्बानी पिछली सरकार में भी दी है और अभी भी इनको यह कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो रेग्यूलेशन बनाएं, कम से कम किसान का छमाही रेग्यूलेशन बनाएं ताकि उसे पता लगे कि उसकी फसल में पहली

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

बिजाव से लेकर पकाव तक कितना पानी चलेगा, उसे पता लगे और वह बिलकुल निश्चित होकर अपनी खेती करे। सभापति महोदय, हर महीने रेग्यूलेशन बनता है। जब सिंचाई का टाइम आता है तो सात रोजा पानी चलाते हैं और पकाई का टाइम आता है तो साढ़े तीन रोजा पानी चलाते हैं। माननीय मंत्रीजी, यह आपने लगातार दूसरी-तीसरी बार किया है। इस बार भी गेहूं की फसल बरबाद हुई है। सिंचाई के टाइम साढ़े सात रोजा बारी चली लेकिन पकाई के टाइम जाते-जाते साढ़े तीन रोजा बारी दे दी जिससे छोटे, लघु किसानों ने अपनी पकी-पकाई फसल को बरबाद होते अपनी आंखों से देखा है।

सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान सरकार की इच्छाशक्ति का सवाल है, पिछले साल भी सरहिंद फीडर पर एक कट लगा दिया था, वह भी विधान सभा में खूब गूंजा और 17-18 महीनों के बाद बड़ी मुश्किल से वह कट बंद हुआ। सरकार ने तो उस समय भी यहां तक यह जवाब दिया था कि हमें पता ही नहीं है कि पंजाब कब कट लगा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर आ रही है, इस नहर के ऊपर आपने पिछली दफा एक कमेटी भेजी है। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं मगर उस कमेटी ने जो सुझाव दिये, वे सुझाव आपने कहीं लागू नहीं किये। एक नहर जो पूरे पंजाब को चीरकर राजस्थान को जीवन दे रही है, उस नहर पर कहीं पंजाब में राजस्थान की मानिटरिंग नहीं है और राजस्थान की मानिटरिंग नहीं होने की वजह से उस नहर का पानी न केवल पर्याप्त मात्रा में चोरी हो रहा है, बल्कि बरबाद भी किया जा रहा है।

सभापति महोदय, राजस्थान में हमारे इलाके में, अनूपगढ़ में घग्घर नदी का पानी आता है, पिछले काफी अर्से से पानी लगातार आ रहा है और हम सरकार से यह मांग भी कर रहे हैं कि जब उस इलाके में लगातार पानी के लिए संघर्ष चल रहा है, पानी की अनियमितता होती है तो कम से कम जहां घग्घर बेल्ट का पानी रुके, वहां सरकार को डैम बनाना चाहिए, डैम बनाने पर विचार करना चाहिए। अगर वह डैम बनाते हैं तो कम से कम आधे जिले को सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है। वह पानी जो बिना डैम की वजह से हम गंगानगर जिले के लोग उपयोग नहीं करते, सभापति महोदय, वह पानी पाकिस्तान जाता है। वह पानी पाकिस्तान तो जाता ही जाता है और दूसरा, उसके पीछे फिर हमें उनको मुआवजा भी देना

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार उस बारे में सोचे। लम्बे समय तक उस पानी का सदुपयोग किया जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है।

दूसरा, सभापति महोदय, अभी हमारे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी रखा है जनता जल योजना के बारे में। वास्तव में उस योजना के तहत जितने हमारे कर्मचारी भाई काम कर रहे हैं, सभापति महोदय, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र उनको 500-500 रुपये में रखा हुआ है और छह-छह महीने, साल-साल भर तक उनको वेतन नहीं दिया जाता। पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में यदि सभी विधायक अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करें तो ठप पड़ी है। ग्रामीण एरिया में विशेषकर टैंकरों का सहारा लिया जा रहा है जो गर्मी के अन्दर 800-800, 900-900 रुपये प्रति टैंकर की मांग कर लेते हैं और जो उनके कर्मचारी रखे हुए हैं, उन कर्मचारियों का भी लगातार शोषण हो रहा है। जनता जल योजना के तहत जो हमारे वाटर-वर्क्स गांवों में चल रहे थे, उनको भी पूरी की पूरी तरह इन्होंने पंचायत को हैंडओवर किया है। सभापति महोदय, अब हालात यह हैं कि ग्राम पंचायत के पास न तो पर्याप्त पैसा है, न वह इनका बिल भर सकती हैं और इसके अभाव में पूरे बिजली के कनेक्शन कटने से आज वे योजना भी ठप होती नजर आ रही है। जो छोटा-मोटा पैसा एस एफ सी, टी एफ सी के नाम से ग्राम पंचायतों को मिलता था जिससे वे छोटे-मोटे गांवों में करवाते थे, सभापति महोदय, इनकी नीति से आज गांवों का विकास भी रूका है और राजस्थान में पूरी की पूरी इनकी पेयजल व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए जो इनसे चूक हुई है, वह पैसा भारत सरकार ने किस कारणवश नहीं दिया यह स्थिति आज भी स्पष्ट नहीं हुई है। इन दोनों-तीनों जिलों का कोई भी विधायक यह नहीं चाहता कि उस इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत नहीं हो, हम भी यह चाहते हैं कि उस इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत हो। अतः इंदिरा गांधी नहर की राजस्थान फीडर की मरम्मत के लिए राजस्थान सरकार को प्रयास करने चाहिए। राजस्थान सरकार को प्रयास करके उस नहर की मरम्मत के लिए बात करनी चाहिए और मैं समझता हूं कि जो जनता को गुमराह करने का इस प्रकार का काम किया है, उस काम का इन्हें पश्चाताप करना चाहिए।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि आज माननीय मंत्रीजी जब अपना जवाब दें तो विशेषकर जो दो-तीन जिले इस योजना से अपने जीवन को निकाल रहे हैं, उसमें विशेषकर पंजाब सरकार को जहां बहुत केमिकलयुक्त फैक्टरियां लगी हुई हैं और केमिकलयुक्त पानी आ रहा है, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए उनको भी पाबंद करे और राजस्थान में जो गंदा पानी आ रहा है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां पनपती जा रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार काम करे ताकि राजस्थान की जनता को जीवन मिले और वे इस बेरहम मौत का शिकार नहीं हों।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रतापसिंहजी खाचरियावास।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, मैंने मेरी पर्ची सुबह 12 बजे दी थी और मेरे भाई ने 1.35 बजे पर्ची दी थी जिसमें समय लिखा हुआ है पर आपने मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। मैं ज्यादा कोई आधा घंटा या एक घंटा लेने वाला आदमी नहीं हूं, मैं मेरी तहसील की चार शब्दों में बात करके खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: सदन चल रहा है, मैं दे दूंगा समय।

श्री प्रतापसिंहजी खाचरियावास।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): नहीं, नहीं, ऐसा थोड़े ही है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, पानी को लेकर चर्चा हो रही है। जैसे-जैसे राजस्थान की आबादी बढ़ रही है, पूरे देश की आबादी बढ़ रही है, उस तेजी से पानी को लेकर विकास का प्रयास हर सरकार करती है। हम बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आते हैं लेकिन इन योजनाओं के बीच में इस देश में जिस ढंग से हमारी आबादी बढ़ रही है, हम कुछ और करें या नहीं करें लेकिन यह काम बहुत तेजी से चल रहा है, उसमें हमारी योजनाओं के बीच में हमारी आबादी भी बाधा बन रही है। लेकिन आबादी के साथ-साथ इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी तक पानी पहुंचाना सरकार की ड्यूटी है। अच्छा पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, ऐसा पानी मिले जिससे आदमी के कोई बीमारी नहीं हो।

अब राजस्थान के हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि जब राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में, पहले भी राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र माना जाता है और अब तो स्थिति यह है कि पहले तो गांवों में पानी मिल जाता है लेकिन अब

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

स्थिति बहुत खराब है, गांवों में भी डार्क जोन स्थापित हो गए। कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर खेती बिलकुल बंद हो गई क्योंकि जमीन में बिलकुल पानी नहीं है।

इस दौरान इस सरकार में एक बड़ा काम जरूर हुआ कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार ने जल नीति बनाई और इस जल नीति के परिणाम आज आएं या नहीं आएं लेकिन कल देखने को मिलेंगे। यह जो जल नीति लगी, उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग का कानून आया। आज एक बड़ा कानून बन गया कि 300 मीटर तक के जितने भी मकान हैं उन सब मकानों में वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। प्रत्येक बिल्डर वाटर हार्वेस्टिंग बनाएगा, हर सरकारी कार्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग का आपको सिस्टम डवलप करना पड़ेगा। वे डवलप हो भी गये। आपको प्राइवेट फैक्टरियों में, प्राइवेट बड़े आफिसेज में वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त देर आए लेकिन हम दुरुस्त आए और हमने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम पूरे राजस्थान में डवलप किया।

ऐसे में जब पानी पर चर्चा हो रही है तो कभी भी बात कर लो, बात यह उठती है कि आपने तो यह गड़बड़ कर दी, हमने यह गड़बड़ कर दी। अभी मंत्रीजी तो यहां पर नहीं हैं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि क्या कभी भी इन मंत्रीजी ने या किसी और मंत्रीजी ने अधिकारियों को बुलाकर यह पूछा कि 1200 करोड़, 1500 करोड़ रुपये सरकार ने इस-इस मद के लिए आपको दिए थे, क्या सब अधिकारियों की मंत्रीजी ने कभी मीटिंग लेकर कहा कि यह पैसा लैप्स कैसे हो गया? इसके लैप्स होने के कारण क्या हैं? एक तरफ तो पूरे राजस्थान का विधान सभा में बजट बनकर सामने आता है, अलग-अलग

(16.00 बजे)

मद में पैसा दिया जाता है, गांव के लिए इतना पैसा, फ्लोराइडयुक्त गांव-ढाणी के लिए इतना पैसा, शहरों के लिए इतना पैसा, कंटिंजेसी के लिए इतना पैसा, बाकायदा क्लीयर बजट में प्रावधान हैं, उतना पैसा जलदाय विभाग को डाइवर्ट भी कर दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद जब योजना समाप्त होने लगती है, वर्ष समाप्त होने लगता है तो सामने रिजल्ट आता है कि पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ। लोग मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं नीचे से, सरकार ऊपर से आफिसर्स से कह रही है कि आप योजना बनाइये, योजना बनाकर पेश कीजिये, हम आपको पैसा देने को तैयार हैं। लेकिन इसमें विधायिका को यह

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

तय करना पड़ेगा, यदि कहीं पर कोई कमी है कार्यपालिका के स्तर पर, तो उसकी बार-बार मीटिंग ली जाये, मीटिंग बुलाकर उनको ताकीद किया जाये कि इतना पैसा आपको दिया गया, वह पैसा खर्च नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और खर्च हो गया तो कितना खर्च हो गया? कितना खर्च होना बाकी है? मार्च आ रहा है, आज मेरे पास इतनी डिमांड्स आई हुई हैं, आप इस पैसे को वहां पर खर्च कीजिये।

मैं आज कहूंगा कि इन्दिराजी के टाइम पर एक स्कीम आई, आज वापस उस स्कीम पर विचार होने लगा, सरकार लागू भी कर रही है। पहले किसी भी कालोनी में आप चले जाओ, किसी भी बस्ती में आप चले जाओ, एक साथ 10-15 नल लगे हुए होते थे। वे सरकारी नल थे। उनसे पानी आता था, सब लोग उनसे भरते थे और यह खुला था। आज वापस जलदाय विभाग को, सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा और वापस सरकारी नल की बात आ गई। वह नल हमको लाने पड़ेंगे, हमको पानी के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सरकार हमेशा सिर्फ लाभ के आधार पर नहीं चलती, सरकार हमेशा जन कल्याणकारी होती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जन कल्याणकारी सरकार बहुत सी योजनाएं घाटे में बनाती है लेकिन वह सरकार की मजबूरी है। सरकार की ड्यूटी है, जन कल्याण के लिए सरकार घाटा बरदाश्त करेगी। आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उसकी मांगों को पूरा करने के लिए वह योजनाएं लेकर आती है। आज हम किसी गरीब आदमी को पानी के लिए मना नहीं कर सकते। सरकार को ऐसी पालिसी लानी पड़ेगी। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज भी राजस्थान की बहुत बड़ी आबादी जलदाय विभाग के पानी से दूर है। आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर एक बूंद पानी नहीं है, एक बूंद पानी और वे गांव बिलकुल डार्क जोन हो चुके हैं। आज इस बात से पार नहीं पड़ेगी कि राज हमारा है या आपका है, पार इस बात से पड़ेगी कि आखिर पानी का यह जो संकट खड़ा हो गया है, ऐसे में हम इस पानी के संकट से लड़ेंगे कैसे? हम सबको एक होकर तय करना पड़ेगा। यह तो इस बार भगवान मेहरबान हो गया और पूरे राजस्थान पर मेहरबानी हो गई, बरसात हो गई और मैं आज कह रहा हूं सदन में, लोगों की सोच हमेशा पोजिटिव होनी चाहिए। लोगों के मन में कई बार बात आती है, पानी नहीं बरसेगा, ऐसा नहीं होगा। भगवान तो खूब बरसायेगा, पानी अभी भी खूब बरसेगा, आप पोजिटिव रहिये लेकिन हमारी योजना ऐसी हो कि बरसात के पानी को हम इकट्ठा कर पायें, इकट्ठा करके काम में ले पायें, यह हमारी ड्यूटी है।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज नरेगा जैसी योजना हमारे साथ है। ऐसे में पंचायती राज विभाग को, जलदाय विभाग को, दोनों को मिलकर पालिसी बनानी चाहिए। नरेगा का पैसा, अरबों रुपये, करोड़ों रुपये आज केन्द्र सरकार राजस्थान को दे रही है। राजस्थान में कुछ नहीं करना, पंचायती राज विभाग के मंत्रीजी को, जलदाय विभाग के मंत्रीजी को सारे काम छोड़कर इन दोनों विभागों के अधिकारियों को बैठाना है, दोनों की पालिसी मिल-बैठकर डिस्कस करवानी है। आपके पास पैसा आ रहा है, आप इस पैसे को काम में लें। गांव में पहले स्टेट टाइम पर क्या था, तालाब थे, उन तालाबों में चूना डालकर वे साफ पानी पी रहे थे। हवेलियों में आज जो हमने वाटर हार्वेस्टिंग लागू किया, पहले वे लोग पानी को इकट्ठा करते थे। आज भी मेरे गांव खाचरियावास में हमारी हवेली में ऐसा सिस्टम है कि बरसात का पानी वहां इकट्ठा होता है और बिलकुल साफ रहता है पूरे टाइम के लिए। आज हमारे पास पैसा है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास अधिकारियों की फौज है लेकिन डिपार्टमेंटों में समन्वय का अभाव है। आज जरूरत है, पंचायती राज विभाग, जलदाय विभाग बैठें और बैठकर बात करें, पूरे साल की पालिसी बनायें और यह तय हो जाये कि इतने गांव में सूखा रहता है, इतने गांवों में पीने को पानी नहीं है। आपको नरेगा का इतना पैसा खर्च करना है। आप यहां पर तालाब कर दो; इन पहाड़ों से होकर यहां से पानी गुजरता है, यह तालाब हो जायेगा। जलदाय विभाग आपके साथ बैठकर, इस पानी की शुद्धता की जांच के लिए हमारे पास वैज्ञानिकों की टीम है, हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। आज हम पैसा बचा सकते हैं, आज हम व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे पास तो व्यवस्था है।

आज अभी इन्हीं दिनों में जब जयपुर में वाटर हार्वेस्टिंग हुआ तो मैंने खुद ने ऐसे बोरिंग देखे, जो जलदाय विभाग के सूख गये थे। वहां पर जे.डी.ए. वालों ने और जलदाय विभाग ने बात करके, जलदाय विभाग ने भी वाटर हार्वेस्टिंग वहीं की है और उन बोरिंगों में पानी आने लग गया, उन हैंड पम्पों में पानी आने लग गया। जयपुर में पानी की स्थिति सुधरी है। मैं आज पोजिटिवली कह रहा हूं, अब जो जल नीति लगी है। उसके कारण आने वाले समय में देख लेना, जयपुर में पानी की स्थिति सुधरेगी। इसमें कोई दो राय नहीं।

हम बीसलपुर का पानी लेकर आये, बीसलपुर का पानी आ गया है जयपुर में, क्या हमारी यह ड्यूटी नहीं बनती कि हम देखें? बीसलपुर की इतनी बड़ी योजना, कई सौ करोड़ रुपये बीसलपुर में खर्च हो गये, अभी भी कई

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

योजनाएं सरकार ने एनाउंस कर दीं। एक तीसरी एजेंसी सरकार को खड़ी करनी चाहिए। बाकायदा, बिलकुल फूलप्रूफ करना चाहिए कि जिनको हम बड़ा ठेका दें हजारों करोड़ के काम का, वे ठेकेदार काम करके भाग जाते हैं। अखबारों में आता है, बीसलपुर की लाइन टूट गई, बीसलपुर की लाइन की जांच हो रही है लेकिन वह अधिकारी रिटायर हो गया है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कहीं तीसरी एजेंसी होनी चाहिए, जो यह जांच करे कि आखिर हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया, कई सौ करोड़ रुपया खर्च करके पानी को लेकर हम योजना बनायें और वह योजना फेल हो जाये और उस योजना में सिर्फ इसलिए पानी बर्बाद हो जाये क्योंकि हमारा चैकिंग सिस्टम कमजोर है। इस तरह की नीति मंत्रियों को बैठकर बनानी पड़ेगी, अधिकारियों को साथ में बैठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि सारे अधिकारी, सारे मंत्री, सारा सिस्टम गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। आज भी अच्छा काम करने वाले अधिकारी भी हैं अच्छा काम करने वाले मंत्री भी हैं। जरूरत है जज्बे की, जरूरत है हिम्मत की और जज्बे के साथ आगे बढ़ने की। जो परिस्थितियां हैं, वे तो जैसी हैं, वैसी रहेंगी लेकिन रात में किसी चिंगारी से रोशनी तो निकालनी होगी, उसी रोशनी से रास्ता बनाना होगा। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जायेंगे, यह सोच लेंगे कि अब तो रास्ता बंद हो गया, अब तो इस गांव को पानी नहीं दिया जा सकता, अब तो स्थिति बहुत खराब है, तो स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जायेंगी।

आज भी जब बात उठती है, लोग कहते हैं कि जलदाय विभाग का काम निगमों को दे दो, स्वायतशासी संस्थाओं को दे दो, नगरपालिकाओं को दे दो। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, यदि कभी भी किसी भी सरकार ने राजस्थान में नगरपालिकाओं और नगर निगम को जलदाय विभाग के काम का जिम्मा दे दिया, राजस्थान बरबाद हो जायेगा। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, जो पहली बार आगे बढ़कर इसको रोकूंगा, क्योंकि मैं वही हूं जिसने कभी पृथ्वीराज नगर को नहीं टूटने दिया। जब जंची, तब हाउस टैक्स वसूल नहीं करने दिया।

इसलिए मैं यह बात आज सदन में कह रहा हूं कि जरूरत है इस बात की, योजनाएं बनाना आसान है, प्लानिंग बनाना आसान है। जलदाय विभाग का इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी टीम, मैं मानता हूं, आज जलदाय विभाग में नये कर्मचारियों को भर्ती करने की जरूरत है, जलदाय विभाग के हालात ठीक नहीं हैं लेकिन अब यह तय करना पड़ेगा, जब सरकार

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

की तरफ से कंटिंजेसी के नाम पर ज्यादा पैसा दिया जाये, टूट-फूट के नाम पर ज्यादा पैसा दिया जाये, तुरन्त यह तय किया जाये। आज पता करो, ए.ईएन. के पास गोल नहीं है, जे.ईएन. के पास टीम नहीं है, टेंडर दिया नहीं गया है; कुछ भी हो लेकिन व्यवस्था ऐसी हो, कहीं पानी लीकेज हो जाये, पानी टूट जाये तो कितना नुकसान होता है? एक पाइपलाइन टूटी, जलदाय विभाग का नुकसान, साथ में पी.डब्ल्यू.डी. का नुकसान, सड़क पूरी गई टूट, जनता का नुकसान, रास्ता जाम हो गया। एक साथ पूरे प्रदेश का नुकसान। इतना बड़ा नुकसान हो जाये और उसके बाद हम चेते नहीं, हमारी पालिसी को हम बदलें नहीं।

आज के दिन मैं, मंत्रीजी, आप आयें, मैं आपसे निवेदन करूंगा, तीन वर्ष हमारी सरकार को हो गये। मंत्रीजी, मैं इस बार आपसे अनुरोध करूंगा, बजट में कोई कमी नहीं है, जलदाय विभाग को पैसे देने में कोई कमी नहीं है; योजना में कोई कमी नहीं है; बहुत बड़ा प्लान, बहुत अच्छा प्लान, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सदन में बहुत अच्छा लगता है; जब हम स्पीच देते हैं लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आज मंत्रियों की है। मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, पहले आप जयपुर के अधिकारियों को बुलाइये, जयपुर के हर प्रतिनिधि को बुलाइये, मीटिंग कीजिये; उसके बाद आप 32 डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर जाइये। बी जे पी और कांग्रेस से ऊपर उठिये, बुलाइये हर एम एल ए को, बुलाइये अधिकारियों को, बैठकर बात कीजिये और लागू करवाइये बजट को। पूरा राजस्थान आपको धन्यवाद देगा। हमारी मोरल ड्यूटी है। यह पानी का मामला है, यह कांग्रेस और बी जे पी का अखाड़ा नहीं है। पानी में यदि बजट पास हुआ है राजस्थान की सरकार का तो वह सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं है, वह राजस्थान की है। कल लोग कहेंगे, एक मंत्री आया था जितेन्द्र सिंह, गहलोत सरकार का मंत्री, उसने हर पार्टी के विधायक को बुलाया, बुलाकर मीटिंग की, बजट सामने रखा; अधिकारियों को कह दिया, यह विधायिका है जो सबसे बड़ी है, इनकी मोरल ड्यूटी है; मैं आपसे कहूंगा, दोनों मिलिए, आगे बढ़िये; कोई कमी है तो मंत्री के नाते मुझसे जयपुर में मिलिए; मैं इस सब योजना को लागू करना चाहता हूं। मैं गारंटी से कह सकता हूं पैसा लैप्स नहीं होगा, पैसा पूरा सदुपयोग होगा।

आज भी मैं खुद, मैंने यह महसूस किया, जयपुर में नाला बेल्ट है, अमानीशाह नाले में लोग रहते हैं, पहले लोग कहते थे, यहां पानी नहीं आ

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

सकता। अबकी बार इसी सरकार में हमने सब जगह पानी की लाइनें बिछा दीं। लोगों को सपने जैसा लगता है। आज भी इस देश में आजादी के 64 वर्ष बाद, आज सुबह मैं वाल्मीकी समाज की बस्ती में गया, वहां बोरिंग हो रहा था, उसकी आंख में चमक देखो, उसका नाम मंगतूराम, सच्चा किस्सा है, सुबह जाकर आया हूं, उसने मुझे साफा पहनाया; बोला, भगवान आपका भला करेगा, बना, आप पानी ले आये नाले में, हम पानी सोच ही नहीं सकते, हम कहां से पीते; बोला, ऊपर से जाकर मांगकर लाते थे। आजादी के 64 वर्ष के बाद आज जब उसके यहां पानी पहुंचता है, वह खुश होता है, उसकी बांछे खिल जाती हैं। उसको लगता है, क्यों, क्योंकि उसको याद आता है, वह बोला कि इस राज में पानी आ गया। गांव में आज भी वह दिखाता है, इंदिरा गांधी ने जो वाल्मीकियों के लिए भवन बनाये, वह कहता है इंदिरा गांधी हमारे मकान बनाकर गईं। काम बोलता है।

इसलिए मैं कहूंगा, यह जो एस सी के लिए आज भी पैसा, अब की बार सरकार ने दिया है, एस टी के लिए दिया है, जनरल कास्ट के लिए दिया है, लोअर क्लास जो फाइनेंशियल कमजोर हैं उनके लिए दिया है। मंत्रीजी, मैं आज कह रहा हूं, यह पूरा पैसा खर्च हो सकता है, बस खर्च करने के लिए मन चाहिए। मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पाजिटिव बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगे इसलिए कह रहा हूं, पंचायत विभाग के मंत्रीजी को बैठाइये, आप बैठिये, दोनों विभागों के अधिकारियों को बुलाइये और यह तय कीजिये नरेगा का पैसा केन्द्र सरकार से जितना आ रहा है वह जलदाय विभाग की प्लानिंग में आपके साथ बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है।

मैं आज इतना ही कहूंगा, मंत्रीजी, चाहे कुछ भी हो जाय, बार-बार बात उठती है कि पानी का पैसा बढ़ा दो, पानी की स्थिति सुधर जायेगी; एक रुपया बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पानी का मोल नहीं होता, पानी मोल-तौल के आधार पर नहीं दिया जा सकता। आज लोगों की इतनी स्थिति नहीं है कि हम पानी का पैसा बढ़ा दें और लोग दे दें। मैं सत्ता पक्ष का विधायक, सरकार में मेरा भी उतना ही अधिकार है। आज हम जिस रेट पर पानी दे रहे हैं, वह रेट सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन इसी रेट पर हम सबको पानी दे सकते हैं।

जयपुर में चौबीस घंटे पानी की जो बात कही, उसका लोगों ने स्वागत किया। आज लोगों के यहां भी मीटर लगा हुआ है, आप कीजिये चौबीस घंटे पानी सप्लाई। पानी आदमी ज्यादा दोहन कब करता है जब उसको कम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

मिलता है। सुबह पहले मोटर लगाता है, मोटर लगाकर पानी खींचता है, इकट्ठा करता है, ज्यादा पानी लेता है। जब पानी उसके चौबीस घंटे आने लगेगा, पैसा खर्च होगा, वह कम पानी यूज में लेगा। और यह स्कीम सब जगह लागू कर दी जाय तो और ज्यादा सक्सेस होगी।

मैं आज फिर कहूंगा, आज जब पानी की डिमांड पर चर्चा हो रही है, सारे लोगों के पत्र आपके पास आते हैं, विधायकों के आते हैं, एक काम और आप अपने मद में कर लेना, एक आदेश दे दें, जहां भी पूरे राजस्थान में हैंड पम्प और बोरिंग खराब पड़े हैं, वे सिर्फ पैसों के अभाव में पड़े हैं। अस्सी प्रतिशत हैंड पम्प और बोरिंग ठीक हो सकते हैं, मंत्रीजी। एक सीधा सा आदेश जाय, अब तो आगे जो पालिसी बनी है अच्छी बनी है, अब बोरिंग और हैंड पम्प का रखरखाव ठेकेदार के जिम्मे कर दिया, उसकी शर्तों में आ गया; आप उसके लिए अलग से पैसा दे दो, पूरे राज्य में ये ठीक हो जायेंगे।

ये जो तीन महीने हैं, ये चुनौती के हैं और तीन महीने में आपकी प्लानिंग, आपका मेसेज, आपका पैसा, राजस्थान में बहुत बड़ा संदेश देगा। मुझे विश्वास है, मंत्रीजी, नई सोच के साथ, नये विश्वास के साथ, नये जोश के साथ तीन वर्षों में जो नहीं हुआ, इस बार आप अधिकारियों की मीटिंग बुलायेंगे, पंचायत राज और जलदाय विभाग वालों को साथ में बुलायेंगे, 32 डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर आप जायेंगे, जाकर बी जे पी-कांग्रेस के विधायकों को बैठायेंगे, बैठाकर यह कहेंगे अधिकारियों के साथ कि मुझे इस बजट में गहलोत सरकार ने जो प्रावधान किये हैं उनका रिजल्ट चाहिए और इन दो महीने के अन्दर-अन्दर चाहिए। तब हमारे बजट में जलदाय को लेकर किये गये प्रावधानों का मजा आयेगा।

मैं यह भरोसा करता हूं कि आप इस विश्वास के साथ इस बार पूरे राजस्थान में जायेंगे, राजस्थान में जाकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। मैं आज कह रहा हूं, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन है और इस सबसे बड़े सदन में चर्चा हो जाय और उस चर्चा का कोई रिजल्ट नहीं आये तो कल लोग, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। मैं भरोसे के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और यह भरोसा करता हूं कि कल का दिन अच्छा होगा, आने वाला समय अच्छा होगा लेकिन ऐसा होगा जो इतिहास बनेगा।

एक मैं अंत में मेरी, सभापतिजी, बात कर रहा हूं। सिंगल वाटर पाइंट के डिमांड नोटिस के साथ पांच साल का अग्रिम बिल, एक साथ, पांच साल का

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

अग्रिम बिल एक साथ, एक लाख छह हजार जमा कराने का सर्कुलर 12 मई, 2011 को किया गया था। यह वापस लिया जाना चाहिए। यह सर्कुलर जो जारी हुआ, 12 मई, 2011 का सर्कुलर, एक साथ, एक साथ पैसा जमा कराने की बात हो गई और वह भी सिंगल वाटर पाइंट के लिए, डिमांड नोटिस के साथ एक साथ पांच साल का पैसा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम किसी के सुझाव से लागू कर देते हैं लेकिन वे हमारे लिए रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। मंत्रीजी, ऐसे काले कानून को उठाकर बाहर फेंको और राजस्थान के आम अवाम की आवाज को सुनकर यह फैसला करो। मुझे भरोसा है, आप नये विश्वास के साथ, नये जोश के साथ इस बात को भी लागू करेंगे।

मैं यह भरोसा करता हूं, पानी के प्रति तीन साल से भगवान मेहरबान है, उस भगवान की मेहरबानी के मद्देनजर आप भी ईमानदारी के साथ पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए और जयपुर के लिए जो एरिया बीसलपुर से अभी तक बचा हुआ है वहां पर सिर्फ बोरिंग की जरूरत नहीं है, अब बीसलपुर के पानी को इकट्ठा करने के लिए आपको सब जगह टंकियां बनानी पड़ेंगी, बीसलपुर को सब जगह से जोड़ना पड़ेगा। पूरी स्थितियां ठीक हो जायेंगी, मैं विश्वास कर रहा हूं। कहीं हमारी जरूरत है, हमको याद कर लेना, हम सब आपके साथ हैं लेकिन पानी को लेकर बड़ा फैसला होना चाहिए जो इतिहास बने और राजस्थान की जनता हम सब को दुआ दे।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से पेयजल की मांग संख्या 27 में मैं अपने आप को सम्मिलित कर रहा हूं। जल पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। (व्यवधान) पेयजल व सिंचाई के मामले में राज्य की देश में बुरी स्थिति है। प्रदेश के करीब 42 हजार गांवों में से 31 हजार से अधिक गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय काफी लम्बे समय से यह प्रयास कर रहे हैं और केन्द्र सरकार में भी 34 हजार गांवों हेतु शुद्ध पानी के लिए पचास हजार करोड़ के पैकेज की मांग लगातार कर रहे हैं। योजना आयोग इससे सहमत नहीं है और जो प्रभावित गांव हैं उनका पूरा वापस आकलन कराने की बात कर रहे हैं। शहरों में भी दूषित पानी से मौतें हो रही हैं। सतही पानी उपलब्ध है नहीं, 218 ब्लाक में अधिक भूजल दोहन से हालात बिगड़ गये हैं, उद्योगों की स्थापना के लिए

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

भी पानी की कमी रूकावट बनी हुई है। स्वयं कर्नल टाड ने भी यह कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वह पेयजल के लिए होगा, पानी के लिए होगा। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। वैसे विश्व युद्ध की सम्भावना न्यूनतम है, लेकिन मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अभी विश्व युद्ध के मामले में ये लक्षण हमारे सामने नजर आ रहे हैं। जगह-जगह पानी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, दूषित पानी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं।

खास तौर से मैं तो कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान, मरुधर प्रदेश, मरुधर इलाके के अन्दर इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि उस गर्मी के अन्दर लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और कोसों-कोसों दूर पानी नहीं मिलता है। पन्द्रह सौ रुपये में टैंकर मंगवाना पड़ता है। घी से भी ज्यादा पानी महंगा है। ये हालात हमारे मरुधर में हैं। इसलिए मरुधर में कहा गया, 'तावड़े री लाय सू सूख्या नीम नीवाण, मरुधर धरती मायण जल री खींचातान' मरुधर में बहुत खींचतान है। रहिम दासजी ने भी इसका महत्व बताते हुए इसकी चिंता की 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून' उन्होंने भी इसकी चिंता की है।

पानी के लिए जंग क्या होगी, मैं तो कहना चाहूंगा कि बढ़ते हुए जल संकट के बारे में अमेरिका की एक गोपनीय रिपोर्ट आई है। वह रिपोर्ट तो पूरी मैं आपको नहीं कह सकता लेकिन इसमें हमारी आंख खोलने वाले आंकड़े हैं। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनमें भी पानी को लेकर एक पहलू विशेष तौर से है। पड़ोसी जो हमारे राज्य हैं उनमें जल बंटवारे को लेकर के हैं। गांवों में भी पानी को लेकर झगड़े बढ़े हैं। यह सारे मामले हमारे सामने हैं। इसलिए पानी की समस्या को लेकर के हमको चिंता करने की जरूरत है।

जनगणना 2001 के अनुसार जयपुर के जो हालात सामने आए हैं, 17 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें कैसा पानी मिल रहा है उनको पता ही नहीं है; 78 हजार 778 परिवार ऐसे हैं जो बिना फिल्टर किए हुए पानी पी रहे हैं; 1.62 लाख घरों को दूर से पानी लाना पड़ता है। 2001 में ऐसे केवल 96 हजार 410 परिवार थे। अब जोधपुर से लें, जहां से हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं। जोधपुर में 3 लाख 21 हजार 239 घरों में नल नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2001 में कुल 22 लाख 23 हजार 333

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

परिवारों को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। 2011 में यह संख्या बढ़कर 32 लाख 63 हजार 386 हो गई है। यह हालात हैं।

यह सारा आकलन करें तो यह चिंता का विषय हमारे सामने है कि पेयजल की स्थिति हमारे प्रदेश में क्या है। सरकार ने स्वयं राज्य मद बजट में 'ऊंट के मुंह में जीरा' का प्रावधान किया। इससे स्थाई समाधान होने वाला नहीं है। अगर घोषणा पत्र को देखें तो घोषणा पत्र तो लंबा चौड़ा है, घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि राज्य के सभी राजस्व गांवों को पेयजल की आपूर्ति होगी। अभी तो 34 हजार गांव स्वयं मुख्य मंत्रीजी स्वीकार कर रहे हैं कि उनमें पेयजल का शुद्ध पानी नहीं है और इन पांच साल में सभी गांवों में पेयजल की आपूर्ति होगी, ऐसा कहा गया है। पिछला जो बजट था वह 28 हजार 461 करोड़ का था, 2011-12 का बजट, उसमें पानी के लिए आपने 1,420.95 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जो कुल बजट का 4.98 प्रतिशत था। इस बार 2012-13 का जो बजट आया है उसमें 33 हजार 500 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना बनाई जिसमें 1,395.50 करोड़ का प्रावधान किया जो पिछले बजट से भी कम है। पिछली बार 4.98 प्रतिशत था, इस बार 4.16 हो गया। 2012-13 के बजट पैरा 36 में बीस पेयजल परियोजनाओं के लिए 3 हजार 796 करोड़ रुपयों के वित्तीय वर्ष में कार्य शुरू करेंगे, यह इसमें लिखा है लेकिन प्रावधान 1,395 करोड़ का किया है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां एन आर डी डब्ल्यू पी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में सामान्य क्वालिटी में, मरुस्थल में अलग-अलग हैडवाइज पैसा मिल रहा है। अलग-अलग हैडवाइज जब पैसा मिल रहा है तो 1 अप्रैल, 2011 को ओपनिंग बैलेंस था, 31 दिसम्बर, 2012 को उस वित्तीय वर्ष में कितना पैसा मिला, उनको जोड़कर के जितना पैसा व्यय हुआ है, मैं आपको इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि टेंडर होता है, टेंडर की समय सीमा होती है, टाइम बाउंड समय सीमा में अगर यह कार्य करवा लेते तो जो पैसा बचा है, यह पूरा लग जाता है और आगे पैसा समय पर मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह सारा का सारा मैंने अलग लिखते हुए, अगर इन सारों को हम जोड़ें जो क्वालिटी में मिला है, मरुस्थल में मिला है, प्रधान मंत्री घोषणा में मिला है, ग्रामीण स्कूल में मिला है, एन आर डी डब्ल्यू पी, अन्य में मिला है, चूरू-बीसल योजना में मिला है, तो यह ओपनिंग बैलेंस और वित्तीय वर्ष में जो पैसा मिला उसमें 1758 करोड़ 81 लाख 99 हजार रुपए हमारे को इस वित्तीय वर्ष में

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

थे, उसमें से व्यय हुआ है 927 करोड़ 69 लाख 57 हजार रुपए तो बचत हो गई 831 करोड़ 12 लाख 42 हजार रुपए। 831 करोड़ 12 लाख 42 हजार रुपए 31 दिसम्बर, 2012 को आपके पास सेविंग्स है। यह पैसा खर्च नहीं हो पाया। यह आपके प्रगति विवरण 2011-12 के अन्दर दिया हुआ है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पैसा मिलने के बाद में भी हम समय पर गांवों में लगा नहीं पा रहे हैं और पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। आपने पेयजल योजनाएं तो बीस बताई हैं वे कैसे पूरी होंगी? इतना बजट का प्रावधान तो आपने किया ही नहीं है।

मैं तो जोधपुर जिले की बात करना चाहता हूं। जोधपुर जिले में 13 पेयजल योजनाएं ऐसी हैं जो 2006-07 में मंजूर हुईं। मेरे यहां शेरगढ़ में आरडी-134, 11.10.2007 को 234.46 करोड़ हुए, उसमें से 21.43 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। इसको कितने वर्ष हो गए? आरडी-159, 1 फरवरी, 2007 को, 74.38, जिसमें से 53.70 लाख खर्च हुए। इन्द्रोकामाणक गांव में, 17.8.2006 को, 308.66, 114 करोड़ रुपए खर्च हुए, कैरूबेरू जोझयाली में 32 करोड़, जिसमें से 28 हुए। तिवरी-मतानिया-ओसियां-भोपालगढ़ परियोजना में 430 करोड़ में से 116 करोड़। ये सब 2007 में मंजूर हुई हैं, जिनको 2010 में पूरा करना था, उसके बाद, आपने कहा, 2012 में पूरा करेंगे। आगे टाइम बढ़ता जा रहा है और यह काम पूरा नहीं हो रहा है।

जोधपुर शहर में संवर्द्धन योजना के लिए 549.55 करोड़, जिसमें 60 करोड़; वृहद योजना कुडी-भटिंडा 25.89 करोड़ जिसमें 6.84 करोड़; वृहद योजना पाचना-गेवड़ा-चिरेई 366.58 करोड़, अभी काम शुरू नहीं; वृहद योजना भेड़-हरियाला 276.80, इसका काम शुरू नहीं; फलौदी की चार योजनाएं नेवा-कानासर जल प्रदाय योजना, सेकासर जैमना जल प्रदाय योजना, बाप-नया गांव जल प्रदाय योजना, खिदरथ-कलराबा जल प्रदाय योजना 142.77 करोड़ की 13.8.2008 को वित्तीय समिति की बैठक में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निकली लेकिन तकनीकी स्वीकृति के अभाव में ये सारी योजनाएं हमारी बंद पड़ी हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बार-बार जोधपुर की बात करते हैं कि जोधपुर के मुख्य मंत्री हैं, जोधपुर में काम हो रहा है, लेकिन मैं खास तौर से, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 पेयजल योजनाएं जो 2007 में मंजूर हुई हैं जो सेकंड फेज में हैं, अलग हैं, उनका एक पैसा भी

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

मंजूर हो गया, काम भी शुरू हो गया लेकिन ये 13 योजनाएं अभी ठण्डे बस्ते में हैं। इनका काम समयबद्ध तरीके से, टाइम बाउण्ड तरीके से पूरा करायें यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने तो अभी शुरू ही किया है।

कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा एन आर डी डब्ल्यू पी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में टांके बन रहे हैं, टांकों को पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। लेकिन पाइपलाइन में जगह-जगह कनेक्शन होने की वजह से उसमें पानी नहीं पहुंच रहा है। हैंड पंप घटिया क्वालिटी के लगे हैं जिस कारण वे हैंड पंप कोई कामयाब नहीं हैं। सी डब्ल्यू टी बना दीं, खैली बना दीं, वे भी काम की नहीं हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जब एक टांके में दो लाख रुपए मंजूर कर रहे हो, तो पच्चीस हजार और कर दें, तो उसमें आगोर बन जाएगा। ईंट का बनाओ, चाहे आप चाप का बनाओ, चाहे आप आर सी सी का बनाओ, जिससे बरसात होने पर उसमें पानी आ जाएगा। कम से कम छह महीने, एक साल के लिए बड़ा टांका होगा तो बरसात का पानी उसमें समाहित होगा और वह काम आ जाएगा। मेरा निवेदन है कि जितने भी एन आर डी डब्ल्यू पी में टांके बन रहे हैं, उसमें आगोर निश्चित रूप से बनायें जिससे बरसात का पानी उनमें आ सके।

वाटर हार्वेस्टिंग करने की जरूरत है। पुराने जल स्रोत, ओपन वेल, नाड़ी, तालाब, बावड़ी, टांके, इनका रख-रखाव व जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। आप कंटिंजेंसी में ले लें, और किसी योजना में लेकर के इनका जीर्णोद्धार निश्चित रूप से करायें।

सरकारी भवन, फार्म हाउसेज, बहुमंजिला इमारतें, होटल, होटल में जमीन, जमीन से निकलने वाला पानी, उनकी सीमा निर्धारित कर आप मीटर लगाकर उनसे भी पैसा वसूल कर सकते हैं। पार्क में, उद्योगों में रिसाइकल्ड पानी का उपयोग किया जा सकता है। और सफेदे के पेड़ पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि वह पानी ज्यादा खींचता है। 200 वर्ग गज के भूखण्ड वालों के लिए भी वर्षा जल संरक्षण अनिवार्य किया जाए। किसानों को जागरूक कर, समझाइश कर फव्वारा, स्प्रिंकलर खेती को बढ़ावा दिया जाए। नदियों को आपस में जोड़ने का संकल्प लाना चाहिए।

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

गुजरात की तरह राजस्थान में भी कहीं पानी बहता है तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसको काम ले सकते हैं, वह भी लेना चाहिए। गुजरात में राजस्व गांव-वाइज पेयजल के लिए समितियां बनी हुई हैं और वही समितियां पानी का सारा बंटवारा करती हैं और सप्लाई करती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यहां भी जितने राजस्व गांव बने हैं, उन राजस्व गांवों के लिए ऐसी आप कमेटियां बना दें जिससे वह पानी गांव में चला जाए वहां जल संघ पाइंट बन जाए और वहां से कैसे सप्लाई होती है वह कमेटी तय करे, निश्चित करें और वही बिल का भुगतान...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैंने तो अभी शुरू किया है, सभापति महोदय, पांच मिनट हुए नहीं है मुझे। सुझाव ही तो दे रहा हूं, और कुछ तो दे नहीं रहा हूं।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है, जनता जल योजना के बारे में सब ने बात कही। भीषण गर्मी है, पेयजल संकट है और पहले पंचायती राज को आपने दिया है। पंचायती राज को देने की वजह से पर्याप्त बजट उनके पास नहीं है। अब तो यूपी के वे बेरोजगार ही भले हैं जिनको एक हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इनको एक हजार मानदेय, वह पिछले बीस साल से दे रहे हो, चार सौ रुपए बीस साल से मिल रहे हैं मरम्मत के लिए। इनकी हजार रुपए बढ़ाकर, मैं तो कहता हूं, 3,500-4,000 रुपए कीजिए। विद्युत बिल जनता जल योजना का आप स्वयं, जलदाय विभाग भरे। पांच साल बाद उसके पम्प, मोटर, केबल बदलें, ऐसी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। खास तौर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला हो गया कि इनको न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। जो कोर्ट में गए, उनको तो आपने चैक के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दे दी और जो कोर्ट में नहीं गए, वे आज भी सफर कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी राजस्थान की जनता जल योजना के कर्मचारी बाहर धरने पर बैठे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि या तो आज घोषणा करें या माननीय मुख्य मंत्री जब वित्त, विनियोग विधेयक पर बोलें तो उस समय ये घोषणा करें तो उनकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सकता है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना एन आर डी डब्ल्यू पी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दस प्रतिशत अर्नेस्ट मनी आपने रखी, अगर ठेकेदार ने काम सही नहीं किया तो

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

दुबारा ठेका करा कर, टेंडर करा कर उस काम को पूरा किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई काम सैंक्शन हो अब, तो उसका ओ एण्ड एम उसकी मरम्मत, रखरखाव, संचालन और संधारण चाहे हैण्ड पम्प खुदायें, चाहे लाइनें डल रही हैं, उनमें आप पांच साल, दस साल का ओएण्डएम लें जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं बहुत बनी हुई हैं लेकिन क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के हालात ये हैं कि उनको आज भी आग्मेंटेशन करने की जरूरत है। जब भी आप आग्मेंटेशन करें तो उसमें निश्चित रूप से आप विद-मैटिरियल पांच साल का ओ एण्ड एम कर दें जिससे वे योजनाएं ठीक ढंग से चलें। और कर्मचारी हमारे हैं नहीं तो कर्मचारी का टोटा है, इसलिए ओ एण्ड एम के माध्यम से ये काम करायें। यह मैं आपसे खास तौर से इसमें निवेदन करना चाहता हूं।

पी एच ई डी का निःशुल्क काल सेंटर हैं। इस काल सेंटर का जवाब मेरे पास है और इनके मोबाइल नम्बर हैं। काल सेंटर में बिलकुल ही आपको गलत आंकड़े देते हैं कि हमने वहां पर समस्या का समाधान कर लिया है। मैं तो आपको यह प्रश्न का उत्तर जो आया है, आपको दे दूं, टेबल कर दूं, इसमें टेलीफोन नम्बर है आप इनको फोन करके पूछ लो कि तुम्हारे यहां स्कूल में पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वह नम्बर वाला आपको कहेगा कि नहीं पहुंचा और इसमें लिखा हुआ है कि पानी पहुंच गया। तो इसलिए अगर आपने निःशुल्क काल सेंटर चलाया है तो उसके ऊपर भी विशेष आप मानिटरिंग करें कि वास्तव में यह काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं। इसके बारे में भी आप करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, दो-तीन सुझाव हैं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, 16 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ये पूरे कर दूं। हमारे यहां अधिकारियों/कर्मचारियों के खाली पद हैं। पचास अधिकारी कम हैं, स्टाफ की कमी है। चालीस प्रतिशत कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। हमारे यहां सात सौ हेल्पर हैं जो मुंशी का काम कर रहे हैं। कोर्ट से भी फैसला हो गया, उनको भी आप मुंशी का दें।

राजीव गांधी लिफ्ट हमारी है जो जोधपुर को पानी दे रही है। 17 साल से 27 पम्प लगे हुए हैं, अब वे खराब हो गये हैं। आपने लगाये हैं। उनको आप समय पर नहीं बदलेंगे तो जोधपुर में भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। वे

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

27 पम्प 17 साल से लगे हुए हैं। इसलिए विशेष इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है।

सरकारी महकमे में भी पेयजल के करोड़ों रुपये बाकी हैं। आपने बकाया के भुगतान के लिए चलाया, लेकिन करोड़ों रुपये बाकी हैं।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सारे हालात आपके सामने हैं। जो भी हमारी समस्या है, उसके बारे में आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, 'जल है जीवन का वरदान, पनपो इससे हर इन्सान।' इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय सभापतिजी, मांग संख्या-46...

श्री सभापति: श्री पेमाराम।

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 46 और मांग संख्या-27 में अपने-आपको सम्मिलित करते हुए कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारे देश की आजादी से लेकर अब तक निश्चित तौर पर सरकारें आयी और सरकारें चली गईं, सरकार की उम्र पांच साल की होती है लेकिन, सभापति महोदय, वाकई में पानी के सवाल को लेकर के हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। कोई भी सरकार ऐसी कोई योजना लेकर के नहीं आयी, हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर के आज भी हमारे हक का पानी, राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब काम में ले रहा है। राजस्थान में त्राहि-त्राहि मची हुई है। हमारे हक का पानी आज भी हरियाणा काम में ले रहा है। राजस्थान में पीने के पानी के लिए जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं लेकिन ये दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही है और चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, निश्चित तौर पर जब तक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे प्रान्त में त्राहि-त्राहि मचेगी, जनता पानी के सवाल को लेकर के सड़कों पर आएगी, कानून-व्यवस्था रुकेगी और योजना बन नहीं पाएगी।

इस तरह से, सभापति महोदय, मुझे एक और कहना है कि सरकार जो आती है वह पांच साल के लिए अपनी योजना बनाती है। पांच साल में जो काम होना चाहिए वह पन्द्रह वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाता, जिस काम पर पांच लाख रुपये खर्च होने चाहिए, वह पचास लाख में भी पूरा नहीं हो पाता। सरकार आती है, उसी के साथ उसकी योजना चली जाती है। दूसरी सरकार आती है,

(श्री पेमाराम)
नयी योजना आ जाती है। उसका परिणाम यह आता है कि पानी की समस्या का समाधान होने की बजाय करोड़ों-करोड़ों रुपये पानी के नाम पर बहाये जाते हैं और उससे बेवजह का भ्रष्टाचार होता है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि योजनाबद्ध तरीके से जब तक काम नहीं हो पाएगा, सरकार उसको ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पाएगी।

उसी के साथ, सभापति महोदय, जो सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पर मेरे से पूर्व वक्ता साथियों ने भी कहा है वाकई में हम विधायक कोष से जो ट्यूबवैल बनवाते हैं, हैंडपम्प बनवाते हैं, पंचायत राज संस्थाओं से बनवाते हैं वह दो लाख रुपये में बन जाता है और इनके पानी महकमे का साढ़े पांच लाख रुपये, छः लाख रुपये का खर्चा आता है। आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार है। सुपरविजन यदि ये नहीं कर पाएंगे तो जहां दो ट्यूबवैल बन जाएं और उतना पैसा एक में खर्च कर दें। तो निश्चित तौर पर यह हमारी निगरानी की कमी है। निगरानी हम नहीं कर पाएंगे तो चाहे करोड़ों की कितनी ही बड़ी योजना बना लो, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। पांच साल वाला काम पचास साल तक भी पूरा नहीं हो पाएगा।

इसी तरह से, सभापति महोदय, एक चीज और है। अभी पानी की कमी है और प्रचार कर रहे थे कि एस सी के लिए आया, एस टी के लिए आया, फलां जगह के लिए आया लेकिन पीने का पानी, मैं समझता हूं कि भारत की आजादी से पहले भी सेठ-साहूकार जो हुआ करते थे पानी पीने के लिए प्याऊ लगाया करते थे। जो पैसे वाला आदमी होता था, वह कुआ या बावड़ी बनाया करता था। आज आजादी के बाद, आजाद भारत में भी सरकारें आती हैं, वे राजनीतिक बदले की भावना से, राजनीतिक आधार पर कहां कौन-सी एस सी/एस टी की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि एस सी/एस टी के मोहल्लों में राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद कोई हैंड पम्प या पीने के पानी के लिए सिंगल फेस या दूसरा कोई कुछ किया हो।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): ...(व्यवधान) कराये हैं हमने।

श्री पेमाराम (धोद): यही तो मैं कह रहा हूं कि बदले की भावना से काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता के लिए तो नहीं किये होंगे शायद। कहां किये?

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): हमने तो किये हुए हैं।

श्री पेमाराम (धोद): कहां किये? मुझे मेरी कांस्टिट्यूएंसी की दे दो न लिस्ट। पेमाराम कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से चुनाव जीत कर आ गया तो क्या पेमाराम को वेट देने वाली जनता राजस्थान की जनता नहीं है। क्या पेमाराम के इलाके में रहने वाले लोगों को पीने के पानी का हक नहीं है? और यही बदले की भावना से काम करोगे तो यह तय है, गारंटीशुदा बात है, साढ़े तीन साल हो गये डेढ़ साल आज मर्जी में आये वह कर लें, डेढ़ साल के बाद राजस्थान की जनता पानी पिला कर के तिया-पांचा कर देगी। उसके लिए आप तैयार हो जाओ।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) किया है, आप कह रहे हो इसलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये सामंती मनोवृत्ति के खिलाफ पेमारामजी बोल रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम तो मजदूर आदमी हैं, आप जानते हो हमें। (व्यवधान) नहीं, देखो, धोद वाले हमारे भाई हैं और वैसे भी मैं कामरेडों को पसंद करता हूं। यह यदि हो रहा है तो अन्याय है। मंत्रीजी, इनकी समस्या का समाधान करो, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के आदमी हैं।

श्री पेमाराम (धोद): धन्यवाद, प्रतापसिंह जी।

इसी के साथ, सभापति महोदय, मैंने मंत्रीजी से भी कहा लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ पानी की त्राहि-त्राहि मचे और मैं मेरी कांस्टिट्यूएन्सी की बताता हूं, मैं राजस्थान में दूसरी जगह की बात नहीं करता। जहां आवश्यकता है शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर टंकी पास हो और उसको कहां ले जाकर के बनवा दें, यह मैं यहां सदन में कहूं, या तो मंत्रीजी की अधिकारी मानते नहीं। मेरी समझदारी तो यह है कि या तो सरकार की चलती नहीं वरना किसकी चलती है? पोपाबाई का राज है, भगवान भरोसे काम होता है,

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): पोपाबाई का राज तो गया।

श्री पेमाराम (धोद): तो अब किसका है? अब किसका है राज? मैं समझता हूं कि गहलोत साहब की सरकार तो है नहीं, वरना मुझे यह बताओ कि आप जब वाहवाही की बात कह रहे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लिए फलां जगह के लिए यह कर दिया। है कोई, किसी की मां ने दूध पिलाया है तुम में से जो गलत करने वाले अधिकारी के लिए यही पर सदन में कहे कि मैं सस्पेंड करता

(श्री पेमाराम)

हूं? है किसी में हिम्मत? है किसी में? है किसी की सरकार? मैं समझता हूं कि कोई सरकार नहीं है।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अधिकारियों को तो जेल में डाल रखा है हमने। आप छोड़ो बात। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): सभापति महोदय, इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी भाई प्रताप सिंहजी ने कहा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय कम है, इसलिए आप सीधे-सीधे अपने क्षेत्र की बात करो और अपने सुझाव दो। समस्या है वह बता दो।

श्री पेमाराम (धोद): बिलकुल सीधे-सीधे बोल रहा हूं। अभी एम पी या एम एल ए कोटे में कहीं भी कोई ट्यूबवैल या पानी, क्योंकि हमारे साथ तो राजनीतिक भेदभाव होता है, इसलिए हमें एम एल ए कोटे से ही देना पड़ता है। एम एल ए कोटे से जब बनवाये तो उसमें इन्होंने एक आदेश निकाल दिया। भाई प्रताप सिंहजी ने जो रखा और मैंने भी उसका समर्थन किया और मैं भी पुरज़ोर शब्दों में यह मांग करता हूं कि वह सर्कुलर पांच साल का बिल एडवांस जमा करवाने का, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यह ऐसा काला कानून, पहला मौका है जब अशोक गहलोतजी चुनाव जीत कर राजस्थान के मुख्य मंत्री बन कर आये हैं, ऐसा काला कानून लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिये कि उस काले कानून को हटाये। सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है, पीने के पानी की जहां आवश्यकता है वहां पांच साल की पाबंदी हटानी चाहिये। हिन्दुस्तान की आजादी से लेकर आज तक गांवों में पीने के पानी का जो बिल सरकारी स्तर पर जमा हुआ करता था, पहली दफा हमारे सीकर जिले में, मुझे सीकर जिले का अनुभव है, सभापति महोदय, कानून-व्यवस्था बिगड़ने का सवाल आ गया। हमारे प्रभारी मंत्री दुरू मियां जी गये थे, जिला कलक्टर के वहां मीटिंग थी, गांवों से लोगों ने आकर घेर लिया, ला एंड आडर बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई। आज हरियाणा से राजस्थान में पानी लेकर कोई नहीं आ सकता। हमारे हक का पानी है लेकिन जो काम में ले रहे हैं, वे उसके लिये लड़ेंगे। इन्होंने बिल बंद करके 200 गांवों के बिजली के कनेक्शन काट दिये। मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे काले कानून पर पुनर्विचार करना चाहिये और बिजली के बिल जो आज तक चलते आये थे, कौनसी पंचायतों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, पंचायतों के पास पैसा

(श्री पेमाराम)

कहां है? पंचायती राज विभाग भी मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार के अंडर में है लेकिन सरपंचों को बदनाम करने के लिये, एक तरफ सरपंच यहां फरियाद लेकर आयें, राजा के जमाने में भी अगर कोई फरियादी आता था तो राजा उसकी समस्या का समाधान करता था या नहीं करता था लेकिन आज जिस तरह से उनके साथ लाठियां, गोलियां, आंसू गैस, उनको इस तरह से अपमानित करके उनको दरबार में आने से नहीं रोकता था। लेकिन गहलोत साहब की सरकार ने फरियाद लेकर आने वाले सरपंचों को राजधानी में घुसने पर उन पर लाठियां चलाई और अब उन सरपंचों पर बिजली के बिल थोंप कर के जनता में बदनाम करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि उस आर्डर को विथड्रा करेंगे और आने वाले समय में पीने के पानी, सिंचाई के पानी इन सवालों को लेकर दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

आपने मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ओटाराम देवासी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं।

श्री सभापति: हां, बस वहीं तक करो आप।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सिरोही विधान सभा के शिवगंज तहसील के क्षेत्र के गांवों में सिंचाई हेतु कोई बांध अथवा नहर की योजना नहीं होने से इस क्षेत्र का जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। इसके लिये गोड़ाना बांध से सिंचाई की योजना बनाने की मांग आपके माध्यम से करता हूं जिससे इस तहसील के किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त सुविधा होगी। सिरोही जिला मुख्यालय पर कालकाजी बांध का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण आने वाली बरसात तक काम पूरा नहीं हुआ तो मुख्य मंत्रीजी की घोषणा होने के तीसरे साल में भी लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा तथा एक बार फिर बरसात का पानी व्यर्थ बहकर जायेगा। इसके लिये निर्माण का कार्य आने वाली बरसात से पहले पूरा करने हेतु विभाग को सख्त आदेश जारी करने की मांग करता हूं।

सभापति महोदय, पूरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में गिरते जल स्तर को देखते हुए राज्य सरकार की कोई ठोस योजना नहीं होने के कारण सिंचाई के साथ प्रति वर्ष गर्मी के दिनों में जनता को पेयजल की समस्याओं से

(श्री ओटाराम देवासी)

गुजरना पड़ रहा है तथा फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है जिसका दुष्परिणाम भी लोगों में बढ़ते जोड़ों के दर्द एवं कमर से झुकने की स्थिति के रूप में सामने आ रहे हैं। मैं राज्य सरकार को विगत तीन साल से सिरोही विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल की दृष्टि से सिरोही को नर्मदा नहर से तथा सेई बांध के पानी को सिरोही में लाने तथा पूरी शिवगंज तहसील को जंवाई बांध से जोड़ने की मांग करता आ रहा हूं। पुनः मैं सिरोही विधान सभा में शिवगंज तहसील हेतु जंवाई बांध एवं गोड़ाना बांध से सिंचाई की योजना तथा सिरोही तहसील को नर्मदा नहर एवं सेई बांध के पानी को सिंचाई के लिये सिरोही लाने की मांग आपके माध्यम से राज्य सरकार से करता हूं।

सभापति महोदय, सिरोही जिले में बारिश के समय जितना पानी बरसता है, उसका 52 प्रतिशत बहकर सिरोही जिले एवं राजस्थान से बाहर गुजरात जाता है एवं 4 प्रतिशत पानी जालौर जिले में। इस प्रकार बरसात का कुल 56 प्रतिशत पानी व्यर्थ ही बहकर प्रति वर्ष चला जाता है। राज्य सरकार द्वारा इसे सिरोही जिले के उपयोग हेतु रोकने के प्रयास किये जावें। इसके लिये आदिवासी बाहुल्य तहसील आबूरोड में बत्तीसा नाला नदी पर देलदर गांव के समीप सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है उसे लागू करते हुए उसके ओवरफ्लो को धांता बांध तथा धांता बांध के ओवरफ्लो को अणगोर बांध में तथा अणगोर बांध के ओवरफ्लो को पाडीव कमेरी बांध में तथा पाडीव कमेरी बांध के ओवरफ्लो को शिवगंज तहसील के ओडा बांध में लाया जाये तो आबूरोड, सिरोही एवं शिवगंज, तीनों तहसीलों में किसानों को सिंचाई की सुविधा होगी तथा प्रति वर्ष 56 प्रतिशत जिले से बाहर व्यर्थ जाने वाला बरसात का पानी सिरोही जिले की तीन तहसीलों को मिलेगा जिससे इन क्षेत्रों का जल स्तर भी बढ़ेगा एवं लोगों की सिंचाई एवं पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा।

सभापति महोदय, मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिरोही विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में हैंड पम्प खराब पड़े हैं, तो कहीं जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंड पम्प नकारा हो रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 9 बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय 9 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सिरोही पंचायत समिति में ऐसे गांव हैं जिनमें पानी की बहुत विकट समस्या है। पंचायत समिति में सनपुर, सिदलर, रामपुरा, मेरमांडवाड़ा, पोसितरा, हालीवाडा, फुंगणी, मामावली, अणगोर, सिंदरथ, रामपुरा, गोल, गोयली इत्यादि तथा शिवगंज तहसील में जोयला, अरठवाड़ा, कैलाश नगर, सवली, नारादरा, बड़गांव कलदरी, छीबागांव सहित दर्जनों गांवों में हैंड पम्प खराब पड़े हैं। जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंड पम्प नाकारा हो रहे हैं। कालन्द्री गांव में पुराना बस स्टैंड, सारणेश्वर गली, घोड़ाथड़ा सहित लगते आधे गांवों में पेयजल की सप्लाई पिछले एक माह से नहीं हो रही है। सिरोही विधान सभा क्षेत्र के सिरोही व शिवगंज शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करने की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, शिवगंज तहसील के पांच गांवों की पेयजल योजना पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने बनाई थी। उसको ध्यान में रखते हुए जिला स्तर से विभाग द्वारा तखमीना गोडाणा पेयजल योजना तैयार कर अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जलदाय विभाग, जोधपुर स्तर पर योजना स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाई जाने के तीन साल हो चुके हैं परन्तु अभी तक कार्यवाही के अभाव में लम्बित है। पेयजल के लिये पूर्ववर्ती सरकार की नर्मदा योजना से सिरोही विधान सभा क्षेत्र को जोड़ने की जो योजना थी, वह योजना जिस दिन से यह सरकार आई है इन्होंने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मैं पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व मुख्य मंत्री की सरकार में जितने भी मंत्री थे, उनको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसा काम किया कि-

काम ऐसा करो कि पहचान बन जाये,
हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाये।
यहां जिंदगी तो सभी काट लेते हैं,
जिंदगी जिओ ऐसी कि मिसाल बन जाये।

जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश जोशी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से आज वर्ष 2012-13 के पेयजल से सम्बन्धित मांग संख्या 27 और सिंचाई जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना शामिल हैं, की मांग संख्या 46 के संदर्भ में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष बजट के जो प्रावधान रखे गये हैं उसमें पेयजल को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। हम सभी जानते हैं और खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्र से आने वाले हम लोग पेयजल की बहुमूल्यता, उसकी आवश्यकता को गहराई से महसूस करते हैं।

श्री जयदीप (संसदीय सचिव): माननीय सभापति महोदय, सदन के सदस्य नहीं थे फिर भी अन्दर आ गये, देवासीजी के पास। जो मेम्बर ही नहीं थे।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जिस तरीके से पूरी मांग का अवलोकन करते हैं तो हर दृष्टि से प्रावधान रखे गये हैं। आने वाले समय में एन आर डी डब्ल्यू पी योजना के तहत 2,609 करोड़ रुपये का प्रावधान रखकर उसमें सपोर्ट फंड के लिए 103 करोड़ रुपये देकर यह कोशिश की गई है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना को सुदृढ किया जाए। उसके साथ ही शहरी क्षेत्रों के लिए भी 287 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वृहद पेयजल की 29 योजनाओं के लिए 2,370 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इन सब बातों के साथ ही खास तौर से इस बात का ख्याल रखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर आवास तक कैसे पेयजल उपलब्ध हो, स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, उसका प्रयास सरकार कर रही है।

गत तीन वर्षों में इस बात के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने तीन वर्षों में मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेष तौर पर, जो एक वंचित क्षेत्र था, जिसके प्रति पिछली सरकार में उपेक्षा बरती गई थी, उस विधान सभा क्षेत्र के लिए बहुत ही वृहद स्तर पर जो योजनाएं प्रस्तुत की गईं, उन सभी की स्वीकृति दी गई है, चाहे वह शेखासर की योजना हो, चाहे वह खींचन की योजना हो,चाहे फलौदी के लिए हो, चाहे बाप के लिए हो। मैं कमी नहीं निकालना चाहता था लेकिन चूंकि शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय को उदघाटित कर दिया कि फलौदी की चार योजनाएं अभी लम्बित पड़ी हैं, माननीय सदस्य के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार ने फलौदी शहर को एक भुलावा देते हुए चार योजनाएं बनाई थीं और चारों योजनाओं के लिए कोई

(श्री ओम जोशी)

बजट प्रावधान निर्धारित नहीं किया। उसका नतीजा यह निकला कि आने वाली सरकार को उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई आई और इस वजह से वह योजनाएं यथावत पड़ी हैं। मैं कहना चाहता था कि फलौदी शहर का जो मामला शेरगढ़ के माननीय सदस्य ने उठाया, वह सत्यता के परे है। मैं तो समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने ही कानसिंह की स्डि-मण्डोर...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): पानी ले जाओ।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मुझे पता है, आप पिछले गीत गा रहे थे, ठीक नहीं थे। उस समय कुछ भी नहीं हुआ।

एक और उदाहरण दे दूं। उस समय हमारी फलौदी की झील, चार तालाबों को सम्मिलित करके बनाने की योजना बनी थी। उसके लिए भी ए एस जारी की गई थी लेकिन एफ एस जारी नहीं की गई। फिर भी ठेकेदार से काम करवा लिया गया। हमारी सरकार ने करीब सवा करोड़ का भुगतान, वर्तमान सरकार ने आने के बाद उस झील का जो काम किया गया था, उसका भुगतान किया था।

मैं चाहता हूं, वर्तमान में एक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त योजना, क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना है कानसिंह की सिड-खिदरत-मण्डोर की, 36.01 करोड़ की है, इस योजना की तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए क्योंकि हमारे बाप पंचायत समिति क्षेत्र के बहुत बड़े इलाके में खारा पानी है और लोगों को मीलों पानी के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक-एक टैंकर के लिए 300-400 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इसके साथ ही मलार-गोदड़ली-रिण योजना जो करीब 35.98 करोड़ की है, यह योजना भी बन चुकी है, इस योजना को भी अंतिम रूप देकर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये।

मेरा निवेदन है कि फलौदी से लगती हुई करीब दस ग्राम पंचायतें हैं जिनमें कि बावड़ी है, जोड़ है, हिण्डालगोल है, मोखेरी है, होवाडा है और खीचनमोखेरी, इन सभी योजनाओं को मिलाते हुए एक क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनाई जानी चाहिये।

जो झील का निर्माण किया गया है, उस झील का सही उपयोग तभी होगा जब हम नहर से पानी देकर उसको स्टोरेज के रूप में काम लें और वहां ओवरहैड बनकर, चूंकि वह झील ऊंचाई की स्थिति में है तो वहां ओवरहैड टैंक बनकर सभी जगह पर पानी की सप्लाई सुचारु रूप से हो सकती है।

(श्री ओम जोशी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी शहर की जो जलप्रदाय योजना है, वह बहुत ही पुरानी योजना है जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं वे 2010-11 तक के लिए ही निर्धारित थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फलौदी शहर बढ़ता हुआ शहर है उसकी आबादी करीब करीब एक लाख के पास जा चुकी है। इसलिए आने वाले समय में यह समस्या पैदा नहीं हो, कई कालोनीज आ चुकी हैं, उन सभी बातों को देखते हुए आप कृपा करके फलौदी क्षेत्र की रिवाइज्ड, पुनः एक योजना बनाए जिससे आने वाले समय में कस्बे की जनता को पानी की तकलीफ न हो पाए। क्योंकि फलौदी जिले की तरफ बढ़ता हुआ इलाका है, उस इलाके में वर्तमान से ही अगर ये प्रयास किये जाएंगे तो निश्चित रूप में हमें सुविधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, जनता जल योजना के सम्बन्ध में भी यहां बात आई। मैं शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य का इस बात के लिए समर्थन करना चाहता हूं कि जनता जल योजना जिस तरीके से अभी लागू करने की प्रक्रिया जारी की गई है, इसमें सरपंच किसी भी परिस्थिति में, मैं समझता हूं, इस योजना को नहीं चला पाएंगे। न तो बिजली का बिल भर पाते हैं और न ही उसकी मरम्मत करवा पाते हैं। निरन्तर हमें इस बात का फीडबैक मिल रहा है, सरपंच जाकर यह बता रहे हैं कि इस स्थिति में लोगों को पेयजल की तकलीफ हो सकती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जनता जल योजना को विभाग के माध्यम से ही संचालित किया जाए तो आने वाले समय में यह उचित रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, जो 36 करोड़ की योजना है, वह योजना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देने के समय इस योजना की स्वीकृति घोषित करावें।

क्योंकि आप केवल मात्र क्षेत्र की मांग के संदर्भ में भी समय देते हैं, इसलिए मैं आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मेरी बात को संक्षिप्त में कहते हुए यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीवाराम।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): सभापति महोदय, मेरा पूरा नाम जीवाराम चौधरी है।

श्री सभापति: जीवाराम चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

सभापति महोदय, आज इस मांग पर हमारे सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए, अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी सदन को अवगत कराया। बड़ी खुशी की बात है, आज हमें आजाद हुए लगभग 65 साल होने जा रहे हैं, फिर भी हम हमारे गांव-ढाणियों में शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा पा रहे, इस बात का बड़ा दुःख है। सभापति महोदय, हवा और पानी के बिना न मनुष्य जिंदा रह सकता है, न पशु जिंदा रह सकता है, न पक्षी जिंदा रह सकता है। पानी हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक वस्तु है, इस सदन के सभी सदस्य और उधर बैठे अधिकारी भलीभांति जानते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में पूर्ववर्ती सरकार के प्रयासों से जिन-जिन गांवों में पानी नहीं था एक्सपेरीमेंट के तौर पर हमने बोर करवाए और उन बोरिंग्स में मीठा पानी निकला। उसके बाद प्रत्येक गांव में हमने एक्सपेरिमेंट्स बोर करवाए और सारे बोर में मीठा पानी निकला। कम से कम 100 बोर हमने करवाए और चार-पांच साल से लगातार वह पानी पी रहे थे यह सरकार आने के बाद तीन साल हो गये, अगर उस बोर की मोटर जल गई तो यहां से इनको लिखित आदेश दिया गया है कि आप अपने स्तर पर मोटर की रिपेयरिंग नहीं कर सकते। जनता हमें फोन करती है, हम पी एच ई डी के अधिकारी वहां एक्स ईएन हों या एईएन हो जो भी टेलीफोन पर उपलबध मिले, उनसे निवेदन करते हैं, वे कहते हैं कि हमारे पास तो पावर नहीं है। उस गांव के लोग पानी होते हुए भी प्यासा मरने के लिये मजबूर हैं। इस बात की

(17.00 बजे)

व्यवस्था, यहां माननीय सेक्रेटरी, पी.एच.ई.डी. विराजमान हैं, शायद उनको पता होगा। हमारे एक अधिकारी ने एस.ई., पी.एच.ई.डी., जालोर को एक चिट्ठी लिखी है जिसकी कापी मेरे पास आ गयी। भूल से आज मैं सदन में नहीं लेकर आया। उसमें उनके ये शब्द हैं कि माननीय एस.ई. साहब हमारी स्थिति वर्तमान में ऐसी है कि हमें सांचोर के बाजार में कोई चार आने का नमक उधार देने के लिये तैयार नहीं है और अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, हमें वह पावर वापस नहीं दी गयी तो हमारे यहां पर जितनी भी जलदाय योजनाएं हैं, वे सारी की सारी ठप हो जाएंगी। तीन साल हो गये इस बात को, अभी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। यह तो भला हो उस भवानी वसुंधराजी का कि नर्मदा का पानी हमारे सांचोर को मिल गया वरना आज हम गांवों में जाने की स्थिति में नहीं होते।

(श्री जीवाराम चौधरी)

मैं पूरे राजस्थान और पूरे प्रदेश के आंकड़ों की बात नहीं करता हूं, पूरे प्रदेश के लोगों ने हर तहसील में अपना-अपना जन-प्रतिनिधि चुनकर भेजा है और वे उनकी व्यवस्था अपने आप सम्भाल रहे हैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि जिन-जिन योजनाओं में, पौने चार करोड़ की मेरे यहां एक योजना पिछली सरकार ने सैंक्शन की, वह काम हो गया, शुरू हो गयी, भादुरणा-अरुणाय। भादुरणा में 24 घण्टे लाइट है और अरुणाय में एग्रीकल्चर फीडर होने की वजह से पांच या छह घण्टा लाइट मिलती है। वहां से जब वे मोटर चालू करते हैं, 12 किलोमीटर तक पानी पहुंचता है और वह जो जी.एल.आर. गांव का है, पी.एच.ई.डी. का, वह भरने के बाद पानी ओवर-फ्लो होता है। वह पानी कहां डालें? मजबूरन उसको टेलीफोन करके मोटर बंद करने के लिये कहना पड़ता है। यह स्थिति है। उस फीडर के लिये उस प्रोजेक्ट में पैसे थे, डाइरेक्ट फीडर अरुणाय को करने के लिये, मगर आज चार साल होने को आये हैं, वहां अभी तक कोई इसमें सुधार नहीं हुआ है।

मेरे नहर क्षेत्र के कुछ गांव हैं, सभापति महोदय, जो लूणी डेल्टा का एरिया है, जहां पर लूणी नदी का पूरा पानी का, जब पानी आता है तो पूरी लूणी नदी के पानी का बिखराव होता है और पी.एच.ई.डी. का वहां उन गांवों में आज दिन तक एक बूंद पानी नहीं आया। यह उस नर्मदा की मेहरबानी है कि हम गर्मियों में भी जो वितरिकाएं दूर-दूर तक जा रही हैं, गांव-ढाणियों में, उनको चालू रखवाते हैं। उस वजह से वह पानी उसमें से लेकर के गांव के लोग, ढाणियों के लोग पानी पीते हैं। ये ऐसे गांव हैं, जिन्होंने आज दिन तक हमारी सरकार की व्यवस्था से गांव में पानी पहुंचा हो, ऐसा 60 साल में नहीं देखा, नहरी क्षेत्र के जैसे, जांहण्वी, केसूरी, खासरवी, सूंधड़ी, सुराचंद, दीनगुड़ा, गलिपा, तेंबी, बाटवास, रतोड़ा, खूमी, ताम्पी, दूथवा, ये सारे। एक जमाने में दूथवा और ताम्पी स्कीम से इन्होंने प्रयास किया था लेकिन वह नहरी क्षेत्र ऐसा है जहां बबूल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और वह हमारा जो पाइप है, उसमें बबूल की गांठें फंस जाती हैं, जड़ें फंस जाती हैं और पाइप चोक हो जाते हैं।

इनके पास स्टाफ की कमी है। जो-जो बोर हमारे चालू थे, वहां पर इनके पास आदमी नहीं हैं। जैसे-तैसे कर-कराकर यह जो कंटिंजेंसी में देते हैं, पता नहीं क्या बजट देते हैं, तीन साल से मुझे नहीं लगा, कुछ भी एक नया पैसा कंटिंजेंसी में दिया हो। पांच सौ रुपये में एक आदमी को बैठाते हैं और

(श्री जीवाराम चौधरी)

उससे जैसे-तैसे काम चलवाते हैं। मेरा निवेदन है सरकार से, इनके पास पैसा नहीं है तो हमारे एम.एल.ए. लैड से हमें परमिशन दें, परमिट करें कि 50 बोर हैं और 50 आदमी रखने हैं, महीने दो हजार रुपया हम देंगे, पेमेंट पी.एच.ई.डी. को करेंगे और वह पी.एच.ई.डी. उस कर्मचारी को पेमेंट करे ताकि जनता को समय पर पानी मिले।

पी.एच.ई.डी. का एक टैंकर हुआ करता था, सभापति महोदय, हमारे यहां, जो कभी-कभी दूर-दराज की ढाणियों में, स्कूलों में कोई फंक्शन हो या स्कूल में बच्चों के लिये पीने का पानी नहीं हो तो हम उस पी.एच.ई.डी. के टैंकर को भर करके 50-60 किलोमीटर तक उस स्कूल में पानी पहुंचाने के लिये भेजते थे। तीन साल से वह टैंकर बंद है क्योंकि इनके पास डीजल के पैसे नहीं हैं, टायर के पैसे नहीं हैं। यह है इस सरकार की सफलता।

नर्मदा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें अभी कोई 15 दिन पहले, जिस गति से नर्मदा का काम हो रहा था उसमें इतनी शिथिलता आ गई कि काश्तकार 15 दिन से सांचोर में धरने पर बैठे हैं शिवपुरा वितरिका का काम शुरू करवाने के लिये। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जो अधूरा कार्य है उसको तुरन्त पूरा करे।

नर्मदा की बालोरा वितरिका बार-बार, न्यू-ब्रांड बनाई थी, उसमें पहली बार पानी भेजा, वह वितरिका टूट गयी। उसकी रिपेयरिंग करवाई, दूसरी बार पानी भेजा, फिर वह वितरिका टूट गयी। इस प्रकार से वह वितरिका बार-बार टूट रही है। हमने कई शिकायतें कीं, ठेकेदार के बारे में एक्शन लेने के लिये लिखा। लेकिन क्या हुआ, वह विभाग जाने, मुझे पता नहीं है।

एक हमारे नर्मदा की भीमगुड़ा वितरिका है। सभापति महोदय, 2-3 किलोमीटर के एरिये में ऊंचा एक फिलिंग करके, लेवल की वजह से, वहां पर प्रोपर पेचिंग नहीं होने से और उसके अन्दर प्रोपर पेवरिंग नहीं होने से वह पानी रिस-रिस कर पूरा काश्तकारों के खेतों में और ढाणियों में चला गया, पूरा लबालब भरा हुआ पड़ा है। एक तरफ हम पानी के लिये रो रहे हैं और दूसरी तरफ वे पानी की वजह से परेशान हैं। मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा था। मैंने कहा कि इसका एस्टिमेट बनाकर सरकार को भेजें और पर्टिकुलर यह जो टुकड़ा है, तीन किलोमीटर का, या ढाई किलोमीटर का, इसको नहर बंद करके, पानी खाली करके पूरा वापस पेवर करवायें ताकि वहां के आस-पास के गांवों में

(श्री जीवाराम चौधरी)

और ढाणियों में रहने वाले लोगों के चूल्हे जलें, नहीं तो उनके चूल्हों में भी पानी घुस गया है। सभापति महोदय, यह व्यवस्था है इस सरकार की।

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, एक वह जमाना था कि सदन में कोई बात उठाते थे उस पर तुरन्त कार्यवाही होती थी। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जितने भी माननीय सदस्यों ने जो-जो बोला है, उसके बारे में अगर एक भी कार्यवाही हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं। तो हम यहां किसके लिये बैठते हैं? जनता हमें, जब हम यहां आपको कहते हैं, उस क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करने के लिये यहां रिक्वेस्ट करते हैं और उसके बारे में कोई नहीं; इस कान से सुना, इस कान से गया; किसी ने नोट कर लिया; कुछ नहीं, आया-गया, राम-राम। मैं इस लोकतंत्र का यह हनन मानता हूं। सभापति महोदय, इस व्यवस्था में सुधार किया जाए। सरकार इधर की हो, सरकार उधर की हो, जो काम करेगी उसकी प्रशंसा करेंगे। आपकी सरकार, आपके मंत्रीजी, अच्छे लोग भी हैं, काम करेंगे, हम धन्यवाद देंगे, प्रशंसा भी करेंगे लेकिन उसमें कमियां ऐसी नहीं आने देंगे। हम पार्टी स्तर से ऊपर उठकर के राजस्थान की जनता को किस प्रकार सुविधा मुहैया करवा सकें, यह व्यवस्था हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानसिंह।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): आपकी कोई पार्टी नहीं है।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): जनता हमारी पार्टी है।

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय सभापति महोदय, अभी सदन के मेरे साथियों ने पानी की समस्या को लेकर इस डिमांड पर बहस की। पानी की समस्या राजस्थान में एक विकराल समस्या के रूप में सामने आ रही है। इस समस्या का समाधान सभी सरकारों को करना चाहिए। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में ज्यादातर ब्लाक्स डार्क जोन में आ चुके हैं। राज्य में लगभग 91 प्रतिशत योजनाएं भू-जल पर आधारित हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी का लेवल दो तरह से होता है, एक भू-जल और एक बारिश का पानी। भू-जल के ज्यादा दोहन से या बारिश नहीं होने से भू-जल के स्तर में गिरावट आ चुकी है, या समाप्त हो चुका है। दूसरा स्तर है बारिश का पानी, जो दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ फीट तक जाकर रुक जाता है। उस पानी के लिये हैंड पम्प एक सर्वोत्तम साधन है।

(श्री मानसिंह)

कई विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हैंड पम्प अगर लगाये जाएं तो छोटी-छोटी ढाणियां हैं, जहां दो परिवार, चार परिवार, पांच परिवार रह रहे हैं, अगर हैंड पम्प की वहां व्यवस्था की जाए तो निश्चय ही वहां पानी मिलेगा और उन ढाणियों और उनके निवासियों को पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन इस सरकार ने शासन में आने के बाद में हैंड पम्प की ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे नहीं के बराबर खोदे गये हैं और जन-प्रतिनिधियों की मांग का ध्यान नहीं रखा गया। ज्यादातर जन प्रतिनिधियों की मांग थी कि जहां छोटी-छोटी ढाणियां हैं, 2-4 परिवार हैं, वहां हैंड पम्प की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अधिकारियों की लापरवाही से, अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से वहां हैंड पम्प खोदने की स्कीमें बंद कर दी गयीं।

पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विधायक हैंड पम्प चाहता था, उसको हैंड पम्प देते थे, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। हमारे माननीय सांवरलालजी मंत्री थे, माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने कह रखा था कि पानी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए; पानी का पैसा हमारे पास खूब है, किसी भी जन-प्रतिनिधि की मांग आये, चाहे हैंड पम्प, चाहे ट्यूबवै ल की हो, उसकी पूर्ति की जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज तीन साल हो चुके हैं, चौथा बजट आया है, मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरा जो एम.एल.ए. लैड है, उसमें से पचास प्रतिशत से ज्यादा पैसा पानी के लिए दिया है।

(17.10 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

क्योंकि हम जब गांवों में, ग्रामीणों में, जनता में जाते हैं तो उनकी प्रथम आवश्यकता पानी की होती है। अगर पानी की व्यवस्था सरकार कर दे तो कोई भी जन-प्रतिनिधि गांवों में जाने से डरेगा नहीं।

अब गर्मी का समय आ रहा है। अभी से ही पानी की भयंकर स्थिति बनी हुई है। टैंकर लगाने में अभी ठेके भी हो रहे हैं, 20 तारीख तक ठेका होगा, 30 तारीख तक ठेकेदार काम करेगा। आपस में कमीशन की, अधिकारियों के, ठेकेदारों के कमीशन की बात होगी और ग्रामीण जनता तक, आखरी छोर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। उसमें टैंकरों का आपस में बंटवारा हो जाता है। उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए जिससे कि ग्रामीण

(श्री मानसिंह)

जन तक पानी पहुंच सके और हैंड पम्प की विशेष तौर से व्यवस्था की जाए। हैंड पम्प तो जहां पर ट्यूबवैल की व्यवस्था नहीं हो सकती है, छोटी ढाणियां हैं, दो-चार गांव है, वहां पर हैंड पम्प की व्यवस्था की जाए।

अभी आज के अख़बार में आया कि हैंड पम्प जन-प्रतिनिधि चाहे जहां पर खुदवा देते हैं। उसका कुछ दायरा होना चाहिए। यह ऐसा नहीं है। अगर पांच सौ मीटर या पांच सौ फीट की आपने दूरी तय की, कई गांवों में एक-एक हैंड पम्प पर निर्भर हैं। एक हैंड पम्प पर सुबह से शाम तक वहां पर भीड़ लगी रहती है। रात को नौ-नौ, दस-दस बजे तक पानी भरती है जनता।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। समाप्त करें।

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ है। आप आये तब से ही बोलना चालू किया है मैंने।

श्री उपाध्यक्ष: आपको छह मिनट हो गये, छह मिनट। छह मिनट हो गये आपको।

श्री मानसिंह (परबतसर): नहीं-नहीं, अगर ईमानदारी से देखें आप... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब ईमानदारी, हाउस में ईमानदारी ही चलती है, बेईमानी कतई नहीं चलती। (व्यवधान)

श्री मानसिंह (परबतसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र में, परबतसर शहर में बुडानी ग्राम से पानी आता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप ही के आदमी रहेंगे फिर, देख लो। (व्यवधान) आप तो लेते रहो। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): वहां बोलें नहीं, यहां बोलें नहीं। (व्यवधान)

श्री मानसिंह (परबतसर): परबतसर कस्बा है, उसमें बुडानी ग्राम से पानी आता है। लेकिन उसमें ज्यादातर ट्यूबवैल फेल हो चुके हैं। मुश्किल से पांच-सात ट्यूबवैल हैं। आने वाले टाइम में नागौर लिफ्ट कैनाल का जब, नागौर लिफ्ट पहुंच जाती है, तो तीन साल में राज्य सरकार की देरी की वजह से तीन साल देर हो चुकी है। और अभी जो बजट आया है, उसमें जो भी कार्य होगा, उससे मुझे नहीं लगता कि अगले दो-तीन साल में परबतसर के लिए पानी वहां पर आ सकता है। सेकंड फेज का काम, वह समय पर हो सकता है।

(श्री मानसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मलाड़ा, मिठड़ी, मंडावरा, नारायणपुरा, खारडिया, बहरूड़, रीढ़, भादवा, बीलवा, जनजिला ग्राम पंचायतों में बेहद चिंताजनक हालात हैं। वहां पर पानी बिलकुल नहीं है। जनता टैंकरों से पानी मंगवा रही है। उन गांवों में पानी की व्यवस्था की जाए।

एक जो वाटर पम्प रिपेयर का यहां के अधिकारियों ने जो किया है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं की है। ग्राम पंचायतों को पैसा नहीं भेजा है और ग्राम पंचायतें उनको ठीक नहीं कर पा रही हैं। इसकी वजह से भी, पानी होते हुए भी, वाटर पम्प खराब होने की वजह से पानी ग्रामीण लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

एक केन्द्र सरकार ने पानी के सोर्स, पानी के लिए सर्वे किया, उसमें साफ तौर से आया कि आधा प्रदेश, पूरे राजस्थान का आधा प्रदेश जहरीला पानी पी रहा है। उसमें 1,15,247 नमूने लिये गये, 55,841 में दूषित पानी पाया गया; 59,366 में पीने योग्य पानी पाया गया; 9,487 में नाइट्रेट ज्यादा पाया गया; 11,327 में फ्लोराइड ज्यादा पाया गया] 21,950 में एक से ज्यादा रसायन पाये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अब स्वच्छ पानी नहीं दे सकती, सम्पूर्ण पानी नहीं दे सकती। जैसे एन.आर.डी. डब्ल्यू. प्रोजेक्ट के हिसाब से ग्रामीण इलाकों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी मिलना चाहिए, शहरों में 110 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए लेकिन गांवों में 10 लीटर भी प्रति व्यक्ति पानी नहीं मिल रहा है। कई ढाणियों तक तो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई गांव ऐसे हैं, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे गांवों और ढाणियों के लिए दूर से आस-पास से, जब तक राजस्थान नागौर लिफ्ट कैनाल का काम पूरा नहीं होता सेकंड फेज का, तब तक आस-पास से जहां पानी की उपलब्धता है, वहां से स्कीम बनाकर उन गांवों तक पानी पहुंचाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर शहर में तीन-चार दिन में दो घंटे के लिए पानी आता है। अगर उस पर भी पूरी व्यवस्था नहीं की गई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हालत बहुत खराब होगी।

राजस्थान नहर की जो स्थिति आयी है, मैं बताना चाहूंगा कि स्वच्छ पानी के लिए आप लोगों ने बजट में बताया कि 5,300 गांव और ढाणियां डी-फ्लोराइड की जाएंगी लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर यह डी-फ्लोराइडेशन प्लांट लगे हुए हैं, उनकी हालत देख लो आप। मेरे नावां विधान

(श्री मानसिंह)

सभा क्षेत्र में लूणवा गांव में एक प्लांट लगा हुआ है। वह प्लांट जब से लगा है, तब से आज तक चला नहीं है। पहली बार में ही खराब हो गया। न उसकी रिपेयर की व्यवस्था है, न उसका कोई और सिस्टम है जिससे कि वह आगे स्वच्छ पानी दे सके। तो यह घोषणा भी थोथी है।

जो राजस्थान नहर में पंजाब से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक पानी आता है, जिसके लिए सभी सदस्यों ने बताया, उसमें दूषित पानी आ रहा है, मरे हुए जानवर भी पाये जाते हैं। फैक्टरियों का दूषित पानी भी आ रहा है और रसायनयुक्त पानी भी आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे कोई भी प्रदेश हो, किसी की भी सरकार हो, राजस्थान की सरकार का धर्म बनता है कि वहां से बात करके स्वच्छ पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाए। वहां के आस-पास के जिलों में पानी से जनित बीमारियां हो रही हैं। पीलिया हो रहा है, पेट की और ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। वहां एक बड़े एन.जी.ओ. ने सर्वे किया, पंजाब से लेकर बाड़मेर तक, जिसमें कम से कम सौ-डेढ़ सौ सैम्पल लिये गये, सभी में पीने योग्य पानी नहीं पाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार पानी की अच्छी तरह से व्यवस्था करे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री प्रेमचन्दजी नागर।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल व 46-सिंचाई पर आज मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने चम्बल की बाईं व दाईं मुख्य नहर के रख-रखाव, जीर्णोद्धार के लिए जो 1,274 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है, उसके लिए तथा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित को देखते हुए जो कार्य किया है, उसके लिए मैं किसानों की तरफ से, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपका तहेदिल से आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल हेतु 106 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जिस क्षेत्र में फ्लोराइड अधिक है, वहां हैंड पम्प व नलकूप में डी-फ्लोराइडेशन यूनिट लगाने का जो निर्णय किया है, वह सराहनीय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं को आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने रखना

(श्री प्रेमचन्द नागर)

चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है लेकिन फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ हिस्से में पीने के पानी की अभी भी भारी किल्लत है। छापोल, कैथूदा और रामपुरिया धाभाई ऐसे गांव हैं, वहां पर लगभग दस वर्षों से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उन गांवों के लिए पानी मुहैया नहीं करवा पाया है। पहले वहां पर पाइपलाइन डली थी लेकिन सीमेंटेड होने के कारण व लम्बा अंतराल गुजर जाने की वजह से वह पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। आज की तारीख में जब भी हम सदन के माध्यम से यह बात रखते हैं तो पी.एच.ई.डी. के माध्यम से हमें हमेशा भ्रामक सूचनाएं मिलती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के जिन गांवों में टी डी एस 2,500 से ज्यादा है, कृपया उन गांवों में शीघ्र ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाये।

सहायक अभियन्ता कार्यालय, इटावा के माध्यम से कुछ योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में गत वर्ष चीफ इंजीनियर के आफिस में भिजवायी गयी थीं लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां से वे योजनाएं सरकार को भेजी गयी हैं। खातौली, पीपल्दा, इटावा, सुल्तानपुर व बड़ोद कस्बों की योजनाएं आज दिन तक चीफ इंजीनियर के आफिस में लम्बित पड़ी हुई हैं। उन पर कोई क्रियान्विति आज दिन तक नहीं हो पाई है। इन गांवों में काफी लम्बे समय से पानी की किल्लत चली आ रही है।

मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जल योजना के माध्यम से भी कई गांवों की योजनाएं बनी हुई हैं। यह योजना हर जगह पर ठप पड़ी हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने या सरकार ने इसे पंचायतों को सुपुर्द कर दिया। ना तो पंचायतों के पास वे संसाधन हैं, ना पैसा है जिसकी वजह से वे विद्युत के बिलों का भुगतान कर सकें और ना ही संसाधन हैं कि इस जनता जल योजना का संचालन हो सके। सरकार का जो पैसा इस योजना में लगा हुआ है, वह सारा व्यर्थ का खर्चा होकर पड़ा हुआ है और इन योजनाओं से ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर विशेष ध्यान देकर जितनी भी जनता जल योजनाएं संचालित हैं, उनका निराकरण प्राथमिकता से करें।

(श्री प्रेमचन्द नागर)

मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र का सुल्तानपुर क्षेत्र व इटावा क्षेत्र, दोनों चम्बल कैनाल के टेल पर स्थित हैं और यहां पर जो माइनरों व वितरिकाओं की स्थिति है, बरसों से इनकी सफाई नहीं कराई गई है जिसकी वजह से हमें टेल क्षेत्र पर इतना पानी होने के बावजूद भी टेल क्षेत्र के किसानों को फीड करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चीफ इंजीनियर के पत्र क्रमांक डी.आर./कोटा/टेक्नीकल/एफ.32 आर 9021 दिनांक 6.7.2010, चीफ इंजीनियर ने यह पत्र एस.ई. वाटर रिसोर्स कालीसिंध प्रोजेक्ट, झालावाड़ को लिखा था जिसके माध्यम से मेरे क्षेत्र की कुछ लिफ्ट योजनाओं की फीजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन दिनांक 10.4.2012 को मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में जल संसाधन विभाग ने यह कहा है कि चम्बल की नदी में वर्तमान में पानी की अपर्याप्त एवं गिरते हुए बहाव के कारण किसी भी नई परियोजना पर विचार नहीं किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षिप्त करें। कृपया संक्षिप्त करें।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही अहम सवाल है मेरे विधान सभा क्षेत्र का और ऐसे गम्भीर विषय पर आप... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रेमचन्द जी, आप जानते हो, गम्भीर बात कहने वाले हो, लेकिन अब समय का सवाल है।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): आप खुद वाकिफ हैं इस समस्या से।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी समस्या वाजिब है, लेकिन समय का सवाल है।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): लेकिन मैं कहूंगा ही नहीं तो इसका निराकरण भी कैसे होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: बहुमत उनकी समस्या के साथ में है। काफी माननीय बोलेंगे अभी।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): एक तरफ फीजिबिलिटी रिपोर्ट में अवेलेबिलिटी आफ वाटर के लिये इसी विभाग ने हमें यह लिखा है, ''There is a deep pool in Chambal river near village Chanbal Deepri. As per a preliminary survey, sufficient water is available in this pool remains throughout the

(श्री प्रेमचन्द नागर)

year so the required water from the pool, will be available as per demand.." मतलब एक तरफ तो जल संसाधन विभाग हमें यह सूचना दे रहा है कि वहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरी तरफ उनकी खुद की सर्वे रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि वहां अथाह पानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि जब चम्बल में पानी पर्याप्त नहीं है तो किस आधार पर भीलवाड़ा और बूंदी को पानी दिया जा रहा है? जल संसाधन विभाग और सिंचाई विभाग एक ही बात पर ध्यान दे रहा है कि कोटा बैराज की अप-स्ट्रीम से जितना पानी हम बाहर भेज सकें, उतना भेज दें। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा बैराज की डाउन-स्ट्रीम में आप जाकर देखें, जहां से अगर हम लोग कोई बांध बनाकर उस पानी को किसी भी शहर को भेज सकें, तो कोटा बैराज को भी इसका लाभ मिल सकेगा और सभी जगह हम जो वेस्ट होने वाला पानी है चम्बल का, उसका उपयोग कर पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, प्रेमचन्दजी।

श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पेयजल को लेकर बड़ी गम्भीर समस्या पर सुबह से मंथन जारी है और सभी माननीय सदस्य इसके प्रति बहुत ही गम्भीर हैं। मैं भी कुछ बिन्दु मेरे क्षेत्र के और राज्य के उठाना चाहता हूं। मैं सबसे पहली बात बीसलपुर परियोजना की करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो बात पहले सदन में आ गयी, उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): नहीं, मैं मेरे क्षेत्र की तो बताऊंगा न। दूदू, सांभर, फुलेरा बीसलपुर परियोजना के तहत जो स्कीम लगभग तीन साल पहले स्वीकृत हुई थी, उसमें फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के 151 गांव और दो कस्बे शामिल थे। परन्तु बड़े ताज्जुब की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे गांव ले लिये गये, पूरे कस्बे ले लिये गये और एक कस्बा किशनगढ़-रेनवाल, जिसके चारों तरफ इस स्कीम को लिया गया है, उस कस्बे को इससे वंचित किया गया है। उसकी आबादी लगभग 60 हजार के ऊपर है। मेरा

(श्री निर्मल कुमावत)

निवेदन है सरकार से कि इस योजना में जब भी यह योजना चालू हो, उस कस्बे को भी इसमें शामिल किया जावे। कहीं न कहीं इसमें टेक्निकल कमी रही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि 70 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइड के जो निर्धारित मानक हैं, उससे 3 से 6 गुना ज्यादा उनका फ्लोराइड है और वह पानी पी रहे हैं। तो उसके लिये राज्य सरकार की क्या योजना है? उसके लिये भी आप गम्भीरता से विचार करें, जो निर्धारित मानक से 5-6 प्रतिशत ज्यादा हम पी रहे हैं।

एक बात मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल तत्कालीन मंत्रीजी ने मुझे आश्वस्त किया था इसी सदन में कि फुलेरा विधान सभा के जो बचे हुए गांव हैं, उनको 2014 तक बीसलपुर परियोजना से जोड़ दिया जायेगा। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में इस योजना के लिये कोई योजना नहीं है और हमारे पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र के लिये बजट दे दिया। मैं उसका स्वागत करता हूं कि हमारा जो क्षेत्र है, सांभर एरिया क्षेत्र है, खारा पानी है और मीठे पानी की आवश्यकता सबको है, परन्तु जिस क्षेत्र से गांव में जायेगा, उस क्षेत्र की जनता पानी के लिये देखेगी, और आगे की जनता पहले पानी पियेगी। यह हमारे साथ भेदभाव है। उनको भी पानी मिलना चाहिए और हमको भी पानी मिलना चाहिए, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। सबको पानी मिलना चाहिए, यह मेरी मांग है।

एक विशेष तौर से समस्या जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई है, माननीय मंत्रीजी, डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। जयपुर जिले की पांच छह तहसीलों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। डिपार्टमेंट द्वारा कोई कार्य योजना नहीं पहुंच पाती है कई गांवों में। एम एल ए, एम पी कोटे से हैंड पम्प या ट्यूबवैल खोदे जाते थे, उन पर भी आप बैन लगाने की तैयारी कर रहे रहे हैं। और तो और उस पूरे क्षेत्र में जो किसान हैं, जो पानी पीने के लिए अपना कुआ चलाता है, या हैंड पम्प चलाता है या ट्यूबवैल खोदना चाहता है, उसको भी खोदने की परमिशन नहीं है। वह साल भर तक कलक्टर आफिस में चक्कर काटता रहे। यह भी बड़े अन्याय की बात है। बैन लगाने से पहले विभाग को पहले बैक-अप प्लान बनाने की आवश्यकता थी। बैन लगाने जा रहे हैं तो कोई भी कस्बा या कोई भी ढाणी या दस-बीस परिवार भी रह रहे हैं अपने खेत में, तो उनके लिए सरकार को या तो पहले योजना बनानी चाहिए

(श्री निर्मल कुमावत)

थी। ठीक है कि हम भूजल का दोहन नहीं करें, हम आपको पानी पिलायेंगे। अन्यथा आप ऐसे लोगों को परमिशन दें जो अपने मवेशी वहां पर रखते हैं और अपना गुजारा वहां पर करते हैं। केवल पेयजल के लिए काम में ले रहे हैं। वे खेती नहीं कर रहे, पानी को बेच नहीं रहे हैं। तो यह जयपुर जिले की बड़ी समस्या है, कम से कम पांच छह विधान सभा क्षेत्रों की है तो इसको आप गम्भीरता से लें। इसमें राजनीति भी हो रही है, मंत्री महोदय। अगर सत्ता पक्ष के लोग चाहें और वहां का प्रशासन चाहे तो चाहे जिसकी ट्यूबवैल करा दें और कोई गरीब आदमी, दलित वर्ग का कोई आदमी कहीं कुछ करना चाहे तो उसकी एफ आई आर दर्ज होती है, उठाकर उसकी मशीन जब्त कर ली जाती है। तो यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। आप इसको गम्भीरता से देखें, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा।

एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का एरिया बहुत बड़ा है, 151 गांव और 3 नगरपालिका क्षेत्र हैं। पूर्व की सरकार में भी यह प्रस्ताव आया था कि किशनगढ़-रेनवाल में ए ईएन आफिस खुलना चाहिए। 90 गांवों से ज्यादा गांव उस क्षेत्र से मानिटर हो सकते हैं। तो यह मेरी मांग है कि किशनगढ-रेनवाल में आपके विभाग द्वारा एक ए ईएन आफिस हो ताकि मानिटरिंग सही हो सके और वहां की जनता को लाभ मिल सके।

एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि कई योजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, वर्ष 2009 से लेकर 2011 तक मेरे क्षेत्र की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत हुई परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि फील्ड में हमारे पास आदमी नहीं। जयपुर में हमारे पास लवाजमा पड़ा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एक्स ईएन है, एक साल में उन्होंने हमारे क्षेत्र में कभी दौरा करके उन योजनाओं की जानकारी भी ली है क्या? एस ई ने कभी जानकारी ली? या चीफ इंजीनियर ने कभी जानकारी ली है क्या? प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कब इनको पूरा होना था, क्या कमी है टेक्निकल, ठेकेदार काम नहीं कर रहा। जब हमने पैसा दे दिया और सारा काम कर दिया परन्तु केवल मॉनिटरिंग की कमी से काम नहीं हो पा रहा तो यह दुर्भाग्य की बात है। ये योजनाएं क्यों अधर में पड़ी हैं? तो मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए भी कोई कार्ययोजना बनायें, जो उच्च अधिकारी हैं, वे नीचे फील्ड में जाकर कोई रिपोर्ट तो लें, मानिटरिंग तो करें कि क्या कमी है। पैसा नहीं है, बजट नहीं है, वह अलग विषय है परन्तु देने के बाद काम नहीं होता तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

(श्री निर्मल कुमावत)

छोटे-छोटे काम नहीं हो पा रहे। तो इसके लिए मैं सोचता हूं कि जरूर आप कुछ न कुछ करेंगे।

एक बात और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह भी सौभाग्य की बात है कि दोनों विभाग पेयजल और ऊर्जा विभाग आपके पास हैं। आम आदमी या अन्य कोई विभाग जब बिजली का कनेक्शन लेता है तो उसको नोमिनल रेट पर कनेक्शन दिया जाता है परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि पेयजल विभाग जब कोई कनेक्शन लेता है तो, आप खुद मानिटरिंग करें, चाहे ट्यूबवैल का कनेक्शन हो, चाहे अलग से लाइन खींचने का मामला हो, चाहे सिंगल फेस का कनेक्शन हो, कम से कम जो बाजार भाव है, आम आदमी से या अन्य से लिये जाते हैं, दो गुना या तीन गुना पैसा वसूल किया जाता है। तो पेयजल विभाग की बहुत मोटी राशि, जो कहीं हैंड पम्प बनाने के काम आ सकती थी या कहीं योजना में काम आ सकती थी, केवल एक विभाग से दूसरे विभाग के आंकड़े बढ़ाने के कारण आप लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो आप इसकी भी मानिटरिंग करें कि कहीं यह पैसा अधिक तो नहीं लिया जा रहा है।

सिंगल फेस बोरिंग की खूब बात चली, अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एडवांस बिल लिया जा रहा है, बिलकुल ठीक बात है कि यह गलत है जो लिया जा रहा है परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लाखों-करोड़ों रुपये लगाकर आपने गत दो वर्षो में सिंगल फेस पाइंट खूब खोदें, एस सी-एस टी वर्ग के लिए भी खूब खोदें। खोदकर या तो आप उसको पंचायतों को संभलाते हैं या वहां की स्थानीय पब्लिक के भरोसे छोड़ देते हैं। आप मानिटरिंग करवायें कि आज की तारीख तक किसी एक भी असेम्बली एरिया का ले लें, किसी का भी ले लें कि कितने चालू हैं। किसी पर पचास हजार रुपये का बिजली का बिल बाकी है, किसी पर एक लाख रुपये का बिजली का बिल बाकी है। तो यह पैसा कौन चुकायेगा? सरकार की तरफ से पैसा भी खर्च हो गया और वह काम किसी के नहीं आ रहा। इससे बढ़िया तो वहां हैंड पम्प लगता तो कम से कम वह चालू तो रहता, लोग उसको पम्प करके काम में तो लेते। तो आने वाले समय में यह भी एक समस्या आयेगी कि जहां हमारे स्वजल धारा और जनता जल योजना के कुएं हैं, उनके बिल पंचायतों से नहीं चुक पा रहे हैं। तो ये बिल कहां से चुकेंगे? यह भी देखने का विषय है। मैं सोचता हूं कि आप इसको भी गम्भीरता से लेंगे।

(श्री निर्मल कुमावत)

आप एक चीज का जवाब जरूर दें, जब भी आप शाम को रिप्लाई दें कि जितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने चार बजट पेश किये हैं, हजारों करोड़ों की योजनाएं आपने चार सालों में बनायी हैं, आप यह बतायें कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, आप नयी-नयी योजनाएं ला रहे हैं, इनको मानिटरिंग करने के लिए आपके पास मैनपावर कितनी है? आपके कितने तो पद स्वीकृत हैं आज तक और उनमें से कितने खाली हैं? आखिरी बार भर्ती कब हुई थी? इसका जरूर आप मुझे आकलन दें अन्यता तो मैं सोचूंगा कि पानी जैसे विषय पर सरकार गम्भीर नहीं है। आज हर आदमी और सभी दो सौ माननीय सदस्य पानी को लेकर यहां पर चिन्तित हैं परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले दस-पन्द्रह सालों में हमने एक भी भर्ती इस विभाग के लिए नहीं की। जिस प्रकार से तेजी से पानी का दोहन हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, आप मानिटरिंग नहीं कर सकते, सुपरविजन नहीं कर सकते, फील्ड में आपके पास आदमी नहीं हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि आप इसका भी जवाब जरूर दें और इसके लिए भी कोई कार्य योजना बनायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री नाथूरामजी सिनोदिया।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी के सम्बन्ध में कुछ बोलना चाह रहा हूं। आज पानी के ऊपर बहस चल रही है, मैं भी इसमें भाग लेना चाहता हूं। मेरे इलाके की कुछ बातें बताने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं।

मेरे यहां अरांई एरिया वाला भिनाय विधान सभा क्षेत्र टूट गया, भिनाय की 21 पंचायतें मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिल गयीं। उनमें से बाकी में तो पानी आता है लेकिन एक मनोहरपुरा पंचायत है, उस गांव ने बी जे पी को वोट नहीं दिया, उसमें आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा। मंत्रीजी अरांई गये थे, एक हजार आदमियों ने उनको इसके लिए कहा। मंत्रीजी ने कहा कि मैं एक करोड़ आठ लाख रुपये मंजूर करता हूं, यह पाइपलाइन लग जाएगी डेढ़ महीने में। वह आज दिन तक नहीं लगी। वहां सारे गांव पानी पी रहे हैं और जयपुर में पानी आ रहा है लेकिन वह एक गांव वंचित रह रहा है। आप उस गांव को जरूर पानी पिलाने की व्यवस्था करायें, यह मेरी मोटी मांग है।

एक तरफ सारे गांव पानी पी रहे हैं और इस तरफ मेरी पंचायतें चली गईं पुष्कर में। वह एरिया बिलकुल नमक वाला एरिया है। ये महेन्द्रजी जानते

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

हैं, वहां गेहूं की फसल में पानी नहीं पहुंचा। कोई कहते हैं कि यह आपका विधान सभा क्षेत्र नहीं है, आप यहां क्यों बोलते हैं? तो मैं जिलाध्यक्ष भी हूं, जिले की बात जरूर बोलूंगा तो वहां पानी नहीं पहुंचा है। सैंक्शन हो गई बताते हैं लेकिन आगे की कार्यवाही, पानी की टंकी बनना चालू नहीं हुई है। हर गांव में गांव वाले टैंकर से बाहर से लाकर पानी पीते हैं ढूंढ रूपनगढ़ से, इतनी दूर, मुश्किल से। पानी खारा है, नमक निकलता है तो उस काम को भी चालू करवाओ।

ये रामलुभायाजी हमारे पहले देखे हुए हैं हमारे कई गांवों को, सारे गांवों में गये हुए हैं, इनसे कोई जानकारी छिपी हुई नहीं है। किशनगढ़ भी बहुत बड़ी सिटी है, वहां पहले की एक पाइपलाइन नसीराबाद से डली हुई है। वह मेरे पहले के कार्यकाल में डलवाई थी। एक पहले थी और उस दूसरी वाली को बी जे पी के टाइम में निकालकर ले गये। पानी पूरा नहीं आता है वहां। वह पाइपलाइन हमारी वापस डलवाओ। (व्यवधान) अन्याय है पूरा। वे पाइपलाइन उठाकर ही ले गये। मैंने पूछा कि इसको उठाया क्यों, तो बताया कि सड़क बनी, तब तोड़ गये। तो सड़क बनाने पर तोड़ गये तो सड़क बनाने वालों से वापस डलवाओ। ये फोर लेन बनी है न, तो उसमें पाइपलाइन को ही तोड़ गये। किशनगढ़ में पानी इस कारण 72 घंटे में देते हैं कि वह पाइपलाइन छोटी है, उसमें पानी इतना ही आता है। तो एक लाइन दूसरी डलवाओ। और लाइनों में पानी पूरा पहुंचता नहीं है, वे भी चेंज करवाओ। यह मेरी मांग है आपसे।

मैं विधान सभा में ज्यादा बोलता नहीं हूं, एरिया वाले कहते हैं कि तू बोलता ही नहीं है पानी के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप जरूर सुनवाई करना। मंत्रीजी की रिश्तेदारी है हमारे किशनगढ़ में। पानी दे देना, नहीं तो किशनगढ़ में जाएंगे तो आपको भी उलाहना देंगे।

एक मनोहरपुर में मंत्रीजी की घोषणा की हुई है। सारे अफसरों ने कहा कि ठेका हो गया और किसी ने मुझे अभी फोन किया कि वह तो सैंक्शन ही नहीं हुई। तो, साहब, पूरा एरिया पानी पी रहा है, एक पंचायत के चारों तरफ पानी पीते हैं, उस गांव के दूसरी पंचायत में पानी पीते हैं लेकिन उस गांव में पानी नहीं गया है क्योंकि उन्होंने बी जे पी को वोट नहीं दिये। वहां रघुजी गये, वे भी जीते तो भेदभाव पूरा किया है। वे कहते हैं कि अब आपका राज आ गया, फिर भी पानी नहीं पीयें तो फिर हमारा जीना ही बेकार है। एक हजार आदमी वहां इकट्ठा हुए मदेरणाजी के टाइम पर ट्रैक्टरों में भर कर, तो

(श्री नाथूराम सिनोदिया)

उन्होंने घोषणा की वहां कि आपको पानी मिल जाएगा एक महीने के अन्दर-अन्दर। वह आज तक नहीं मिला। आप दिला दो।

बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पैसे बहुत सैंक्शन करते हो पर उन पैसों को लगाओ तब काम होगा। हमारे भी लगाना।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री सुन्दरलालजी।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): माननीय उपाध्यक्षजी, आज पानी की मांग संख्या-27 पर चर्चा चल रही है। हमारे जिले में अलग स्थिति है, उस जिले से हमारे मंत्री आ रहे हैं इसलिए। वहां नहर का तो पानी है नहीं और गांवों को छोड़कर खेतों में बस गये। उधर दस लाख का मकान बना लिया और उधर पानी के लिए कुओं में पानी नहीं है और तले खोदने की स्वीकृति दी नहीं। वे वापस आयें तो मकान नहीं और वहां रहें तो पानी नहीं। इसलिए यह स्थिति है, यह इनके सामने है।

दूसरी बात यह है कि जो हैंड पम्प स्कीम थी, वे 60 परसेंट खराब हैं। यह आपको भी पता है। ज्यादा हैंड पम्प तो आपके क्षेत्र में ही हैं, पर वे 60 परसेंट तो चलते ही नहीं हैं।

इसके अलावा आपने यह एक योजना और बना रखी है, पानी के जो ट्यूबवेल बनाएं, वह ठेकेदार एक ही है जिले में। एक ही ठेकेदार है तो उसके जचे तो खोदे, नहीं तो दो-दो, तीन-तीन महीने नहीं खोदे। आपकी स्वीकृति के बाद भी चार महीने उसकी व्यवस्था नहीं बनती।

इसके बाद बिजली की एक न्यारी दिक्कत है। बिजली के लिए बिजली वाले डिपार्टमेंट ने और दूसरे आदमी को ठेका दे रखा है, भाई, इसका एडजस्टमेंट यह करेगा। वह ठेकेदार चक्कर काटता रहता है। अब इसके नौ-दस बिचौलिये हो रहे हैं। पहले तो एक ही ठेकेदार है, तो उसकी मशीन है, वह कब लगाये; फिर बिजली वाले में दूसरा ठेकेदार तय कर रखा है। उस ठेके वाले को कहते रहते हैं, वाटर वर्क्स वाले टेलीफोन करें, ठेकेदार आये नहीं, उसकी व्यवस्था हो नहीं। कई बिचौलिये हैं, इन बिचौलियों को तो हटाकर सीधा काम तो करो आप। इसको आपको देखना पड़ेगा।

इसके बाद निवेदन करना चाहता हूं, पहले एक माननीय सदस्य ने भी बोला है कि बहुत से आदमी कनेक्शन लेते हैं तो वह तो 70-80 हजार में हो जाए और कुएं का वाटर वर्क्स का कनेक्शन लें तो तीन लाख रुपये लेते हैं। तो यह रुपये तो आपके ही हैं, चाहे इस डिपार्टमेंट में ले लो, चाहे इस डिपार्टमेंट

(श्री सुन्दरलाल)

में। वे अलग तो हैं नहीं। तीन लाख का बजट आता है न, तो वाटर वर्क्स वाले चार बार उसको वापस भेजते हैं, इसको कम करो, इसको कम करो। तीन-तीन महीने कनेक्शन नहीं होता है। मेरे पिलानी शहर में आठ कुएं कैंसिल हो गये।

आपको एक नयी बात और बताता हूं कि कुए का पानी नहीं हुआ, उसका भी दस-दस महीने तक बिल देते हैं। आपके डिपार्टमेंट को यह कह नहीं सकते, जिस कुएं का कनेक्शन खराब होता है उसको क्यों नहीं कटवाते हैं? तीन-तीन साल तक कुआ नहीं चले, उसका बिल आपका डिपार्टमेंट देता है तो डिपार्टमेंट वालों की, नीचे वालों की आंख मिच रही हैं कि जो तीन साल कुआ नहीं चल रहा, उसके बाद तीन साल तक बिल देते हैं? इसलिए आप इस बात को ध्यान में तो रखो। हमारे जो कुएं हैं, पानी नहीं है तो उसका कनेक्शन कटा गया तो दूसरा कुआ बनाओ। उसका बिल देते रहते हैं और कुएं में पानी है नहीं। इसलिए इस बात को देखो।

मेघवालों की बस्ती के लिए आपने कह तो दिया, मेरे क्षेत्र में बनगोठड़ी, हमीनपुर, अलीपुर, बारीकाबास, सब मेघवाल बस्ती का वास है। अब तक उनको कई बार, तीन-चार बार चिट्ठी लिख दी। इसलिए इस पर मैं लम्बा -चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं कि इनकी व्यवस्था करो। व्यवस्था नहीं होगी न, तो कोई तो ऐसे कह देता है कि मैं डेढ़ साल बाद देख लूंगा; मैं तो तड़के ही देख लूंगा नहीं करोगे तो, डेढ़ साल किसलिए लगायेंगे? इसलिए इसकी व्यवस्था करो आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या करोगे डाक्टर साहब का?

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): वह आप बीच में क्यों लाते हो?

इसलिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। (व्यवधान) धमकी की बात नहीं है, आपको यह करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप जाना चाहते हो क्या?

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): जिले का काम है, जिले में रहने वाले हो, जिले की बात को सुनकर के करें। हम और चीज तो मांगते नहीं हैं, पानी ही मांगते हैं। और कुछ चीज तो मत दो भले ही, आपका काम है; कभी ही मत दो भले आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पानी की व्यवस्था तो आपको सब को करनी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं, लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): मैंने आपको एक चिट्ठी भी लिखी है, मैंने कट-मोशन भी दिया था तो उनके हिसाब से उनके काम करने की कार्यवाही करें। यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदनजी प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27 और 46 पर चर्चा हो रही है, जो पानी का गम्भीर मुद्दा है और इनके सम्बन्ध में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। संसार में सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति जल से हुई और इससे गम्भीर और महत्वपूर्ण मुद्दा और कोई हो नहीं सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पानी के ऊपर मैं उस बात से और इस दोहे से शुरू करता हूं कि 'रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मानस, मोती और चून।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उस बजट के बाद में शायद इतना शानदार बजट कह सकूं या उस साढ़े 33 हजार करोड़ की योजना के बाद में सामने बैठे प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के चेहरे पर इतनी मायूसी छा गयी है कि संख्या के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में बजट में क्या खासियत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री राधेश्याम गंगानगर हैं, आज इस बात से पता लगा कि अगर झूठ बोलने की प्रतियोगिता करवायी जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसमें प्रथम स्थान कोई हासिल कर सकता है तो माननीय राधेश्यामजी कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिमांड पर बोलें, माननीय सदस्य।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डिमांड पर ही आ रहा हूं। विशेषकर और भी कई माननीय सदस्य जिस प्रकार से विधान सभा और सदन में बात करते हैं, उनके मन में ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं बहुत गम्भीर मुद्रा में बोल रहा हूं लेकिन मदारी चाहे डमरू से भीड़ करे या फिल्म में मजाक में रोल करने वाला हो, वह समझे कि मैं प्रथम और हीरो बन गया हूं लेकिन उनको मालूम नहीं कि लोगों के देखने का, उनका नजरिया जो है, उनको अलग तरीके से देखते हैं लेकिन सदन में गम्भीर मुद्रा में बात हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष कर बराबर बात आ रही थी कि 2006-07 में दो शिलान्यास किये गये, हर विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं लेकिन

(श्री मदन प्रजापत)

बजट नहीं के बराबर, सिर्फ पत्थर के ऊपर नाम लिखे गये। नर्मदा की अगर बात आती है तो पाइप के जरिए पानी लेने के बाद में अगर टेम्प्रेरी व्यवस्था से पानी लेकर अगर शिलान्यास किया या उद्‌घाटन किया जाता है तो इनसे पानी की सुविधा नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे उम्मेदसागर-कल्याणपुर योजना हो, चाहे पोकरण-फलसूंड-बालोतरा की योजना हो, मैं माननीय मंत्रीजी और लोकप्रिय माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस बात का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बजट में भी 800 करोड़ रुपये, 590 और प्लस 218 करोड़, कुल मिलाकर के 800 करोड़ का बजट देकर यह साबित कर दिया कि ये झूठे शिलान्यास और झूठे उद्‌घाटन नहीं बल्कि इसी वर्ष यह काम पूरा हो कर माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी के हाथों से इन पानी की योजनाओं की शुरुआत होंगी ताकि जनता को राहत मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव के रूप में निवेदन करता हूं कि आज पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार के पुराने तालाब हैं, जो हिन्दुस्तान में ही उदाहरण कह सकते हैं कि आज पांच-पांच हजार और हजारों बीघा का जो आगोर क्षेत्र हो, केचमेंट एरिया, शायद ऐसे और कहीं देखने को नहीं मिलें उसमें कागजों में कोई गैर-मुमकिन पहाड़ियां होने की की वजह से कुछ लोग उसमें लीज आबंटन कराने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी दिये हैं तो मेरा निवेदन है कि अगर वह कैचमेंट एरिया, आगोर, जो कोनावती का एरिया कहलाता है, मडली उसका पूरा क्षेत्र है, कल्याणपुर मडली क्षेत्र, उस आगोर में अगर माइनिंग लीज अलाट हो गयी तो सैकड़ों-हजारों साल पहले के जो तालाब हैं, इतिहास और अपनी विरासत कह सकते हैं, ये खतम हो जायेंगे। एक मात्र कोई जरिया है तो पश्चिमी सीमान्त बाड़मेर ही नहीं बल्कि पूरे मारवाड़ में पीने के लिए अगर उपयुक्त कोई साधन है तो यह टांका और तालाब का है। यह सबसे उपयुक्त है। हमें इस बात की भी खुशी है कि पूरे हिन्दुस्तान में बाड़मेर जिले ने 50 हजार टांके नरेगा में निर्मित करके प्रथम पुरस्कार हासिल किया। टांके के माध्यम से, मैं निवेदन करता हूं कि पूरे साल भर उन परिवारों के पीने के लिए अगर सबसे उपयुक्त कोई साधन है तो वह पानी का टांका है। इसलिए आगोर और कैचमेंट एरिये के सम्बन्ध में जो मैंने निवेदन किया, उनकी जांच करवाकर इसके सम्बन्ध में उनको निरस्त करवाएं ताकि अपनी पुरानी धरोहर, विरासत जिंदा रह सके। टांकों में जो नरेगा के माध्यम से बी.पी.एल., एस.सी., एस.टी. उन परिवारों को दिया जाता है तो

(श्री मदन प्रजापत)

मेरा यह भी निवेदन है कि उनको प्रायोरिटी देते हुए, अगर बजट की कोई कमी नहीं है तो तमाम परिवार चाहे ए पी एल है, बी पी एल हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अगर उनके खेत में बजट लगाया जाता है तो सबसे उपयुक्त अगर पैसे का उपयोग कोई होता है तो वह पानी के टांके में हो सकता है। आज सरकार भी प्रयास कर रही है, चाहे रेन वाटर हो या पानी के महत्व को समझने की जो बात आती है, तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की शुरू से भावना रही है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और पेड़ लगाओ। लेकिन मारवाड़ और पश्चिमी सीमान्त जो जिले हैं, शुरू से पानी के महत्व को समझा है। माननीय सदस्य इजरायल का उदाहरण दे रहे थे लेकिन इजरायल का उदाहरण देने की जरूरत नहीं, बल्कि इस हमारे पश्चिमी राजस्थान में शुरू से पानी का इतना महत्व समझते थे कि पीने का अलग, धोने का अलग और स्नान करने के बाद में पेड़-पौधों में काम में लिया जाता था और खाने का जो जूठा पानी है वह पशुओं के लिए काम में लिया जाता था। तो पानी का डबल उपयोग, रिपीट में सिंगल उपयोग नहीं बल्कि दुबारा उपयोग हो तो शुरू से इतिहास गवाह है और इतिहास रहा है कि पानी का महत्व अपने एरिये में शुरू से समझा गया है। आज भी इस पानी के मामले में अगर और भी सुझाव आएं, विशेषकर मैं निवेदन करता हूं कि लोग बातें करते थे कि तेल जहां निकलता है, पानी 15 रुपये लीटर में मिलता है। लेकिन समय आज आ गया है, तेल हमारे वहां भी निकलना शुरू हो गया है और आम आदमी, 15 रुपये लीटर की बोतल यूज में लेना शुरू हो गया है। समय यह है कि पानी का 15 रुपये लीटर भले ही हो लेकिन दूध 10 रुपये में आज भी, चाहे क्वालिटी किसी प्रकार की हो, दूध 10-12 रुपये में वह मिलता है। तो समय के हिसाब से उन देशों की वे बात करते थे, आज भी लोग इस हिसाब से कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट के मामले में मेरा यह निवेदन है कि उम्मेद सागर-कल्याणपुर योजना और पोकरण फलसूंड योजना, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरा बजट दिया है, तो मेरा इसमें यही निवेदन है कि इन योजनाओं को तुरन्त पूरा करें ताकि जनता को तुरन्त राहत मिल सके।

एक मेरा और सुझाव है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में जो फोरमैन, की मैन, लाइनमैन, जो फोर्थ क्लास लेवल के छोटे कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर जिला लेवल पर एस ई करता है, डिविजन पर एक्स ईएन को पावर है और

(श्री मदन प्रजापत)

सब-डिवीजन पर ए ईएन को पावर पहले था। लेकिन पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के समय इस नियम में शायद संशोधन किया गया। तो अधिकारी का भय नहीं रहेगा। उन कर्मचारियों की जयपुर से शायद ट्रांसफर करने की कोई जरूरत हमारे हिसाब से महसूस नहीं होती। तो वहां अगर उन अधिकारियों को पावर दिया जाता है, अधिकारी मजबूत होगा तो कर्मचारियों को भय होगा।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में। संक्षेप में।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): दो मिनट में मैं अपनी बात कहकर स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करो।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): एक बात ही कहता हूं, सप्लाई में जो रिक्त पोस्टें हैं, पद खाली पड़े हैं और भी जो बड़ी योजनाएं हैं, उनमें चाहे ठेका प्रणाली हो या रिक्त पद भरने तक उनकी मानिटरिंग इस हिसाब से हो ताकि कम पानी में भी सही सप्लाई हो सके। कर्मचारियों के अभाव के कारण पानी की कमी नहीं होने के बावजूद भी यह जो समस्या आती है तो यह भी आज हो सकता है। आज राजस्थान में दिनोंदिन बारिश की भी कमी है, भूजल स्तर गिरता जा रहा है। गुजरात, राजस्थान और अन्य प्रदेशों की स्थिति भिन्न हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा पानी रोकने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पानी इतना नहीं है तो रोकने की शायद जरूरत इतनी नहीं है। आज डैम की स्थिति की अगर बात करें तो जितने भी बड़े बांध हैं, ये उपयोगी भी हैं और दूसरे नजरिये से देखा जाए तो यह नुकसान के भी हैं। जितनी भी आज नदियां हैं, जालौर और बाड़मेर जिले की स्थिति, लूणी नदी में 22 साल हो गये, पानी नहीं आया; चाहे जवाई हो। पानी नहीं आने की वजह से जल स्तर जो ओपन वैल और कुएं हैं, उनकी वजह से सैकड़ों गांवों में जो नुकसान होता है तो पांच साल इन्तजार करें और नहीं आए तो थोड़ा पानी उन नदियों में अगर छोड़ा जाता है तो आटोमेटिक भूजल स्तर है, और सभी को लाभ मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए प्लीज।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): समय, उपाध्यक्ष महोदय, कम है। इसलिए पानी के मामले में पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। इन दोनों योजनाओं को तुरन्त करवाने की मेहरबानी करवाएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल और सिंचाई की मांग संख्या 27 और 46 पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में नब्बे प्रतिशत गांव और शहरों में हमारी पेयजल व्यवस्थाएं भूजल पर आधारित थीं। धीरे-धीरे पूरा का पूरा ...

श्री उपाध्यक्ष: कम शब्दों में ज्यादा कैसे बोला जा सकता है, वह आपसे सीखते हैं हम। तो आज तो वैसा करिए आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बिलकुल, वह ही कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मेरे को इशारा आया है आपके पास की चेयर से कि कम शब्दों में अच्छा बोलते हैं तो वैसा आदेशित करें। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वैसा ही बोलूंगा, आपका जैसा हुक्म होगा वैसा ही।

उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा भूमिगत जल है, वह पूरे राजस्थान में समाप्त हो रहा है। पूरे देश में भी अगर हम देखें तो राजस्थान ही वह प्रान्त है, जहां सबसे ज्यादा पेयजल का संकट है। किसी भी जन कल्याणकारी सरकार के लिए हर व्यक्ति को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसकी है लेकिन मैं नहीं समझता, आज राजस्थान के 42 हजार गांवों में से 60 प्रतिशत गांव ऐसे हैं जहां शुद्ध और पर्याप्त पानी की व्यवस्था हम नहीं कर पाए। आज तक जो बजट है, उन गांव के लोगों के साथ तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है कि आजादी के 64 साल बाद भी हम शुद्ध पानी नहीं दे पाए। जो कुछ भी मिल रहा था, आज जितनी भी पंचायत समितियां, जो 245 पंचायत समितियां हैं, उनमें जहां भी भूजल कोई पीने लायक था वहां सब जगह डार्क जोन की स्थिति हो गयी।

आप अगर देखेंगे तो सीकर में 1015 गांव हैं और नये रेवेन्यू विलेजेज मिला लें तो 1100 के करीब गांव हैं, उनमें साठ प्रतिशत गांवों में भूजल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। हम अगर आज से उनके लिए योजना नहीं बनायेंगे, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के 200 के करीब गांवों और तीन कस्बों के लिए घोषणा की है लेकिन घोषणा होने के तीन-तीन, चार-चार साल बाद तक इतनी बड़ी योजनाएं लागू नहीं होतीं। मैं समझता हूं, यह योजनाएं लागू होंगी, उससे पहले तक सीकर जिले का शायद ही कोई गांव बचेगा पांच साल बाद में। जिस तेजी के साथ जल स्तर गिर रहा है, जिस

(श्री अमराराम)

तरह से उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, मैं समझता हूं, सीकर, झुन्झुनूं, जो अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, सीकर हो, झुन्झुनूं हो, जयपुर का ग्रामीण इलाका हो, नागौर हो, तमाम जो अण्डरग्राउण्ड वाटर पर निर्भर थे उनमें पांच साल बाद में इतनी भयानक स्थिति पैदा होने वाली है। मैं समझता हूं राजस्थान में और सब चीजों को छोड़कर इसके लिए त्राहि त्राहि होगी। जो स्थिति राजस्थान की होगी, मैं समझता हूं, आज उस पर विचार करके राजस्थान की सरकार को वृहद योजनाएं सरफेस वाटर पर, जहां भी मिल सकता है जो बहकर जा रहा है चाहे वह चम्बल, हाड़ौती से बहकर जा रहा है, चाहे वह उदयपुर सब-डिवीजन से बहकर जा रहा है, चाहे हमारा ही, अगर उनको लेकर के हमने सरफेस वाटर पर योजनाएं नहीं बनाई, वर्षा जल को संचित करके उस पर योजनाएं नहीं बनाईं तो मैं समझता हूं, आने वाले समय में बहुत ही भयंकर स्थिति पेयजल की होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता, राजस्थान की कोई भी सरकार हो, उस सरकार का लक्ष्य पानी पिलाने का है। लेकिन अफसोस अभी 20 और 21 मार्च को सीकर जिले के 200 गांवों के लोगों को पानी पिलाने की बजाय उनको प्यासा मारने का काम, सरकार ने एक आदेश निकाला कि जनता जल योजना में जितने भी ट्यूबवेल्स बने हुए हैं, दो-तीन योजनाएं गांव स्तर पर हैं। जनता जल योजना है, टी एस एस योजना है, पाइप्ड स्कीम है। सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि जनता जल योजना में जो स्कीम चलती है, उनका बिजली का बिल पंचायत राज संस्थाएं चुकाएंगी। आदेश जिस राशि से चुकाने के लिए गया, वह राशि पहले ही खर्च कर दी। अफसोस तो इस बात का है कि उसकी आड़ लेकर पी एच ई डी विभाग, मंत्रीजी के पास दोनों ही विभाग हैं, केवल नीतिगत निर्णय लिया गया कि जनता जल योजना के बिजली के बिल ग्राम पंचायतें चुकाएंगी। लेकिन सीकर जिले में अस्सी से नब्बे

(18.00 बजे)

प्रतिशत जो टी एस एस योजनाएं थीं, उनमें से 200 के बिल, एक का भी बिल जनता जल, टी एस एस का भी बिल सरकार के पी एच ई डी विभाग ने नहीं चुकाया और इनके ही दूसरे विभाग, विद्युत विभाग ने 200 गांवों के बिजली के कनेक्शन काट दिये, जो टी एस एस योजना थी। जब मंत्रीजी गये, यह कोई किसी राजनीति का सवाल नहीं है, तमाम जन-प्रतिनिधि जो किसी भी पार्टी के, चाहे वह कांग्रेस के जन-प्रतिनिधि थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट

(श्री अमराराम)

पार्टी के, उन सबने मिलकर, लोगों को प्यासा मारने का काम जिन अधिकारियों ने किया है, मंत्रीजी ने कहा मैं उसका समाधान करके जाउंगा। निश्चित रूप से उन्होंने आपसे भी बात की। बात करके उनके कनेक्शन तो वापस जोड़ दिये लेकिन मैं समझता हूं, आज जिस तरह से अराजक स्थिति हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी, मैंने मंत्रीजी को भी बताया...(व्यवधान) क्या कह रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठकर नहीं बोलें कोई बात। इंटरवीन नहीं करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां, और जिलों में भी काटे हैं और यह अराजक स्थिति...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आजाद साहब, इंटरवीन भी करना है तो खड़े होकर करिये ना। आप बैठकर नहीं करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार का पैसा है और लोगों को प्यासे मारने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात कहूंगा। एक गांव है खारियावास, जिसका पानी खारा था इसलिये गांव का नाम ही खारियावास है। 40 साल पहले वहां 5 किलोमीटर दूर से पानी आता था। अब राजनीतिक आधार पर क्योंकि वह कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला गांव है, पिछले 8 महीने से जलदाय विभाग और सीकर का प्रशासन कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर लगातार प्यासा मार रहा है। मैंने मंत्रीजी को भी लिखकर दिया..

श्री उपाध्यक्ष: आप सुझाव क्या दे रहे हो ?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सुझाव तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी को इस आधार पर प्यासा मारें कि वह आपकी पार्टी को वोट नहीं देता है, पानी होते हुए उनकी पाइपलाइन काट दी। तो मैं समझता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनमें 5 से लेकर 15 किलोमीटर दूर से पानी आता है...

श्री उपाध्यक्ष: आप छोड़ने वाले हो? आन्दोलन कर देते हो। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं है। सुझाव दो आप तो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पानी पिलाना सरकार का काम है। आज जिस तरह के घटिया स्तर के लग रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीकर जिले में, अभी पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, ठेकेदारों ने

(श्री अमराराम)

मिलकर नीचे के स्तर पर जिस तरह की मिलीभगत कर रखी है, जिस मापदण्ड के लाइप लगने चाहिये, उससे आधे वेट के लग रहे हैं। जहां लोगों ने रोक दिया, वहां ठीक लग गये। लेकिन आज जो हालत है, 3 साल पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र का खाटू श्यामजी, जहां 20 से 25 लाख लोग मेले में आते हैं, तीन से साढ़े तीन करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी और आज तक पूरी नहीं हुई तीन साल में।

मैं इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा क्योंकि विभाग ने जो टी एस एस की मोटर रिपेयर करने के लिये, जितनी कीमत नहीं है, एक साल में उससे ज्यादा रिपेयर के बिल उठाते थे, व्यवस्था दी कि नयी मोटर लगायी जायेगी। लेकिन नयी मोटर किसी भी विभाग में मिलती नहीं है। आपने बन्द किया। नीचे के अधिकारी जिस तरह से घपला करते थे, एक साल में जितनी मोटर की कीमत, पम्प सेट की कीमत लगती थी, उससे दुगुनी कीमत के रिपेयर के पैसे लगते थे। जब तक एनी टाइम वहां उपलब्ध नहीं होगी तो उसका इंतजाम नहीं होगा।

आज जिस तरह की हालत कर रखी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्या हालत कर रखी है, एक जे ईएन की पोस्ट है पलसाना में। अब वह कहां ड्यूटी देता है, मुझे पता नहीं है लेकिन उसके लिये एक हेल्पर जे ईएन का काम कर रहा है।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पानी के लिये, पेयजल के लिये सबसे पहली प्राथमिकता हो हमारी सरकार की। अभी यहां सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हों, हमारी राजस्थान की सरकार की? 20 हजार से 25 हजार गांव जो फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, जो ठीक से पानी नहीं पी रहे हैं, वह प्राथमिकता नहीं। जयपुर की कच्ची बस्तियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, वह प्राथमिकता नहीं है। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राहुल गांधी ने कह दिया इसलिये मेट्रो प्राथमिकता है, जिसमें 12 से 15 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। मैं समझता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिये कि राजस्थान की सरजमीन से एक बून्द भी बहकर पानी बाहर नहीं जाए। हमारे हिस्से का पानी है।

दो सबसे बड़ी योजनाएं राजस्थान नहर और चम्बल प्रोजेक्ट हैं। राजस्थान नहर के लिये घोषणा तो पिछली बार भी मुख्य मंत्रीजी ने की थी,

(श्री अमराराम)

250 करोड़ का रिनोवेशन होगा। इस साल भी की है। लेकिन क्या राजस्थान नहर में एक नया पैसा भी पंजाब के हिस्से में रिपेयर के लिये लगा है? उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जो राजस्थान नहर हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, जिससे 8-9 जिलों में पेयजल है, 5-6 जिलों में सिंचाई होती है, उसमें जितना आउटलेट होना चाहिये, जितना हमारा हिस्सा है, राजस्थान नहर की कैपेसिटी है, उस हरिके बैराज से उतना पानी निकालने के लिये निकासी के गेट नहीं हैं। 35 साल में हमारा विभाग कर क्या रहा है? आज सिंचाई की हालत यह है कि राजस्थान के चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर की 21 पोस्ट हैं और 14 वेकेंट हैं। क्या हालत है। हम पानी बचाने के लिये नारा तो लिखवा रहे हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी लिखवा रहे हैं, 'बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ'...

श्री उपाध्यक्ष: समय बचाओ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन पानी, एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: समय बचाओ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं समझता हूं, जब तक हमारी प्राथमिकता पानी नहीं होगी, आज चाहे वह सिंचाई का पानी हो, चाहे पेयजल; सिंचाई से भी पहली प्राथमिकता है हमारे कि हरेक को शुद्ध और पर्याप्त पेयजल मिले; इसके लिये योजनाएं हम नहीं बनायेंगे तो आने वाले समय में राजस्थान में जिस तरह से...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पेयजल के लिये हाहाकार होगा, उसके लिये जिम्मेदार सरकार की नीतियां होंगी और निश्चित रूप से उसका प्रतिफल भी भोगना पड़ेगा।

आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय अर्जुनजी गर्ग। जरा समय का ध्यान रखें थोड़ा। प्रस्तावना नहीं बना कर सीधी बात करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बिलकुल, आपकी तरफ देखते ही। बिलकुल, प्रस्तावना बनाउंगा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत मेम्बर हैं। 10 मिनट तो कल यह टाइम आयेगा। इतने ही मेम्बर हैं। 36 और हैं इधर से, थर्टी-सिक्स।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, कृपा करके घण्टी थोड़ी इसलिये एक आध मिनट के लिये...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप तो बोल दें। यह घड़ी देख लीजिये, 5 मिनट होते ही आप कृपया...

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बिलकुल, बिलकुल। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह कल बताना आप।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय उपाध्यक्षजी, आज जो सदन के नेता हैं, वे पूर्व में इस विभाग के मंत्री भी रहे हुए हैं। उस समय मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र से, जो बोरून्दा और रणसी गांव है, फेमस है अभी बोरून्दा, वहां से करीब 32 ट्यूबवेल्स के मार्फत अपने क्षेत्र जोधपुर शहर को बचाने के लिये पानी लेकर गये थे। जनता ने वहां उस समय विरोध किया था कि हमारे क्षेत्र को आप डार्क जोन करने जा रहे हो। उस समय इन्होंने वायदा किया था, 89 के अन्दर कि मैं इसी पाइप से वापस रणसी गांव, बोरून्दा को हिमालय का पानी दूंगा। करीब 22 से 25 साल हो गये। इनका यह दूसरा मुख्यमंत्रीत्व काल है, अभी तक इनकी वह घोषणा पूरी नहीं हुई है। तो मैं इस बजट में कैसे समझूं? हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, "गाज्यो ही घणो, घुरि ही घण्टे, पण छांट एक भी कोनी नाकी।' मतलब इन्होंने बजट इतना भारी भरकम कर दिया है कि शायद एक मुख्य मंत्रीत्व...(व्यवधान) काल इनको दे दें तो भी यह पूरा होने वाला नहीं है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि 308 करोड़ की जो योजना हमारी पूर्व, पूर्व क्या अभूतपूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने प्रोजेक्ट माणकलाव-दांतीवाड़ा पेयजल योजना, जिससे 2 नगरपालिकाएं मेरी बिलाड़ा और पीपाड़, उसके साथ 119 गांवों की योजना बनायी थी लेकिन उस पर इस गति से इस गवर्नमेंट ने काम किया है कि वह अभी तक, उसका शिलान्यास जो उन्होंने किया है, शायद लोकार्पण भी वही करेंगी, पूर्व मुख्य मंत्री।

इसके साथ ही साथ, आज इन्हीं की सरकार में, अशोकजी की सरकार में 2005 में जब पी एच ई डी मंत्री हमारे रामसिंहजी विश्नोई थे, तब उन्होंने एक कूड़ी-भटिण्डा योजना की घोषणा की थी और उसको चालू भी किया लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि उस समय के पाइप जो वहां लाकर के डाले थे, उनको धीरे-धीरे विभाग ने अपनी कहीं कंटिंनजेंसी में ले जाकर के उसके सारे पाइप खतम कर दिये और वह योजना भी आज ठंडे बस्ते में पड़ी है।

(श्री अर्जुन लाल)

तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव आज भी पानी से तरस रहे हैं। उनके यहां बरसात में तालाब का जो एक मात्र स्रोत था, वे भी सूख गये हैं। वह हैं, खारीकलां, खारीखुर्द, पितासनी, बीड़ावास, पीतावास, रुड़कली, भटिंडा, लोलावास। आज स्थिति यह है कि इन गांवों के अन्दर बाहर से, जहां से कूड़ी हौद से बीसलपुर पानी आता है, अवैध कनेक्शन लेकर के लोगों ने वहां पानी बेचना चालू कर दिया और यही लोग इन गांवों में 500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से पानी बेच रहे हैं। इन गांवों को मजबूर होकर के पानी खरीदना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप सर्वे करवा लें और तुरन्त, कल ही जो अवैध जल के कनेक्शन हैं, उनको कटवाने के लिए और दूसरे ये जो तालाब हैं जो खाली हो गये हैं, उन गांवों को टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के लिए कोई न कोई सुचारु व्यवस्था करायें। अन्यथा हकीकत में इन गांवों के अन्दर कोई जन आंदोलन हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, चौथा, मेरे क्षेत्र में दस ओवरहैड स्टोरेज टैंक थे, जो काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे, पुराने थे, उनको विभाग ने कोई हादसा नहीं हो जाये, उसके भय से तुड़वा दिये, गिरा दिये। लेकिन उसके बाद आज तक वापस उन ओवरहैड टैंकों को बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की। अब वहां पर जो ग्राम पंचायतें हैं, जो हाई लेवल पर हैं, हालांकि उनका टयूबवैल सोर्स है, लेकिन कहीं जी एल आर पर पानी भरने के बाद, हाई लेवल पर पानी पहुंचाने के लिए वहां पर 50-60 एच पी के बूस्टर लगाकर पानी भेज रहे हैं। इससे एक तरफ तो बिजली की खपत हो रही है, विभाग का खर्चा भी ज्यादा आ रहा है, बिल भी भरने पड़ रहे हैं। उन ओवरहैड टैंकों के वापस निर्माण के लिए सरकार कोई न कोई व्यवस्था कराये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी नावां से आने वाले विधायक महेन्द्र जी चौधरी ने बताया था कि पूर्ववर्ती सरकार ने, नाम इंगित करते हुए, नाम बताते हुए यह कहा था कि स्लिपों के आधार पर टेंडर दिये जाते थे। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि आज भी उन्हीं टेंडर पर ये अधिकारी लिमिट बढ़ाते हुए, टेंडर नहीं किया है आपकी सरकार ने, उन्हीं टेंडरों को लिमिट बढ़ा-बढ़ाकर काम आगे दिये जा रहे हैं। जबकि आप कह रहे हो कि 18 परसेंट बिलो, राजस्थान में पी एच ई डी के अन्दर एक भी 18 परसेंट बिलो काम नहीं चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप, संक्षेप।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): दूसरा, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो पी डब्ल्यू डी एफ एंड ए आर के हिसाब से जो 3 परसेंट, एक्सट्रा एक्सेस जो 10 परसेंट होता है, इसके अलावा ये कैसे 200 परसेंट तक, 400 परसेंट तक काम बढ़ा-बढ़ा कर दिये जा रहे हैं? इसको तुरन्त प्रभाव से रुकवायें।

उपाध्यक्ष महोदय, रही बात जनता जल योजना की, माननीय विधायक, शेरगढ़ से आने वाले बाबूसिंहजी ने पूरा इसका बता दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 7 ग्राम पंचायतों के आज भी 3 महीनों से बिल नहीं भरने के कारण पानी के कनेक्शन काट दिये गये और पानी बंद पड़ा है।

महेन्द्रजी ने घड़साना और सोहेला की बात की थी, लेकिन मैं माननीय विधायक महोदय को बताऊंगा कि आप तो गोली कांड की बात कर रहे हो, लेकिन आप गिनती करवा लो कि दूषित जल से कितने लोगों की मौत हुई है। तो उससे, शायद दुगुने से भी ज्यादा हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में जसवन्त सागर बांध है, जो 1899 में बना था; राजा, महाराजाओं के द्वारा बनाया गया था। वह 2007 के अन्दर अतिवृष्टि से ब्रीच हो गया था। उसमें दो बार, 2008 और 2009 में जो भी पानी आया, वह सारा व्यर्थ बहकर चला गया। हालांकि 9 करोड़ की लागत से उसको तो तैयार कर दिया, बरसात इस वर्ष आयेगी तो बांध भर भी जायेगा, लेकिन उसके कमांड क्षेत्र में जो 17-18 गांव हैं जिनको पानी सिंचाई के लिए दिया जाता है, उसकी एक भी नहर जो 2007 में टूट गयी थी, उनकी मरम्मत नहीं की गयी है। यदि इस बार बांध भर गया तो उस पानी का क्या किया जायेगा, यह भगवान जाने।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): बस, एक मिनट साहब। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में बोरूंदा घोड़ावड़ बांध, बीसलपुर बांध, जालीवाड़ा बांध, ये सभी 2007 से क्षतिग्रस्त हैं। इनके कमांड क्षेत्र में जो नहरें बनी हुई हैं, जो भी डामर सड़क गुजरती है, उसके ऊपर जो पुलियाएं बनी हुई हैं, कल्वर्टस हैं, वे आज इस स्थिति में हैं कि वहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाये, क्योंकि ना तो उनकी पैरापेट वाल है, पैरापेट नहीं होने से पता ही नहीं चलता है कि यहां कोई पुलिया है कि नहीं है, कभी भी उस खड्डे में गिर सकते हैं। इसे रोकने के लिए पी डब्ल्यु डी से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि इर्रिगेशन वाले करेंगे; इर्रिगेशन वालों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि पी डब्ल्यू डी वाले करेंगे। यह फुटबाल की तरह चल रहा है और इसका कभी कोई हादसा होगा तो इनको पता चलेगा।

(श्री अर्जुन लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जोजरी नदी, लूणी नदी और एक राज चौपड़ा फीडर है, इन तीनों में जनरली हमेशा मारवाड़ के अन्दर हल्की सी बारिश होती है तो बिलाड़ा में बाढ़ आ जाती है। मंत्रीजी को पता है और ये खुद भी कई बार उस बाढ़ में फंसे हुए हैं। इन तीनों के बीच में करीब 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हमारे पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने जो नदियां जोड़ने की योजना बनाई थी, नरेगा के अन्दर यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो भविष्य में कभी बाढ़ नहीं आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें, माननीय सदस्य।

माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27 व 46, पेयजल व सिंचाई के बारे में बोलूंगा। सिंचाई और पेयजल दोनों ही इस राज्य की या इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं।

सबसे पहले मैं मांग संख्या 27 पेयजल पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आर यू आई डी पी के माध्यम से 35 करोड़ की योजना मंजूर की। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी को भी धन्यवाद दूंगा कि उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं, मंत्री महोदय, आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आर यू आई डी पी के माध्यम से चित्तौड़ शहर के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र को तो कवर कर लिया जायेगा, वहां ओवरहैड भी बन रहे हैं और वहां पाइपलाइन भी डल रही है लेकिन लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र फिर भी जो हमारा अन्दरूनी इलाका है शहर का, वह बाकी रह जायेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अन्दर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि लगभग 30-35 वर्ष हो गये हैं पुरानी पाइपलाइनों को, जो सड़ गयी हैं, गल गयी हैं, उनको बदलना बहुत आवश्यक है। वह पी एच ई डी विभाग के माध्यम से उस योजना को बनायें। लगभग 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हैं, मुश्किल से 5-6 वार्ड रह गये हैं जहां आवश्यक है। एक किले के अन्दर, आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेंट की वजह से हम लोग वहां ना तो कोई टयूबवेल बोर करा सकते, ना वहां पर पानी की टंकी बना सकते। उसका समाधान क्या हो सकता है? लगभग 5 हजार की आबादी उस किले के ऊपर रहती है लेकिन पुरातत्व विभाग की वजह से हमको वहां ज्यादा समस्या आ रही है। इस गम्भीर समस्या को आप जरूर देखें। वहां पूरी जनसंख्या जो वहां पर पुरानी बावड़ियां हैं, पी एच ई डी विभाग ने वहीं पर एक फिल्टर प्लांट

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

लगाया है, उसके माध्यम से नीचे से भी लिफ्ट करके पानी ले जाया जा रहा है लेकिन दिक्कत है।

ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर यह जो जनता जल योजना जहां-जहां पर भी है, आप ऊर्जा मंत्री भी हैं, ऊर्जा विभाग के अन्दर आपने बहुत ग्रिड बनाने का किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन यह जो बिजली के बिल नहीं चुकाने की वजह से कनेक्शन कटे हैं और पंचायतों को आपने अनटाइड फंड के अन्दर दे दिया। पूरे राज्य की समस्या है वह, चित्तौड़ के अन्दर भी आई। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि जब मैं यह आपकी जानकारी में लाया तो आपने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कनेक्शन नहीं काटें। जहां कट गये थे, वहां वापस उन्होंने जोड़ भी दिये लेकिन यह पैसा आप पंचायतों को नहीं देकर जो सीधा सिस्टम पहले से चल रहा है, विभाग ही उनको चुकाता है, तो वह विभाग ही उनको चुकाये। पंचायतों के माध्यम से तो आपकी यह योजना पूरी तरह से बंद हो जायेगी और गांव पूरी तरह से त्रस्त रहेंगे इस बात को लेकर। इसलिए आप इस योजना पर तो तुरन्त ही इस पर एक्शन ले लें।

दूसरा, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, अब 2011 की जनगणना हो चुकी है, अब आप मेहरबानी करके उस जनसंख्या के आधार पर, अब जहां-जहां पर भी आपकी जनसंख्या बढ़ गई है, मेरे चित्तौड़ के अन्दर अब आप हर पंचायत मुख्यालय को देख लें, पूरे राजस्थान का ही देख लें, हर पंचायत मुख्यालय की आबादी आज की स्थिति के अन्दर चार हजार, कहीं तीन हजार, कहीं ढाई हजार, कहीं पांच हजार और कहीं-कहीं तो दस-दस हजार तक बढ़ गई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो बस्सी, सावा कन्नौज, ये इतने बड़े-बड़े गांव हैं कि वहां दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार की जनसंख्या हो चुकी है। तो यह उनके लिए, और यह पूरे राजस्थान की समस्या है और मेरे इलाके की भी समस्या है। आप मेहरबानी करके, जिला मुख्यालयों पर तो जहां पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर ओवरहैड टैंक बनें, जहां जी एल आर से काम चल सकता है वहां जी एल आर नहीं बनें क्योंकि अब आबादी बढ़ चुकी है। अब पुरानी आबादी के अनुसार अगर आप वितरण की व्यवस्था करेंगे तो वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी।

दूसरा, अभी गर्मियों का वक्त है, ऊर्जा विभाग आपके पास में है, आपने मुझे बताया कि 13 तारीख को आप बैठक ले रहे हैं ऊर्जा विभाग की तो

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

आप इस तरह से प्लान करें, सुबह और शाम भी फेज की और सिंगल फेज का इस तरह से समन्वय करें क्योंकि सिंगल फेज मोटरें आज ट्यूबवैलों में डली हुई हैं तो वह पानी की दिक्कत नहीं आये सिर्फ इस वजह से कि बिजली उनको नहीं मिल रही तो वह इस भीषण गर्मी में आप जरूर दिखवा लें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जल नीति आपने बनाई, मुख्य मंत्रीजी को, आपको और सभी अधिकारियों को बधाई इस बात की, आप बहुत पुराने अनुभवी आदमी हैं, हमेशा कंटिंजेंसी योजना बनती है लेकिन कंटिंजेंसी योजना इस बार नहीं बनी है। इस कंटिंजेंसी योजना के अन्दर आप हमको ट्यूबवैल भी देते थे, सिंगल फेज की मोटरें भी देते थे और हैंड पम्प भी देते थे इस बार और पिछले वर्ष भी यह योजना लागू नहीं की गई। तो आप मेहरबानी करके कंटिंजेंसी योजना जो सिर्फ आपके जून और जुलाई में जब तक बारिश न आ जाए तब तक की योजना, जहां हम लोग और विभाग आवश्यक समझें, वहां पर कम से कम इसके माध्यम से हम लोग उस समस्या का समाधान तो कर दें।

एक ओर, मंत्री महोदय, जहां बिलकुल, चूंकि भूमिगत जल स्तर बिलकुल नीचे जाता जा रहा है, डार्क जोन में हमारा चित्तौड़ भी आ गया है, अब जहां ट्यूबवैल भी फेल होते जा रहे हैं, हैंड पम्प तो आपके बिलकुल 100 में से लगभग 70-80 प्रतिशत नाकारा होते जा रहे हैं, पानी नहीं है, 250 फीट तक, 300 फीट तक पानी है नहीं, अब जहां ट्यूबवैल और सिंगल फेज मोटरें भी जवाब दे रही हैं, वहां आप तुरन्त निर्णय करके पानी के टैंकरों की व्यवस्था आप जरूर करा दें ताकि पानी की व्यवस्था जहां बिगड़ रही है वह बिगड़ने से रुक जाएगी।

एक जहां एस सी, एस टी और अल्पसंख्यक बस्तियों के लिए आपने जो योजना बनाई है, वह योजना अभी ढंग से, हो सकता है, कई जगह ढंग से संचालित हो रही हो लेकिन ठीक तरीके से नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी मानिटरिंग अच्छी करवा दें। पैसा इस मद में काफी अधिक है। तो अभी इन गर्मियों के अन्दर अप्रैल, मई माह के अंत तक पूरा हो जाए तो इन बस्तियों को इसका वास्तविक फायदा मिल सकेगा।

अब मैंने आपको निवेदन कर दिया, यह थोड़ा आप ध्यान दे लें, जहां-जहां आपने ओवर-हैड और जी एल आर बनाये हैं, वे काफी क्षतिग्रस्त हो चुके

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

हैं। बरसों पहले के बने हुए हैं, काफी जगह पानी रिस-रिस कर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो आप जरूर अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश कर दें, वे इस हालात में आ चुके हैं कि कोई हादसा भी हो सकता है। उनकी जगह नए ओवर-हैड और जी एल आर बनाने का भी आप थोड़ा फरमा दें।

जनता जल योजना और जो बड़ी स्कीमें हैं, उनको सम्भालने वाले आपके कर्मचारियों को आप मात्र 500 रुपये दे रहे हो। यह 500 रुपये का मतलब 17 रुपये दिन का। और नरेगा में 100 दिन का रोजगार 13 हजार रुपये से ज्यादा उनको मिल रहा है। तो मंत्री महोदय यह तो बिलकुल ही नाकाफी है। हमारी तो संवेदनशील सरकार है और मुख्य मंत्रीजी किसी हालत में इस चीज को मना नहीं करेंगे इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरे सदन की भावना को आप ध्यान रखते हुए, मंत्री महोदय, इस 500 रुपये वाला, यह तो एक तरह से हमारी सरकार के लिए बिलकुल उचित नहीं है। इसलिए मेहरबानी करके जब आप रिप्लाई दें तब आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह खास तौर से निवेदन कर रहा हूं कि यह होना चाहिए।

अब मैं मांग संख्या 46, सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बीसलपुर बांध की वजह से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि आपकी सिफारिश थोड़ी ज्यादा चलती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे मंत्रीजी को कह रहे हैं कि मंत्रीजी सुनो, सुनो।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): मैं कोई अच्छे सुझाव दे रहा था। बीसलपुर बांध की वजह से राज्य के दूसरे जिलों को तो अच्छा पेयजल उपलब्ध हो रहा है और उसके माध्यम से जो योजनाएं बनीं, वे योजनाएं बननी चाहिए, उसके हम बिलकुल खिलाफ नहीं हैं लेकिन उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, उसमें मेरा चित्तौड़गढ़ पूरा जिला और भीलवाड़ा जिला। ये दोनों ही जिले उससे अफेक्टेड हैं। हमारे यहां पर पानी बहुत अच्छा होता है, इस बार पानी बहुत अच्छा हुआ, हमारी गम्भीरी नदी खूब बही, खूब पानी आया तो बीसलपुर बांध आपका लबालब भर गया लेकिन उसकी कोस्ट पर हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: खाली रह गया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि आप भी उसी जिले से आते हैं। जब मैं 1998 से 2003 तक विधायक था, तब माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद वहां पधारे थे और हमारे वहां उस वक्त अकाल राहत मंत्रीजी, सिंचाई मंत्रीजी, सब आये थे। सिंचाई विभाग ने लगभग 100 एनिकटों से ज्यादा चित्तौड़गढ़ विधान सभा क्षेत्र में बनाये थे। उनकी वजह से भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा और लोगों ने सिंचाई की भी पूरी की पूरी व्यवस्था उन एनिकटों के माध्यम से की। अब हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम एक भी एनिकट अब नहीं बना सकते। उसके लिए विभाग यहां जब तक जयपुर से पूरी एनओसी नहीं ले-ले और एन ओ सी मिलती नहीं है क्योंकि बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में बताते हैं कि लगभग हजारों एनिकट बन चुके हैं, इसलिए बीसलपुर बांध में पानी नहीं आता है। तो मेरा निवेदन है कि आप एनिकट नहीं बनाने की तो मत दो परमिशन लेकिन कोई ऐसी लघु सिंचाई योजना जिसकी हमारे यहां पर आवश्यकता है, एक अभयपुर गांव है, उसमें अगर वह बन जाती है तो मेरे लगभग कम से कम 12 से 15 गांव, जो पूरी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र है, वह लाभांवित हो सकता है। वहां 100 एनिकट आज से 10-12 साल पहले बने हैं, वे अब मरम्मत के अभाव में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनकी मरम्मत चाहे तो नरेगा में करवाओ, चाहे आपके प्लान मद के अन्दर खूब पैसा है, उसके माध्यम से करवाओ ताकि हमारे एनिकट वगैरह की मरम्मत हो जाएगी। वे एनिकट सिंचाई विभाग ने ही बनाये हैं और सिंचाई विभाग ने इतने अच्छे बनाये हैं कि आज तक नदी वहां बह गई, नाले बह गये लेकिन वे टूटे नहीं हैं।

बस्सी बांध जो आज से लगभग 20-25 साल पहले का बना हुआ है, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने पिछले वर्ष, मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने योजना बनाई और हमारे 2 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी और हमारी उन नहरों का भी काम हो गया लेकिन उसकी एक दुवावा वितरिका है, उसका मैंने सिंचाई मंत्री महोदय को दिया था लिखकर, उन्होंने प्रस्ताव भी मंगवा लिये, विभाग ने वे भेज भी दिये। मैं चाहता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी इस पर रिप्लाई दें, तब इस बारे में जो मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, उसकी मरम्मत के लगभग 2.5 करोड़ रुपये के जो प्रस्ताव सिंचाई विभाग ने बनाकर भेजे, वे मंत्री महोदय मंजूर कर देंगे तो मैं सोचूंगा कि मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण हो जाएगा। तिवाड़ी साहब इस बात से इत्तफाक करेंगे कि बस्सी बांध का होना चाहिए।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

तीसरा मेरा निवेदन है, मैं बस अंतिम बोल रहा हूं, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, घोसूण्डा बांध...

श्री उपाध्यक्ष: आपको मैं डिस्टर्ब करने की स्थिति में भी नहीं हूं। थोड़ा आप खुद ही सोच लीजिए, कितना बोलना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस एक अंतिम, अंतिम।... (व्यवधान) आखिरी बोल रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये यहां आसन पर विराजते हैं तो फटाक से घण्टी बजा देते हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हमारे लिये तो घण्टी बजा दी दो बार आपने।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जाड़ावतजी, ये सब आपकी घण्टी बजा रहे हैं। आप देख लजिये, कितनी देर बोलना है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): बस एक अंतिम, अंतिम बिन्दु है। (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलने दो प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घोसूण्डा बांध हमारे चित्तौड़ के अन्दर बना हुआ है। यह पहले राजस्थान सरकार बनाने जा रही थी। उसके बाद यह जिंक प्रबन्धन को दे दिया। जिंक प्रबन्धन पहले तो चित्त्तौड़ में हमारा जो जिंक स्मेल्टर प्लांट है, पानी केवल उसी को दे रहे थे। बाद में सरकार के स्तर पर यह तय हुआ कि 800 एम सी एफटी पानी तो जिंक के लिए रहेगा, 400 एम सी एफटी पानी पेयजल के लिए रहेगा ओर 400 एम सी एफटी अन्य उपयोग के लिए रहेगा। अब ये बांध, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय, ध्यान से आप सुनें, ये बांध आज तक ये होगा, 1600 एम सी एफ टी, 800, 400 और 400, ऐसे 1600 एम सी एफटी, ये बांध किसी भी सूरत में 900 एम सी एफटी को क्रास आज तक नहीं कर सका है इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जिंक प्रबन्धन चित्तौड़ के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात करके उस घोसूण्डा बांध के पानी को लगभग 70-80 किलोमीटर दूर लेकर जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जाड़ावतजी, आप जानते हो, पीने के पानी की प्राथमिकता है। जिंक स्मेल्टर की प्राथमिकता...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): पेयजल के लिए नहीं जा रहा है वह। उपाध्यक्ष महोदय, यह जा रहा है, जिंक ने एक दूसरा प्लांट लगाया है 70 -80 किलोमीटर...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आपका नियम है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): वह पानी वहां जाएगा। जो चित्तौड़, उसका पूरा जो नुकसान हुआ है, वह पूरा चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र को हुआ है, सारा डूब का क्षेत्र चित्तौड़ का आया है और आज भी वह दंश भोग रहा है चित्तौड़ का लेकिन यह पानी अगर वहां जाता है तो चित्तौड़ विधान सभा क्षेत्र के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब शासन था, तब उद्योग मंत्रीजी ने उसको भीलवाड़ा के उद्योगों को देने के लिए योजना बना ली थी, हम लोगों ने वापस, 16 किलोमीटर घोसूण्डा बांध दूर है चित्त्तौड़ से, वहां से हम लोगों ने पद यात्रा निकालकर के चित्तौड़ के जिला मुख्यालय पर आकर धरना-प्रदर्शन किया और यह धरना-प्रदर्शन लगभग दो माह तक क्रमबद्ध चलता रहा। उसी का परिणाम रहा कि वह योजना उनको बंद करनी पड़ी। अब आज मैं वहां का विधायक, सरकार हमारी, मुख्य मंत्रीजी हमारे, सिंचाई मंत्रीजी हमारे; आज की स्थिति में वह चित्तौड़ के जिंक के लिए चाहे जितना दो; चित्तौड़ के जो उद्योग हैं, उनको चाहे जितना पानी दो, चित्तौड़ के हमारे आसपास के जो, चित्त्तौड़ विधान सभा क्षेत्र से हटकर के भी कोई और बस्तियां हैं, कोई और विधान सभा क्षेत्र हैं, उनके लिए भी पेयजल का पानी आप उपलब्ध कराओ; लेकिन ये पानी, जिंक अपने आप बांध बनाएगा और जिंक उसमें अपने आप उस क्षेत्र के अन्दर जो भी करना होगा, वह व्यवस्था करेगा। हमारे क्षेत्र के साथ कुठाराघात, उपाध्यक्ष महोदय, क्यों हो? इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा कि सिंचाई मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करके चित्तौड़ के हितों का पूरा का पूरा संरक्षण करें और इस जिंक प्रबन्धन की इस पानी ले जाने की इस योजना को आप बंद करवाएं, नहीं तो वहां पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इस क्षेत्र के अन्दर।

अपनी बात मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री बाबूलालजी बैरवा।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल पर जो चर्चा हो रही है, मैं कठूमर विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा। कठूमर विधान सभा क्षेत्र में न तो कोई नदी है, न कोई झील है, न कोई तालाब, न कोई डैम, कोई किसी तरह का वहां पानी का स्रोत नहीं है और न ही इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कोई ऐसी योजना का विवरण किया है, वर्णन किया है कि हम कठूमर क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। एक व्यवस्था की गई बजट में कि नर्मदा पानी को अलवर में लाने के लिए सर्वे करवाया जाएगा, जिसको हम तो देखेंगे नहीं, हमारी संतान भले ही देख ले कि चम्बल का पानी, सर, चम्बल का पानी, चम्बल का पानी कब आएगा अलवर में। और वर्णन करते कि यमुना का पानी हम ला सकते हैं तो सौ किलोमीटर की योजना बनाई जा सकती थी, उसकी हमें उम्मीद थी।

दूसरा, मैं, एक आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं विधान सभा से, तो अक्सर 90 परसेंट गलत जवाब आता है। एक मैंने पूछा था कि कठूमर विधान सभा क्षेत्र में कितने खारे पानी के गांव हैं और उनकी क्या योजना है। तो डिपार्टमेंट ने बता दिया कि 65 गांव खारे पानी के हैं ओर उनमें हम पेयजल दे रहे हैं, क्षेत्रीय जल योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि उसमें 20 गांवों का वर्णन दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दिया है वर्णन। एक भी गांव में आपके पास कर्मचारी है नहीं, स्टाफ है नहीं, हेल्पर है नहीं, जे.ईएन. है नहीं; क्या उस योजना को भूत जिन्नों से करवा रहे हो क्या?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप तो बहुत सीनियर हैं, क्वेश्चन का गलत जवाब आता है तो आपने उसकी क्वेरीज कीं क्या?

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): यह कल ही आया है मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष: आप क्वेरीज करिये। इसकी कमेटी बनी हुई है, आपको सहयोग मिलेगा। जिस अधिकारी ने गलत जवाब दिया है, नियम प्रोसीजर है।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): यह गलत जवाब है। वहां पानी की कोई व्यवस्था हो ही नहीं रही है। आज विद्युत मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैंने बिजली के लिए पूछा था कि कठूमर विधान सभा क्षेत्र...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया से पूछिये, इनको गलत जवाब देते हैं क्या? वे जानते हैं सब।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि खेरली ए.ईएन. कार्यालय में कितनी डी पी की आवश्यकता है...

श्री उपाध्यक्ष: हां, आप बोलें।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): तो जवाब दिया 80 डी पी दे दी, एक भी आवश्यकता नहीं है; जबकि वहां एक हजार से ऊपर डिमांड नोटिस भरे हुए हैं। इस तरह का जवाब आता है तो क्यों मानू उसको? तो मैं अब पेयजल पर आऊंगा, अभी दूसरे पर हूं।

वर्ष 2009 में कठूमर विधान सभा क्षेत्र में 35 हैंड पम्प वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा सैंक्शन किये गये थे, उनमें, उपाध्यक्ष महोदय, मात्र 18 लगे हैं और 17 का वहां कोई पता नहीं है। न तो मशीन गई, न लगे ओर 35 लगा कर सरकार से पेमेंट उठा लिया। दूसरे में पी एच ई डी डिपार्टमेंट के द्वारा गांवों में हैंड पम्प लगे हुए हैं, अब वे खराब हो जाएं और उनके लिए गांवों के आदमी पंचायत समिति में जाते हैं तो कहते हैं कि पी एच ई डी में जाओ; पी एच ई डी में जाते हैं तो कहते हैं कि साहब, वहां जाओ। तो पहले आप ड्यूटी तय तो करो कि ड्यूटी है कहां। पहली बात तो आपके पास स्टाफ है ही नहीं। कठूमर कस्बे के अन्दर पहली बात तो बिजली आती ही नहीं है, बिजली आती है तो मशीन चलाने के लिए आपका स्टाफ वहां मौजूद होता ही नहीं। लोग वैसे ही वहां परेशान हो रहे हैं। बजट में भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया जिसके सहारे से मंत्रीजी को हम निवेदन कर सकें। मंत्रीजी, थोड़ा हम पर भी ध्यान दे लो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। माननीय सुन्दरलालजी।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): मंत्रीजी खुद समझ गये। मेरा इतना ही निवेदन है, मैं ज्यादा बोलता नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: बाबूलालजी कह रहे हैं कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो मंत्रीजी को खुद।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर): मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप क्षेत्रवाइज तय कर दें कि एक विधान सभा क्षेत्र में हम सौ हैंड पम्प देंगे या सिंगल फेस पाइंट की मोटर देंगे। इस तरह का, आज तक आपके एक्स.ईएन. ने और एस.ई. ने कभी पूछा ही नहीं। आज मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश कर दिया कि प्लान की योजना के अनुसार विधान सभा क्षेत्रवाइज आपने पैसा दिया है। तो हमसे कोई सलाह तो लें आपका डिपार्टमेंट का आदमी आकर कि आपको कहां जरूरत पड़ेगी। आपकी कई योजनाओं में मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कहा कि वहां 343 करोड़, वहां ढाई सौ करोड़; हमारे क्षेत्र में तो एक पैसा

(श्री बाबूलाल बैरवा)

रखा नहीं है। करीब तीन हजार, चार हजार करोड़ रुपये की राशि वाटर वर्क्स की आपने रखी है, तो नियम के अनुसार अगर सारी बात हो, तो करीब 20 करोड़ रुपये एक विधान सभा क्षेत्र को आता है। तो जैसा अपने खाचरियावास जी ने बताया था कि क्षेत्रवाइज आप इसको बांटें तो 20 करोड़ में, जैसा महाभारत में श्रीकृष्ण ने कहा था दुर्योधन को कि न्याय करो तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, और जमकर खुशी मनाएंगे; तो आप 20 करोड़ तो क्या 10 करोड़ ही कठूमर को दे दो, हम तो तसल्ली से आपसे दो साल तो पैसा मांगेंगे नहीं। आपके डिपार्टमेंट के आदमी बैठा दो, एस.ई; के बैठा दो, एक्स.ईएन. बैठा दो और हमारे जन-प्रतिनिधि चाहे प्रधान हों, नगरपालिका चेयरमैन हो, विधायक हों, पूर्व विधायक हों, उनको सब जगह बैठा दो; जहां-जहां आपको समस्या है, वहां बैठ कर तय कर लेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद। राम राम सा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद साहब, बाबूलालजी।

माननीय श्री गंगाजलजी मील।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 27-पेयजल एवं मांग संख्या 46-सिंचाई पर मेरे विचार रख रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, पेयजल पर चर्चा तो बहुत हो गई, मैं तो मेरे क्षेत्र और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की दो बातें हैं, वार्ताएं, जो-जो समस्याएं हैं, वे रखूंगा।

सबसे पहले तो मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो पिछले साल प्रशासन गांवों-के-संग में मेरे साथ कुछ इंटिरियर गांवों में गये थे और वहां धोरों में उन्होंने देखा था और कहने लगे, ये तो कितने, इनको टिब्बा क्षेत्र कहते हैं, ये तो जैसलमेर से भी भयंकर हैं। सूरतगढ़ के अन्दर एक क्षेत्र, वह बहुत टाप की जमीन है जिसके अन्दर सेंट्रल फार्म है, दूसरी तरफ टिब्बे क्षेत्र हैं और तीसरी तरफ वह सेम का पानी आ गया, वे डिप्रेशन भरे पड़े हैं, वह पानी है। सी एम साहब को मैंने कहा कि ये टिब्बा क्षेत्र वाले पिछले 40 सालों से सिंचाई के लिए पानी मांग रहे हैं तो उनके दिमाग में उसी वक्त बैठ गई, उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि गंगाजलजी, लगे रहो। तो मैं तब से लगा रहा। हाउस में प्रशंसा करने के नियम हैं या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसके लिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामलुभायाजी हैं उनकी प्रशंसा

(श्री गंगाजल मील)

जरूर करूंगा। उनके सहयोग से आज टिब्बा क्षेत्र के अन्दर जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज तक जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं सबने उनको ठगा, किसी ने कोई खट्टी गोली दी, किसी ने मीठी गोली दी, लेकिन पानी की बात आज तक किसी ने नहीं पूछी। इस बजट में जो 22 करोड़ रुपये दिये वह उस क्षेत्र के लोगों के लिए 22 करोड़ नहीं, 2,200 करोड़ रुपये है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रीजी और उनके स्टाफ का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। टिब्बा क्षेत्र में ऐटा सिगरासर माइनर मंजूर की है, हालांकि यह फर्स्ट फेज है, लेकिन उनके लिए यह बहुत बड़ा तोहफा है। इसी क्षेत्र में आज से दो-तीन साल पहले तक पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। उसमें भी कोशिश करके 30 करोड़ रुपये सैंक्शन कराए थे और लास्ट में जब स्कीमें अधूरी रह गयी थीं, तब भी मैं रामलुभायाजी के पास आया था। वह स्कीम बनी, तब उसके प्रमुख सचिव दूसरे थे, लेकिन जब स्कीम अधूरी रहने लगी तब इन्होंने कोशिश करके सी एम साहब से कहकर 10 करोड़ रुपये मंजूर कराये। आज मेरे खयाल से टिब्बा क्षेत्र में 99 परसेंट स्कीम कम्पलीट हो गयी है। वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें पीने का पानी नहीं था, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं था; सिंचाई के लिए हम सोच ही नहीं सकते थे।

इसी तरह से गंगानगर के अन्दर इस बजट में जो बड़ी भारी समस्या थी, जो शहर के अन्दर से माइनर नहर निकलती है, उसको कवर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट रखा है क्योंकि वह पानी आगे जाकर आगे के चकों के लिए पीने के पानी के लिए काम आता है, सिंचाई के लिए काम आता है।

जब मुख्य मंत्रीजी 1998 से 2003 तक मुख्य मंत्री थे, उस वक्त 455 करोड़ रुपये गंग कैनाल के लिए, जो 1927 में आयी थी, जो 2,720 क्यूसेक की नहर थी जिसकी कैपेसिटी 1,500 क्यूसेक्स रह गयी थी। उसमें जनता शासन आ गया था, बी जे पी आ गयी थी, पहले कांग्रेस का शासन था, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उस समय हमारे मुखिया गंगानगर में राधेश्यामजी हुआ करते थे और मैं भी इनके साथ ही था। उस वक्त हमने नहर की मरम्मत के लिए बी जे पी राज में लट्ठ भी खाये थे। राधेश्यामजी उस चीज को जिंदगी में भूल नहीं सकते। हालांकि ये किसी को छुड़ा रहे थे, ऊपर गिर गये, लेकिन इनके भी काफी चोटें आयीं, लेकिन ये बताते नहीं किसी को। अफसोस की बात यह है कि पांच साल के अन्दर जितना काम हो गया, वह हो

(श्री गंगाजल मील)

गया, बी जे पी शासन में कहीं एक बुर्जी का काम नहीं हुआ और जब दुबारा जब अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री बने, पिछले साल 50 करोड़ रुपये मंजूर हुए, 50 करोड़ फिर लगे। हालांकि पंजाब में नहर की मरम्मत हो गयी, राजस्थान के पोर्शन में मरम्मत बाकी है। नहर की कैपेसिटी भी काफी हो गयी है, नहर 2,500 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी ले सकती है। लेकिन पानी देना तो पंजाब वालों के हाथ में है हम यहां बैठकर कुछ भी कह लें। वे 2 हजार क्यूसेक्स को 1,200-1,300 क्यूसेक्स में ले जाते हैं और वह हमारे खाते में 2 हजार चलता रहता है।

अन्तरराज्यीय समझौते होते हैं, उनके अन्दर कहीं न कहीं प्रोब्लम आती है। जैसे आई जी एन पी नहर का मामला है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले साल 250 करोड़ रुपये पंजाब पोर्शन में और 450 करोड़ राजस्थान के पोर्शन में उसकी मरम्मत के लिए माननीय प्रधान मंत्रीजी से मिलकर और पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से वार्ता कराकर वह पैसा मंजूर कराया, लेकिन इस साल जब पानी की बंदी का टाइम आया या पानी बंदी लेने का टाइम आया, तब सारे बी जे पी वालों ने अख़बार भर दिये कि बंदी नहीं चाहिए; बंदी दी तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा; नरमा नहीं बीजा जाएगा। मैं कहता हूं, नरमा की जरूरत ही नहीं है, ग्वार बीजो ना। नरमा पानी ज्यादा लेता है, जमीन खराब करता है, कीटनाशक डालना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है; ग्वार में कुछ नहीं डालना पड़ता और जमीन सुधरती है।

कल हमारे माननीय सदस्य सुंदर लाल जी फरमा रहे थे कि मेरे एरिये में भैंसों की चोरी बहुत हो गयी है, मैं कहता हूं, वहां ग्वार बीजना शुरू कर दो, लोग ग्वार चोरी करेंगे...(व्यवधान) भैंसों की चोरी बंद हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपको 10 मिनट हो गये हैं, ये एतराज कर रहे हैं, माननीय तिवाड़ीजी एतराज कर रहे हैं। ये यों कह रहे हैं कि ये गंगा भी हैं, जल भी हैं।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): यही तो मैं बताता हूं आपको। मेरे टिब्बा क्षेत्र में लोग कहते हैं, माननीय अशोक गहलोत को हम भागीरथ मानते हैं, वे गंगाजल लाये हैं और अब गंगा के जल को लेकर आएंगे। उनको वहां देवता की तरह मानने लगे हैं। बी जे पी वाले लोग तीन दिन तक नाचते रहे, डांस करते रहे; वे बोले, हमारा पार्टी से कोई लेना-देना नहीं, हम तो भागीरथ हमारे अशोकजी गहलोत को मानते हैं।

(श्री गंगाजल मील)

पंजाब के अन्दर यदि हम बंदी ले लेते हैं, हमारी पंजाब के अन्दर 15 हजार क्यूसेक्स की नहर है, वहां 9 हजार क्यूसेक्स ले रहे हैं। 6 हजार पंजाब वाले यूज कर रहे हैं। हम कहने को तो कह देते हैं कि पंजाब का पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन हम लेंगे कहां से? हमारे पास लेने के लिए कोई बर्तन ही नहीं है। पंजाब में जब इलेक्शन था, कोई धणी-धोरी नहीं था और ऊपर से उन्होंने हमारे यहां अख़बार भर दिये कि नहरबंदी नहीं लेंगे, लेकिन नहरबंदी के बिना नहर की मरम्मत कैसे करेंगे? नहर की मरम्मत करेंगे तो जो पानी का हमारा हक है, हालांकि पहले भी .06 एम ए एफ पानी हमारा पंजाब वाले खा गये, वे आज तक नहीं दे रहे लेकिन कोई धमकी से थोड़े ही ले सकते हैं। इसके लिए अन्तरराज्यीय समझौते होते हैं। उसमें प्रोब्लम भी आती है। एक टाइम ऐसा भी आया था, पंजाब में हरचरण सिंह बरार की सरकार थी, मुख्य मंत्री थे, उन्होंने हाउस में फैसला कर दिया कि इस पानी में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। अब कर लो उनका, जो कुछ करना है। फिर भी राजस्थान सरकार किसी न किसी तरीके से अपने हिसाब का पानी ला रही है और कोर्ट में भी लड़ रही है। दोनों तरफ से, उनसे सम्बन्ध भी अच्छे रखने की कोशिश कर रही है और अपने हक की मांग भी कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी का, उनके साथियों का, मैं क्या, मेरे क्षेत्र के लोग कभी भी, युगों-युगों तक नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री अब्दुल सगीर खां।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): काबिले एतराम, आली जनाब, नायब सदर साहब, मैं अपनी बात इस शेर के साथ कहना चाहूंगा-

मैं शायर हूं, मुझे फितरत के नजारों से उल्फत है,
मेरा दिल दुश्मने नगमा शराई हो नहीं सकता,
मुझे इंसानियत का दर्द भी बख्शा है कुदरत ने,
मेरा मकसद वक्त शोला नवाई हो नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अब्दुल सगीरजी, हाउस में लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी की तवज्जोह चाहूंगा, आप अंग्रेजी जुबान और उर्दू जुबान के अच्छे फनकार हैं, मैं खास तौर से यह शेर आपके लिए पेश कर रहा हूं, मंत्रीजी, पी एच ई डी मिनिस्टर साहब-

(श्री अब्दुल सगीर खां)

अजब तमाशा है ए साकी तेरे मयखाने में,
हमें पानी भी मयस्सर नहीं पैमाने में।

जनाब नायब सदर साहब, बड़ी गम्भीरता से, बड़ी संजीदगी से जितने पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया है, यह इस बात की शहादत है, गवाही है; लगभग 40 अपोजिशन के विधायक और ट्रैजरी बैंचेज के 40 विधायकों ने पार्टिसिपेट किया है और अपने तासुरात, अपने जज्बात और दर्द की पीड़ा, माननीय मंत्रीजी, आपके और हमारे इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब के समक्ष रखी है, वह इस बात का द्योतक है, संकेत है कि राजस्थान के अन्दर पेयजल की भयंकर समस्या है। आज ट्रैजरी बेंचेज के हमारे माननीय सदस्यों को कहने की जरूरत नहीं है, वे अपनी पार्टी में, दल में भी इस बात को बड़े जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। पानी की अहमियत के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि अगर दुनिया में तीसरा कोई युद्ध होगा तो वह पानी के ऊपर होगा, अगर हिन्दुस्तान में कोई चीज महंगी होगी तो पानी होगा और गरीबों के लिए तो वह पानी मयस्सर नहीं होगा। पानी की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े अच्छे, खूबसूरत, लुभावने नारे, स्लोगन्स, पोयम करते हैं। उन्होंने कहा कि 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, खूब पढ़ाओ'। अब बिजली आप तो बचाते नहीं, कंज्यूमर्स बचा नहीं रहे, तो वे बचा रहे हैं और बिजली आती नहीं। पानी आप नहीं बचा रहे; आपको पानी नहीं मिलता है, इस तरीके से बचाओ। शिक्षा का जो हाल है, वह तो आपके सामने आ चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां आप पानी के बचाने की बात कर रहे हैं और यहां पर जो लफ्फाजी हो रही है, गुणगान होते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपने क्षेत्र में जब मई और जून में जाना होगा तो आपके जनता कपड़े फाड़ देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। धौलपुर में चम्बल नदी बहती है, हम भरतपुर को पानी दे रहे हैं और वहां से बहुत सारी जगह पानी की बात हो रही है। लेकिन चम्बल नदी का पानी होते हुए वहां पर एक योजना बनी, वाटर टेक-आफ तागरपाड़ा-धौलपुर योजना, और यह वादा किया गया कि 60 गांवों को पानी मिलेगा। वहां पाइपलाइन भी डली, टंकियां भी बनी हैं लेकिन आज तक पानी के लिए धौलपुर तरस रहा है। मुझे लगता है कि मुख्य मंत्रीजी इस बात पर आतुर हैं कि धौलपुर जिला सड़कों पर आए, संघर्ष

(श्री अब्दुल सगीर खां)

करे और वहां बहुत बड़ा संघर्ष, लड़ाई हो तो उसके बाद ही हम धौलपुर को पानी दें। क्यों लड़ाने की बात करना चाहते हैं? जब तक जनता सड़कों पर नहीं आती है, इस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर धौलपुर को पानी नहीं मिला तो धौलपुर की जनता जो पाइपलाइन गई हैं, वहां पर आकर संघर्ष करेगी और इस तरह का एक्शन लेगी कि फिर उसके बाद में आप कहोगे कि धौलपुर के लोगों ने इस तरह का आंदोलन क्यों किया। आप भड़काते हैं। हमारे शहर का पानी, हमारी नदी हमारे पास से निकलकर जा रही है और आप हमें प्यासे रख रहे हैं, पानी देने की बात नहीं कर रहे हैं।

आपने एक धौलपुर लिफ्ट इर्रिगेशन योजना बनाई, इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब की मैं तवज्जोह चाहूंगा, आपने प्रावधान भी किया है एक करोड़ रुपये का सर्वे करने का। अभी पांच साल से सिर्फ सर्वे हो रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। उस फाइल को हमारे भारतीय जनता पार्टी के जमाने में साबिक वजीरे-आला वसुंधराजी के वक्त में क्लीयर करके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भेज दिया गया लेकिन आपकी सरकार ने उस पर कोई तवज्जोह नहीं की।

आज पानी की बात पर सियासत होती है। कुछ लोग यहां पर बैठकर गुणगान करते हैं कि हमारे यहां इतना काम हो गया, इतना काम हो गया और मुख्य मंत्रीजी घोषणा करते हैं और कहते हैं कि विरोध पक्ष के लोग ताली नहीं बजाते। हम तो ताली ही क्या, आपको कंधों पर बिठाकर स्वागत करें पर काम तो कराइये। आप तो पालिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। आप तो जहां-जहां विरोध पक्ष के विधायक जीते हुए हैं, वहां आपने पानी की कोई व्यवस्था नहीं की, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं की।

(18.54 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

वहां बजट में जो वायदे किए, उनका भी एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार घोषणा की थी कि हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज बनाएंगे, यह करेंगे पर एक भी घोषणा का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अभी भी घोषणाएं की हैं। घोषणाएं करना, बजट के अन्दर बहुत अच्छा प्रावधान करना, बहुत खूबसूरत सपने देखना, यह कोई बड़ी बात नहीं होती। हमने यह वादा किया है, हमने यह घोषणा की है, हमने यह घोषणा की है और इस पर जब एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आप कितने परसेंट

(श्री अब्दुल सगीर खां)

अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो के वायदे पूरे कर रहे हैं, कितने बजट को आपने एग्जीक्यूट किया है उस बात पर मुनस्सर होगा।

धौलपुर के अन्दर, सभापतिजी, आज पूरे राजस्थान में एक्सपांशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, अब गर्मी आएगी तो परिंदों को, पशुओं को, सबको पानी की आवश्यकता है। शुद्ध-के-लिए-युद्ध आपने अभियान चलाया, आपने पानी के लिए युद्ध किया कि शुद्ध पानी मिले? आपके जयपुर का पानी मैं पी रहा हूं, मैं बम्बई भी रहा, धौलपुर भी रहता हूं, चम्बल का पानी बड़ा डाइजेस्टिव है। कभी आपको मौका मिले तो धौलपुर आइए और पानी पीजिए, आपके बिसलरी वाटर से अच्छा पानी है। लेकिन जयपुर जो पिंक सिटी है, मुझे पता है कि अगर रोज उससे अपने बाल धो लेंगे तो गंजे हो जाएंगे। अगर आप बिसलरी वाटर नहीं पिएंगे, इस पानी को रोज पी लेंगे तो आपको गैस बनेगी। आप राजस्थान को शुद्ध पानी नहीं पिला सकते; शुद्ध को छोड़िए आप, गांवों के अन्दर जहां पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं पिला पा रहे हैं। आप राजस्थान को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं पर जब तक कोई भी फैक्टरी के लिए, मिल्स के लिए, कारखाने के लिए, किसी भी फलां बहबूदी के लिए, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए पानी और बिजली बहुत जरूरी चीज है। राजस्थान के बारे में जब कोई सोचता है कि वहां पानी नहीं मिलता तो कोई उद्योगपति क्यों राजस्थान में आएगा जब आपके पास पीने तक का पानी नहीं बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाते हैं पर किसी योजना का क्रियान्वयन नहीं है। आज भी राजस्थान पानी के लिए तरस रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धौलपुर का एक्सपांशन हुआ है, लगभग 80-90 कालोनीज नई बनी हैं, वे पानी के लिए तरस रही हैं।

अभी इस तरह का सर्कुलर निकाला है कि इससे पूछकर, उससे पूछकर हैंड पम्प लगेगा। तो, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं बताता हूं कि हमारे विरोधी दल के विधायक तो बाद में करेंगे, आपके दल के लोग ही आपके अधिकारियों के कपड़े फाड़ेंगे। यह होने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि कहां पर हम हैंड पम्प लगाएं, इनकी परमिशन लो, उनकी परमिशन लो। आज पानी की सख्त जरूरत है, पानी पिलाना पुण्य है और पानी पिलाने के लिए जो आपने पैसा दिया है, अगर हम पूरा का पूरा एक करोड़ रुपया पानी पर खर्च कर दें तो भी, मुख्य मंत्रीजी, यह पानी कम है। आपने कोई इमरजेंसी, कंटिंजेंसी की बात नहीं की। पहले कंटिंजेंसी के थ्रू बहुत सारे हैंड पम्प

(श्री अब्दुल सगीर खां)

विधायकों को दिया करते थे, हमारी सरकार ने दिए पर आपकी सरकार ने तीन साल में आज तक हैंड पम्प नहीं दिए।

मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का किसान पानी के लिए भी संघर्ष करे, सड़कों पर आए, तब आप उन्हें पानी पिलाएंगे? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करें। आप दूरदृष्टि से, लम्बे विजन को दिमाग में रखते हुए पेयजल की योजनाएं बनाएं और पेयजल की योजना बनाकर राजस्थान के प्यासों को कम से कम पानी तो पिला दो। आप फ्री मेडिसन दे रहे हैं, आपने एक तरफ जननी शिशु योजना चला रखी है कि हम पांच किलो देशी घी देंगे, देशी घी की बात करते हो, आप तो पानी ही पिला दो। मैंने अभी मंत्रीजी से कहा कि आपके मयखाने के अन्दर पैमाना: नहीं है तो कम से कम पानी मयस्सर करा दो। पानी की सख्त जरूरत है और उसके लिए पानी का प्रबन्ध यह सरकार करे। आपके पास पानी नहीं है।

बड़ी-बड़ी योजनाएं, बजट में यह कहा कि इतने करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जो योजनाएं बनती हैं, योजनाएं बनाना बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े अच्छे बजट में प्रोविजन किए हैं लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, मानिटरिंग बिलकु ल फ्लाप है। इसी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बड़े खुश हो जाइए कि हमने ऐसा बजट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं। आपने पहले भी दिया था, उससे पहले भी बजट दिए थे, बजट बनाकर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बजट पर एग्जीक्यूशन होना और वहां तक लाभ पहुंचाना सबसे बड़ी बात है। आप मंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं और

(19.00 बजे)

इसीलिए कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो, मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया पानी के मामले में राजस्थानवासियों के साथ कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए। आप महात्मा गांधी हैं मारवाड़ के, मेवाड़ के, राजस्थान के, आप हर बात में महात्मा गांधी को कोट करते हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप भी अजीम शख्सियत हैं, गरीबों के मसीहा हो लेकिन आप गरीबों के लिए पानी की बात तो सोचिये, मुख्य मंत्रीजी। आप मकान बनाकर बाद में दीजिये, दवा फ्री बाद में दीजिये। प्यास से लोग गर्मियों में दम तोड़ देंगे।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

मैंने कहा था कि जब 'हरित राजस्थान' की बात आई थी, 'हरित राजस्थान' शुरु किया। मई और जून के अन्दर मैंने कहा, आपने होम वर्क नहीं किया है। आज 'हरित राजस्थान का कोई नाम नहीं ले रहा। जितने पौधे लगाये थे, सब मर गये अगर गिनती कराओगे पूरे राजस्थान में, गिनती नहीं करा पायेगा कोई कि इसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने धौलपुर के अन्दर पानी की व्यवस्था नहीं की। धौलपुर की लिफ्ट इर्रिगेशन जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी, जिसके साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तीन साल तक कोई कार्यवाही नहीं की, अगर उस पर अमल नहीं किया और मेरे जिले के, मेरे धौलपुरवासियों को अगर पानी मुहैया नहीं हुआ तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह चम्बल नगरी के लोग सब सड़कों पर आ जायेंगे तो, मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान हिल जायेगा।

बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।

श्री सभापति: श्री संतोष कुमार सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 46-सिंचाई पर अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

देश की कृषि योग्य भूमि का 13.88 प्रतिशत राजस्थान में है परन्तु सतही जल की उपलब्धता मात्र 1.16 प्रतिशत और भूजल उपलब्धता 1.70 प्रतिशत है। वर्षा के राष्ट्रीय औसत 1200 मिलीमीटर प्रति वर्ष की तुलना में राज्य का औसत मात्र 531 मिलीमीटर है। वर्षा अनिश्चित एवं अल्प है। भूजल की स्थिति नाजुक है। वर्ष 2008 के अनुमानों के अनुसार कुल 237 ब्लाक्स में से 195 ब्लाक्स डार्क जोन में आ गये हैं, कुल 33 ब्लाक्स ही सुरक्षित श्रेणी में हैं। जल उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान वाटर स्केअर्स श्रेणी में आता है। वर्षा में कमी, बढ़ते तापमान एवं मौसम में बदलाव के कारण जल उपलब्धता में निरन्तर कमी का अनुमान है। दूसरी ओर बढ़ती आबादी, औद्योगिक एवं शहरी विकास से मांग में तेजी से बढ़ोतरी होगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की और हमारी सरकार की वर्ष 2008 दिसम्बर से फरवरी, 2012 तक की कुछ उपलब्धियां हैं, जिनके बारे में, मैं एक-दो के बारे में चर्चा करना चाहूंगा।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् फरवरी, 2012 तक 2,164.53 करोड़ रुपये व्यय किये गये; 1,77,930 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई; गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना पर वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् फरवरी, 2012 तक 50.51 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को अपने विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के सिंचाई क्षेत्र के किसानों के इलाके के विकास के लिए, सिंचाई, अतिरिक्त स्रोतों तथा समस्याओं व उनके निराकरण के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा।

गंगानगर जिले को तीन महत्वपूर्ण प्रणालियों, गंग नहर, भाखड़ा नहर, इन्दिरा गांधी नहर की सूरतगढ़ ब्रांच व अनूपगढ़ शाखा से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। गंग नहर प्रणाली को फिरोजपुर फीडर के टेल आर डी 168 से निकलने वाली बीकानेर कैनाल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। गंग कैनाल का निर्माण तत्कालीन रियासत बीकानेर के महाराजा श्री गंगासिंह जी द्वारा वर्ष 1927 में बनवाकर तैयार किया गया और उसमें पानी प्रवाहित किया गया। इसके साथ ही गंग नहर प्रणाली क्षेत्र के विकास की शुरुआत हुई। सन् 2000 और 2001 में प्रणाली की बाकी कच्ची नहरों को पक्का करने का कार्य शुरू किया गया, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। गंग नहर प्रणाली क्षेत्र में अभी भी एक ज्वलंत समस्या है जिसका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। मुख्यतया गंग नहर फीडर के 49 किलोमीटर भाग को पक्का किया जाना आवश्यक है। यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कार्य करना भी बहुत कठिन है क्योंकि लगभग 23 किलोमीटर लम्बाई में कार्य बंदी में ही हो सकता है एवं 26 किलोमीटर लम्बाई में कार्य डाइवर्जन बनाकर किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में लगभग 89 करोड़ रुपये के प्रस्ताव थे, जबकि 2012-13 के बजट में मात्र 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है एवं दिनांक 10.4.2012 से 20.5.2012 तक 40 दिन की बंदी है। इस बंदी में भी लाइनिंग करवाने के टेंडर जो निरस्त हो चुके हैं, अतः बंदी अवधि में नहर पक्की नहीं हो पायेगी।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत गंग नहर आधुनिकीकरण संशोधित स्वीकृत प्रोजेक्ट अनुमान अनुसार कार्य 31.3.2013 तक पूर्ण किया जाना है। अतः उचित होगा कि जिस तरह पंजाब भाग में बीकानेर कैनाल की लाइनिंग

(श्री संतोष कुमार सहारण)

पंजाब राज्य द्वारा दो-दो आर डी के कार्यादेश करके की गई एवं ठेकेदारों को कार्य की आइटमवार दर निश्चित कर दी गई, उसी पैटर्न पर राज्य सरकार द्वारा दो-दो आर डी के कार्यादेश आइटमवार किये जायें तो यह कार्य किया जाना आसान है। क्योंकि ई-टेंडरिंग में सिंगल टेंडर आने पर संवेदक द्वारा अधिक दर देने पर टेंडर निरस्त होने की संभावना रहती है, जिससे बंदी में कार्य न होने पर काश्तकारों में रोष आना स्वाभाविक है। वर्णित 40 दिन की बंदी में गंग नहर के आठ हैड बनाये जाने हैं लेकिन टेंडर स्वीकृत नहीं हो पाये हैं। अतः कार्य प्रगति में निश्चित बंदी में कमी आना स्वाभाविक है क्योंकि बंदी से पूर्व ही कार्यादेश होने चाहिए ताकि ठेकेदार द्वारा बंदी से पहले मौके पर मैटेरियल एवं लेबर की व्यवस्था कर ली जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास टेंडर की व्यवस्था नहीं है, वर्ल्ड बैंक से हमारे हैड्स के टेंडर स्वीकृत नहीं हुए हैं, अतः इस बंदी को कैंसिल किया जाये। इसकी रेग्यूलेशन की दुबारा मीटिंग बुलाकर, इस बंदी को कैंसिल करके, किसानों में जो नहर की लाइनिंग नहीं होने का और हैड निर्माण नहीं होने का जो रोष रहेगा, वह ठीक नहीं रहेगा। इसमें पानी दुबारा प्रवाहित करने की व्यवस्था की जाये।

गंग नहर प्रणाली को पानी बीकानेर से प्राप्त होता है जिसका पूर्ण नियंत्रण पंजाब सिंचाई अधिकारियों के पास है। इस प्रणाली हेतु बी बी एम बी द्वारा जो पानी का हिस्सा निर्धारित किया जाता है, पानी की कमी के समय पंजाब सिंचाई अधिकारियों द्वारा पंजाब की नहरों में पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है जिससे प्रणाली क्षेत्रों में फसलों की बुवाई एवं पकाई पर अत्यन्त विपरीत असर पड़ता है। इसके साथ ही बीकानेर कैनाल में पानी में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है जो कि नहरों के रेग्यूलेशन में अनिश्चितता की स्थिति पैदा करता है। इस स्थिति में बीकानेर कैनाल के हैड का नियंत्रण पंजाब सिंचाई अधिकारियों की जगह बी बी एम बी का होना चाहिए।

गंग नहर प्रणाली की छोटी नहरों के अंतिम छोर तक कई बार पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे अंतिम छोर के किसानों को भारी नुकसान होता है। इसमें मेरा सुझाव है, इसके समाधान हेतु प्रणाली की 22 बड़ी नहरों के किनारे विभागीय ट्यूबवैल्स लगाये जायें ताकि किसानों को टेल पर पानी उपलब्ध हो सके।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

'ए' माइनर को कवर करने की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, यह निश्चित तौर पर बहुत कल्याणकारी योजना है। इस नहर की दुर्गति के बारे में अभी जैसा माननीय सदस्य गंगाजलजी ने फरमाया, राधेश्यामजी ने भी कहा, इस 'ए' माइनर की, जो शहर के अन्दर से गुजरती है, एक तरह से यह सीवर लाइन बन गई थी और 10 चक हैं, जो मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। गंग नहर, 'ए' माइनर को कवर करने की जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, वह काबिले तारीफ है।

पंजाब द्वारा नहरों से छोड़े जाने वाले सीवर के पानी पर तुरन्त रोक लगवाई जाये, यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है। पंजाब द्वारा बूढा नाला, लुधियाना के पास सीवर लाइन उसके अन्दर डाली जाती है। टैनरीज वहां लगी हुई हैं, वह सारा पानी इस गंग कैनाल में और राजस्थान कैनाल में प्रवाहित किया जाता है। निश्चित तौर पर जो पानी हम पीते हैं, चाहे हम आर.ओ. लगो लें या कुछ भी कर लें लेकिन पानी के अन्दर जो केमिकल्स हैं वे नहीं निकल पाते हैं। निश्चित तौर पर जो एक बात बताई राधेश्यामजी ने कि एक कैंसर गाड़ी, पंजाब में भी इसका पानी इस्तेमाल होता है, वे लोग पीते हैं, इससे कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस पर निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार पूरी कोशिश करके चाहे किसी लेवल पर बात करके इस पर रोक लगाई जाये और किसी प्रकार अगर यह पानी नहीं रुकता है तो इसके अन्दर पानी प्यूरिफाई करने के लिए कोई व्यवस्था इसकी की जाये। यह हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से किया जाय।

सभापतिजी, अभी मैं थोड़ा पेयजल पर भी बोलना चाहूंगा। मैं आभारी हूं कि सी ए डी द्वारा हमारे गंग कैनाल क्षेत्र के खालों को पक्का किया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। इसी प्रकार मैं यह चाहूंगा कि भाखड़ा के क्षेत्र में भी सी ए डी को लागू किया जाय जिससे वहां भी किसानों को खाले पक्के करने में राहत मिलेगी। वे खाले भी पक्के कराये जायें।

एक-दो बातें और हैं नहर के सम्बन्ध में। गंग नहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के मोगों को दुरुस्त किया गया है लेकिन अभी भी कुछ मोगे ऐसे हैं जिन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखे हैं। वे पानी ज्यादा ले रहे हैं, उनके स्थगन आदेशों को निरस्त करवाकर उन मोगों को दुरुस्त किया जाय।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मेरे क्षेत्र में 500 एल एन पी का मोगा जो कि बीकानेर कैनाल पर है, इसकी स्वीकृति राज्य सरकार से अभी भी अपेक्षित है। इसके साथ ही 'जे' माइनर का हैड एल एन जी पर होने के कारण 'जे' सब माइनर की स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित है।

भाखड़ा सिस्टम भी मेरे क्षेत्र में पड़ता है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार जब बनी उसके बाद में हमारे दो सिस्टम, दो नहरें, एस डी एस व पी टी पी पक्की हुईं; टेल के किसानों की जो दुर्गति थी उसमें सुधार हुआ; निश्चित तौर पर टेल पर पानी पूरा पहुंचा है। मैं कामना करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं और मैं मेरा निवेदन करता हूं सिंचाई मंत्री महोदय से कि मेरे क्षेत्र की बची हुई एक तो बड़ी नहर के एस डी नहर है और तीन छोटी नहरें के आर डब्लू, बी एन डब्लू व बी जी एस, इनको पक्का करें ताकि आगे टेल के किसानों को पानी पूरा मिल सके और वे लाभान्वित हो सकें।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे नहरी सिस्टम को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्षेत्र में चीफ इंजीनियर से लेकर के जे ईएन व बेलदार के पदों पर, जो खाली पड़े हुए हैं, उन पर अधिकारियों की और बेलदारों की और जो-जो पद खाली हैं, उन पर लोगों को पदस्थापित किया जाय।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पेयजल पर थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: संक्षिप्त करो, माननीय सदस्य। बहुत संक्षिप्त में।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): मेरे से जितना हो सकेगा, उतनी कोशिश करूंगा, साहब, मैं, प्लीज।

श्री सभापति: सीधा आपके क्षेत्र की ही बोल दो। हां, क्षेत्र की।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): मैं क्षेत्र की ही बोलता हूं, आगे नहीं बोलता।

सरकार ने बहुत उपलब्धियां दी हैं, बहुत हमें दिया है, उसके लिए उनका आभार। माननीय सभापति महोदय, मैं पी एच ई डी मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, नहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं का मुख्य स्रोत नहर से लेकर हैड वर्क्स तक रॉ वाटर चैनल, स्टोरेज टैंक हैं जो योजनाएं काफी पुरानी हैं, उनकी चैनल व स्टोरेज टैंक क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिनकी मरम्मत नहीं होने के कारण पेयजल का पूर्ण भण्डारण नहीं हो

(श्री संतोष कुमार सहारण)

पाता व पानी व्यर्थ बहता रहता है। यदि समय रहते उनकी मरम्मत नहीं कराई गई तो स्थिति और भी गम्भीर हो सकती है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में जल शुद्धिकरण के लिए स्लो सैंड फिल्टर बने हुए हैं। उनकी लगातार सफाई करने पर फिल्टर मीडिया कम हो जाता है जिससे पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिनका समय रहते रिनोवेनेशन कराया जाना अति-आवश्यक है। इसी प्रकार कई योजनाओं पर या तो चारदीवारी बनीं ही नहीं, यदि बनीं तो काफी योजनाओं पर क्षतिग्रस्त हैं जिसके अभाव में या तो अतिक्रमण हो जाते हैं या आवारा पशु डिग्गियों में डूब जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा निवेदन है कि रिनोवेशन कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में बजट उपलब्ध कराया जाए। जो योजनाएं लगभग बीस-पच्चीस वर्ष पुरानी हैं, उनके स्ट्रक्चर भी खराब हो जाने के साथ-साथ जनसंख्या बढ़ने के कारण मांग के अनुरूप जल उत्पादन नहीं हो रहा है। उनके आग्मेंटेशन प्रस्ताव के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान रखा जाए।

ग्रामीण क्षेत्र में चार सौ की आबादी पर उच्च जलाशय बनाने की नीति निर्धारित है। मेरा यह मानना है कि यह नीति काफी पुरानी हो गई है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। कम से कम दो हजार की आबादी वाली योजनाओं पर तो उच्च जलाशय की नीति बनाई जाए, उन ग्रामों में तो यह नीति तुरन्त लागू की जाए जिनकी आबादी दो हजार से चार हजार के बीच है व उपभोक्ता जल शुल्क चुकाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पावर दो ब्लाक्स में उपलब्ध होता है, जो ब्लाक रात्रि का होता है उसमें पानी लगभग व्यर्थ हो जाता है। दो साल पहले एक सूचना मांगी गई थी कि दो हजार की आबादी वाले वाटर वर्क्स, दोनों सब-डिविजन, मेरे यहां दो सब-डिवीजन लगते हैं, सादुलशहर और गंगानगर, उनमें चालीस ओवरहैड टैंक्स का प्रपोजल जो कि उस वक्त करीब आठ करोड़ रुपये का था, बनवाकर भिजवाया गया था, सूचना मंगवाई गई थी लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

एक और मैं आपके माध्यम से पी एच ई डी मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि स्कीमें बनाकर भिजवा दी जाती हैं लेकिन यहां आकर के उनके बजट को कम कर दिया जाता है और स्कीम कभी पूरी हो नहीं पाती। मैं ओवरहैड टैंकों के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर में हमारे स्टेट मिनिस्टर पी एच ई डी के क्षेत्र में दो सौ, ढाई सौ, पाँच सौ, हजार की आबादी वाले क्षेत्रों में

(श्री संतोष कुमार सहारण)

ओवरहैड टैंक बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं मांग करूंगा, उनके भी खूब बनाये जाये और हमारे क्षेत्र में जहां आवश्यकता है, और बिजली की सप्लाई को देखते हुए ये ओवरहैड टैंक्स ज्यादा से ज्यादा बनाये जायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक पींचा।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर मैं माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर है जो पी एम सी से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज भी तीस गांव ऐसे हैं जो पी एम सी का पानी नहीं ले रहे हैं। उन तीस गांवों की योजना पहले पी एच ई डी चलाती थी, वर्तमान में यह कहा जा रहा है कि इस योजना को ग्राम पंचायतें चलाएंगी, जबकि उन्होंने पी एम सी का पानी लिया नहीं। तीस गांवों में आज भी योजना पुरानी चल रही है। जो योजना पी एच ई डी के माध्यम से पुराने टाइम में चल रही थी, उन तीस गांवों में पी एच ई डी के माध्यम से योजना चलाई जाय, वरना जो विसंगति हर विधान सभा क्षेत्र में आ रही है वह सरदारशहर क्षेत्र में भी आ जायेगी।

इसके अलावा जो पी एम सी का सर्वे हुआ, वह 1991 की जनगणना के आधार पर सर्वे हुआ। बीस साल की उस समय योजना बनी थी, इस योजना का कार्य बीस साल तक था, बीस साल पूर्ण होने को आ गया है। इसके बाद में शहरी क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और आज भी आधा शहरी क्षेत्र खारा पानी पीने के लिए मजबूर है। मजबूर इसलिए है कि वहां न तो एस आर बनाया गया, न ही बाद में बीस साल में कोई पाइप लाइन डाली गई। इसलिए मेरा माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी से अनुरोध है कि जो शहर की भौगोलिक स्थिति है, आप भी जब मंत्री थे अभी उच्च शिक्षा के, उस समय हमारे आचार्य महाश्रमणजी वहां पधारे हुए थे, आप भी सरदारशहर में आये थे, आपको भी मैंने उस समय ज्ञापन भी दिया था। तो हकीकत यह है कि दो भाग में, उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ शहर की आबादी बढ़ी है, तो इन दोनों साइडों में पाइपलाइन डाली जाय और दोनों साइडों में टंकियां बनाई जाएं, एस आर बनाए जाएं ताकि इस योजना का लाभ मीठे पानी का लाभ आम आदमी को मिल सके, क्योंकि इस योजना को द्वितीय चरण में आप रतनगढ़,

(श्री अशोक पींचा)

सुजानगढ़ ले जाना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि गेरासर गांव है, वहां पर आपका एस आर बना हुआ है उस एस आर से मात्र तीन गांव में सप्लाई है। वह एस आर उन तीन गांवों में सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो आपके द्वितीय चरण रतनगढ़ और सुजानगढ़ के लिए जो आपने स्वीकृति दी है, पहले सरदारशहर की जो स्कीम बनी थी उसमें क्या खामी रही, उस खामी को पहले देखकर इस स्कीम को आगे ले जाना चाहिए वरना करोड़ों रुपये इस स्कीम में लग जायेंगे और रतनगढ़ और सुजानगढ़ की जनता पानी पी नहीं पायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सेकंड फेज को करने से पहले सरदारशहर की पूरी स्कीम की मानिटरिंग करायें, उसको सुरक्षित करें, उसका पानी सुरक्षित करें, उसके बाद में वहां आप ले जाने की व्यवस्था करें। यह मेरा माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी से आग्रह है।

इसके अलावा बार-बार जो यह एम एल ए लैड की, एम पी लैड की बात उठ रही है, फिजिकली जो भूगर्भ विभाग टैस्ट करता है, चूरू जिले में वर्तमान में भी एम पी और एम एल ए के लिए फिजिकल रिपोर्ट नहीं मिलती है और वे वह स्वीकृति नहीं निकालते। हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने अख़बार में कहा है लेकिन वर्तमान में भी चूरू जिले में फिजिकल रिपोर्ट के बिना एम पी और एम एल ए की कोई स्वीकृति नहीं निकल रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब से आपने पी एच ई डी को पंचायती राज विभाग के अन्दर दिया है, किसी भी सरपंच ने फीजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं ली है और एक-एक गांव में तीन-चार सिंगल फेस के हैंड पंप बन गए। तो सरपंच को आवश्यकता नहीं है फीजिबिलिटी रिपोर्ट की और एम पी और एम एल ए लिखकर के देता है तो फीजिबिलिटी रिपोर्ट की आवश्यकता हो जाती है। तो ये दो कानून राजस्थान में आप क्यों चलाना चाहते हो? या तो उनके लिए भी जरूरी नहीं है और इनके लिए भी जरूरी नहीं है।

दूसरा, जो सिंगल फेस के पंचायतों के द्वारा जो भी ट्यूबवैल बने हैं, एम एल ए से आज ऊर्जा विभाग भी पांच साल का पैसा लेता है, पहले कनेक्शन का पैसा लेता है और सरपंच कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से एक-एक पंचायत समिति के क्षेत्र में चार-चार सौ, पांच-पांच सौ सिंगल फेस के ट्यूबवैल चल रहे हैं। कनेक्शन हैं नहीं तो क्या हो रहा है? ऊर्जा विभाग को उसका कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप इस बात को गम्भीरता से सोचकर निर्णय करें कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट उनके लिए जरूरी नहीं है, एम एल ए और एम पी के लिए जरूरी तो इसको आप हटायें।

(श्री अशोक पींचा)

इसके साथ-साथ में जब एम पी और एम एल ए अपने कोटे से ट्यूबवेल बनाते हैं तो हमको यह निर्देशित किया जाता है कि आप यह पैसा पी एच ई डी को दें। पी एच ई डी मंगाती है विद्युत विभाग से कि इसका खर्चा कितना होगा, तो उसका खर्चा तीन लाख बताते हैं। जब एम एल ए लिखकर के देता है तो एम एल ए के लिए अलग रेट है। तो आप इसके लिए एक सर्कुलर निकालें कि एम एल ए और एम पी जो ट्यूबवैल बनाता है, उसकी कनेक्शन की रेट एम एल ए और एम पी के जो लगता है वह पी एच ई डी विभाग से लें। यह विसंगति हो रही है कि जब हम लेंगे तो एक लाख आएगा, पी एच ई डी मांगेगी तो तीन लाख आएगा। एक तरफ आप कहते हो पी एच ई डी कुआ खोदेगी, उसको आप पैसा दीजिए। तो इससे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आपके विभाग को यह निर्णय करना चाहिए कि एम पी और एम एल ए जो भी बनायें, उसकी रेट पी एच ई डी से वहीं लें जो उसके कोटे का काम हो।

इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे तो चार मिनट हुए हैं और मैं पहली बार बोल रहा हू।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जल्दी-जल्दी करें। अभी पच्चीस सदस्य और बोलेंगे प्रतिपक्ष के।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): मैंने जो बात दूसरे फेज के लिए कही है, उस बात को आप पहले सरदारशहर की मानिटरिंग करायें, उसके बाद में आप आगे के फेज की चिंता करें।

इसके साथ-साथ जो एम पी और एम एल ए के द्वारा जो भी कोटे के काम पी एच ई डी को दिए जाते हैं, एक-एक साल तक वे काम नहीं हो पाते हैं। अगर ग्राम पंचायत को देते हैं तो एक महीने में हो जाते हैं। इस बात में भी आप टाइम सुनिश्चित करे। डी आर डी तो करती है लेकिन विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करे कि वह काम हो। मेरे शहर की आबादी बढ़ी, मोटर मार्केट में एक ट्यूबवैल बनाया, एक साल पूरा हो गया, सारा काम पूरा है लेकिन उसको पाइप से नहीं जोड़ा गया है। एक साल से उसका पानी किसी के काम नहीं आ रहा है। ऐसी अगर मानिटरिंग होगी तो राजस्थान में यह समस्या हर जगह बढ़ेगी और इसके बढ़ने से जो आने वाला गर्मी का मौसम है, सबको इस बात के लिए कठिनाई होगी।

(श्री अशोक पींचा)

इसलिए मेरा माननीय पी एच ई डी मंत्रीजी से और ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो बातें मैंने कही हैं, एक तो ऊर्जा के लिए जो पैसा ज्यादा लगता है, उसकी बात कही है, उसके आप आर्डर निकालें और इसकी मानिटरिंग करते हुए द्वितीय फेज का काम चालू करें। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 पर चर्चा हो रही है। आपने मेरे को इस चर्चा में भाग लेने का समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो भू-भाग की दृष्टि से पूरे भारत के अन्दर सबसे अधिक है और राजस्थान के अन्दर कुछ क्षेत्र मरु-स्थलीय, रेगिस्तानी क्षेत्र है। अमूमन बरसात राजस्थान में कम ही होती है। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा शुरुआत में एक भावना जाग्रत की थी कि अशोकजी का राज आएगा और साथ में अकाल आएगा, बारिश नहीं होगी। भगवान की मेहरबानी हुई, पिछले तीन सालों से राजस्थान के अन्दर जबरदस्त बारिश हुई। बांधों के अन्दर पानी आया, नदी-नालों के अन्दर पानी आया और भू-जल भी बढ़ा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उसके अन्दर एक कल्याणकारी सरकार की जो भावना होती है कि जनता को शुद्ध जल पिलायें, उसी भावना के अनुरूप बजट पेश किया है, उसी भावना के अनुरूप तरह-तरह की नई योजनाएं लागू की हैं जो आने वाले समय के अन्दर राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए सुखदायी होगी। जल नीति बनाकर यह साबित किया है कि आने वाले समय के अन्दर पानी की स्थिति बहुत भयंकर होगी और जल स्तर जो धीरे-धीरे गिर रहा है, यह आने वाले समय में बहुत संकटदायी होगा। इसका समाधान करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम लागू की। उनके अन्दर अनुदान की व्यवस्था की और बारिश का पानी किस आधार पर संग्रहित किया जाए, उसकी व्यवस्था की।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सीमावर्ती जिले बाड़मेर के लिए इस बजट के अन्दर 1200 करोड़ की व्यवस्था की और 4-5 योजनाएं, मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल, फलसूंड-पोकरण लिफ्ट कैनाल, उम्मेदसागर-दवा-समधड़ी लिफ्ट कैनाल और नर्मदा नहर परियोजना के

(श्री पदमाराम)

अन्दर पेयजल के लिए व्यवस्था की है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और पी एच ई डी मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहता हूं।

मेरा एक निवेदन है पी एच ई डी मंत्रीजी से कि हमारे 60 परसेंट क्षेत्र के अन्दर अंडरग्राउंड वाटर है। वहां पी एच ई डी की स्कीमें चल रही हैं, सुचारु रूप से चल रही हैं, अच्छा पानी मिल रहा है परन्तु जो जनता जल की योजना के अन्दर आपने अभी जो प्रावधान रखा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने इस जनता जल योजना को कौनसे मापदण्ड के आधार पर इसको जनता जल माना है, थोड़ा यह निर्देशित करावें आपके डिपार्टमेंट को। जो स्कीमें सुचारु रूप से चल रही थीं और जो नई स्कीमें बन रही हैं, जो मेरे क्षेत्र में बी डी पी में लग रही है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के साथ नई स्कीमें बन रही हैं। जो स्कीमें पी एच ई डी विभाग जनता जल मानते हुए पंचायती राज को देना चाहती हैं, इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि पंचायती राज के अन्दर स्टाफ की कमी है, टेक्निकल स्टाफ की कमी है और एक सरपंच जिसके पास ग्रामीण विकास के कई तरह के काम होते हैं और ग्रामीण विकास के कामों के अन्दर वह व्यस्त होने के कारण इस योजना को संभालने में वह अक्षम रहता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह योजना यदि पंचायती राज को देना चाहते हैं तो आपको स्टाफ के साथ देनी चाहिये। आपके स्टाफ की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस योजना को पी एच ई डी विभाग ही संभाले और उसका भुगतान का लेन-देन ग्राम पंचायत ही करें।

दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 125 करोड़ रुपए और सेकंड फेज के लिए जो घोषणा की है, मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर पंचायत समिति की मेरी सात पंचायतें हैं, वहां पानी की भयंकर कमी है, फ्लोराइडयुक्त पानी है। तो मेरा निवेदन है कि बीस करोड़ रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ाकर जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की सात पंचायतें हैं, उनको आप इसी मोहनगढ़ बांध की पेयजल योजना में जोड़ें तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और आपने नर्मदा नहर योजना के अन्दर 177 गांवों के लिए 160 करोड़ का जो प्रावधान किया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। परन्तु साथ ही मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो बाकासर अराई सर्कल है, वहां 10-

(श्री पदमाराम)

15 पंचायतें हैं, उनमें पानी की भयंकर समस्या है। वहां न तो कोई स्कीम है; पुरानी स्कीम जो सियाणिया के अन्दर बनी हुई थी, वहां से पानी जा रहा था वे कई सालों से बंद है। छोटी-छोटी बेरियां बनाकर बरसात का पानी एकत्रित करके वे पानी पी रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि साटा के अन्दर एक 132 केवी का आपने जो ग्रिड बनाया है, वह नर्मदा नहर के अन्दर बनाया है कि ये नर्मदा नहर के पानी का प्लांट बनाकर इनके क्षेत्र में स्थित इन गांवों को पानी की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इनके साथ मेरे चौहटन विधान सभा क्षेत्र के बाकासर बेल्ट के और इस साइड धोरून्दा पंचायत समिति की जो 15 पंचायतें हैं, उनमें से पांच-सात जिनमें भेरूंडी है, बांबड़ला है, ओगाला है, इनमें भयंकर पानी की समस्या है, इनको साथ जोड़ने की आप बड़ी कृपा करावें तो हमारी गरीब जनता जो रह रही है, उनको बहुत सुविधा रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं, जल संसाधन के अन्दर उनसे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि नर्मदा नहर का पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है, अभी हमारे पड़ोस के माननीय सदस्य सांचोर से आने वाले फरमा रहे थे कि हमारी प्रतिपक्ष की नेता माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी अथक प्रयासों से ये पानी लायीं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के समय में जो सीलू के अन्दर इन्होंने उद्घाटन किया और पीछे दस किलोमीटर पाइपों से लाकर उद्घाटन किया, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोचने दस किलोमीटर की वह नहर पूरी की और आगे वाले काम को सुचारु रूप से चलाया और वितरिका को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारा काम किया जिससे आज दो साल से पूरे मेरे क्षेत्र में और जालौर क्षेत्र में पानी आना स्टार्ट हो गया।

मेरा निवेदन है कि मेरे पचास गांव जोड़ने की मैं तीन साल से रेगुलर मांग कर रहा हूं परन्तु जल संसाधन विभाग ने मेरे को अभी एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि पानी की उपलब्धता नहीं है, परन्तु उन्होंने ये मेरे 16 गांव साथ में जोड़ लिये। इसके लिए मैं जल संसाधन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो 16 गांव नर्मदा नहर से कमांड क्षेत्र में जोड़े, उनका अभी तक न तो सर्वे हुआ, न ही वितरिकाएं वहां बनी है तो मेरा निवेदन है कि वहां जल्दी से जल्दी उनका सर्वे किया जाए और

(श्री पदमाराम)

वितरिकाओं की व्यवस्था की जाए। वंचित रहे ज्यादा नहीं, तो पांच गांव ऐसे हैं जो नर्मदा नहर के कमाण्ड क्षेत्र के बिलकुल नजदीक हैं, ऊंचाई नहीं है उन पांच गांवों को आप इसमें जोड़ने की कृपा करावें तो हम आपके आभारी रहेंगे। उनमें हैं फागलिया, हेमावास, सामलासी, आमऊ और साता, ये पांच गांव हैं जो नर्मदा नहर के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के नजदीकी क्षेत्र के हैं और इनको आप मेहरबानी करके जोड़ें।

जो भीमगुडा जालौर क्षेत्र का आपने जो कमांड क्षेत्र माना है, उसका आप सर्वे करावें। उसके अन्दर ज्यादातर क्षेत्र लवणीय क्षेत्र, उबड़-खाबड़ क्षेत्र हैं। उन क्षेत्र को बचत करके इन क्षेत्र में आप मेरे विधान सभा क्षेत्र के अल्पसंख्यक, एस सी/एस टी और ओ बी सी की गरीब किसानों की सहायता के लिए आप मेहरबानी करें। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और हमारे क्षेत्र के माननीय हेमारामजी जल संसाधन मंत्रीजी मेरी इस भावना को, इस मांग को जरूर मान लेंगे, मेरी इस मांग को जरूर पूरा करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मंगलाराम गोदारा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 व 46, पेयजल व सिंचाई के सम्बन्ध में आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मेरे दो-तीन क्षेत्रों की तरफ से सुझाव हैं, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। एक तो जो पी एच ई डी के ट्यूबवैल बने हुए हैं उन पर पैनल बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। कोई ऐसा ट्यूबवैल नहीं है जिस पर पैनल बोर्ड लगा हुआ हो। जो लगे हुए हैं वे बहुत पुराने लगे हुए हैं। इससे एक तो बार-बार मोटरें जलती हैं, दूसरा बिजली छीजत ज्यादा होती है, खुले तार पड़े हैं और एक्सीडेंट का भी खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरा निवेदन है कि ये पैनल बोर्ड बना दिये जाएं तो एक तो मोटरें नहीं जलेंगी और दूसरी छीजत नहीं होगी।

दूसरा, एक मेरे पाइपलाइन बाना से रीड़ी मंजूर हुई; पिछली बार मंजूर की थी मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं लेकिन अभी तक इसका न तो टेंडर हुआ है और न यह चालू हुई है। इसलिए

(श्री मंगलाराम गोदारा)
मेरा निवेदन है कि ये पाइपलाइन जो डी.आई. पाइपलाइन मंजूर हुई है, वह जल्दी से जल्दी टेंडर करवाकर और बिछायी जाये।

तीसरा डूंगरगढ़ कस्बे में जो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं वे बहुत पुरानी हैं और 8-8, 10-10 फीट नीचे जमीन में चली गई। पानी सुचारु रूप से सप्लाई नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि डूंगरगढ़ कस्बे में पाइपलाइनें चेंज करायी जाएं।

चौथा निवेदन है कि जो पी एच ई डी के ट्यूबवैल बने हुए हैं, उनमें मोटर पम्प की व्यवस्था करवायी जाएं और कनेक्शन की व्यवस्था करवायी जाएं जिससे कि इस गर्मी के अन्दर लोगों को पानी मिल सके। विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में दस पंचायतें नोखा की आती हैं तो मेरा निवेदन है कि यह सब जगह हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक्स ईएन एक ही बैठे; जैसे एक एक्स ईएन बैठता है बीकानेर और एक बैठता है नोखा, तो इससे वितरण व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती और सही मानिटरिंग नहीं होती है। तो मेरा निवेदन है कि इसमें कोई खर्चे वाली बात नहीं है, ये खाली मंत्रीजी को आदेश ही देने हैं कि इस एक्स ईएन के नीचे इस ए ईएन को दे दिया जाए जिससे कि पानी की सप्लाई और ट्यूबवैलों का रखरखाव सही ढंग से हो सके।

पांचवा मेरा निवेदन है कि गांवों के अन्दर, जैसे चार हजार की आबादी के अन्दर जलाशय बनाने के आदेश बहुत पुराने हैं, अभी अगर दो हजार और चार हजार के बीच में अगर जलाशय बनाकर गांव में पानी की सप्लाई की जाए तो एक तो पानी की बचत होगी, दूसरा गांवों में प्राय: ऐसा हो गया कि पाइपलाइन से सीधा कनेक्शन ले रखा है और पी एच ई डी को बहुत नुकसान होता है, पानी वेस्टेज जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दो हजार की आबादी तक के गांवों को अगर पानी का कनेक्शन मिल जाए; वैसे कनेक्शन ले रखे हैं, सरकार ने ट्यूबवैल बना रखे हैं, कनेक्शन दे रखे हैं वे कनेक्शन फर्जी कनेक्शन ले रखे हैं; इसलिए मेरा निवेदन है कि उन गांवों को सही ढंग से कनेक्शन दिये जाएं तो एक तो सरकार को आमदनी होगी और दूसरा पानी है, वह वेस्टेज नहीं जाएगा।

ये मेरे चार-पांच सुझाव हैं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि अन्ततोगत्वा आपने मुझे समय दे दिया।

माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप हमें पानी तो क्या पिलाओगे, वर्षों से पिला रहे हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि चम्बल का जो ओवरफ्लो का पानी आता है, आपके मुख्य मंत्रीजी का एक वादा था धौलपुर के साथ चम्बल लिफ्ट देंगे और बैराज बनायेंगे। मेरा गला खराब है, माफ कीजियेगा। हर साल हमारी नदी में बहुत सारा, ढेर सारा पानी कोटा से बहकर ओवरफ्लो में आता है। उस पानी को हमारे यहां ही रोक दिया जाये तो आपका वादा भी पूरा हो जायेगा और धौलपुर जिले की तहसील और राजाखेड़ा की तहसील के किसानों को खेती के लिये पानी मिल जायेगा, पीने का पानी मिल जायेगा।

आज मेरे से लोग 9 हजार हैंड पम्प मांग रहे हैं। अगले 50 साल का इंतजाम है, न मैं जिंदा रहूंगा, न मैं एम एल ए रहूंगा। इस बात को सोचिए, इसको मजाक में मत लीजिए, लोग कितने प्यासे हैं। आज 6 लोग धौलपुर में हैंड पम्प लगाते हैं या सारे राजस्थान में। सरकार ने लगाना बंद कर दिया, कंटिंजेंसी बंद। हमारे सांसद हैंड पम्प लगाते ही नहीं हैं। अब रह गया एम एल ए अकेला। सरपंच, प्रधान और प्रमुख, मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, किस तरह लग रहे हैं, भगवान ही मालिक है। आज रीजनल स्कीम आपकी करोड़ों की सम्पत्ति है। पता नहीं कैसे आपको नींद आती है। कहीं स्टार्टर खराब है, कहीं पाइप टूट गया, कहीं मोटर जल गई, कहीं टंकी में लीकेज है, कहीं बिजली का बिल नहीं भरा और आप कहते हैं कि हमने सरपंच को हैंडओवर कर दिया। जनता के साथ यह खिलवाड़ न कीजिए।

मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि जो मैं सुन रहा हूं हाउस में, मुख्य मंत्रीजी का यशोगान हो रहा है उधर से। मुझे जलन नहीं हो रही, पीड़ा जरूर हो रही है। लोग असत्य नहीं बोल रहे होंगे, इधर बैंचेज पर बैठने वाले। मैं यह चार्ज लगाता हूं कि कांग्रेस के विधायकों के यहां, मंत्रियों के यहां काम हो रहे हैं और बी जे पी वालों का छांट-छांट कर आप नुकसान कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। उसका भुगतान हमारी जनता कर रही है। मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है, क्या धौलपुर राजस्थान का हिस्सा नहीं है? पीने के पानी की राजनीति करते हो आप लोग, क्या हम पाकिस्तान में हैं? +++ हाउस में नहीं हैं, मैं एक चार्ज लगाता हूं क्योंकि वह पंजाब के रहने वाले हैं इसलिए उनकी सारी दृष्टि

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

पश्चिमी राजस्थान पर है, उत्तरी राजस्थान पर है। धौलपुर जिले की कोई नहीं सुनता। न पुराने मंत्री सुनते थे और अब नये मंत्रियों का पता लगेगा, कितना सुनेंगे, कितना नहीं सुनेंगे।

मेरे घर के बगल में चम्बल बहती है। आप भीलवाड़ा को पानी ले जा रहे हो, अलवर को ले जाने की बात है, भरतपुर को पिला रहे हो, बूंदी की बात सुनी है। मेरे घर के बगल में चम्बल बहती है और मुझसे आप कहते हो कि आप हैंड पम्प का पानी पिओ। यह कौनसी राजनीति करते हो आप? ये ऐसी परिपाटियां कायम मत करो। यह राज पांच साल का है, स्थाई नहीं है किसी का भी। कल को हालात बदल सकते हैं; बदले जायेंगे अगर हालात यही रहे और जब बदले जायेंगे तो आप तैयार होंगे कि जो व्यवहार हमारे साथ हो रहा है वह आपके साथ में हो? अधिकारी की कोई मजाल नहीं है किसी तरह की गड़बड़ करने की। निश्चित तौर पर यह सरकार की तरफ से इशारा है कि बी जे पी वालों के काम नहीं करने। चार-चार सौ, पांच-पांच सौ करोड के काम हो रहे हैं कांग्रेस के लोगों के यहां और हमको पीने के पानी तक की तकलीफ है।

सन् 1981 से 1990 तक मैं प्रधान था राजाखेड़ा का तब हैंड पम्प के मिस्त्री अपाइंट किये गये थे। 29 आदमी लगाये थे, वे रिटायर्ड होकर 16 रह गये। उनकी कोई भर्ती नहीं है। उस वक्त अगर 100 हैंड पम्प थे तो आज उनकी तुलना में हैंड पम्पों की संख्या कम से कम ढाई तीन हजार होगी। और मिस्त्री रहे गये आधे। कहीं सामान नहीं है, रिपेयर करने को आदमी नहीं। मुख्य मंत्रीजी को मैंने एक सुझाव दिया था, बड़ी पीड़ा से कहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने वह माना था, मैंने कहा कि आप रेगुलर भर्ती नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए लेकिन आप नरेगा में हर गांव से पांच-पांच लड़कों को ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। वे लड़के अपने गांव के हैंड पम्पों को ठीक कर लेंगे और नरेगा से उनका पेमेंट करवा दीजिए। एक साल बाद जवाब आया मुख्य मंत्रीजी के एक्नोलेजमेंट का और पता नहीं, वह चिट्ठी कहां सड़ रही है।

क्यों पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? राजस्थान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम लोग एम एल ए, एम पी, विधायक कुछ भी बन जायें, अगर हम प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकते तो हमारी जिंदगी का क्या मतलब है? जिंदगी का क्या औचित्य है? +++ ...(व्यवधान)

आप बताइए, कोई समझने वाला नहीं है। हालांकि यह पानी से रिलेटेड नहीं है, फ्लोर आफ द हाउस पर गवर्नमेंट ने यह जवाब दिया है कि राजाखेडा

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

में चम्बल के किनारों पर कोई मगरमच्छ नहीं रहते। अगर मगरमच्छ नहीं रहते हैं तो हमें रेता दीजिए। हमारी रेता साल भर से बंद है। कैसे नींद आती है आपको? कैसे लोग घर बनायें? आपकी बनास की बंद हो गई तो आपको तकलीफ आने लगी। जयपुर में ही आदमी रहते हैं? जयपुर में बंद हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे और हमारे लिये हाई कोर्ट में क्या सरकार जायेगी? जब आप खुद महसूस करते हो कि यहां मगरमच्छ नहीं रहते, यहां से रेता उठ सकता है, अपना करोड़ों का नुकसान कर रहे हो और हमारी जनता को मार रहे हो आप। यह संवेदनशील सरकार है, कैसी संवेदनशील है?

आखिर में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहता, मेरी बात बुरी लगे तो बुरी मत मानियेगा। राजस्थान के गांधी के तीन माननीय आइडियल +++ हैं। एक जो सुनते ही नहीं...

एक माननीय सदस्य: नाम बताओ।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बताता हूं। One who doesn't see, Dr. Jitendra Singh; one who doesn't hear Shri Shanti Dhariwal; and, one who doesn't speak Sh. Hema Ram. इन तीनों की वजह से आज हम प्यासे हैं, हमारी खेती प्यासी है। (व्यवधान) मेहरबानी करके राजाखेडा को, धौलपुर जिले को ऐसी स्थिति में न लाइए कि हम आपके रास्ते रोके, ट्रेनें रोकें। हमारे पास सब कुछ है, ब्रोड गेज पर हम हैं, नेशनल हाइवे पर हम हैं, सबसे अच्छे प्लेसमेंट में हम हैं, आगरा हमारे पास लगा है। आप लोग थोड़ा सा गौर करें, इस जिले को बरबादी से बचा लें। बाड़मेर रेगिस्तान होता था, जैसलमेर रेगिस्तान होता था, आज वे हरित प्रदेश हैं और धौलपुर जो ग्रीन था आज वह करीब-करीब रेगिस्तान के कगार पर है। यह हमने आपके राजस्थान में शामिल होकर अपने भाग्य का निर्माण किया है। काश, कि हम किसी और प्रदेश में चले गये होते तो आज हमें यह रोना नहीं रोना पडता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापतिजी, मैं तो वैसे ही बैठ रहा हूं। प्यासा हूं, भूखा हूं मुझे आप क्यों बैठा रहे हो? मैं तो खुद ही बैठ जाऊंगा।

मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं मेरे रुंधे गले से भी आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया और मंत्री महोदय कुछ बुरा कहा हो, तो बुरा मत मानना। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अनिल जैन।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल व मांग संख्या 46-सिंचाई पर चर्चा हेतु अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में झालावाड़ जिला एक मात्र ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां प्रति वर्ष औसतन 900 एमएम वर्षा होती है। झालावाड़ में रामजी तो मेहरबान हैं किन्तु वर्तमान राज रूठा हुआ लगता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से पिछली सरकार ने झालावाड़ जिले में विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू कीं जिनमें परवन वृहद सिंचाई परियोजना, कालीसिंध परियोजना, गागरिन सिंचाई परियोजना, पीपलाद मध्यम सिंचाई परियोजना, कनवाड़ा सिंचाई परियोजना, रेवा लघु सिंचाई परियोजना प्रमुख रूप से शामिल है। राज्य सरकार द्वारा गत 3 सालों से झालावाड़ जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र तथा कोटा व बारां जिलों के किसानों की लाइफ लाइन मानी जाने वाली परवन सिंचाई परियोजना की केन्द्र जल आयोग में विचाराधीन पड़ी हुई स्वीकृति को राज्य सरकार अब तक मंजूरी नहीं दिला पाई, जो कि यहां के नेतृत्व की मंशा, कार्यक्षमता व इच्छाशक्ति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा, गत दिनों किए गए झालावाड़ जिले के दौरे के उपरान्त उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि इसी वर्ष परवन सिंचाई वृहद परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने उस घोषणा के साथ 99.9 परसेंट अपने वक्तव्य में यह लगाया, 0.1 परसेंट की खामी उन्होंने बताई। तो यह एक संदेह पैदा करता है। मुख्य मंत्री जैसे पद से जो घोषणा हुई है, उसमें भी 99.9 परसेंट का हवाला दिया गया तो इससे संदेह पैदा होता है। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की तो वह 100 परसेंट घोषणा होनी चाहिए, उसमें 99.9 परसेंट का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिये था। इस बात से जन-प्रतिनिधि और खानपुर के किसान, कोटा के किसान, बारां जिले के किसान परेशान हैं। यह बात केवल मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य की वजह से कहनी पड़ रही है। चाहें बजट में वहां की परवन वृहद सिंचाई परियोजना के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है, लेकिन यह घोषणा थोथी लगती है क्योंकि मुख्य मंत्रीजी 99.9 परसेंट बोलते हैं तो विचार करना पड़ता है।

(श्री अनिल जैन)

इसी प्रकार खानपुर तहसील की भीमसागर परियोजना के निम्न नितान्त महत्वपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव राज्य स्तर पर लम्बित पड़े हुए हैं, चीफ इंजीनियर साहब के यहां लम्बित पड़े हुए हैं जैसी कि मुझे जानकारी मिली है :-

1. एल एम सी में 0 से 290 चेन के मध्य टूटी हुई दीवार की मरम्मत के पक्के कार्य।

2. चेन संख्या 370 से 960 के मध्य सीमेंट कंकरीट के कार्य;

3. नागोनिया डिस्ट्रिब्यूटरी सिस्टम के लम्बित कार्य;

4. नहरों के मेंटीनेंस कार्य;

5. आर एम सी की पांच अन्य नहरों के मरम्मत कार्य।

6. मुख्य बांध पर एपीलवे व गेटस मरम्मत, इलेक्ट्रिक वर्क्स,गेलेरी, डेमेज,फोर्स, ब्लाक, इलेक्ट्री फिकेशन आदि के कार्य सहित-

कुल 1,512 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति के इंतजार में पड़े हुए हैं। किन्तु इनके एवज में राज्य सरकार द्वारा मात्र 2 लाख रुपये सालाना का बजट दिया जा रहा है जो कि व्यर्थ ही जाता है। इससे ज्यादा अच्छा है कि 2 लाख का बजट भी न दिया जाए और दिया जाये तो समुचित दिया जाए अन्यथा 2 लाख रुपये देकर सरकारी धन का दुरुपयोग व विभागीय खानापूर्ति न की जाए।

खानपुर तहसील में कवरपुरा बांध, हरिगढ़ बांध, गणेशपुरा बांध, विलासपुरा तालाब की नहरें जीर्णशीर्ण अवस्था में होने से नहरी पानी का लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं। एक तरफ सरकार पानी बचाने पर जोर देती है, दूसरी तरफ इकट्ठे हुए पानी को ही व्यर्थ बहने दिया जा रहा है। हरिगढ़ बांध लड़ानिया के रास्ते पर साइफन, कंवरपुरा के रास्ते पर साईफन टूट रहे हैं जिससे पानी आगे तक नहीं पहुंच पाता । इन नहरों की मरम्मत एवं मेंटीनेंस हेतु बजट आबंटित किया जाना आवश्यक है। किसानों के हित के लिए बजट आबंटित किया जाना आवश्यक है।

साथ ही झालरापाटन तहसील के गोरधनपुरा पंचायत के तालाब के पानी का रिसाव होता है। उसकी भी मरम्मत का कार्य नितान्त आवश्यक है। खानपुर तहसील में स्थित दादिया गांव के तालाब की नरेगा से रिमोडलिंग की सख्त आवश्यकता है। इसमें मिट्टी की कमी को दूर करने हेतु काफी दूर से मिट्टी लानी पड़ती है, जबकि यह सिंचाई हेतु क्षेत्र के किसानों के लिए अति

(श्री अनिल जैन)

आवश्यक स्त्रोत है। इस पर सरकार प्राथमिकता से विचार करे व मिट्टी भरने के लिए अलग से विशेष प्रबन्ध करने के निर्देश दिए जाएं। माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा नहरों आदि के मरम्मत कार्य नरेगा के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं जबकि लेबर व ठेकेदार नहीं होने के कारण, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदार को नहीं दे सकते। इसके कारण समय पर मरम्मत नहीं हो पाती है। इसलिए मरम्मत कार्य हेतु अन्य मद से बजट आबंटित करवाना चाहिये जिससे मरम्मत का कार्य समय पर हो सके और किसानों को उसका पूरा फायदा मिल सके।

पंचायतों के अधीन तथा जल संसाधन के अधीन कुल 72 लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं जिनका रखरखाव व मेंटीनेंस वर्षा नहीं होने के पश्चात भी व्यर्थ ही पानी नष्ट हो रहा है। इनके रखरखाव व रेग्यूलेशन कार्य हेतु पर्याप्त बजट आबंटित किया जाए।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी पूर्व प्रधानमंत्री की अति महत्वपूर्ण योजना नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के भीमसागर बांध में गत 5 वर्षों से पानी की कमी से पानी पर्याप्त नहीं भर पा रहा है। इसके लिए छापी बांध के ओवरफ्लो होकर नष्ट होने वाले पानी को बेरागढ़ छापी नदी से झण्टालिया नाले में पानी डालकर उजाड़ नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए सर्वे व प्लानिंग की जावे। भीमसागर में पानी की मात्रा बढ़ाने हेतु दूसरा स्रोत यह भी है कि कालीसिंध बांध से निकलने वाली आर एम सी में बड़े नालों के पास एस्केप का निर्माण किया जावे, जिसमें पानी छोड़कर व वर्षा काल में ओवरफ्लो होने की स्थिति में बांध का पानी मुख्य नहर से एस्केप द्वारा नालों में डालकर भीमसागर बांध को भरा जा सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री अनिल जैन (खानपुर): मैं कोई इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूं: सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्या रख रहा हूं। चार मिनट में रख दूंगा।

कालीसिंध बांध वर्तमान में निर्माणाधीन है जिससे एल एम सी द्वारा हरिशचन्द्र सागर की नहरों को जोड़ने से खानपुर तहसील एवं सांगोद तहसील में रबी की फसल में सिंचाई की जा सकेगी। वर्तमान में हरिशचन्द्र सागर की नहरों के द्वारा मात्र बरसात में चावल की फसल हेतु सिंचाई उपलब्ध होती है। अतः अभावग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने हेतु सर्वे व प्लानिंग करवाई जावें। हरिशचन्द्र सागर की मुख्य नहर बांध से चलेट गांव तक चट्टानों में बनी है

(श्री अनिल जैन)

जिसमें पानी रिस कर लगभग एक तिहाई पानी वापस नदी में चला जाता है। इसकी मरम्मत के लिए नहर क्षेत्र के किसान एवं क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि कई बार मांग कर चुके हैं। वर्षों से मरम्मत नहीं करवाई गई है। इसके लिए, किसानों के हित के लिए बजट आबंटित करना आवश्यक है। इसी नहर पर टेल क्षेत्र में मंत्रीजी के प्रभाव से मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है; अच्छी बात है, मरम्मत का कार्य होना चाहिये लेकिन जहां तक कभी पानी पहुंच ही नहीं पाता, ज्यादा अच्छा होगा कि पहले हैड क्षेत्र में नहरें पक्की हों, उनकी टूट-फूट की मरम्मत हो तभी टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचना संभव हो पाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस पी एच ई डी की और दे देता हूं, यह इर्रिगेशन की हो गई, साहब। राजस्थान के जिले झालावाड़ में औसतन वर्षा 900 एम एम रहती है। इस तरह से देखा जाए तो राजस्थान का चेरापूंजी है झालावाड़ जिला। लेकिन गर्मी के मौसम के आते-आते जिले में पेयजल समस्या एक उग्र व भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसका कारण वहां की भौगोलिक स्थिति है। झालावाड़ में मुख्यता पठारी क्षेत्र है जिसके कारण वर्षा जल का संग्रहण नहीं हो पाता है और पानी व्यर्थ बह जाता है। गर्मी में पानी की भीषण समस्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में 1,499 ग्राम हैं जिनमें प्रति वर्ष 300 से अधिक ग्रामों में टैंकरों से जलापूर्ति करनी पड़ती है जो कि कुल संख्या का 20 प्रतिशत है। मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में जनता को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के लिए निम्न कार्य अविलम्ब कराये जाने आवश्यक हैं।

जल योजना खानपुर।

कस्बे में विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय के साथ-साथ उपखण्ड अधिकारी व अन्य सभी विभागों के कार्यालय हैं। यहां भीमसागर बांध से 70 एल पी सी डी से सप्लाई दी जा रही है। लेकिन पानी का शोधन बांध पर ही फिल्टर प्लांट के द्वारा कर 12 इंच सीमेंट ए सी लाइन से खानपुर आता है, जो आए दिन टूटती व लीकेज होती रहती है और आम जनता को वहां मिट्टी युक्त पानी मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिए ए सी लाइन के स्थान पर 12 इंच डी आई लाइन डाली जाए जिससे शुद्ध पेयजल मिल सके साथ ही कस्बे पर पुरानी बनी टंकी जर्जर हो चुकी है, जिसको विभाग इंजीनियर कमेटी द्वारा भी अनुपयोगी घोषित किया जा चुका है, के स्थान पर नई टंकी का निर्माण कराना अति आवश्यक है जिससे जनता को पर्याप्त दबाव से पानी मिल सके।

(श्री अनिल जैन)

जलयोजना सारोला कला।

पेयजल से सम्बन्धित है।

श्री सभापति: लिखा हुआ है तो दे दो आप।

श्री अनिल जैन (खानपुर): मेरी समस्या तो रख दूं। शोर्ट में कर देता हूं। सारोला की...

श्री सभापति: ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, माननीय सदस्य।

श्री अनिल जैन (खानपुर): दो मिनट, साहब।

श्री सभापति: हां, बस।

श्री अनिल जैन (खानपुर): सालोरा की टंकी भी जीर्ण-शीर्ण हालत में है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी जन हानि और धन हानि हो सकती है। बहुत पुरानी टंकी है, तुरन्त प्रभाव से टंकी को गिराकर दूसरी टंकी का निर्माण कराया जाना जनता के हित में होगा और पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी।

पंचायत मूण्डला, मरायता, जोलपा, लायफल, दोलाड़ा, तारज में आम किसानों के टी डब्ल्यू किराए पर लेकर पेयजल आपूर्ति बहाल करने की कोशिश की गई, जो मात्र आंसू पोछना ही साबित हुआ। ऐसी दशा में उक्त पंचायतों में सिंगल फेज आबादी के आधार पर पानी की उपलब्धता के अनुसार लगाकर एक सतही टंकी में इकट्ठा कर मोटर पम्प के माध्यम से पाइपलाइन डालकर ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराना हितकारी होगा।

जल योजना बकानी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को, आपने मनोहरथाने के दौरे में छापी परियोजना से बकानी को जोड़ने की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात

(20.00 बजे)

है, बहुत-बहुत धन्यवाद किन्तु साथ ही हमारा आग्रह यह भी है कि कस्बे में स्लेसैंड फिल्टर बना है जो कि वर्षा काल में पानी में आई टर्बिडिटी से चोक हो जाता है, फलस्वरूप उसकी एफिशिएंसी मात्र 20 प्रतिशत ही रह जाती है, जिससे वर्षा ऋतु में कस्बे को पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। अतः छापी परियोजना से जोड़ने के साथ-साथ स्लोसैंड फिल्टर के स्थान पर रेपिड ग्रेविटी फिल्टर प्लांट भी बनाकर बकानी कस्बे को पेयजल की परेशानी से

(श्री अनिल जैन)

पूर्णतया निजात दिलाये जाने की कार्ययोजना स्वीकृत की जाए। बकानी पंचायत...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ दे दीजिएगा आप।

श्री अनिल जैन (खानपुर): जल योजना पनवाड़। हो गया, साहब।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील। माननीय सदस्य, अब लिखा हुआ दे दो आप।

श्री अनिल जैन (खानपुर): सारोला में 76 लाख की योजना सैंक्शन थी पूर्ववर्ती सरकार के समय में। इस सरकार के बनते ही उस योजना को खतम कर दिया गया। वह बहुत ही जन-हितकारी योजना है। सारोला कस्बे की उस जन-हितकारी योजना को वापस लागू करके उस योजना को बनाकर जन हित में प्रेषित करना चाहिए।

धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कान्ता भील।

(अनुपस्थित)

श्री मेवाराम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लाल अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल योजना और 46-सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर आपने मुझे बोलने के लिये खड़ा किया, इसके लिये खूब-खूब धन्यवाद।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिये कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाईं। कई ढाणियों में, गांवों में, शहरों में और कस्बों में और अनुसूचित जनजाति एवं जाति एवं अल्प-संख्यक बाहुल्य गांवों में पीने के लिये शुद्ध पानी, पेयजल सुलभ कराने के लिये काफी योजनाएं बनाई हैं और इसके लिये 106 करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमेशा, जब आप मुख्य मंत्री बने तो निश्चित ही हमारे मन में एक सपना था कि हमारे गांवों में कई प्रकार के अभाव-अभियोगों का, समस्याओं का समाधान करेंगे। निश्चित ही हमारे मुख्य मंत्री इस पर खरे उतरे हैं।

(श्री शंकर लाल अहारी)

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा विधान सभा क्षेत्र चौरासी एवं जिला डूंगरपुर, इनकी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ी एरिया है, समतल नहीं है और पहाड़ी एरिया होने के नाते वहां हमारी पेयजल समस्या बनी रहती है। उस समस्या के समाधान के लिये ज्यादा से ज्यादा हैंड पम्प लगाये जाएं, बोर करवाये जाएं जिससे कि पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्ति पानी का लाभ ले सकें। डूंगरपुर जिले के पानी में फ्लोराइड है। उसको भी आप एग्जामिन करवाकर राहत दिलवायें।

वैसे यह कहना चाहिए कि पानी की, पूर्व में जो हमारे कस्बे हैं, उन कस्बों में नल के माध्यम से पानी दिया जाता था वे पाइपलाइनें पुरानी हो गयीं, सड़ गयी हैं। जैसे सीमलवाड़ा है, पीठ है, करावाड़ा है, धमोला है, ऐसे बड़े -बड़े गांव हैं, बड़े-बड़े कस्बे हैं, इनमें नल सड़ जाने से पानी की राहत भाई लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो मैं आशा करता हूं कि नये नल खरीदने के लिये भी बजट दिया जाए। इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चीकली, कुआं और साखोदड़ा, ये 2-3 बड़े-बड़े कस्बे हैं, वहां आये दिन पानी के लिये काफी समस्या बनी रहती है। समय पर पेयजल उपलब्ध नहीं होने से भाई लोगों में काफी निराशा है। इसी चीकली के पास में एक कडाना बैक वाटर है जो पानी हमेशा बनाये रहता है। इसमें पूर्व में एक योजना बनाई थी जो 4 करोड़ 12 लाख की है। माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। आज ही मैंने इस समस्या के लिये आपसे जिक्र किया है, तो मैं आशा करता हूं कि यह चार करोड़ की योजना आप हाथ में लेंगे और वहां के लोगों को अगर पानी दिलाएंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यह चार किलोमीटर की दूरी है और उसका बैकवाटर कंटिन्यूअस पड़ा रहता है, उस पानी का कहीं दूसरी जगह उपयोग नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में चीकली, साखोदड़ा और कुआं के लिये और इसमें कई गांव पानी से जुड जाएंगे, तो मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

दूसरा, ये हैंड-पम्प मिस्त्री हैं, बहुत कम संख्या में हैंड-पम्प मिस्त्री लगा रखे हैं। अब हैंड-पम्पों की संख्या काफी बढ़ गयी, कम से कम पंचायत-वाइज एक-एक हैंड-पम्प मिस्त्री होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं, इस ओर भी मंत्रीजी का ध्यान दिलाता हुआ निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में निश्चित ही पंचायत हैड-क्वार्टर पर एक-एक हैंड-पम्प मिस्त्री लगाया जाए तो काफी लाभ मिलेगा।

(श्री शंकर लाल अहारी)

इसके बाद में जो पानी की समस्या है, धीरे-धीरे पानी डाउन होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि जल जीवन है और जीवन ही हमारा जल है। जल के बगैर हमारा कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। परन्तु आने वाला जो समय आयेगा, पानी के लिये युद्ध होगा, पानी के लिये लड़ाई होगी और झगड़े होंगे और आपस में ही लड़-झगड़ कर हम खतम होंगे। हमारे डूंगरपुर जिले में, माननीय सभापति महोदय, एक ऐसे सन्त पैदा हुए जिनका नाम मावजी महाराज था, उस मावजी महाराज संत ने अपने हाथ से सारा रिकार्ड बनाया है और उस रिकार्ड के अनुसार उनकी वाणी है, पलिए पाणी बेचाएगा। यह बोतल में पानी बिक रहा है, इसका आकार इससे भी एक छोटा-सा हो जाएगा, पैसे के बराबर हो जाएगा और वह पलिए पाणी बेचाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एक जमाना ऐसा आ रहा है और तीव्र गति से आ रहा है। इस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है क्योंकि धीरे-धीरे पानी पृथ्वी में जा रहा है। हार्ड बेसिन के अनुसार भू-संरक्षण विभाग को पाबन्द करना चाहिए और जगह-जगह ऐसे बांध बनाये जाएं जिससे पानी का संग्रह हो सके। तो मैं समझता हूं कि यह जो समस्या आ रही है, वह दो दिन और लेट आयेगी, तो इसका हम मुकाबला कर सकेंगे।

मैं हमारे माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसी सिंचाई परियोजना है जिसका पूरा प्रोजेक्ट बनाकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु अभी तक लम्बे समय के बाद भी यह बन नहीं पाया है। इसलिये पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, यह बलवानिया सिंचाई परियोजना 16 करोड़ की है, इससे 670 हैक्टेयर में सिंचाई होगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरी राता-घाटा सिंचाई परियोजना, यह चार करोड़ की है, मामूली बात है, 120 हैक्टेयर इससे सिंचाई हो सकेगी। वारन्दा सिंचाई योजना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और खूब-खूब आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी का कि आपने मेरे वारन्दा प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिलाई, साढ़े छह करोड़ की यह सैंक्शन है। तो मैं आशा करता हूं कि इस बांध के बनने से हमारे वहां के भाई लोगों को काफी राहत मिलेगी, जिससे तीन सौ हैक्टेयर के लगभग सिंचाई होगी। एक बरदौल का नाका है, ढाई करोड़ की है, जिससे सौ हैक्टेयर की सिंचाई होगी।

इसमें आपने मुझे सात बड़े-बड़े एनिकट दिये हैं। इतने एनिकटों का महत्व हमारे लिये यही रहेगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बिलकुल गुजरात से

(श्री शंकर लाल अहारी)

सटा हुआ है और राजस्थान का हमारा पानी गुजरात में जा रहा है। उसको हमने रोकने का प्रयास किया और माननीय मंत्रीजी ने अभी हमारे सात एनिकटों की स्वीकृति प्रदान की है। तो मैं आशा करता हूं कि गुजरात जाते हुए पानी को रोका जाए और उस पानी से हमारे किसानों को काफी लाभ मिलेगा।

इसके बावजूद कई प्रकार की, हमारा जो अमरपुरा बांध है, वह बांध आपने बनवाया और उससे 1,600 हैक्टेयर एरिया में पानी जाता है। तो काफी लोग लाभ लेते हैं। परन्तु आकरसोल, अमरपुरा, ये बड़े-बड़े जो बांध हैं, गजपुर है, इनकी सारी नहरें जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। तो मैं आशा करता हूं, आपने हमको इसमें बजट तो नहीं दिया परन्तु बजट देकर इन नहरों को स्वीकृत करवायें।

दूसरा, हमारा भीखा भाई कैनाल, जो माही कैनाल है, भीखा भाई के नाम से निकली है, वह इस बजट में नहीं आई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह जो भीखा भाई कैनाल है, ठेठ चिकली तक जोड़ती है और पूरा एरिया और पूरे गांव जोड़ रही है, मैं आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में आप इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे तो हमारे लोगों को लाभ मिलेगा।

मैं अधिक कुछ नहीं कहता हुआ, यही निवेदन करूंगा कि इस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो योजनाएं बनीं, सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और जितनी हम प्रशंसा करें, उतनी कम है। मैं आशा करता हूं कि हमको काम करके दिखाना है और जिसने काम नहीं किया है, तो फिर वह बात एक अलग रही।

दूसरा एक और निवेदन है, मेरा माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से निवेदन है कि तहसील हैडक्वार्टर, एस.डी.एम. हैडक्वार्टर, पंचायत समिति हैडक्वार्टर सीमलवाड़ा में आज तक पी.एच.ई.डी. के सहायक अभियंता का कोई दफ्तर नहीं लगाया है। यह पद वहां पर सृजित नहीं किया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि डूंगरपुर में दो-तीन सहायक अभियंता हैं, तो एक की शिफ्टिंग मेरे वहां सीमलवाड़ा में की जाए ताकि वह वहां की परियोजना, वहां के जल की जो समस्या आये, उस समस्या का समाधान कर सके।

अंत में, मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और माननीय मंत्रीजी का कि हमारे ऐसे जागरूक व्यक्ति हैं जो हर एरिये में और छत्तीसों कौमों को साथ में लेकर के सारी योजनाओं को, छत्तीसों कौमों को दिया ही है। तो मैं समझता हूं कि इसका आने वाले समय में असर होगा। मैं इस अवसर पर इतना जरूर कहना

(श्री शंकर लाल अहारी)

चाहूंगा कि पार्टी के लिए कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि काम ऐसे किये हैं जिनके आज जनता गीत गा रही है। तो आने वाला जो समय है, हमारा भविष्य अच्छा निकलेगा, उज्ज्वल निकलेगा। मैं यही बात कहता हुआ अपनी बात खतम करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री लालशंकर घाटिया।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे जो बोलने का मौका दिया मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत का बहुत-बहुत आभार प्रदर्शित करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से मुझे यहां पर समस्याएं कहने का जो मौका मिला, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

विशेष कर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत ने राज्य के दस हजार गांवों, ढाणियों में फ्लोराइडयुक्त जो हैंड पम्प और नल योजना लगी थी, उसमें हैंड पम्प, 5,300 ढाणियों में हैंड पम्प, नलकूपों पर डि-फ्लोराइडेशन यूनिट लगाकर पानी में जो शुद्धता लाये हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। विशेष कर आगामी वर्ष में जो यहां पर 2,559 गांव, 7,500 अनुसूचित जाति, 300 अनुसूचित जनजाति और 120 अल्पसंख्यक बस्तियों में जो पेयजल की व्यवस्था की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

विशेष कर मैं मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा कि अभी-अभी हमारे डूंगरपुर में जो नगरपालिका क्षेत्र था, उसको नगर परिषद में क्रमोन्नत किया है। मैं कहना चाहता हूं कि डूंगरपुर में अभी भी पानी की कमी है। यहां पर हमारा जो पानी आता है, वह एडवर सागर से आता है, डिमिया से आता है। लेकिन आने वाले समय में वहां पर पानी की बहुत कमी होगी। इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा और आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर सोम-कमला-अम्बा का पानी है, वह बहुत ही अधिक मात्रा में है लेकिन वह पानी बहकर गुजरात में चला जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हमारे डूंगरपुर की पेयजल योजना बने और वहां पर जो पानी गुजरात चला जाता है, उसको डूंगरपुर जिले में नगरपालिका क्षेत्र में लाकर पेयजल की व्यवस्था की जाए, यह मैं आशा करता हूं।

विशेष कर पेयजल के बारे में, हमारे यहां पर पहले पूर्ववर्ती सरकार ने जो केशवबाड़ी योजना के अन्तर्गत बोर लगाये थे, वह बोर का ड्रिलिंग तो हो

(श्री लालशंकर घाटिया)

गया, लेकिन वहां पर आज तक लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह आशा करता हूं कि जहां-जहां पर बोर ड्रिलिंग किये गये हैं और लाइट कनेक्शन नहीं हुआ है, उसको कनेक्शन से जोड़ने की पूरी कार्यवाही करें, यह मैं आपसे मांग करता हूं।

विशेष कर मैं आपको मेरे डूंगरपुर क्षेत्र में, क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत बड़े बांध नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर क्षेत्र में जो भी पानी आता है, वह पानी बहकर सीधा सा गुजरात चला जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र से दो-तीन नदियां निकलती हैं, एक तो गांगड़ी नदी निकलती है जो गांगड़ी, आड़ा, पनवाड़ा, थाना-डूंगरपुर होती हुई डूंगरपुर आती है और दूसरी चुंदावड़ा, बिच्छूवाला, छाती, कनवा, घूघरहाला, सुंदरपुर, सुरपुर से दो नदी होती हुई, मैताली, पीपल्दा, गड़ा मोरिया होती हुई सोम-कमला में जाती है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर बहुत बड़े बांध तो नहीं बन सकते लेकिन छोटे-छोटे एनिकट बनाये जाएं तो निश्चित ही वहां का वाटर टेबल ऊंचा आ सकता है। अभी सरकार के द्वारा जो राइडर लगाया गया है कि एन.ओ.सी. के बिना वहां पर एनिकट नहीं बनें तो हमारे कई एनिकट स्वीकृत भी हैं, दो-तीन, लेकिन वहां पर आज तक कार्य चालू नहीं हुए।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरा, मेरे वहां बोर का पानी से लेकर तलैया, पंथाल, मोदर, रतनपुर होकर, मेसो सरोवर गुजरात में पानी जाता है और दूसरा खैरवाड़ा तहसील से सोम-कमला-अम्बा से सोम से निकलकर केसरियाजी होता हुआ हमारे विधान सभा क्षेत्र में आता है। उस पानी को यदि राजस्थान में कहीं आता हो और रोक लगे तो हमें समझ में आता है कि यह राजस्थान में, कहीं तालाब खाली नहीं रहेंगे। लेकिन यह पानी सीधा-सा गुजरात चला जाता है चाहे वह मेसो नदी के माध्यम से श्यामलाजी में जाए; चाहे वह सोम-कमला में होता हुआ, माही डैम में होता हुआ, कड़ाणा में होता हुआ गुजरात में चला जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह आशा करता हूं कि हमारे वहां पर जो पानी व्यर्थ बहकर गुजरात जा रहा है, उसको रोकने के लिए कोई नई नीति बने। वहां पर हमारे जो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा है, वह सीधा गुजरात में पानी जाता है। उसको रोकने के लिए कोई न कोई नीति बनाकर उस पानी को रोका जाए, मैं आपसे यह आशा करता हूं।

(श्री लालशंकर घाटिया)

विशेष कर मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बोइयों का नाका बांध है, उसमें बरसात के दिनों में बहुत पानी भर जाता है। पूर्ववर्ती सरकार ने उसको ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाया था, लेकिन वह काम अच्छा नहीं हुआ और पूरा ही पानी बहकर निकल जाता है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बोइयों का नाका जो पूर्व में काम करा था, वह बिलकुल ही गुणवत्ताहीन किया था, उसको वापस सर्वे करवाकर सिंचाई विभाग के माध्यम से काम करवाकर हमारे वहां पर इस बांध में पानी रोकने का काम करेंगे तो मेरी वहां की जनता और मैं आपके अहसानमंद रहेंगे।

विशेष करके एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो डिमिया में पानी आता है। वहां पर बहुत ही सिल्ट हो गया है। उसमें भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां पर उसको गहरा करवाकर पानी ज्यादा से ज्यादा रोकने की कार्यवाही करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

विशेष कर मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में एक कोडिया कुण्ड करके एक डैम बना था, उसके बारे में आपको कहना चाहूंगा कि पहले जब वहां भूकम्प आया था तो जो नहरें बनी थीं, वे थोड़ी डैमेज हो गयीं और उसके बाद में 2006 में अतिवृष्टि के कारण नहरें डेमेज हो गयी हैं। तो चाहे वह कोडिया कुण्ड डैम की दांयी और बांयी नहर हों, चाहे वह सोम-कमला की जो आसपुर में जाती है, वे नहरें सीपेज हो रही हैं। इनका रि-सर्वे करवाकर उनको दुरुस्त करने की कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपसे आशा करता हूं।

विशेष कर के मैं, सम्माननीय सभापति महोदय, आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी जलाणा से निकलकर रामपुर, मेवाड़ा, बीलपुर होकर गुजरात में जाता है, वहां पर भी पानी छोटे-छोटे एनिकटों के माध्यम से रोका जा सकता है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार द्वारा राइडर है कि वहां पर एनिकट नहीं बनाये जायें, वहां डैम नहीं बनाये जायें, मैं आपसे आशा करता हूं कि वहां पर यह राइडर खुलवाकर एनिकट, छोटे-छोटे बांध बनाने की हमें स्वीकृति दें तो वहां का वाटर लेवल ऊंचा आयेगा।

यही कहते हुए आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री अजय सिंह।

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय सभापति जी, आज मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मैं मेरे विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पानी जिन्दगी की पहली आवश्यकता है, प्रदेश के अधिकांश जिले पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वह पेयजल समस्या के समाधान की है। आज नागौर के हजारों गांव और ढाणियां शुद्ध पानी का इन्तजार कर रही हैं। सभापति महोदय, सरकार को यह बताना चाहिये कि सरकार ने प्रदेश की नदियों, तालाबों और बांधों के विकास के लिये एवं उनमें पानी को बढ़ाने के लिये क्या किया है? सरकार पेयजल समस्या के समाधान में पूर्ण तरह से असफल रही है। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पानी जैसे बड़े संकट के लिये राज्य सरकार कोई बड़ा पैकेज केन्द्र सरकार से नहीं ले पायी है और न ही कोई बड़ी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त कर पायी है। यह सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत केन्द्र सरकार से जो राशि राज्य सरकार को मिल रही है, वह राशि भी राज्य सरकार समय पर खर्च नहीं कर पा रही है। इसका सीधा खामियाजा प्रदेश के गांव और ढाणियों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

सभापतिजी, पेयजल समस्या के समाधान के लिये यह आवश्यक है कि हर गांव में जल संरक्षण तालाब बनाये जायें। गांव में तालाब हैं, लेकिन उनका रख-रखाव ठीक नहीं है। उनके बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण होने से पानी की आवक बहुत कम हो गयी है। इसी तरह नरेगा के तहत जो खुदाई की गयी है, उसमें तल को पक्का नहीं किया गया है। इसलिये पानी अधिक समय तक नहीं ठहरता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाये।

इसके अलावा हर खेत में टांके बनाये जायें। सभापतिजी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है। अभी तक नरेगा के तहत जो भी टांके बनाये जा रहे हैं, वे केवल अनुसूचित जाति, जनजाति और बी पी एल परिवार के लोगों के लिये ही बनाये जा रहे हैं। मेरी मांग है कि हर किसान के खेत में टांके बनाये जाने चाहिये जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पानी का संग्रहण हो सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि थाइलैंड जैसे छोटे से देश में अभी एक करोड़ टैंक बनाये गये हैं और इससे जल-संग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहां ऐसा करके पश्चिमी राजस्थान में पेयजल समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सभापति महोदय, नागौर वर्षों से पेयजल समस्या से जूझ रहा है। यहां के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। लोग बहुत बीमारियों से

(श्री अजय सिंह)

पीड़ित हो रहे हैं। डीडवाना, मकराना और डेगाना के कई क्षेत्रों को तो बांका-पट्टी के नाम से जाना जाता है। यहां कांग्रेस सरकार लम्बे समय तक सत्ता में रही, नागौर में कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस ओर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया और माननीया वसुन्धरा राजेजी भागीरथ बनकर हिमालय के मीठे पानी को नागौर लेकर आईं। लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही नागौर लिफ्ट योजना के कार्य को बन्द करवा दिया। वसुन्धरा राजेजी 761 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति 07 अगस्त, 2006 को जारी की लेकिन यह बहुत दु:ख की बात है कि आज तक कांग्रेस की सरकार 428.11 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई है। मेरा सरकार से कहना है कि इस कार्य को शीघ्र..(व्यवधान) लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा सके, उसको आगे वसुन्धरा राजे जी ने ही बढ़ाया। (व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सुनने का माद्दा रखो। (व्यवधान)

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): राम रघुनाथजी की देन है।

श्री अजय सिंह (डेगाना): बिलकुल माननीय राम रघुनाथजी, पूर्व सांसद नागौर ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। फिर वसुन्धरा राजेजी ने इसे आगे बढ़ाया।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): सुनने का माद्दा रखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): रूपारामजी, आपका नहीं किया, सिर्फ आपका नहीं किया, बाकी सारा ही नाश कर दिया।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): आप ठीक कह रहे हो, हमारा तो नहीं किया, लेकिन एक बात यह बताता हूं कि नागौर में राजस्थान कैनाल से पानी मिलने की जो योजना बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधीजी अकाल के टाइम में आई थीं और उस टाइम में राम रघुनाथजी नागौर में एम.पी. थे और मैं एम एल ए था, दो एम एल ए थे, हमने लिखकर दिया और उस टाइम में मुख्य मंत्रीजी को आदेश दिया कि नागौर में पीने के पानी की योजना को देना है। उसी टाइम यह प्लान बना और माननीय अशोकजी गहलोत ने यह प्लान इमिजिएट प्लान के नाम से प्लान बनाया। दो स्टेज में प्लान बनाकर उस प्लान को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया और 2003 में जब राज आया, तो सांवरमलजी मंत्री बने, पहली योजना उनको 2007 में पूरी करनी थी, जो चार तहसीलें थीं नागौर, मूंडवा, मेड़ता और डेगाना। तो 2007

(श्री रूपाराम डूडी)

में सिर्फ 200 करोड़ रुपये दिये 700 करोड़ के अगेंस्ट में, 200 करोड़ रुपये दिये तो मैं सांवरमलजी के पास में आया। मैंने कहा, यह 700 करोड़ पूरे तो देते। तो उन्होंने कहा, 9 एम एल ए हैं, तीन मंत्री हैं नागौर जिले के; वे कहेंगे, रूपजी, वैसा होगा या आप कहोगे, वैसा होगा? मैंने कहा, धन्यवाद आपको, मैं आ गया जाट होने के नाते, आप मंत्री हो पी एच ई डी के इसलिये हमारा हक बनता है। पूरी स्कीम ही उस वक्त तहस-नहस हुई।

श्री अजय सिंह (डेगाना): तीन वर्ष बरबाद करने के बाद में नागौर लिफ्ट योजना के द्वितीय चरण के लिये कुछ राशि का आबंटन बताया गया है। इसके लिये जायका से ना तो अभी तक कोई एग्रीमेंट किया गया है और ना ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है। अभी भौतिक रूप से कार्य करने में कम से कम डेढ़ वर्ष का समय लग जायेगा और योजना को पूर्ण करने में वर्षों लग जायेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नागौर लिफ्ट योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के कार्य को तेजी से किया जाये ताकि नागौर की जनता को फ्लोराइड के पानी से मुक्ति मिले और नागौर की जनता को शुद्ध मीठा जल उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापतिजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में भारतीय जनता पार्टी के समय दो छोटी योजनाएं शुरू की गयी थीं, कापरडी-देवला-मादा-सिरासना योजना और बरना-भारली योजना। बड़े दु:ख की बात है कि अभी तय ये योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं। अतः इनको शीघ्र पूर्ण करवाया जाये।

माननीय सभापतिजी, डेगाना उपखण्ड मुख्यालय है, इसे 25 किलोमीटर दूर सांजू कस्बे में बने नलकूपों से पानी की सप्लाई होती है। यहां की जो पाइपलाइन है, वह बहुत क्षतिग्रस्त है और सरकार द्वारा मुझे पूर्व में आश्वासन देने के बावजूद भी इस पाइपलाइन को अभी तक नहीं बदला गया है। अतः इसे शीघ्र बदलवाया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा भूतल जलाशय क्षतिग्रस्त हैं। आश्वासन के बाद में भी इनको ठीक नहीं कराया गया है। इसी तरह से कुछ पाइपलाइनें हैं जिनको भी विधान सभा में आश्वासन के बावजूद अभी तक नहीं बदला गया है, नथावडा से बेडास कलां, दागड़ी से जैतपुरा, दागडी से खैरवा एवं भारली से बरना तथा जावला मेहराना। अतः इन पाइपलाइनों को शीघ्र बदलवाया जाये।

(श्री अजय सिंह)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है। अतः जो खराब हैंड पम्प हैं, उनको ठीक करवाया जाये और जो नाकारा हैंड पम्प हैं, उनके स्थान पर नये हैंड पम्प और नये नलकूप बनाये जायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ग्यारसाराम कोली।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दस बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, क्या सदन का समय दस बजे तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय दस बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, समय तो बढ़ाइये लेकिन समय बढ़ाने के साथ जैसे अपने नियमों में विधान है, मांगों के बारे में जब बहस करते हैं और फिर अंत में जब नजदीक जाते हैं, तो अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में माननीय सदस्य कहें, पहले जितनी भी बातें आ चुकीं, उनको रिपीट करने से तो लाभ है नहीं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने बिलकुल सही कहा। समय की सीमा को देखते हुए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में संक्षिप्त में क्योंकि दोनों बहुत बड़ी हैं, आपके आज जिन पर चर्चा हो रही है, पेयजल, सिंचाई, दोनों बहुत बड़े, विस्तारित विषय हैं। इनके ऊपर आप अपने सारगर्भित अपने क्षेत्र की टू-द-पाइंट समस्या को अगर आप रख देंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और समय की भी बचत होगी। दोनों मंत्री महोदयों को भी इसमें बोलना भी है, जवाब भी देना है, ये मांगें भी पारित होनी हैं और कल सदन को वापस सही समय पर हमको चलाना भी है।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 46, पेयजल और सिंचाई के बारे में आपने मुझे अपने विचार रखने का जो मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, प्राणियों की मूलभूत आवश्यकता पानी होने के नाते सरकार का दायित्व है कि शुद्ध पानी पिलाये। मैं मेरे विधान सभा की मुख्य मांग और समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जहां ना तो कोई नहर है, ना कोई सिंचाई का साधन है जिससे जल स्तर बढ़े लिहाजा पेयजल की समस्या होना स्वाभाविक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में और यों कहना चाहिए, पूरे भरतपुर क्षेत्र में अगर डांग क्षेत्र है तो वे मेरे बयाना विधान सभा में 14 पंचायतें हैं। डांग क्षेत्र होने के कारण पहाड़ी इलाका है, हैंड पम्प सक्सेस नहीं और जैसा कि पूर्व में इस सदन में मेरे प्यारे विधायकगण ने कहा कि डीप बोर पर प्रतिबंध लग रहे हैं, ऐसे अध्यादेश और सर्कुलर जारी हो रहे हैं कि नहीं लगेंगे, तो क्या होगा? क्या जनता और पशु प्यासे मर जायेंगे? बिना खाये आदमी रह सकता है लेकिन बिना पानी के आदमी बहुत जल्दी मर जायेगा।

तो मेरे इस क्षेत्र के लिए मैं अपने कुछ व्यक्तिगत सुझाव रखना चाहूंगा। जब से यह सरकार आयी है, तीन साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी काम पेयजल और सिंचाई के बारे में ना तो किसी बजट में शामिल किया गया और ना एक पैसा लगाया है। जनता में त्राहि-त्राहि हो रही है। अब भी समय है, डेढ़ साल है। आये दिन धरने-प्रदर्शन किये, मटका-फोड़ प्रदर्शन किये लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। माननीय सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के कुछ चंद व्यक्ति, चंद विधायक महोदय ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज ना तो आपने प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय की भावना समझी ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आप मेरा समय बरबाद कर रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: अब आप सीधा-सीधा बोलो। अब अगर यह स्पीच चलता रहा तो ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): फिर आप यह कहेंगे कि आप बैठ जाइये। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: मैंने आपको निवेदन पहले ही कर दिया। (व्यवधान) आप अपने क्षेत्र की समस्या बताओ न सीधे-सीधे।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आपका समय कोई साधुवाद, संतवाद, घोषणावाद, आटावाद और चीनीवाद कह करके समय बरबाद नहीं करता। मैं अपने क्षेत्र की उन्हीं समस्याओं को आपको गिना रहा हूं और उन समस्याओं का यदि डेढ़ साल में समाधान हो जाता है तो पब्लिक आपके गुण गायेगी, अन्यथा आपको इस तरह से नकार के फेंक देगी जिस तरह से मक्खी को चीनी से निकालकर फेंक दिया जाता है और वह दिन दूर नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सुझाव है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में छोटे-छोटे बांधों का निर्माण तो करा दिया जाए या एनिकट के रूप में कोई निर्माण करा दिया जाय। यह क्षेत्र यू.पी. से लगा हुआ क्षेत्र है, हमारा बरसात का पानी हमारे विधान सभा क्षेत्र से होकर के यू.पी. में चला जाता है और उसको रोकने के हमारे पास में कोई साधन नहीं है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यदि वह पानी रुक जाता है तो निश्चित रूप से हमारा जल स्तर बढ़ेगा, सिंचाई की समस्या साल्व होगी और हमारा जल स्तर बढ़ेगा तो हमारे पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होगा। यदि हमने बरसात का पानी एनिकट में इकट्ठा कर लिया तो हमारी समस्या बहुत कुछ साल्व हो जायेगी।

मेरा दूसरा निवेदन पेयजल के बारे में है। सभापति महोदय, चम्बल का पानी रूपवास क्षेत्र से और भरतपुर के डीग क्षेत्र को दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, वहां खारा पानी है, सबसे पहले वहां पानी मिलना चाहिए लेकिन मेरा सुझाव है कि वहां होकर के पाइपलाइन जा रही है और हमारे लिए पानी पीने को नहीं है। ऐसा नहीं हो। पानी आगे तो जब जायेगा जब हम जाने देंगे। इसलिए सरकार को मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, बिलकुल इसको कान खोल कर सुन लें, आपकी पेयजल योजनाएं सफल तो जब होगी जब हमारे क्षेत्र से आप पानी आगे ले जायेंगे। पब्लिक प्यासी मरे और वहां से पानी ले जाएं, यह असंभव सी चीज है।

जो योजनाएं पानी की संचालित हैं, जी.एल.आर., डीप बोर, या तो उनके बिल नहीं भरे जाते हैं, किस की ड्यूटी है, उनके पैसे भरवाएं और उनको चालू करवाएं? अगर पाइप टूट गये, कौन उनका रख-रखाव करेगा? क्या जनता करेगी?

सस्ती लोकप्रियता हासिल करना बहुत सरल होता है। ऐसा लगता है, बजटीय भाषण में हमने तो सृष्टि की रचना कर दी। शब्द सुनने में ऐसे कान

(श्री ग्यारसाराम कोली)

आतुर होते हैं कि पता नहीं, सृष्टि ही अभी बनी है। यह तो पेयजल भी इन्होंने दिया है, यह सड़ा हुआ आटा भी इन्होंने बनाया है, पहले कोई नहीं बनाता था।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि पांचना से इस क्षेत्र में पानी रेगुलर आता था गम्भीर नदी के माध्यम से और जब से पांचना का बांध बना है, पानी का आना गम्भीर नदी में बंद हो गया। लिहाजा जल स्तर नीचे चला गया। पानी पीने को मिलता नहीं, पशुओं को पानी नहीं मिलता, बहुत परेशानी है। इसलिए पांचना बांध से सपाट के माध्यम से या उसकी मोरी खोल करके हर साल पानी नियमित रूप से दिलाने की सरकार व्यवस्था करे। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल की समस्या के बारे में, आप देखिये, कहते हैं कि सरकार बड़ी संवेदनशील है, बड़ी पारदर्शी है; मानते हैं कि बहुत अच्छी सरकार है, राजस्थान सरकार है। कई लोग कहते हैं कि हमारी सरकार है; आपकी सरकार नहीं, राजस्थान सरकार होती है। राजस्थान सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं होती।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मेरा कहना है कि पूर्व सरकार, वसुन्धरा राजे सिंधियाजी के समय में, आप उन विधायकों को पूछिये जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हमारी सरकार ने 200 से 250 हैंड पम्प प्रत्येक एम.एल.ए. को दिये थे और आपकी सरकार ने यह भी चौथा बजट आ रहा है, किसी विधायक को दिये होंगे तो अपने को दे रहे हैं। अभी अहारी साहब बता रहे थे, मेरे पास में सात एनिकट दिये हैं। किसी भी विधायक को पानी के लिए हैंड पम्प न देना, यह ऐसा दुर्व्यवहार करना तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा दुश्मन से भी नहीं करना चाहिए। पानी पीने की व्यवस्था तो आप कम से कम कर दो।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल। माननीय सदस्य, अब आप विराजें।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): दो मिनट बोलूंगा, साहब।

श्री सभापति: नहीं, अब आप विराज जाओ। माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): आप यह कहेंगे, पुरानी सरकार ने क्या किया और नई सरकार ने क्या किया। हमने यह किया, आपके कांग्रेस की सरकार 54 साल शासन करती रही है और हमने पांच साल शासन किया है, भारतीय जनता पार्टी के पांच साल के शासन में हम आपके पैरेलल आ गये।

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल। अब आपका अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य। अब अंकित नहीं हो रहा।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा अब आपका, आप विराज जाओ। श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य, अब आप विराजो।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ×××

श्री सभापति: श्री रमेश खण्डेलवाल।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): बोल रहे हैं जी।

श्री सभापति: मैंने कहा है कि आप बोलो।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, पेयजल की मांग संख्या 27 के बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप भी, माननीय सदस्य, अपने विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रहें।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मैं बिलकुल सीमित ही रखूंगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह बहस खतम हो जाए, उसके बाद उनको पांच मिनट अलग से और दे देना।

श्री सभापति: दे देंगे।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): बजट में पेयजल से सम्बन्धित एक बेहतर व्यवस्था मुख्य मंत्री महोदय ने दी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा सौभाग्य है कि पेयजल मंत्री महोदय मेरे ही क्षेत्र के, जिनका कर्म क्षेत्र और मैं यह कहूं, जिनका रिहायशी क्षेत्र भी मेरा नीमकाथाना क्षेत्र ही है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह शेखावाटी के लिए भी एक सौभाग्य का मुद्दा है कि पेयजल मंत्री महोदय ने अपने मंत्रालय को सम्भालते ही सबसे पहले सीकर और झुन्झुनूं को सर्वे के नाम पर कि किस तरीके से नहर का पानी लाया

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

जाए, पचास लाख रुपये की व्यवस्था की। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मंत्री महोदय को, पचास लाख सर्वे के दिए हैं।

मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, आपके विभाग के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं और आप स्वयं भी यहां विराजमान हैं, क्षेत्र में जितना भी पेयजल का पैसा दिया गया है यह पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का वह पैसा होता है जो टैक्स के रूप में इकट्ठा करके एक जन कल्याणकारी सरकार आमजन को एक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करा कर अपने राज धर्म को निभाने के लिए वह व्यवस्थाएं करती है। एस सी, एस टी से लेकर आम गरीब की छोटी से छोटी ढाणी में पेयजल की सुचारु व्यवस्था हो पाए, इसके लिए हर साल आप अपने बजट में प्रावधान करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण योजना भी शामिल है। मैं उसी योजना के बारे में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एस सी, एस टी के नाम पर, माइनोरिटी के नाम पर यह एक बेहतर योजना थी और इस योजना को आपने सुचारु रूप से चालू किया। आज के आठ माह पूर्व जब यह पेयजल योजना लागू की गयी, तब आपके विभाग के अधिकारियों ने हमारे मुख्य मंत्री महोदय की मंशा के अनुसार या हमारी सरकार की नीति जो आम शिड्यूल्ड ट्राइब्स व शिड्यूल्ड कास्ट्स को जो पेयजल की व्यवस्था करानी थी, उसके तहत यह कहा था कि बिजली का बिल भी आबादी जो एस सी या एस टी की है उसको नहीं भरना पड़ेगा। हमें यह भी कहा कि इसको सरपंच के जरिए एक एफिडेविट दिलवा दिया जाए जिससे कनेक्शन हम उनके नाम से कर दें। यह एक सीधी-सादी सी योजना थी और हमने अपने-अपने सरपंचों को कहा कि आपके अपने पंचायत के नाम से कनेक्शन लेने में जाएगा क्या? आप फार्म पर सिर्फ साइन करके दे दें। यह समझाया गया अधिकारियों के जरिए जो आपके अधिकारियों की टीम बैठी है। ज्योंहि सरपंचों ने इस योजना को लागू कर दिया, यह देखने में आया है कि तुरन्त प्रभाव से आपके ही पास जो बिजली का विभाग है, उसी के तहत इस योजना को पंचायत योजना मानते हुए एक साथ पांच साल का बिजली का बिल भरने की पाबंदी लगा दी। डिमांड नोट के साथ 1 लाख 6 हजार रुपये वहां न केवल जरूरी कर दिया बल्कि डिमांड नोटिस के साथ कनेक्शन रोक दिये गये सभी। मेरे अकेले नीमकाथाना क्षेत्र में आठ करोड़ रुपये की योजना, आठ करोड़ रुपया आज आठ महीने से राज्य सरकार का, राजस्थान की जनता का बिलकुल बरबाद हो रहा है। एक भी कनेक्शन आपका बिजली विभाग कर नहीं रहा। जलदाय विभाग से जब पूछते हैं तो वे कहते हैं कि तीन ही लाख रुपये की मंजूरी दी थी हमें और 4 लाख 6

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

हजार रुपये हम कहां से दें? यह कम्युनिकेशन का गैप है आपके दोनों विभागों का। यह कम्युनिकेशन का गैप ही नहीं, यह मैं कहूं कि दोनों विभागों के अधिकारियों की लापरवाही ने पूरे क्षेत्र को आने वाली इस गरमी में उस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि कहीं यह न हो, ला एंड आर्डर की समस्या बन जाए; कहीं ऐसा न हो कि जन आंदोलन के रूप में लोग अपनी बात को रखने लग जाएं।

मेरा आपके जरिए निवेदन है कि मेहरबानी करके बिजली विभाग के उस उच्च अधिकारी के लिए, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि यह काला कानून जो बनाया था 12 मई, 2011 को कि आप 1 लाख 6 हजार रुपये जनता जल पायलट योजना और बाकी सब योजनाएं जो सरपंचों के जरिये मानी जाएं, उनसे लिया जाए और जो जलदाय विभाग ने भी कनेक्शन लगवाए थे, जो ट्यूबवेल खोदे थे, उनका 1 लाख 6 हजार रुपया भी उनसे लिया जाए। जलदाय विभाग के पास पैसा नहीं। उनके पास तीन लाख रुपये सिंगल पाइंट के लिए है, आप 4 लाख 6 हजार रुपये मांगते हैं। 1 लाख 6 हजार का गैप भरेगा कौन? आठ महीने हो गये आज, दो साल की गारंटी होती है, ठेकेदार यह कहेगा कि मैंने ट्यूबवैल खोद दिया, मैंने सिंगल पाइंट खोद दिया, दो साल में उसकी गारंटी पूरी हो जाएगी, जनता का पैसा बरबाद हो जाएगा।

मेरा आपसे यही निवेदन है, इसी तरीके से एक और भी योजना फेल हुई थी और उसे पायलट योजना कहते हैं। बीस-बीस, तीस-तीस लाख रुपये की योजना आप मेरी पंचायत से, मेरी कांस्टिट्यूएंसी से... गुढा साहब, मेहरबानी करके मंत्री महोदय को सुनने दो, हमारे पूजनीय मंत्री महोदय जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें देंगे क्या थोड़ी देर बाद। तो मेरा आपसे निवेदन है, पायलट योजना एक जीता-जागता उदाहरण है, रामपुरा बेगा के नांगल से लेकर, आप पूरे नीमकाथाना से परिचित हो, मैं नीमकाथाना की बात करना चाहूंगा, सालोदड़ा में तैंतीस लाख रुपये की योजना, बाइस लाख रुपये की योजना रामपुरा बेगा के नांगल में। इस तरह की कुल योजनाएं ढाई-तीन करोड़ रुपये की नीमकाथाना की। एक मटका पानी का नहीं पीया जनता ने और वे योजनाएं आज के आठ साल पहले से बनाई हुई बेकार पड़ी हैं। मेहरबानी करके इन अधिकारियों को यह कह दीजिए, मानिटरिंग करना अति-आवश्यक है, यह जनता की गाढ़ी कमाई खतम न हो जाए। एक ऐसी टीम बनाइये आप जो मानिटरिंग करे। मेरा सुझाव है यह कि जलदाय विभाग का पैसा लगकर छह महीने में, तीन महीने में, साल भर में बर्बाद हो जाता है; आप मेहरबानी करके

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

एक ऐसी टीम बनाइये जो मानिटरिंग करे। आज अगर जो कुछ संसाधन या व्यवस्था आपने नीमकाथाना में दी है, आप उसी को लागू कर दीजिए। हम आपके यहां झोली फैलाकर पैसा मांगने के लिए कभी नहीं आयेंगे। बहुत पैसा बरबाद हो रहा है। ये अधिकारी लोग एम बी भरकर अपना कमीशन लेने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। चाहे, योजना चले, चाहे योजना फेल हो। इसके अलावा ध्यान नहीं देते हैं।

मेरा कहना यह है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां पर कोई विधायक आकर, राजनीति पानी के ऊपर कोई नहीं होती है। सरकार का राज धर्म होता है कि वह पेयजल की व्यवस्था करे। चाहे भाजपा के हैं विधायक, चाहे विधायक कांग्रेस के हैं, चाहे विधायक कामरेड हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र की बात रखते हैं। जब इतनी बड़ी पंचायत में आकर कोई विधायक अगर अपनी बात रखे और उस पर अधिकारी लोग एक्शन नहीं लें, फिर धिक्कार है कि हम यहां आकर अपनी बात रखकर चले जाएं, अपने घर चले जाएं। मेरा यही निवेदन है अधिकारियों से, आप उनको यह कहें कि जितनी योजनाएं नीमकाथाना की हैं, उनकी सिर्फ मानिटरिंग कर लें।

श्री सभापति: आप मंत्रीजी को कहो।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना): मेरा निवेदन यही है मंत्री महोदय से आपके जरिए, सभापति महोदय, कि जो पेयजल की व्यवस्थाएं आलरैडी पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं या काम नहीं कर रहीं, आप तो उन्हीं को लागू करवा दीजिए, हम आने वाली गरमी में आराम से जनता को पानी पिला देंगे। देखते हैं, टंकियां खाली पड़ी हैं, देखते हैं, ट्यूबवैल्स में कनेक्शन नहीं चल रहा है एक पाइप की वजह से। हमारे घर की मोटर तो चलती है 3-3 साल और इनकी मोटर जलती है एक महीने में 4-4 बार। आप देखिये, क्या है यह ? यह सब है क्या व्यवस्था? आखिर इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिये आप अपनी एक मानिटरिंग टीम लगायें। पेयजल का जो पैसा है यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, यह सही यूटिलाइज हो, आम जनता को पेयजल की व्यवस्था का पानी मिले।

मेरा आपसे निवेदन है, जिस तरह आपने एस सी, एस टी, और माइनोरिटी की जो योजनाएं बनायी हैं, मेरे यहां क्षेत्र में गुर्जर समाज बहुत पीड़ित और बहुत पिछड़ा हुआ है। आप मेहरबानी करके एक देवनारायण योजना पेयजल की भी बनाएं। उसके हिसाब से भेड़-बकरियां उनकी बिलकुल

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

खतम हो गयी। जो पहाड़ी क्षेत्र में रहकर अपने रोजगार की व्यवस्था के लिये भेड़-बकरियों की व्यवस्था करते थे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप मेहरबानी करके मुख्य मंत्री महोदय से मिलकर एक पेयजल योजना देवनारायण के नाम पर भी बनवाएं और उनके लिये व्यवस्था करें। हमारी छोटी-छोटी ढाणियों में बहुत अभाव है पानी का। मेहरबानी करके आप यह भी व्यवस्था कराएं।

मेरा आपसे यह निवेदन है एस सी और एस टी के लगाये हुए जो भी नलकूप हैं, 167 नलकूप सिंगल पाइंट के खराब पड़े हुए हैं, 67 मेरे ट्यूबवैल खराब पड़े हुए हैं। आप उनमें मोटर लगवाएं, उनकी व्यवस्था करें।

मेरी पायलट योजनाएं जितनी भी हैं, आप अपनी सरकार में पी एच ई डी में थे, अभी आप कहते हैं पंचायत सम्भाल लेंगी। आज 50 साल का डिपार्टमेंट हो गया, उसके ऊपर कंट्रोल तो आ नहीं रही व्यवस्था और पंचायत जिसको 2 महीने पहले, 4-6 महीने पहले अधिकार दिये हैं, वे सम्भालेंगी क्या? उनको संसाधन दीजिये। यह ड्यूटी बनती है विभाग की। उनके पास में वे ट्रेंड टेक्निकल इंजीनियर दीजिये। पंचायतों के पास वे व्यवस्थाएं नहीं हैं, तब ये योजनाएं चलेंगी कैसे? यह योजनाएं बिलकुल धराशायी हो जायेंगी और लोग पानी के लिये त्राहि माम्-त्राहि माम् करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मंत्री महोदय से, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी मानिटरिंग के अभाव में वे योजनाएं दम तोड़ रही हैं। जितना पैसा लगा हुआ है, उसका नाइंटी परसेंट पैसा बेकार पड़ा हुआ है। ज्यादातर अधिकारी अपना काम ओके करके लिख देते हैं। मेरे नीमकाथाना का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक आगवाड़ी पंचायत है, 9 लाख रुपये की हमने एक पेयजल योजना स्वीकार की, स्वीकार करवायी और आज के 6 महीने पहले, 5 महीने पहले लिख दिया गया, ओके पानी आ गया। एक बून्द पानी नहीं आया और योजना स्वीकार कर दी। अब बताइये जाकर, यह तो एक ही योजना का उदाहरण दिया है मैंने। ऐसी योजनाएं बहुत सी हैं।

तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब हम विधान सभा जैसी संस्था में आकर, महा-पंचायत है राजस्थान की, यहां अपनी बात रखें तो अधिकारियों को कम से कम एक्शन लेना चाहिये।

(श्री रमेश खण्डेलवाल)

फिर मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, पुरानी योजनाएं हमारी लागू करवा दीजिये, उनको सुचारु चला दीजिये। उनका जो भट्ठा इन्होंने बैठाया है, उसको सही करवा दीजिये, पेयजल व्यवस्था अपने आप बन जायेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल के ऊपर मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। समय काफी हो गया है, पूर्व माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें कही हैं, मैं बताना चाहूंगा केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र...

श्री सभापति: हां, हां, बस ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लक्ष्मणगढ़ तक सीमित रहूंगा, सीकर तक सीमित रहूंगा।

सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के 283 गांव, 3 नगरपालिका क्षेत्र जो वर्षों से फ्लोराइड का पानी पी रहे थे, वहां के लोग जो 40 और 50 साल में बूढ़े हो जाते थे, दांत गिर जाते थे, जोइंट्स में पेन हो जाता था और बार-बार सरकारों से जो भी जन-प्रतिनिधि आते थे, वे मांग करते थे कि फ्लोराइड-मुक्त इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव की जनता को पिलाएं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में वहां की जनता के दर्द को समझा, समझकर सर्वे के लिये 50 लाख रुपये दिये और सर्वे का काम अच्छी मानिटरिंग के साथ में पूरा करवाया। इस बार बजट में तो नहीं, लेकिन बजट की रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारी सरकार, माननीय मंत्री महोदय, सबने लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के गांवों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी मिले, इस बात के लिये 832 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

3-4 सुझाव दूंगा। इससे पहले पिछले बजट में मेरे लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में साढ़े 11 करोड़ रुपये की पेयजल की व्यवस्था की, स्वीकृत की और मुझे बताते हुए खुशी है कि वह योजना जिसमें 4 टंकी, 12 ट्यूबवैल्स और 65 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ेगी, उस योजना की शुरुआत हो चुकी है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं केवल 2-3 सुझाव देना चाहूंगा। हालांकि पूर्व माननीय सदस्यों ने दिये हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहूंगा कि यह 5 साल का जो बिल लेने की बात कर रहे हैं, यह व्यावहारिक नहीं है। एक सिंगल फेज का ट्यूबवैल वह 6 महीने पानी देगा, 12 महीने देगा, 2 साल देगा। यह एकदम अव्यावहारिक बात है, इसलिये इसको समाप्त किया जाये।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो जे जे वाई योजना है, उसका फण्ड पंचायती राज को दिया। सरकार की मंशा निश्चित रूप से यही रही है कि हम पंचायती राज को मजबूत बनाएं और उसके माध्यम से हम काम कराएं लेकिन जो टी एफ सी का पैसा है, चाहे अन्टाइड फंड का पैसा है, उसकी गाइडलाइंस बनी होती हैं और उन गाइडलाइंस में इसी एक कार्य के अलावा 15 काम और भी होते हैं। तो जो हमारे सरपंच जन-प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रधान हैं, जिला परिषद् के जिला प्रमुख हैं, वे उन गाइडलाइंस के मुताबिक अगर पैसा आता है तो खर्च कर देते हैं। उसमें किसी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं है क्योंकि उनको यह कहा जाता है कि आपकी गाइडलाइंस में आप ये-ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद एक सर्कुलर दे दिया कि आप बिजली का बिल भी इसमें जमा करा सकते हैं। तो वह उसकी मर्जी है। वह गाइडलाइंस से अगर पैसा खर्च कर देगा तो वह बिजली का बिल जमा कराने के लिये उसके पास शेष पैसा नहीं बचेगा और उसकी प्राथमिकता भी नहीं रहती है क्योंकि उसकी प्राथमिकता तो विकास के काम कराने की होती है। पानी पिलाने का काम जलदाय विभाग का है। जलदाय विभाग वह पैसा अगर पंचायती राज के माध्यम से देना चाहता है तो मेरा इसमें एक सुझाव है कि केवल वह सीधा का सीधा अमाउंट जितना बिल का बनता है, वह जिला परिषद् के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से वह अलग से फंड देकर उसकी व्यवस्था करायें। क्योंकि सरपंच के पास पैसा चला गया तो वह गांव के अपने लोगों की प्राथमिकता को पूरा करेगा और उसमें यह भी हो सकता है, 4 ट्यूबवैल का उसका पैसा जमा कराना है, 2 ट्यूबवेल ऐसी जगह हैं जहां गांव में उसको वोट नहीं देते होंगे, तो वह पैसा नहीं जमा करायेगा और हम लोगों में आपस में द्वन्द भी हो जायेगा। मेहरबानी करके इसलिये इस व्यवस्था को समाप्त करने की कृपा करें।

मैं सुझाव देना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपकी तरफ से कि बड़े-बड़े कस्बे हैं जिनमें 4 हजार की आबादी है 2001 की जनसंख्या से, उसमें ऊंचे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो ओवरहैड टैंक बनाने की सरकार की योजना है, प्रावधान है। लेकिन अब चूंकि 2011 की जनसंख्या आ चुकी है, करीब-करीब, इसलिये उस जनसंख्या के हिसाब से 2001 से क्यों मानते हो आप? अब तो 2011 की आ गयी, चाहे वह फाइनल नहीं आयी लेकिन प्रारम्भिक रूप से कितनी जनसंख्या है, यह तो आ गयी। तो आप उसको 2011 की जो जनसंख्या है, उसमें 4 हजार की आबादी मानें। मेरा तो यहां तक भी निवेदन है कि इसको थोड़ा घटाकर के दो-ढाई हजार अगर आबादी करें, और अच्छा होगा लेकिन कम से कम 2011 की आबादी से जो कस्बे बड़े हैं, 4 हजार की आबादी के हैं, उनमें कम से कम ओवरहैड टैंक बनाएं। निश्चित रूप से प्रावधान होना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ठेकेदार काम ले लेते हैं लेकिन वह कार्य नहीं करते। उनका यह कहना होता है कि हम जो टेंडर डालते हैं वह पैसा हमें नहीं मिलता। हमसे नेगोशिएसन अधिकारी करवाते हैं और नेगोशिएसन करा करके अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिये कि मेरे पर कहीं धब्बा नहीं आ जाए, वे हमें कम रेट देने के लिये मजबूर करते हैं और वर्क आर्डर उनकी मर्जी के मुताबिक कम में ले लेते हैं। फिर अचानक कीमत बढ़ने के कारण से या कुछ देरी की वजह से काम नहीं चालू होता है, तो उसमें हम वह कार्य उस रेट में नहीं कर पाते हैं।

(21.00 बजे)

उनका पीरियड 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने होता है, तब तक तो अधिकारियों को, विभाग को उनका इंतजार करना पड़ता है फिर उसका वापस निरस्त किया जाता है, फिर दुबारा टेंडर होते हैं। ऐसी समस्या मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी है, जिले में भी है और मैं समझता हूं कि और जगह भी होगी। एक बी एस आर रेट हो और उस रेट के मुताबिक उनको दिया जाये। अगर नेगोशिएशन करके आप दे देते हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी है कि उस रेट में आप काम कराओ। लेकिन जो जीएलआर 2 महीने में बननी चाहिए, वह जी एल आर 12 महीने में बनती है। तब तक, मैं समझता हूं, उस गांव में गांव वाले कोई दूसरी व्यवस्था कर लेते हैं। इसलिए जो तय है, अगर कोई व्यक्ति ले लेता है, फिर कार्य नहीं करता है तो ऐसे ठेकेदार को ब्लैक-लिस्टड किया जाये। अगर कोई ट्यूबवैल 2 महीने में, 4 महीने में खराब हो गया तो उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह नहीं हो कि वह ठीक कर देगा। ठीक-ठाक कुछ नहीं होता है। 6 लाख रुपये में अगर थ्री-फेज का ट्यूबवैल

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

खुदता है और प्राइवेट में अगर हम करायें तो वह 2-3 लाख में ही हो जाता है। इतना पैसा लगकर के भी अगर उसको ठीक कराने के लिए अधिकारी या ठेकेदारों के जनता चक्कर लगाती रहे तो यह कतई उचित नहीं है।

सभापति महोदय, दो-तीन चीजें और थीं। एक एस.सी., एस.टी. की बस्ती में जो सेंटर की स्कीम थी, उसके तहत सिंगल फेज ट्यूबवैल के लिए हमें यह कहा गया था अधिकारियों के द्वारा, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि एस.सी., एस.टी. की बस्तियों में आपको सिंगल फेज के टयूववैल पर कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आज तक उसका कोई भी किसी प्रकार का सर्कुलर नहीं आया। हमने सीना ठोक-ठोक कर यह कहा था कि हमारी सरकार एस.सी., एस.टी. के भाइयों को सिंगल-फेज का हो, चाहे थ्री-फेज का हो, उनको फ्री में पानी पिलाना चाहते हैं, पूरे के पूरे बिल की व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी तकलीफ है कि अभी तक वह व्यवस्था नहीं हो पायी, जिसके कारण से लोग-बाग़ हमें बार-बार आकर के पूछते हैं कि एस.सी., एस.टी. के सिंगल फेज के टयुबवैलों का जो चार्जेज आ रहा है, वह कौन देगा। एस.सी., एस.टी. ऐसी कम्यूनिटीज हैं जो वास्तव में निर्धन हैं, वे बिल की व्यवस्था नहीं कर सकती हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि एस.सी., एस.टी. के लोगों में जहां सिंगल-फेज के ट्यूबवेल आपके द्वारा कराये गये हैं, उन टयूबवैलों के बिजली के बिल सरकार वहन करे।

सभापति महोदय, चौथा एक सेकंड का और है कि कई जगह जो जी एल आर बनी हुई हैं, उनकी केवल ऊपर की छत खराब होती है। पता नहीं किस टेक्निक से यह बनाते हैं। बाकी सारा का सारा जी एल आर 3 से 5 लाख तक का होता है, वह सही होता है। लेकिन जब मेंटिनेंस की बात करते हैं तो अधिकारी यह कहते हैं कि मेंटिनेंस की तो कोई व्यवस्था नहीं है, आप नई का प्रपोजल दे दो। मेरा यह मानना है कि जो जी एल आर 4 लाख में बनती है, अगर उसकी ऊपर की छत ही खराब है और उसके लिए अगर 50 हजार रुपये दे दिये जायें तो साढ़े 3 लाख रुपये सरकार के और डिपार्टमेंट के बचेंगे। काफी जगह ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं।

सभापति महोदय, एक जो पाइप लाइन पहले विभाग कभी नहीं देता था गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में इस बार गहलोत सरकार ने दी है। उसकी भी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ज्यादा नहीं बोलकर, लक्ष्मणगढ़ में जो पानी की व्यवस्था इन 3 साल में सरकार ने की है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय जलदाय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और जो सुझाव मैंने दिये हैं, वे बहुत ही प्रैक्टिकल और वास्तव में जनता को रिलीफ देने वाले हैं। इनको वास्तव में गौर करके समस्याओं का समाधान किया जाये, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री कल्याण सिंह चौहान।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46, पेयजल और सिंचाई के लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की जो समस्या है, माननीय मुख्य मंत्रीजी तो हैं नहीं, लेकिन जो मोटी समस्या है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश आपने मान रखा है। वहां पर आपका कोई अधिकारी आपके कहने में है ही नहीं। सबसे मोटी समस्या तो यही है। मंत्रीजी सुन रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं जो?

श्री सभापति: मैं सुन रहा हूं आपकी बात।

श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा): चलो, ठीक है, आप सुन लो तो ही खूब है। नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में गांव, ढाणी और बागलों में पेयजल की भयानक समस्या है। वहां पर एन डी ए सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री, परम आदरणीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने पेयजल के लिए 128 करोड़ की स्कीम स्वीकृत की थी बाघेरी नाका, वह बनकर तैयार हो गयी, 206 गांवों के लिए वह स्कीम बनी थी, ग्रामीण इलाके के लिए लेकिन विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा के गांवों को उससे जोड़ा नहीं गया है। कुछ ही पंचायतों को उससे जोड़ा गया है। बाकी सब पंचायतें उससे छूटी हुई हैं। गांव छूटे हुए हैं ढाणियां छूटी हुई हैं, बागले छूटे हुए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि जो बाघेरी नाका पेयजल योजना है, उससे वंचित जितने भी ग्राम, पंचायत, ढाणियां हैं, उनको प्राथमिकता से जोड़ा जाये। यह जो योजना बनायी गयी थी वह ग्रामीण इलाके के लिए बनायी गयी थी जबकि इस योजना से नगरपालिका आमेट तक पानी दिया जा रहा है। जब नगरपालिका आमेट को पानी दिया जा सकता है तो नाथद्वारा नगर पालिका को क्यों पानी से वंचित रख रखा है?

साथ ही पूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखाड़िया की परिकल्पना के अनुसार नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

आपूर्ति के लिए नाथद्वारा के नंदसमंद बांध के पानी अपरिवर्तन हेतु उदयपुर जिले के साबरमती बेसिन व देवास स्टेज-थ्री फेज को पूरा किया उस टाइम प्रस्तावित था लेकिन इस बजट में इसको भी नहीं लिया गया है।

(21.06 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा में नंदसमंद बांध है, चिकलवास है, उनकी नहरें खस्ता हालत में पड़ी हुई हैं। नाथद्वारा से पानी राजसमन्द के लिए भी जाता है। महाराणा राजसिंह जी ने राजसमन्द बहुत बड़ी झील बनाई थी। वह झील खाली पड़ी रहती है। उसको भरने के लिए भी सरकार ने इस बजट में ना कोई योजना दी है और ना कोई काम किया है। मैं साथ ही यह भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के लिए आप इस योजना को जोड़ें ताकि राजसमन्द झील भरी रहे और आसपास के गांवों में काश्तकारों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आप विराजे हैं और आपको पूरा पता है क्योंकि आप उस जिले से ही आते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा बीसलपुर बांध बनाया गया है। यह बीसलपुर बांध किसके लिए बनाया गया? सिंचाई के लिए बनाया गया था या पेयजल के लिए बनाया गया था? वह किसी के लिए भी बनाया गया हो, भले ही पानी पेयजल के लिए जा रहा हो या सिंचाई के लिए जा रहा हो लेकिन इसका दंड हम हैड वाले, कैचमेंट एरिये वाले भुगत रहे हैं। नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र, कुम्भलगढ़ विधान सभा क्षेत्र वहां पहाड़ी इलाके आ गये हैं और वहां से पानी बह करके बनास नदी और खारी नदी में होता हुआ बीसलपुर में जा रहा है। हमारे वहां वह पानी रुकता नहीं है। वहां प्रतिबंध को हटाया जाये ताकि वहां कोई छोटे-मोटे डैम, एनिकट बनाये जा सकें ताकि उस एरिये के जो काश्तकार रो रहे हैं, उनको फायदा दिलाया जा सके। मेरी पुरजोर शब्दों में यह मांग है कि इस बैन को हटाया जाये। माननीय अभी सभापति जो बैठे हुए थे, सुरेन्द्र सिंहजी जाड़ावत साहब, उन्होंने भी यह मामला उठाया था भीलवाड़ा और चित्तौड़ के लिये। लेकिन भीलवाड़ा और चित्तौड़ ही नहीं, राजसमन्द जिला भी इससे वंचित है। कोई भी वहां पेयजल की स्कीम, कोई एनिकट, कोई तालाब वहां नहीं बना सकते हैं। वहां काश्तकार रो रहे हैं।

साथ ही मेरा माननीय मंत्री महोदयजी से यह निवेदन है कि वहां पर जो नंदसमंद बांध का कमांड एरिया है, उस कमांड एरिये को डी-कमांड कर

(श्री कल्याण सिंह चौहान)

दिया गया था, उसको वापस कमांड एरिया घोषित कराया जाये ताकि काश्तकारों को फायदा मिल सके।

यही बात कहते हुए मैं अधिक समय नहीं लेता हूं आपका। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंहजी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने 2012-13 के बजट में 2,569 गांव और ढाणियों में, 7,500 अनुसूचित जाति, 300 अनुसूचित जनजाति एवं 120 अल्पसंख्यक बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी 839 अनुसूचित जाति और 40 अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में पेयजल व्यवस्था हेतु 106 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 10 हजार फ्लोराइडयुक्त गांव और ढाणियों में से 5 हजार गांव और ढाणियों में शुद्ध पेयजल, फ्लोराइडलेस पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीफ्लोराइडेशन यूनिट लगाकर इन गांवों की समस्याओं का समाधान किया है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं लेकिन जैसा मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी कहा था कि गांवों में जो जनता जल योजना चल रही है, चाहे पंचायतों के माध्यम से चल रही हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चल रही हो, उनके बिलों का जो भुगतान पी एच ई डी द्वारा दिया जाता था वह बंद कर दिया गया है। उसके संधारण का खर्चा भी पी एच ई डी द्वारा दिया जाता था। वहां लोग जो काम करते थे, कर्मचारी काम करते थे, आपरेटर काम करते थे, उनको भी पंचायतों पर डाल दिया है। लेकिन उसके लिये पंचायतों के लिये इसके अलग से कोई फंड की व्यवस्था नहीं की गई है। पंचायतों को शामिल में पैसा मिला है, चाहे वह एस एफ सी के माध्यम से मिला हो, चाहे टी एफ सी के माध्यम से मिला हो या अनटाइड फंड के माध्यम से मिला हो। उसमें कोई गाइडलाइंस क्लीयर नहीं हैं कि यह पैसा आप केवल पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर पर ही खर्च करेंगे या यह पैसा बिल जमा कराने पर खर्च करेंगे या जनता जल योजना के ऊपर ही आप खर्च करेंगे। पैसा जो पंचायतों को मिला है, वह समान, पर-हैड के हिसाब से मिला है। लेकिन कई

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)
पंचायतों में दो-दो, चार-चार जगहों पर जनता जल योजनाएं चल रही हैं और कई पंचायतों में तो एक जगह भी जनता जल योजना नहीं चल रही है। तो जो पंचायतें जनता जल योजना नहीं चला रही हैं, वहां सारा का सारा पैसा दूसरी योजनाओं में लगता है और जो पंचायतें जनता जल योजना चला रही हैं, वहां सारा का सारा पैसा जनता जल योजना पर खर्च हो जाता है। यह विसंगति समाप्त की जानी चाहिए।

साथ ही जो नई एस सी और एस टी की बस्तियां केन्द्र सरकार की एक योजना आई थी एन आर डी डब्ल्यू पी, इसके अन्तर्गत राजस्थान में मेरे भीलवाड़ा जिले में कई गांवों और कई ढाणियों, मजरों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पी एंड टी स्कीम, पाइप और टेंक स्कीम, ओवरहैड टैंक्स बनाये गये, उनकी स्कीमें मंजूर हुईं लेकिन यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जब उसका नाम आया तो इस योजना में कोई राइडर लगा दिया गया, उसमें आबादी का राइडर सबसे बड़ा लगा दिया गया कि 4 हजार की आबादी नहीं है, इसलिए आपके यहां पर यह योजना स्वीकृत नहीं हो सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पड़ोस की पंचायत समितियों में दो हजार की आबादी के गांवों में पाइप एंड टैंक स्कीम मंजूर हो गई। मेरे भीलवाड़ा जिले में मैं 50 स्कीमों के नाम बता सकता हूं जिन गांवों की आबादी 4 हजार से कम है, 2 हजार से कम है, 1 हजार से कम है, उन गांवों में यह स्कीम लागू हो गई। लेकिन मेरे यहां इस नाम पर 10 स्कीमों को अटका दिया गया। यह 4 हजार की आबादी का आज जमाना नहीं रहा है। आज हर आदमी अपने घर में नल की व्यवस्था देखना चाहता है, आज हम एक तरफ तो सेनिटेशन, शौचालयों की बात करते हैं, हर घर में शौचालय बनाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है और दूसरी तरफ हम आबादी का राइडर लगाकर पेयजल की सुविधा, गांवों में पाइपलाइन से देने के ऊपर हम राइडर आबादी का लगा रहे हैं। इस व्यवस्था को हमको बदलना पड़ेगा। यह सन् 1980 के दशक में योजना लागू हुई, इसमें आबादी का राइडर तब लगाया गया था। आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आज हर आदमी की जेब में मोबाइल है, हर आदमी के पास मोटर-साइकिल है, कार है, लैट्रिन, शौचालय, बाथरूम, सारी चीजें बन गई हैं। इसलिए आज पेयजल हर गांव की आवश्यकता हो गई है। इसमें आबादी का राइडर हटा दिया जाना चाहिए।

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन सब चीजों की धज्जियां उड़ते हुए इस नियम की अनदेखी है तो आप देखो, आप जांच करवाइए भिनाय पंचायत समिति और सावर पंचायत समिति में जहां पूर्व मंत्रीजी ने न एक हजार की आबादी देखी, न पांच सौ की आबादी देखी। मैं तो कहता हूं कि कई टंकिया तो जंगल में बनी हुई हैं जहां पर सारे के सारे ढाणी-मजरे पाइप एंड टैंक स्कीम से जुड़े हुए हैं। फिर वहां नियम यह लागू क्यों नहीं किया गया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह आबादी का राइडर है, इसको हटाया जाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न योजनाओं को शीघ्र स्वीकृत कराया जाए। पाइप एंड टैंक जल योजना, विकरण; पम्प एंड टैंक योजना, नाइमा की झोपड़ियां; आग्मेंटेशन पाइप एण्ड जल योजना आमा। आग्मेंटेशन एण्ड पाइप जल योजना, आकोला। आग्मेंटेशन एंड पाइप जल योजना सूरेपा आग्मेंटेशन पाइप जल योजना मानपुरा। आग्मेंटेशन आफ पाइप जल योजना श्यामपुरा; आग्मेंटेशन आफ आर डब्ल्यू एस एस, थलकला; पम्प एण्ड टैंक योजना, धौलपुरा; आग्मेंटेशन आफ पाइप जल योजना, सवाईपुरा। ये दस योजनाएं हैं जिनको पेंडिंग कर दिया गया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई गांवों के अन्दर हैंड पम्प मिस्त्री, पूरी पंचायत समिति में मेरे यहां 17 हैं, जबकि 66 पंचायतें हैं। इसलिए हैड पम्प मिस्त्रियों की भर्ती और की जानी चाहिए और प्रत्येक पंचायत में एक-एक हैंड पम्प मिस्त्री लगाया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्स हैं, वे कम होते जा रहे हैं, उनमें पानी कम होता जा रहा है। उनको रिचार्ज करने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि जो राइडर है, जो रोक हमने एनिकट निर्माण पर लगाई है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, बनास नदी के कैचमेंट एरिया में माण्डलगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ईवन राजसमन्द, इन सारे जिलों का पानी बहकर बीसलपुर बांध में जाता है और इन सब जिलों के अन्दर पूरे के पूरे कैचमेंट एरिया में एनिकट निर्माण पर रोक लगा दी गई है। मैं नहीं कहता कि आप कोई बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दें लेकिन कम से कम एक मीटर, दो मीटर के या जीरो लेवल के एनिकट बनाने की स्वीकृति इन कैचमेंट एरियाज के अन्दर होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। आप विराजें, आपको 10 मिनट हो गए हैं।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): हो गया। एक मिनट, अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, माण्डलगढ़ स्थित जालूसर तालाब बहुत पुराना तालाब है और आज उसमें पानी की क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। उसके पीछे एक देव तालाब है, जो पुराना तालाब है, उसमें से सारा पानी निकल जाता है। अगर देव तालाब की मरम्मत करके उसका फीडर जालूसर तालाब में डाल दिया जाए तो माण्डलगढ़ क्षेत्र की सिंचाई की और पेयजल की सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।

मैं इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री फूलचन्द भिण्डा। मेरा निवेदन है कि पांच-पांच मिनट आप बोल लें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ऐसा नहीं करो; मैं आपके सामने कुछ विशेष बात का निवेदन करना चाहता हूं।

यह जो विषय है जलम् का, यह वास्तव में एक मानव मन की जो स्थिति है, वह बिगड़ गई है क्योंकि भगवान ने हवा और पानी हमें निःशुल्क दिये लेकिन हमने उनका इतना दुरुपयोग किया कि आज हमें पर्यावरण मंत्रालय बनाना पड़ा, जल नीति बनानी पड़ी और आगे मालूम नहीं और क्या-क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। मल्टी-नेशनल कम्पनियां तैयार बैठी हैं, केन्द्र सरकार एक्ट ला रही है जल नीति का, उसमें प्राइवेटाजेशन किया जा रहा है। ये सब खतरे हैं। इसका कारण है, केवल मन की जो गलती है और गलती भी वहां है जिसने प्लान बनाया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह खण्ड-खण्ड जो विचार हुआ, प्लानिंग का; आप बताइये मुझे, अभी सिंगल फेज की जो बात आ रही है, हर पंचायत में 30-30 टंकियां सीमेंट की बनाई गईं, फिर भी एस सी, एस टी के मोहल्लों में केवल आप प्लास्टिक की टंकियां रख रहे हैं जिनसे पानी न सर्दी में पिया जा सकता है और न गर्मी में पिया जा सकता है। यह जो खण्ड-खण्ड विचार हैं, आप बताइये कि हमारा जो पैसा है, हम खर्च नहीं कर सकते, उसमें भूगर्भ डिपार्टमेंट तय करेगा। लेकिन कभी देखा आपने, मल्टी नेशनल कम्पनियां जो डिटर्जेंट साबुन बेच रही हैं वह कितना पानी नष्ट कर रही हैं? इस पर कभी कोई विचार किया है सरकार ने? डिटर्जेंट साबुन नीति पर आप करेंगे नहीं, नल नीति पर आप करेंगे नहीं। पहले हमारे संस्कार था, जितना चाहो उतना लो; अब जितना बरबाद करो उतना ठीक है। हम यह कर रहे हैं।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

आपने कभी सोचा है इस बात पर कि हमारा जो सिस्टम है, मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय उसी जगह के बैठे हैं, अभी एनिकट की बात आई, सबसे पहला एनिकट बनाया एक साधु ने, वह भी खेतड़ी में। मंत्रीजी, सुनिये आप। खेतड़ी में एक संत ने बनाया एनिकट; कब, जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे उस समय एक व्यक्ति ने आकर कहा, कच्ची मिट्‌टी का एनिकट बनाने के कारण से, जो हैंड पम्प सूख गया था उस मंदिर के पास में, उसमें पानी आ गया। यह कहा गया, हमने स्टडी करवाई और ये एनिकट चालू हो गये। एनिकट, केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी कारण से दे दिया लेकिन हमने प्लीड नहीं किया। इस राजस्थान सरकार ने बिलकुल प्लीड नहीं किया कि एनिकट के माध्यम से रिचार्ज सिस्टम है। आज ये जो फ्लोराइड की बात है, ये कहां से आई? उपाध्यक्ष महोदय, फ्लोराइड लाखों-लाखों वर्षों तक चट्‌टानों में जो पानी भरा हुआ था, उसको हम ले रहे हैं और रिचार्ज करने का जो सिस्टम था, वह खाचरियावासजी कह रहे थे, वे ठीक कह रहे थे कि मेरे घर में रिचार्जिंग का सिस्टम है, ये रिचार्जिंग का सिस्टम था, इसको हमने नष्ट कर दिया। ये रिचार्जिंग का सिस्टम वही है जिसमें एनिकट आवश्यक है। मैं नहीं कहता, बड़ी नदी और ले जाएं लेकिन गली-कूचे का जो पानी है और जो मकान का पानी है, ये रिचार्जिंग सिस्टम में आपको खनिज युक्त पानी मिलेगा। लेकिन खनिज पानी बनाने के लिए आपने कम्पनियां बना दीं। जो किसान परिवार है, जो गांव का परिवार है, वह दूध पैदा करता है, वह तो 12 रुपये, 15 रुपये किलो बिकता है और पानी की बोतल 20 रुपये की बिकती है। क्या कारण हैं? क्योंकि उसको कम्पनी बना दी है। ये कम्पनी सिस्टम है, इसको समाप्त करना पड़ेगा, परिवार सिस्टम लाना पड़ेगा। आप बताएं, कभी विचार हुआ इस बात पर कि हम किस दिशा में जा रहे हैं?

मैं अब उस बात पर आता हूं, जयशंकर प्रसादजी ने कहा है, आपने सुना होगा, खण्ड-खण्ड विचार की मैं बात क्यों कह रहा हूं, जयशंकर प्रसादजी ने कहा है-

नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक गगन था एक तरल।
एक तत्व की प्रधानता, मैं उसे जड़ कहूं या चेतन।।

मेरे जो मार्गदर्शक रहे हैं राजनीति में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने कहा है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। प्रयास हुआ क्या? जमना का कितना पानी जा रहा है? राजस्थान में नहीं आ सकता? आ सकता

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

है। यह मैं निवेदन करता हूं इस सदन से कि संकल्प पारित करें कि गंगा जमना का पानी लाएंगे। इसके अलावा, और कोई चारा नहीं है राजस्थान के पास में। यह रिचार्जिंग सिस्टम, यह फ्लोराइड, यह तब आता है जब बरसात का पानी बहकर के चला जाता है, माही को देखा कभी? आप पढ़िये उस बात को। 1956 में जब राजस्थान नहर बनी थी, गडरा रोड तक पानी जाना था, पानी को तो, कोई भी आ गया वित्त मंत्री, तो सरदारशहर ले आया; कभी जोधपुर का मुख्य मंत्री बन गया तो जोधपुर पानी आ गया, उस प्लान में ही नहीं था, प्लान में तो गरीबों का इलाका था, वह रेगिस्तान था, गडरा रोड तक, वह प्लान में ही आपके माही डेम का है। माही डैम में सात तहसीलों में पानी जाना था, अभी तीन में गया है। बाकी उस क्षेत्र के जो चार एम एल ए हैं, उनकी स्थिति यह है कि वे पानी रोज मांग रहे हैं। माही होते हुए इतना कड़ाना में पानी जा रहा है, वह व्यर्थ जा रहा है। इसका विचार कभी किया?

इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश में कुछ तो संस्कार की आवश्यकता है कि यह प्राकृतिक जो दिया हुआ दान है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। यह आवश्यक है, इस पर विचार आवश्यक है, मैं तो आपको कहूंगा, आपके माध्यम से, इस पर एक डिबेट की जाय यहां और डिबेट में कहा जाय। मैं आपको बता दूं, मैं पहली बार जब सदन में आया और उस समय भी पानी की बात आई थी, उस समय के बाद मैंने तय किया, छह दिन में एक बार साबुन लगाता हूं, एक ही बाल्टी से नहाता हूं। साबुन लगाता हूं तो दो बाल्टी चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं? हो सकता है ऐसा। लेकिन एक संकल्प चाहिए, उसे सदाचार चाहिए, एक संस्कार चाहिए। इसकी आवश्यकता आप कहते नहीं, आप तो कहते हो कि इतने दे दो, इतने दे दो।

अभी आज नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आपने क्या किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, वसुंधरा राजेजी के टाइम में एक लाख 27 हजार हैंड पम्प गड़े; कुल राजस्थान में 3 लाख 36 हजार हैंड पम्प, एक लाख 27 हजार हैंड पम्प तो वसुंधरा राजे के टाइम में गड़े; आपने तो अभी 27 हजार ही गाड़े हैं तीन साल में। क्या किया आपने? जिस कारण से ताल ठोक कर कहते हो कि कह दो घनश्यामजी, कह दो गुलाबजी; ऐसे टिप्पणी कर करके नये नये जो आते हैं, वे रिकार्ड तो जानते नहीं कि क्या हुआ राजस्थान में, किसानों के लिए पानी कहां है। नागौर राजस्थान नहर का पानी जानता था क्या? नागौर में पानी लाये हम। हम लाये नागौर में पानी। सीकर में पानी ला

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

देंगे, मैंने अभी जो निवेदन किया, गंगा का एक्सेस पानी जमना में डालो और यमुना का राजस्थान में डालो। 400 किलोमीटर जब बहेगा, सारे नले, नाखले, सारे झीलें बन जाएंगे, सारा पानी चला जाएगा। आप तो घग्घर का पानी ही नहीं रोक पा रहे हो। आपके दो एम एल ए ने ही कहा कि घग्घर का ही पानी नहीं रोक पा रहे हो। क्या प्लानिंग कर रहे हो आप लोग? केवल इस कारण से कि यह पैसा राजस्थान का नहीं है, केन्द्र पैसा दे रहा है। तब तो आप कर रहे हो। फ्लोराइड के लिए आपको हंड्रेड परसेंट पैसा मिलता है, और चीज के लिए 50 परसेंट पैसा मिलता है, कोई 60-70 परसेंट पैसा मिलता है। इस कारण से काम नहीं चलेगा इस प्रांत का।

इस प्रांत का, सभापतिजी, इस आधार पर चलेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं पानी के, उस रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाय। इसका रिचार्जिंग सिस्टम हमारे देश में पहले था, यह सारा जो टांका सिस्टम है पश्चिम राजस्थान में, यह सारा का सारा रिचार्जिंग सिस्टम था और प्रकृति जो हमें धातुयुक्त पानी देती है, जो कम्पनियां बना रही हैं इस नाम से, इस कारण से नहीं बना रही हैं, लूट रही हैं वे। वह पानी का वही सिस्टम था, इसकी आवश्यकता है, यह पानी तो आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। अभी चम्बल का हमारे बोहरा जी ही कह रहे थे, क्या स्थिति है चम्बल के पानी की? अभी भी बहकर जा रहा है, केवल इस कारण से कि बोहरा जी जीतकर आ गये। अरे, कांग्रेस का वित्त मंत्री भी रहा है धौलपुर का, क्या किया उसने? हम तो आज कह रहे हैं, हमने यह कर दिया; आपने कितने हैंड पम्प गाड़े? मैं कह रहा हूं, अभी यहां रामलुभाया जी नहीं हैं, नहीं मैं कहता अभी; मंत्रीजी, आपसे कह रहा हूं मैं, आपने 80 सिंगल फेस मंजूर किये, 27 गड़े नहीं, 11 में कनेक्शन हुए नहीं और बाकी विवाद में चले गये। एक साल हो गया। एस सी, एस टी के नाम पर कमा कर खा रहे हो। एससी के नाम पर ले आये पैसे और आप यह स्थिति कर रहे हो। सब चिल्ला रहे हैं, अभी आप कह रहे थे मेरे एक भी नहीं गड़ा।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, वास्तव में यह स्थिति है कि टी एफ सी का पैसा हरेक पंचायत में चार चार लाख रुपये है। चाहे जहां टंकी बना रहे हैं, और इधर हमारे यहां टंकियां नहीं हैं। एम एल ए कोटे से हम कनेक्शन करवा दें, एम एल ए कोटे से हम एक लाख रुपये से बोरिंग करवा दें। वह टी एफ सी का जो पैसा है पंचायत राज के पास, खण्ड-खण्ड विचार करोगे? खण्ड-

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

खण्ड से विकास होगा? ऐसा नहीं हो सकता। यह समग्र नीति एकात्म की पालिसी चाहिए, चाहे सिंचाई हो, चाहे एग्रीकल्चर हो।

मैंने पहले भी निवेदन किया दीनदयालजी का, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। अभी तो आप सिर्फ 34 परसेंट पर आये हो, राजस्थान की 34 परसेंट भूमि पर। उसमें भी मैं कहता हूं कि इस सरकार के पहले तीन वर्ष हैं, जब हमारी 86 लाख हैक्टेयर की सिंचाई की मात्रा 82 हैक्टेयर हो गई। कौन दोषी है इसके लिए? राजस्थान में सिंचाई की मात्रा क्यों गिर रही है, इस पर किसी को चिंता नहीं है। उन किसानों की चिंता नहीं है, मल्टी-नेशनल कम्पनियों की चिंता है। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सब लोगों से, पूरा सदन सुन ले...

श्री उपाध्यक्ष: जरा संक्षिप्त करो अब।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): केन्द्र सरकार एक नीति ला रही है जल नीति, उसमें मल्टी-नेशनल कम्पनियों के माध्यम से निजीकरण हो रहा है। सौ गुणा की भी गारंटी नहीं है, पांच सौ गुणा भी पानी के वसूली कर सकते हैं। उसमें गरीब क्या करेगा? उसमें भी क्या है, गरीब आदमी के लिए लिमिटेड पानी होगा, जैसे राशन की दुकान से मिलता है न, वैसे पानी मिलेगा इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं कि आने वाली नीति को, जितेन्द्र सिंहजी, आप कहीं वहां जाकर दस्तखत मत कर आना, केन्द्र में जाकर के कि हमने नीति स्वीकार कर ली। इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। जो नीति हमारे राज्य में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, डा. जितेन्द्र सिंहजी, मंत्रीजी, वे आपको याद कर रहे हैं। अब उनकी तरफ ध्यान रखिये आप। उन्होंने आपका नाम बोला है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं दो बातों के बारे में और निवेदन करूंगा। यह जो संकेन्द्रित प्रणाली है, यह ठीक नहीं है। हम बीसलपुर का पानी भीलवाड़ा ले जा रहे हैं, बीसलपुर का पानी भीलवाड़ा ले जा रहे हैं, तो भीलवाड़ा से तो आ ही रहा है वह। भीलवाड़ा जिले से ही आ रहा है, उसको यहां लाकर वापस ले जाओगे तो कितना पैसा लगेगा? कह रहे हैं। कि जयपुर को 24 घंटे पानी देंगे, पानी जब है ही नहीं तो फिर 24 घंटे पानी कहां से दोगे? इस प्रकार की नीति की क्यों घोषणा करते हो? ताली बजवाने के लिए,

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

माल पहनने के लिए? इस संकेन्द्रित व्यवस्था से अजमेर डूब जाएगा, फुलेरा डूब जाएगा, नावां डूब जाएगा। जिस दिन अकाल पड़ेगा, जिस दिन पानी नहीं आएगा, उस दिन क्या स्थिति होगी राजस्थान की? ये बड़ी-बड़ी योजनाएं, संकेन्द्रित योजनाएं जो ला रहे हो, यह किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। स्वायत्त व्यवस्था होनी चाहिए जो हमारे देश में पहले से थी, हमारे राजस्थान में पहले से थी, उस स्वायत्त व्यवस्था का विचार करना चाहिए।

दो बातें और कहूंगा मैं। एक तो, मंत्रीजी, उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कह रहा हूं, 20 परसेंट का खुलेआम बंटवारा होता है। इसमें बंटवारा होता है, आप जांच करा लें, 20 परसेंट। कैसे पाइप डलते हैं, कोई भी कह दे कि मेरे यहां दिन में पाइप डले हैं? रात को पाइप क्यों डालता है ठेकेदार, इस पर विचार करो थोड़ा सा। हैंड पम्प जो गड़े हैं, उनके अन्दर कैसे पाइप डले हैं, इसकी जांच करो। सैम्पल निकालो। 50 अगर बोरिंग हैं तो एक बोरिंग को वापस उखड़ा कर देखो, उसमें किस क्वालिटी के पाइप हैं। देखो, ये प्रांत की बपौती है, किसी व्यक्ति की नहीं।

मैं तो इतना और कहूंगा, आज ये हालांकि रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि जो हैंड पम्प नाकारा हो गये, उनका सामान निकाला गया। कितना है? राजस्थान के गोदामों में कितने पाइप हैं, जो आपने रिकवर किये हैं? कितने नाकारा हैंड पम्प हैं? उनके पाइप कहां चले गये? वह ठेकेदार वहां से निकालता है और गाड़ कर पेमेंट उठा लेता है। आप जांच तो करिये। यह गहरा करने के लिए, कितने बोरिंग गहरे किये गये? पिछले पांच साल का, दो साल का, आठ साल का उदाहरण तो दो। अब कितना किया गया?

मैं अंतिम बात यह कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप तो किसान हैं, मैं आखिरी निवेदन कर रहा हूं। किसान हैं आप।

हमारे 99 परसेंट कुएं सूख गये। गुजरात सरकार ने अनुदान देकर, पाइप लगाकर खेत का पानी कुएं में डालते हैं। तो पहले जो रेली कहते हैं, हमारे उसको रेली कहते हैं, उस रेली में रिचार्ज हर वर्ष हो जाता है। उस खेत के पानी को उसमें डलवाने के लिए आप अनुदान दो। सारे कुएं रिचार्ज, गुजरात की सरकार ने अंजाम दिया है। इस काम को, रिचार्ज सिस्टम को डवलप करने के लिए पांच-पांच लाख की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भिण्डा साहब।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उसको रिचार्ज करने के लिए आप दो-दो हजार रुपये ही दे दो।

श्री उपाध्यक्ष: आप मुझे प्रभावित मत करो, दस मिनट हो गये। आप कृपा करके थोड़ा समाप्त करो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): चलो, चलो, ठीक है, साहब। आपने समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): और एक निवेदन अंत में करना चाहूंगा। यह जो पानी का विषय है...

श्री उपाध्यक्ष: आपकी अच्छी बातें हैं, डाक्टर साहब लिख रहे हैं, कोई बात होगी तो वह।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अंतिम एक वाक्य कहूंगा। एक बात यह कहूंगा कि राजस्थान का जो पानी का सिस्टम है, मैंने एक प्रयोग किया है, आप सबके सामने निवेदन कर रहा हूं, जवलपुरा धाभाई मेरा गांव है, उसमें मैंने सिंगल पाइंट कनेक्शन एस सी के मोहल्ले में कराया। गांव वालों ने कहा कि इनके कर रहे हो तो हमारा क्या होगा? मैंने उनको कहा मुझे मुख्य मंत्रीजी ने यह लिखकर दिया है कि आपको 20 लाख रुपये पानी में खर्च करना है, उसमें से दे रहा हूं। तो पानी हो गया। गांव वालों को कहा, कि यह बोरिंग है, इसके एस सी वाले मालिक नहीं हैं, पूरी जनता मालिक है। आप दो टंकी बना लो। सरपंच ने दो टंकियां दोनों मोहल्लों में बना दीं। उसी बोरिंग का तीनों टंकियों में लगातार पानी जाता है। आगे भी सुनो, मैं उसे अंत्योदय ग्राम घोषित करके पूरे ग्राम में 6 लाख रुपये की सड़क बनाउंगा। एक बात और कही कि बीड़ी बंद करोगे, दारू बंद करोगे और मुकदमेबाजी बंद करोगे, ये तीन शर्तें उनके सामने रख दीं। मैं उनका विकास कर रहा हूं। यह माडल है। इस प्रकार सभी बस्तियों में दो-दो तीन-तीन टंकियाँ बना दें, आप सबके लिए माडल हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत धन्यवाद। माननीय रामलालजी मेघवाल।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 27 और सिंचाई संख्या 46 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस मांग में अपने को सम्मिलित करते हुए सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री, श्री अशोक गहलोत और जलदाय मंत्री,

(श्री रामलाल मेघवाल)

जितेन्द्र सिंहजी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल योजना के बारे में अच्छी सोच के साथ पूरे प्रदेश के सभी जिलों के लिए एक ऐतिहासिक बजट का प्रावधान किया जिसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

जालौर जिले में सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी नर्मदा के बारे में जो जिक्र किया और यह बताया कि मां भवानी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधराजी नर्मदा का पानी लाया। यह भूल गये कि पूर्व में जो अशोक गहलोतजी की सरकार थी, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधीजी और मुख्य मंत्रीजी ने नर्मदा परियोजना का शुभारम्भ किया, शिलान्यास किया और उसके बाद सरकार बदल गयी। सरकार बदलने के बाद जब चुनाव का समय आया, उस समय पूर्व मुख्य मंत्री, वसुंधराजी ने चुनाव की दृष्टि से पाइपलाइन से पानी लाकर उद्‌घाटन किया और उद्‌घाटन में बड़े-बड़े पोस्टर लगाये गये कि गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्रजी मोदी आ रहे हैं। वे 30 किलोमीटर दूर बैठे थे, लेकिन उनको वहां से जितना राजस्थान का हक बनता था, वह नहीं देना था, इसलिए वे उस उद्‌घाटन में शामिल नहीं हुए। उसके बाद उस परियोजना को सरकार ने इतनी शिथिलता और धीमी गति से चलाया कि हमारे जालौर जिले के 281 गांवों में पीने के पानी की जो योजना थी, उसको चालू नहीं करके ऐसे ठण्डे बस्ते में रख दी कि वह बंद पड़ी थी, जो जमीन अधिग्रहण करनी थी वह नहीं की। उसके बाद हमने कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया और प्रिंसिपल सेक्रेट्री रामलुभायाजी से निवेदन किया। उस पर मुख्य मंत्रीजी ने एक पारदर्शिता बरतते हुए बिना डी एल सी रेट, उन किसानों के हित को मद्देनजर रखते हुए प्रति बीघा 5 लाख 25 हजार रुपये देकर किसानों को संतुष्ट करके वह जमीन कब्जे में ली और उसका काम चालू किया। अभी इस बजट में प्रावधान तो नहीं किया, लेकिन रिप्लाई के वक्त में मेरे जालौर विधान सभा क्षेत्र के जालौर शहर को पानी पिलाने के लिए जो चार दिन से जालौर शहर में पानी मिलता है, उसको मद्देनजर रखते हुए चीफ इंजीनियर साहब और रामलुभाया साहब ने स्कीम बनाकर पेश की। जलदाय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने रिप्लाई के अन्दर 58 करोड़ रुपये देकर जालौर शहर को चार दिन से जो पानी मिल रहा है, उससे छुटकारा कराने के लिए 58 करोड़ रुपये मेरे विधान सभा क्षेत्र को दिये हैं। उसके लिए जलदाय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि यह बजट में प्रावधान किया है। मेरा जलदाय मंत्रीजी और अधिकारियों से निवेदन है कि पहले भी इस नर्मदा का पानी 281

(श्री रामलाल मेघवाल)

गांवों में 2012 तक देना था, लेकिन इसी शिथिलता के कारण वे 281 गांव अभी तक वंचित हैं। उसमें तीन विधान सभा क्षेत्र के गांव आते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि यह 58 करोड़ रुपये दिये लेकिन उसके अतिशीघ्र टेंडर किये जाएं, अतिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए और जालौर शहर में जो चार दिन से पानी मिल रहा है, उससे छुटकारा दिलाकर बहुत जल्दी प्यास बुझाने के लिए पानी दिलाया जाए।

दूसरा, मेरा विधान सभा क्षेत्र का जलदाय मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे जालौर जिले के एक्स ईएन का रिक्त स्थान है, उसको जल्दी लगाया जाय और सब-डिविजन सायला में, ए ईएन की पोस्ट दो साल से खाली है। कोई धणी-धोरी नहीं है। इसलिए जे ईएन और ए ईएन लगाने की व्यवस्था करें ताकि इस गर्मी के समय में वे जल योजना की देखभाल करें और लोगों को पानी की प्यास से तरसना न पड़े।

दूसरा, मैं माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि यह जो सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है कि जनता जल योजना के पैसे पंचायतों को भरने पड़ रहे हैं, पंचायतों के अधिकार में दे रहे हैं, तो जनता जल योजना पंचायतें कैसे संभालेगी? आपका डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, आपके पास इतना बजट है, आप उनको दोगे तो यह व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मेरा निवेदन है कि जनता जल योजना जलदाय विभाग से चलायी जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एम एल ए लैड से ओवरहैड एस आर बनाये हैं। उसमें अधिकारी यह बताते हैं कि जनता को कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे। एम एल ए के पैसे से 10-10 लाख देकर एस आर बनाकर अगर जनता को कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे तो यह पैसे बेकार हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि विधायक फंड से एस आर बनाते हैं, उन गांवों में कनेक्शन देने के प्रावधान के आदेश अधिकारियों को जारी करें। जो एम एल ए हैं एस.आर. जो बनाया है उसमें कनेक्शन चालू कर दिए जाएं। इसके अलावा जो यह चार हजार की आबादी वाला सिस्टम है और एस आर बनाने पर प्रतिबंध है, उसको 2,000-2,500 आबादी वाले क्षेत्रों का करके उनमें भी एस आर बनाकर गांवों को लाभान्वित किया जाए।

दूसरा, मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि सांचोर में जो नर्मदा आई है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय सांचोर पधारे थे, आप हमारे जालौर के

(श्री रामलाल मेघवाल)

प्रभारी मंत्री थे, आप भी उस मौके पर उपस्थित थे और पूरे जालौर जिले को सिंचाई में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया था। उसका प्लान बनाया होगा और यदि नहीं बनाया है तो बनाकर पूरे जिले को सिंचाई साधनों से जोड़ा जाए। यह प्लान आप बनाकर बहुत जल्दी भेजें क्योंकि आपके समक्ष इस बात का आश्वासन दिया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी थे, आप थे और माननीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष अहलुवालियाजी ने इस बात को आपके सामने रखा था।

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करें, रामलालजी।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): ऐसा है, आप सुबह जब चालू करते हैं तो एक-एक माननीय सदस्य को दो-दो घंटे देते हैं और हम जो नये सदस्य आते हैं, इनकी लास्ट में बारी आती है तो दो मिनट में समाप्त करो, समाप्त करो। यह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: मेरी रिक्वेस्ट है, आप बोलना चाहें तो बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): हम वोट लेकर नहीं आए क्या?

श्री उपाध्यक्ष: बोलें। आप अच्छा बोल रहे हो, हमारा सबका मन लग रहा है लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखें। अच्छा बोलते हो, अच्छे सजेशन हैं।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): ऐसा है, साहब, मारवाड़ी में कहावत है, अभी तो फूटी भोर है; अभी दस तो बज गये, ग्यारह भी बज जाए तो क्या है, लेट तो हो ही गए न, साहब।

दूसरा, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मैंने आपसे मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरदारगढ़, जालोरपुरा और धवला, तीन जगह की बांध की मांग की हुई है। तो आप अविलम्ब सिंचाई विभाग को निर्देशित करें कि वे तीनों बांधों का करें। धवला के लिए तो माननीय परसादीलालजी आपने भी वहां आश्वासन दिया था कि मैं सिंचाई मंत्रीजी से बात करूंगा। आप वहां धवला खुद पधारे थे और जनता ने मांग की थी, उस समय आप हाजिर थे। मेरा यह निवेदन है कि आप सिंचाई विभाग को निर्देशित करें ताकि इसका जल्दी से जल्दी तैयार करके आपके पास भेजें और यह स्वीकृत करावें।

मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेता हुआ, अभी उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि समय का अभाव है, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्रीमती प्रोमिला कुण्डाराजी। सबकी इजाजत हो जाए तो आखिरी वक्ता मान लें? (व्यवधान) ब्यावर को सुबह मौका दे दिया।

प्रोमिलाजी, आप बोलें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 27 जो पेयजल की समस्या पर है, तो उसमें मैं आपके माध्यम से मंत्री से यह कहना चाहूंगी कि चाकसू को बजट में भी शामिल नहीं किया गया और बजट में कहीं भी मुझे चाकसू नाम देखने को नहीं मिला। अब भी मैं आपको यही कहूंगी कि चाकसू की पानी की गम्भीर समस्या है। आपने थर्ड फेज के लिए कहा था कि बीसलपुर का पानी पूरे चाकसू में आ जाएगा, लेकिन अभी तक बीसलपुर का पानी सिर्फ नगर में आया है। जबकि 200 से अधिक गांव जुड़ने चाहिए थे लेकिन अभी तक वहां पर कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही पी एच ई डी के माध्यम से कि वहां पर पानी आ सकता है। न तो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, न कोई इसको इकट्ठा करने के लिए टंकियां बनाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि डेढ़ साल में आपके राज में तो बीसलपुर का पानी चाकसू में नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं अपने आपको और हमारी चाकसू की जनता को बहुत खुशनसीब मानूंगी कि बीसलपुर का मीठा पानी मिलेगा। क्योंकि चाकसू में पूरा पानी खारा है, फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और वे इतने परेशान हैं कि अगर डेढ़ साल में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि आप एस सी, एस टी के हैंड पम्प की बार-बार बात करते हैं कि हम एस सी, एस टी के लिए हैंड पम्प की बहुत अच्छी योजना लाए हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि 28.12.2010 को मैंने एस सी, एस टी की लिस्ट दी थी जिसका मुझे अभी तक यह पता नहीं चल रहा कि कितने हैंड पम्प मैंने जो लिस्ट दी है उसके माध्यम से लग गए। बार-बार फोन पर ए.ईएन. से पूछती हूं कि मैंने लिस्ट जो भिजवाई थी उसमें कम से कम यह तो बता दीजिए कि कितने लग गए हैं क्योंकि जनता तो मुझसे पूछती है कि मैडम, हमने हैंड पम्प की लिस्ट दी थी, उसमें आपको लिखवाया था, कितने लग गए; लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे लिस्ट लाकर नहीं दी और जो लिस्ट दी तो उसमें अधिकतर हैंड पम्प को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि यहां पर 200 मीटर की दूरी पर है, यहां पर इतने मीटर की दूरी पर है, यहां पर पहले से हैंड पम्प हैं या प्रस्तावित है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्षेत्र में मैं जाती हूं, वे आफिस में बैठे हुए सर्वे कर लेते हैं कि वहां

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

पर है, यहां पर है लेकिन जब क्षेत्र में जाती हूं तो मुझे कहीं पर भी हैंड पम्प लगे हुए नहीं मिलते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जो चाकसू के ए.ईएन. हैं वे बार-बार फोन से सूचना मांगने पर भी सूचना नहीं देते। तो कम से कम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही तो करें। जब से मैं आई हूं, तब से वे दोनों ए.ईएन. वहीं पर जमे हुए हैं और उनकी भेदभाव की नीति है। भेदभाव इसलिए कहूंगी कि विधायक की लिस्ट पर तो कार्यवाही होती नहीं है और जो वहां पर हारा हुआ है, वह जहां मर्जी आए वहां हैंड पम्प लगवा देता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो पंचायत के माध्यम से हैंड पम्प लग रहे हैं, उनकी भी आप जांच करवाएं। घर में हैंड पम्प लगाये जा रहे हैं और जहां गम्भीर समस्या है, वहां पर आप हैंड पम्प नहीं लगा रहे हैं। तो ए.ईएन. के खिलाफ भी आप जरूर देख लीजिए। मैं तो यह कहूंगी कि अगर तुरन्त उनको सस्पैंड कर दिया जाए तो उनको पता चल जाएगा कि 2010 की हैंड पम्प की लिस्ट पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय प्रोमिलाजी, थोड़ा शार्ट करें।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मंत्रीजी, दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि चित्तौड़ा पंचायत के अन्दर जो वर्ल्ड नालेज सिटी बन रही है, वह 1,800 बीघा में है। उसमें तीन तालाब थे और तीनों तालाब बंद हो चुके हैं क्योंकि वहां वर्ल्ड नालेज सिटी बन रही है। अब चित्तौड़ा पंचायत में जो चरागाह में तालाब थे, जो जानवरों के पीने का पानी था और पर्याप्त पानी की सुविधा थी, वह बंद हो गई है। तो वहां पर कोई ऐसे सिंगल फेज या कोई ऐसा तालाब खुदवाया जाए जिससे कि पानी की समस्या वहां पर खतम हो जाए।

दूसरी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जो डी एफ ओ लगाए जा रहे हैं, वे इतनी घटिया किस्म के लग रहे हैं, हरे रंग का प्लास्टिक की बाडी का होता है और अगर उससे जानवर टकरा जाए तो वह टूट जाएगा। आप पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और पुंज लायड्स लिमिटेड नाम से कोई कम्पनी है जिसके माध्यम से आप करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसा डी एफ यू लगाएं जो कि मजबूत हो और लोहे का हो। यह प्लास्टिक की बॉडी का हरे रंग का है, ऊपर लगाया जाता है और कोई भी जानवर उससे टकरा जाए तो वह टूटकर नष्ट हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: प्रोमिलाजी, समाप्त करें आप। धन्यवाद।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि आप यह करें। दूसरा, बीसलपुर के पानी के लिए हमारे क्षेत्र के लिए जरूर कोई नई उम्मीद लाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय श्रीमती कमलाजी कस्वां। पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें क्योंकि 10 बजे से पहले मुझे मंत्रीजी का शुरू कराना है। नहीं तो फिर समय नहीं बढ़ा तो मुश्किल हो जाएगा।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): पांच मिनट में समाप्त करने की कोशिश करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कोशिश करिए, प्लीज।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं भी अपनी दो बात कहने के लिये खड़ी हुई हूं।

मैं अपने क्षेत्र की समस्या से शुरुआत करूं, उससे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय और पूरा विभाग जो यहां बैठा है, उससे एक बात कहना चाहती हूं कि आपकी बनाई हुई जल नीति तीन बातों पर निर्भर करती है, जल का संरक्षण, जल का संवर्धन और जल का प्रबंधन। ये तीनों बातों पर अगर हम गौर कर लें तो मैं समझती हूं कि जो जल हमको उपलब्ध है, पूरे राष्ट्र का एक परसेंट जल राजस्थान को उपलब्ध है। कोई भी सरकार आ जाये, कोई भी मुख्य मंत्री हो, वह इस एक परसेंट को दस परसेंट नहीं कर सकता लेकिन वह अपनी जल नीति के जो तीनों भाग हैं, संवर्धन, संरक्षण और प्रबंधन, उस पर विचार करके, उस पर काम करके हमारी समस्या बहुत हद तक हल कर सकते हैं। आज पूरे जल का जो काम है, वह केवल पी एच ई डी डिपार्टमेंट का नहीं है, इस पी एच ई डी विभाग के साथ कृषि का विभाग भी जुडा हुआ है, वन विभाग भी जुड़ा हुआ है, पंचायती राज भी जुड़ा हुआ है और बिजली विभाग भी जुड़ा हुआ है और हमारा यह सौभाग्य है कि ये दोनों विभाग, पी एच ई डी और बिजली हमारे एक ही मंत्रीजी के पास है। वह किस तरह जुडा हुआ है कि आज जिस तरह से हम कृषि के ऊपर दुनिया भर का पानी खर्च कर रहे हैं, हाईब्रिड बीज के द्वारा जो हम उन्नत किस्म की खेती करना चाह रहे हैं, उसमें जो पानी खर्च होता है, वह हमारी जो देशी पद्धति थी उससे बहुत ज्यादा खर्च होता है और पानी का अपव्यय हो रहा है। हम फव्वारा पद्धति का चलन पूरे राजस्थान में नहीं कर पाये हैं, बहुत थोडे क्षेत्र में इसका चलन हुआ है। मैं चाहती हूं कि जहां भी सिंचाई की सुविधा है, वहां यह जो बूंद-बूंद जल के द्वारा

(श्रीमती कमला कस्वां)

सिंचाई की जो पद्धति है, उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो बहुत-सा पानी जो खेती के काम में अपव्यय होता है, उसको हम बचा पायेंगे।

दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं कि आज मुझे राजेन्द्र सिंहजी जो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, उनकी कही बात याद आती है कि अब समय आ गया है कि पंचायत राज जो नरेगा को देख रहा है, वह नरेगा पूरा की पूरा जल पर आधारित हो जाये, कृषि पर आधारित हो जाये तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आज बहुत-सी समस्या पानी की आ रही है, वह खतम हो जाये। जगह-जगह खड्डे खोदने के बजाय हम खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में लाकर उसको स्टोर कर सकें। हमारे यहां तो बरसात में ही पानी है, भू-जल तो बहुत कम है, बरसात के पानी को हम इकट्ठा करके गांव से बाहर एक तालाब में उसको रिजर्व कर सकें तो मैं समझती हूं कि पीने के पानी के काम तो नहीं आयेगा लेकिन 18 प्रतिशत जो हमारा पशुधन है, जिसको पीने के पानी की आवश्यकता होती है, उसकी समस्या का हम हल कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा योगदान नरेगा के द्वारा हम अपने प्रदेश को दे सकते हैं।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, जो कि वन विभाग से सम्बन्धित है लाखों-लाखों रुपया हर साल हम हरित क्रांति के नाम पर हर जिले को देते हैं, लाखों पौधे लगाये जाते हैं। वन विभाग की एक रिपोर्ट आती है कि इतने पौधे लगा दिये, लेकिन उनमें से कितने जीवित रहते हैं? कितने पौधे बढ़ कर वृक्ष के रूप में हमारे सामने आते हैं? पर्यावरण को शुद्ध करने के लिये और सूखे से निपटने के लिये बहुत जरूरी है कि हम पेड़ों की कोई व्यवस्था करें। हर साल जो पेड़ लगे, वो जिंदा है या खत्म हो गये, इसकी मानिटरिंग भी वन विभाग करे। आज वन विभाग को दिया हुआ पैसा नष्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो आज किसान के सामने आ रही है, उसको अपनी रोजी-रोटी के लिये खेत में खड़ी हुई अपने पुत्र से प्यारी जाटी काटकर बेचकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। चूरू जिला जो विशेषकर मेरा जिला है, वहां हर पांच साल तक अकाल पड़ता है, एक साल कोई फसल होती है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, समाप्त कीजिए।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): और वह जाटी काटने के लिये मजबूर होता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था की जाये कि नरेगा में ऐसी परिसम्पत्तियां बनें, स्थाई सम्पत्तियां बनें और ऐसी व्यवस्था हो ...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए माननीय सदस्या।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ऐसा तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपको मुझे टाइम नहीं देना चाहिये था। मैं दो ही मिनट में अपनी बात कहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: आपको सात मिनट हो गये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): देखिए, आपने अभी उनको इतना टाइम दिया और जब मैं बोलने के लिये खडी हुई, मैंने कोई अलग बात नहीं कही है। मैं सिर्फ वही बात कहना चाहती हूं जो हम सब मिलकर, सरकार, पक्ष और विपक्ष मिलकर जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात कहना चाहती हूं। दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी मैं आपसे। मेरे क्षेत्र की समस्या मैं बाद में कह दूंगी।

दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें ऐसी परिसम्पत्तियां बनानी चाहिये जिससे गरीब ग्रामीण को रोजगार मिले, उसको जाटी नहीं काटनी पड़े, उसका खेत बरबाद नहीं हो, पानी की आवक ज्यादा हो सके।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं, जो कि बिजली विभाग से संबंधित है कि बार-बार वह योजनाएं जो बिजली से सम्बन्धित हैं और जिनका फीडर अलग होना चाहिये, उसमें बार-बार ट्रिपिंग न आये। बार-बार ट्रिपिंग आने से जब पम्प हाउस से मोटर चलती है और पानी की सप्लाई होती है और बीच में ट्रिपिंग आ जाये तो सारा पानी वापस चला जाता है। इससे बड़ा अपव्यय होता है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ट्रिपिंग को भी रोके, वाटर का अलग फीडर बनायें और उसकी निरन्तरता की आपको मानिटरिंग करने की आवश्यकता है।

एक बात और कहना चाहती हूं कि अभी इस बजट में कम से कम 20 योजनाओं की घोषणा की गई है। हर योजना घोषणा के साथ ही अगर समय पर पूरी हो तो लागत मूल्य में कमी आती है और वह बचा हुआ पैसा उस योजना के रखरखाव में काम आ सकता है। अलग से हमें किसी कंटिंजेंसी प्लान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मेरा मंत्री महोदय से और अपने अधिकारियों से निवेदन है कि वे इस पर भी चर्चा करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): दो मिनट मैं अपने क्षेत्र की भी बात कहना चाहती हूं। मैं जिस जिले से आती हूं वहां कोई नदी नहीं है। बिलकुल एकदम खारा पानी है। पानी की व्यवस्था सिर्फ आपणी योजना, गूंगी जलप्रदाय योजना, साहवा गंधेली, गूंगी योजना...

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में कैसे बोल पायेंगे मंत्रीजी?

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): और बहुत सी जो योजनाएं हैं, उनके द्वारा है। आज स्थिति यह है कि सारी योजनाएं फेल हो गई हैं, पानी की बूंद नहीं है। तीन-तीन साल हो गये, हमारे क्षेत्र में साहवा गंधेली, गूंगी योजना का पानी नहीं आया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में कुंभाराम आर्य लिफ्ट योजना पर एक रेग्यूलेटर लगाने की घोषणा की है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर शीघ्र ही रेग्यूलेटर लगायें ताकि हमारे क्षेत्र को नहर में पानी कम हो, तब भी पानी प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, विराजिए आप। विराजिए। बस प्लीज, प्लीज।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सिर्फ एक सैकण्ड, सिर्फ एक ही सेकंड।

श्री उपाध्यक्ष: आप इतना अच्छा बोल रही हो...

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सिर्फ एक सैकण्ड, सर, ज्यादा नहीं कहूंगी। सिर्फ एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष: एक सैकंड तो खत्म हो गया।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि जनवरी, 2011 में जियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने यहां एक भाषण रखा था जिसमें हमारे विख्यात जियोलोजिस्ट वालतियां साहब यहां आये थे और उन्होंने यह कहा था कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर, यहां हमारे नीचे जल-धाराएं बह रही हैं और वे जल-धाराएं लुप्त हुई सरस्वती नदी की हैं। अगर भागीरथ जी गंगा ला सकते हैं तो अशोक गहलोत जी सरस्वती नदी ला सकते हैं, वे लाएं और हमारे क्षेत्र की समस्या का हल करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, अब विराजें प्लीज। प्लीज।

माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 27 और मांग संख्या 46 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 27 और 46 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 व 46 पर विचार

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई जिसमें करीबन 43 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और 266 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष महोदय, समय अभाव के कारण मैं हरेक का जवाब तो नहीं दे पाउंगा, प्रयास करूंगा और 24 घंटे के अन्दर सबको उनका जवाब भेज दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, यह धरती अनन्त है क्योंकि इसके रक्षक सूर्य, वायु और जल हैं। हजार साल पहले भविष्य वक्ता थे नोस्त्रेदुमस, उन्होंने कहा था आगे आने वाले वक्त के लिये that I am seeing the earth like a fireball. It will be disaster in the world. A man will emerge from Central Asia and he will secure the planet.

(22.00 बजे)

आज सारी दुनिया पानी को सर्च करने के लिए दूसरे प्लेनेट्स पर सैटेलाइट्स भेज रही हैं, जो इस बात का द्योतक है कि अगर हम सब लोग नहीं जागे और जिस तरह से पानी का इस्तेमाल करने के लिए हम सीरियस नहीं हुए तो बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। जो नोस्त्रेदम ने 1,000 साल पहले कहा था, उसकी शुरुआत हो गई। बहुत भयंकर स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

मेरे पास माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन का 19 मार्च, 1994 का एक बहुत ही वेल्यूबल स्पीच है, जो उन्होंने सदन में दिया था। उस समय मैं दूसरी बार जीतकर आया था, उस समय यह बहुत अच्छी लगी मुझे। उसमें बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु थे। यदि भूगर्भ जल पर आधारित रहा, तब यह नहीं कर

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पायेंगे क्योंकि हमें सरफेस प्रोजेक्ट्स लाने होंगे। पानी की नीति तय करने के लिए पानी आयोग का गठन करना होगा। पेयजल का पैसा बढ़ाते हुए हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। Of course, Hon'ble Sir, it was a very important speech delivered by him. हमारे पास राजस्थान का जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटा है, वह बड़ा विचित्र है। हमारे पास पानी नहीं है; सबको पता है, एक प्रतिशत पानी है। हमारे पास दस प्रतिशत लैंड है। हमारे पास जितनी आबादी है, तकरीबन उतना ही हमारे पास पशुधन है। सात करोड़ की पापुलेशन है और साढ़े छह करोड़ पशुधन है और पशुओं को भी पानी चाहिए। यह एक बड़ी विषम परिस्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार हमको अलग से बजट दिया है और करीबन जो हमारा वर्तमान बजट है, वह करीब सब मिलाकर 400 करोड़ रुपये, अभी जयराम रमेश जी ने अलग से दिया है। जैसा चाकसू से आने वाली माननीय सदस्या ने चिंता प्रकट की थी कि उनके लिए फ्लोराइड प्रोब्लम है। फ्लोराइड की अन्य स्थानों पर भी एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है; नावां में भी, और बहुत सारे एरिया में भी है। डी-फ्लोराइडेशन के लिए जो अलग से 400 करोड़ रुपये माननीय जयराम रमेशजी ने दिये हैं इसके लिए, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर जिस तरह से हमारा बजट एलोकेशन होगा, वह निश्चित रूप से बेहतर कंडिशन में होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी पानी की प्रोब्लम सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, अन्य राज्यों के अन्दर, अन्य कंट्रीज के अन्दर परिस्थितियां और भी विषम हैं। (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह राजस्थान, this is a report of the result, 'framework index'. यह पूरे भारत का फ्रेमवर्क इंडेक्स है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स में पानी का किस तरह से हार्वेस्टिंग हो रहा है, क्या प्लान्स बन रहे हैं, क्या नये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गत वर्षो में राजस्थान बहुत पीछे था लेकिन यह गवर्नमेंट आफ इंड्यिा की रिपोर्ट है, जो ब्ल्यू मार्किंग है इसमें राजस्थान को उन्होंने फर्स्ट बताया है कि राजस्थान कमिंग टाइम में सबसे आगे, लीडिंग स्टेट होगा वाटर हार्वेस्टिंग में और जिस तरह के हमारे सरफेस प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें राजस्थान सबसे आगे, अग्रणी राज्य होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में 1.21 लाख ढाणियां हैं और उसके अन्दर करीबन 36,000 ढाणियां वे हैं जिनमें हमारे पास पानी की

(डा. जितेन्द्र सिंह)

ग्रोस प्रोब्लम है, पानी की क्वालिटी प्रोब्लम है लेकिन उनमें से काफी कुछ, 10,000 के करीब उनमें इम्प्रूव कर लिया गया है। हमारे इसके अन्दर the biggest problem is salinity. जो हमारा बेल्ट है, नागौर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, there the biggest problem is of salinity और उसके अलावा करीबन 10,000 ढाणियों में हमारे पास फ्लोराइड प्रोब्लम है। फ्लोराइड प्रोब्लम तो it is at a very dangerous stage, जो सारी बोन्स को डिफोर्म कर देती है। लेकिन फिर भी डी-फ्लोराइडेशन यूनिट करीबन 5,500 हमने हैंड पम्प्स में और उनमें लगाई हैं और काफी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है।

अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब अपने बजट भाषण में कहा, उसमें तकरीबन हमारे टोटल 28 सरफेस वाटर के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आये हैं। माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन का भी अपना व्यू था because we are losing the ground table. हमारे 198 ब्लाक्स डार्क जोन में आ चुके हैं और यह हमारे सामने गहरा चैलेंज है कि अगर हम उसको रि-साइकिल नहीं करेंगे या उसका replenishment of the water नहीं करेंगे तो सब समाप्त हो जायेगा। उसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स आये हैं, उनके ऊपर बड़ा सीरियसली काम चल रहा है और मैं समझता हूं, जहां तक बोर्डर का जितने भी हमारा एरिया है, उसके अन्दर सारे कवर हो रहे हैं। बाड़मेर, पाली, जोधपुर, भरतपुर, नागौर, अजमेर, बारां, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, टोंक और उनियारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका स्वयं का जो विधान सभा क्षेत्र है, ये सब सरफेस वाटर से इन्टरकनेक्ट करके डिस्ट्रिब्यूशन आफ द वाटर सिस्टम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कितने ही प्रोजेक्ट्स बना लें लेकिन अगर वाटर का रि-चार्जिंग नहीं हुआ तो ये सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो जायेंगे। Glaciers are melting. जो नोस्त्रेदमस ने कहा था, जिस तरह से हमारी गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है, उस उत्सर्जन के होने से CO_2 गैसेज से जो ओजोन लेयर है, जो प्रोटेक्ट कर रही है हमारे पूरे एन्वायरनमेंट को, उस पर परफोरेशन हो गया और उसके पेनीट्रेशन से जितने हमारे ग्लेशियर्स हैं, वे पिघल रहे हैं। उन्होंने फोटोग्राफ्स दिये थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। यह खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। कहीं एक स्टेज ऐसी नहीं हो जाये, जब हमारी लीडिंग नदियां सूख जायें। ग्लेशियर्स, साउथ और नोर्थ पोल के जो बिगेस्ट आइसबर्ग्स हैं, वह साउथ पोल का पहाड़

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बिलकुल टूट गया और वह समुद्र के अन्दर बह रहा है। यह बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो रही है, That will be a challenge and is set to cost the cities. समुद्र का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सब एन्वायरनमेंटल प्रोब्लम हैं।

इस पानी को बचाने के लिए, हमारे राजस्थान की जो कंडिशन है, वैसी अन्य कंट्रीज की है। Australia was green, it is brown now. उनका पानी का स्तर बिलकुल समाप्त हो गया है। इजरायल में नहीं है। माननीय कृषि मंत्रीजी पधारकर आये हैं और आपने हमको बताया है। जिस तरह से इजरायल वालों ने रेस्टोरेशन आफ द वाटर को किया है, जिस तरह से उन्होंने इर्रिगेशन में और एग्रीकल्चर में यूज आफ द वाटर को किया है, निस्संदेह हमें उन सब सब्जेक्ट्स पर जाना पड़ेगा। 90% of the water is used for irrigation, सिंचाई के लिए; drinking is only 10% जितना भी हमारा पानी है, 90 प्रतिशत हमारा अभी भी एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में अब हमको we have to think about it कि ड्रिप इर्रिगेशन में किस तरह से आयें और स्प्रिंकलर में किस तरह से आयें। हमारे शेखावाटी में इर्रिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम से हो रहा है। Drip irrigation is the most methodical matter. लेकिन किस तरह से उसको इतने बड़े वास्ट हमारे स्टेट में किया जाये, वह एक इम्पोर्टेंट मैटर है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु है, हमें हर सेक्टर में पानी को बचाने का प्रोजेक्ट करना पड़ेगा।

नम्बर वन, पानी के लिए गवर्नमेंट अपने स्तर पर भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का नारा है, वह एक जनरल है, उसमें आवश्यक है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ। पानी बचाओ, मीन्स पानी is the most important. उपाध्यक्ष महोदय, पानी का इस समय, जितना भी हमारा पानी है, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर से पानी आ रहा है, 3000 मीटर से ज्यादा ये स्काई-स्क्रेपर्स हैं, उनका सारा पानी इकट्ठा करके हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं और यह निर्देश दिये गये हैं कि ये तभी नक्शे पास किये जायें जब 300 मीटर की या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या जितनी भी हैं, वे वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें। जहां-जहां भी ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, नीयरबाई ट्यूबवेल्स के लिए हमको रिचार्जिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें डे-टू-डे, रोज की एक छोटी सी बात होती है कि एक मग में हमारा काम चल सकता है शेविंग में, सारा बाल्टी

(डा. जितेन्द्र सिंह)

पानी खर्च हो जाता है। एक एड आता है, उसमें एक-एक ड्रोप में, एक-एक ड्रोप अगर रोज वेस्ट हुआ तो साल भर के अन्दर लाखों लीटर पानी बरबाद हो जाता है। तो हमें, उपाध्यक्ष महोदय, उस बात को गम्भीरता से ध्यान में लाना पड़ेगा कि किस तरह से पानी को बचाया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा मैं, डिपार्टमेंट में इस समय बहुत लम्बे समय से भर्तियां नहीं हुईं। सांभर से आने वाले माननीय सदस्य अभी चले गये हैं, उन्होंने कहा था कि जरा बतायें कि कितने पद खाली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ए.ईन्स., 273 की कमी है; जे.ईन्स., 147 की कमी है; पम्प चालक और फिटर हैं, 1,885 की कमी है। डेफिनेटली डिपार्टमेंट के अन्दर बहुत बड़ी कमी है और निश्चित रूप से हम प्रक्रिया चालू कर रहे हैं कि किस तरह से इसके अन्दर भर्तियों की प्रक्रिया चालू करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बी बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, माननीय सदस्यों ने सबने अपनी बातें कह दी हैं, मैं मुख्य रूप से कुछ घोषणाएं आज के...माननीय प्रतापसिंहजी साहब विराजे हुए, चले गये यहां से, माननीय नीमकाथाना से आने वाले सदस्य, माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य, माननीय हमारे साथी, बहुत से साथियों ने बड़ी इम्पोर्टेंट कुछ के अन्दर क्वेरीज...

श्री उपाध्यक्ष: कुछ बातें उनके लिए भी बताओगे मंत्रीजी जो बोल नहीं पाते हैं सदन में? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा में पानी को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है और निश्चित रूप से जवाजा से शंकर सिंहजी की भी बात आ रही है उसमें। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष: शंकर सिंहजी एक बात कह रहे थे कि राजस्थान का जो व्यर्थ पानी बहकर जा रहा है, उसका उपयोग कैसे हो। क्या प्लान बने। चम्बल से जा रहा है, और दूसरी नदियों से जा रहा है, एक, और जयपुर स्टेट कैपिटल है, इसको बीसलपुर पर आधारित नहीं रख करके चम्बल का पानी अल्टरनेट लाया जाये। किसी वर्ष बरसात नहीं हो, बीसलपुर में पानी कम हो जाय तो फिर मेरे ब्यावर का क्या होगा, अजमेर का क्या होगा। यह कह रहे थे वे। मैंने आपको उन्होंने जो कहा, वे कह नहीं पाये, बोलने का मौका नहीं मिला, सदन का समय समाप्त हो गया था इसलिए, माननीय, मैंने आपकी

(श्री उपाध्यक्ष)

बात कह दी। वही बात कही है जो आपने कही है। आप विराजिए, अब विराजिए, मंत्रीजी को बोलने दीजिए। (व्यवधान) आप विराजिए, अब विराजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक मिनट। जवाजा के गांवों को आश्वासन आपने दिलाया था, मालिक; आपने कहा था, मंत्रीजी से जवाब दिलाउंगा। आज घोषणा करवा दो, साहब। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत, तकरीबन काफी कुछ चर्चा हो गई, बहुत ज्यादा कहने को भी नहीं है, कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है पर मैं समझता हूं कि सबने अपना सफिशिएंट कह दिया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो सारा निचोड़ बातों का आ रहा था, उसके बारे में मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर वन, ये जो महत्वपूर्ण आज की घोषणाएं हैं, उनमें मैं बताना चाहूंगा... (व्यवधान) नम्बर वन, नर्मदा नहर आधारित रानीवाड़ा-भीनमाल- सांचौर परियोजना, बी आर परियोजना का प्रथम चरण, इसमें सांचौर शहर व 138 गांव लाभान्वित होंगे, इस पर 221 करोड़ रुपये की लागत आयेगी, इसी वर्ष प्रारम्भ कर दी जायेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में 320 करोड़ रुपये की लागत की टोंक-उनियारा पेयजल परियोजना की घोषणा की है, इस योजना से टोंक जिले के 436 गांव लाभान्वित होंगे। इसमें देवली शहर, देवली तहसील के 134 गांव भी शामिल हैं। इस परियोजना का नाम टोंक-निवाई-देवली-उनियारा परियोजना किया जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपका अपना स्वयं का विधान सभा क्षेत्र है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक दिन मत विभाजन नहीं दिया, इसका परिणाम है यह।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ तो मिला राजस्थान को, राजस्थान को।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): निवाई वाले चले गये माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से...

श्री उपाध्यक्ष: मौका आने दीजिये, माननीय तिवाड़ी साहब।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बनास नदी पर सरेली गांव के पास तहसील उनियारा जिला टोंक में 950 लाख की लागत से एनिकट का निर्माण किया जायेगा। इससे इस क्षेत्र के लगभग 620 गांव

(डा. जितेन्द्र सिंह)

लाभान्वित होंगे तथा बनास नदी के व्यर्थ बह जाने वाले पानी को पेयजल हेतु रोका जा सकेगा। यह, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत यूजफुल है क्योंकि जो डाउनस्ट्रीम का पानी जा रहा था, वह इसमें एनिकट से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

2001 की जनसंख्या पर आधारित चार हजार से अधिक आबादी वाले 664 गांव अभी भी घरेलू नल कनेक्शन से वंचित हैं। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्येक घर को पानी की उपलब्धता के अनुसार घरेलू कनेक्शन देने की परिकल्पना करती है। इसलिए प्रथम फेज में इन समस्त 664 गांवों में ऊंचे जलाशय बनाकर वितरण प्रणाली के माध्यम से घरों में कनेक्शन दिये जायेंगे। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। अबूव फोर थाउजेंड जितने भी हैं और इसमें टू थाउजेंड इलेवन...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक सेकंड। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2011 आ गई तो इस जनसंख्या को 2011 वाली तो करो।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): मैं, माननीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य, यही कहना चाहूंगा कि माननीय बहुत सारे हमारे सदस्यों की मांग आई है कि 2011 को यह कट आफ डेट मानी जाय; (व्यवधान) तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में विचार करके शीघ्र ही इसमें निर्णय करूंगा।

शहरों में अभी भी अनेक कच्ची बस्तियां एवं स्लम क्षेत्र भी हैं जो नियमित नहीं हैं। इस कारण इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने गरीब व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि प्रत्येक शहरी कच्ची बस्ती व स्लम क्षेत्र में पांच सौ मीटर के रेडियस में सार्वजनिक नल के माध्यम से नि:शुल्क पेयजल गरीबों को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कामन होगा। यह कर दूंगा, सर, मैं सांगानेर में।

अब जो महत्वपूर्ण, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसको माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने हाउस में कहा था, जब उन्होंने इसके बारे में कहा था, इसकी चिंता जाहिर की थी; माननीय हमारे लक्ष्मणगढ़ से, माननीय नीमकाथाना से आने वाले, बहुत से साथियों की और ओवरआल सबकी एक जनरल, माननीय शेरगढ़ से आने वाले सदस्य की और सबकी यह थी परेशानी, यह महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा जो, मैं समझता हूं, आपको खुश कर देगा। पंचायतों द्वारा जनता जल, स्वजलधारा, सेक्टर रिफोर्म, पनघट आदि योजनाओं के संचालन में काफी कठिनाई आ रही है, वे बिजली के

(डा. जितेन्द्र सिंह)

बिल जमा नहीं करवा पा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, इन योजनाओं के रखरखाव का समस्त खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। (व्यवधान) इसका भुगतान पंचायत समितियों के माध्यम से पंचायत विभाग से अलग बजट से किया जायेगा। पंचायतों को...(व्यवधान) जस्ट ए मिनट। पंचायतों को जैसा कि आपने इसके बारे में कहा था, पंचायतों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक पंचायत में एक ए ईएन, कनिष्ठ अभियंता मय स्टाफ के दिया जायेगा... (व्यवधान) प्रत्येक पंचायत समिति में लेकिन वह he will be a technical helper. अलग से ए ईएन होगा पंचायत समिति में। मैं समझता हूं कि इसमें क्योंकि इस तरह की योजना है, पंचायतों को हैंडओवर किया जा रहा है। नम्बर वन।

माननीय डिप्टी लीडर अपोजीशन, एक बात और आपने कही थी, विधायक कोष से पैसा एक लाख छह हजार क्यों दिया जाय; आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश से विधायक विकास कोष से लगने वाले ट्यूबवैल, सिंगल फेज इत्यादि के ओ एंड एम का पांच वर्ष का व्यय अग्रिम लेने का जो निर्णय लिया गया था, उसको वापस लिया जाता है। (व्यवधान) इसका रखरखाव भी पंचायतें करेगी, जिसकी राशि राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार राशि अलग से उपलब्ध करायेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो पी एच ई डी सिंगल फेज करवा रहा है, उसका पैसा कौन देगा?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): वह सब, वह सब आ गया, सरकार ने। सरकार...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): केवल एम एल ए लैड बोला है आपने।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ओके, थैंक यू। थैंक यू।

श्री उपाध्यक्ष: आपने यह कैसे पता कर लिया कि सदन की इच्छा क्या है, और वही बोल रहे हो आप?

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): Pardon, Sir?

श्री उपाध्यक्ष: सदन की इच्छा के मुताबिक बोल रहे हो, आपने पता कैसे कर लिया कि सदन क्या चाहता है और वही बोल रहे हो आप? (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आनरेबल सर, मैं डाक्टर हूं, मैं नाड़ी देखकर पहचान जाता हूं। वर्तमान में पंचायतों द्वारा अलग-अलग नाम से कई पेयजल योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका फंडिंग पैटर्न भी अलग है। राज्य सरकार इन समस्त योजनाओं को एक नाम से संचालित करेगी, इनका एक ही फंडिंग पैटर्न लागू किया जायेगा, कोई डिफरेंट नहीं है, सबको कामन करके एक करा जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी माननीय दौसा से आने वाले हमारे माननीय....

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे टेबलें बजा रहे हैं, मैं टेबल नहीं बजा रहा हूं। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, सारे टेबल बजा रहे हैं, मैं टेबल नहीं बजा रहा हूं।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय हमारे ब्यावर से आने वाले सदस्य ने कई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी को पता, ज्ञात है।

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय मंत्री महोदय, चीफ सेक्रेटरी ने जो आर्डर निकाला है... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जवाजा पंचायत समिति के गांवों का एक कागज दिया था, उसकी घोषणा आप करें, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए, विराजिए, मंत्रीजी को बोलने दें। मंत्रीजी को बोलने दें। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा और उसके बारे में जो पानी की प्रोब्लम आपने बताई है, उसमें हमारे जवाजा के भी, ब्यावर के पास जो प्रोब्लम है पानी की, वह भी आपने कहा, बीसलपुर के बारे में और जो दौसा की प्रोब्लम है, मैं उसका एक्सपेडाइट करा रहा हूं और उसमें निश्चित रूप से सरकार की ओर से जो भी बेस्ट पासिबल होगा, मैं करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आप विराजिए। विराजिए, आपको आश्वासन दे दिया। माननीय श्री हेमारामजी चौधरी, जल संसाधन मंत्री।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मंत्रीजी, चाकसू को बीसलपुर का पानी कब मिलेगा, यह तो बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री हेमारामजी चौधरी। (व्यवधान)

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): मंत्रीजी, चाकसू को बीसलपुर का पानी कब मिलेगा यह तो बता दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मांग संख्या 27 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमाराम जी चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई की मांग संख्या 46 पर सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव यहां पर दिये। कुल 44 माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किए, उनमें से ज्यादातर ने पेयजल पर अपने विचार व्यक्त किए और कई माननीय सदस्यों ने सिंचाई संबंधी समस्याओं को लेकर उनके समाधान के लिए अपने विचार यहां पर प्रकट किए। सदन के माननीय 44 ही कुल सदस्यों ने सिंचाई विभाग से संबंधित अपनी मांगों के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए। समय के अभाव के कारण मैं माननीय सदस्यों के सभी बिन्दुओं का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर रखे हैं, उनके द्वारा उठाये गए सभी बिन्दुओं को मैंने भी नोट किया है और सभी अधिकारियों ने नोट किया है। इसलिए उनके द्वारा उठाए गए सभी सुझावों/बिन्दुओं और कटौती प्रस्तावों पर संवाद परीक्षण करके उस पर जो भी निर्णय लिया जाना सम्भव होगा, उसमें निर्णय लेकर के उन पर कार्यवाही की जाएगी। कुल कटौती प्रस्ताव 117 प्रस्तुत किए हैं, उन सब के जवाब तैयार करवा दिए गए हैं और आपको 24 घंटों के अन्दर ही उनके जवाब भिजवा दिए जाएंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभारी हूं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्यों?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): बता रहा हूं, क्यों।

श्री उपाध्यक्ष: तिवाड़ी साहब, आप जल्दी क्यों कर जाते हो? आप तो बड़े गम्भीर व्यक्ति हो।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): हमें तो मांग पर बोलने का मौका दिया ही नहीं, समय ही नहीं दिया। इसको हम टेबल कर देते हैं, इन सब मांगों को, हमारी सब डिमांडस को।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं इसलिए आभारी हूं कि उन्होंने 2011-12 के बजट में जल संसाधन सम्बन्धी

(श्री हेमाराम चौधरी)

अभूतपूर्व घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं की 90 प्रतिशत क्रियान्विति हो चुकी है, 10 प्रतिशत का कार्य ही प्रगति पर है। जो कार्य प्रगति पर है वह भी पूर्ण होगा। जिन परियोजनाओं की...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप तो टेन परसेंट में ही आ गए, 90 परसेंट तो उन्होंने कर दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैं तो एक परसेंट पर भी नहीं हूं, सब उन्होंने ही किया है। मेरे पास क्या है? खजाना तो उनके पास है, पैसा उनके पास है, पैसा वे ही देते हैं। उसी से मैं काम करवा सकता हूं। अगर मुझे पैसा नहीं मिले माननीय मुख्य मंत्री महोदय से तो मैं कौनसा काम करवा सकता हूं?

श्री उपाध्यक्ष: और उनको पटाना माननीय तिवाड़ीजी को अच्छी तरह आता है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): यह तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि खजाने की चाबी तो वित्त मंत्री के पास होती है और बिना पैसे के कोई काम, मेरे ख्याल से, होता ही नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार अन्तरराज्यीय जल समझौतों के तहत राजस्थान के प्रत्येक हिस्से का जो पानी है उसको प्राप्त करने का और राज्य के बाहर जो बहकर जो पानी जा रहा है, उसकी प्रत्येक बूंद को रोककर के उसके सदुपयोग के लिए हम कृत-संकल्प हैं और इस दिशा में प्रयासरत हैं, आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि आज जल की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है और आपूर्ति और मांग में बहुत अधिक अंतर है। इस वजह से इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमारी सरकार ने जल नीति बनाई है, 2010 में जल नीति के लागू होने से जल नीति के जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों को सबको मैं यहां व्यक्त करूं, इतना वक्त नहीं है, उस जल नीति के प्रावधानों को लागू करने के बारे में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और उसमें आप सभी माननीय सदस्यों का, प्रतिपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। क्योंकि जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते।

(श्री हेमाराम चौधरी)

माननीय सदस्यों ने नहरों की, वितरिकाओं की, बांधों की, तालाब की, एनिकट की मरम्मत के बारे में भी यहां चर्चा की। उपलब्ध जल संसाधन और बजट उपलब्धता के अनुसार उनकी मरम्मत के काम को भी हाथ में लिया जाएगा। पूर्व में भी, पिछले वर्ष भी जो बजट उपलब्ध हुआ था, उसके अनुसार उनकी मरम्मत करवाई गई थी। महानरेगा योजना के तहत राज्य आयोजना मद से मरम्मत करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं और महानरेगा योजना के अन्तर्गत लगभग 1391 करोड़ के कार्य प्रगति पर हैं और 617 करोड़ रुपए के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। पिछले वर्ष महानरेगा खण्ड भी स्थापित किए जो कि इन कार्यों को देख सकें, ठीक से मानिटरिंग कर सकें।

नहरों की मरम्मत और इसके अलावा नए कार्यों की स्वीकृति की मांग भी माननीय सदस्यों ने इस सदन के माध्यम से रखी है। नए कार्यों की स्वीकृति की मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में जो घोषणा की है, उन सबकी स्वीकृतियां जारी करके उन घोषणाओं की क्रियान्विति कर दी जाएगी। मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो घोषणाएं की हैं, वे सब आपकी जानकारी में हैं। इसको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। नए कार्यों की स्वीकृति की जो मांग कई माननीय सदस्यों ने उठाई, उनकी स्वीकृति से पूर्व टेक्नो-इकोनोमिक फीजिबिलिटी जांच करके संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाना उचित रहेगा। क्योंकि कई बार बिना हाइड्रोलाजी की सही गणना के स्वीकृतियां प्रदान कर दी जाती हैं और कार्य पर राशि भी खर्च कर दी जाती है, फिर उसके बाद में उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिल पाता, सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर केवल अजमेर जिले में पिछली सरकार के समय में पांच वर्ष की अवधि में जो कार्य करवाये गये नये, उन पर सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये लेकिन उनमें से अधिकांश में पिछले वर्ष अच्छी वर्षा के बावजूद पानी नहीं आया। तो उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं हुआ और कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हमारी सरकार ने इजराइल की एक नामी कंपनी को राज्य का जल मास्टर प्लान बनाने का कार्य दिया और यह कंपनी इस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी जिसके आधार पर नयी परियोजना की स्वीकृति सम्बन्धी विचार किया जाना उचित होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस कम्पनी की फ्रेंचाइजी किसके पास है?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कार्यों की गुणवत्ता के बारे में भी माननीय सदस्यों ने यहां बात कही, भ्रष्टाचार की भी बात कही...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप पर किसने लगाया?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, मेरे पर नहीं, विभाग पर। मेरे पर तो वे रविन्द्रजी बोहरा चले गये; पता नहीं, वह बन्दर की संज्ञा दी, वह कैसे दी, पता नहीं।

कार्यों की घटिया गुणवत्ता के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी घटिया काम हुआ और कोई भी शिकायत किसी भी माननीय सदस्य ने या जनता द्वारा मुझे प्राप्त हुई, तो उस पर जांच करवाई गई। और भी, आगे भी आप इस तरह की कोई बात मेरी जानकारी में लाएंगे, घटिया निर्माण के बारे में, तो घटिया निर्माण करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का घटिया निर्माण से सम्बन्धित मामला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) सज़ा दी भी क्या किसी को अभी तक? किसी एक दो को अब तक सज़ा की भी क्या आपने?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, दी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह बताओ।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): वह बताता हूं। पिछले वर्षों में निर्मित नये बांधों यथा गरड़दा, गुलेंडी, सांकलखेड़ा, भीमनी आदि में घटिया निर्माण के मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये। गरड़दा बांध तो पहली वर्षा में ही बह गया। इससे पूर्व भी पिछले वर्षों में दो बार समर सरोवर और धारिया टूट गये थे लेकिन, आप कह रहे हो तो बता रहा हूं, पूर्व सरकार द्वारा दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसका परिणाम, अन्य बांधों में भी गुणवत्ता पर प्रभाव रहा। हमारी सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया। गरड़दा बांध के निर्माण से सम्बन्धित अधिकारियों में से पांच को निलम्बित किया है, 26 को आरोप पत्र दिये जा रहे हैं और जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपी गयी है। और बोलो, क्या चाहते हो? और कोई बात हो तो बताओ? विभाग में ...(व्यवधान) और क्या कर सकते थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) बचा हुआ काम, वह भी कर लेंगे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): विभाग में नया गुणवत्ता मैन्युअल तैयार कर लागू कर दिया है। सूकली सेलवाड़ा परियोजना व समर सरोवर बांध

(श्री हेमाराम चौधरी)

के घटिया निर्माण कार्यों की जांच भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपी गयी है। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी। गुणवत्ता नियंत्रण इकाई के अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि दोषी अधिकारियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा।

पानी की बहुत कमी है। कम पानी होते हुए किस प्रकार से हम कैसे ज्यादा उत्पादन ले सकें, इसके लिए फव्वारा पद्धति और ड्रिप इर्रिगेशन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए पहली बार नर्मदा नहर पर जितनी भी सिंचाई होगी, वह केवल फव्वारा पद्धति से होगी। और भी दूसरी जो नहरें हैं, उन पर भी हम विचार करेंगे कि फव्वारा से अगर सिंचाई को अपनाया जाए तो पानी की बचत हो सकती है। अभी कृषि मंत्रीजी इजराइल जाकर आये हैं। इन्होंने हमें इजराइल की अपनी यात्रा के बारे में बताया। वहां पर जो खेती हो रही है, उसमें जो पानी फसलों के लिए दे रहे हैं और पौधे को चाहिए और पौधे के बाद में जो पानी है, उसके नीचे प्लेट लगाते हैं प्लास्टिक की, इससे वह पानी बाद में जो स्टोरेज बनाते हैं उसमें आ जाता है। मतलब उसको रिसाइक्लिंग करके दुबारा काम में लेते हैं। तो किस प्रकार से वे पानी का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से वे पानी की बचत करके काम में ले रहे हैं, तो इस प्रकार ये काम में लें।

समय की कमी है, इसलिए मैं आप चाहें अन्तरराज्यीय जल विवाद... (व्यवधान) इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये, उन सुझावों पर विचार किया जाएगा। और यह बात भी कि आजादी के, कई माननीय सदस्यों ने कई बार आजादी शब्द लिया, आजादी से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए यह तो कम से कम उचित नहीं है। यह इसलिए उचित नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि छप्पन्या अकाल पड़ा राजस्थान में, उस समय लोगों ने, ये छोटूसिंह जी भाटी को पता है, खेजड़ी के छोडे खाकर के लोगों ने अपनी जिन्दगी बचाई।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, छोटूसिंहजी भाटी छप्पन के अकाल में कितने वर्ष के थे?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हम पड़ोसी हैं, इसलिए बाकी को पता हो कि नहीं हो, इनको और मेरे को पता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) मेरा बच्चा हो गया, उसकी शादी हो गई, पोता हो गया, आपके भी पोते-पोती हो गये; साठ साल में तो बहुत काम हो गये। क्या बात कर रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, तो अगर प्रयास नहीं किया होता सरकार ने, सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया होता तो अकाल तो अभी भी पड़ते हैं। अकालों के समय में...

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): ...(व्यवधान) रात का ध्यान करें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप विराजो। अभी भी अकाल पड़ते हैं लगातार, अभी अकाल पड़े हैं लेकिन अकालों के बावजूद अनाज की कोई कमी नहीं है। तो फिर ये किस वजह से? सम्वत् 2026 में अकाल पड़ा था, छप्पन की तो बहुत पुरानी बात है, 2026 के अकाल की बात मुझे सब पूरी ध्यान है, सम्वत् 2026 में देश में अनाज था नहीं कमी पड़ गई थी। अकाल पड़ गया था। अमेरिका से ज्वार मंगवाई गई थी, वह मंगवाई थी और हमारे वहां के लोगों ने खाई थी तो लोगों को रतौंधी हो गया था, रात को दिखता नहीं था क्योंकि वह तो जानवरों के खाने की थी, आदमी तो खाता ही नहीं। उसके बाद में किसी ने नहीं खाई। आज अनाज के भण्डार भरे पड़े हैं, अनाज की कोई कमी नहीं है। सम्वत् 2026 से लेकर अब तक जनसंख्या कितनी बढ़ गई होगी, आप अंदाज लगाओ। इतनी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद आज अगर अनाज की कोई कमी नहीं है, दलहन की कोई कमी नहीं है, तिलहन की कोई कमी नहीं है, सब्जियों की कोई कमी नहीं है, फ्रूट्स की कोई कमी नहीं है तो फिर ये अगर सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दिया होता तो आज क्या स्थिति होती? इसलिए हुआ। तो है काम। ऐसी बात तो नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। हिमालय का पानी बाड़मेर पहुंच जाए जैसलमेर पहुंच जाए, पहुंचा है, तो यह प्रयास से पहुंचा है, अपने आप तो नहीं पहुंचा। कई माननीय सदस्य कह देते हैं, जो काम हो गया, वे उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहते। जिक्र करते हैं तो आपकी तरफ से आवाज आती है, यह प्रशंसा की बात। प्रशंसा की क्या बात है? जो काम अगर करेगा तो कम से कम उसको शाबाशी तो मिलेगी ही। कई बार मैं भी कई लोगों के बीच में जाता हूं, कई बार कोई काम नहीं होता, बाकी जो काम है वह उसी की बात करता है, जो

(श्री हेमाराम चौधरी)

काम हो गया वह उसकी बात नहीं करता है। तो मैं कई बार उसको कहता हूं कि यह काम तो हुआ नहीं, यह काम तो हुआ। तो एकाध ने ऐसे भी कहा कि यह तो आटोमेटिक हो गया। जो काम हो गया वह तो आटोमेटिक और नहीं हुआ वह हमने नहीं किया, उसके लिए हम दोषी। तो काम हुआ है, ऐसी बात तो नहीं है।

मेरे पास एक व्यक्ति का एक दिन फोन आया, बी पी एल चयनित व्यक्ति, उसने मेरे को फोन किया कि साहब, मेरे यहां बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा कि बाड़मेर जिले को 200 करोड़ रुपये मिले, अपन ढाणियों में अलग- अलग बैठे हैं, कई पोल लगाने पड़ते है एक कनेक्शन के लिए और कितनी तार लगानी पड़ती है, 5-7 घरों के बीच में एक ट्रांसफार्मर में चार-पांच कनेक्शन हो पाते हैं मुश्किल से, इसलिए 200 करोड़ रुपये खर्च हो गए 50-60 परसेंट कनेक्शन हुए और 40 परसेंट फिर भी रह गये, दुबारा फिर दूसरी योजना बना देंगे, अगली टाइम आपको देंगे। अगली टाइम कब, वह नाराज होने लगा। मैंने उससे पूछा कि आपको दो रुपये किलो वाले गेहूं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, तो बोला कि हां, साहब, वह तो मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपको राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत बी पी एल चयनित वालों को हमारे वहां पीने के पानी के लिए टांका बनवा रहे हैं, उसके लिए एक लाख रुपये थे अब डेढ लाख कर दिया, मैंने कहा कि आपके पीने के पानी के लिए एक लाख रुपये की स्वीकृति हो गई, वह मिला कि नहीं मिला; तो बोला कि हां, वह तो हो गया। तो फिर मैंने कहा कि आपको इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास इसका कोई मकान हुआ कि नहीं; तो कहा, वह तो हो गया लेकिन यह नहीं हुआ। अरे, तो, भई, इतना हो गया और एक नहीं हुआ तो फिर आगे करेंगे। यह थोड़े ही कि आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल ही नहीं...

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जाति से ढोली था? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आप जो बात कह रहे हो, वह भी एक बात बता दूं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): जाति से ढोली हो तो संतुष्ट नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): धौलपुर में आप इर्रिगेशन का बता दीजिए, मंत्रीजी, आप क्या करने जा रहे हो उसमें?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): बिजली का कनेक्शन अगर 60 परसेंट का हो गया और 40 परसेंट का नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि आज के बाद में बिजली के कनेक्शन बंद हो गए, अब आगे भविष्य में कोई कनेक्शन होगा ही नहीं; होगा, आज नहीं अगली साल होगा, अगली साल नहीं, और अगली साल होगा। कुछ काम हुआ, उसका कुछ तो संतोष करना चाहिए, पर आज आदमी को संतोष नहीं है। आज आदमी पहले से कितना खुशहाल है, लोगों के लिए पहले खाने को नहीं था; ये पीने के पानी की बात करते हैं, लोग पहले किस प्रकार से पानी काम में लेते थे, पुराने समय में, आज पानी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं वह अलग बात है, फिर भी संतोष नहीं है। संतोष हो तो, मैं समझता हूं सब कुछ ठीक हो सकता है। पहले अनाज की कमी की आप बात कर रहे हैं, शास्त्रीजी ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अकाल वाला सब्जेक्ट तो ओला साहब का है, आप कहां पड़ गए बीच में।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): आज अनाज की कमी नहीं है। गेस्ट कंट्रोल आर्डर लागू किया शास्त्रीजी ने, सप्ताह में एक दिन उपहास वाला क्यों किया, क्योंकि अनाज नहीं था। आज यह अनाज की कमी नहीं है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान दिया, तब जाकर यह हुआ।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सिंचाई का बजट घट रहा है, उसको बढ़ाइये, यह एक निवेदन है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कोई सिंचाई का बजट घट नहीं रहा है। सिंचाई का पहले से बढ़ा है और आगे आने वाले टाइम में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे कि सिंचाई के लिए ज्यादा बजट दिया जाए। पहले भी दिया है और आगे भी देंगे क्योंकि सिंचाई सबसे जरूरी है। आज आदमी के लिए सबसे पहले पीने के लिए पानी चाहिये। पेयजल और सिंचाई, पहले प्राथमिकता पेयजल है, दूसरी सिंचाई है। सिंचाई नहीं होगी तो अनाज भी नहीं होगा, पानी के बाद में खाने-पीने के लिए भी चाहिए।

इसलिए कहने को बहुत है, आप कहो तो मैं कुछ माननीय सदस्यों के जवाब दूं? जरूरत नहीं हो तो जरूरत नहीं है।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): घोषणा तो करिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): घोषणा क्या, घोषणा तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में जो कर दीं, उन घोषणाओं की पूरी क्रियान्विति करेंगे, उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी सबकी क्रियान्विति हो जाए।

धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मांग संख्या 46 पारित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री बृजेन्द्र सिंहजी ओला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सिंचाई विभाग के कटौती प्रस्ताव आए, उनमें ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के भी कटौती प्रस्ताव सम्मिलित थे। वे लगभग 25 कटौती प्रस्ताव थे, सबके जवाब माननीय सदस्यों को 24 घण्टे में भिजवा दिए जाएंगे।

5 माननीय सदस्यों ने इंदिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में कहा और उसमें तीन बातें उभर कर आईं। एक तो जो हमारा फीडर है पंजाब में, उसकी मरम्मत की बात; एक जो नहर में प्रदूषित पानी आ रहा है, उसकी बात; एक सिल्ट की बात। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रदूषण की बात उठाई, मरम्मत की बात भी उठाई, पर बंधी भी नहीं देना चाहते, तो हमारे गुरु तो आप ही रहे हैं, आपको ही बता दें ऐसी बात। तो मरम्मत का जहां तक सवाल है, राज्य सरकार और विशेषकर मुख्य मंत्रीजी के अथक प्रयासों से भारत सरकार से 952 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई। पंजाब सरकार को हमने समय रहते 90 दिन की सहमति का भी भिजवा दिया पर पंजाब सरकार ने उसके लिए टेंडर आमंत्रित नहीं किए; 100 करोड़ रुपये भी पंजाब सरकार को दे दिये थे लेकिन टेंडर आमंत्रित नहीं किए। आदरणीय राधेश्यामजी बिराजे हुए नहीं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता और आपके माध्यम से विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि पंजाब में हम तो निरन्तर, जरूरत होगी तो मुख्य मंत्रीजी से हमारे मुख्य मंत्रीजी बात करेंगे।

श्री पेमाराम (धोद): पंजाब सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए... (व्यवधान) सारा का सारा सदन चलेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना): वह तो आपको सौंप रखा है, माननीय सदस्य।

उनसे भी बात करेंगे; भारत सरकार के भी निरन्तर सम्पर्क में हैं; आप लोगों से भी हम सहयोग मांगते हैं कि आप भी उसमें हमारा सहयोग करें और यह काम शुरू हो सके। हमको बड़ी मुश्किल से बजट मिला है और यह बहुत, हमारे सारे राजस्थान के हित की बात है। इस नहर से न केवल सिंचाई के लिए पानी मिलता है बल्कि उद्योगों को पानी दिया जाता है, ऊर्जा के पावर हाउसेज हैं उनको पानी दिया जाता है और बहुत बड़ी जनसंख्या पश्चिमी राजस्थान की, अभी माननीय जलदाय मंत्रीजी कह रहे थे कि सरफेस वाटर पर हमको आना पड़ेगा, तो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है उस पर बहुत सारा निर्भर है और नहर की अगर मरम्मत हो जाती है तो हम ज्यादा पानी ले सकते हैं और जो पानी का वेस्टेज हो रहा है, उसकी भी बचत कर सकते हैं।

प्रदूषण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से जो माननीय सदस्यों की चिंता है, उसमें मैं भी आपके साथ हूं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने प्रयत्न किए हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने 12.6.2007 को पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश सिंहजी बादल को चिट्ठी लिखी, सारी उसमें बात लिखी, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद माननीय वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने 11.9.2010 को भारत के तत्कालीन पर्यावरण मंत्री, जयरामजी रमेश को चिट्ठी लिखी, उसमें सारी बातें बतायीं कि किस तरह से पंजाब की फैक्टरियों का प्रदूषण उसमें डाला जाता है, किस तरह से सिवरेज के नाले उसमें डाले जाते हैं और हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या उस पानी को पीती है। उन्होंने भी प्रयत्न किया। हम पंजाब पोल्यूशन बोर्ड के पास भी गए, सैंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के पास भी गए, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने इसका निरीक्षण भी करवाया है और अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी इसकी मानिटरिंग कर रहा है। हमने प्रदूषण बोर्ड में भी एप्लिकेशन डाली है और हम निरन्तर इसमें प्रयासरत हैं। 20-25 साल से यह समस्या है, बहुत गम्भीर समस्या बनी हुई है। राज्य सरकार इसमें जो भी प्रयत्न कर सकती है, वह निश्चित रूप से कर रही है।

सिल्टिंग के बारे में बात आयी। 2007-08 में 40 मशीनें खरीदी गयीं, वे यूज में नहीं आ रही थीं। हमने तीनों चीफ इंजीनियर्स को वे दे दी हैं और हमारी जो मुख्य नहर है, उसकी 412 किलोमीटर की सफाई हो गई है, सिर्फ

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

33 किलोमीटर की सफाई और करनी है। हम वह शीघ्र ही कर लेंगे। उसके बाद इन्दिरा गांधी नहर की ब्रांचेज हैं, उन पर इन मशीनों को लगाएंगे और मैं हाउस को विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्दी से जल्दी सारी जो ब्रांचेज हैं उनकी भी डिसिल्टिंग करने की कोशिश करेंगे।

परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक लाइन प्रदूषण के बारे में बोली थी, वह मैंने बता दी।

तो पांच माननीय सदस्यों ने यह बात कही। हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फीडर की मरम्मत पर जोर दिया। फीडर की मरम्मत होनी बहुत जरूरी है, वह बात भी मैंने कह दी। हमारे सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रदूषण वाली बात पर कहा, उसका भी मैंने जवाब दे दिया है। और किसी सदस्य का इस बारे में कोई जवाब होगा तो मैं निश्चित रूप से उस पर भी जवाब दूंगा। इसलिये धन्यवाद। जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भिण्डाजी, माननीय भिण्डाजी, कृपया।

मांग संख्या 27 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27–पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,86,62,61,000/- (तीस अरब छियासी करोड़ बासठ लाख इकसठ हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46–सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,33,28,90,000/- (तेइस अरब तैंतीस करोड़ अट्ठाइस लाख नब्बे हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.53 बजे गुरुवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सीकर जिले में सर्व शिक्षा अभियानान्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य

277. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में सर्व शिक्षा अभियान में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला एवं चारदीवारी निर्माण हेतु इस वर्ष कितनी स्वीकृतियां जारी की गई हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति के मानदण्ड निर्धारित हैं?

(3) सर्व शिक्षा अभियान में क्या-क्या प्रोग्राम हैं तथा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

उत्तर

(1) जिला सीकर में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा कक्ष निर्माण की जारी की गई स्वीकृतियां का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न हैं। माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला व चारदीवारी निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(2) कक्षा 1 से 8वीं तक पढने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे माध्यमिक विद्यालय, जिनमें कक्षा 6 से 8 संचालित हैं, में भवन निर्माण हेतु आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत निम्न मान एवं मानक निर्धारित हैं :-

(i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भण्डार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष;

(ii) बाधामुक्त पहुंच ;

(iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय;

(iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल

(v) रसोई, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए;

(vi) खेल का मैदान

(vii) सीमा दीवाल या बाडे द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं।

(शिक्षा मंत्री)

आर.टी.ई. एक्ट के मापदण्डानुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों एवं चारदीवारी का निर्माण कराया जाता हैं।

(3) सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम एवं मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट -"ख" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बिलाड़ा उप कारागृह का पुनर्संचालन

278. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कारागृहों में मोबाइल, हैण्डसेट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाओं में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2011 तक राज्य की किस-किस जेल का कब-कब किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया एवं क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई तथा कैदियों से क्या-क्या आपत्तिजनक वस्तुयें कितनी-कितनी मात्रा में बरामद की गई? जिलेवार एवं जेलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में गत तीन वर्षों में कैदियों से अनेक बार आपत्तिजनक सामग्री बरामदगी हुई है? यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्रीय कारागृह कुख्यात आतंककारियों को रखने की दृष्टि से सुरक्षित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बिलाड़ा उप कारागृह गत तीन वर्षों से बंद है? क्या सरकार इसे पुन: शुरू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश की कारागृहों में मोबाइल हैण्डसेट, सिम व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटनाओं में वर्ष 2009 की अपेक्षा 2010 में वृद्धि नगण्य हुई है एवं 2011 में कमी हुई है, जिनका विवरण निम्नभांति है :-

क्र.स.	वर्ष	आपत्तिजनक सामग्री मिलने की घटना
1	2009	313
2	2010	315
3	2011	249

(कारागार राज्य मंत्री)

(2) दिसम्बर 2008 से दिसम्बर, 2011 तक राज्य की कारागृहों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण एवं उसमें पाई अनियमितताओं का जिलेवार एवं जेलवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

उक्त अवधि में कैदियों के पास निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण/रात्रि गश्ती में कैदियों के पास बरामद हुई आपत्तिजनक वस्तुओं का जिलेवार एवं जेलवार विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर मे गत तीन वर्षों में कैदियों से आपत्तिजनक सामग्री अवश्य बरामद हुई है, किन्तु केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर कुख्यात आतंककारियों को रखने के लिहाज से सुरक्षित है, क्योंकि आतंकी कैदियों को अन्य बंदियों से पृथक रखा जाता है। आतंकी बंदियों के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद नहीं हुई है तथा इनकी पेशी विशिष्ट न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी) जोधपुर के द्वारा जेल मे स्थापित न्यायालय में करवाई जाती है। केन्द्रीय कारागृह जोधपुर पर गत तीन वर्षों में कैदियों से बरामद आपत्तिजनक सामग्री का विवरण परिशिष्ट-सी पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। उप कारागृह बिलाड़ा मरम्मत कार्यों हेतु दिनांक 09.03.08 से बंद है जिसमें महिला बैरक व कौठरियों आदि के मरम्मत का कार्य शेष है, जिसके पूर्ण होते ही जेल को प्रारम्भ किया जाना संभव होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

279. श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विधवा/वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन तथा आस्था/पालनहार योजना के अन्तर्गत पेंशन दिये जाने के क्या मानदण्ड हैं? निर्धारित मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं का गरीब वर्गों को और ज्यादा लाभ दिलाने हेतु क्या सरकार उक्त नियमों में शिथिलता/संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) जिला नागौर में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008 से जनवरी, 2012 तक कितने लोगों को कौन-कौनसी पेंशन का लाभ दिया गया? वर्गवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य वृद्धावस्था, विधवा पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम, 1965 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य विकलांग पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत एवं 40 से 59 वर्ष आयु की विधवाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत तथा 18 से 59 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जो बहु नि:शक्तता या गुरूतर नि:शक्तता से ग्रसित हैं, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है। आदेशों की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-3, 4 व 5 पर संलग्न है।

आस्था /पालनहार के नाम से कोई पेंशन योजना संचालित नहीं है।

(2) निराश्रित एवं निर्धन वर्ग के लोगों को पेंशन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिये जाने हेतु समय-समय पर पेंशन नियमों में शिथिलता/संशोधन किए जाते रहे हैं। भविष्य में भी उचित प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

(3) जिला नागौर में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008 से जनवरी, 2012 तक लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले की कृषि उपज मण्डियों को प्राप्त राजस्व

280. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2007 से 2011 तक मण्डी समितियों में रबी व खरीफ की कौन-कौनसी फसल आई व उन फसलों से मण्डी समिति को कितना शुल्क प्राप्त हुआ? मण्डीवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला श्रीगंगानगर में वर्ष 2007 से 2011 तक मण्डी समितियों में रबी व खरीफ की फसलों से प्राप्त मण्डी शुल्क की सूचना वर्षवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों हेतु निःशुल्क रसोई गैस सुविधा

281. श्री शंकर सिंह (ब्यावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क अथवा रियायती दर से रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में गत दो वर्षों में कितने बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिये गये? भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के गामीण क्षेत्र के लोगों के लिए रसोई गैस कनेक्शन नहीं देने के राज्य सरकार के आदेश हैं? यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में ब्यावर की गैस ऐजेसिंयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोगों को गैस कनेक्शन दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ब्यावर की गैस ऐजेंसियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में गैस कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं? क्या सरकार ऐसी गैस ऐजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण गैस वितरक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले बीपीएल परिवारों को निःशुल्क/रियायती दर से रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना लागू की गई है। ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में इस योजना की एजेन्सी नहीं है, इसलिए गत दो वर्षों में ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में किसी भी बीपीएल परिवार को उक्त योजना के तहत नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तेल विपणन कम्पनियों की मॉर्केटिंग गाइडलाइन के अनुसार विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में निम्नानुसार गैस एजेन्सियों द्वारा गैस कनेक्शन दिए गए हैं:-

1. मै. ब्यावर गैस सर्विस, ब्यावर-544 ग्रामीण गैस कनेक्शन
2. मै. डांगी गैस सर्विस, ब्यावर- 852 ग्रामीण गैस कनेक्शन
3. मै. गोयल गैस सर्विस, ब्यावर-शहरी क्षेत्र के लिए अधिकृत

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। ब्यावर की गैस एजेन्सियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तेल विपणन कम्पनियों की मॉर्केटिंग गाइडलाइन के अनुसार गैस कनेक्शन दिए जाते हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

निगम बस सेवाओं में आन लाइन बुकिंग प्रक्रिया

282. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बस टिकटों के आनलाइन आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रोग्रामिंग एवं अन्य सुविधाओं का अनुबंध कितनी राशि में किसे दिया गया?

(2) उक्त अनुबंध देने से पूर्व निविदा सूचना का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया गया एवं अनुबंधकर्ता का चयन किस प्रकार किया गया?

(3) उक्त अनुबंध की मुख्य शर्तें क्या है और अनुबंधकर्ता निगम को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा?

(4) कुल आरक्षित टिकटों में आनलाइन आरक्षण एवं निगम की आरक्षण खिड़की से आरक्षण का अनुपात क्या है और कुल कितने व्यक्ति आनलाइन आरक्षण का लाभ प्रतिदिन उठा रहे हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में बस टिकटों के आनलाइन आरक्षण व्यवस्था हेतु प्रोग्रामिंग एवं अन्य सुविधाओं का अनुबंध BOOT(Build, Own, Operate & Transfer) के आधार पर मैसर्स ट्राइमैक्सल आई.टी.इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विस लिमिटेड, मुम्बई को दिया गया है, इस बाबत किसी प्रकार की राशि न दी जाकर अनुबंध की अवधि में आनलाइन टिकट विक्रय पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रति टिकट रुपये 0.1488 की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) उक्त अनुबंधकर्ता का चयन करने से पूर्व खुली निविदा सूचना का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर तथा निगम की वेबसाइट पर निविदा सूचना का पूर्ण विवरण अपलोड करके किया गया जिसके परिणामस्वरूप चार फर्मों द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गई। उनमें से

(परिवहन राज्य मंत्री)

तीन फर्मे तकनीकि रूप से निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाई गई। इन तीन फर्मों की वित्तीय निविदाएं खोले जाने पर जिस फर्म द्वारा निगम से प्रति टिकिट विक्रय पर न्यूनतम दर लिये जाने का प्रस्ताव दिया गया उसका चयन किया गया।

(3) उक्त अनुबंध की मुख्य शर्तों और अनुबंधकर्ता द्वारा निगम को उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(4) यात्री टिकिटों का आरक्षण निगम के आरक्षण विण्डो एवं इन्टरनेट आनलाइन के द्वारा एक ही डाटा सेन्टर से किया जाता है। कुल आरक्षित टिकिटों में इन्टरनेट आन लाइन आरक्षण एवं निगम की आरक्षण खिड़की से आरक्षण का अनुपात 1:9 है और लगभग 340 व्यक्ति इन्टरनेट आनलाइन आरक्षण का लाभ प्रतिदिन उठा रहे हैं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा मन्दिर मण्डल कर्मचारियों को बीमा सुविधा

283. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधान मंदिर मंडल के कर्मचारियों एवं सेवा वालों पर लागू होते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नाथद्वारा मंदिर मंडल द्वारा सेवा वालों नामेदारों/नामोवालों आदि को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, चिकित्सा बीमा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं और अब उक्त सुविधाएं मंदिर मंडल द्वारा कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नाथद्वारा मन्दिर मण्डल द्वारा सेवा वालों नामेदारों/नामावालों आदि को उन्हें दिये जाने वाले प्रसाद व अन्य के सम्बन्ध में पासबुक/डायरी आदि उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं? अब मंदिर मंडल द्वारा पासबुक/डायरी आदि की सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रावधान मंदिर मण्डल के कर्मचारी एवं सेवा वालों पर लागू नहीं होते हैं।

(देवस्थान मंत्री)

(2) नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा सेवा वालों, नामेदारों/नामेवालों आदि को जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

नाथद्वारा मंदिर मण्डल की बैठक दिनांक 25.11.2011 के द्वारा सेवा वालों, नामेदारों/नामे वालों के लिये दुर्घटना बीमा/चिकित्सा बीमा का प्रावधान किया गया है तथा इसकी क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट-1)

(3) नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा सेवावालों, नामेदारो/ नामेवालों आदि को दिये जाने वाले प्रसाद व अन्य के सम्बन्ध में पासबुक्स/डायरी आदि उपलब्ध कराये जाने का नाथद्वारा टेम्प्ल रूल्स, 1973 में कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कारागृहों से आपराधिक गतिविधियों के संचालन में संलिप्त कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

284. श्री ओम बिरला (कोटा-दक्षिण) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में जेलों के अन्दर कैदियों से अवैध रूप से मोबाइल एवं अन्य सामग्रियां पाई जाने के कितने प्रकरण सामने आये हैं एवं किस-किस जेल से क्या-क्या आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य की जेलों से आपराधिक कृत्य करने की घटनायें उजागर हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस जेल से किस-किस कैदी के द्वारा कब-कब एवं सरकार द्वारा उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में किस-किस अधिकारी से जांच कराई गई तथा जांच में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की लिप्तता पाई गई एवं उनके विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जेलों से आपराधिक घटनायें होने की पुख्ता रोकथाम के कोई ठोस उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की विभिन्न कारागृहों में निरीक्षण/तलाशी में गत तीन वर्षों (2009, 2010 एवं 2011) की अवधि में कैदियों के पास अवैध रूप से मोबाइल एवं अन्य सामग्रियां पाई जाने के 396 प्रकरण सामने आये, जिसमें पाई गई आपत्तिजनक सामग्रियों का जेलवार पूर्ण विवरण परिशिष्ट-ए पर उपलब्ध है।

(कारागार राज्य मंत्री)

(2) जी हां। राज्य की कारागृहों में आपराधिक कृत्य किये जाने की घटनायें उजागर हुई हैं। गत तीन वर्षो (2009, 2010 एवं 2011) कारागृहों में हुई आपराधिक कृत्य की घटनाओं का कैदियों के नाम, तिथि एवं कैदियों के विरूद्व की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-बी पर उपलब्ध है तथा उक्त प्रकरणों में जेल अधिकारियों/कर्मचारियों की लिप्तता पाई जाने में दोषी पाये गये कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-सी पर उपलब्ध है।

(3) जेलों मे आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु एवं कैदियों के पास मोबाइल व आपत्तिजनक सामग्री न पहुंच पाये इस बाबत समय-समय पर परिपत्र जारी कर अधिकारियों/कर्मचारियों को राजस्थान कारागार नियमों के अन्तर्गत कार्य करने व ड्यूटी पर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कारागृहों पर सुरक्षा एवं तकनीकी उपकरण यथा 8 केन्द्रीय कारागृहों पर 8 डोर मैटल डिटेक्टर एवं समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर 40 हैण्ड होल्ड मैटल डिटेक्टर उपलब्ध कराये गये है।

केन्द्रीय कारागृहों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने के लिये क्लोज सर्किट टी.वी., बैगेज स्केनर एवं उच्च तकनीक के सैल्यूलर जैमर स्थापित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य की जेलों की स्थिति में सुधार हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी प्रतिवेदन में राज्य की कारागृहों में विभाग को सुरक्षा के आधुनिकतम संसाधन यथा सुलभ कराये जाने की भी अनुशंसा की है, जिसके क्रियान्वयन के पश्चात् कारागृहों में व्याप्त आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण करने में सुविधा होगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आरक्षित वर्ग हेतु विभागानुसार बजट आवंटन

285. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) व श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए बजट में अलग राशि का प्रावधान किया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त वर्गों के लिए विभागानुसार बजट राशि अलग-अलग रखी जा रही है? यदि हां, तो वर्ष 2011-12

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

के लिए किस-किस विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया व उसमें से कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1979 से अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए बजट में अलग राशि का प्रावधान किया जा रहा है। वर्षवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त वर्गों के लिए विभागवार अलग से राशि रखी जा रही है। वर्ष 2011-12 के लिए विभागवार प्रावधान एवं व्यय की गई राशि परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आबूरोड (सिरोही) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत कार्य

286. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2009 से 2011 तक कृषि उपज मंडी आबूरोड में भिन्न-भिन्न मदों में कितनी आय हुई एवं भिन्न-भिन्न मद में इस आय का कितना हिस्सा किस कार्य के पेटे व्यय किया गया? वर्षवार आय व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मंडी द्वारा अपनी आय से कृषि मंडी भवन व मंडी के अन्य निर्माण कार्यों तथा सम्बन्धित कृषि क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत, नवनिर्माण के पेटे कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यय पूर्व निर्धारित अनुपात के अनुसार न किया जाकर एक मद के लिए निर्धारित बजट को अन्य मद में व्यय कर दिया गया? यदि हां, तो कितना एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में कृषि मंडी के मार्फत कराये गये विभिन्न निर्माण, विकास कार्यों में गुणवत्ता का कतई ध्यान नहीं रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार बिन्दु संख्या 3 व 4 के तथ्यों की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति आबूरोड की वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में मदवार आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) कृषि मण्डी भवन व मंडी के अन्य निर्माण कार्यों तथा सड़कों की मरम्मत एवं नवनिर्माण पर हुए व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित विवरणानुसार है।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं। मण्डी समिति द्वारा बोर्ड से कराये गये कार्यों का निर्माण गुणवता के अनुसार ही सम्पादित करवाया गया है।

(5) उत्तर बिन्दु संख्या 3 व 4 में निहित है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना के किसानों हेतु क्रेडिट कार्ड सुविधा

287. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के तहत डेगाना तहसील के ग्राम गुणसली (किरोदा) के शिविर में कितने आवेदकों के मौके पर ही सहकारी किसान कार्ड बनाये जाकर चैकबुक जारी की गई? आवेदकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आवेदक श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री मंगसिंह को किसान कार्ड जारी करने, चैक बुक एवं पास बुक जारी करने के बावजूद अभी तक उनके खाते में राशि का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सहकारी किसान कार्ड बनाने के बाद अब तक भुगतान नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा सरकार अब कब तक आवेदक किसान के खाते में राशि जमा कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के तहत डेगाना तहसील के ग्राम गुणसली (किरोदा) के दिनांक 01.12.10 के शिविर में नियमानुसार आठ आवेदकों के मौके पर ही सहकारी किसान कार्ड बनाये जाकर चैक बुक जारी की गई ।

(सहकारिता मंत्री)

क्र. सं.	नाम आवेदक	जाति	ग्राम
1	श्री रेखाराम पुत्र श्री	जाट	गुणसली
2	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री	जाट	गुणसली
3	श्री जसवन्त पुत्र श्री मंग	राजपूत	गुणसली
4	श्री मोहनराम पुत्र श्री	जाट	गुणसली
5	श्री भंवर सिंह पुत्र श्री रेवत	राजपूत	गुणसली
6	श्री आईदान पुत्र श्री	जाट	गुणसली
7	श्री मांगूराम पुत्र श्री	जाट	गुणसली
8	श्री जीवणराम पुत्र श्री परसाराम	जाट	गुणसली

(2) श्री जसवन्त सिंह पुत्र श्री मंगसिंह द्वारा फसल बीमा प्रीमीयम राशि का भुगतान करना स्वीकार नहीं करने के कारण स्वयं द्वारा ऋण प्राप्त नहीं किया गया।

(3) यदि सदस्य द्वारा ऋण की मांग की जाती है तो नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

खण्डेला में नियम विरुद्ध खनन लीज

288. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम चौकड़ी में बसावट से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर पत्थरों का खनन कार्य हो रहा है? यदि हां, तो उक्त खनन की इजाजत किस अधिकारी द्वारा कब जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पत्थर की चट्टानों में खनन विस्फोट करके किया जाता है? क्या उक्त विस्फोट प्रक्रिया से ग्राम के मकानों की पट्टियां टूटने एवं दीवारों में दरारे पड़ने की आंशका रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(3) वर्तमान में खनन की अनुमति देने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कितने मीटर की दूरी पर आवासीय बस्ती नहीं होनी चाहिये? क्या उक्त अनुमति देने में नियमों/मानदण्डों की पालना की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अनुमति को निरस्त कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम चौकड़ी में बसावट से 100-150 मीटर की दूरी पर 4 खनन पट्टों, जिनमें 3 खनन पट्टे खनिज चेजा पत्थर के लिए एवं एक खनन पट्टा खनिज केलसाइट हेतु स्वीकृत किया हुआ है, में खनन कार्य हो रहा है। खनिज चेजा पत्थर के 3 खनन पट्टों को जारी करने की इजाजत खनि अभियंता, सीकर द्वारा क्रमशः दिनांक 28.12.2006, 28.12.2006 व 12.07.2010 से 20 वर्ष के लिए दी गई एवं खनिज केलसाइट के खनन पट्टे की स्वीकृति निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2008 से 30 वर्ष के लिए जारी की गई।

(2) पत्थर की चट्टानों में खनन कार्य मेन्यूअल तरीके से, एक्सकवेटर की मदद से तथा विस्फोट करके किया जाता है। यदि पट्टेधारी द्वारा विस्फोट प्रक्रिया भारत सरकार के खान सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनुमति व शर्तों के तहत की जाती है तो मकानों की पट्टियां टूटने एवं दीवारों में दरारें पड़ने की आशंका नहीं रहती है। पट्टेधारी द्वारा नियम विरुद्ध ब्लास्टिंग करना पाया जाता है तो खान सुरक्षा विभाग द्वारा ब्लास्टिंग अनुमति निरस्त कर पट्टेधारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है एवं इस विभाग द्वारा पट्टेधारी के खनन पट्टे को खण्डित करने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है ।

(3) खनन पट्टों की संविदा के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खनन कार्य किए जा रहे स्थान से आवासीय बस्ती की न्यूनतम दूरी खनिज चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) हेतु 45 मीटर तथा केलसाइट (प्रधान खनिज) हेतु 50 मीटर होनी चाहिए। उक्त पट्टेधारियों द्वारा इन मानदण्डों की पालना की जा रही है।

(4) खनन पट्टा नियमानुसार आबंटित किया गया है। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

किशनगढ़ बास में संचालित निगम बस सेवा

289. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला मुख्यालय अलवर से तहसील मुख्यालय, कोटकासिम तक व खैरथल से हरसौलीख बीबीरानी, कोटकासिम रूट पर राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा यातायात सुविधा हेतु कितनी बसों का व किस-किस समय का आवागमन निर्धारित किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त बसें उक्त मार्गों पर यातायात के लिये पर्याप्त है? यदि नहीं, तो सरकार ओर कितनी अधिक बसों का संचालन करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों को राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा यातायात सुविधा हेतु जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय, अलवर से कोटकासिम एवं खैरथल से हरसोली, बीबीरानी, कोटकासिम मार्गों पर निगम द्वारा संचालित बसों की संख्या एवं निर्धारित समय सारिणी का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न हैं।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । बजट वर्ष 2011-12 की घोषणा के अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में निगम द्वारा पीपीपी माडल पर अपनी बस सेवाओं का विस्तार किया जाकर समस्त पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़ा जायेगा । इस घोषणा की क्रियान्विति में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों को भी बस सेवा से जोड़ा जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री डूंगरगढ़ के पंचायत मुख्यालयों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना

290. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील श्री डूंगरगढ़ में कितने बालिका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यामिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय किन-किन गांवों में कब से चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(2) क्या सरकार द्वारा ब्लाकवार बालिका माडर्न विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कब व विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कौन-कौनसी पंचायत में बालिका माडर्न विद्यालय खोले गये हैं?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका विद्यालयों के लिए जमीन अवाप्त कर ली गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी जमीन कहां-कहां अवाप्त की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका विद्यालयों से वंचित पंचायत मुख्यालयों पर विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री डूंगरगढ़ तहसील में 06 राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय तथा 17 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों की सूची तथा कब से संचालित है, का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 01 राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 02 बालिका माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	नाम विद्यालय	संचालित वर्ष
1.	राबाउमावि, श्रीडूंगरगढ़	1982
2.	राबामावि, मोमासर	1993
3.	राबामावि, दूलचासर	2002

(2) जी नहीं। ब्लाकवार कोई बालिका माडर्न विद्यालय स्वीकृत नहीं किये गये हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अतिरिक्त निम्नांकित दो योजना संचालित की जा रही हैं:-

1. माडल स्कूबल योजना
2. बालिका छात्रावास योजना

भारत सरकार द्वारा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक्स में माडल स्कूल योजना की घोषणा की गई हैं ना कि बालिका माडर्न विद्यालय की। माननीय

(शिक्षा मंत्री)

प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2007 को की गई घोषणा के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाक में 1 माडल स्कूल की स्थापना की जानी है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 186 ब्लॉक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े चिन्हित किये गये हैं। माडल स्कूल ब्लाक स्तर पर स्वीकृत किये गये हैं ना कि ग्राम पंचायत स्तर पर।

बीकानेर जिले का श्रीडूंगरगढ़ ब्लाक राज्य में चयनित शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बलाक्स में शामिल हैं तथा इस ब्लाक में रूपादेवी G.S.S. बालिका छात्रावास स्वीकृत हैं।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका विद्यालयों हेतु कोई जमीन अवाप्त नहीं की गई है। जिला बीकानेर के ब्लाक श्रीडूंगरगढ में मॉडल स्कूल हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर अनुमोदन हेतु लम्बित हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा नये राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई हैं। अत: निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत ही समग्र विचार कर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत गुणावगुण के आधार पर विद्यालय खोले/क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के नियमों में संशोधन

291. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के नियमों में संशोधन कर सख्ती करने एवं अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़े रखने के उद्देश्य से कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल) प्रदान की जाती है। इसको दृष्टिगत रखते हुये नियमों को वर्तमान में सख्त करने का कोई विचार नहीं है।

विधवा पुत्री को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि

292. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा संचालित सहयोग एवं विधवा पुत्री योजना अन्तर्गत कितनी संतान तक योजना का लाभ देय है? राज्य में गत वित्तीय वर्ष में उक्त योजनाओं में योजनावार कुल कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सहयोग योजना में योजना की लाभ राशि बालिका की शैक्षणिक योग्यता अनुरूप ही बढ़ती है, परन्तु विधवा पुत्री योजना में शैक्षणिक योग्यता के निरपेक्ष समस्त पात्रों को एक ही लाभ राशि दी जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधवा की बालिका संतानों के शैक्षणिक स्तर बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुत्री योजना में भी सहयोग योजना की तर्ज पर शैक्षणिक स्तर अनुरूप योजना राशि बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित सहयोग एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता योजनान्तर्गत अधिकतम दो संतान (कन्याओं) तक योजना का नियमानुसार लाभ देय है। प्रदेश में गत वित्तीय वर्ष (2010-11) में उक्त योजनाओं में योजनावार कुल लाभान्वित बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सहयोग योजना में योजना की लाभ राशि बालिका की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप ही बढ़ती है। सहयोग योजनान्तर्गत बीपीएल परिवार की अधिकतम किन्हीं दो कन्याओं को सहायता स्वरूप प्रति कन्या 10 हजार की राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। यदि कन्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसे प्रोत्साहन स्वरूप 5,000/- की अतिरिक्त राशि तथा स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। प्रावधान की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। यह सही है कि विधवा पुत्री योजना में शैक्षणिक योग्यता के निरपेक्ष समस्त पात्रों को एक ही लाभ राशि प्रति कन्या 10 हजार रुपये

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

प्रदान की जाती है जबकि राज्य सरकार द्वारा बीपीएल वर्ग के परिवारों में कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से ऐसे परिवारों की कन्याओं के विवाह के अवसर पर प्रोत्साहन स्वरूप राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है तत्सम्बन्धी अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

जी नहीं। विधवा की बालिका संतानों के शैक्षणिक स्तर बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुत्री योजना में भी सहयोग योजना की तर्ज पर शैक्षणिक स्तर के अनुरूप योजना राशि बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

293. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। लक्ष्मणगढ़ में स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति स्थापित करना आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं होगा।

तुम्बडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति को आवंटित गेहूं

294. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तुम्बडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति (जीएसएस) में गत छह वर्ष से 119 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त गेहूं का गरीबों को वितरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त 119 क्विंटल गेहूं को जमीन में दबा दिया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त कृत्य के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) जी, नहीं। तुंबडिया ग्राम सेवा सहकारी समिति में एस.जी.आर.वाई. नियमित योजना के अन्तर्गत 119 क्विंटल गेहूं खराब होने, मानव आहार के रूप में खाने योग्य नहीं होने से उक्त गेहूं का निस्तारण किया जा चुका है।

(2) खराब गेहूं 119 क्विंटल मानव आहार के रूप में खाने योग्य नहीं होने से जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक रसद/एस.जी.आर.वाई. नियमित/2010-11/894 दिनांक 06.12.2010 के द्वारा खराब गेहूं का निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान करने पर दिनांक 14.12.2011 को जमीन में गडवाकर निस्तारण किया गया।

(3) जी हां। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिए गए हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर जिले में स्वीकृत मदिरा विक्रय केन्द्र

520. श्री पेमाराम (धोद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला सीकर में स्वीकृत देशी व अंग्रेजी मदिरा की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दुकानें किस-किस नाम से स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में देशी मदिरा के 272 समूहों में 315 दुकानें एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 35 दुकानें स्वीकृत होकर संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त दुकानें जिन अनुज्ञाधारियों के नाम से स्वीकृत हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़ जिलों के किसानों से डोडा चूरा खरीद की प्राप्त शिकायतें

521. श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में कितने किसानों से कुल कितना डोडा चूरा खरीदा गया? जिलेवार गांवों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त जिलों के कुछ गांवों से ठेकेदार द्वारा डोडा चूरा खरीदा गया और कई गांवों से अभी तक नहीं खरीदा जा सका? अब तक जिन गांवों से डोडा चूरा नहीं खरीदा गया उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त शेष बचे गांवों से भी डोडा चूरा खरीदने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिलों से ठेकेदार द्वारा किसानों से नियम विरुद्ध 40 किलो वज़न के स्थान पर 42 किलो से 55 किलो तक डोडा चूरे की

(श्री उदयलाल आंजना)

वसूली करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या डोडा चूरा ठेकेदार ने सरकार द्वारा तय खरीद मूल्य 125 रुपये प्रति किलो के स्थान पर किसानों को 110 और 100 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि डोडा चूरा ठेकेदार ने किसानों से उधार माल खरीदा है और उसका भुगतान अभी तक नहीं किया है? यदि हां, तो अब सरकार कब तक किसानों का बकाया भुगतान कराने का विचार रखती है?

(7) क्या यह भी सही है कि डोडा चूरा ठेकेदार के थोक गोदामों में सरकारी रिकार्ड से अधिक माल का स्टाक किया गया है? क्या जिला चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में उक्त प्रकार के अधिक माल के स्टाक होने का कोई हलफनामा सरकार को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि राज्य की उपभोक्ता दुकानों पर सरकार द्वारा निर्धारित 500 रुपये प्रति किलो की दर से अधिक 1000 रुपये प्रति किलो की दर पर डोडा चूरा बेचा जा रहा है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2011-12 में चित्तौड़गढ़ जिले के 11768 अफीम पट्टाधारी किसानों से कुल 15560.41 क्विंटल एवं प्रतापगढ़ जिले में 4891 अफीम पट्टाधारी किसानों से कुल 11582.26 क्विन्टल डोडाचूरा खरीदा गया। जिलेवार गांवों के नामों की सूची परिशिष्ट- 'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिन गांवों के काश्तकारों से डोडा पोस्त क्रय नहीं हुआ है, उनकी सूची परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज नियम, 1985 के नियम 25 के प्रावधानों के अनुसार काश्तकारों के वर्ष 2011-12 के बचे हुये डोडापोस्त की खरीद अब नहीं की जा सकती है।

(4) जी नहीं। इस सम्बनन्ध में प्राप्त शिकायत पर अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन उदयपुर से जांच करवाई गई जिसमें शिकायतें निराधार पाई गयी। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(आबकारी मंत्री)

(5) जी हां। इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर अतिरिक्त आयुक्त आबकारी जोन, उदयपुर से जांच करवाई गई, जिसमें वर्ष 2011-12 में डोडापोस्त अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित मूल्य 125 रुपये प्रति किलो की दर पर डोडापोस्त क्रय किया जाना पाया गया। अतिरिक्त आयुक्त आबकारी, जोन उदयपुर की रिपोर्ट परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(6) प्रतापगढ़ जिले के अरनोद एवं छोटीसादड़ी क्षेत्र को छोड़कर उत्पादन क्षेत्र में कहीं भी अनुज्ञाधारियों द्वारा किसानों से उधार माल खरीदने एवं भुगतान नहीं किये जाने का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ समूह के पूर्व अनुज्ञाधारी श्री हनुमानाराम का अनुज्ञापत्र निरस्त होने के कारण जिन किसानों को भुगतान नहीं हुआ है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति परिशिष्ट-'च' पर संलग्न है।

(7) इस सम्बन्ध में विभाग को 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पर श्री उदयलाल आंजना की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने किसानों से अनुज्ञाधारियों द्वारा क्रय किये गये डोडाचूरा से अधिक डोडाचूरा संग्रहित किये जाने बाबत लिखा है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, जोन उदयपुर की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट-'घ' पर संलग्न है।

(8) डोडा पोस्त खुदरा अनुज्ञाधारियों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्यक 500 रुपये प्रति किलो की दर से ही व्यसनियों को डोडापोस्त विक्रय किया जा रहा है। इस हेतु विभाग द्वारा की गई आकस्मिक जाचों में पाली एवं सिरोही जिले के अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध एक-एक मामला निर्धारित विक्रय मूल्य् से अधिक मूल्यय पर डोडा पोस्त बेचने का सामने आया है, जिसमें अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान लघु उद्योग के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ

522. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों/ अधिकारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिये जाने से वंचित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्य लाभ तो दिये जा रहे हैं, किन्तु चयनित वेतनमान व छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को छठा वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01.09.2006 से दिया गया फिक्सेशन दिनांक 01.09.2006 से 31.12.2008 तक का लाभ नोशनल दिया व नकद भुगतान दिनांक 01.01.2009 से दिया गया।

(2) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(3) प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सहाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भू-खण्डों में स्थापित उद्योग

523. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अविकसित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु भूखण्ड आबंटित किये गये हैं? यदि हां, तो कब किस-किस व्यक्ति/फर्म को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आबंटित भूखण्ड पर निर्धारित आवास में उद्योग स्थापित किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में कितने आबंटियों ने अब तक उद्योग स्थापित नहीं किये तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निर्धारित अवधि में उद्योग स्थापित नहीं करने वाले व्यक्ति/फर्म का आवंटन निरस्त कर पात्र व्यक्ति को पुन: आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अविकसित औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु गंगापुर में कुल 49 इकाइयों को भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं, जिसकी सूची अनुलग्नक-"अ" पर है।

(2) जी हां। आबंटित भूमि पर रीको लैण्ड डिस्पोजल नियमों में निर्धारित की गई अवधि में उद्योग स्थापित किया जाना आवश्यपक हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर जब किसी उचित कारणवश आबंटन प्राधिकारी द्वारा अवधि में वृद्धि नहीं कर दी गई हो तो भूमि वापस रीको में निहित हो जाती है। औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर में कुल 13 इकाइयों ने समयावधि में उद्योग स्थापित नहीं किया है, जिसमें 7 इकाइयों के आबंटन आदेश व निष्पादित लीज डीड निरस्त किये जा चुके हैं तथा शेष 6 इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। विवरण अनुलग्नक-"ब" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। आबंटन निरस्त के उपरांत नियमानुसार पात्र व्यक्ति को पुन: आबंटन करने की कार्यवाही की जाती है ।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मांडलगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

524. श्री प्रदीप कुमार सिंह (मांडलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार मांडलगढ तथा बिजोलियां में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मांडलगढ़ में रीको को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा ग्राम करणपुरा तहसील मांडलगढ़ में 206.13 बीघा भूमि का आबंटन दिनांक 12.03.2012 को किया जा चुका है। राजकीय भूमि की प्रीमियम राशि 45,52,340/- रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। भूमि का कब्जा राजस्व विभाग से प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है। कब्जा प्राप्त, होने के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की कार्यवाही की जावेगी। ग्राम बिजौलिया तहसील बिजौलिया कलां जिला भीलवाड़ा में 200 बीघा राजकीय

(उद्योग मंत्री)

भूमि का आबंटन रीको के पक्ष में होकर उक्त भूमि का कब्जा रीको द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र नियोजन की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रतापगढ़ जिले में दर्ज अवैध खनन प्रकरण

525. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिये विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की है? यदि हां, तो जिला प्रतापगढ़ की किस-किस तहसील के वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की पूरी जिम्मेदारी वन विभाग को एवं गैर वन क्षेत्र में खान विभाग को तथा खातेदारी भूमि में अवैध खनन की सूचना तहसीलदारों के माध्यम से हल्का पटवारी को देने के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है? वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक वन व खान विभाग एवं तहसील कार्यालय में कितने प्रकरण किस-किस वर्ष में दर्ज किये गये हैं और उक्त प्रकरणों पर अब तक किस स्तर पर किन-किन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा चुकी है? वर्षवार शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद के वन क्षेत्र में भारी मात्रा में पत्थर एवं मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है तथा अवैध बजरी का भी परिवहन किया जा रहा है? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र अनुसार प्रतापगढ़ जिले सहित सम्पूर्ण राज्य में वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। इसके लिए वन क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना के लिए जिम्मेदार होंगे। गैर वन क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की होगी। इसके लिए खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता पालना करने के लिए जिम्मेदार होंगे। खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित

(खनिज मंत्री)

तहसीलदार को देने हेतु हल्का पटवारी जिम्मेदार होंगे। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यदि कोई भूमि उद्योग व अन्य कार्य हेतु रीको, यू.आई.टी. व अन्य संस्थाओं को आबंटित कर दी जाती है और उसमें अवैध खनन होता है तो सम्बन्धित संस्था के अधिकारी पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करायेंगे।

वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक सहायक खनि अभियन्ता, सलूम्बर तथा खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़ कार्यालयों द्वारा अवैध खनन के बनाये गये प्रकरणों का वर्षवार विवरण मय कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। वन एवं राजस्व विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2008-09 से फरवरी, 2012 तक उनके द्वारा अवैध खनन का कोई प्रकरण नहीं बनाया गया है। खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़ कार्यालय में वर्षवार प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। वन विभाग की प्राप्त सूचनाओं के अनुसार तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद क्षेत्र में पत्थर एवं मिट्टी का अवैध खनन नहीं हो रहा है। अवैध बजरी परिवहन का भी कोई प्रकरण नहीं पाया गया है।

(3) उक्त सम्बन्ध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं होने से कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बयाना में स्टोन पार्क की स्थापना

526. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना में खनन का कार्य उच्च स्तर पर होता है?

(2) क्या सरकार तहसील क्षेत्र बयाना एवं रूपवास में स्टोन पार्क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में अप्रधान खनिज के कुल 122 खनन पटटे स्वीकृत हैं तथा प्रधान खनिज के कुल 7 खनन पट्टे स्वीकृत हैं। अप्रधान खनिज में मेसेनरी स्टोन, मिल स्टोन, सैण्डस्टोन, चर्ट के खनन पट्टे

(खनिज मंत्री)

हैं तथा प्रधान खनिज में सिलिकासेण्ड खनिज के खनन पट्टे स्वीकृत हैं। अतः स्वीकृत खनन पट्टों से बयाना विधान सभा क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है।

(2) राज्य सरकार के स्तर पर बयाना एवं रूपवास तहसील क्षेत्र में स्टोन पार्क बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

हनुमानगढ़ जिले की पी.ओ.पी. फैक्टरियों को कच्चा माल (जिप्सम) की आपूर्ति में अनियमितताएं

527. श्री आदराम मेघवाल (पीलीबंगा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला हनुमानगढ़ के बिसरासर, पल्लू, पूरबसर, बरभसर तथा रावतसर में P.O.P. बनाने की फैक्टरियों में कच्चा माल (जिप्सम) कहां-कहां से आता है? वर्ष 2011-12 में कितना-कितना जिप्सम किस-किस फैक्टरी में कहां-कहां से आया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फैक्टरियों में कच्चा माल (जिप्सम) माफियाओं द्वारा अवैध खनन कर फैक्टरियों में सप्लाई किया जाता है? क्या सरकार द्वारा इसकी जांच की गई? यदि हां, तो कब-कब किस-किस फैक्टरी की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जांच में उक्त फैक्टरियों में अवैध खनन का जिप्सम पाया गया है? यदि हां, तो शास्ती एवं टैक्स (खनन टैक्स) के रूप में कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूली गई?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्टरियों में ईंधन हेतु लकड़ियों का उपयोग किया जाता है? क्या सरकार द्वारा उक्त सम्बन्ध में जांच की गई? यदि हां, तो उक्त फैक्टरियों में इतनी अधिक मात्रा में लकड़ियां कहां से आती हैं?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले के बिसरासर तथा रावतसर में पी.ओ.पी. की कोई फैक्टरी नहीं है। पल्लू, पूरबसर एवं बरमसर में पी.ओ.पी. की फैक्टरियों में कच्चा माल (जिप्सम) मैसर्स आर.एस.एम.एम.एल. के स्वीकृत खनन पट्टों से क्रय किया है। इसके अलावा अवैध रूप से भी जिप्सम प्राप्त किया गया है। उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में पी.ओ.पी. फैक्टरीधारकों द्वारा वर्ष 2011-12 में जितना जिप्सम क्रय किया गया है, उसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(खनिज मंत्री)

(2) उक्त फैक्टरियों में से 30 फैक्टरियों की जांच किये जाने पर अवैध रूप से जिप्सम प्राप्त किया जाना पाया गया। फैक्टरियों की जांच तिथि व कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) निरीक्षण के दौरान उक्त में से 30 फैक्टरियों में अवैध खनन का जिप्सम पाया गया। फैक्टरियों में पाये गये अवैध जिप्सम की जितनी कीमत वसूल की गई है, उसका विवरण परिशिष्ट-2 में दर्शाया गया है।

(4) उक्त फैक्टरियों में ईंधन हेतु लकड़ियों के उपयोग सम्बन्धी मात्रा की सूचना राज्य सरकार के स्तर पर संकलित नहीं कराई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भरतपुर जिले में अवैध खनन के जब्त पत्थरों के वजन में अनियमितताएं

528. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा जिला भरतपुर में अवैध रूप से खनन कर पत्थर बाहर ले जाने पर जब्त किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध रूप से ले जा रहे कीमती पत्थर को जब्त करते समय उक्त पत्थर का आकार या वजन अंकित किया गया है? यदि हां, तो किस तहसील में कितना व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में भरतपुर जिले में तहसीलवार जब्ती किये गये खनिज का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। अवैध रूप से खनन/निर्गमन के दौरान जब्त कीमती पत्थर (सेण्डस्टोन) की मात्रा तहसील रूपवास में वजन अनुसार 91 टन व माप अनुसार 5 ब्लाक्स 8×4×1.75 घन फीट के हैं। तहसील बयाना में मात्रा वजन अनुसार 41 टन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिवाना में मन्दिरों, छतरियों का जीर्णोद्धार

529. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा जिला बाड़मेर में मंदिरों एवं प्राचीन छतरियों के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिये कितनी राशि का प्रावधान किया गया और उक्त राशि में से किस मंदिर व छतरी पर कितनी राशि का क्या कार्य करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सिवाना में प्राचीन मंदिर व छतरियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों व छतरियों के विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित कोई राजकीय मंदिर एवं प्राचीन छतरियां नही होने से विकास एवं जीर्णोद्धार के लिये न तो विभागीय बजट में प्रावधान किया गया एवं न ही कोई व्यय किया गया।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित कोई राजकीय मंदिर एवं प्राचीन छतरियां नहीं हैं।

बस्सी (जयपुर) तहसील में नवीन गैस एजेन्सी की स्थापना

530. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर की तहसील बस्सी में एल.पी.जी. रसोई गैस कनेक्शन के कितने उपभोक्ता हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में रसोई गैस की काफी किल्लत है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त तहसील में रसोई गैस के उपभोक्ता का भार देखते हुए एक और गैस एजेन्सी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) रसोई गैस एजेन्सी खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर की तहसील बस्सी में एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन के कुल 22969 उपभोक्ता हैं, जिनमें से एसबीसी धारक 12831 व डीबीसी धारक 10138 है। एजेन्सीवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। नई गैस एजेन्सी खोलने का कार्य राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कम्पनियों द्वारा समय-समय पर गैस एजेन्सी खोले जाने बाबत स्थानों की जांच की जाती है। यदि कोई स्थान नई गैस एजेन्सी खोलने बाबत उपयुक्त पाया जाता है, तो उस स्थान के लिए नियत समय में तेल कम्पनियों की निर्धारित मानदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में तहसील बस्सी में नई गैस एजेन्सी खोलने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(4) रसोई गैस एजेन्सी खोलने के मानदण्ड भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कम्पनियों के अनुसार परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आबंटित अनाज की कालाबाजारी

531. **श्रीमती कमला कस्वां** (सादुलपुर) : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ते दर पर देने के लिए भेजा जा रहा अनाज बाजार में नियम विरुद्ध बेचा जा रहा है? यदि हां, तो गत एक वर्ष में जिलेवार कितने स्थानों पर छापे मारे गये और कितने दुकानदार अनाज व केरोसीन की कालाबाजारी में लिप्त पाये गये?

(2) सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार गरीबों को अनाज के बदले नकद भुगतान करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों पर मारे गये छापों एवं कालाबाजारी में लिप्त पाये गये दुकानदारों की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त अनियमितता करने वाले दोषियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य स्तर पर इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

उदयपुर जिले में नियम विरुद्ध स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें

532. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जिला उदयपुर में वर्ष 2008-09 से 2010-11 में कुल कितने दुकानों को खाद्य सामग्री वितरण हेतु लाइसेंस दिये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लाइसेंस नियमों में जिस दुकान को लाइसेंस दिया जाता है उसका नक्शा स्पष्ट होना आवश्यक है? यदि हां, तो कितने नक्शे ब्लू प्रिंट के स्थान पर हाथ से खींची गयी आड़ी-तिरछी रेखाओं के मान्य कर दिये गये? वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या लाइसेंस जारी करने से पूर्व नक्शा प्रवर्तन अधिकारी या निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त तीन वर्षों में कितने नक्शे प्रमाणित जारी हुए और कितने नक्शे बिना प्रमाणित जारी किये गये?

(4) क्या यह सही है कि नियमानुसार परचूनी की दुकानों का खाद्य सामग्री वितरण का लाइसेंस नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो गोवर्द्धन विलास स्थित महावीर किराना स्टोर, अम्बामाता पुलिस थाने के पास मातेश्वरी जनरल स्टोर और भामाशाह मार्ग स्थित बालाजी नमकीन भंडार को लाइसेंस किन नियमों के तहत जारी किये गये? इनके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है अक्टूबर, 2009 से डेयरी बूथों पर आटा पहुंचना प्रारम्भ हो गया, जबकि लाइसेंस मार्च, 2010 में जारी किये गये?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में डीलरों को खाद्य वितरण हेतु दिए गए लाइसेंस का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	संख्या
2008-09	18
2009-10	रिद्धी-सिद्धी योजना - 07 लैम्प्स - 21 डेयरी बूथ - 38 योग - 66
2010-11	डेयरी बूथ- 05

नोट-रिद्धी-सिद्धी योजना, लैम्प्स तथा डेयरी बूथों हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं कर सीधे प्राधिकार पत्र जारी किये गये हैं।

(2) जी हां। उचित मूल्य दुकान के नक्शे का सत्यापन सम्बन्धित क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर किया जाता है। नक्शा ब्लू प्रिंट में ही दिया जाना नियमों के अन्तर्गत अनिवार्य नहीं है।

(3) जी हां। उक्त तीन वर्षों में जिला रसद कार्यालय, उदयपुर में प्राप्त 18 आवेदन पत्रों पर प्रवर्तन स्टाफ द्वारा नक्शे प्रमाणित कराने के पश्चात् प्राधिकार पत्र जारी किए गए। साथ ही बिन्दु संख्या 1 में अंकितानुसार अन्य 71 प्राधिकार पत्र सहकारी/डेयरी विभाग के द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् ही जारी किए गए।

(4) जी हां। उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा अपने सरस दूध के विक्रय केन्द्रों के प्रमाणितशुदा आवेदन जिला रसद कार्यालय, उदयपुर को उपलब्ध करवाये, उन्हीं को सीमित उपयोग हेतु सीधे प्राधिकार पत्र जारी किए गए। उक्त तीन प्रतिष्ठान भी उसी सूची में सम्मिलित है, जिन्हें डेयरी प्रबन्धक द्वारा दुग्ध केन्द्र के रूप में जिला रसद कार्यालय, उदयपुर को प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु प्रमाणितशुदा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे। अतः तदनुसार प्राधिकार पत्र जारी किए गए।

(5) जी हां। डेयरी बूथों पर आटा अक्टूबर, 2009 से पहुंचाना प्रारम्भ हो गया था, क्योंकि उक्त योजना पायलट पोजेक्ट के रूप में 04 अक्टूबर, 2009 को संभागीय मुख्यालय की नगरीय सीमा में लागू की गई थी। इस हेतु विभागीय पत्र दिनांक 30.09.2009 द्वारा महाप्रबन्धक, डेयरी विभाग से बूथों

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

की सूची प्राप्त हुई, तदनुसार चिन्हित वितरण केन्द्रों पर आटा वितरण हेतु स्टाक व वितरण रजिस्टर रसद विभाग, उदयपुर द्वारा जारी कर पर्यवेक्षण में आटा वितरण करवाया गया तथा स्पष्ट रूप से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत उक्त बूथों हेतु डेयरी विभाग से व्यापार स्थलों की प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति पश्चात् प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए। डेयरी विभाग द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर माह मार्च, 2010 में आवेदन पत्र विभाग में प्राप्त हुए, जिनके आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किए गए।

सार्वजनिक प्रणाली के तहत केरोसीन का अन्तर राशि प्रकरण

533. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नीले केरोसीन की अधिकतम खुदरा दर एक ही निर्धारित की गई है?

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले केरोसीन की दर किस केन्द्रीय आदेश व अधिनियम के तहत निर्धारित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नीले केरोसीन पर सरकारी तेल कम्पनी डिपो निर्गम दर, कर, थोक विक्रेता को देय कमीशन व परिवहन कर तथा खुदरा दर सम्मिलित करने के बाद प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों की दर व अधिकतम खुदरा दर की राशि में अन्तर है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस अन्तर राशि को केरोसीन अन्तर राशि का नाम दिया गया है?

(4) क्या उक्त केन्द्रीय आदेश व अधिनियम में राज्य सरकार को केरोसीन अन्तर राशि रखे जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त केरोसीन अन्तर राशि का समानीकरण राशि में पूरा उपयोग करने के उपरान्त कितनी राशि राज्य सरकार के पास शेष बची? मई, 2005 से जनवरी 2011 तक वित्तीय वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि आयकर विभाग द्वारा उक्त केरोसीन अन्तर राशि को आय मानते हुये खाद्य विभाग को नोटिस जारी कर शास्तियां लगाई गई हैं? यदि हां, तो इस मद में कितना आयकर खाद्य विभाग द्वारा चुकाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(7) क्या केरोसीन समानीकरण के बाद बची राशि का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों, प्रशासनिक खर्च कार्यालय प्रभारों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में किया गया है? यदि हां, तो वर्षवार, मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या उक्त अन्तर राशि का चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा अंकेक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो मई, 2005 से 2010 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(9) उक्त मद में राज्य सरकार/निगम द्वारा समस्त खर्चे करने के उपरान्त कितनी राशि सरकार के पास शेष है? क्या राज्य सरकार उक्त राशि को शुद्ध आय मानते हुये केन्द्र सरकार को लौटाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नीले केरोसीन की अधिकतम खुदरा दर पूरे राज्य के उपभोक्ताओं के लिए रुपये 15.25 प्रति लीटर निर्धारित की हुई है।

(2) केन्द्रीय सरकार के "केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन एवं कीमत नियतन) आदेश, 1993" के खण्ड 2(डी)(1) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन की दर निर्धारित की जाती है।

(3) जी हां। स्थानीय दर व लागत दर में कहीं-कहीं अन्तर है। इस अन्तर को सरकार द्वारा केरोसीन अन्तर राशि का नाम दिया गया है।

(4) केन्द्रीय सरकार के "केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन एवं कीमत नियतन) आदेश, 1993" के खण्ड 2(डी)(1) के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केरोसीन की दर निर्धारित की जाती है, जिसमें अन्य व्यय, दरें, सेवायें तथा कर भी सम्मिलित किए जाते हैं।

(5) केरोसीन समानीकरण के अन्तर्गत जमा राशि का उपयोग के उपरान्त शेष बची राशि का विवरण वर्षवार निम्न प्रकार है :-

वर्ष	अवशेष राशि
05/05 से 03/2006 तक	109577443
04/06 से 03/2007 तक	67602307
04/07 से 03/2008 तक	66468182
04/08 से 03/2009 तक	146441324
04/09 से 03/2010 तक	280604184
04/10 से 03/2011 तक	402617103

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(6) जी नहीं।

(7) जी हां। केरोसीन समानीकरण खाता संख्या 163 से वाहन किराया, फोटोस्टेट, मोबाईल खर्च, कम्प्यूटर किराया, उपभोक्ता दिवस, वाटर कूलर, उपभोक्ता मंगल पत्रिका का प्रकाशन, विज्ञापन, केरोसीन/खाद्यान्न अन्तर राशि, स्टेशनरी खर्च, चल-प्रयोगशाला, सोयातेल खरीद, कार्यालय व्यय, संविदाकर्मी को पारिश्रमिक, बी.पी.एल. कार्ड वितरण पर व्यय किया गया है।

(8) जी हां। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के लेखों का अंकेक्षण करवाया गया है, जिसकी अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लेखों का अंकेक्षण प्रक्रियाधीन है।

(9) समिति के खाते में जमा राशि वित्त विभाग के निर्देशानुसार समय-समय पर विभाग के राजस्व मद 1475-800 में जमा कराई जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा सम्भाग में संचालित उचित मूल्य की दुकानें

534. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) व श्री **ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भाग में कितनी उचित मूल्य की दुकानें रिक्त हैं? तहसील, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्भाग में रिक्त दुकानों का अटैचमेंट किस-किस दुकान से किया गया एवं मूल उचित मूल्य की दुकान और रिक्त उचित मूल्य की दुकान जिसको अटैच किया गया उसकी कितनी दूरी है? विवरण मय दुकान की दूरी के सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ने रिक्त उचित मूल्य दुकानों को कम दूरी दुकान से अटैच करने के बजाय ज्यादा दूरी स्थित उचित दुकान से अटैचमेंट किया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा सम्भाग में 153 उचित मूल्य की दुकानें रिक्त हैं। तहसील/जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। रिक्त उचित मूल्य दुकान का अटैचमेन्ट निकटवर्ती उचित मूल्य की दुकान से किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वप्रथम उसी ग्राम

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

पंचायत या वार्ड की स्वीकृत दुकान के साथ अटैचमेन्ट किया जाता है। यदि निकटवर्ती दुकान किन्ही कारणों से निलम्बित/निरस्त अथवा उचित मूल्य दुकानदार दोनों दुकानों की व्यवस्था चलाने में असमर्थ हो, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरी निकटवर्ती दुकान से अस्थाई व्यवस्था कराई जाती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पारिवारिक/धार्मिक आयोजनों हेतु घरेलू गैस उपयोग के मानदण्ड

535. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाह व अन्य कार्य के लिए पार्टी का आयोजन कर परिवारजनों व मित्रों को भोजन कराने के लिए समारोह स्थलों पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करे तो वह व्यावसायिक उपयोग की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो किस आदेश से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा जनवरी, 2011 से फरवरी, 2012 तक कुल कितने समारोह स्थलों की जांच की गई और जांच में घरेलू सिलेण्डर का उपयोग करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या समारोह स्थल भी घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग करने वाले हलवाई के बराबर दोषी माना जाता है? यदि हां, तो किस आदेश के तहत?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जवाहर रंगमंच पर आयोजित समारोह हेतु श्रीराम धर्मशाला में भोजन बनाने वाले हलवाई को घरेलू सिलेण्डर उपयोग में लेते हुए पकड़ा गया यदि हां, तो उक्त हलवाई के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें?यदि नहीं तो क्यों?

(4) उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय सरकार के आदेश द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड-3(1)(ग) के अनुसार कोई भी उपभोक्ता सरकारी तेल कम्पनी के वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो वह घरेलू गैस के उपभोग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए द्रविकृत पेट्रोलियम गैस का

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उपयोग नहीं कर सकता है। अतः ऐसा प्रयोग किया जाना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा कई समारोह स्थलों पर पहुंच कर जांच की गई, जिसमें तीन समारोह स्थल क्रमशः 1. राधेश्री गार्डन, वैशाली नगर, अजमेर 2. रानी पैलेस, माकडवाली, अजमेर 3. किंग एडवर्ड मेमोरियल, अजमेर को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया। समारोह स्थल के स्वामी एवं हलवाई को घरेलू एलपीजी सिलेण्डर्स का उपयोग करने पर बराबर का दोषी माना जाता है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन वर्षवार निम्न स्थलों पर किया गया:-

1. 24.12.2009 सूचना केन्द्र में
2. 24.12.2010 गवर्नमेंट कालेज में
3. 24.12.2011 सूचना केन्द्र में

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जवाहर रंगमंच पर कोई समारोह आयोजित नहीं किया गया।

(4) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर की उचित मूल्य की दुकानें

536. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में राशन की उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां और किस-किस के नाम से आबंटित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कुछ उचित मूल्य की दुकानों के आरोपी लाइसेन्सधारियों को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती आबादी के अनुरूप उचित मूल्य की दुकानें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में राशन की उचित मूल्य की दुकानों की सूची परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में गत पांच वर्षों में 30 उचित मूल्य दुकानदारों को निलम्बित किया गया, जिसकी सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। बढ़ती आबादी के अनुरूप राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर नवीन उचित मूल्य दुकानें बढ़ाई जाती हैं। भरतपुर क्षेत्र में हाल ही में चार दुकानें नवसृजित की गई हैं, जिनमें उचित मूल्य दुकानदार नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

चौमूं (जयपुर) तहसील क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त पद

537. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं की तहसील चौमूं में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से विषय अध्यापक/प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो रिक्त पदों का विद्यालयवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील चौमूं में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त रिक्त पदों पर लगाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा के ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में व्याप्त अनियमितताएं

538. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर स्थित ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से किन-किन पदों पर कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी के पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को क्या-क्या जिम्मेदारी कब से दी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सांभर ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ब्लाक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक किन-किन विद्यालयों का कब-कब निरीक्षण किया गया? अधिकारीवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सांभर ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनको आबंटित कार्य का सही समय पर सही ढंग से निष्पादन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या कभी कोई जांच उक्त कार्यालय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सांभर कार्यालय में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं कार्यरत अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) ब्लाक शिक्षा अधिकारी सांभर के कार्यालय में ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी को आबंटित कार्यों का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) सांभर ब्लाक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ब्लाक शिक्षा अधिकारी/अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जनवरी, 2010 से फरवरी, 2012 तक किये गये निरीक्षणों का अधिकारीवार, माहवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "ख" से "च" तक संलग्न है ।

(4) जी हां। उक्त कार्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने के कारण जांच नहीं की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावला मण्डी में विज्ञान संकाय

539. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावला मण्डी में विज्ञान संकाय चालू कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है? रिक्त स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वितीय वर्ष 2012-13 में नये संकाय खोलने हेतु सीमित वित्तीय प्रावधान रखा गया है। विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने हेतु समस्त राज्य से प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने पर ही निर्णय किया जा सकेगा।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 283 अध्यापकों के पद रिक्त हैं, रिक्त पदों का स्थान सहित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत 352 अध्यापकों के रिक्त पदों का स्थान सहित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांसवाड़ा जिले के बालिका विद्यालयों में खेल मैदान हेतु आबंटित भूमि

540. श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के कौन-कौन से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल मैदान हेतु भूमि आबंटित की गई है? सर्वे नंबर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विद्यालयों के खेल मैदान हेतु संस्था प्रधानों ने आवेदन किया था? यदि हां, तो किन-किन संस्थान प्रधानों ने कब-कब आवेदन किया? आवेदन की तारीख व जावक रजिस्टर की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

(3) उक्त विद्यालयों को आबंटित जमीन किस किस्म की है एवं वर्तमान में मौके की स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खेल मैदान हेतु भूमि का आबंटन नहीं किया गया हैं।

(2) जी हां। जिन विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा खेल मैदान की भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया है, का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा जावक रजिस्टर की छाया प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या 01 के अनुसार।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

भोपालगंज (भीलवाड़ा) में संचालित बालिका विद्यालय

541. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा शहर में भोपालगंज में स्थित पंजाबी गली में बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित था? यदि हां, तो यह विद्यालय कब खुला, कब तक चला एवं वर्तमान में यह कहां संचालित हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय वर्तमान में जवाहर नगर स्थित विद्यालय में चल रहा है, जो कि भोपालगंज से बहुत दूरी पर है तथा एक ही विद्यालय भवन में दो विद्यालय संचालित हो रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की जमीन अशोक नगर में खाली पड़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार खाली जमीन पर विद्यालय बनाकर उक्त बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को पुनः वहां स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि भोपालगंज स्थित उक्त विद्यालय के स्थानान्तरित होने से इस क्षेत्र में एक भी राजकीय विद्यालय बालिकाओं का नहीं है? क्या सरकार इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भोपालगंज पंजाबी गली, भोपालगंज में शिक्षा सत्र 1945 से शिक्षा सत्र 2002-03 तक संचालित रहा है। वर्तमान में यह विद्यालय जवाहर नगर में संचालित हो रहा है।

(2) उक्त विद्यालय वर्तमान में भोपालगंज से 4 कि.मी. दूर जवाहर नगर में संचालित हो रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जवाहर नगर स्वयं के निर्मित भवन में स्थानान्तरित हो जाने के कारण जवाहर नगर स्थित भवन में वर्तमान में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भोपालगंज ही संचालित हो रहा है।

(3) उक्त विद्यालय की जमीन अशोक नगर में खाली पड़ी थी जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अतिक्रमण के कारण न्यायालय में वाद दायर हुआ जिसका निर्णय सरकार के पक्ष में होने से जिला प्रशासन की मदद से नगर परिषद द्वारा आबंटित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया है। उक्त खाली कराई गई भूमि पर भवन बनाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा की अनुशंषा पर आगामी वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भोपालगंज हेतु विद्यालय भवन बनाने का लक्ष्य है।

(4) जी हां। भवन निर्मित होने पर विद्यालय स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

विद्यालय क्रमोन्नति के मानदण्ड

542. श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रदेश में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के क्या नियम/मानदण्ड है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट क्रमशः "क" एवं "ख" पर संलग्न हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

निवाई के क्रमोन्नति योग्य विद्यालय

543. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू के ग्राम बगड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विगत 6 माह से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है? क्या उक्त विद्यालय में अंग्रेजी व विज्ञान विषयाध्यापकों के पद कई वर्षों से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर प्रधानाध्यापक/विषयाध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अरनियां के ग्राम भगवतपुरा में वर्ष 1974 से प्राथमिक विद्यालय संचालित है? क्या उक्त ग्राम की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1500 के करीब हो चुकी है तथा उक्त विद्यालय में लगभग 200 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं? क्या सरकार उक्त ग्राम भगवतपुरा के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत अरनिया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवतपुरा वर्ष 1979 से संचालित है। ग्राम भगवतपुरा की जनसंख्या जनगणना-2011 के अनुसार 1034 है तथा विद्यालय में 61 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2012-13 के विद्यालय क्रमोन्नति प्रस्तावों में उक्त विद्यालय की क्रमोन्नति पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज के शिक्षकों/कार्मिकों के सेवा नियम भुगतान

544. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्जीनियरिंग कालेज बीकानेर में जून, 2011 में कई शिक्षकों/कार्मिकों का पुरानी तिथि में वेतन स्थिरीकरण कर भुगतान

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कर दिया गया था? यदि हां, तो किन-किन शिक्षकों/कार्मिकों को कितना-कितना और कब-कब भुगतान किया गया?

(2) क्या उपरोक्त भुगतान विधि सम्मत है? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर और नहीं, तो इस वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी कौन है और सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में इन्जीनियरिंग कालेज बीकानेर में अशैक्षणिक कर्मचारी के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने कर्मचारी विभागवार कार्यरत हैं? क्या कालेज में स्वीकृत पदों से ज्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस पद पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं?

(4) क्या उक्त अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा अशैक्षणिक कर्मचारियों को ठेका नियुक्तियों में माननीय उच्चतम न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जा रही है? यदि हां, तो नियुक्तियों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया क्या है और नहीं, तो क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय व राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) क्या यह सही है कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर के शिक्षकों के लिए स्वयं के सेवा नियम नहीं हैं? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक सेवा नियम क्यों नहीं बनाये गये?

(6) क्या सरकार अब सेवा नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) इन्जीनियरिंग कालेज बीकानेर में शैक्षणिक संकाय सदस्यों की प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि, विभागवार नाम पद व विभागवार वर्तमान समय में अवकाश पर गये संकाय सदस्यों का नाम व पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षकों/कार्मिकों को किये भुगतान से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है :-

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

नाम	तिथि	राशि
श्री जयन्त आचार्य	10.06.11	1,32,411/-
	30.06.11	2,47,133/-
श्री तरूण चौपड़ा	10.06.11	32,012/-
	23.06.11	16,394/-

उपरोक्त राशि में भविष्य निधि की राशि भी शामिल है।

(2) जी हां। इन्जीनियरिंग कालेज बीकानेर में छठे वेतनमान जुलाई 2010 से लागू किया गया। महाविद्यालय में छठे वेतनमान एरियर की प्रथम किश्त का भुगतान जुलाई 2010 में तथा द्वितीय किश्त का भुगतान नवम्बर, 2011 में किया गया।

श्री जयन्त आचार्य सिस्टम एनालिस्ट को छठे वेतन आयोग में फिक्सेशन उपरान्त प्रथम किश्त का लम्बित भुगतान जून 2011 में किया गया। उक्त फिक्सेशन एआईसीटीई तथा राज्य सरकार के छठे वेतनमान के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही नियमानुसार किया गया है।

जून 2011 में श्री जयन्त आचार्य व श्री तरूण चौपड़ा को देय लम्बित वेतनवृद्धि का बकाया एरियर भुगतान अध्यक्ष कार्यकारी परिषद के अनुमोदन उपरान्त किया गया है।

सृजित अशैक्षणिक पद	भरे हुये पद		
	नियमित	तदर्थ	स्थानान्तरण
72	01	17	02

(3) विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त इन्जीनियरिंग कालेज सोसायटी बीकानेर की कार्यकारी परिषद की 10वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक कार्यों हेतु 1:1:5 के अनुपात में सेवायें लिये जाने का अनुमोदन किया गया है।

विभिन्न विभागों में श्रम आपूर्तिकताओं के माध्यम से किसी पद विशेष के विरूद्ध नहीं वरन अशैक्षणिक कार्यों के निस्तारण हेतु सेवाएं ली जा रही है।

(4) जी हां। खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से श्रम आपूर्तिकर्ताओं की सेवाएं लेकर निविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

(5) जी नहीं। इन्जीनियरिंग कालेज सोसायटी बीकानेर की दिनांक 16.1.2001 को आयोजित शाषी परिषद की प्रथम बैठक (एजेण्डा बिन्दु 17) में लिये गये निर्णय के अनुसार एम.आर.ई.सी. जयपुर के नियमों को अंगीकृत किया गया है।

(6) जी हां। समान सेवा नियम बनाने हेतु समिति का गठन किया गया है।

(7) विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

545. **श्री हरिसिंह रावत** (भीम) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के उप खण्ड भीम एवं देवगढ़ में युवाओं एवं बेरोजगार व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति में अनियमितताएं

546. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जी एवं नियम विरुद्ध भुगतान के प्रकरण सामने आये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नियम विरुद्ध एवं फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र/छात्राओं एवं छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी गई उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनियमितता के प्रकरण सामने आये हैं। उक्त अवधि में सामने आये अनियमितता के प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में अनियमित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति भुगतानों के प्रकरणों में विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थाओं, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अनियमित भुगतान के प्रकरणों में पुलिस थानों में दर्ज एफ.आई.आर., विभागीय कार्यवाही एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट क्रमशः ब, स एवं द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में विधवा, वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

547. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में वर्ष 2009 से पूर्व कितनी विधवा व वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत थी? तहसीलवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक उक्त जिले में विधवा व वृद्धावस्था पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने स्वीकृत हुए? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में वर्ष 2009 से पूर्व वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशनरों की तहसीलवार संख्या निम्नानुसार थी :-

क्र.सं.	तहसील	वृद्धावस्था पेंशन	विधवा पेंशन
1	सिवाना	532	303
2	शिव	816	332
3	गुढामालानी	306	287
4	चौहटन	352	342
5	पचपदरा	1403	1317
6	बाड़मेर	609	906
7	रामसर	529	674
8	बायतू	606	314

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) वर्ष 2009 से जनवरी, 2012 तक उक्त जिले में पेंशन हेतु प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धानक/धानका जाति के वर्ग का निर्धारण

548. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में धानक एवं धानका जाति के किस-किस तहसील में कितने-कितने लोग हैं? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला अलवर की किस तहसील में धानक को एस.सी. में एवं किस तहसील में एस.टी. में शामिल किया गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार धानक एवं धानका जाति को किसी एक जाति एस.सी. अथवा एस.टी. में शामिल कर इनके साथ हो रहे अन्याय को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, जयपुर के अनुसार अलवर जिले में जनगणना-2011 की परिवार अनुसूचियों के आकड़ों के संकलन का कार्य प्रगति पर है, इसके पूर्ण होने के पश्चात ही जिला अलवर में धानक (DHANAK) एवं धानका (DHANKA) जाति के आकड़े उपलब्ध हो पायेंगे। जनगणना-2001 के अनुसार जिला स्तर पर धानक (DHANAK) जाति को अनुसूचित जाति तथा धानका (DHANKA) जाति को अनुसूचित जनजाति में दर्शाया गया है। जिसकी जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं। (परिशिष्ट-1)

(2) अलवर जिले में जनगणना 2011 की परिवार अनुसूचियों के आंकड़ों के संकलन का कार्य प्रगति पर है, इसके पूर्ण होने के पश्चात ही उपलब्ध हो पायेंगे।

(3) भारत का राजपत्र (गजट) सितम्बर, 1976 की सूची में धानक (DHANAK) जाति को अनुसूचित जाति में सूची क्रमांक 20 पर तथा धानका (DHANKA) जाति को अनुसूचित जनजाति में क्रमांक 4 पर सम्मिलित किया है। तदनुसार सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत उक्त जातियों को लाभान्वित कर न्याय किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं के सिंघानिया विश्वविद्यालय के छात्रों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति का बकाया भुगतान

549. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी, जिला झुंझुनूं में वर्ष 2008-09 में अध्ययनरत बी.एड. के विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी, जिला झुंझुनूं के वर्ष 2008-09 में बी.एड. के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 44 विद्यार्थियों की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अपूर्ण होने/आय अधिक होने/आवेदन पत्रों में आक्षेप होने आदि कारणों से स्वीकृत नहीं किये गये हैं। वर्ष 2009-10 में शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान की विज्ञप्ति क्रमांक प.10 (5)शिक्षा-1/2007 दिनांक 8.4.2009 द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रत्याहारित कर लिया गया। उक्त कारणों से उक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है।

(2) उक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 2008-09 के बकाया छात्रवृत्ति प्रकरणों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग से बी.एड. पाठ्यक्रम वर्ष 2008-09 की मान्यता के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति अवगत करवाने हेतु पत्राचार किया गया है। शिक्षा विभाग से प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण का परीक्षण किया जाकर नियम सम्मत निर्णय लिया जावेगा।

रोहट पाली पंचायत समिति में पालनहार योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन-पत्र

550. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट की किस-किस विधवा को विभाग द्वारा पालनहार योजना में किन-किन कारणों से किस-किस समय से लाभान्वित करना बंद कर दिया?

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(2) उक्त स्थानों पर पालनहार योजना का कौन-कौन-सा प्रकरण कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से लम्बित हैं एवं इनमें कौन-कौन से दस्तावेजों की कमी है?

(3) उक्त लम्बित प्रकरणों में दस्तावेजों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा किस-किस विधवा को कब-कब सूचित किया गया?

उत्तर

(1) पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट की विधवा पालनहारों की सूची जिन्हें विभाग द्वारा योजना में लाभान्वित करना बन्द कर दिया है, की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) पाली शहर एवं पंचायत समिति रोहट में पालनहार योजना के लम्बित प्रकरणों की सूची मय लम्बित रहने के कारणों के परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) लम्बित प्रकरणों में दस्तावेजों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा सूचित किये जाने के दिनांक सहित सूचना परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूचियां व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

अन्ता (बारां) तहसील क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

551. **श्री प्रमोद जैन भाया** (अन्ता-बारां) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बारां की अन्ता तहसील क्षेत्र में वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग परित्यक्ता एवं अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ किन-किन व्यक्तियों को दिया जा रहा है? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन योजनाओं का लाभ किस-किस दिनांक से दिया जा रहा है?विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पेन्शन योजना में लाभार्थियों को कितनी-कितनी राशि प्रतिमाह दी जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग परित्यक्ता पेन्शन हेतु पात्रता निर्धारित की हुई है? यदि हां, तो नियम व शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां की अन्ता तहसील क्षेत्र में वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्ता एवं विकलांग पेंशन के लाभार्थियों का नाम पते सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों को किस-किस दिनांक से पेंशन का लाभ दिया गया है, का लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(3) उक्त पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों को प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है।

(4) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य वृद्धावस्था, विधवा परित्यक्ता पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1965 के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य विकलांग पेंशन देय है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्नश है।

भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के, 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत एवं 40 से 59 वर्ष आयु की विधवाओं को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनान्तर्गत तथा 18 से 59 वर्ष आयु के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित हैं, को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन देय है। आदेशों की प्रति क्रमशः परिशिष्ट-4, 5 व 6 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास की स्थापना

552. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के अनुसार राज्य के जिन 33 तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

उपलब्ध नहीं है वहां चरणबद्ध रूप से तीन चरणों में क्रमश: 11-11 छात्रावासों के भवन निर्माण करवाये जा रहे हैं। चूंकि ग्राम भोपालगढ़ तहसील मुख्यालय भोपालगढ़ पर ही स्थित है व भोपालगढ़ में विभाग द्वारा पूर्व से ही राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास (स्वीकृत क्षमता 45) संचालित किया जा रहा है। अत: विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्राम भोपालगढ़ में बालिका छात्रावास खोलने का वर्तमान में सरकार का कोई विचार नहीं है।

विराट नगर में क्रय-विक्रय सहकारी संघ की स्थापना

553. **डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियां एवं क्रय-विक्रय संघों का गठन किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यवस्था सभी विकास खण्डों/ तहसीलों/विधान सभा क्षेत्रों में नहीं है? यदि हां, तो कितने विकास खण्डों में कितने स्थानों पर क्रय-विक्रय सहकारी संघ है तथा कितने विकास खण्डश वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के विकास खण्ड विराट नगर में क्रय-विक्रय सहकारी संघ नहीं होने से खाद, चीनी राशन सामग्री एवं अन्य सुविधाओं के लिये अन्यत्र जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार विराट नगर में क्रय-विक्रय सहकारी संघ खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में प्राथमिक सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

(2) जी हां। राजस्थान में स्थित पंचायत समिति/विकास खण्डों में से 201 पंचायत समिति/विकास खण्डों में 216 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां गठित हैं तथा 48 पंचायत समिति/विकास खण्डों में क्रय-विक्रय सहकारी समिति नहीं हैं। (सूची परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न)

(सहकारिता मंत्री)

(3) शाहपुरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति विराट नगर तहसील के वासियों को खाद, बीज, चीनी, राशन सामग्री रिटेलर के माध्यम उपलब्ध कराती है। विराट नगर तहसील के लिए विराट नगर तहसील मुख्यालय पर 250 मै. टन गोदाम है वहीं से यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विकास खण्ड विराट नगर में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति वित्तीपय व आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होने के कारण गठन नहीं किया गया।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीगंगानगर जिले के लघु सीमान्त किसानों को ऋण माफी में अनियमितताएं

554. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2007 से फरवरी, 2008 के मध्य जिला श्रीगंगानगर की मालेर ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा अल्पकालीन लघु सीमान्त किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन किसानों को कितना-कितना ऋण माफ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति द्वारा उक्त अवधि में बाहरी जिले के एवं मृतकों के नाम से भी ऋण माफी दिखाकर सरकारी भूमि के बदले कोई अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सहकारी समिति द्वारा ऋण माफी में कोई अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्या तथा इसकी किस-किस स्तर पर जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में किसी को दोषी माना गया है? यदि हां, तो किसका क्या दोष सिद्ध हुआ तथा उस पर क्या-क्या कार्रवाई की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सहकारी समिति द्वारा किसी प्रकार का गौ सेवा शिविर भी लगाया गया? यदि हां, तो उक्त में सरकार की ओर से कितना अनुदान मिला और समिति की ओर से किस-किस मद में व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां । दिसम्बर 2007 से फरवरी 2008 के मध्य जिला श्रीगंगानगर की मालेर ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा कुल 340 कृषकों को 10152045 रुपये की ऋण माफी का लाभ दिया गया है। कृषकों की सूची परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है ।

(2) जी हां । उक्त समिति द्वारा समिति कार्यक्षेत्र के बाहर के 19 व्यक्तियों के नाम 954371 रुपये एवं दो मृतकों के नाम 77850 रुपये की ऋण माफी दर्शाकर अनियमितता की गई है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां । उक्त सहकारी समिति में हुई अनियमितताओं की जांच प्रबन्ध निदेशक श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., से कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में समिति व्यवस्थापक श्री मोहन लाल के अतिरिक्त केन्द्रीय सहकारी बैक लि., श्रीगंगानगर की शाखा रजियासर के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, फील्ड स्टाफ तथा ऋण माफी व राहत की जांच करने वाली कमेटी को दोषी पाया गया है । दोषी बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा नियमान्तर्गत आरोप पत्र जारी किये गये हैं। प्रकरण में थाना रजियासर में प्राथमिकी संख्या़ 74 दिनांक 15.3.2012 दर्ज कराई जा चुकी है जो अन्वेक्षणाधीन है। दोषी कर्मचारियों के अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

(5) जी हां । उक्त सहकारी समिति द्वारा 4 गौ सेवा शिविर निम्न अवधि में लगाये गये :-

(1) 02.11.02 से 15.07.03 तक

(2) 25.03.07 से 15.07.07 तक

(3) 20.03.08 से 15.07.08 तक

(4) 25.02.10 से 15.07.10 तक

उक्त शिविरों हेतु समिति को 22.46 लाख रु. का अनुदान सरकार से प्राप्त हुआ। समिति द्वारा उक्त शिविरों में 39.49 लाख रु. का व्यय किया गया। समिति की उक्त सूचना से सम्बन्धित रिकार्ड माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में होने के कारण मदवार खर्च की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(सूचियां व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षकों को निगम बस सेवाओं में छूट

555. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को रोडवेज किराये में दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट की तर्ज पर उक्त सम्मान से सम्मानित राज्य के मंत्रालयिक कार्मिकों को भी उक्त सुविधा का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

राज्य स्तर पर सम्मानित मंत्रालयिक कार्मिकों को निगम की बसों में राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों के अनुरूप रियायती यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रकरण परीक्षणाधीन है।

इटावा (कोटा) जयपुर निगम बस सेवा

556. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा से जयपुर के लिए अब तक कोई भी निगम बस सेवा संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बारां-इटावा-सवाई माधोपुर होते हुए जयपुर के लिए सीधी निगम की बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि संसाधनों की अपर्याप्ता के कारण प्रश्नगत मार्ग पर अब तक कोई भी निगम बस सेवा संचालित नहीं है।

(1) जी नहीं। वर्तमान में संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण प्रश्नसगत मार्ग पर निगम बस सेवा का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

केलवाड़ा (कुम्भलगढ़) हेतु निगम बस सेवा

557. श्री गणेश सिंह परमार (कुम्भलगढ़) : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गणेश सिंह परमार)

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्भलगढ़ के केलवाड़ा कस्बे हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें स्वीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि कुछ समय से सरकार द्वारा केलवाड़ा आने वाली कुछ बसों को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त बन्द बसों को पुनः संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 4 बसें स्वीकृत है।

(2) जी नहीं।

(3) वर्तमान में स्वीकृत बस सेवाएं यथावत संचालित हैं।

अलवर बस स्टैण्ड पर उपलब्ध सुविधाएं

558. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला मुख्यालय अलवर के बस स्टैण्ड पर प्लोटफार्म, सड़क, दुकानें एवं अन्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अलवर के बस स्टैण्ड की सड़क क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिला मुख्यालय के बस स्टैण्ड पर यात्रीभार एवं तीन आगार होने के कारण एक समेकित भवन एवं प्लेटफार्म की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार अलवर जिले के उक्त बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त जिला मुख्यालय अलवर के बस स्टै्ण्ड से बसों के आवागमन हेतु 2 गेट हैं किन्तु 1 गेट को बसों एवं अन्य वाहनों के आवागमन हेतु बंद किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि उक्त बस स्टैण्ड के 1 गेट से ही बसों का आवागमन होता है तथा उक्त रोड सिंगल लाइन एवं छोटा होने के कारण दिन में अनेक बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क्या सरकार इस समस्या

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय अलवर के बस स्टैण्ड पर प्लेटफार्म, पीने का पानी, महिला एवं पुरुष शौचालय/मूत्रालय, यात्री प्रतिक्षालय मय कुर्सी, पंखे, रोशनी, केण्टीन/स्टाल्स, सड़क, पार्किंग स्थल से सम्बन्धित सुविधायें उपलब्ध हैं जिनकी स्थिति उपयुक्त है ।

(2) जिला अलवर के बस स्टैण्ड की लगभग 6000 वर्ग मीटर सड़क में से 2675 वर्ग मीटर में कहीं-कहीं टूट-फूट है जिसका मरम्मत कार्य वर्ष 2012-13 में करवाया जायेगा ।

(3) जिला मुख्यालय अलवर पर अलवर एवं मत्स्य नगर आगार है जिनके लिए पीपीपी माडल के आधार पर समेकित भवन एवं प्लेटफार्म विकसित करने के लिए एक विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर दिनांक 9.5.2012 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं ।

(4) जी हां । जिला मुख्यालय अलवर बस स्टैण्ड से आवागमन के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर दो द्वार बने हुए है उनमें से उत्तर दिशा की ओर स्थित द्वार जो व्यस्ततम मुख्य बाजार की ओर खुलता है को दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिकोण से वाहनों के लिए बन्द किया गया है।

(5) सामान्यतया जाम जैसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

बूंदी कृषि उपज मण्डी के द्वारा किसानों हेतु आवश्यक सुविधाएं

559. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बून्दी में नवीन कृषि उपज मण्डी हेतु स्वीकृत स्थल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

(2) उक्त नवीन कृषि मण्डी के नजदीक किसानों को आने वाली समस्याओं के लिये क्या-क्या सुविधायें देने का विकल्प रखा गया है?

(3) क्या सरकार द्वारा मण्डी में आने वाले किसानों के लिये ट्रैक्टर ट्रोली, ट्रक ट्रोला मरम्मत एवं इनके स्पेयर पार्टस तथा खाद बीज एवं कृषि

(श्री अशोक डोगरा)

सम्बन्धित दवाइयों के लिये अलग से बाजार विकसित करने के लिये जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति बूंदी मण्डी निर्माण हेतु कुंवारती गांव में 368 बीघा जमीन का चयन कर लिया है, जिसकी चारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु राशि 249.12 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निविदा आमंत्रित की जा चुकी है तथा निविदा प्रक्रियाधीन है।

(2) नवीन मण्डी प्रांगण में कृषकों को उनकी उपज के विपणन की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निम्न सुविधाएं प्राथमिकता से विकसित की जाती है :

(1) चारदीवारी मय सौन्दर्यकृत गेट	(12) कियोस्क (आवश्यकता अनुसार)
(2) चैकपोस्ट प्रत्येक गेट पर	(13) धर्मकांटा कम्प्यूटराइज्ड
(3) शुद्ध पेयजल व्यवस्था- वाटर कूलर एवं वाटर प्योरिफायर सहित (2 से 4 तक आवश्यकतानुरूप, अधिक आवश्यकता होने पर अधिक स्वीकृत कराये जा सकेंगे)	(14) बैंक
(4) पार्किग की समुचित व्यवस्था	(15) पार्क एंव पौधारोपण
(5) चौकीदारी/सफाई व्यवस्था	(16) कम से कम चार डिसप्ले बोर्ड- विभागीय योजनाओं की जानकारी हेतु
(6) भाव सूचना पट्ट-विशिष्ठ श्रेणी की मण्डी में इलेक्ट्रोनिक डिसप्ले बोर्ड	(17) सचिव/स्टाफ क्वाटर्स लेबर शेड
(7) जल निकास व्यवस्था	(18) कोरियर सुविधा
(8) शौचालय	(19) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
(9) कैन्टीन (आवश्यकता अनुसार)	(20) तिलहन बाहुल्य मण्डियों में सहकारी क्षेत्र की आयल टेस्टिग लैब
(10) कवर्ड आक्शन प्लेटफार्म	(21) किसान भवन/विश्राम गृह
(11) लेबर शेड	(22) वाटर टर्फ पशुओं के पानी पीने की खेल

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

नवीन मण्डी प्रांगण बूंदी के निर्माण की परियोजना तैयार की जावेगी, जिसमें उक्त सुविधाओं में से मण्डी समिति के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधन के आधार पर सुविधाऐं विकसित की जा सकेंगी।

(3) मण्डी में आने वाले किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक ट्रोला मरम्मीत करने वालों के लिए भू-खण्ड आबंटन किये जाने का प्रावधान अचल सम्पत्ति आबंटन नीति 2005 में नहीं है। खाद, बीज एवं कृषि सम्बन्धित दवाईयों के लिए फुटकर दुकानों हेतु भू-खण्ड आबंटन किये जाने का प्रावधान है तदानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

जयपुर की टर्मिनल मार्केट मुहाना मण्डी में संचालित इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले

560. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़), श्री मानसिंह (परबतसर) व श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि टर्मिनल मार्केट, मुहाना मण्डी, जयपुर के परिसर में इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई थी? यदि हां, तो कब व इसकी लागत क्या थी एवं वर्तमान में इसका क्या उपयोग हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त डिस्पलो स्क्रीन्स को चालू करने में विलम्ब किया गया है? यदि हां, तो क्यों और इसमें कौन दोषी है तथा उक्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त स्क्रीन पर भावों को दिखाने के लिए इंटरनेट, लेपटाप मोबाइल व कम्प्यूटर सहित अन्य सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार लाखों रुपये की डिस्प्ले मशीनों के उचित रख-रखाव एवं उपयोग हेतु किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किसकी व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। टर्मिनल मार्केट मुहाना जयपुर के परिसर में 10 इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले स्क्रीन दिनांक 07.05.2011 को लगाये गये। जिनकी लागत राशि 30.97 लाख आयी। वर्तमान में उक्त डिस्पिले स्क्रीरन क्रियाशील नहीं है।

(2) उक्त डिस्प्ले स्क्रीन हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति दिनांक 21.12.2009 को प्राप्त हुई जिसके क्रम में निविदा आमंत्रित कर दिनांक 05.03.2010 को प्राप्त की गई। निविदा दरें अधिक होने के कारण इसे निरस्त। कर पुनः निविदा दिनांक 06.12.2010 को प्राप्त की गई तथा दिनांक 29.12.2010 को कार्य आदेश जारी किये गये एवं दिनांक 07.05.2011 को कार्य पूर्ण कर दिनांक 16.06.2011 को मण्डी समिति को सम्भलाया गया। उक्ती डिस्प्ले स्क्रीन पर भावों को प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेट, लेपटाप, मोबाइल व कम्प्यूटर सहित अर्थात जी. एस. एम. सिस्टम की उपलब्धता हेतु पूर्वानुमान तकमीने दिनांक 26.08.2011 को मण्डी समिति को दिये गये जिस हेतु मण्डी समिति द्वारा दिनांक 08.09.2011 को प्रस्ताव लिया जाकर राज्य सरकार से दिनांक 05.03.2012 को स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसकी निविदायें दिनांक 17.04.2012 को प्राप्त की जानी है। इस तरह डिस्प्ले स्क्रीन चालू करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है।

(3) बिन्दु संख्या 2 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है। अपेक्षित आवश्यक साधन जुटाने हेतु प्राप्त स्वीकृति के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) डिस्प्ले बोर्डो के रख रखाव हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कें

561. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2010-11 व 2011-12 में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर को किस-किस मद से कितनी आय प्राप्त हुई एवं किस-किस मद में कितना व्यय किया गया तथा अंतिम शेष राशि कितनी रही? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) द्वारा कितने किलोमीटर सड़क के प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये गये तथा इनमें से किन-

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

किन गांवों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी हुई तथा कितनी विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि मण्डी समिति द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों में से सड़कें क्षतिग्रस्त/नवीनीकरण योग्य हैं? यदि हां, तो कितनी व सरकार द्वारा उक्ति क्षतिग्रस्त/नवीनीकरण योग्य सड़क का सुदृढ़ीकरण अब कब तक करा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर की वर्ष 2010-11 व 2011-12 (फरवरी 12 तक) विभिन्न मदों में आय एवं व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) उक्त अवधि में मण्डी समिति से 20 सम्पर्क सड़कों के 89.35 कि.मी. विशेष मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त हुए। मण्डी समितियों द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़कों के रख रखाव एवं नवीन निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दिये जाने से प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी गई। सम्पर्क सडकों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर द्वारा पूर्व में निर्मित सम्पर्क सड़कों को राज्य सरकार कृषि (ग्रुप-2) विभाग जयपुर के आदेश एफ.4(6)कृषि/ग्रुप-2/2010 दिनांक 29.06.2010 की अनुपालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग को रख रखाव/नवीनीकरण हेतु हस्तान्तरण किया जा चुका है। कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर (अनाज) द्वारा पूर्व में निर्मित सड़कों में से क्षतिग्रस्त/नवीनीकरण योग्य सड़कों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उक्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु कार्यादेश सा.नि.वि. द्वारा माह मार्च 2012 में जारी किये जा चुके है ।

(विवरण व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि विपणन बोर्ड के निलम्बित कर्मचारियों की बहाली

562. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड में कितने कर्मचारी कितने वर्षों से निलम्बित चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओटाराम देवासी)

(2) क्या यह सही है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र प.2 (157) कार्मिक/क-3/97 दिनांक 7 जुलाई, 2010 के क्रम में विभागीय समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या अभिशंषा की? अभिशंषा की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि गठित समिति का अभिशंषा प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत भी अभी तक निलम्बित कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त निलम्बित कर्मचारी को बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड में 5 अधिकारी/कर्मचारी निलम्बिन चल रहे हैं, सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 7 जुलाई, 2010 के क्रम में बोर्ड के आदेश क्रमांक प.4(12)एसीबी/जांच/वि.बो./9096-99 दिनांक 31.8.2010 के द्वारा निलम्बन से बहाली के सम्बन्ध में समिति का गठन किया गया। आदेश परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। समिति की बैठक दिनांक 07.07.2011 के कार्यवाही विवरण के अनुसार समिति ने रिकार्ड के अध्ययन उपरान्त श्री मुकुट बिहारी शर्मा, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, मुंशी को निलम्बन से माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन बहाल करने की अभिशंषा की थी। अभिशंषा की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) जी हां। समिति की अभिशंषा उपरान्त बोर्ड ने प्रकरण रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार होने से सम्बन्धित होने के कारण समिति की अनुशंषानुसार बहाल नहीं किया। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

(4) रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार होने के प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय उपरान्त ही सम्बन्धित कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अल्पसंख्यकों के विकास हेतु आबंटित राशि

563. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षो में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास एवं उत्थान हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उक्त राशि में से कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई एवं कितनी राशि उपयोग न होने के कारण व्यपगत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षो में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आबंटित की गई है? उक्त राशि में से कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई तथा कितनी राशि व्यपगत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार की भविष्य में प्रदेश के अल्पसंख्यकों हेतु कौन-कौनसी योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों 2008-09 से 2010-11 में सरकार द्वारा कुल रुपये 2437.43 लाख राशि स्वीकृत की गई तथा इसमें से राशि 2180.27 लाख रुपये खर्च की गई जिसका मदवार विवरण Annexure -"A" पर संलग्न है। इस राशि में से 25.22 लाख रुपये राशि उपयोग न होने के कारण व्यपगत हुई।

(2) गत तीन वर्षों 2008-09 से 2010-11 में केन्द्र सरकार द्वारा 5179.88 लाख रुपये अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु आबंटित की गई राशि में से 4603.2 लाख रुपये की राशि विभिन्न मदों में खर्च की गई जिसका ब्यौरा Annexure -"B" पर संलग्न है। कोई राशि व्यपगत नहीं हुई।

(3) सरकार की अगले वर्ष 2012-13 में निम्न योजनायें प्रस्तावित हैं :-

1- CIDC-SKILL Developing

2- अनुप्रति योजना - आर.ए;एस; आई.ए.एस. व अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन राशि

3- कम्प्यूटर ट्रेनिंग अल्प संख्यक युवा के लिये

4- गर्ल्स छात्रावास सभी सम्भागों पर

5- नई स्टेट मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति

(अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री)

6- EIP Training for - कारोबारी ऋण प्राप्त कर्ता

7- बैंकर्स मेला - ऋण शिविर

8- 1000 शिक्षा सहयोगी तथा 1000 कम्प्यूटर शिक्षा सहयोगी सेवा

9- मदरसा आधुनिकीकरण योजना

10- अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व प्रशिक्षण

11- दस्तकार नगर योजना

12- अन्तर्समुदाय कार्यशालायें

13- वक्फ विकास कोष की स्थांपना-बजट में रुपये 3 करोड़ राशि का प्रावधान

14- स्वरोजगार हेतु बैंको से ऋण लेने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिया जाने का प्रावधान

15 राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य

16- IIT, IIM, इंजीनियरिंग तथा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की कालेज फीस का अधिकतम 1 लाख रुपये वार्षिक का पुनर्भरण

17- उपरोक्त पाठयक्रमों के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो उनका 1 हजार रुपये प्रति माह की दर से मकान किराये का पुनर्भरण

18- उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे।

19- हज हाउस जयपुर के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान

20- अजमेर दरगाह हेतु पाइप लाइन व अन्य व्यवस्था हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-269 का विवरण)

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	नाम एस.टी.पी. धारी	आदेश क्रमांक/ दिनांक	खनिज	खनिज की मात्रा	अवधि
1	श्री बालाजी स्टोन क्रेशर 9-लीला मेंशन राज भवन रोड, सिविल लाइन्स जयपुर (राज.)	5960/ 03.11.2011	ओवर बर्डन	9000	03.11.2011 से 18.11.2011 तक
2	श्री बालाजी स्टोन क्रेशर 9-लीला मेंशन राज भवन रोड, सिविल लाइन्स जयपुर (राज.)	6177/ 16.11.2011	ओवर बर्डन	10000	16.11.2011 से 01.12.2012 तक
3	श्री बालाजी स्टोन क्रेशर 9-लीला मेंशन राज भवन रोड, सिविल लाइन्स जयपुर (राज.)	6741/ 20.12.11	ओवर बर्डन	10000	20.12.2011 से 31.12.2011 तक
4	श्री बालाजी स्टोन क्रेशर 9-लीला मेंशन राज भवन रोड, सिविल लाइन्स जयपुर (राज.)	88/ 06.01.2012	ओवर बर्डन	10000	06.01.2012 से 20.01.2012 तक
5	श्री बालाजी स्टोन क्रेशर 9-लीला मेंशन राज भवन रोड, सिविल लाइन्स जयपुर (राज.)	1078/ 14.03.2012	ओवर बर्डन	21800	14.03.2012 से 03.04.2012 तक

खनि अभियन्ता, सीकर

परिशिष्ट-2

63-A Grant of permit for over burden to be used as construction material- (1) The Mining Engineer or Assistant Mining Engineer may grant permit for building stone to a person for dispatch of over burden lying inside or outside any lease area on payment of special permit fees to be computed @ 10/- Rs. per Tonne, which shall be in addition of the royalty. Such permit shall be granted for a maximum period of one year for the quantity as desired by the applicant. Royalty and special permit fees so deposited shall not be adjusted in the deadrent payable by lessee :

Provided that where over burden is lying within the lease area permit may be granted to the lease holder or the person submitting consent of lessee:

Provided further that permit holder shall dispatch over burden with transit pass to be issued by concern Mining Engineer or Assistant Mining Engineer and shall submit record of such dispatch within one month from the completion of the permit.

(2) Every application for permit shall be accompanied by sketch map showing location of over burden dump quantity applied for and period required for dispatch :

Provided that the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer after inspection, verifying lots of over burden and mineralogical examination, if required, and ascertaining that misuse of mineral shall not be done, may grant permit, after depositing special permit fees and royalty in advance, mentioning therein quantity of mineral and period of permit :

Provided further that the period of permit shall be deemed to have been extended by one fourth of the original period of permit if the permit holder fails to remove the quantity stipulated in the permit within the period originally granted.

(3) The Mining Engineer or Assistant Mining Engineer may refuse to grant permit for any over burden in any area with reasons to be recorded in writing.

[No. F. 12 (17)Mines/Gr.II/2000]

By Order of the Governor,

शिव कुमार अग्रवाल

Deputy Secretary to Government.

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-274 की सूचना)

परिशिष्ट-1

Government of Rajasthan
Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Jaipur
Allotment & Offtake of Sugar 2011-2012

S. NO.	DISTRICT/ DIVISION	Apr-11		May-11		Jun-11		July-11		Aug-11		Sep-11		Oct-11		Nov-11		Dec-11		Total		
		Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	Al-lott.	Off-take	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
6 KOTA DIVISION																						
1	BARAN	153	0	153	0	153.3	83	153.3	0	153	153.3	153.3	153.3	206.5	0	206.5	207	153	103	1486	699.1	47.04
2	BUNDI	130	0	130	42.6	129.6	21.3	129.6	21	130	24	129.6	21	174.6	0	174.6	0	130	0	1256	129.9	10.34
3	JHALAWAR	171	0	171	35	170.8	55	170.8	35	171	22	170.8	35	230.2	0	230.2	0	171	0	1656	182	10.99
4	KOTA	222	0	222	0	222.1	0	222.1	196.6	222	0	222.1	0	299.1	146.7	299.1	299	222	0	2153	642.4	29.84
	Total	**676**	**0**	**676**	**77.6**	**675.8**	**159.3**	**675.8**	**252.6**	**676**	**199.3**	**675.8**	**209.3**	**910.4**	**146.7**	**910.4**	**506**	**676**	**103**	**6551**	**1653**	**25.24**

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-275 की सूची)

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) के पंजीकृत मदरसों की सूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंजीयन संख्या	मदरसा का नाम एवं पता
1	भरतपुर	नगर	208	मदरसा मस्जिद, नीमकी, पोस्ट व तहसील नगर, जिला भरतपुर
2	भरतपुर	नगर	237	मदरसा मस्जिद डोमराकी, पोस्ट अलघाणी, तहसील नगर, जिला भरतपुर
3	भरतपुर	नगर	238	मदरसा मस्जिद बनैनी चन्दा, पोस्ट पडलवास, तहसील नगर, जिला भरतपुर
4	भरतपुर	नगर	385	मदरसा मस्जिद बयारी, पोस्ट रायपुर, तहसील नगर, जिला भरतपुर
5	भरतपुर	नगर	393	मदरसा ग्राम झीतरेडी, तहसील नगर, जिला भरतपुर
6	भरतपुर	नगर	394	मदरसा, बड़ी मस्जिद गुल पाड़ा, तहसील नगर, जिला भरतपुर
7	भरतपुर	नगर	692	मदरसा मस्जिद, ग्राम जगड़का, पोस्ट पैण्डका, तहसील नगर, जिला भरतपुर
8	भरतपुर	नगर	859	मदरसा मस्जिद बीथलिया वाली, ग्राम दुन्दावल, तहसील नगर, जिला भरतपुर
9	भरतपुर	नगर	946	मदरसा मस्जिद मिरगवास, ग्राम मिरगवास, पोस्ट गुलपाड़ा, तहसील नगर, जिला भरतपुर
10	भरतपुर	नगर	1163	मदरसा बड़ी मस्जिद रायपुर, पंचायत समिति नगर, तहसील नगर, जिला भरतपुर
11	भरतपुर	नगर	1264	मदरसा बनैनी घोकला, पोस्ट पडलवास, तहसील नगर, जिला भरतपुर

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंजीयन संख्या	मदरसा का नाम एवं पता
12	भरतपुर	नगर	1265	मदरसा दारूल उलूम इस्ला, अरबिया हिफजुल कुरान, ग्राम पालकी, पोस्ट खेराती, तहसील नगर, जिला भरतपुर
13	भरतपुर	नगर	1331	मदरसा इस्लामियां बशीरियां, तकिया इमाम शाह, सीकरी झंझार, तहसील नगर, जिला भरतपुर
14	भरतपुर	नगर	1457	मदरसा मस्जिद, ग्राम रोजकी, पोस्ट पैन्डका तहसील नगर, जिला भरतपुर, राजस्थान
15	भरतपुर	नगर	1547	मदरसा बड़ी मस्जिद, दारूल उलूम इस्लामियां अरबिया, ग्राम पालकी, पोस्ट खेस्ती, तहसील नगर, जिला भरतपुर
16	भरतपुर	नगर	1685	मदरसा जामिउंल उलूम प्रीतम दास रोड, ईदगाह डीग, जिला भरतपुर
17	भरतपुर	नगर	1688	मदरसा मस्जिद पचलेडी, पोस्ट गुलपाडा, तहसील नगर, जिला भरतपुर
18	भरतपुर	नगर	1696	मदरसा मस्जिद, ग्राम कुतकपुर, पोस्ट सीरथला, तहसील नगर, जिला भरतपुर
19	भरतपुर	नगर	1721	मदरसा मस्जिद, ग्राम नगला श्याम, पोस्ट पेंडका, तहसील नगर, जिला भरतपुर
20	भरतपुर	नगर	1828	मदरसा इस्लामिया कासमियां, सीकरी, (सोलपुर पट्टी), तहसील नगर, जिला भरतपुर
21	भरतपुर	नगर	2021	मदरसा जामियां इस्लामियां मस्जिद कुरेशियान मोहल्ला सैमल कला तहसील नगर भरतपुर

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंजीयन संख्या	मदरसा का नाम एवं पता
22	भरतपुर	नगर	2022	मदरसा हबीबिया रहीमियां मस्जिद ग्राम व पोस्ट सैमला कला तहसील नगर जिला भरतपुर
23	भरतपुर	नगर	2258	मदरसा सोगात ए मदीना, ग्राम रसूलपुर तहसील नगर जिला भरतपुर
24	भरतपुर	नगर	2259	मदरसा मस्जिद खरखडी (मिटठू पुरा) पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर
25	भरतपुर	नगर	2260	मदरसा मस्जिद, हमीदवास नागर पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर
26	भरतपुर	नगर	2261	मदरसा इस्लामिया, ग्राम बेगपहाड़ी पोस्ट डाबक तहसील नगर जिला भरतपुर
27	भरतपुर	नगर	2294	मदरसा इशाअतुल उलूम, ग्राम बडका, पोस्ट पालका, पंचायत समिति व तहसील नगर, जिला भरतपुर
28	भरतपुर	नगर	2331	मदरसा गुलशने रजा, ग्राम रसूलपुर, पंचायत समिति एवं तहसील नगर, जिला भरतपुर
29	भरतपुर	नगर	2332	मदरसा गुलिस्तां एवं मेवात, (छोटी मस्जिद), ग्राम उडकी दल्ला, पोस्ट पडलवास, तहसील नगर, जिला भरतपुर
30	भरतपुर	नगर	2470	मदरसा इस्लामिया दारूल उल उलूम, जामिया अजहर, ग्राम लादिया तहसील नगर, जिला भरतपुर
31	भरतपुर	नगर	2606	मदरसा मस्जिद डमावली ग्राम डमावली पो. दुदावल त. नगर जिला भरतपुर
32	भरतपुर	नगर	2771	मदरसा इस्लाहुल बनात, ग्राम गुलपाडा तहसील नगर जिला भरतपुर

क्र. सं.	जिला	तहसील	पंजीयन संख्या	मदरसा का नाम एवं पता
33	भरतपुर	डीग	747	मदरसा मस्जिद भयाडी, तहसील डीग, जिला भरतपुर
34	भरतपुर	डीग	748	मदरसा मस्जिद कावान का बस, तहसील डीग, जिला भरतपुर
35	भरतपुर	डीग	1197	मदरसा मस्जिद घडी मेवात डीग, भरतपुर
36	भरतपुर	डीग	1378	मदरसा मस्जिद कल्याणपुरा, तहसील डीग, जिला भरतपुर
37	भरतपुर	नगर	1685	मदरसा तालिमुल उलूम प्रीतम दास रोड, ईदगाह डीग, जिला भरतपुर

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों को एवं नगरपालिका देवगढ़ में स्वच्छ एवं स्थाई पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

2. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में चम्बल नदी से राजाखेड़ा नगर एवं सटे गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

3. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नगरपालिका बहरोड़ के वार्ड नं. 1, 2, 13, 14 व 16 में पीने के पानी की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नगरपालिका बहरोड़ के वार्ड नं. 19 में पानी की अधिक किल्लत होने के कारण तुरन्त प्रभाव से बोरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड के ग्राम खोहरी, भगबाड़ी खुर्द, बीजोरावास, अवलीमपुर, नारोड़ा आदि में बोरिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जो बोरिंग दस वर्ष से अधिक पुराने हो गये हैं उनकी पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जनता जल योजना को पंचायतों से स्थानान्तरित कर विभाग के नाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

8. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में श्रीगंगानगर शहर में सप्लाई किये जा रहे दूषित पेयजल को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

9. श्रीगंगानगर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिये विधायक कोटे से दी गई राशि का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. श्रीगंगानगर शहर की कालोनियों में डाली गई पुरानी पाइप लाइनें जो जर्जर हो गई हैं, को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. श्रीगंगानगर जिले की गणेशगढ़ योजना एवं धालेवाला योजना का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. श्रीगंगानगर जिले की स्वीकृत जल योजनाओं का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

13. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ-कनोडिया-54 मील-चोरडिया-शेरगढ़-चाबा व वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी., 159.50 खुडियाला-जीयाबेरी-आगोलाई-सिंयादा-बालेसर के द्वितीय चरण के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करवाने एवं आर.डी. 134 के द्वितीय चरण के पैकेज प्रथम के 07 सब पैकेज में से बकाया 03 सब पैकेज की तकनीकी स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की शेरगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतें चांदसमा, ऊंठवालिया, कलाऊ, जेठानिया व इनके राजस्व गांवों को शेरगढ़ की हिमालय पेयजल योजना वृहद जल प्रदाय योजना आर.डी. 134.00 देवानिया-नाथडाऊ-कनोडिया-54 मील-चौरडिया-शेरगढ़-चाबा के साथ सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ जनता जल योजनाओं के संधारण व संचालन का मानदेय राशि 1000 से वृद्धि कर 3500 रुपये प्रति माह, मरम्मत राशि प्रति हार्सपावर 1500 रुपये प्रति वर्ष करवाने एवं विद्युत बिलों का भुगतान जलदाय विभाग से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. राष्ट्रीय पेयजल सर्वे 2003 में चयनित ढाणियों को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत योजना बनाकर पंचायत समिति बालेसर की 327 व पंचायत समिति शेरगढ़ की 311 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु नवीन नलकूप क्रमशः 187

व 155 खुदवाने एवं पंचायत समिति बालेसर में 246 व पंचायत समिति शेरगढ़ में 139 नकारा हैण्डपम्प के स्थान पर नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. तहसील शेरगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत पेजजल से वंचित राजकीय विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

18. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बस्तियों के लिये किये गये सिंगल फेज पेयजल की प्लास्टिक (सिंथेटिक) की टंकी के बदले भूमि पर सीमेंट की टंकी बनाकर सिंगल फेज लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में पेयजल की समस्याग्रस्त ढाणियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के गांव कूनेड में हैण्ड पम्पों में अत्यधिक फलोराइड होने के कारण पेयजल आपूर्ति नलकूप द्वारा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में भाबरू में दो वर्ष के बाद भी स्वीकृत पेयजल स्कीम चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में बन्द पडी स्कीमों एवं नकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

23. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के गांव धोलीमगरी, भोईयों की पंचोली, उमरड़ा, झामर कोटड़ा, खाखा चासदा पंचायतों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित कैमिकल से पानी दूषित होने से पीने योग्य नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के आर.के. पुरम एवं गोकुल विलेज में पेयजल व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सार्वजनिक कुओं को गहरा कर पीने के पानी के नये स्रोत निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत सीसारमा के रामपुरा चौराया के ऊपरी बस्तियों में पीने के पानी की गम्भीर स्थिति से निपटने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आने वाली गर्मियों में उत्पन्न होने वाली पानी की विकट समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उम्मेद सागर धवा समदड़ी खण्ड 4 की पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पोकरण फलसून में पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की कोटड़ी क्षेत्रीय पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की पेयजल की जर्जर टंकियां व पाइप लाइनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गयारसाराम कोली (बयाना) :

32. विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्राम मालोनी (रूपवास) में एक ट्यूबवैल मय सबमर्सिबल एवं पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र बयाना के ग्राम ऊपरला तरसुमा में रास्ते के पास ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बयाना के महावर कालोनी ब्याना में एक ट्यूबवैल मय सबमर्सिबल तथा पानी की टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में बनय सिंह नेता (मंडी के पीछे) ट्यूबवैल मय सबमर्सिबल मोटर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र बयाना में पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामों में ट्यूबवैल मय सबमर्सिबल मोटर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

37. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सरमथुरा के 82 गांव की पेयजल योजना

में काम में ली गई घटिया सामग्री व नियम विरुद्ध अनियमितताओं की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्राम नादनपुर, बसेड़ी धौलपुर में पेयजल की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के सरमथुरा ढांग क्षेत्र के राजस्व व घनी आबादी वाले गांव में पानी की टंकी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के आगई बांध में पेयजल आपूर्ति हेतु चम्बल लिफ्ट योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खराब पडे हैण्डपम्पों व ट्यूबवैलों का सामान उपलब्ध कराकर चालू कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डोली) :

42. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में चम्बल नदी से बून्दी शहर पेयजल योजना का विस्तार हिण्डोली ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में हिण्डोली नैनवां (बून्दी) के संकटग्रस्त गांवों की विचाराधीन जल प्रदाय (NRDWP) योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में बासी (हिण्डोली) पेयजल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. बीसलपुर देवली उनियारा टोंक पेयजल योजना एवं फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. की बढ़ती मात्रा पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

46. विधान सभा क्षेत्र बाडमेर में जनता जल योजना को ग्राम पंचायतों से हटाकर पुनः पी.एच.ई.डी. को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 100 नये हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम बालाऊ, बालेरा, गोरसियों का तला, लूणू, सिद्धाणियों की ढाणी, रोहिली, रामसर कुआ, कानोड़ा, सरणू चिमन जी, शिवकर में नये ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के आफटेक भाडखा से विशाला, सुरा, नांद एवं इदाबेरी, शिवकर, चवा, सरणू, जालीपा, चूली महाबार, गरल, खुडासा, डण्डखा, राणीगांव, बालेरा, भारूड़ी, आटी, जसाई, सनावड़ा को पाइप लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

50. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के ग्राम पंचायत चौकडी में ढाणी देवली (मिणों की ढाणी) में सिंगल फेज बोर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. खण्डेला नगरपालिका क्षेत्र में पुरानी उच्च जलाशय टंकी जो सरकार द्वारा नकारा मानी जा चुकी है उसके स्थान पर दूसरी उच्च जलाशय टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

52. विधान सभा क्षेत्र नावां में नावां कस्बे के लिये पुनर्गठित पेयजल योजना पांचोता कुण्ड से नावां शहर में तुरन्त प्रभाव से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा नावां में स्वीकृत बीसलपुर पेयजल योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर फेज द्वितीय का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र नावां में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिये आर.ओ. एवं फिल्टर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

56. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में कस्बा चौमूं को बीसलपुर-जयपुर जल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम गौरी का वासी, डोला का वास, मालेरा, झीड़ा, विजयसिंहपुरा, भोपावास, भोजलावा (मोरीजा) गोगारियों की ढाणी चिथवाड़ी में जल योजना स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. चौमूं कस्बे में पेयजल के लिये दस ट्यूबवैल स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. चौमूं कस्बे में मगधनगर, रेनवाल रोड, मोरीजा रोड, इन्दिरा कालोनी

व वार्ड नं. एक में पानी की बड़ी टंकियां बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

60. विधान सभा क्षेत्र पाली के पाली शहर में नई पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र पाली में पाली से काला पीपल की ढाणी हेतु स्वीकृत पेयजल योजना को तुरन्त प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव कानावास एवं भाकरीवाला गांव की जलप्रदाय योजना से जुडे गांवों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अधिक क्षमता की नई पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव जैतपुर वायद मौडावास व गडवाडा की गलियों में वर्षों पूर्व बिछाई गई पाइप लाइनों को जोड़कर पेयजल सप्लाई चालू कर घरेलू कनेक्शन जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

64. विधान सभा क्षेत्र धोद के ग्रामीण क्षेत्रों में सीकर जिले में पूर्व की भांति ग्रामीण नलकूपों का बिजली का बिल जलदाय विभाग के द्वारा ही जमा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

65. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांवों व ढाणियों में जैसलमेर नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. जैसलमेर में पूर्व में बनी जीएलआर की मरम्मत कराने एवं नई जीएलआर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार की ढाणियों को पेयजल से जोड़ने एवं पशु खेली के लिये जीएलआर की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में फ्लोराइयुक्त पीने वाले गांवों को नहरी मीठा पानी पिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के गांवों में पेयजल के लिये ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

70. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के डार्क जोन होने की स्थिति में इंदिरा गांधी नहर या गुड़गांव नहर से गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु नई नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम हमीनपुर, नारनौद, बारी का बास की अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में मंडेला वार्ड नं. 25 हरिजन बस्ती में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. पिलानी शहर में जल स्तर दिनों-दिन गिरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

75. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम बोयल, कापरडा, चौढ़-बेनण, सिलारी, हरियाड़ा, बाला, हुणगांव, रामासनी, रावर, चांदलाव, खारीकलां, खारीखुर्द, पिथासनी, बिरड़ावास, पिलावास, रूड़कली, भटिण्डा, लोलावास, जालेली, दईकड़ा, कूकूण्डा खातियासनी, आसण्डा में तालाबों के सूखने से उत्पन्न पेयजल की विकट समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में दांतीवाड़ा-माणकलाव योजना से बिलाड़ा-पीपाड़ शहर एवं 119 गांवों को शीघ्र पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों को गति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

77. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पेयजल योजना में हैण्डपम्प एवं सिंगल फेज कनेक्शन सहित योजना हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. नगरपालिका क्षेत्र खेड़ली, जिला अलवर में खारा पानी एवं फ्लोराइड को दूर करने की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में सरकारी हैण्डपम्पों को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम सामोली में खारे पानी के स्थान पर मीठा जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के ग्राम खेरली रेल में जल योजना को सुदृढ़ करने तथा पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

82. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चादगोठी से राजगढ़ शहर में खतम होने के कारण राजगढ़ के लिये नई लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में राजगढ़ शहर की पुरानी-क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में बूड़ावास कालोड़ी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से सांखू से कालानावाल में नई पाइप लाइन सीधे ही डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में ग्रामीण क्षेत्र में संचालित ट्यूबवैल एवं ओपनवैल में नई मोटरें लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की हरिजन बस्तियों में नये 2 एचपी सबमर्सिबल ट्यूबवैल स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

87. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के गांव चारण का बास, पिरोहित का बास, जेतपुरा, देवरा, डूंगरवास कसवा में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये योजनायें स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की बस्तियों में पेयजल समस्या के समाधान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पाटोदा, खूडीवडी, गनेडी आदि में ओवर हैड टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के सभी पेयजल स्रोतों पर डिफ्लोराइडेशन यूनिट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के सभी गांवों में इन्दिरा गांधी नहर का पानी पेयजल हेतु लाने का प्रमोपम्ट शीघ्र शुरू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

92. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम खूण्डा-केशपुरा-खनपुरा, फतेहपुर-बखतपुरा, काचरोली-जमालपुर, आनन्दगढ़-दहभोली को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र करौली में चम्बल-करौली-सवाई माधोपुर पेयजल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

94. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में नये नलकूप व हैण्डपम्प खुदाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र पोकरण की अचिन्हित ढाणियों को पुनः चिन्हित कर उनमें पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा लिफ्ट कैनाल का कार्य तेज गति से करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. पोकरण कस्बे में नई पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में नहरी क्षेत्र में चक आबादियों व नवीन राजस्व गांवों में फिल्टर प्लांट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

99. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की स्वीकृत पेयजल योजनायें अधूरी पड़ी रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की विभिन्न योजनायें स्वीकृत होने के उपरान्त भी कार्य चालू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में जनता जल योजना पंचायतों द्वारा संचालित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की पेयजल योजना 500 एलएनपी की स्वीकृति के बाद भी सिंचाई विभाग द्वारा कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

103. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम पंचायत आत्मा के पोदावली ग्राम एवं पंचायत आत्मा, ग्राम पंचायत भाणा, पड़ासली, बडारडा एवं पंचायत खटामला में पेयजल योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. राजसमन्द जिले को डार्क जोन से बाहर करने व कंटिंजेंसी के तहत हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. राजसमन्द जिला मुख्यालय की नगरपालिका से गयी पेयजल की पाइप लाइन का विस्तार करने एवं बाहरी कोलोनियों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. राज्य में पेयजल व्यवस्था हेतु जन सहभागी योजना को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. राजसमन्द जिला मुख्यालय स्थित नगरपालिका में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कराये गये पेयजल कार्यों की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

108. अजमेर की अजयनगर स्थित संत कंवरराम कोलोनी में पेयजल हेतु पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के वार्ड 39 के ग्राम मायुपुरा में एक उच्च जलाशय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. अजमेर के वार्ड संख्या 39 के आमवाला, बेरा, पाल्याबेरा, कनातों का बाड़ीया को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नई पाइप लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. अजमेर में ज्वालाप्रसाद नगर के डबल स्टोरी क्वाटर्स हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु नई पाइप लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. अजमेर के अजयनगर स्थित सतगुरू कालोनी में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

113. उप खण्ड मुख्यालय कोटड़ी में जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने की आवश्कयता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के लिये प्रस्तावित धुंवाला-जहाजपुर-पण्डेर पेयजल योजना की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की टीकड़ पाइप्स स्कीम एवं हनुमाननगर पेयजल योजना को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की बीरधोल, रसिड़ एवं कांटी सांखड़ा पेयजल योजना को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की धुवाला-ऊंचा स्कीम, कुराडिया-गांगीथला स्कीम, गन्धेर-बिहाड़ा स्कीम एवं बोरड़ा-बिशनियां स्कीमों के शेष गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) :

118. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के दुरडा को बीसलपुर पाइप लाइन से जोड़ने एवं ग्राम कांणीया (कानीयां) पंचायत पानी से जुडा होने पर भी पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दौलत राज समेजा (रायसिंहनगर) :

119. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर के श्री विजय नगर में पेयजल योजना का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में विभाग के कार्यालयों में रिक्त पदों को तुरन्त प्रभाव से भरने एवं नवीन नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु फिल्टरों की मरम्मत एवं फिल्टर किट में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में जिन ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में वाटर वर्क्स कार्यालय नहीं हैं, वहां पर वाटर वर्क्स कार्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर):

123. विधान सभा क्षेत्र जालौर में सायला सब-डिविजन में पड़े रिक्त पद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वर्कचार्ज कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. जालौर जिला मुख्यालय पर पेयजल हेतु नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़) :

125. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के फ्लोराइड प्रभावित 135 ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

126. नगर परिषद उदयपुर एवं नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा जनता को पानी उपलब्ध कराने हेतु दिये गये करोड़ों रुपये की राशि का पूरा उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. केन्द्र सरकार के सहयोग से उदयपुर में डाली गई पाइप लाइन के बाद भी शहर का एक तिहाई भाग पाइप लाइन से वंचित रहने के कारण केन्द्र सरकार से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर में आसपुर से डूंगरपुर पाइप लाइन योजना की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. उदयपुर शहर के शेष रहे एक तिहाई हिस्से में पानी पहुंचाने के लिये पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु देवास योजना II को पूर्ण करने व देवास योजना III व IV के सर्वे के लिये इस वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान न करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

131. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के चक 4 के.पी.डी. व 9 के.डी. में नये मिनि वाटर वर्क्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

132. विधान सभा क्षेत्र नोहर में आपणी योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

133. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में जोगलिया जल स्कीम के टेंडर में अनावश्यक हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा रतनगढ़ में रतनगढ़ से लूध सांगासर, भींचरी, मीटी एवं छाबडी स्वीकृत स्कीम के टेंडर में अनावश्यक देरी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में रतनगढ़ से लोहा, भोजासर, सांवलिया स्कीम में भयंकर पानी के संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में सेठों की ढाणी स्कीम से जुडे गांवों में भयंकर जल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में सिकराणा लाल स्कीम से पानी नहीं मिलने से गांवों में जल संकट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) :

138. विधान सभा क्षेत्र चाकसू में बीसलपुर का पानी ग्रामीण क्षेत्रों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

139. चाकसू में अनुसूचित जाति/जनजाति के क्षेत्रों में हैण्डपम्प न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. चाकसू में अधिकांश क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

141. विधान सभा क्षेत्र वैर के कस्बा वैर, भुसावर, हलैना को चम्बल से पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र वैर के ग्राम, बल्लभगढ़, पाली, सरसैना, वागरैन, हिसमडा आदि गांव में उच्च जलाशय टंकी मय डीपबोर निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

143. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के लक्ष्मणपुरा, रोटा की पेयजल पाइप लाइन बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में पेयजल योजना रूपगढ़, ढेहर, दांता, बाय, कुली, सुरेश, निमेहेडा, राणोली, शिशु, खाटूश्यामजी, हुकिया-सामेट गोवटी पेयजल योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. राज्य के 20,000 से अधिक ग्रामों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने की दीर्घकालीन योजना का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. सीकर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के

लिये इन्दिरा गांधी नहर से सम्पूर्ण जिले की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम एवं ढाणियों में शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल योजनाओं की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

148. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में फ्लोराइडयुक्त गांवों को पीने के लिये नर्मदा नहर का मीठा पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

149. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पेयजल डिग्गियों की सफाई एवं चोक फिल्टरों को ठीक करने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के गांव राजासर भाटियान, तख्तपुरा, महादेव वाली खरबारा के लिये पेयजल परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

151. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ की ग्रामीण जल प्रदाय योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ढाणियों को पाइप लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में खराब पडे हैण्डपम्प ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

154. अजमेर शहर के पैराफेरी गांवों हाथीखेडा, काजीपुरा, अजयसर, खेरबाड़ी तलाई, माकड़वाली लोहागल में बीसलपुर का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. अजमेर उत्तर के कालोनियों में प्रेशर से पानी सप्लाई हेतु छोटे पाइपों को बडे पाइपों में बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. अजमेर जिले हेतु बीसलपुर पानी में निर्धारित 5 टीएमसी पानी

सप्लाई की व्यवस्था कर पूरे शहर सहित जिले को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में पूर्व में बनी पानी की टंकियों से चामुंडा माता, कुन्दनपुर व रान्ता नगर सहित क्षेत्रों में पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में नई बसी कालोनियों में पानी की लाइन बिछाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

159. विधान सभा क्षेत्र बाली की पूर्व में स्वीकृत लाटाडा पेयजल योजना को निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. नगरपालिका बाली एवं फालना के सभी वार्डों में समस्त पुरानी पेयजल योजनाओं के विस्तार एवं नवीनीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. बाली क्षेत्र के ग्राम चामुण्डेरी मेडतियान कागडी, फतापुरा, बीलिया, गुढा कल्याण सिंह, सादलवा, टिपरी, उन्दवल, गुढा आसकरण माडपुर, लापी, सुमेर अणेवा को हैण्डपम्प स्कीम से जनता जल योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र बाली के सभी गांवों को जवाई पेयजल पाइप लाइन योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम पीपला की जनता जल योजना को स्वीकृति के उपरान्त भी निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह (परबतसर) :

164. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

165. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित रावतभाटा पंचपहाड़ रामगंजमण्डी पेयजल योजना में जनता को प्रति व्यक्ति 200 लीटर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

166. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में भीषण पेयजल संकट को दूर करने के लिये नवीन हैण्डपम्प, ट्यूबवैल व नलकूप स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

167. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक बाहुल्यों गांवों में पेयजल सुविधा (ट्यूबवैल्स, पाइप लाइन, सिंगल पोइन्ट) उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

168. विधान सभा क्षेत्र सोजत में हो रही पानी की अनियमित सप्लाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. पाली जिले की कंटालिया बांध से 7 गांव में पेयजल नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

170. राज्य में वृहद जल नीति बनाकर अविलम्ब लागू करने व राज्य के घोषित डार्क जोन के नियमों के सरलीकरण व निश्चित समयावधि में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में कार्यरत पेयजल योजनाओं में विद्युत कनेक्शन काट देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के कस्बा मनोहरपुर और खेजरोली की पेयजल योजनाओं के लिये वित्तीय स्वीकृति जारी कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा) :

173. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के ग्राम रामपुरिया से छापोल, कैथूदा में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) :

174. विधान सभा क्षेत्र बगरू में आने वाले पटेल नगर प्रेम नगर पुलिया के पास आगरा रोड पर पेयजल की स्थाई व्यवस्था हेतु योजना बनाने व खराब हैण्डपम्प को ठीक किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. जयपुर की बढ़ती हुई जनंसख्या को देखते हुये चम्बल नदी से बीसलपुर में पानी लाये जाने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. जयपुर की चारदीवारी के बाहर के क्षेत्रों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने एवं इसके लिये कालोनियों में नई पाइप लाइन डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में पेयजल की नई पाइप लाइन डालने एवं गर्मियों में पेयजल की कमी की पूर्ति हेतु खराब हैण्डपम्पों को अभियान चलाकर ठीक कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. जयपुर में गर्मियों में होने वाले पेयजल संकट से निबटने हेतु स्वीकृत ट्यूबवैलों का तुरन्त कार्य चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

179. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उम्मेद सागर कल्याणपुर समदड़ी योजना को तुरन्त पूरा कर पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

180. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के पद भरने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्रामीण इलाके में पीने के पानी की व्यवस्था करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

182. प्रदेश में जल पूर्ति करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में नगरपालिका कुशलगढ़ में पीने के पानी की व्यवस्था न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम डुगरा छोटा, डुगरा बड़ा, सज्जनगढ़ व कसारवाड़ी में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने में विभागीय असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

185. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पिलावनी में ओवरहैड टैंक बनवाने एवं घरों में नल कनेक्शन योजना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम धुन्धला, बोरीमादा, सिरीयारी, बान्ता की स्वीकृत योजनाओं को तकमीना के अनुसार पांच वर्षों में भी पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. जवाई पाली परियोजना में मारवाड़ जंक्शन रानी एवं देसूरी में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बाडसा में घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम बरकारणा में विधायक कोष से स्वीकृत पांच लाख की पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

190. विधान सभा क्षेत्र नगर में पेयजल के लिये उपलब्ध खारे पानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

191. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वाटर टैंक आफ सागर पाड़ा धौलपुर योजना शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

192. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के समस्त ग्रामों एवं कस्बों में बीसलपुर का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

193. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विभाग द्वारा खोदे गये सिंगल फेज के ट्यूबवैल के बिल सरकार द्वारा वहन करने एवं बंद ट्यूबवैल को चालू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पेयजल हेतु पर्याप्त मात्रा में टैंकर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में स्थित देवयानी सरोवर में बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

196. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की कालोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पेयजल हेतु बीसलपुर का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

198. नागौर लिफ्ट कैनाल परियोजना से तहसील नागौर एवं खींवसर के गांवों को मीठा पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

199. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बरौलीरान में पूर्व में तोड़ी गई पानी की टंकी के स्थान पर पुन: उच्च जलाशय का निर्माण कराने एवं पाइप लाइन डालकर घरों को नल से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव अस्तल में नलकूप व पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव बसैया अभय में नलकूप एवं पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र नदबई के नगला वक्ता में पेयजल समस्या के निदान के लिये हन्सु की पोखर (कस्बा नदबई) से नलकूप लगाकर पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव भदीरा में उच्च जलाशय के निर्माण एवं पाइप लाइन डालकर घरों को नल से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

204. विधान सभा क्षेत्र कोटा में नगर निगम सीमा में शामिल हुए 35 से अधिक गांवों को फिल्टर जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. कोटा शहर महावीर नगर, तलवंडी, विज्ञान नगर, महावीर नगर विस्तार योजना, केशवपुरा, नई धान मंडी, सुभाष नगर, दीनदयाल नगर, श्रीनाथ पुरम, इन्द्रा विहार, राजीव नगर, आर.के. पुरम, श्याम नगर, बसंत विहार, स्वामी विवेकानन्द नगर में 24 घंटे फिल्टर जल की आपूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. कोटा शहर की मुख्य पाइप लाइन जीर्ण-शीर्ण होने से हो रहे 40 लाख लीटर शुद्ध पेयजल (प्रतिदिन) को व्यर्थ होने से रोकने के लिये 1400 व 600 एम.एम. की पाइप लाइनें अविलम्ब बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. यू.आई.टी. व हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित कोटा शहर की विभिन्न कालोनियों में उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध वसूल किये जा रहे इन्फ्रास्ट्रेक्चर शुल्क को तुरन्त रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. प्रदेश में कोटा शहर सहित विभिन्न शहरों में खराब पड़े हजारों मीटर बदलने व कोटा शहर में खरीदे गये फ्लोरीनेटर के उपयोग व पाइप लाइनों की लीकेज जांचने वाले बल्क मीटर की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

209. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के क्षतिग्रस्त भूतल जलाशयों को शीघ्र ठीक कराने एवं नये बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के कापरडी, देवलामादा, सिरासना एवं भारली-बरना पेयजल योजनाओं के बकाया कार्यों को शीघ्र पूरा कर पेयजल आपूर्ति बहाल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नागौर लिफ्ट योजना के प्रथम एवं द्वितीय फेज के कार्य को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

212. डेगाना-सांजू, नथावडा-बेडासकलां, दागडी-जैतपुराकलां, भारली-बरना, जावला-मेहराना में क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने एवं पेयजल आपूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

213. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में समर कन्टीनजेन्सी योजना में पेयजल हेतु विशेष राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विभिन्न गांवों के लिये विशेष पेयजल योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध में पेयजल हेतु यमुना नदी से जल लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फ्लोराइडयुक्त एवं खारे पानी की समया से ग्रस्त गांवों के लिये विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

217. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के चिखली, साकोदरा, कुआ आदि ग्रामों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

218. विधान सभा क्षेत्र नगर में कानूजा के पास हैण्डपम्प एवं सिंगल पावर हाउस मोटर लम्बे समय से खराब पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

219. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पेयजल वितरण पाइप लाइन से वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर पाइप लाइन बिछाने और क्षेत्र के प्रदूषित और कम दबाव के क्षेत्रों को चिन्हित कर समस्या निराकरण के लिये विशेष राशि का प्रावधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220. जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर की समस्या के स्थाई एवं ठोस समाधान करने एवं वर्तमान में तात्कालिक समाधान के रूप में निकाले जा रहे भू-जल का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. प्रदेश में विभाग की भू-संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने की प्रभावी योजना बनाकर त्वरित एवं ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कच्ची बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निर्धन नागरिकों को राहत देने के लिये नवीन पेयजल कनेक्शन में ए.डी.बी. चार्जेज हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) :

223. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में एस.आर. स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

224. झालावाड़ जिले की पूर्व स्वीकृत एवं प्रस्तावित पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

225. झालावाड़ जिले की लम्बित एवं अधूरी पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

226. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 52 में से 30 पंचायतों के 260 गांव एवं ढाणियों में पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) :

227. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की पुरानी पाइप लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र किशनपोल में नये हैण्डपम्प खोदने एवं पुराने हैण्डपम्पों की अविलम्ब मरम्मत कर पेयजल सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. पानी के मीटरों का हवा के प्रेशर से चलने से आने वाली रीडिंग का भुगतान उपभोक्ता से लेने से हो रहे नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कानसिंह कोटड़ी (सिवाना) :

230. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पाइप लाइन से जुडे पारम्परिक स्रोत बिना रखरखाव के खराब हो चुके हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

231. विधान सभा क्षेत्र सोजत में 75 हैण्डपम्प एवं 25 ओपन वैल खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. विधान सभा क्षेत्र सोजत (पाली) में अधिशासी अभियन्ता पी.एच.ई.डी. द्वारा वर्ष 2010-11 व 2011-12 में खरीदे गये पम्पसैटों में हुये भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सुचारु रूप से पेयजल वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

234. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के नगरपालिका क्षेत्र में चम्बल नदी का पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

235. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गत दो वर्षों से लगातार पेयजल समस्याग्रस्त गांव जहां टैंकरों से पीने के पानी की व्यवस्था की गई, वहां स्थाई समाधान स्कीम बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम नांगलसाकिया के पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कारण पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम घासोली में राज्य मार्ग संख्या 25 के निर्माण के लिये लगे मिक्सचर प्लांट के नीचे पानी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र किशनढ़ बास के गांवों में खारा व फ्लोराइडयुक्त पानी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

239. पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना परियोजना में बायतू के 191 गांवों को शीघ्र पेयजल से लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. उम्मेद सागर परियोजना के बड़नावा जागीर एस.आर. से आसपास की ग्राम पंचायतों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र बायतू में विधायक कोष से स्वीकृत बकाया 28 हैण्डपम्पों को खोदे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के भाडखा-चौखना-बान्द्रा द्वितीय चरण के भाग 'ब' में लाभान्वित बायतू क्षेत्र के गांवों के सर्वे कार्य हेतु कार्यादेश जारी कर सर्वे कार्य शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. चिड़िया एवं गीडा में स्वीकृत जी.एल.आर. के निर्माण में हो रही देरी एवं सांभरा, पतासर में क्षतिग्रस्त, जी.एल.आर. के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) :

244. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के तहत माण्डव क्षेत्र के 25 ग्रामों में भूगर्भीय जल में भारी मात्रा में फ्लोराइड होने के कारण सतही जल भण्डारण लक्ष्मण सागर बांध से पेयजल योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

245. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर को बीसलपुर परियोजना से जुड़वाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में विधायक कोष से स्वीकृत ट्यूबवैल के विद्युत कनेक्शन पर अधिक डिमाण्ड राशि मांगने के कारण कनेक्शन नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में पेयजल की भीषण कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में पेयजल के निदान हेतु विधायक कोटे से जारी राशि का विभाग द्वारा समय पर उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर की पुरानी पाइप लाइनों को बदलने व आगरा रोड के बायीं ओर की कालोनियों के लिये पेयजल की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

250. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में नवीन विकसित आवासीय क्षेत्र एवं कच्ची बस्तियों में पेयजल पाइप लाइनें डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में क्षतिग्रस्त एवं वर्षों पुरानी पेयजल पाइप लाइनें बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के आवासीय क्षेत्र में जलापूर्ति के लिये अतिरिक्त जलाशय निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) में नये फिल्टर प्लांट की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

254. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पेयजल हेतु आवश्यकता अनुसार जन प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर नये ट्यूबवैल, हैण्डपम्प लगाने हेतु उपखण्ड अधिकारी को अधिकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. कोटा जिले के सभी ट्यूबवैल, हैण्डपम्प जो खराब पड़े हैं, को शीघ्र ठीक कराने व नये स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

256. रावतभाटा रामगंजमण्डी व पचपहाड़, रामगंजमण्डी पेयजल योजना से रामगंजमण्डी क्षेत्र की जनता को प्रति व्यक्ति 200 लीटर पानी उपलब्ध कराने हेतु सप्लाई का समय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में अकेलगढ़ भण्डाना पेयजल योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

258. विधान सभा क्षेत्र बामनवास अन्तर्गत तहसील बौंली को चम्बल/बनास की परियोजना से पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ग्रीष्मकाल में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ट्यूबवैल व हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल संकट से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

261. जनता जल योजना में कार्यरत पम्प चालकों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

262. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में पेयजल के लिये हैण्डपम्पों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

263. करौली शहर में जलदाय विभाग के नलकूपों के सूखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

264. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के विभिन्न गांवों में ट्यूबवैल्स/सिंगल फेज लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर को चम्बल परियोजना से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

266. इंदिरा गांधी नहर का पानी पेयजल हेतु पाली जिले के गांवों में पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

1. विधान सभा क्षेत्र भीम के भोपाल सागर, नीमझर, कुआथल ग्राम पंचायत से गुणीया, जरसा, भीम बांध की ताल एवं गम के बांधों की सभी नहरों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

2. बहरोड़ क्षेत्र डार्क जोन होने से किसानों को सिंचाई के लिऐ यमुना व चम्बल नदी के पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. अलवर जिले को तुरन्त प्रभाव से कैनाल द्वारा चम्बल नदी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ की ग्राम पंचायत सीग के आस-पास के गांवों में सिंचाई के लिए बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम नयागांव पंचायत खोहर में बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ग्राम मंगलपुर पंचायत काठुवास में बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) :

7. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में ट्यूबवैल, नलकूपों पर पानी का स्तर नीचे उतरने पर सिंचाई लागत बढ़ने पर अनुदान न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सिंचाई बांधों के भराव क्षेत्र में अवैध रूप से नलकूप खोदने एवं अवैध खेती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
9. राजस्थान में पिछले दो वर्ष से सिंचाई का रकबा घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में सिंचाई के साधन नलकूपों के लगाने पर ऋणी किसानों को ब्याज माफ करने या ब्याज अनुदान नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्री गंगानगर) :

11. विधान सभा क्षेत्र गंगानगर में गंगनहर के हैडों का कार्य डायवर्सन बनाकर सम्पन्न करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. पंजाब से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
13. गंगनहर में गंग कैनाल की बन्दी में लाइनिंग का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
14. पंजाब से गंग कैनाल में आ रहे कैमीकल की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
15. इंदिरा गांधी नहर की लाइनिंग का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

16. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनीकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) :

17. विधान सभा क्षेत्र बयाना में चम्बल से लिफ्ट कर बंध बारैठा में सिंचाई के लिए पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र बयाना में बयाना एवं रूपवास तहसीलों को पांचना बांध से नहर बनाकर सिंचाई हेतु पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी) :

19. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई बांध में सिंचाई हेतु चम्बल नदी से चम्बल लिफ्ट योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में बागथर करीलपुरा सब माइनर को पाली तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
21. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई बांध की मुख्य नहर से ममौधन सिंचाई क्षेत्र के लिए सब माइनर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई बांध में जमा मिट्टी को निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के औगई बांध की मुख्य नहर तथा वितरिकाओं को पक्का किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

24. ईसरदा बांध टोंक-सवाई माधोपुर सीमा की प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में पार्वती, कालीसिंध व चम्बल लिंक परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

26. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ग्राम पंचायत चूली के राजस्व गांव लूणू खुर्द में पूर्व में निर्मित एनीक्ट का विस्तार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

27. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर की माइनर भीमगुडा कैनाल की 350 हैक्टेयर भूमि को ऊबड़-खाबड़ एवं लवणीय होने के कारण कमाण्ड से अनकमाण्ड घोषित अवशेष 350 हैक्टेयर भूमि को पनोरिया लिफ्ट कैनाल के उत्तर पश्चिम बेसिन के वंचित रह गये गांवों की भूमि को शामिल कर कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

28. नागौर जिले के डार्क जोन हिस्से को समाप्त कर किसानों को सिंचाई के लिए राहत मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. राज्य में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र नावां में बांध एवं एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटूसिंह भाटी (जैसलमेर) :

31. जैसलमेर में नहरों, माइनरों व खालों की मरम्मत करने, समय पर सिल्ट निकालने एवं अन्तिम क्षेत्र तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में खालों के पास-पास वृक्षारोपण, कवरिंग

करने एवं कच्चे साख को पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. जैसलमेर जिले में कम पानी के खपत के लिए डिग्गी निर्माण में बिजली कनेक्शन 5 हार्सपावर तक दिलाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

34. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के जसवंत सागर कमाण्ड की नहरों की मरम्मत करने एवं डीसिल्टिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के जसवंत सागर बांध के कमाण्ड क्षेत्र की 2007 से क्षतिग्रस्त पड़ी नहरों, खालों, माइनरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

36. विधान सभा क्षेत्र करौली में चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

37. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की पंचायत पडूणा में जाबला उपराफला एवं वडलीवाला नाका को तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के तालाब निचला गोयरा (बारापाल) का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण का मादेला तालाब (बारापाल) की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सन्तोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

40. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में गंगनहर फीडर की लाइनिंग व नहर बंदी के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर की भाखड़ा सिस्टम की के.एस.डी., के.आर.डब्ल्यू., बी.एल.डब्ल्यू. व बी.जी.एस. नहरों को लाइनिंग कर पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में भाखड़ा की नहरों पर पानी के सुगम प्रवाह के लिए पुलों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) :

44. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिद्धमुख नहर से जुडे 14 गांवों में पक्के खालों-नालों का निर्माण एवं रेजड़ी माइनर व सिद्धमुख माइनर को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिद्धमुख नहर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सिद्धमुख नहर के क्षेत्र से लगते हुए हरियाणा के गांवों द्वारा पानी की चोरी को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की साहवा लिफ्ट योजना से सिंधमुख नहर से जुडे गांवों के अतिरिक्त अन्य सिद्धमुख क्षेत्र के गांवों को जोड़ने के लिए सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के सिद्धमुख उप तहसील के 14 गांव सिंधमुख नहर से जुडे होने से उक्त क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र घोषित कर कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

49. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना मेन कैनाल की आर.डी. 1305 पर किसानों की आवाजाही के लिए जगह छोड़कर पुल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना मेन कैनाल आर.डी. 1331 पर 8 डी.ओ.एल. मोगे की पुनः स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में 1,2 चिनु माइनर के सी.ए.डी. खालों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र पोकरण में टूटी हुई नहरों की मरम्मत व नहर किनारे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में ढगारिया एनिकट की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बनास नदी पर ग्राम बागूदार एवं ओडियाखेड़ा के पास जीरो लेवल एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में टहलेश्वर महादेव के पास मेज नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में बावड़ी, तसवारिया, भीलड़ी व टीटाडी तालाबों की इन्टरलिंकिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में नागदी नदी की सफाई एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) :

58. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर नानूराम खारा माइनर का सर्वे करवाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. सतलुज नदी (पंजाब) में प्रदूषित गन्दे पानी के लिये ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सूरतगढ़ ब्रांच की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विभाग के जिन अधिकारियों के विरुद्ध ए.सी.बी. के मामले चल रहे हैं उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. सिंचाई विभाग में रिक्त पदों को भरने तथा नवीन भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़) :

63. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

64. उदयपुर सम्भाग की सभी सिंचाई योजनाओं को फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने एवं पानी का समुचित उपयोग कर सिंचित क्षेत्र रकबा

बढ़ाने की महत्वपूर्ण योजना पर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर के कडाना बांध में उपलब्ध वैकवाटर का पूरा उपयोग करने के लिये एवं उससे लगे हुये सम्पूर्ण क्षेत्र को सिंचित करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी योजना तैयार कर आदिवासी क्षेत्र के किसानों को मदद करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर में माही का पानी जाखम के नागलिया डैम में एवं जाखम से टनल द्वारा जयसमंद में डालने की एक महत्वाकांक्षी योजना का सर्वेक्षण कर कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर शहर के अरावली के पश्चिमी ढाल से होता हुआ जो पानी सावरमती में जा रहा है उसे परिवर्तित कर उदयपुर की तरफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. राजसमन्द झील को भरने के लिये सावरमती बेसिन के पानी को लाने के लिये सर्वेक्षण कर योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

69. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रिक्त सभी प्रकार के पदों को तुरन्त प्रभाव से भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र नोहर तथा तहसील रावतसर से गुजरने वाली सम्पूर्ण साहवा परियोजना की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र नोहर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना व इंदिरा गांधी नहर फीडर की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. नोहर-भादरा को अमर सिंह/सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली पर हो रही पानी-चोरी की घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

73. पड़ोसी राज्यों से हमारे हिस्से का 6 एम.ए.एफ. पानी पंजाब से तथा यमुना वाटर हरियाणा से लेने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने एवं जयपुर-सीकर-झुंझुंनू-नागौर को नहर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

75. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ शाखा की एच. माइनर के बैड लेवल को पुन: बनाकर टेल तक पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

76. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की अनूपगढ़, पूगल शाखा की मरम्मत व डिसिल्टिंग एवं के.जे.डी. नहर को पूगल ब्रांच से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

77. विधान सभा क्षेत्र बाली के सैली बांध देसूरी का नहरी सिंचित क्षेत्र बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र बाली के पूर्व में स्वीकृत फूटिया बांध के कार्य को निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

79. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ताकली बांध के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

80. राज्य में निजी कम्पनियों को नहरी पानी से विद्युत उत्पादन की अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) :

81. विभाग द्वारा जारी सूक्ष्म सिंचाई योजना का सर्कुलर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

84. भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मण्डल के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा) :

85. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वितरिकाएं व माइनरों (चम्बल कैनाल की) के जीर्णोद्धार व सफाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

86. प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

87. बांसवाड़ा जिले के माही परियोजना की पुरानी नहरों की मरम्मत करने एवं दुबारा निर्माण कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. कुशलगढ़ क्षेत्र में अधूरी सिंचाई परियोजना पीपलोन व टिडियां देव व उदेगढ़ की स्वीकृति जारी कर पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. कुशलगढ़ क्षेत्र की पुरानी सिंचाई परियोजनाओं से मिट्टी भराव को निकाल कर अधिक पानी का भराव करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. कुशलगढ़ क्षेत्र में पुराने तालाब घोडादरा, झाखरीया, नवा गांव के तालाबों की लीकेज न रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़-जंक्शन) :

91. पाली जिले की नदियों को दूसरे राज्यों की नदियों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. फुलाद बांध की नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

93. सीकरी बांध का रिनोवेशन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

94. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम बलवनिया, राताघाटा, बड़दोल कानाडा, बारंदा पीठ कमड़ा वाला नाका बैडसा एवं छोटी भैका नाका की सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

95. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में सिंचाई विभाग के रिक्त पदों को भरने, नहरों के निरीक्षण आदि कार्यों हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने तथा नये पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. कोटा सम्भाग की वांता, आंवा, लाडपुरा, किशोरपुरा सहित विभिन्न लघु, मध्यम व वृहत सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करने के

लिए राज्य स्तर पर विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. कोटा सम्भाग की गरड़दा, तकली, पिपलाद, गागरोन एवं तहासी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. राजस्थान-मध्य प्रदेश चम्बल जल नियंत्रण बोर्ड में गांधी सागर बांध से नहरों में पानी छोडने के लिए न्यूनतम जल स्तर 1250 फीट तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

99. जोधपुर जिले के सूरपुरा बांध क्षेत्र की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं बांध की रिसाव समस्या के निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश के बांधों एवं एनिकट्स की सुरक्षा, कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने और नियमित एवं समुचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. प्रदेश के नहरी सिंचित क्षेत्रों में वाटर लागिंग की समस्या के स्थाई निदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. पड़ोसी राज्यों से हुए विभिन्न समझौतों के अनुरूप प्रदेश की हिस्सेदारी के जल में कटौती के प्रकरणों पर प्रदेश सरकार की ओर से ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अनिल जैन (खानपुर) :

103. झालावाड़ जिले की लम्बित पड़ी विभिन्न लघु मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनगढ़) :

104. प्रदेश की नदियों को जोड़ने की योजना बनाकर कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

105. विधान सभा क्षेत्र बायतू के चिड़िया ग्राम पंचायत के पहाड़ी क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नया सोमेसरा नौसर के पहाड़ी क्षेत्र में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र बायतू में नवलोणी बेनीवालों की ढाणी एवं कालानाडा ग्राम पंचायत झाक में एनिकट निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र कुमार (सागवाड़ा) :

108. भीखा भाई सागवाड़ा नहर पर वित्तीय वर्ष 2012-13 में निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान बजट में नहीं रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

109. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में स्थित रामसागर बांध रावठा की मरम्मत कराकर उससे किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. राज्य के सभी सिंचाई के बांधों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. ताकली बांध में डूब में आई गेटखोर ढाणी के किसानों के मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. ताकली बांध में डूब में आई कृषि भूमि के खातेदारों को उचित मुआवजा व आवासीय कालोनी में आवास उपलब्ध कराने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

113. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवलकिशोर मीणा (बामनवास) :

114. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नवीन एनिकटों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

115. गोडाना बांध से सिंचाई की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

116. प्रदेश में सिंचाई की प्रचलित पद्धतियों को आधुनिक जल संरक्षण की सिंचाई पद्धतियों से प्रतिस्थापित करने हेतु विशेष त्वरित एवं ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

117. बीसलपुर बांध में पानी बढ़ाने हेतु पी.के.सी. इन्टरलिंक परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।